सप्तम माला खंड 1 अंक 1

शुक्रवार 8 मई, 1981

18 वैशाख 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पाँचवा सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 56, शुक्रवार, 8 मई, 1981/18 वैशाख, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
तारांकित प्रश्न संख्या : 1113, 1115, 1117	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—192
तारांकित प्रश्न संख्या : 1116, 1118-1133	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10280-10479	
अतारांकित प्रश्न संख्या 7231 दिनांक 10-4-1981 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	192—193
अतारांकित प्रश्न संख्या 798 दिनांक 20-2-1981 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	193
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	193—197
विशेषाधिकार के मामले	197—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र	200—210
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	210
राज्य-सभा से सन्देश	211
विधेयक पर अनुमति	211
विशेषाधिकार समिति	212
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	212—230
बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कथित तालाबन्दी किए जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्रीकृष्ण प्रताप सिंह	212
श्री सी० एम० स्टीफन	213

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु 217

श्री सतीश अग्रवाल 222

श्री इन्द्रजीत गुप्त 223

मन्त्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण 230—232

श्री सी० पी० एन० सिंह 230

पुरःस्थापित किए गए विधेयक 232—234

मन्त्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव 234—265

श्री जार्ज फर्नान्डीस 236

श्री एच० के० एल० भगत 249

श्रीमती मोहसिना किदवई 255

श्री समर मुखर्जी 259

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 266

महात्मा गांधी की छवि को बिगड़ने से रोकने के सम्बन्ध में संकल्प 266—309

श्री तैयब हुसैन 266

श्री सुधीर गिरी 272

श्री भीखू राम जैन 275

श्रीमती प्रमिला दण्डवते 279

प्रो० एन० जी० रंगा 281

श्री जगपाल सिंह 284

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर 286

श्री ईरा मोहन 287

श्री वी० एन० गाडगिल 289

श्री जयपाल सिंह कश्यप 294

श्री तारिक अनवर 295

श्री कमला मिश्र मधुकर 295

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत 297

श्री हरिकेश बहादुर 297

श्री राम सिंह यादव 298

श्री गिरधारी लाल डोगरा 300

श्री रतन सिंह राजदा 301

श्री गिरधारी लाल व्यास 303

श्री सुन्दर सिंह 305

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 307

आचार्य भगवान देव 309

मंत्रि-परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी 309—441

श्री समर मुखर्जी 309

श्री आर० एस० स्पैरो 316

श्री सी० टी० दंडपाणि 318

श्री आरिफ मोहम्मद खां 322

प्रो० मधु दण्डवते 327

श्री विद्याचरण शुक्ल 334

श्री जगजीवन राम 338

श्री जैल सिंह 344

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 352

श्री के० लकप्पा 366

श्री इन्द्रजीत गुप्त 373

श्री ए० के० सेन 384

श्री हरिकेश बहादुर 394

श्री एन० ई० होरो 397

श्री जयपाल सिंह कश्यप 399

श्री चित्त बसु 401

श्री त्रिदिब चौधरी 403

श्री आर० वेंकटरामन 404

श्री जार्ज फर्नान्डीस 418

लोक सभा

शुक्रवार, 8 मई, 1981/18 वैशाख, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : तशरीफ रखिए।

एक माननीय सदस्य : आखिरी दिन है।

अध्यक्ष महोदय : सेशन का।

श्री रामावतार शास्त्री : सेशन का आखिरी दिन है ?

अध्यक्ष महोदय : यस, सर।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कल भी बैठना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, लगता ऐसा है कि शायद आपकी भविष्यवाणी सत्य हो।

प्रो० मधु दंडवते : नो-कांफीडेंस मोशन पास हो जाए, तो सरकार का भी आखिरी दिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोने की खोज

*1113. **श्री सुधीर गिरि :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सोने की खोज करने के लिए कोई पांच-वर्षीय योजना तैयार की है; और

(ख) जहां तक आगामी पांच-वर्षों की अवधि में सोने के उत्पादन का सम्बन्ध है उसमें विश्व में सोने के उत्पादन की तुलना में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) योजना को कार्यान्वयन हेतु केवल दिसम्बर 1980 में अन्तिम रुह दिया गया है। इस समय कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। सभी पहलुओं से खोज कार्य पूरा हो जाने तथा प्रौद्यो-आर्थिक अध्ययन किए जाने और साथ में सम्पन्न भण्डारों का पता लग जाने के बाद ही उत्पादन वृद्धि के रूप में परिणामों का पता चल सकेगा।

श्री सुधीर गिरि : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि (क) देश में इस समय सोने के भण्डार की स्थिति क्या है और वे स्थान कौन से हैं जहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सोने की खोज की जाएगी (ख) संसार में सोने के उत्पादन की तुलना में हमारे देश में सोने के वार्षिक उत्पादन की स्थिति क्या है; और (ग) वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से सोने की खोज का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है जबकि देश और विदेश दोनों ही में सोने की कीमतें बहुत ऊंची हैं और पेट्रोल पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में तो सोने का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैं यह कहूंगा कि वित्त मन्त्री सोने के समुचित अभिरक्षक हैं। मेरा काम तो सोने का उत्पादन करना है और उसके बाद इसे वित्त मंत्री को सौंप देना है। इसलिए वही यह बता सकते हैं कि इस समय सोने की भंडारण स्थिति क्या है। मैं उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता।

सोने की औसत उत्पादन 2405 किलोग्राम प्रतिवर्ष है। जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम है कि हमारा उत्पादन गिरता जा रहा है जिसका प्रमुख कारण है हमारे सोने की घटिया किस्म। आमतौर से अयस्क की बढ़िया किस्म वह कहलाती है जिसमें सोने का अनुपात 9-10 ग्राम प्रति टन अयस्क हो। परन्तु अधिकांश भारतीय अयस्कों में 3.5 से 4, 5 या 6 ग्राम सोना प्रति टन तक है। 1978-79 में भी सोने का कुल उत्पादन 2703 किलोग्राम था। सोने की दो बड़ी खानें हट्टी सोने की खान और कोलार सोने की खान हैं। हिन्दुस्तान कापर्स से भी हमें कुछ सोना उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इन तीनों को मिलाकर पिछले वर्ष 2406 किलोग्राम सोना उत्पादित किया गया। हम अगले पांच वर्षों तक भी इसी स्तर को बनाये रखना चाहते हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश में सोने की खोज में लगे हुए मजदूरों और तकनीकी व्यक्तियों की संख्या इस समय कितनी है, और उनका वेतन ढांचा क्या है। मैं इस बात को इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि ये मजदूर और तकनीकी व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण खनिज का उत्पादन कर रहे हैं।

(ख) जहां तक सोने की खोज का सम्बन्ध है पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इन

मजदूरों और तकनीकी व्यक्तियों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि यह काम भारतीय भू-सर्वेक्षण और मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा और इसके लिए हम कर्मचारियों की कोई निर्धारित संख्या में नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। जब-जब भी कार्य में विस्तार होगा, हमें इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। अभी से यह कह देना ठीक नहीं होगा कि कितने व्यक्तियों को इसमें नियुक्त किया जायेगा। यह तो कार्य की प्रगति और उसके विकास पर निर्भर करेगा।

श्री एन० ई० होरो : बिहार के सिंहभूम जिले में सोना पाया गया है। पंचवर्षीय योजना के दौरान मन्त्री महोदय को कितनी मात्रा में सोना मिलने की आशा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : सिंहभूम वह क्षेत्र है जिसे इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

श्री मुकुन्द मंडल : वह कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें हाल के वर्षों में सोने की खोज के लिए निर्धारित किया गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मेरे पास इसकी एक विस्तृत सूची है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनको वह सूची दे दीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं राज्यों के नाम बता सकता हूं। वे राज्य हैं कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा।

श्री बी० वी० देसाई : देश में दो सोने की खानें हैं—कोलार सोने की खान और हट्टी सोने की खान। यही दो ऐसी खानें हैं जिनसे अधिकांश मात्रा में सोना निकाला जाता है। हट्टी सोने की खान मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है। वित्त मन्त्री के लिए यह एक बहुत अच्छा समाचार है कि अभी-अभी हाल ही में हट्टी सोने की खान में सोने वाली बहुत भारी चट्टानें पायी गई हैं। इस चट्टान में सोने की खोज करने के लिए सरकार तत्काल रूप से क्या उपाय कर रही है?

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इसके बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं हूं या यह कह लीजिए कि जितने आशावादी माननीय सदस्य हैं उतना मैं नहीं हूं। जहां तक कोलार सोने की खानों का सम्बन्ध है, मैं यह करीब-करीब अनार्थिक है। क्योंकि यहां मिलने वाले अयस्क बहुत घटिया किस्म के हैं। जहां तक हट्टी सोने की खान का सम्बन्ध है, हमें कुछ नए क्षेत्र मिले हैं, लेकिन अभी तक उनमें उत्पादन नहीं हो पाया है। इन्हें भी वर्तमान योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

फिल्म क्षेत्रों से करों की बकाया राशि

*1114. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या वित्त-मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा-फिल्म क्षेत्र से करों (आयकर तथा धनकर) की बकाया राशि वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ;

(ख) फिल्म सर्कल ने वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान फिल्म क्षेत्र से करों की कितनी राशि वसूल की; और

(ग) 31 जनवरी, 1981 को (एक) फिल्म निर्माताओं; (दो) वितरकों; (तीन) फिल्म कलाकारों; तथा (चार) फिल्म फाइनेन्सरों की प्रत्येक श्रेणी में उन बीस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी ओर करो की सर्वाधिक राशि बकाया थी और कितनी-कितनी राशि बकाया थी।

वित्त मंत्री (श्री वेंकटरामन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा सकता है।

विवरण

(क) तथा (ख) सारे देश में ऐसे मामले के सम्बन्ध में अलग से ऐसे सर्कल नहीं बनाये गये हैं, जिनका क्षेत्राधिकार अनन्य रूप से फिल्म क्षेत्रों से सम्बन्धित कर-निर्धारितियों पर होता है। लेकिन, कलकत्ता में एक सिनेमा सर्कल और बम्बई में एक फिल्म सर्कल है, जिनके अधीन फिल्म उद्योग से सम्बन्धित बहुत सारे मामले हैं। इन सर्कलों के सम्बन्ध में संगत आंकड़े इस विवरण-पत्र के अनुबन्ध 1 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2567/81] चूंकि, सिनेमा-फिल्म क्षेत्र से कर वसूलियों अथवा बकाया करों के बारे में अखिल भारतीय आधार पर अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए फिल्म सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में कर की वसूलियों के आंकड़े देना, अथवा यह कहना सम्भव नहीं है कि ऐसे मामलों के सम्बन्ध में करों की बकाया वर्ष-प्रति-वर्ष बढ़ रही है अथवा नहीं। तथापि, अनुबन्ध में दिए गए आंकडों से यह विदित होगा कि बम्बई और कलकत्ता स्थित दो सर्कलों में करों की बकाया कब हुई है।

(ग) फिल्म कलाकारों/फिल्म निर्माताओं की ओर करों की बकाया के बारे में वसूली निदेशालय को समय-समय पर सूचना प्राप्त होती है। तत्काल उपबन्ध आंकड़ों के आधार पर, अनुबन्ध 2 में ऐसा एक विवपण-पत्र दिया गया है जिसमें 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार करों की बकाया के आधार पर चोटी के 20 फिल्म कलाकारों/फिल्म निर्माताओं के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2567/81]। फिल्म

वितरकों और फिल्म फाइनैन्सरों के सम्बन्ध ऐसे आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए जाते और सम्पूर्ण देश में क्षेत्रीय कार्यालयों से इसे एकत्र करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। लेकिन यदि किसी मामले विशेष अथवा मामलों के बारे में कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे एकत्र करके सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

डा० वसंत कुमार पंडित : जब तक वित्त मन्त्रालय या आयकर विभाग फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित सभी तथ्यों (पैरामीटर) के सम्पूर्ण आंकड़े नहीं रखेंगे तब तक हमारे लिए यह निर्णय करना सम्भव नहीं है कि क्रास ऐन्ट्रीज और बेनामी-सौदे, जो फिल्म उद्योग में बहुत ही आम बात हो गई है, आपस में सम्बन्धित हैं अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर एक फिल्म कलाकार, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जो बम्बई में रह रहा है, मान लो उसके पास दो सिनेमा हाल हैं। एक तो अहमदाबाद में, और दूसरा भोपाल में; और उसके पास सी० पी० सी० आई० सर्किल में अमरावती में एक वितरण केन्द्र भी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन फिल्म कलाकारों का आय-निर्धारण करते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है या नहीं और दूसरे, कि क्या वित्त मंत्री महोदय मद्रास या बंगलौर में कोई फिल्म सर्किल शुरू करने की व्यवहार्यता पर विचार करेंगे। क्योंकि अब यह दोनों ही शहर फिल्म क्षेत्र में फिल्म उद्योग के प्रमुख केन्द्र बन चुके हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : फिल्म निर्माता, फिल्म कलाकार, फिल्म वितरक आदि की गतिविधियों में समन्वय करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों की सही कर-निर्धारण आय का पता चल सके। विभाग फिल्म कलाकारों की आय ले फिल्म-निर्माता तथा साथ ही साथ फिल्म वितरक की आय को क्रोस चैक करते हैं, और ऐसे हर मामले में उल्टी प्रक्रिया भी दोहरायी जाती है।

जहां तक इस विभाग की मानवीय प्रवीणता का प्रश्न है, हम समझते हैं कि हमने ऐसे प्रयास काफी हद तक किए हैं कि यह विभाग उस धन की खोज में सफलता प्राप्त करे जो यह लोग कमाते हैं।

दूसरा सुझाव यह है कि मद्रास या बंगलौर में एक फिल्म सर्किल खोला जाये यह बहुत अच्छा सुझाव है और मैं इसकी जांच करूंगा।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्योंकि आय कर अधिकारी और धन कर अधिकारी एक ही व्यक्ति होता है और चूंकि हम उन्हें अक्सर फिल्मों के मुहूर्त के समय अथवा फिल्म के प्रदर्शन के समय उन्हें वहां देखते हैं—फिल्म कलाकारों की पार्टियों में और ऐसे ही अन्य अवसरों पर वे अधिकांशत: वहां मौजूद होते हैं—तो क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या दिए गए आंकड़े सिर्फ अग्रिम कर अदायगी के हैं या वे केवल की जाने वाली समग्र वसूली के हैं, और वर्ष 1979 80 और 1980-81 की वसूली मुश्किल से ही 50 प्रतिशत क्यों रह गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक फिल्मों के उद्घाटनों में आय-कर विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि वे भी मानव हैं और वे भी प्रीमियम शो देखना चाहते हैं। लेकिन यदि सदन को इसमें कोई आपत्ति है तो मैं उनसे यह कहूंगा कि वे इन फिल्मों में न जाया करें।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप सदन को भी वहां ले चलिये।

डा० वंसत कुमार पंडित : आप इस बारे में सदन का विश्वास प्राप्त करिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप को ये फिल्में दिखाकर सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आप को भ्रष्ट करना नहीं चाहता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या आप अपने अधिकारियों को भ्रष्ट करना चाहते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : अगला प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा है, वो यह है कि क्या अग्रिम कर अदायगी की जाती है या नहीं। ये सब करों की बकाया राशि है। इससे अग्रिम अदायगी का कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ कर निर्धारण कर लिये जाने के बाद ये राशि जो मैंने अनुबन्ध दो में दिखाई है, करों की बकाया राशि है। उसमें से कुछ वसूली के लिये देय हो चुकी हैं और कुछ वसूली के लिये देय नहीं हुई हैं। सही स्थिति यही है।

डा० वंसत कुमार पंडित : हेमा मालिनी के बारे में यह धीमी क्यों है .....

अध्यक्ष महोदय : अब कोई प्रश्न नहीं है।

डा० वंसत कुमार पंडित : सिर्फ एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य शायद हेमा मालिनी में बहुत रुचि ले रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह दुबारा शादी कर सकती है क्योंकि उसके पति ने भी दो शादियां की हुई हैं।

डा० वंसत कुमार पंडित : मुझे वैजयंतीमाला और रेखा में भी रुचि है। फिल्म क्षेत्र में कर निर्धारण प्राधिकारियों को जब उनकी सम्पत्ति का भली-भांति पता चल गया है, तो वसूली इतनी धीमी क्यों है।

श्री आर० वेंकटरामन : इस कलाकार ने आय-कर आयुक्त के समक्ष सबसे पहले एक अपील दायर की थी और वह अपील रद्द कर दी गई। अब वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह अनुबंध दो में क्रम संख्या एक के उत्तर को ठीक करें जिसमें कुमारी हेमा मालिनी नाम लिखा गया है। मेरा ख्याल है कि हेमा मालिनी कुमारी नहीं हैं। समाचार पत्रों में छपा था उसने शादी कर ली है। इसलिए सबसे पहले इसे ठीक किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह श्रीमती होनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अनुबन्ध एक में लम्बाई के फिल्म सर्किल और कलकत्ता के फिल्म सर्किल के बारे में पिछले 5 वर्षों का आय-कर और धन-कर की बकाया राशि दी गई है, परन्तु इसमें मद्रास का कोई उल्लेख नहीं है। मद्रास हमारे देश का एक प्रमुख फिल्म और सिनेमा केन्द्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिल्म और सिनेमा केन्द्र में मद्रास का उल्लेख क्यों नहीं है। सबसे ताजी स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : तब यह सूची लम्बी हो जायेगी।

श्री कृष्ण चन्द हालदर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनुबन्ध दो में दी गई सूची को राजनीतिक आधार पर तैयार किया गया है क्योंकि इसमें कुछ फिल्म कलाकारों के नाम जो सत्तारूढ़ दल अर्थात् कांग्रेस (इ०) के प्रति निष्ठा रखते हैं तथा बाद में राजनीतिक व्यक्तित्व बने कुछ कलाकारों के नाम भी इस सूची में नहीं हैं मुझे आशंका है कि यह राजनीतिक प्रेरणा से किया गया है श्री अमिताभ बच्चन और दूसरों ने करोड़ों रुपया कमाया है। (व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक कुमारी हेमा मालिनी के नाम का सम्बन्ध है सारणी दो में वही नाम दिया है जो कर-निर्धारितियों की सूची में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय, मैं लुसाका सम्मेलन में गया हुआ था और वहां मुझे कुछ महिलाओं से मिलने का मौका मिला और मुझे परिचित करवाया गया वे सभी अपने आपको कुमारी कह रही थीं बाद में मुझे पता चला कि उनके पांच छः बच्चे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मुझे सही स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये नाम कर-निर्धारितियों की सूची में दिये गये नामों के अनुसार हैं। जैसा कि उन्होंने आयकर निर्धारितियों के रूप में स्वयं को घोषित किया है। कुमारी हेमा मालिनी कर निर्धारितियों की सूची में घोषित नाम है। हम सूची में दिये गये नाम के अनुसार ही इसे लिखेंगे। उनका वैवाहिक स्तर चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। यह नाम कर-निर्धारित सूची के अनुसार है।

जहां तक दूसरे सवाल का सम्बन्ध है कि मद्रास को सिनेमा सर्किल के रूप में उल्लेख क्यों नहीं किया गया है, मैंने श्री पंडित को बता दिया है कि यह बहुत अच्छा सुझाव है और मैं इसकी जांच करूंगा।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं, मेरे विचार से माननीय सदस्य ने प्रश्न तथा आपके उत्तर को समझा नहीं है। प्रश्न यह है जिन व्यक्तियों के नाम राशि बकाया है उनकी संख्या क्या है। जो अनुमान उन्होंने लगाया है यदि उसे सही मान लें तो ऐसा लगता है कि पहले 20 व्यक्तियों में उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्रमानुसार पहले 20 व्यक्ति वे हैं जिनके नाम अनुसूची दो में आए हुए हैं। यदि नाम प्रकट नहीं किए जाते तो इससे यही पता लगता है कि ये लोग पहले 20 व्यक्तियों में नही हैं। और यह बात पार्टी के लिए श्रेयस्कर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा। ऐसा लगता है कि इस विषय के प्रति आप बहुत उदासीन हैं और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1978-79 को कुछ फिल्म अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, निर्माताओं तथा निर्देशकों के लिए बहुत अच्छा वर्ष माना जा सकता है। उन्होंने तत्कालीन सरकार का सभी तरह से खुलकर समर्थन किया। उन सब की जिन्होंने काफी मात्रा में काला धन छुपाया और उन सब बड़े अभिनेताओं की जिन्होंने तत्कालीन सरकार का समर्थन किया, पिछली सरकार ने पूरी सुरक्षा की थी।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी बकाया धनराशि नहीं दी है और जिनकी बकाया राशि पड़ी हुई है क्या उन्हें भी इस सूची में शामिल किया गया है और यदि हां तो, यदि सम्भव हो तो उनके नाम बताए जाएं। अन्यथा मन्त्री महोदय हमें यह आश्वासन दें कि जहां तक हो सके बकाया राशियों की वसूली के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री आर० वेंकटरामन : दुर्भाग्य की बात यह है कि आयकर दाता अपनी विवरणी दाखिल करते समय यह नही बताते कि वे किसी पार्टी से सम्बन्धित हैं। अतः हमें मालूम नहीं हो पाता कि वे किस पार्टी के हैं। हम केवल यह जानते हैं कि उनके नाम राशि बकाया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी—स्वामी का इसमें क्या नाम है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की हालत बहुत अच्छी है ?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी अपना प्रश्न पूछने के लिए अधिक उत्सुक हैं।

आचार्य भगवान देव : "स्वामी" पिक्चर में हेमा मालिनी भी है, जिसके बारे में श्री स्वामी इतनी रुचि ले रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जितना खोटा स्वामी मैं हूं, उतने ही खोटे आचार्य वह हैं।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी का असली रूप बता रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री लकप्पा की तरह मेरी रुचि अभिनेत्रियों की शारीरिक संपत्ति में नहीं है, मेरी रुचि उनकी वित्तीय परिसम्पत्तियों में है।

श्री के० लकप्पा : गेरुवे वस्त्र वालों की रुचि उसमें है।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी के मन की बात हम नहीं जान सकते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं बम्बई नगर का प्रतिनिधि हूं और इनमें से अधिकांश अभिनेत्रियां·····काफी संख्या है—बम्बई में रहती हैं बल्कि मेरे चुनाव क्षेत्र में रहती हैं, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। श्री जेठ मलानी की तरह मैं अपने चुनाव अभियान में उनका उपभोग नहीं करता। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं होती। श्री जेठ मलानी को भी उनकी आवश्यकता नहीं होती लेकिन उन्हें नैतिक समर्थन मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ये शब्द वापस न लेते तो मैं इन्हें निकाल देता। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे इसे स्वीकार करते हैं कि फिल्म अभिनेत्रियां आखिरकार समाज की सेवा करती हैं·····

एक माननीय सदस्य : अभिनेता भी करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभिनेता भी करते हैं। मुझसे अधिक अच्छा उन्हें पता है कि अभिनेता क्या हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ बातें प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि वे कोई पुस्तक लिखें तो सबसे अधिक बिकेगी, वे सबसे अच्छी पुस्तक तैयार कर सकते हैं। उसे तुरन्त 'ए' प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे। मशीनरी पर मूल्यह्रास आदेश दिया जाता है इसी तरह फिल्म अभिनेत्रियों का मूल्यह्रास बहुत जल्दी होता है और उन से इतना अधिक कर लेना उचित नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे उनकी शारीरिक परिसम्पत्ति के लिए नहीं बल्कि अभिनय की योग्यता के लिए। मूल्यह्रास निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करेंगे और क्या वे उदारता पूर्वक कर में छूट देंगे ताकि इस तरह की हास्यास्पद स्थिति पैदा न हो।

अध्यक्ष महोदय : इतनी सिफारिश तो मान ही लें।

श्री आर० वेंकटरामन : हर चीज जो अच्छी है उसे मैं समाप्त नहीं करना चाहता। मुझे अपने उत्तराधिकारी के लिए भी कुछ धोखा होगा। यदि मेरे माननीय मित्र कभी वित्त मन्त्री बनें तो निश्चय ही वे इसे लागू करेंगे जिसका ये आज समर्थन कर रहे हैं।

आचार्य भगवान देव : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, श्री रामचन्द्रन, एक फिल्म कलाकार हैं, क्या उनकी तरफ भी आयकर की कोई राशि बकाया है; यदि हां तो कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें लिखा हुआ है।

आचार्य भगवान देव : उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं यह सूचना दे सकता हूं। कर की जो बकाया राशि देय हो गई हैं वह 3.22 लाख रुपये है और कर की जो बकाया राशि काफी देय नहीं हुई है, अभी वसूली योग्य नहीं है, वह 4.59 लाख रुपये है, कुल 7.81 लाख रुपये होता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी—खड़ी हुई।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इन्कार नहीं कर सकता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस सूची में 10 नाम महिलाओं के यदि दस पुरुषों के परन्तु सभा में हर कोई—प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता भी—केवल अभिनेत्रियों का उल्लेख कर रहे हैं क्या मैं जान सकती हूं कि अभिनेताओं की अलग रक्षा कर केवल अभिनेत्रियों पर इस तरह विशेष बल देने का क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : इसका कारण आकर्षण है·····(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : अध्यक्ष महोदय ने जो उत्तर दिया है मैं उससे पूर्णत: सहमत हूं।

श्री के० मायाथेवर : एक या दो वर्ष पूर्व तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय ने इस सभा में यह कहा था कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के नाम कुल देय बकाया राशि 15 से 18 लाख रुपये बनती है। वित्त मन्त्री महोदय को भी यह बात पता है·····

अध्यक्ष महोदय : आप वित्त मन्त्री की ओर से उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री के० मायाथेवर : मैं कुछ तथ्य तथा आंकड़ बताना चाहता हूं जिनकी, जानकारी

कम से कम तमिलनाडु की जनता को है ।1978 में देय राशि 15 से 18 लाख रुपए थी। दो-तीन वर्ष में वे 8 लाख रुपए दे पाए हैं। जब वे फिल्मों में काम नहीं कर रहे थे तब दो वर्ष की अवधियों में उनके लिए 8 लाख रुपए देना कैसे सम्भव हो सकता है ? पहला प्रश्न यह है।

दूसरे, मन्त्री महोदय ने जो तथ्य तथा आंकड़े सभा को दिए हैं उनके अनुसार इस समय भी सरकार को आय कर की देय बकाया राशि 7.8 लाख रुपए है।

मन्त्री महोदय जब सभा में बता रहे थे और जब हमने उस मन्त्री के मुख से सुना, जिसे दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपार शक्ति जनता से प्राप्त हुई, कि वे 7.8 लाख रुपए की यह राशि वसूल करने में असमर्थ हैं, तो यह सुनकर हमें बहुत धक्का लगा है। जब इतना अधिक रुपया उपलब्ध है तो क्या कारण है कि हम वसूली नहीं कर सकते ? मुझे व्यक्तिगत जानकारी है। (व्यवधान) यह वसूली क्यों नहीं हो सकती ?

अध्यक्ष महोदय : कोई आक्षेप न करें .....मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने यह नहीं कहा कि अभिनेता श्री एम० जी० रामचन्द्रन से इस धन की वसूली करना सम्भव नहीं है। कारण इसमें दिया है कि करदाता वे वचन दिया है कि वे बकाया कर की अदायगी के लिए एक निश्चित योजना प्रस्तुत करेंगे जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है। मुझे पता चला है कि वे चाहते हैं कि कोई सम्पत्तिबेचकर बकाया राशि की अदायगी कर दें।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड में घाटा

*1115. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा**
श्री के० लक्कप्पा) : **क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी को भारी घाटा हुआ है और क्या सरकार इस प्रकार हुए घाटे की ठीक-ठीक राशि का अब तक पता लगा सकी है और इस घाटे के कारण क्या हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्पनी के निदेशक मण्डल के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जो घाटे की सम्बन्धित अवधि में कार्य कर रहे थे और निदेशक मण्डल के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने अभी वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरू नहीं किया है, इसलिए इसे कोई

हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। इस समय कम्पनी के निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(1) श्री के० सी० खन्ना, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

2. श्री एच० पी० मीरचन्दानी, तिदेशक (तकनीकी सेवाएं)

3. श्री के० पी० सेन गुप्ता, निदेशक (वित्त)

4. श्री एन० नरसिम्हा राव, मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार

5. श्री एस० डी० प्रसाद, विशेष सचिव, इस्पात विभाग

6. श्री आर० गणपति, अतिरिक्त सचिव खान विभाग

7. श्री रामस्वामी आर० अय्यर, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, इस्पात और खान मन्त्रालय

8. श्री पी० जोहरी, संयुक्त सचिव, विदेश मन्त्रालय

9. श्री ए० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय

10. श्री डी० के० जैन, संयुक्त सचिव, नौवहन व परिवहन मन्त्रालय

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड इंडो ईरान एग्रीमेंट के अनुसार प्रारम्भ हुई थी। ईरान में 78 से आन्तरिक स्थिति गड़बड़ा रही है। जो ऐग्रीमेंट की उन शर्तों के अनुसार उस कम्पनी को फंक्शन करना चाहिए था मगर जो कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी के चेयरमैन हैं वही सेल के भी चेयरमैन हैं, एक ही चेयरमैन 3 हजार करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट है उस को भी देख रहे हैं और पूरे सेल को भी देखते हैं जब कि ऐग्रीमेंट के अनुसार और उसकी शर्तों के अनुसार अभी जो कांट्रेक्टर्स और सप्लायर्स बहाल किए हैं वे उस रूल के विरोध में है, इसके साथ-साथ चेयरमैन खुद कुछ इस तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे इसमें करोडों रुपए की बहुत भारी गड़बड़ी हो रही है। आप कहते हैं कि इस तरह का प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन यह प्रश्न इतना विकराल और इतना गम्भीर है कि इस देश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है क्योंकि आम जनता के पैसे का एक चेयरमैन दोनों के अन्दर हिटलर की तरह काम कर के·····(व्यवधान)·····

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करें।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मैं सवाल ही कर रहा हूं। मैं सवाल ही करने जा रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि इसमें इतनी गड़बड़ी है। मंत्री जी बता रहे हैं कि लासेज का सवाल ही नहीं है इसलिए में लासेज बता देना चाहता था। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है लेकिन आप कहेंगे तो प्रश्न ही पूछ लूंगा। मैं चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : पूछना चाहिए, कहना नहीं चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि "बिजनेस स्टैण्डर्ड" के दिनांक 17 अप्रैल, 1981 के अंक में एक न्यूज निकली थी कि वे फुल आटोनामी चाह रहे हैं, उसके लिए फाइट कर रहे हैं ? उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जो सर्कुलर निकला है वह बताता है :

> "इन सूत्रों का कहना है कि शक्ति के लिए यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अध्यक्ष ने हाल में एक परिपत्र इस्पात कारखानों के प्रबन्ध संचालकों तथा प्रमुख अधिकारियों को भेजा था जिनमें कहा गया है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की पूर्ण जानकारी के बिना उद्योग भवन में मन्त्रालय के कार्यालय में नहीं जाएगा।"

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए वरना मैं अनुमति नहीं दूंगा। आप सवाल तो पूछ नहीं रहे हैं। मैं डिस्अलाऊ कर दूंगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : यह सर्कुलर जो निकला है उसके अनुसार मिनिस्ट्री में कोई भी अफसर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं या अगर सीधे जाकर बात करे तो फिर चेयरमैन को रिपोर्ट देनी होगी। इससे लगता है कि इसमें ओमिशन एण्ड कमीशन इतने हैं कि जिनको वे छिपाना चाहते हैं। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ज्यादती है। आप एक प्रश्न भी नहीं रख सकते हैं। आपने 5 से 7 मिनट ले लिए हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन, वास्तव में मुझे यह भ्रम हो गया था कि क्या माननीय सदस्य एस० ए० आई० एल० और कुद्रेमुख परियोजना में भेद करने की स्थिति में है। जिस परिपत्र के बारे में वह उल्लेख कर रहे हैं वह स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के बारे में हैं। प्रश्न कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना के सम्बन्ध में है। दोनों संगठनों के बारे में केवल एक ही बात सामान्य है कि इन दोनों अलग-अलग संगठनों की अध्यक्षता एक ही व्यक्ति कर रहा है।

श्रीमन्, जहां तक सभापति पर व्यंग करने का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि वह अधिकारी अधिक सक्षम अधिकारियों में से एक अधिकारी है। यह परियोजना उन कुछ परियोजनाओं में से एक परियोजना है जो समय पर पूरी की गई हैं। इसमें हानि या घोटाले का कोई

प्रश्न नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि ईरान उस लोह अयस्क सांद्र को लेने की स्थिति में नहीं है जो कुद्रेमुख लोह-अयस्क परियोजना में उत्पादित किया जा रहा है।

अतः समस्या बिल्कुल भिन्न है। मेरी यह समझ में नहीं आता है कि माननीय सदस्य किस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं या वह क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? समस्या बिल्कुल भिन्न है। हमारे पास खरीददार नहीं हैं और ईरान उसे लेने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन परियोजना समय पर पूरी हो गई है। और हम जानबूझ कर सामान का उत्पादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए कोई बाजार नहीं है। अतः इन सब बातों का प्रश्न ही कहां उठता है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया ऐसा एक मिनट के अन्दर ही करें और, उसे उचित ढंग से पूछें। कृपया आप अपने प्रश्न पूछें।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं हालांकि उन्होंने पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक जवाब दिया है उन्होंने।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : सर्कुलर पर क्या ऐक्शन लिया, इसका कोई जवाब नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक जवाब दिया है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जनता के पैसे का दुरुपयोग कराना है तो कराइये।

अध्यक्ष महोदय : आपको दूसरा प्रश्न करना है तो करिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जो मेरा दूसरा प्रश्न है वह भी न्यूज में आया है कि चेयरमैन साहब अपने डायरेक्टरों के साथ बहरीन गए हुए थे और बहरीन जा करके.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें यह सवाल कहां उठता है?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मुझे कहने दीजिए, मन्त्री जी को जवाब देना होगा तो दे देंगे।

चेयरमैन साहब अफसरों के साथ एअर इंडिया की फर्स्ट क्लास फ्लाइट से बहरीन गए हुए थे लेकिन उनके जो डायरेक्टर्स थे वे एकोनामी क्लास में थे। तो वहां उनकी क्या बातचीत हुई और कितना कांट्रैक्ट हुआ? वे आयरन-ओर कंसेन्ट्रेट का विदेश में अपना व्यापार देखने के लिए गए थे, शायद उनको बुलाया गया था। अगर किसी तरह का कोई समझौता हुआ है तो मन्त्री जी बताएंगे। और जब वे लौट कर आए तो दुबई में उतर गए, जबकि एअर इंडिया

में उनकी बुकिंग थी, वे एअर फ्रांस से आए, वहां पर बदूद खां थे जो कि पहले स्टील सेक्रेटरी थे.....

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल क्या है ?

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसमें करोड़ों का घाटा हुआ है। मन्त्री जी इसका जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं चाहता कि आप सभा का समय नष्ट करें। समय पूरा हो गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्रीमन अधिकारियों का अपनी यात्रा का कार्यक्रम होता है। यह सत्य है कि चेयरमैन महोदय लौह अयस्क सांद्र की बिक्री की सम्भावना का पता लगाने के लिए बहरीन गए थे क्योंकि वे टेरिफ रिड्क्शन स्कीम द्वारा एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करने जा रहे हैं।

जिस परिपत्र के बारे में माननीय सदस्य दोहरा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई परिपत्र नहीं है और यह अनुचित है कि कोई सरकारी क्षेत्र का संगठन अपने अधिकारियों को यह अनुदेश दे कि वे मन्त्री महोदय से नहीं मिल सकते हैं और यदि वे मन्त्री महोदय से मिलना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।

श्री के० लक्प्पा : श्रीमन, कुद्रेमुख परियोजना कर्नाटक का गौरव है और देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि हानि का मूल्यांकन नहीं हो सका क्योंकि इस परियोजना ने कोई वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया है। यद्यपि परियोजना का काम समय पर पूरा हो गया था लेकिन कम्पनी के उत्पादन को बाजार में नहीं लाया जा सका क्योंकि ईरान अपने वायदे से मुकर गया था। दुर्भाग्यवश यह बहुत समय तक अनिर्णीत पड़ा रहा है और समस्त उत्पादन बेचा नहीं गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माल की बिक्री लिए सरकार का कोई और कार्यक्रम है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या गुटिका संयंत्र, जिसकी उत्पादन का उपयोग करने के लिए परिकल्पना की गई है, विचाराधीन है। यदि हां, तो वह कब से आरम्भ किया जा रहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि संयंत्र को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितम्बर 1980 में आरम्भ कर दिया गया था और जानबूझकर हमने इसमें कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया क्योंकि उसके लिए कोई बाजार नहीं था। हम इसकी सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। मंगलौर में गुटिक संयन्त्र की स्थापना करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है और इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि इनका वास्तविक उत्पादन होने में लगभग 36 से 38 महीने लगेंगे।

श्री माधवराव सिंधिया : सरकारी क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। दुर्भाग्यवश

भारत में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को प्राय: घाटा ही घाटा होता है। मेरा तात्पर्य विशेषतौर से श्री खन्ना पर दोषारोपण करने का नहीं है। लेकिन यह भी सही है कि अधिकतर मामलों में इन उपक्रमों के उच्च पदों पर नौकरशाहों को ही नियुक्त किया गया है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि उन्हें प्रशासन को चलाने में ही प्रशिक्षित किया गया है तथा उन्हें इन उपक्रमों को वाणिज्यिक ढंग से चलाने में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार नौकरशाहों की इस प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने और इन उपक्रमों को चलाने के लिए निजी क्षेत्र के अत्यधिक अच्छे रिकार्ड वाले कार्यकारी अधिकारियों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं जिससे कि इन उपक्रमों को चलाया जा सके तथा अधिक उपयोगी बनाया जा सके तथा उनसे अपेक्षित सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

ईरान द्वारा वचन का पालन न किए जाने पर सांद्र तथा गुटिका के बाजारों का पता लगाने के लिए एक शिष्ट मंडल विदेशों में गया है। क्या आपको इस सम्बन्ध में कुछ सफलता प्राप्त हुई है अथवा इस सम्बन्ध में कोई ऋयादेश प्राप्त हुए हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मेरा उत्तर यह है कि "अभी नहीं" हमें अभी स्थायी बाजार नहीं मिला है लेकिन हम इसकी सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं।

जहां तक इस विशेष परियोजना से सम्बन्धित प्रश्न के भाग एक का सम्बन्ध है, इस परियोजना के अध्यक्ष एक उद्योगतंत्रवादी हैं और कुल मिलाकर सरकार की यह नीति है कि वह इस परियोजना में विभिन्न स्रोतों से सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करे।

विशेष धारक बाण्डों की बिक्री

*1117. **श्री के० ए० राजन**
श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1981 के अन्त तक कुल कितने मूल्य के राज्यवार विशेष धारक बाण्डों की बिक्री हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि यह योजना काले धन को आकर्षित करने में असफल रही है, जैसी कि सरकार को आशा थी; और

(ग) क्या सरकार का विचार कालेधन का पता लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही करने का है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने 12 अप्रैल, 1981 को मद्रास में कहा था ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) 30 अप्रैल, 1981 तक विशेष धारक बाण्डों की बिक्री बंद किए जाने तक, इनकी कुल बिक्री बंद 373.05 करोड़ रुपए की हुई थी। यह

आंकड़े अंतरिम हैं क्योंकि कुछ दूरस्थ केन्द्रों से इनकी बिक्री के सम्बन्ध में सूचना अभी तक अपेक्षित है बाण्डों की राज्य-वार बिक्री का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) अब तक प्राप्त लाभ को विशेषतौर से इसके सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी याचिका को ध्यान में रखते हुए कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता है, जिसमें हो सकता है कि बाण्डों की बिक्री को कम कर दिया हो।

(ग) हां, श्रीमन।

श्री के० ए० राजन : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन, आप जानते हैं कि चिर प्रतीक्षित तथा बहु चर्चित धारक योजना बिल्कुल असफल रही है। माननीय मंत्री महोदय को भी इस योजना पर बहुत भरोसा था। यदि आप इनकी 373 करोड़ रुपए से अधिक भी मानते हैं तो भी यह बिक्री 400 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा यह 400 करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है। यही इसकी चरमसीमा है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस योजना पर अत्यधिक भरोसा करते रहे हैं और उनका यह ख्याल था कि इस योजना से वह 1,000 करोड़ रुपए के संसाधन जुटा सकेंगे। दुर्भाग्यवश वह इस योजना से 400 करोड़ रुपए भी जुटा सके। मैं आशा करता हूं कि अब तक इन कालेधन जमाखोरों के बारे में मन्त्री महोदय का जो भ्रम दूर हो गया होगा। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से दो प्रश्नों का उत्तर पूछना चाहता हूं। प्रश्न निम्नलिखित हैं :—

(1)(क) कालेधन पर रोक लगाने के सम्बन्ध में आपका और क्या कदम उठाने का विचार है ?

(ख) संसाधनों को जुटाने के सम्बन्ध में आप कौन से अन्य उपाय कर रहे हैं ?

(ग) 627 करोड़ रुपए के घाटे की कमी को आप किस प्रकार पूरा करेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है :—

(2) (क) आप विदेशों में कितने धारक बाण्ड बेच सके और जिन देशों में धारक बाण्ड बेचे गए उनके नाम क्या हैं ?

(ख) सबसे बड़े खरीदार द्वारा कितनी राशि के धारक बॉड खरीदे गए ?

ये मेरे प्रश्न हैं और मैं माननीय मन्त्री से इनका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : किसी देश का वित्त मन्त्री प्रत्येक बात को प्रकट नहीं करता। वह कुछ नीतियों के अनुसार उन बातों को भी नहीं बता सकता है जिनके सम्बन्ध में उसका कुछ करने का विचार होता है। मैं अब यही कह सकता हूं कि इस संदर्भ में लगभग 400 करोड़ रुपए

होना भी एक प्रशंसनीय कार्य है। (व्यवधान) आपकी राय अलग हो सकती की राशि प्राप्त है। यह मेरा मूल्यांकन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्रिमण्डल में आपका दूसरा स्थान है।

श्री आर० वेंकटरामन : अन्य परिस्थितियों में देश के कुछ बड़े व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणियां देने पर यह योजना शुरू भी नहीं होती। लेकिन 400 करोड़ रुपए की कीमत के जो भी धारकबांड बिके हैं वह इन धारकबांडों के जारी करने के प्रभाव तथा औचित्य का प्रमाण है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप अविश्वास प्रस्ताव का पहले ही उत्तर दे रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक घाटे का सम्बन्ध है, भारत सरकार के पास विभिन्न विकल्प आए हैं। सरकार के पास संसाधनों को बढ़ाने के विभिन्न तरीके तथा ढंग हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं किन विकल्पों में उपयोग लाऊंगा। मैं केवल यही व्यक्त करूंगा कि मेरे पास विकल्प आए हैं। एक विकल्प यह भी है कि मैं भारी कर लगाऊं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : निर्दयता।

श्री आर० वेंकटरामन : अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्री के पद चिह्नों पर चलकर.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ईमानदार करदाताओं पर और कर लगाए जायेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : दूसरे, यह कि और ऋण लेने का सहारा लेना।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : विश्व बैंक।

श्री आर० वेंकटरामन : हम कुछ दण्डात्मक उपायों का भी सहारा ले सकते हैं। अतः ये सभी विकल्प मेरे पास हैं। मैं अगले बजट के समय इस सदन में फिर आऊंगा और यह बताऊंगा कि घाटा कितना है और आगे कितना घाटा होगा। अब देश के सामने उतने गम्भीर मामले नहीं हैं जितना कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण इसे गम्भीर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन धारक बांडों को जारी करने का मुख्य उद्देश्य अर्थ व्यवस्था पर नियन्त्रण करना है। मेरी राय में इस उद्देश्य में काफी सफलता मिली है क्योंकि हमने जैसा कि मैंने कहा है, हमने देश में चलन से 400 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता हू वह यह है :

सामान्य परिस्थितियों में बांडों के जारी करने को मेरी आशाओं से भी ज्यादा सफलता मिली होती। जहां तक विदेशों में बांडों को बेचने तथा इसके सम्बन्ध में अन्य बातों का सम्बन्ध है, इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री के० ए० राजन : देश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। आपको अपनी आशाओं के अनुसार घाटे के अन्तर को पूरा करना था। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह उस स्थान का पता लगायेंगे जहां बड़ी मात्रा में धन जमा हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यदि माननीय सदस्य के पास इस प्रकार की कोई जानकारी है तो वह उसे मेरे पास गुप्तरूप से भेज दें।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के सामान्तर चल रहा है। लेकिन विशेषधारक बांडों द्वारा केवल 400 करोड़ रुपए के लगभग को इकट्ठा करके ही हमारे वित्त मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। वास्तव में यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार केन्द्र शासित राज्यों को दिए जाने वाले लाभ को छोड़कर आमदनी पर लगाए गए करों के शुद्ध लाभ का 85 प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाना है। विशेष धारक बांडों के चलाने के निर्णय से आमदनी पर लगाए गए करों से सम्भाव्य कुल राजस्व में कमी दिखाई देती है। अत: यह ही उचित है कि विशेष धारक बांडों से प्राप्त धनराशि का केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार राज्य सरकारों को वितरण किया जाये।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को विशेष धारक बंध पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई राशि का 85 प्रतिशत भाग अदा करेगी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से देश में मौजूद कालेधन का अनुमान लगाता है। इसके बारे में हमें कोई भी अन्दाजा नहीं है। अत: मैं इस वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि देश में 20,000 करोड़ रु० का कालाधन मौजूद है तथा यदि कोई माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि देश में मौजूद कालेधन की राशि 20,000 करोड़ रु० है तो उसे स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त, जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उनके द्वारा बंधपत्रों के कानूनी पहलू को पूर्णरूपेण गलत समझने के लिए मुझे खेद है। इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन ऋण लिया गया है। यह कराधान नहीं है। यह आयकर लगाना नहीं है। ऋण लेने के उद्देश्य से यह बंध पत्र जारी किए गए हैं। सरकार की दृष्टि में उचित शर्तों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति द्वारा ऐसे ऋण ले सकती है, जिसे संसद द्वारा बनाये गए कानून द्वारा ही सीमित किया जा सकता है। ऋण लेने के सम्बन्ध में संसद ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की है तथा ऋणों के सम्बन्ध में राज्य किसी प्रकार के हिस्से के हकदार नहीं हैं।

श्री बीजू पटनायक : वित्त मन्त्री द्वारा अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के सम्बन्ध में दिये

गए हाजिर जवाब उत्तरों के बाद हमने एक बहुत खुशनुमा मूड में यह प्रश्न पूछना शुरू किया था*

श्री आर० वेंकटरामन : *

श्री बीजू पटनायक : * (व्यवधान)

श्री वाई एस० महाजन : विशेष धारक बंध पत्र देश में मुद्रा के अधिक चलन पर नियंत्रण लगाने के लिए जारी किये गए थे। इनका दूसरा उदेश्य मुद्रास्फीति की दर को कम करना था। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि 400 करोड़ रु० का चलन बन्द कर दिया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि इस धनराशि को बेकार अथवा विनष्ट कर दिया जायेगा।

श्री आर० वेंकटरामन : माननीय सदस्य महोदय ने इसका महत्व नहीं समझा है। आज यदि 2000 करोड़ रु० अथवा 'X' करोड़ चलन में हैं तो उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिए न कि परिकल्पिकामों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिये समर्थक ऋणाधार के रूप में ही ऋण लिया जा सकेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय द्वारा प्रश्न के (क) और (ख) भाग के उत्तरों के सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि धारक बंध पत्रों की बिक्री द्वारा 373.05 करोड़ रु० की राशि एकत्रित की गई थी तथा (ख) भाग के उत्तर में इन्होंने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए बिक्री की रकम को कम महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता। यदि 373.05 करोड़ रु० की बिक्री हुई तथा अनुमानित राशि 1000 करोड़ रु० थी तो मोटे हिसाब के अनुसार मैं समझता हूं कि इनकी बिक्री से आपके अनुमान की केवल 37 प्रतिशत राशि ही एकत्र हुई है। क्या आप अपने अनुमान की केवल 37 प्रतिशत एकत्रित राशि ही महत्वपूर्ण समझते हैं? दूसरी बात यह है कि आपने कहा है कि आपको देश में मौजूद काले धन का अनुमान नहीं है। क्या आपके पास निर्धारण योग्य आय, निर्धारित आय के आंकड़े नहीं हैं तथा आप इनके आधार पर कालेधन का पूरा न सही, कुछ अनुमान भी लगा ही सकते हैं। तथा क्या यह 25,000 करोड़ रु० नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे विद्वान मित्र, श्री मधुदण्डवते हमेशा पूरी जानकारी रखते हैं परन्तु कई बार बहस के दौरान अपनी बात सिद्ध करने के लिए ये अधूरा वाक्य पढ़ते हैं..... (व्यवधान) श्री पटनायक यदि मेरी बात से आपको दुःख हुआ है तो इसके लिए मुझे खेद है। (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री बीजू पटनायक : हमारे वित्त मन्त्री देश में सबसे कम जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। 30 प्रतिशत ! आप किस बात पर हस रहे हैं ? क्या यह एक मजाक है ? वित्त मंत्री एक हजार करोड़ रु० की आशा करते हैं परन्तु उन्हें बिक्री से केवल 300 करोड़ की आय होती है तथा इस पर भी यह हंस रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने श्री पटनायक को जिस प्रकार का उत्तर दिया, उसके लिए मुझे खेद है। श्री बीजू मेरे पुराने मित्र हैं।

श्री बीजू पटनायक : हमारी आय हजार करोड़ के मुकाबले 300 करोड़ की है। आप बजट में इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने मजाक में यह बात कही थी तथा मैंने भी वैसा ही उत्तर दिया था।

श्री बीजू पटनायक : मैंने इस बात का बुरा नहीं माना है।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, यदि आप चाहें, तो इस कार्यवाही वृतान्त से निकाल सकते हैं।

श्री बीजू पटनायक : *

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं इस बात का उत्तर अवश्य दूंगा क्योंकि श्री दण्डवते ने वाक्य का केवल एक ही अंश पढ़ा है। मैंने कहा था कि अनिर्णित पड़ी रिट याचिका को ध्यान में रखते हुए यह कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने यह नहीं कहा था कि उद्देश्य अथवा लक्ष्य जैसी कुछ बात के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं यह समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है।

दूसरी बात यह है कि जहां तक अनुमान का संबंध है। कोई भी व्यक्ति देश में मौजूद काले धन का अनुमान लगाने में सफल नहीं रहा है। काले धन के दो भाग हैं अर्थात प्रचलन तथा कुल राशि। यह कहना बहुत मुश्किल है कि कालेधन का प्रचलन कितना है तथा कुल राशि कितनी है। तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क के लिए इसका गलत-सही अनुमान लगाता रहता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : *

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह सब कहना अच्छी बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि धारक बन्धपत्रों की इतनी

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

कम बिक्री के कारण वित्त मंत्री ने सभी नगरों के अधिकारियों को घर-घर में जाकर लोगों को इन बन्ध पत्रों को खरीदने के लिए मजबूर करने का निर्देश दिया था। क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये तथा वित्त मन्त्री और श्री पटनायक के वार्तालाप को भी कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बंधपत्रों की बिक्री कम नहीं हुई है। आप चाहे इसे कम कहते रहें, यही कहूंगा कि इनकी बिक्री कम नहीं हुई है।

मेरी दूसरी बात यह है कि मुझे 30 अप्रैल की समय- सीमा बढ़ाने के अनेक तार मिले थे परन्तु हमने समय-सीमा को आगे नहीं बढ़ाया। अत: यह वक्तव्य बिल्कुल गलत है कि हमने लोगों को बन्धपत्र खरीदने के लिए कहा था।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि यदि सुप्रीम-कोर्ट का फैसला इसके विपरीत हुआ तो यह रुपया लौटा दिया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा किया जायगा तो आप ब्लैक-मनी को कैसे लीगलाइज करेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तभी हम उस पर विचार करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैं समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है : जब यह स्थिति उत्पन्न होगी, तब हम उस पर विचार करेंगे। यह केवल एक काल्पनिक प्रश्न है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : काले धन का पता लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है तथा कश्मीर में इस संबध में एक बहुत सफल प्रयास किया जा चुका है। भारतवर्ष के सम्बन्ध में एक समान नीति क्यों नहीं निर्धारित की जाती ?

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, यह प्रक्रिया पूरे देश में काले धन का पता लगाने तथा अधिग्रहण करने के लिए छापे मारने की एकमात्र नीति का एक भाग है, चाहे यह काला धन किसी भी स्थान में क्यों न हो और कश्मीर कोई अपवाद नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोग चाहे कुछ भी कहें, हमने जितने भी वित्त मंत्री देखे हैं, उनमें ये सबसे अच्छे हैं। इस बात को देखते हुए कि आप दक्षिण भारत से आये हैं तथा आजकल 100 रु० के नोटों को भुनाने के लिए बहुत अधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा लोग 100 रु० के

नोट के चलन के बन्द किये जाने की आशंका कर रहे हैं, क्या माननीय वित्त मन्त्री कृपा कर हमें यह बताएंगे कि यदि सरकार का इनके चलन को बन्द करने का कोई विचार नहीं है तो भी लोगों के दिमाग में यह भय कैसे व्याप्त गया हो है जो वे 100 रु० के नोटों को दस रु० या अन्य छोटे नोटों में परिवर्तित कर रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य मुझ से इसके उत्तर की अपेक्षा करते हैं। सरकार ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकती।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें यह कैसे पता चला कि आज इनका चलन बन्द करने जा रहें ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सऊदी अरब के साथ आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग

*1116. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के भारत के हाल के दौरे के समय भारत और सऊदी अरब के बीच विभिन्न प्रकार के आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग के सम्बन्ध में वित्त मंत्री और सऊदी विकास निधि के वाइस चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक द्वारा किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन दौरों के समय दोनों देशों के वित्त विभाग के अधिकारियों और मंत्रियों के बीच कई बार बातचीत व चर्चाएं की गई थीं ;

(घ) यदि हां, तो बातचीत व चर्चा के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ङ) उपरोक्त वार्ता और समझौते से भारत को क्या लाभ पहुंचेगा ; और

(च) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न मदों सम्बन्धी भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ताकि उन मदों के मूल्य कम हो सकें ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वकटरामन) : (क) से (च) वित्त मन्त्री ने बिहार की कोइल कारो पनबिजली परियोजना के लिए 10.6 करोड़ सऊदी रियाल (3.2 करोड़ अमेरिकी डालर)

के ऋण के लिए उपाध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और इसकी वापसी अदायगी 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष में की जाएगी ।

2. सऊदी विकास निधि से राजस्थान नहर के दूसरे चरण और उससे सम्बन्धित कमान क्षेत्र के विकास के लिए सहायता के लिए भी विचार विमर्श किया गया । इस परियोजना से इस क्षेत्र का काफी विकास हो सकेगा। बातचीत के दौरान संयुक्त उद्यमों और संयुक्त पूंजी निवेश के जरिए दोनों देशों के बीच सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्रों का जिक्र किया गया। यह बातचीत प्रारम्भिक किस्म की थी और उसके परिणामस्वरूप सऊदी अरब प्रतिनिधि मण्डल ने कुल मिलाकर हमारे विकास प्रयत्नों की सराहना की ।

3. भारत और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग के एक करार पर अलग से हस्ताक्षर किए जिसमें मोटे तौर पर कृषि, उद्योग, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के संवर्धन और उसे सुदृढ़ बनाने के प्रयत्नों की रूप रेखा दी गई है। इस करार में आर्थिक और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ बनाने और उसके संवर्धन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के संबंध में विचार विमर्श करने के प्रयोजन से एक भारत-सऊदी संयुक्त आयोग की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्त संस्थानों द्वारा रुग्ण उद्योगों को दिया गया ऋण

*1118. श्री भोगेन्द्र झा)
श्री भीकू राम जैन) : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण उद्योगों की कुल संख्या तथा उनकी सूचि क्या हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्त संस्थानों द्वारा उन्हें कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या कभी "रुग्ण" उद्योगों का अधिग्रहण करने तथा उन्हें स्वयं चलाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उनके बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध ताजा सूचना के अनुसार, 31-12-79 की स्थिति के मुताबिक, लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों समेत 16296 ऐसे औद्योगिक एककों पर, जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा रुग्ण माना और सूचित किया गया था, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अग्रिमों की 1022.05 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी।

31-12-80 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय ऋण तथा औद्योगिक निवेश निगम द्वारा रुग्ण माने गए एककों पर बकाया ऋण की राशि नीचे दी गई है ;—

क्रम संख्या	वित्तीय संस्था का नाम	रुग्ण एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपए)
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (31-12-80 की स्थिति के अनुसार)	124	140.06
2.	भारतीय औद्योगिक विकास निगम (31-12-80 की स्थिति के अनुसार)	159	121.71
3.	भारतीय ऋण तथा औद्योगिक निवेश निगम (31-3-80 की स्थिति के अनुसार)	75	58.36

सहायता प्राप्त रुग्ण एककों की साख उनको फिर से सभालने की क्षमता, तथा पुर्ति-कर्ताओं में विश्वास और सच्चे प्रबधकीय वर्ग को आकर्षित करने की उनकी क्षमता की सुरक्षा की दृष्टि से रुग्ण एककों के नामों को प्रकट करना व्यापक लोकहित में नहीं होगा।

वैसे भी, बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं तथा रीति रिवाजों के अनुसरण में, तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करने वाले विधानों के उपबन्धों के अनुसार भी, बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती, तथा इसलिए रुग्ण एककों के नामों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उद्योग राज्य मंत्री द्वारा संसद में 17 जुलाई, 1980 को दिए गए औद्योगिक नीति विषयक विवरण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) सधिनियम के अधीन किसी एकक के प्रबन्ध के अधिग्रहण का सहारा केवल लोक-हित के उन विशेष मामलों में लिया जाएगा जहां रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के अन्य उपायों को संभव नहीं समझा जाएगा।

चाय बोर्ड की किराया खरीद योजना

*1119. श्री सतीश प्रसाद सिंह)
श्री एच० एन० नन्जेगौडा) : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा राज्य में चाय बागानों से जनवरी से अप्रैल, 1981 के दौरान चाय बोर्ड, कलकता को अपनी किराया खरीद योजना के अन्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन चाय बागानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा राज्य में विभिन्न चाय बागानों की मांगों के बारे में अन्तिम निर्णय किये जाने में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं तथा त्रिपुरा राज्य में चाय बागानों की किराया खरीद योजना के अन्तर्गत आवेदनों पर अन्तिम निर्णय लेने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी : (क) इस अवधि के दौरान पांच आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। चाय बागानों के नाम हैं : (1) हरीशनगर (2) मानूवेली (3) पीराचेरा (4) कल्याणपुर तथा (5) धरमनगर।

(ख) त्रिपुरा में स्थित बागानों से प्राप्त आवेदनपत्रों को अन्तिम रूप देने में कोई असामान्य देरी नहीं हुई है। वास्तव में अन्य गैर-परमपरागत क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनप्राप्त के साथ-साथ उन पर विशेष रुप से विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मूंगफली की गिरी का निर्यात

*1120. श्री मोहनलाल पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्षवार) कितनी मात्रा में मूंगफली की गिरी का निर्यात किया गया ;

(ख) यह निर्यात किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ;

(ग) यह निर्यात किन-किन ऐजेंसियों के माध्यम से किया गया ;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के उद्देश्य से मूंगफली की गिरी का निर्यात बढ़ाने का है जिससे विदेशों से खाद्य तेल खरीदा जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई एच० पी० एस० मूंगफली की मात्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा मे० टनों में
1978-79	4,400
1979-80	22,422
1980-81	58,899

(ख) तथा (ग) नेफेड ने, जिसके माध्यम से एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात सरणीबद्ध है, आवश्यकताओं की बल्क खरीद गुजरात से की । थोडी मात्रा की खरीद आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु से भी की गई ।

(घ),तथा (ङ) एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात कोटा घरेलू उत्पादन, उपलब्धता, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों, निर्यातों से घरेलू बाजार पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है । 1980-81 के लिए 50,000 मे० टन का कोटा निर्यात के लिए रिलीज किया गया । अतिरिक्त कोटा रिलीज करने के प्रश्न पर विचार किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि अतिरिक्त कोटे की अनुमति न दी जाए ।

1981-82 के लिए कोटा अभी निर्धारित किया जाना है ।

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में दल्ली राझेरा लौह अयस्क खानों के श्रमिकों की छंटनी

*1121. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री ए० के राय० : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र में दल्ली राझेरा लौह अयस्क खानों में काम कर रहे लगभग आठ हजार श्रमिकों की अवैध रूप से छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) दल्ली राजहरा की लौह-अयस्क की खानों तथा डेनीटोला क्वार्टजाइट की खानों में औद्योगिक सहकारी समितियों

तथा निजी ठेकेदारों के लगभग 7900 श्रमिकों ने 12 फरवरी, 1981 को अचानक काम बन्द कर दिया था। ये कामगार भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी नहीं हैं अत: भिलाई इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा उनकी छंटनी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बोकारो इस्पात संयंत्र में दुर्घटना

*1122. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में मार्च, 1981 में हुई दुर्घटना की जांच के लिए, जिसमें नौ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, नियुक्त की गई समिति में मजदूर संघ अथवा जनता का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मजदूर संघों ने इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए इस प्रकार की विभागीय जांच की विश्वसनीयता और प्रभाविकता पर सन्देह व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। समिति को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र लेकिन 30 अप्रैल, 1981 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन समिति के अनुरोध पर उसे 11 मई, 1981 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है। किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न तभी उठेगा जब सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर लेगी।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने को मजदूर संघों से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें इस समिति में विश्वसनीयता तथा इसकी प्रभाविकता के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में लिपिकीय अधिकारी पदों के लिए परीक्षा शुल्क

*1123. **श्री चतुभुर्ज**
श्री आर० के० महालगी) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, केन्द्र सरकार का कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे सेवा आयोग द्वारा अपने-अपने संगठनों में भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इन्डिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक लिपिकीय अधिकारी पदों के लिए उम्मीदवारों से क्रमशः 20 रु० और 40 रु० का परिक्षा शुल्क लेते हैं और केन्द्र सरकार कर्मचारी चयन आयोग 12 रु० और रेलवे सेवा आयोग केवल 2 रु० शुल्क लेता है ;

(ग) क्या 16 दिसम्बर, 1980 को अथवा उसके आस पास उनको डोम्बिवली, जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के अनेक शिक्षित बेरोजगार युवकों से अभ्यावेदन मिले थे जिनमें यह मांग की गई थीं कि इस परिक्षा शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए अथवा इसे कम करके 2 रु० कर दिया जाये ;

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जबकि बैंकों द्वारा स्थापित भर्ती बोर्ड और क्लर्कों दोनों के चयन आयोग क्रमशः रेलवे के गैर-राजपत्रित पदों और 'ग' ग्रेड़ के गैर-तकनीकी अधिकारियों के चयन के लिए इसी प्रकार की परिक्षाएं आयोजित करते हैं।

(ख) सामान्य वर्ग के उम्मीद्वारों के बारे में सामान्यतः स्थिति यही है।

(ग) इस आशय के कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस मामले पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

बम्बई में एयर इंडिया की भूमि पर गंदी बस्ती

1124. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई हवाई अड्डे के पूर्व की ओर कुरला-जेरी मारी की तरफ एयर इन्डिया की भूमि पर एक विशाल गंदी बस्ती है ?

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने इस गदी बस्ती में मूल नागरिक सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं जैसी कि राज्य सरकार और नगरपालिकाओं ने बम्बई की अन्य गंदी बस्तियों में ये सुविधाएं दे रखी हैं ; और

(ग) क्या इस गंदी बस्ती में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) बम्बई विमाननक्षेत्र के पूर्वी तरफ की ओर एयर इंडिया की कोई भूमि नहीं है । स्लम कालोनी भारत अन्तर-राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि पर है ।

(ख) और (ग) ऐसी गंदी बस्तीयों को, जो विमानक्षेत्र की परिसीमा के अन्दर हैं और जो भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर है, विमानों की सुरक्षा एंव हिफाजत के हित में हटा कर साफ करने की जरूरत है । इसके अलावा अधिकांश क्षेत्र "एप्रोच फनल" तथा रन-वे 09/27 के "क्लीयरेंस जोन" में है और विमान परिचालनों की सुरक्षा के हित में, इस क्षेत्र में सभी सरचनाओं तथा बाधाओं को हटाकर साफ कर देने का प्रस्ताव है । अतः इन स्लम निवासियों के लिए किन्हीं सिविल सुविधाओं की व्यवस्था कर देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जलयानों पर अनिवार्य बीमा लागू किया जाना

*1125. श्री डी० पी० जडेजा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलयानों के मालिकों और चालकों के हितों के लाभ के लिए ऐसे जलयानों पर अपनी अनिवार्य बीमे की योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का है जिनका उपयोग मछली पकड़ने और माल की ढुलाई के लिए किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) :(क) तथा (ख) सरकार के समक्ष ऐसे जलयानों पर अनिवार्य बीमा लागू करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिनका उपयोग मछली पकड़ने और माल की ढुलाई के लिए किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को ऋण

*1126. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या वित्त मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के कमजोर वर्गों को, उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान जारी किए गये इस तरह के प्रत्येक अनुदेश की प्रति सभा पटल पर रखेगी ;

(ग) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में (जिलावार) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुल कितनी धन राशि दी गई है ; और

(घ) इस तरह के ऋणों के लिए वसूल किया गया ब्याज कितना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मंगनभाई बारोट) (क) और (ख)सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा 20-सूत्री कार्यक्रम हिताधिकारियों को अपेक्षाकृत अधिक ऋण का आवंटन करके कमजोर वर्गों के लोगों को उत्तरोत्तर अधिक ऋण प्रदान करने की सरकार की नीति का पालन करें। ये अनुदेश, बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने तथा 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की पद्धति से संबंधित कार्यकारी दल" द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पिछले वर्ष अक्तूबर में व्यापक और समेकित रूप में जारी किए गए थे। इन अनुदेशों की एक प्रति अनुबन्ध—1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2568/81]। ये अनुदेश उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों समेत देश के कमजोर वर्गों के सभी ऋणकर्ताओं पर लागू होते हैं।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है और इन ऋणों की बकाया राशि का जिलावार विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2568/81]।

(घ) 2 मार्च 1981 से लागू होने वाली ब्याज दर का ढांचा अनुबन्ध-3 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2568/81]।

राज्य सरकारों को इस्पात और संरचनात्मक इस्पात के आवंटन के लिए मानदण्ड

*1127. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को इस्पात और संरचनात्मक इस्पात के आवंटन के लिए क्या मान दण्ड अपनाए जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार राज्यों के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्पात और संरचनात्मक इस्पात का विशेष कोटा आवंटित किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार के अनुमान के अनुसार यह किस सीमा तक इन क्षेत्रों के विकास की गति को तेज करेगा ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) लोहे और इस्पात के विवरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। इस्पात सामग्री का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति

द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री के वितरण के लिए बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्यवार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा बनाये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए जिलों में स्थित सुसंहत उद्योगों की ईकाईयों की पात्रता निश्चित करने के मामले में अधिप्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था पहले से ही है।

डल्ली राजहरा मध्य प्रदेश की लौह-अयस्क खानों के मजदूरों का बर्खास्त किया जाना

*1128. **श्री चित्त महाटा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में डल्ली-राजहरा में लौह अयस्क खानों के 8000 मजदूरों को प्रबन्धकों द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और बर्खास्त मजदूरों को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धकों ने मजदूरों को देय मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) डल्ली-राजहरा की लौह-अयस्क की खानों तथा डेनीटोला क्वार्टजाइट की खानों में औद्योगिक सहकारी समितियों तथा निजी ठेकेदारों के लगभग 7900 श्रमिकों ने 12 फरवरी, 1981 को अचानक काम बन्द कर दिया था। चूंकि ये कामगार भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारी नहीं हैं अतः यह मामला भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा बर्खास्तगी का मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि ये कामगार सहकारी समितियों और निजी ठेकेदारों के कर्मचारी हैं अतः भिलाई इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों द्वारा इन्हें देय मजदूरी की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा क्षेत्र के लिए विपणन सुविधाएं

*1129. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रभावी विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण हथकरघा क्षेत्रों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो समस्या किस सीमा तक है और किस तरह की हैं और समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार केरल राज्य हथकरघा अपेक्स सोसायटी और केरल राज्य हथकरघा विकास निगम को हथकरघा कपड़ों के विपणन के लिए कोई सहायता दे रहा है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक बैंकों को केरल राज्य हथकरघा अपैक्स सोसायटी के ब्याज दर लिए घटाकर विपणन वित्त के लिए किए जाने वाले ब्याज की दर को समान करने के लिए उन्हें राजी करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) समस्या किस सीमा तक है वह इस बात पर निर्भर करता है कि प्राथमिक सहकारी समितियों, शीर्ष, फैडरेशनों और राज्य हथकरघा विकास निगमों के स्टाक में कितना माल है। इस समस्या को हल करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार वर्ष में 30 दिन में 20 प्रतिशत की विशेष छूट मंजूर करती रही है जिसको राज्य और केन्द्रीय सरकार बराबर-बराबर वहन करते हैं। ये छूट महत्वपूर्ण महानगरों में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनियों के दौरान भी दी गई है।

(ग) जी हां। 31 मार्च, 1981 तक केरल राज्य शीर्ष समिति और केरल राज्य हथकरघा विकास निगम को रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता की राशि क्रमशः 57 लाख रु० और 37 लाख रु० है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

परियोजना निर्यात के बारे में "टास्क फोर्स"

*1130. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने परियोजना निर्यात के बारे में एक "टास्क फोर्स" नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम और इसके कृत्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मन्त्रालय ने, परियोजना के निर्यातों के क्षेत्र में भारत के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वाणिज्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य दल स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इस कार्य दल में विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों तथा संगठनों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्य-दल स्थापित करने के लिए आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना हैं। उपरोक्त कार्य-दल के कार्यकलापों में परियोजना के निर्यातों के कार्य निष्पादन की समीक्षा, परियोजना निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति पर विचार करना तथा इस उद्देश्य के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करना शामिल होगा।

(ग) ऐसी आशा है कि यह कार्य-दल जिस दिन स्थापित किया जाएगा उससे तीन-चार महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

"जूअल्स वैनिश फ्राम एक्साईज कस्टडी" शीर्षक से समाचार

*1131. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1981 के "ब्लिट्स" में पृष्ठ 5 पर "जूअल्स वैनिश फ्राम एक्साईज कस्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) मामले की विभागीय जांच कराई गई है। सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किये जाने के आदेश भी दे दिए हैं, और सम्बन्धित अधिकारी को मुअत्तल कर दिया गया है।

इलायची का मूल्य

*1132. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात आई है कि गत दस वर्षों में इलायची के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या सरकार इलायची का विपणन करने के लिए भारतीय इलायची निगम की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) क्या यह निगम जून, 1981 से शुरू होने वाली 1981-82 की फसल के बारे में कार्यवाही करेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) गत दो वर्षों को छोड़कर जबकि 1978-79 में इलायची की कीमत के सर्वोच्च स्तर की तुलना में उसकी कीमत में गिरावट देखी गई है, 1970-71 से इलायची की कीमत में सामान्यतः सुधार होता रहा है।

(ख) से (घ) कर्नाटक इलायची के विपणन के लिए एक अभिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना विचाराधीन है। इस अभिकरण को यथासंभव शीघ्र स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस अभिकरण द्वारा 1981-82 फसल की व्यवस्था इस बात पर निर्भर करेगी कि वास्तव में वह कब कार्य करना आरम्भ करता है।

उड़ीसा में बैंक आफ इन्डिया की शाखाओं का खोला जाना

*1133. **श्री अनादि चरणदास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में उड़ीसा में बैंक आफ इंडिया की कितनी शाखाएं खोलने का विचार है ;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी ;

(ग) क्या ऐसे बैंक ग्रामीण व अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में भी खोले जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ) मार्च, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, उड़ीसा में बैंक आफ इंडिया का शाखाजाल 58 शाखाओं का था जिसमें 45 ग्रामीण, 11 अर्द्ध-शहरी तथा 2 शहरी शाखाएं शामिल थी।

2. भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति, जो 3 वर्षों की अवधि को व्याप्त करती है, दिसम्बर, 1981 के अन्त तक प्रभावी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उड़ीसा में शाखाएं खोलने के 11 प्राधिकार/लाइसेंस, बैंक आफ इंडिया के पास बकाया है। इनका जिलेवार, केन्द्रवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिला	केन्द्र	वर्गीकरण
कटक	1. देरिक	ग्रामीण
	2. रानीहाट	शहरी

1	2	3
गंजम	3. सुमंडल	ग्रामीण
	4. बिल्लिगी	ग्रामीण
कालाहांड़ी	5. बोरदा	ग्रामीण
	6. नरला रोड़	ग्रामीण
	7. लकना	ग्रामीण
क्योंझार	8. डबुना	ग्रामीण
	9. बाडपदा	ग्रामीण
	10. रामचंद्रपुर	ग्रामीण
सुन्दरगढ़	11. जरिकेला	ग्रामीण

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में राष्ट्रीय और अन्तर्देशीय पर्यटक स्थल

10280. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिला मयूरभंज में घरेलू और राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों के नाम एवं कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या इस जिले के प्रत्येक पर्यटक स्थल के निकट पर्यटक बंगलों का निर्माण किया गया है ;

(ग) इस जिले में कितने पर्यटक केन्द्र हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस जिले के खिंचिंग स्थान पर पर्यटक केन्द्र खोलने का है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) राज्य में पर्यटन के विकास के लिए एक सामान्य परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के वास्ते, 1979-80 में भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा राज्य में पर्यटक संभाव्यता का एक सामान्य सर्वेक्षण किया था । इस सर्वेक्षण के अनुसार मयूरभंज जिले में खिंचिंग को स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि से एक प्रमुख

पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्त्वपूर्ण समझा गया है। खिचिंग के अलावा, उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज जिले में स्वदेशी पर्यटन की दृष्टि से निम्नलिखित अन्य स्थानों को महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में सूचीबद्ध किया है :—

(1) कुचेई, नवपाषाण युग का एक खोदा हुआ स्थान ;

(2) कुलिआना, पुरापाषाण युग शिल्पों का एक स्थान ;

(3) सिमलीपाल नेशनल पार्क ;

(4) जोशीपुर, मुग्गेर के पीछे एक केन्द्र ; और

(5) हरीपुर, राशिकारे के ब्रिक टैम्पल के लिए जाना जाता है।

उड़ीसा सरकार से यह पता चला है कि उन्होंने बंगरीपोसी में एक पर्यटक बंगले का निर्माण किया है और टाइगर परियोजना तथा वन विभाग के निदेशक के नियंत्रणाधीन सिमलीपाल वन में आवास उपलब्ध है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग का सिमलीपाल नेशनल पार्क में एक वन गृह के निर्माण का प्रस्ताव है।

(घ) उड़ीसा सरकार का बरीपादा में एक पर्यटक कार्यालय है। योजना अवधि 1980-85 के दौरान खिचिंग में एक पर्यटक कार्यालय खोलने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"गवर्नमेंट हिंडरिंग टूरइज्म" शीर्षक समाचार

10281. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "गवर्नमेंट हिंडरिंग टूरइज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार का शीर्षक भ्रामक है। श्री रघुराज, अध्यक्ष, एअर इण्डिया के भाषण जिसका इस समाचार में हवाला दिया गया है, के विषय के संदर्भ के अनुसार नहीं है। बम्बई में 31.1.1981 को हुए पर्यटन तथा पर्यावेक्षण संबंधी सेमिनार के उद्घाटन सत्र में अपने धन्यवाद प्रस्ताव में श्री रघुराज ने उन कठिनाइयों की चर्चा की जिनका भारत आने

वाले पर्यटकों को फ्लाइट्स में होने वाले विलम्ब, आप्रवासन, कस्टम्स, द्वारा क्लीयरेंस, आदि के कारण सामना करना पड़ता है। सरकार ने पहले ही इन समस्याओं की जांच-पड़ताल कर ली है और कार्य-पद्धतियों को सरल तथा कारगर बना दिया है। अब आप्रवासन और कस्टम्स द्वारा बड़े ग्रुपों का शीघ्र क्लीयरेंस करने के लिए प्रबंध कर दिये गए हैं। ऐसे सभी यात्रियों के लिए एक "वॉकथ्रू चैनल" भी चालू कर दिया गया है, जिनके पास ड्यूटी लगने योग्य सामान नहीं होता जिसकी कि घोषणा करना अपेक्षित हो। श्री रघुराज का ब्यान रचनात्मक सुझावों के रूप में था जिनका सरकार हमेशा स्वागत करती है।

एयर इण्डिया के अधिकारियों द्वारा विदेशों में "हुश मनी" खर्च किया जाना

10282. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा विदेशों में प्रति वर्ष "हुश मनी" की कुल कितनी राशि खर्च की जाती है ;

(ख) क्या इन अधिकारियों द्वारा कोई हिसाब दिया जाता है ;

(ग) किन श्रेणियों के अधिकारियों को यह धनराशि दी जाती है ; और

(घ) अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले इस खर्च को बन्द करने के लिये, जो एयरलाइन की बजाय अधिकांशतः उन की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता है, और और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया के अधिकारियों द्वारा विदेशों में कोई मुंह भराई राशि (hush money) खर्च नहीं की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जे० के० भवन, गामदेवी, बम्बई के मालिकों की ओर बकाया आयकर

10283. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० भवन, गामदेवी, बम्बई में एक विशाल इमारत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय उसमें 4-5 हजार किराए दार रह रहे हैं और यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस इमारत के 4-5 हिस्से हर महीने खाली होते हैं और खाली हिस्सों को "पगड़ी" पर दिया जाता है, और इस प्रकार मालिकों को 20 से 30 करोड़, रुपये की राशि "पगड़ी" के रूप में प्राप्त होती है ;

(ग) यदि हां, तो जे० के० भवन के मालिकों ने पिछले 3 वर्षों में इस आय पर कितना आयकर अदा किया और कितना आयकर अभी वसूल किया जाना है ; और

(घ) जे० के० भवन, गामदेवी के कितने और कौन-कौन मालिक हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगनभाई बारोट) : (क) गामदेवी के 'जे० के० भवनों' को गामदेवी सम्पत्तियों के रूप में जाना जाता है । इस सम्पत्ति से होने वाली आय को, आयकर अधिनियम की धारा 23 (1) के अन्तर्गत कर लगने योग्य वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है । इसमें रहने वाले किरायेदारों की संख्या 675 बताई गई है ।

(ख) क्षेत्रीय अधिकारियों से की गई पूछताछ से पता चलता है कि वर्तमान में, प्रश्न के इस भाग में कथित कोई भी सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उक्त व्यक्तियों की संस्था से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :—

1. श्री शान्तिकुमार मथुरादास व्यक्तियों की संस्था से होने वाली शेयर संबंधी आय के अलावा, प्रतिभूतियों पर ब्याज, लाभांश और ब्याज से भी आय प्राप्त होती है ।

2. श्री बल्लभदास जेठाभाई को व्यक्तियों की संस्था से आय प्राप्त होती है तथा निम्न-लिखित फर्मों से शेयर संबंधी आय प्राप्त होती है :—

    1. मेसर्स बालजी शामजी एण्ड कम्पनी

    2. मेसर्स जशोदा कमर्शियल कं०

    3. मेसर्स वी० जे० ट्रेडिंग कम्पनी

    4. मेसर्स पी० एच० वी० ट्रेडिंग कं०

3. श्रीमती दयावन्ती देवीदास को व्यक्तियों की संस्था से प्राप्त होने वाली शेयर-आय के अलावा, लाभांशों और ब्याज से आय प्राप्त होती है ।

4. श्री द्वारकादास खटाऊ को व्यक्तियों की संस्था से प्राप्त होने वाली शेयर-आय के अलावा, और कोई आय नहीं है ।

5. श्री देवीदास कल्याणजी को व्यक्तियों की संस्था से प्राप्त होने वाली शेयर-आय के अलावा, ब्याज से भी आय होती है ।

6. श्रीमती मनुभाई जेठाभाई को व्यक्तियों की संस्था से प्राप्त होने वाली शेयर-आय के अलावा, लाभांशों से, ब्याज से और मेसर्स एम० वी० ट्रेडिंग कारपोरेशन से शेयर-आय प्राप्त होती है।

7. श्रीमती झाबेरबाई जेठाभाई को व्यक्तियों की संस्था से शेयर-आय के अलावा, लाभांश और ब्याज से आय होती है।

राज्य व्यापार निगम में निदेशक की साक्षात्कार के बिना पदोन्नति

10284, **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम तथा इस की उप-कम्पनियों ने भारत तथा विदेशों में नियुक्त अपने अधिकारियों को मार्किटिंग मैनेजरों के पद के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाने पर कितना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय किया गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक निदेशक के कहने पर दो उम्मीदवारों की साक्षात्कार के बिना पदोन्नति कर दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बात को सुनिश्चत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इन उम्मीदवारों के मामले में अनुचित पक्षपात न किया गया हो ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) विपणन प्रबन्धक के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिये निगम की भारतीय शाखोंअ के पात्र उम्मीदवारों को बुलाने में लगभग 45,000 रु० खर्च हुए। कोई अधिकारी विदेशी शाखाओं से नहीं बुलाया गया।

(ख) तथा (ग) विदेश में नियुक्त दो प्रबन्धकों की अन्य के साथ-साथ पदोन्नति की गई है। चयन समिति ने, जिसने, विदेशों में नियुक्त सभी प्रबन्धकों के मामलों की समीक्षा की, उनका चयन उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर (जैसा कि उनके गोपनीय डोजियारों से पता चलता है) किया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी येमन में हवाई अड्डे का निर्माण

10285. **श्री एन० के शेजवलकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने दक्षिणी येमन में हवाई अड्डे का निर्माण करने का एक ठेका प्राप्त किया है, यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं।

क्या ठेके की शर्तों के अनुसार परियोजना निदेशक के रूप में एक वरिष्ठ सिविल इंजीनियर को ही नियुक्त किया जा सकता है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि ठेके की उक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है और एक वरिष्ठ सिविल इंजीनियर के बदले एक इलैक्ट्रिकल इंजीनियर की नियुक्ती की गई है ;

(ग) उक्त परियोजना अधिकारी अपनी नियुक्ती के बाद से कितने समय तक दक्षिणी येमन में रहा है और कितने दिन उसके उससे बाहर तथा कहां और क्यों रहा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि दो वरिष्ठ सिविल इंजीनियरों को वापस बुला लिया गया था ताकि उपरोक्त इलैक्ट्रिक इंजीनियर को परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ

10286. **श्री निहाल सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ द्वारा प्रति माह, किस्म-वार कितने सूती धागे का उत्पादन किया जाता है ;

(ख) उन फर्मों तथा एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन से सरकार सूती धागा बनाने के लिए कच्चा माल लेती है और पिछले एक वर्ष में कितने मूल्य का कच्चा माल खरीदा गया ; और

(ग) इस मिल में कितने हिस्सेदार हैं तथा प्रत्येक हिस्सेदार ने कितनी पूंजी लगाई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मिल द्वारा दिसम्बर, 1980 से फरवरी 1981 के दौरान उत्पादित सूती यार्न के महीने वार और किस्म वार ब्यौरा निम्नलिखित हैं ।

किस्म (काउन्ट)	दिसम्बर 1980 (कि० ग्रा०)	जनवरी 1981 (कि० ग्रा०)	फरवरी 1981 (कि० ग्रा०)
2	17643	17498	17227
6	37707	48861	7712
10	29674	20427	26168
20	18311	—	37414
24	7805	27090	378
30	5200	1337	—
34	18395	20342	10025

(ख) 1980-81 के दौरान, मिल ने भारतीय रुई निगम और पंजाब राज्य सहकारी सप्लाई तथा विपणन संघ ने 114.28 लाख रु० की रुई खरीदी।

(ग) मिल का कोई अलग से निगमित अस्तित्व नहीं है क्योंकि यह केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उ०प्र०) लि० का एक अपना उपक्रम है। बाद वाले में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक क०) और उ० प्र० सरकार अंशपूंजी में भागीदार है, 31.3.80 को उ० प्र० सरकार का भाग 169.28 लाख रु० और राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक क०) का भाग 667.19 लाख रु० था।

वैशाली और आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यकरण

10287. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैशाली अभिषेक पुष्करणी विकास योजना कब तक शुरू की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : इस समय केन्द्रीय सेक्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बिहार में पर्यटन के विकास के लिए अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों में वैशाली को भी एक यात्रा परिपथ के रूप में शामिल कर लिया गया है। वैशाली में पर्यटन विकास का स्वरूप और सीमा तथा उनके कार्यान्वयन का समय धनराशि की उपलब्धता और बिहार में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ विभिन्न पर्यटक केन्द्रों के विकास में उनकी परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

चाय मशीनरी निर्यात

10288. **श्री के० मालन्ना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीन चाय-मशीनरी निर्यात में भारत के प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : चाय मशीनरी के निर्यात में चीन से प्रतियोगिता के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तस्करी के कारण चीनी की कमी

10289. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पड़ोसी देशों को चीनी की तस्करी के कारण चीनी का कृतिम अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में चीनी चोरी-छिपे भारत से बाहर भेजी जा रही है।

तथापि पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली सीमाओं पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल को चौकस कर दिया गया है ताकि चीनी को चोरी-छिपे देश से बाहर भेजने के किसी भी प्रयास को रोका जा सके।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं में धनराशियों के दुर्विनियोग/जालसाजी

10290. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन बैंक आफ इण्डिया की दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न शाखाओं में और यूनियन बैंक के नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य शाखाओं में 15 अथवा 20 करोड़ रुपए तक की कीमत की धनराशियों के दुर्विनियोग की जालसाजी, जिस में लगभग 40 पार्टियां शामिल हैं, का पता चला है ;

(ख) क्या तकनीकी अधिकारी, ग्रेट 1, जो यूनियन बैंक आफ इंडिया, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय में विगत दस वर्षों से काम कर रहा है, और जिसे इन पार्टियों के स्टाक आदि की जांच का कार्य सौंपा गया है, इन पार्टियों से मिला हुआ है ;

(ग) क्या उन प्रतिनिधियों ने इस विशिष्ट अधिकारी के खिलाफ सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) पार्टियों के नाम क्या हैं, उनकी सिफारिश पर स्वीकृत ऋण की मात्रा कितनी है और उन पार्टियों की तरफ आज तक कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री रामजीभाई मावाणी) : (क) यूनियन बैंक आफ इंडिया के अनुसार, इसके नई दिल्ली क्षेत्रीय (जोनल) कार्यालय के नियंत्रणाधीन कुछ शाखाओं में घोखाधड़ी तथा गबन के कुछ मामले हुए हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि इनमें अंतर्ग्रस्त राशि 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच है।

(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि इसके नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो पिछले 10 वर्षों से तकनीकी अधिकारी, ग्रेड 1 के रूप में कार्य कर रहा हो।

(ग) से (ङ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ सहायक अधीक्षक ग्रेड 1 के विरुद्ध, सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को, जांच के वास्ते, बैंक को भेजा गया है। इस मामले में और आगे कार्यवाही करने के प्रश्न पर शिकायतों की जांच हो जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

सहारनपुर में लकड़ी नक्काशी उद्योग

10291. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का उद्योग जिसमें लगभग 25,000 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है और जो प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, बढ़िया लकड़ी (शीशम) की अपर्याप्त सप्लाई के कारण डगमगा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) यह कहना उचित नहीं होगा कि सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी का उद्योग बढ़िया किस्म की लकड़ी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण डगमगा रहा है।

(ग) अच्छी सिझाई लकड़ी की सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार का सहारनपुर और देहरादून में अतिरिक्त लकड़ी सिझाई क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली

10292. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1950 से पूर्व और 1980 में तमिलनाडु के विभिन्न जिलों से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगनभाई बारोट) : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के राजस्व की वसूली का हिसाब-किताब जिला-वार नहीं रखा जाता है। अपेक्षित सूचना के भाग का संबंध तीन दशाब्दी पूर्व की अवधि से है। मांगी गई सूचना को पेश करना मुमकिन नहीं है। तथापि यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1949-50 में तत्कालीन मद्रास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय से उत्पादन शुल्क की शुद्ध वसूली 13.05 करोड़ रु० हुई थी। वर्ष 1979-80 में वर्तमान मद्रास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय से उत्पादन शुल्क की शुद्ध वसूली 421.98 करोड़ रु० हुई और मदुरै समाहर्तालय (जिसमें मद्रास समाहर्तालय के साथ-साथ तमिलनाडु समाहर्तालय भी शामिल है) से 101.19 करोड़ रु० हुई।

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश

10293. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री रशीद मसूद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में निवेश हेतु कितनी राशि कम की है और इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इन क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री नगनभाई बारोट) : (क) पिछले पांच वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में (सकल परिसम्पत्ति के रूप में) कुल लगी पूंजी 10737 करोड़ रु० है । इसमें से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पश्चिम बंगाल स्थित एककों में अचल परिसम्पत्ति के रूप में लगी पूंजी 755 करोड़ रुपये है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान (क्षेत्रवार एवं राज्यवार) होने वाले पूंजी निवेश के ठीक-ठीक आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, वर्तमान संकेतों के अनुसार पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं में संभवत: 550 करोड़ रु० से अधिक पूंजी लगी ।

टोबेको मर्चेन्टस एसोसियेशन की कानपुर कलेक्टरी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

10294. **दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री टोबेको मर्चेण्ट्स एसोसियेशन (रजिस्टर्ड) कायमगंज, द्वारा कानपुर कलेक्टरी के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध मुख्य सतर्कता आयुक्त, नई दिल्ली को की गई दिनांक 1 मई, 1978 की शिकायत के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा अन्य किसी निकाय अथवा प्राधिकरण द्वारा उक्त मामले में कोई जांच की गई थी :

(ख) मामलों के जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) उक्त मामले के बार-बार घटित होने को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई की गई ;

(घ) सरकार उन प्रभावित पार्टियों अथवा व्यक्तियों को क्या राहत दे रही है जिनके विरुद्ध झूठे मुकदमे दायर किये गये थे और जिनको परेशान और तंग किया गया था ; और

(ङ) क्या सरकार मामले के पूरे तथ्य एवं परिस्थितियां दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट): (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 1 मई 1978 की शिकायत की एक प्रति टोबेको मर्चेण्टस एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) कायमगंज द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई थी। आयोग ने इस शिकायत को, जांच तथा रिपोर्ट के निमित्त, विभाग के पास अग्रप्रेषित किया। उसमें निहित आरोपों की जांच की गई, और एक रिपोर्ट आयोग के पास भेजी गई। मामले पर विचार करने के बाद, आयोग ने आरोपों को समाप्त करने की सलाह दी।

(घ) इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ङ) उक्त शिकायत में निहित आरोप, जांच करने पर, निराधार पाए गए; और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर मामले को ठप्प कर दिया गया। अतः सदन-पटल पर पेश करना समुचित नहीं होगा।

मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से पीतल के सामान का निर्यात

10295. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दुनिया के विभिन्न देशों को भारी मात्रा में पीतल के सामान का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाने और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) पीतल के बर्तनों के निर्यातकों को निर्यात प्रतिपूर्ति तथा नकद मुआवजा सहायता जैसे लाभ मिलते हैं। इस मद के निर्यातक शुल्क छूट योजना के अन्तर्गत पीतल के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस भी प्राप्त कर सकते हैं।

1981-82 के लिए निर्यात नीति में प्रतिपूर्ति के रूप में पीतल के आयात की नीति को और सरल बनाने के लिए दो विशिष्ट व्यवस्थाएं की गई हैं। ये हैं :

(1) कुछ निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में, जिनमें पीतल के कलात्मक बर्तनों तथा फिटिंग्स के निर्यात भी शामिल हैं, आयात की मदें निवेश उत्पादन के मानदण्डों के साथ-साथ निर्दिष्ट की गई हैं। इन तथ्यों के आधार पर अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र चार्टर्ड इन्जीनियर का प्रमाणपत्र अथवा डी० जी० टी० डी० का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना और जहां निर्यातक के पास निष्पादन हेतु निश्चित आर्डर हैं, वहां मामले को अग्रिम लाइसेंस सम्बन्धी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए बिना दिए जा सकते हैं।

पीतल के कलात्मक बर्तनों के निर्यात पर जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर पीतल स्क्रैप के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति है। ऐसे लाइसेंस 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दर के भीतर 1 कि० ग्रा० निर्यात उत्पाद के बदले में 1.01 कि० ग्रा० पीतल के स्क्रैप के आयात के लिए दिए जाने हैं। यह योजना 1980-81 में आरम्भ की गई थी और वास्तविक प्रयोजना शर्त के अध्यधीन थी। इस वर्ष वास्तविक प्रयोक्ता शर्त हटा दी गई है और आर० ई० पी० लाईसेंस सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होंगे।

वन्य जीवन पर्यटन के लिए छठी योजना में व्यय

10296. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में वन्य जीवन पर्यटन के लिए कुल कितनी पूंजी स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान वन्य जीवन पर्यटन की कुछ नई योजनाओं पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) पर्यटन के लिए केन्द्रीय सेक्टर में 30 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से 170 लाख रुपए की राशि वन्य जीव पर्यटन के विकास के लिए निर्धारित की गई है। यह धनराशि देश में चुने हुए नेशनल पार्कों और वन्य जीव विहार स्थलों में आवास और परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लायी जाएगी। पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान जिन नई स्कीमों को शुरू किया जाएगा वे ये हैं—सिमलीपाल, मानस, पालामाउ, कार्बेट/दुधवा, बान्धवगढ़ और हंगाला में सुविधाओं का विकास।

ईंधन की खपत कम करने के लिए विमानों के आंतरिक ढांचे में परिवर्तन

10297. **श्री आर० पी० यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व की अगुणी एयरलाइनें ईंधन की खपत कम करने तथा विमानों के भार में कमी करने के लिए सीटों, आंतरिक ढांचे, विमान गैली में परिवर्तन कर रही है;

(ख) अपने विमानों में ईंधन की कीमत के साथ भार कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में काम कर रही विदेशी कम्पनियों को अंश पूंजी बढ़ाने की अनुमति

10298. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में काम कर रही कुछ विदेशी कम्पनियों ने 'नान-कोर सेक्टर' में विस्तार करके अंश पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) वर्ष 1980-81 में पूंजी निर्गम नियंत्रक ने भारत में काम कर रही किसी भी विदेशी कंपनी को, नान-कोर सेक्टर में विस्तार के लिए अतिरिक्त शेयरपूंजी जुटाने की अनुमति नहीं दी थी।

नागालैण्ड में पाये नए तांबे के निक्षेप

10299. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड में तांबे के निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यहां खनन कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) नागालैंड की ओपिओलाइट पट्टी में अनेक स्थानों पर बेसिक तथा अल्ट्रा बेसिक चट्टानों में तांबा सल्फाइड (कुछ स्थानों पर निकिल लोह) पाया गया है। अभी तक आर्थिक महत्व के कोई भण्डार नहीं पाए गए हैं। नागालैंड के भूतत्व और खनन निदेशालय ने जिन क्षेत्रों में खोज शुरू कर दी है जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सल्फाइड होने की सूचना दी है। व्यापक अध्ययन के बाद ही इस खनिजीकरण के विस्तार और खननक्षमता के बारे में पता चल सकेगा।

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा 'फेरा' का उल्लंघन किए जाने वाले मामले

10300. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय फर्मों के बारे में कोई जानकारी दी गई है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

टिन प्लेट इण्डिया लिमिटेड को टिन की छड़ों से ब्लेक प्लेट बनाने की अनुमति

10301. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिन प्लेट इण्डिया लिमिटेड ने "हाट रिप्पड मैथड" से टन प्लेट बनाने वाले अपने एकक को बन्द कर दिया है और सरकार से ऐसी अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है जिससे वह अपने विद्यमान रोलिंग मिलों में टिन छड़ों से ब्लैक प्लेट बना सकें और उन्हें बाजार में बेच सकें और साथ ही उसने यह वचन भी दिया है कि वह टिन प्लेट "इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैथड" से बनायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क)जी, नहीं । मैसर्स टिन प्लेट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड ने आवेदन किया है कि हाट डिप्ड टिन प्लेट के लिए उनको जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस में गर्म बेलित काली चादरें भी शामिल कर ली जाए । चूंकि हाट डिप्ट प्रक्रिया से तैयार की गई टिन प्लेटें इलेक्ट्रोलिटिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई प्लेटों से अधिक कीमती होती हैं । अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके लाइसेंस में गर्म बेलित काली चादरों को अन्ततः उत्पाद के रूप में जोड़ दिया जाए ताकि टिनिंग की हाट डिप्ड प्रक्रिया धीरे-धीरे समाप्त की जा सके ।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार कर रही है ।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रात्रि बैंक सेवाएं

10302. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रात्रि बैंक सेवाएं शुरू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ये सेवाएं कब तक शुरू हो जाएंगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय आसनसोल में कार्यरत किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पश्चिम बंगाल में चल रहे बैंकों में जमा राशियां

10303. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चल रहे प्रत्येक बैंक में कुल जमा राशि कितनी है और गत पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक बैंक ने कितनी-कितनी राशि के ऋण दिये ; और

(ख) पश्चिम बंगाल में विशेषतया बर्दवान, हुगली, बांकुरा, पुरुलियां, और मिदनापुर जिलों में कृषि कुटीर उद्योगों, मध्यम तथा बड़े उद्योगों, थोक तथा परचून व्यापार, समाज के कमजोर वर्गों को कितनी-कितनी राशियों के ऋण दिये जाते हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) पश्चिम बंगाल राज्य में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों तथा स्वीकृति के अनुसार सकल बैंक ऋण के बैंक समूहवार वितरण के उपलब्ध आंकड़े नीचे दिये गए है :—

(करोड़ रुपये)

अवधि निम्नलिखित के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)	भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक बैंक		14-राष्ट्रीय-कृत बैंक		अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	
	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम	जमा राशियां	अग्रिम
जून, 1976	521.83	342.71	1033.20	715.08	383.40	227.44	1938.43	1285.23
जून, 1977	626.93	430.35	1254.83	825.07	424.39	268.61	2306.15	1524.03
जून, 1978	751.49	583.67	1529.89	949.23	465.33	331.30	2746.71	1764.20
जून, 1979	967.47	548.90	1842.31	1122.04	538.06	358.82	3347.87	2029.76
दिसम्बर, 1979	985.48	939.97	2039.24	1244.57	554.52	417.56	3579.24	2302.10

(ख) आंकड़े जिस रूप में मांगे गये हैं, सूचना प्रणाली द्वारा उस रूप में एकत्र नहीं किए जाते। जून, 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में तथा बर्दमान, हुगली, बांकुरा, पुरुलिया और और मिदनापुर जिलों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों के क्षेत्रवार वितरण के सम्बन्ध में जिलावार उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिखाये गए हैं।

विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों का जिलेवार तथा व्यवसाय वार वर्गीकरण

(हजार रूपयों में)

(जून, 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

	क्षेत्र	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	हुगली	बांकुरा	पुरुलिया	मिदनापुर
1.	कुल ऋण	17536032	1514102	1276638	59340	56952	203304
	जिसमें से लघु उद्योग	1724488	82231	72615	9082	16657	21079
2.	कृषि	1617079	80423	121866	22418	12410	48890
3.	उद्योग	11609426	1273945	1032447	7061	25247	51910
4.	कुल व्यापार	1971262	30658	9710	7993	6039	27797
	जिसमें से फुटकर व्यापार	386969	19197	8351	6726	4641	21483
5.	व्यक्तिगत ऋण	525639	20311	30601	6744	3295	16696
6.	अन्य सभी	1812626	108765	78169	15142	9961	58047

पश्चिम बंगाल में उपयोग किए गए 9334 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋणों का क्षेत्रवार वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। पश्चिम बंगाल में उपयोग किए गए कुल ऋण 184694 लाख रूपये के थे।

मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रमों में महिलाओं की संख्या

10304. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में महिलाओं के पद पुरुषों की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पुरुषों की तुलना में महिला कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। किन्तु यह स्थिति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी देखी जाती है, चाहे वे सरकारी हों अथवा अन्यत्र। महिला कर्मचारियों की कम संख्या मुख्यत: अपर्याप्त शैक्षिक अर्हताओं और औद्योगिक दक्षताओं के कारण है, जो कि महिलाओं के सामाजिक पिछड़ेपन की देन है।

(ग) हालांकि केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में महिलाओं की नियुक्ति के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है, फिर भी वर्तमान स्थिति को प्रशिक्षण एवं शिक्षण के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराकर सुधारा जा सकता है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना भी तैयार की गई है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि जहां महिलाएं अधिक उत्पादनशील सिद्ध हो सके, उन व्यवसायों में इनकी संख्या बढ़ाई जाए।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा "इनफ्लाइट मैगजीन" का प्रकाशन

10305. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने एक "इनफ्लाइट मैगजीन" के प्रकाशन, जिसे अधिकतर सभी विमानों में रखा जाएगा, का ठेका दिया है ;

(ख) यह ठेका किसको दिया गया है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि ठेके के अनुसार प्रथम संस्करण की सप्लाई अप्रैल, 1981 में की जानी थी ;

(घ) क्या इस संस्करण की तारीख बढ़ा दी गई है, जो किसी बाद की तारीख को प्रकाशित होगा, और कब तक ; और

(ङ) तारीख बढ़ाये जाने की मंजूरी दिए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विदेशी प्रकाशक, मैसर्ज मीडिया ट्रांसेशिया (थाइलैंड) लि०, बैंकाक द्वारा प्रस्तुत नमूने (presentation) का अनुमोदन कर देने पर, इंडियन एयरलाइन्स ने इस फर्म के साथ एक करार किया है। कांट्रेक्ट के अनुसार प्रकाशक हर तीसरे महीने कारपोरेशन को इनफ्लाइट मैगजीन की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 50,000 प्रतियां सप्लाई करेगा तथा इसकी उत्पादन लागत प्रकाशक वहन करेगा जिसे वह विज्ञापनों द्वारा अर्जित किए गए राजस्व से पूरा करेगा। कारपोरेशन की लागत नगण्य है चूंकि एयरलाइन प्रत्येक अंक के लिए केवल एक ही विज्ञापन जारी करेगी, तथा मैगजीन के लिए सामग्री एकत्र करने में वह सभी संभव सहायता प्रदान करेगी। विज्ञापन के लिए धन की अदायगी भारतीय रुपयों में दी जानी है।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) करार पर नवम्बर, 1980 में हस्ताक्षर किए जाने के बाद प्रकाशक ने साफ छः माह का प्रणयन समय (lead time) मांगा था। प्रथम अंक के प्रकाशन के लिए प्रकाशक को विभिन्न पहलुओं पर काफी सूचना उपलब्ध कराई जानी थी जिसमें समय लगा। अब मैगजीन का प्रथम अंक इंडियन एयरलाइन्स को जून, 1981 के मध्य तक सौंप दिया जाना है।

आयकर अधिकारी एसोसिएशन का ज्ञापन

10306. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों के एसोसिएशन ने अपनी कुछ मांगों पर जोर देते हुए एक ज्ञापन सरकार को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में की गई मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ग) इन मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(घ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो निर्णय किस तारीख तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां। आयकर राजपत्रित सेवा संगठनों के अखिल भारतीय संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें कुछ मांगों का उल्लेख किया गया था।

(ख) ज्ञापन में पेश की गई मुख्य मांगे नियमानुसार हैं :—

(1) अंतः— परिवर्तनीय पदों पर काम कर रहे आयकर अधिकारियों के बीच श्रेणी-भेद की समाप्ति ;

(2) पांच वर्षों या उससे अधिक की सेवा वाले समूह 'ख' के सभी आयकर अधिकारियों को समूह 'क' वरिष्ठ वेतन-मान में अविलंब पदोन्नति ।

(3) समूह 'ख' के आयकर अधिकारियों को 840-1200 रुपये का वेतनमान देना ।

(4) 1973 के वरिष्ठता नियमों को समाप्त करना ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने इन मांगों पर समय-समय पर ध्यानपूर्वक विचार किया है, किंतु यह संभव नहीं हो पाया है कि उन्हें स्वीकार किया जाय । तथापि, आयकर विभाग के अधिकारियों के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के प्रश्न की सतत समीक्षा की जाती है तथा जब कभी आवश्यक समझा जाता है, समुचित कार्यवाही की जाती है ।

सेवानिवृत्त सरकारी पेन्शन भोगियों के अभ्यावेदन

10307. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी पेन्शन भोगियों से आवश्यक वस्तुओं की बढ़ रही कीमतें पूरी करने के लिए पेन्शन में वृद्धि के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ख) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां ।

(ख) सेवा निवृत्त होने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी की पेंशन का निर्धारण सेवा निवृत्ति की तारीख को लागू नियमों के संदर्भ में किया जाता है । सामान्य नीति के रूप में पेंशन संबंधी लाभों में उदारीकरण भावी तारीख से प्रभावी किया जाता है । तथापि जीवन-निर्वाह लागत में वृद्धि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार, अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 12 मास के औसत में प्रत्येक 16 अंक की वृद्धि के लिए पेंशन-भोगियों के पेंशन के 5 प्रतिशत की दर पर किन्तु कम से कम 5 रुपए और अधिक से अधिक 25 रुपए प्रतिमास राहत मंजूर करती रही है । केन्द्रीय सरकारी पेन्शन भोगियों की राहत की ग्यारह किश्तें स्वीकार की गई हैं जो पेन्शन की राशि का 55 प्रतिशत किन्तु कम से कम 55 रु० और अधिक से अधिक 275/ रु० प्रतिमास है । इसके अलावा, जैसे कि वित्त मन्त्री ने 28 फरवरी, 1981 को संसद में घोषणा की थी, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 16 अंक की बजाय प्रत्येक 8 अंक की वृद्धि के लिए पेन्शन-भोगियों को अब पेंशन के 25 प्रतिशत की दर पर, किन्तु कम से कम 2.50 रुपए और अधिक से अधिक 12.50 रुपए राहत मंजूर की जा रही है । इस आधार पर केन्द्रीय सरकार के पेन्शन-भोगियों को 1.12.1980 से एक किश्त की स्वीकृति प्रदान की गई है जिससे राहत की राशि पेन्शन का 57.5 प्रतिशत हो गई है जो कम से कम 57.50 रुपए और अधिक से अधिक 287.50 रुपए है । इसके अतिरिक्त 1-1-73 से पूर्व के पेंशन-भोगियों को 15 रुपए से 35 रुपए प्रतिमास तक तदर्थ राहत भी मंजूर की गई है । पेंशन-भोगियों को

मंहगाई राहत की अदायगी करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है आयकर के मानक कटौती की वर्धित दर पेन्शन-भोगियों पर भी लागू कर दी गई है । इन परिवर्तनों से पेन्शन-भोगियों की कठिनाइयां और भी कम हो जाएंगी ।

पश्चिम जर्मनी के सहयोग के साथ 'क्रोम' चमड़े की रद्दी के पुनः प्रयोग की परियोजना

10308. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के सहयोग के साथ क्रोम चमड़े की रद्दी के पुनः प्रयोग की परियोजना स्थापित की जानी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की स्थापना कहां पर की जाएगी और उसके उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां ।

(ख) परामर्शी संगठन परियोजना हेतु तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए चुना गया है । परियोजना के स्थान का निर्धारण तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद किया जाएगा । परियोजना को प्रतिदिन 10 मै० टन क्रोम लैदर वेस्ट्स के पुनर्संसाधन पर आधारित लैदर बोर्ड की उत्पादन क्षमता के लिए योजनाबद्ध किया जा रहा है ।

विदेशी फर्मों के काम को देखने के लिए एक अलग सेल बनाना

10309. **श्री लक्ष्मण मालिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी फर्मों के काम को देखने के लिए एक अलग सेल की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) लोक लेखा समिति ने 3 अप्रैल 1981 को लोक सभा में प्रस्तुत अपनी अट्ठाईसवीं रिपोर्ट में, इस आशय की एक सिफारिश की है । इस सिफारिश पर अभी तक सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है ।

क्योंझर (उड़ीसा) की गंधोमर्दान लौह अयस्क खानों में लौह अयस्क के निक्षेप

10310. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्योंझर की गंधोमर्दान लौह अयस्क खानों में लौह अयस्क भण्डारों की मात्रा क्या है ;

(ख) उक्त खानों से उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की कितनी मात्रा उस राज्य में क्योंझर स्थित स्पंज इस्पात संयंत्र को सप्लाई की जायेगी ;

(ग) उस राज्य की किन अन्य खानों द्वारा उड़ीसा में क्योंझर के स्पंज इस्पात संयंत्र को उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की सप्लाई की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) गन्धमर्दन क्षेत्र में उच्च ग्रेड के लौह-अयस्क (एफ० ई० =63-66 प्रतिशत) के अनुमानित निक्षेप लगभग 123 मिलियन टन हैं।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों को सहायता अनुदान

10311. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान की धारा 275 के अन्तर्गत प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्यों को अनुदान देने हेतु सातवें वित्त आयोग ने क्या नीति तथा सिद्धान्त अपनाए गए हैं ;

(ख) धारा 275 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यों के पांचवे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाने के लिए क्या नीति तथा सिद्धान्त अपनाए हैं ;

(ग) आयोग ने कौन-कौन से क्षेत्रों तथा सेवाओं का आधारभूत प्रशासनिक होने में अधिक महत्त्वपूर्ण तथा इन राज्यों में जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र प्रशासनिक ढांचा बताया है ;

(घ) उड़ीसा राज्य तथा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग ने कौन से महत्त्वपूर्ण तथा आधारभूत चीजें बताई हैं और अब तक कितनी अनुदान सहायता दी गई है ; और

(ङ) उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर में कितना सुधार हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) आयोग ने सरकार के आधारभूत ढांचे में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तत्वों के रुप में सामान्य प्रशासन के कुछ क्षेत्रों पर विचार किया जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। उसने फिर इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्यों की सापेक्ष स्थिति की यथा-सम्भव व्यावहारिक रूप से जांच की थी और उनकी

सिफारिश के अन्तर्गत आने वाली पांच वर्ष की अवधि के अन्दर सुधारात्मक स्कीमों के कार्यान्वयन की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए सहायता की सिफारिश की थी ताकि पिछड़े हुए राज्य भी अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों के स्तर तक पहुंच सकें।

(ख) राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए सिफारिश की गई कार्मिक नीति की मुख्य-मुख्य बातें हैं, प्रशासन की एक ही व्यवस्था, प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, उपयुक्त कार्मिकों का चयन और जनजातीय क्षेत्रों आदि में काम करने वाले कार्मिकों के लिए मुद्रा सम्बन्धी तथा मुद्रा-भिन्न प्रोत्साहनों को मंजूरी देना।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ङ) आयोग द्वारा सिफारिश की गयी सहायता 1979-84 की 5 वर्ष की अवधि के लिए है। प्रशासन के स्तरों में वास्तविक सुधारों का कोई भी अर्थपूर्ण मूल्यांकन केवल कुछ समय बाद ही सम्भव होगा।

विवरण

(लाख रु०)

आयोग द्वारा पता लगाए गए क्षेत्र तथा सेवाएं जो मूल प्रशासनिक ढांचे में अधिक महत्वपूर्ण हैं	आयोग द्वारा उड़ीसा सरकार के लिए 5 वर्ष के लिए सिफारिश की गयी सहायता	उड़ीसा की अब तक दी गई सहायता (1979-80 और 1980-81)
1	2	3
(1) जिला, राजस्व और जनजातीय प्रशासन	1237.00	224.32
जनजातीय प्रशासन के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए		
(क) जनजातीय क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता	643.00	115.00
(ख) जनजातीय क्षेत्रों में रिहायशी क्वार्टरों के लिए।	184.00	79.32
(2) वित्तीय, राजकोषीय और लेखा प्रशासन	—	—
(3) न्यायिक प्रशासन	103.89	3.08
(4) पुलिस प्रशासन	1443.00	148.10
(5) जेल प्रशासन	442.00	155.14

कलकत्ता स्थित भारतीय सामाजिक अध्ययन संस्थान को प्राप्त विदेशी धन

10312. श्री सुभाष यादव)
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
डा० महिपतराय एम० मेहता)

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित भारतीय सामाजिक अध्ययन संस्थान को विदेशी दानकर्त्ताओं से बहुत अधिक धनराशियां प्राप्त हुई हैं :

(ख) संस्थान को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और इस की गतिविधियां क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संस्थान को आयकर से छूट प्राप्त है और यदि हां, तो कब से और उस की आय क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया नया घर्षण-प्रतिरोधी "एलाय कास्ट आयरन"

10313. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुड़की विश्वविद्यालय ने आयातित निकल के उपयोग का विलोपन करके नए घर्षण प्रतिरोधी "एलाय कास्ट आयरन" का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके वाणिज्यिकरण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली कलक्टरी का डिविजन

10314. **श्री समीनुद्दीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय रूप से तीन भागों, अर्थात्, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ—विभाजित करते समय तीन कलक्ट्रियों के लिए समान वरिष्ठता रखी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो भूतपूर्व दिल्ली कलक्टरी को तीन भागों में विभाजित करते समय इसी सिद्धांत का पालन न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे अधिकारी, जिसकी पदोन्नति होने ही वाली हो, की वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) जी, हां। यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में तीन समाहर्तालियों में अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, तथा मेरठ में समूह "ग" तथा समूह "ख" के पदों के बारे में समान वरिष्ठता रखी गयी है।

(ख) समाहर्तालियों का गठन, काम के भार, राजस्व आदि को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। आमतौर पर संवर्ग, समाहर्तालिय-वार हैं। किन्तु, यदि एक राज्य में एक से अधिक समाहर्तालिय हों तो आमतौर पर सभी समाहर्तालिय एक समान संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में सभी तीनों समाहर्तालिय एक समान संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार ही उत्तरप्रदेश में सभी तीनों समाहर्तालिय एक समान संवर्ग के अन्तर्गत आते हैं। यह सिद्धांत दिल्ली/चण्डीगढ़/जयपुर के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालियों पर लागू नहीं होता है क्योंकि उनका क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों तक अर्थात् दिल्ली हरियाणा/चण्डीगढ़/पंजाब/जम्मू तथा कश्मीर/हिमाचल प्रदेश/राजस्थान तक फैला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली/चण्डीगढ़/जयपुर समाहर्तालियों के पूर्वकालीन समान सवर्ग को तीन हिस्सों में बांटने की मांग इन समाहर्तालियों के कर्मचारी संघों द्वारा की गई थी।

(ग) दिल्ली/चण्डीगढ़/जयपुर समाहर्तालियों के संवर्गों को अलग-अलग करते समय, समूह "ख" स्तर तक के सभी अधिकारियों को, अपनी पसंद के एक समाहर्तालिय के संवर्ग में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। इस प्रकार की स्थिति होने की वजह से पदोन्नति के समय अधिकारी की वरिष्ठता पर असर पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। अपने विकल्प का इस्तेमाल करने से पूर्व अधिकारियों को पदोन्नति सम्बन्धी संभावनाओं, आदि सहित सभी पहलुओं पर विचार करने की छूट थी।

आसाम से बेंत की टोकरियों की मांग

10315. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम से बेंत की टोकरियों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बेंत की टोकरियों के उत्पादन में वृद्धि, उसकी क्वालिटी बनाए रखने तथा बेंत एवं अन्य कच्चा माल उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) जी हां।

(ख) चूंकि अलग से राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं अतः आसाम से बेंत की टोकरियों के लिए मांग के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) आसाम में नलवाड़ी, नरसिंहपुर तथा हैलाकेंड़ी में बेंत तथा बांस के शिल्पों में 3

वर्तमान उच्च प्रशिक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने के विचार से आसाम में छठी योजना के दौरान अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का विचार कुछ और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है। बांस की टोकरी का मानकीकृत मद न होने के कारण इसके क्वालिटी नियन्त्रण की गुंजाइश सीमित है। आसाम राज्य बढ़िया किस्म की बेंत के लिए बहुत समृद्ध है और वहां कच्चे माल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं रही है।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनाये गये गांव

10316. **श्री मनफूल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने गांव अपनाये गये हैं और उन गांवों के जिलेवार नाम क्या हैं;

(ख) इन गांवों में बैंकों ने किस प्रकार के विकास-कार्य किये हैं; और

(ग) छठी योजनावधि में बैंकों द्वारा अपनाये जाने वाले गांवों की संख्या और नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार, राजस्थान राज्य में ग्राम अंगीकरण स्कीम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंगीकृत गांवों की संख्या 9987 बताई गई है। इन गांवों के नाम तथा इनका जिले-वार विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) यह स्कीम प्राथमिक रूप से अंगीकृत गांव के आर्थिक उत्थान के लिए धन उपलब्ध करने में 'क्षेत्रोन्मुखता' को बढ़ावा देने के वास्ते शुरू की गई है।

(ग) यह स्कीम बैंकों द्वारा स्वयं चलाई जाती है तथा यह किसी आयोजना-स्कीम का हिस्सा नहीं है। नये गांवों का अंगीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा इसका निर्णय बैंकों द्वारा स्वयं किया जाता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में अंगीकार किए गए गांव

10317. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन गांवों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अंगीकार किया है और अंगीकृत गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह अनुदेश जारी करने पर विचार कर रही है

कि वे विकास के लिए और अधिक गांवों को अंगीकार करें और क्या इस सम्बन्ध में बैंकों के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित किए गए गए हैं। और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जून, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य में ग्राम अंगीकरण स्कीम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंगीकृत गांवों की संख्या सूचना के अनुसार 7728 है। विभिन्न बैंकों द्वारा अंगीकृत इन गांवों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) यह स्कीम बैंकों द्वारा संचालित की जाती है तथा यह प्राथमिक रूप से अंगीकृत गांव के आर्थिक उत्थान, के लिए धन उपलब्ध करने में 'क्षेत्रोन्मुखता' को बढ़ावा के लिए बनाई गई हैं। नये गांवों का अंगीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इसका निर्णय बैंकों द्वारा स्वयं किया जाता है।

पोलैंड द्वारा ऊर्जा उत्पादक उपकरण के लिये संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव

10318. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैंड ने तीसरी दुनिया के देशों में ऊर्जा पैदा करने वाले उपकरण की स्थापना में भारत के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत पोलैंड संयुक्त आयोग की बैठकों के दौरान पोलैंड की एजेंसियों ने भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० के सहयोग से तीसरे देशों में विद्युत जनित्र परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दिखाई थी।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० ने तीसरे देशों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने में पोलैंड की एक एजेंसियों के साथ सहयोग करने के विचार के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दिखाई हैं। तथापि, ऐसे सहयोग का क्षेत्र और ब्योरे अभी तैयार किये जाने हैं।

प्यारे ड्रिक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड के निदेशक द्वारा लिया गया ऋण

10319. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निदेशक (श्री चरणजीत सिंह) ने प्यारे ड्रिक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड से 35 44 लाख रुपये का ऋण अक्तूबर, 1978 में लिया था और बाद में 31 अगस्त, 1979 को 25.02 लाख रुपये का ऋण सदर्न बोटलर्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया था;

(ख) क्या अधिक राशि उधार लेने वाले और धन कर देने वाले व्यक्ति के लिए यह आवश्यक होता है कि वह उधार ली गई राशि का उल्लेख अपनी धन-कर विवरणी में करे और यदि हां, तो किस शीर्ष के अधीन और क्यों; और

(ग) क्या इस निदेशक ने वर्ष 1978 और 1979 के अपने धनकर विवरणी में उधार ली गई राशि का उल्लेख किया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) श्री चरणजीत सिंह द्वारा मेसर्स प्यारे ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड से लिये गये उधार की रकम 31 अक्तूबर, 1978 की स्थिति के के अनुसार 18,77,091 रु० थी। यह रकम मेसर्स सदर्न बाटलर्स (प्रा०) लिमिटेड को उसी तारीख को अन्तरित की गई और इस प्रकार 31-10-1978 की उस तारीख को शेष कुछ भी नहीं रहा जिस तारीख को मेसर्स प्यारे ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० का लेखा वर्ष समाप्त हुआ। 31-8-1979 की स्थिति के अनुसार श्री चरणजीत सिंह मेसर्स सदर्न बाटलर्स (प्रा०) लि० के 25,01,685 रु० की रकम के देनदार थे। यह ऋण कोई नया ऋण नहीं था परन्तु इसमें ऋण की वे रकमें थीं जो श्री चरणजीत सिंह ने उन अन्य कम्पनियों से पहले ले रखी थी जिन्हें बाद में मेसर्स सदर्न बाटलर्स (प्रा०) लि० द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था।

(ख) किसी ऐसे निर्धारिती द्वारा लिये गये ऋणों का मूल्य, जिसका धन कर निर्धारण किया गया हो, धनकर विवरणी के अनुबन्ध VII तथा VIII में घोषित किया जाना होता है। इन ऋणों को, धनकर के लिये प्रभार्य शुद्ध धन की घोषणा निर्धारित करने के लिए परिसम्पत्तियों के मूल्य के संदर्भ में कटौती का दावा करने के लिये विवरणी की धारा 'ग' में भी घोषित किया जाना होता है।

(ग) जी, हां।

सेवा निवृत्त केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए पेन्शन के 'कम्यूट' के लिए नियत दरें

10320. **श्री थाम्भाई एम० कटारिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्त केन्द्र सरकार कर्मचारियों के लिए पेन्शन के कम्यूट कराने की वर्तमान दरें कब नियत की गई थीं; और

(ख) रुपये के मूल्य के कम हो जाने को देखते हुए क्या सरकार का विचार दरों का पुनरीक्षण करने और बढ़ाने का है?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य के ध्यान में वह कम्यूटेशन टेबल हैं जिससे पेंशन के निवृत्त अंश के मूल्य का निर्धारण

किया जाता है। वर्तमान में प्रयोग किये जाने वाला कम्यूटेशन टेबल 1 मार्च, 1971 से लागू किया गया था।

जब कभी भी पेंशन-भोगियों की औसत आयु और ब्याज दरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तब समय-समय पर कम्यूटेशन टेबल में संशोधन किया जाता है। रुपये के मूल्य में परिवर्तन होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

कुडप्पा (आंध्र प्रदेश) में सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना करना

10321. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है तो इसके क्या कारण हैं कि कुडप्पा में जो कि रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय रूप में स्थित है और दुर्भिक्षग्रस्त रहने वाला क्षेत्र भी है, कुछ सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी निवेश योजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है जिसमें संसाधनों के दोहन, क्षेत्रीय विकास, आत्म निर्भर बनने, निर्यात संवर्धन, रोजगार के अवसर जुटाने आदि की आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक प्रस्ताव की इस आधार पर जांच की जाती है कि वह तकनीकी आर्थिक दृष्टि से कितना सक्षम है। छठी पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश की औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं पर होने वाला परिव्यय 1730 करोड़ रुपये है।

कुडप्पा जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया है और इसलिए इसे रियायती वित्तीय सहायता तथा पूंजीनिवेश-राज सहायता के योग्य चुना गया है। कुडप्पा जिले में येरागुण्टला में भारतीय सीमेंट निगम की एक परियोजना है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 लाख टन सीमेंट की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 33 करोड़ रुपये है तथा छठी पंचवर्षीय योजना में इसके परिव्यय के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

विवरण

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों एवं प्रचार पर किए गए खर्च का विवरण :—

(लाख रुपए)

उपक्रम का नाम	1979-80	1980-81
1. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कं०	0.65	0.81**
2. भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लि०	5.72	5 86**
3. भारत गोल्ड माइन्स लि०	1.53	4.55**

1	2	3
4. ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	0.28	0.41••
5. ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	1.72	1.75••
6. सेंण्ट्रल काटेल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	3.19	4.33••
7. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	5.49	6.00••
8. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	0.99	1.50•
9. कोल इण्डिया लि०	15.67	13.62
10. कोचीन शिपयार्ड लि०	0.10	0.27
11. भारतीय रूई निगम लि०	0.008	•
12. दिल्ली परिवहन निगम	1.69	2.66••
13. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	3.63	3.50••
14. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	41·33	24.23••
15. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०	11.28	8.70••
16. फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	13.41 ©	9.03©
17. फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डिवेलपमेंट) इण्डिया लि०	13.55	8.00••
18. भारतीय खाद्य निगम	28·39	48.78
19 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	12.09	9.91••
20. भारतीय सामान्य बीमा निगम	8.24	8.79
21. भारी इंजीनियरी निगम	2·23	2·54
22. हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि०	7.33	5.66••
23. एच० एम० टी० (इण्टरनेशनल) लि०	8.90	9.40
24. हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् मैं० कं०	20.02	21.19
25. हिन्दुस्तान प्रिफेब लि०	शून्य	0.04
26. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	0.19	0.16
27. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	1.05	0.97
28. इण्डियन एअरलाइन्स	38.79	45.00••

1	2	3
29. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स	30.21	•
30. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०	1.85	1.90
31. कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लि०	2.69	2.60
32. मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	3.41	1.43
33. माझगांव डाक लि०	9.99	11.10••
34. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि०	7.84	5.25••
35. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	0.20	1.62
36. खनिज गवेषण निगम लि०	1.10	1.49
37. खनिज एवं धातु व्यापार निगम	5.33	13.30
38. मिश्र धातु निगम लि०	3.83	5.35
39. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	0.29	3.18[3]
40. मुगल लाइन्स लि०	0.94	1.16••
41. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	5.65	7.42
42. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	0.24	0.06••
43. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	0.56	0.79
44. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	3.53	5.08
45. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	2.52	•
46. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	0.93	0.75
47. राष्ट्रीय बीज निगम लि०	2.48	•
48. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	5.90	3.03••
49. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (उ० प्र०)	0.69	[4]
50. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा)	0.93	2.05
51. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	11.72	23.57
52. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि०	18.25	18.45

1	2	3
53. ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस	6.91	2.67
54. प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन	0.78	0.99
56. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०	1.30	1.58
56. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	61.97	52.71
57. सांभर साल्ट्स लि०	0.005	0.006••
58. स्कूटर इण्डिया लि०	14.57	10.65
59. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	7.46	8.20
60. जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवाएं (इण्डिया) लि०	1.11	0.79••

• लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

© आंकड़े केवल केन्द्रीय कार्यालय और उनके राममुण्डम एकक से संबंधित हैं।

•• अनन्तिम आंकड़े

गोवा में भारतीय स्टेट बैंक की शाखायें

10322. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखायें हैं;

(ख) भारतीय स्टेट बैंक से वित्त लेने वाले उद्योगों का क्या स्वरूप है;

(ग) ऋणदाताओं की संख्या क्या है;

(घ) क्या किसानों तथा अन्य सम्बद्ध कृषि कार्यों में लगे लोगों को कोई वरीयता दी गई है;

(ङ) क्या 20 सूत्री-कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धन वर्गों को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जनवरी, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक ने गोवा में 41 शाखाओं की स्थापना की थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाउपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) से (च) 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को यह सलाह दी गई है कि उनके द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले कुल अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग कृषि को मिले । उनको यह सलाह भी दी गई है कि उनके द्वारा कृषि और अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों को दिए जाने वाले कुल ऋण के लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के कमजोर वर्गों को दिया जाए और लघु उद्योगों को इस क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल अग्रिमों का कम से कम 12.5 प्रतिशत प्राप्त हो । कमजोर वर्गों में औरों के साथ-साथ 5 एकड़ तथा उससे कम जोत वाले छोटे तथा सीमांतिक किसान और भूमिहीन मजदूर तथा ऐसे व्यक्ति जो तत्सम्बन्धी कार्यकलापों में लगे हुए हों और जिनकी ऋण सीमा 10 हजार रुपये से अनधिक हो; और ऐसे सभी लघु औद्योगिक एकक जिनकी ऋण सीमायें 25 हजार रुपए से अनधिक ही शामिल है । बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 1 प्रतिशत विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दें ।

सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पहले से रिक्त पड़े आरक्षित स्थान

10323. श्री टी० नागरत्नम : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973 से अब तक सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया में लिपिकीय, अधीनस्थ और अधिकारी संवर्ग के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पहले से रिक्त पड़े आरक्षित स्थान वर्षवार और क्षेत्रवार कितने हैं;

(ख) क्या अधिकारी संवर्ग में रिक्त स्थानों को कम करने के लिए बैंक ने कोई अखिल भारतीय सेवा परीक्षा आयोजित की थी;

(ग) क्या इस भारी बकाये (बैंक लाभ) को पूरा करने के लिए बैंक ने केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए एक विशेष अखिल भारतीय सेवा परीक्षा शीघ्र ही आयोजित करने का प्रस्ताव किया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैंक ने सभी संवर्गों में यह बकाया पूरा करने के लिए कोई प्रयास किए, यदि हां, तो क्या, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) सभी संवर्गों में अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कितने पदों को 1973 से अब तक वर्षवार, श्रेणी वार और क्षेत्रवार अनारक्षित किया गया तथा इसके क्या कारण हैं: और

(च) क्या 20 दिसम्बर, 1975 की पदोन्नति नीति के अन्तर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों की लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के आधार पर लिपिकीय संवर्ग का बकाया पूरा किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (च) यथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा होटलों का निर्माण

10324. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक में होटलों के निर्माण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से बातचीत कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम/कर्नाटक राज्य सरकार इक्विटी पार्टिसिपेशन आधार पर संयुक्त सेक्टर के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में कुछ केन्द्रों में होटल स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। सहयोग की शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के लिए बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लि० पर मुकदमा चलाया जाना

10325. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो से विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड पर बम्बई न्यायालय में मुकदमा चलाया है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम में यह उपबन्ध है कि जहां विभागीय कार्यवाही की गई हो, वहां कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता;

(ग) जैसा कि दिनांक 14 मार्च, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर से स्पष्ट है कि बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है और जुर्माना किया गया है तो वे नए तथ्य क्या हैं जिनके कारण न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए क्या और कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) जी, हां। मेसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा इसके दो निदेशकों अर्थात् सर्वश्री रमेश चौहान तथा एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 23(1-क) (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की तदनुरूपी धारा 56) तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 22 और 23-ग के साथ पठित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 23(1-क) (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की तदनुरूपी धारा 56) के अन्तर्गत अपराधों के लिए अतिरिक्त चीफ मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रट, बम्बई की अदालत में 16-4-81 को एक शिकायत दायर की गई है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अधीन, जो 1-1-1974 को लागू हुआ, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। लेकिन, जिस मामले का विरोध किया गया है, उसमें उल्लंघन किए गए हैं वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 से सम्बन्धित हैं। 1947 के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, दाण्डिक कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए उन उल्लंघनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, देखिए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) और (1-क)। उल्लंघनों, जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 4(3) के उल्लंघन भी शामिल हैं, की एक श्रेणी के मामलों का न्याय-निर्णय विभागीय तौर पर किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी के उल्लंघनों के मामलों के सम्बन्ध में जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन भी शामिल है अदालत में ही अभियोग चलाने की व्यवस्था है। पहली श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उल्लंघनों के मामले के सम्बन्ध में, अधिनियम की धारा 23(घ) की उपधारा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि जांच की किसी अवस्था पर मामले की परिस्थितियों को देखते हुए प्रवर्तन निदेशक की यह राय हो कि यह अर्थ दण्ड, जिसको लगाने के लिए वह प्राधिकृत है, पर्याप्त नहीं होगा, तो वह, स्वयं कोई अर्थदण्ड लगाने के बजाय, न्यायालय में लिखित रूप में शिकायत दायर करेगा। इसलिए, इसका अर्थ यह हुआ कि उल्लंघन के किसी मामले का विभागीय तौर पर न्याय निर्णय किया जाता है तो उसी उल्लंघन के लिए न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता।

(ग) मेसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्रा० लि० और इसके दो निदेशकों, अर्थात श्री रमेश चौहान और श्री एच० एम० गोलवाला के विरुद्ध मामला विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1974 की धारा 4(3) के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित है जिसमें 25-9-78 को न्याय-निर्णय किया जा चुका है। पार्टियों ने इस न्याय-निर्णय आदेश के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड में अपील दायर की है, जो अनिर्णीत पड़ी है।

प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा शिकायत करने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से 5/4/1980 को मेसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड और इसके दो निदेशक अर्थात् श्री रमेश चौहान और श्री एच०

एम० गोलवाला के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच से इस बात का पता चला है कि मेसर्स बिसलेरी (इण्डिया) प्रा० लि० ने भारतीय रिजर्व बैंक को एक गलत बयान दिया था जो उसी की धारा 22 के अन्तर्गत और भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक अपराध है। चूंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 22 के अन्तर्गत अपराध के लिए किसी के खिलाफ न्यायालय में सिर्फ अभियोग चलाया जा सकता है और चूंकि भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराध भी अन्तर्ग्रस्त थे, इस न्यायालय में शिकायत दायर की गई जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(घ) न्यायालय तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अपीलीय बोर्ड द्वारा जब भी मामलों में निर्णय लिए जायेंगे तो उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच तीसरी बोइंग उड़ान की मांग

10326. **श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने बम्बई और अहमदाबाद के बीच तीसरी बोइंग उड़ान की मांग की है;

(ख) क्या मण्डल ने बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-वाराणसी-कलकत्ता-बम्बई सर्कुलर रूट की भी मांग की है; और

(ग) वाणिज्य मण्डल की इन मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्या इन्हें लागू किया जाएगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) इंडियन एयरलाइंस फिलहाल बम्बई-अहमदाबाद-बम्बई मार्ग पर प्रतिदिन सवेरे तथा शाम को एक बी-737 सेवा परिचालित कर रही है इस मार्ग पर तीसरी बोइंग उड़ान की व्यवस्था पर उस समय विचार किया जाएगा जब 1982 में किसी समय अतिरिक्त विमान उपलब्ध हो जाएंगे।

विमानों की तंगी के कारण इंडियन एयरलाईंस फिलहाल बम्बई-अहमदाबाद-इन्दौर-भोपाल-वाराणसी-कलकत्ता-बेम्बई सर्कुलर मार्ग पर एक नई विमान सेवा प्रारम्भ करने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा, इन्दौर विमान क्षेत्र फिलहाल बोइंग परिचालनों के उपयुक्त नहीं है।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा ट्यूब उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई

10327. **श्री मनोहर लाल सैनी : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्यूब उद्योग को कच्चे माल की सप्लाई में असफल रहने के कारण ट्यूब उद्योग को अपना उत्पादन बनाए रखने में भारी क्षति हुई है, जिसके फलस्वरूप ट्यूबों के सामान्य उपभोक्ताओं को कठिनाई उठानी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार ने ट्यूब उद्योगों को इस उद्योग की लम्बे समय से चली आ रही कच्चे माल की कमी को पूरा करने की दृष्टि से सदाशय ट्यूब उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की नीति तैयार की थी;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त (ख) में बताई गई आयात नीति को क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और इस सम्बन्ध में सरकार के आदेशों के उल्लंघन के दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य और इस्पात तथा खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) यह सच है कि 1980-81 में सेल के कारखानों में गर्म बेलित क्वायल/स्केल्प का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम हुआ है और हो सकता है कि इस कारण ट्यूब निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन वर्ष 1980-81 में इस श्रेणी का आइटम केनेलाइज्ड के रूप में आयात करने के लिए अनुमति दे दी गई है और बफर आयात की योजना के अन्तर्गत 45,000 टन का आयात करने की स्वीकृति दे दी गई।

(ख) जी, हां। 15 जनवरी, 1981 को हुई अन्तः मंत्रालय बैठक में यह फैसला किया गया था कि माध्यम अभिकरण उन पार्टियों को जिन्होंने गर्म बेलित क्वायल/स्केल्प के आयात के लिए अपने नाम उनके पास पंजीकृत करवा रखे हैं, बैक-टू-बैक आधार पर अधिकाधिक 1,50,000 टन तक आयात करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।

(ग) और (घ) पता चला है सेल को और अनुदेश जारी किए जाने के पश्चात सेल ने अप्रैल, 1981 से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों से सामान का आयात

10328. **श्री भेरावदन के० गथावी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80 और 1980-81 के वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के देशों से आयात किए गए सामान के नाम क्या हैं तथा उसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सरकारी अभिकरणों की मार्फत आयातित सामान के नाम तथा मूल्य से सम्बन्धित बातें वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय द्वारा संकलित नहीं की गई हैं। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों से 1979-80 में भारत के कुल आयात 1205.3 करोड़ रु० के हुए।

बिहार में बोद्धगया तथा बरभरा पहाड़ियों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधाएं

10329. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बोद्धगया तथा बरभरा पलाईयों की पहाड़ियों की यात्रा करने वाले पर्यटकों की आवास व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं के अभाव के बारे में शिकायतों की सरकार को जानकारी है: और

(ख) इन स्थानों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा बिहार में बोद्धगया और बरभरा हिल में आवास की कमी और अन्य सुविधाओं के बारे में कोई खास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बोद्धगया में भारत पर्यटन विकास निगम की पहले से ही विद्यमान 12 कमरे वाले अपने यात्रा गृह में 25 कमरे और जोड़ने की योजनाएं हैं। पर्यटन विभाग ने बोद्धगया की मास्टर प्लान तैयार कर ली है। धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए अन्य आवास सुविधाओं के साथ-साथ, बोद्धगया में एक टूरिस्ट काम्पलैक्स विकसित करने का प्रस्ताव है।

सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल

10330. **श्री वी० एन० गाडगिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1962 की संशोधित धारा 129 के अन्तर्गत सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है;

(क) यदि हां, तो यह कहां पर स्थित है; और

(ख) इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन शीघ्र किया जायेगा। इसके गठन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। न्यायाधिकरण की कुछ केन्द्रीय पीठें नई दिल्ली में तथा प्रादेशिक पीठें कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में रखने का प्रस्ताव है।

40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी शेयरधारी कम्पनियां

10331. **श्री राम विलास पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी शेयरधारी उन कंपनियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके बारे में सरकार के पास ए० एस० आई० शिड्यूल के अधीन जानकारी उपलब्ध है और उक्त जानकारी किन-किन वर्षों से संबंधित है;

(ख) क्या उक्त जानकारी को कम्प्यूटर टेप पर रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जानकारी को कम्प्यूटर से छापने और सभा पटल पर रखने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें ऐसी कंपनियों के नाम हैं जिनमें इस समय 40 प्रतिशत से ज्यादा अनिवासी सामान्य शेयरधारिता (इक्विटी) है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2569/81] यह जानकारी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंधों के संदर्भ में इकट्ठी की गई है, ए० एस० आई० प्रयोजनों के लिए नहीं।

(ख) तथा (ग) यह जानकारी इतनी ज्यादा भारी नहीं है कि इसे कंप्यूटरबद्ध किया जाए।

गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की शाखाओं में काम कर रहे ब्रांच मैनेजर

10332. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में भारतीय स्टेट बैंक, सौराष्ट्र के स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा देना बैंक की शाखाओं में काम करने वाले ब्रांच मैनेजरों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक किस स्थान का रहने वाला है तथा वे नाम इन ब्रांचों में कब से काम कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन ब्रांच मैनेजरों का पता लगाने के लिए जांच की है जो अपनी पत्नियों/परिवार के सदस्यों के नाम से नमक उद्योग चला रहे हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान

उन्हें नमक उद्योगवार कितनी नमक किस आधार पर दी गई है तथा उन नमक उद्योगों के क्या नाम हैं जिन्हें उक्त बैंकों के इन ब्रांच मैनेजरों ने प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिए हैं और इस का पूरा ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

अखिल भारतीय श्रद्धानन्द न्यास, नई दिल्ली

10333. **आचार्य भगवान देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय श्रद्धानन्द न्यास, जोर बाग, नई दिल्ली के चेयरमैन ने पटौदी हाऊस, दरियागंज, नई दिल्ली स्थित न्यास की सम्पत्ति को अपने नाम में स्थानान्तरित करा लिया है और इसे अन्य व्यक्ति को बेच दिया है;

(ख) क्या इस न्यास का कोषाध्यक्ष, जोरबाग में न्यास की विशाल सम्पत्ति को पास के एक व्यक्ति को, जो इस में किराए पर रह रहा है, बहुत कम कीमत में बेचने का प्रयास कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सार्वजनिक न्यास को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) आयकर के रिकार्डों के अनुसार अखिल भारतीय श्रद्धानंद ट्रस्ट, नई दिल्ली के नाम से ऐसा कोई संगठन नहीं है, जिसका न्यास सर्किल, नई दिल्ली में कर निर्धारण किया गया हो । हालांकि, श्रद्धानंद सेवा संघ, जोरबाग, नई दिल्ली के नाम से एक संगठन है । इस न्यास के कर निर्धारण रिकार्डों में, भाग (क) और (ख) से संबंधित कोई सूचना नहीं है, क्योंकि 31-3-1978 की उस तारीख के बाद की अवधि के संबंध में आय की कोई विवरणियां दाखिल नहीं की गई हैं, जिस तारीख को संघ के तुलन-पत्र में दोनों सम्पत्तियां प्रकट की गई हैं ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की राशन की दुकान के प्रबन्धक द्वारा सार्वजनिक धन का दुर्विनियोग किये जाने के बारे में अभ्यावेदन

10334. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की राशन की दुकान के प्रबन्धक द्वारा सार्वजनिक धन के दुर्विनियोग और अधिकार के दुरुपयोग किये जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में गहराई से जांच करने का आदेश देने पर विचार कर रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस्को के सतर्कता विभाग ने प्रारम्भिक जांच की है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने यह सूचित किया है कि उनका विचार है कि इस मामले की जांच का काम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाए।

संचयोता द्वारा सिंडीकेट बैंक में रखी गई धनराशि

10335. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचयोता ने 10 करोड़ रु० से अधिक की धनराशि जाली नाम (अवुथुने) में सिंडीकेट बैंक में रखी थी और क्या यह भी सच है कि सिंडीकेट बैंक में यह खाता संचयोता मामले के एक अभियुक्त श्री शम्भू मुखर्जी द्वारा परिचय देने पर खोला गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नवम्बर, 1980 में यह धनराशि निकलवा ली गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कथित श्री शम्भू मुखर्जी ने भारी धनराशि सिंडीकेट बैंक की साउथ ओनली बम्बई शाखा के पास रखी थी ;

(घ) क्या जाली और काले धन के रिलीज किये जाने पर रोक लगाने के लिए बैंक राजस्व आसूचना विभाग के लोगों के साथ किन्हीं सन्देशों का आदान-प्रदान करते हैं : और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) (क) से (ग) इस प्रश्न का सम्बन्ध एक ऐसे मामले से है जो उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन है और इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) जब कभी आवश्यक होता है, सरकारी क्षेत्र के बैंक, कानून बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए, सम्बंधित एजेंसियों को यथावश्यक संगत सूचनाएं उपलब्ध करते हैं।

एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को हांगकांग तैनात किया जाना

10336. **श्री डी० पी० यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ओवरसीज बैंक ने वर्ष 1979 में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी को हांगकांग में तैनात किया था ;

(ख) यदि हां, तो अन्य अनेक अधिकारियों के दावे की अवहेलना करके एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को हांगकांग तैनात किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस परिवीक्षाधीन अधिकारी का चयन परीक्षा तथा साक्षात्कार के बगैर किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इण्डियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिसम्बर 1978 में हांगकांग में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को ड्यूटी पर तैनात किया था। यह अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर था तथा 1979 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में ही हांगकांग शाखा में कार्यरत था।

(ख) से (घ) बैंक ने बताया है कि उसकी हांगकांग शाखा में योग्यता प्राप्त अधिकारियों की दुर्लभता उपलब्धता को ध्यान में रखकर, उसने विदेशी मुद्रा परिचालनों के कारबार के लिए वहां तैनात किये जाने के वास्ते, विशेष रूप से भारत में इस अधिकारी को सामान्य परिवीक्षा पर भर्ती किया था। विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस अधिकारी की नियुक्ती, साक्षात्कार के पश्चात् तथा बैंक के निदेशक मण्डल के अनुमोदन से की गई थी।

चीनी का निर्यात

10337. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने से पहले चीनी की कितनी मात्रा का निर्यात किया जाना था ;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की वसूली होनी थी ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में चीनी का निर्यात किया जाएगा अथवा नहीं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) (क) : चीनी के निर्यात पर रोक लगाने से पूर्व कुल 2.30 लाख मी० टन चीनी निर्यात किये जाने की अपेक्षा की गई थी।

(ख) विदेशी मुद्रा प्राप्ति लगभग 125 करोड़ रु० रहेगी।

(ग) इस समय चीनी के निर्यात पर रोक है।

'लीडर एण्ड भारत' समाचार पत्र निकालने वाले संगठन द्वारा चल और अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण

10338. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संगठन ने जो इलाहाबाद से 'लीडर एण्ड भारत' दैनिक समाचार पत्र, निकल रहा था, जिसका प्रकाशन अब बन्द हो गया है, इन दैनिक पत्रों से हुई आय से बड़ी चल तथा अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या बिड़ला बन्धु इस सम्पत्ति को हड़पना चाहते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1979 तथा 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार मेसर्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड के तुलन-पत्र से यह पता नहीं चलता कि उसकी चल तथा अचल सम्पत्तियों में कोई भारी वृद्धि हुई हो।

(ग) बिड़ला बन्धुओं द्वारा सम्पत्ति हड़प लिए जाने के बारे में मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल का गठन

10339. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल का गठन कब किया गया था ; और

(ख) भारतीय पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल का अब तक गठन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक-मण्डल को 28-3-1981 से पुनर्गठित कर दिया गया है।

मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, अमरोहा (उत्तर प्रदेश)

10340. **श्री भीखा भाई**
श्री धर्मदास शास्त्री) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, अमरोहा (उत्तर प्रदेश) किस तारीख को स्थापित हुई थी और उसके क्या कृत्य हैं ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने कोई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लाइसेंस प्राप्त किया है ;

(ग) इस कम्पनी ने उत्पादन कब शुरू किया ; और

(घ) इस कम्पनी द्वारा अब तक उत्पाद शुल्क के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के प्रयोजनार्थ, मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, अमरोहा (उ० प्र०) 14-12-1972 को आस्तित्व में आई तब उसने अमरोहा तथा नवगवान में स्थित तम्बाकू के गोदामों के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लाइसेंस प्राप्त किए। उसने इन दोनों स्थानों पर बीड़ी के निर्माण के निमित्त भी 14.4.1975 को लाइसेंस प्राप्त किए हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा अमरोहा तथा नवगवान स्थानों पर स्थित दोनों एककों के बारे में तम्बाकू एवं हस्त-निर्मित ब्राण्डवाली बीड़ी पर अलग-अलग अदा किया गया केन्द्रीय उत्पादक शुल्क :—

वर्ष	तम्बाकू	हस्तनिर्मित ब्राण्ड वाली बीड़ी	टिप्पणी
	रुपये	रुपये	
1972-73	43,153.75	—	
1973-74	266,473.36	—	
1974-75	314,231.05	9,697.86	बीड़ी पर 1.3.1975 से शुल्क अदा किया गया था।
1975-76	256,873.90	273,642.95	
1976-76	264,271.40	265,803.55	
1977-78	271,987.33	418,982.61	
1978-79	247,847.03	515,793.72	
1979-80	—	894,1602.0	तम्बाकू पर शुल्क 1·3·1979 से हटा दिया गया था।
1980-81	—	976,516.97	

कम्पनी, बीड़ी का निर्माण 1.3.1975 से पहले से करती आ रही थी और उसने बीड़ी पर शुल्क 1.3.1975 से अर्थात् हस्तनिर्मित बीड़ी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने की तारीख से अदा करना शुरू किया।

'हाइप आफ सोवियत बुक्स' शीर्षक से समाचार

10341. **श्री सूरजभान** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1981 के 'नेशनल हिराल्ड' में हाइप आफ सोवियत बुक्स, शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है जिनसे पुस्तकों की दुकान का मालिक सोवियत रूस से पुस्तकों का आयात करने के लिए धन प्राप्त करता है ;

(ग) क्या इस पुस्तक दुकान के मालिक की पुस्तकों के आयात के लिए लाइसेंस दिया गया है और यदि हां, तो इससे भारतीय प्रशासकों और प्रकाशन उद्योग पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का ब्योरा क्या है और सरकार अन्य प्रकाशन ग्रहों की रक्षा किस प्रकार से कर रही है ; और

(घ) देश के अन्य भागों में स्थित ऐसी ही अन्य पुस्तक दुकानों का ब्योरा क्या है, उनकी आस्तियों का ब्योरा क्या है, पुस्तकों के आयात पर खर्च होने वाला विदेशी मुद्रा का ब्योरा क्या है और सोवियत रूस का हिस्सा कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) आयात नीति में जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है, निर्धारित कुछ शर्तों के अनुसार शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों और पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को अनुमति है।

आयात नीति में पुस्तक विक्रेताओं को आयात लाइसेंस दिये जाने का भी प्रावधान है ताकि वे उन पुस्तकों का आयात कर सकें जो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आतीं। आयात लाइसेंसों के ब्योरे मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात द्वारा जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेन्सों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित होते हैं।

आयात आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते।

व्यापारियों को आयात लाइसेंस देते समय उनकी परिसम्पत्तियों और इस स्रोत के बारे में विचार नहीं किया जाता जिससे वे आयात की वित्त व्यवस्था करेंगे।

पुस्तकों के आयात के लिए नीति बनाते समय, भारतीय प्रकाशन उद्योग पर इसके प्रभाव को और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। सरकार को भारतीय प्रकाशकों पर वर्तमान आयात नीति के किसी प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी नहीं है।

नई वस्त्र नीति

10342. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार की नई वस्त्र नीति से खादी तथा सम्बद्ध उत्पादों के संवर्धन पर कुछ अर्थों में बुरा प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तथा सरकार का विचार वस्त्र नीति में कुछ संशोधन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वस्त्र नीति की मुख्य-मुख्य बातों का आमतौर पर स्वागत किया है और इस नीति में वस्त्र उत्पादन कार्यक्रमों में खादी क्षेत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों के हितों को सुव्यवस्थित रूप से शामिल किये जाने पर खुशी जाहिर की है। हालांकि वस्त्र नीति के कुछ पहलुओं के बारे में उनके अपने विचार हैं, परन्तु उन्होंने इस नीति में संशोधन करने की कोई बात नहीं की है।

वस्त्र नीति के संशोधन के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्थापना नहीं है। वस्त्र नीति को क्रियान्वित करने के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के विचारों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक के कर्मचारियों पर किया गया व्यय

10343. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या वित्त मंत्री सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वेतन और अन्य सुविधाओं के रूप में प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर अलग-अलग वर्षवार किये गए कुल खर्च की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : एक विवरण-पत्र सभापटल पर रखा जाता है।

1976-77 से 1978-79 तक की अवधि के दौरान श्रेणी I से श्रेणी IV तक के केन्द्रीय सरकारी असैनिक कर्मचारियों पर उनके वेतन तथा अन्य सुविधाओं के रूप में किया गया कुल

वार्षिक व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	श्रेणी I से श्रेणी IV तक के कर्मचारियों के सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय करोड़ों रुपयों में		
	वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता)	अन्य सुविधाएं (मकान किराया भत्ता + प्रतिपूर्ति नगर भत्ता + अन्य भत्ते	जोड़
1	2	3	4
1976-77	1713.46	213.12	1926.58
1977-78	1788.46	230.53	2018.99
1978-79	1885.90	268.32	2154.22

उपर्युक्त व्यय अलग-अलग कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं हैं।

2. तथापि 31 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार ग्रुपवार पदों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के असैनिक नियमित कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

पदों का ग्रुप	संख्या
क	37,558
ख	60,984
ग	16,65,998
घ	13,21,131
अवर्गीकृत/जिनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं	15,709
जोड़ :	31,01,380

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

10344. श्री नन्दकिशोर शर्मा)
श्री तारिक अनवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करने सम्बन्धी प्रथा को लगभग समाप्त कर दिया गया है : और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है और वे किन-किन पदों पर नियुक्त हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) : सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार जब तक कि कोई बाहरी विशिष्ट उम्मीदवार सुलभ न हो तो रिक्तियां सरकारी उद्यमों के भीतर से ही प्रोन्नति द्वारा भरी जाती हैं। यदि आंतरिक उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों में काम करने वाले उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जाती है। इन स्रोतों से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र आदि जैसे अन्य स्रोतों से नियुक्तियां की जाती हैं। तदनुसार इन पदों के लिए सरकारी क्षेत्र, अन्य सरकारी सेवाओं और गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विषय में विचार किया जाता है तथा किसी विशेष पद के लिए जिस प्रकार की अर्हता वाला व्यक्ति आवश्यक हो, उसके अनुसार शीर्ष पदों के लिए चयन किया जाता है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कार्यनिदेशकों के कुल लगभग 400 पदों में से, इस समय केवल 14 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, जो इन पदों पर कार्य कर रहे हैं। इन अधिकारियों की सूची अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

1. श्रीमती अन्ना आर० मल्होत्रा,
अध्यक्ष,
राज्य फार्म्स निगम और राष्ट्रीय बीज निगम

2. श्री टी० बलरामन,
प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय बीज निगम

3. श्री एन० लूथर,
प्रबन्ध निदेशक,
भारत लेदर कारपो० (अब सी० एम० डी०)

4. श्री आर० एस० पाल,
प्रबंध निदेशक,
हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एच० एच० ई० सी०)

5. श्री एस० रमानाथन,
अध्यक्ष,
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि०

6. श्री मूसा रजा,
प्रबंध निदेशक,
नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०

7. डा० टी० जी० के० चार्ल्स,
प्रबन्ध निदेशक,
ग्राम विद्युतीकरण निगम

8. श्री एस० के० मिश्र,
अध्यक्ष,
भारत पर्यटन विकास निगम

9. श्री सुरेन्द्र सिंह,
प्रबन्ध निदेशक,
व्यापार मेला प्राधिकरण

10. श्रीमती मलाती टाम्बे बैद्य,
प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

11. श्री यू० एस० श्रीवास्तव,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
दिल्ली परिवहन निगम

12. श्री के० वी० सेशाड़ी
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम

13. श्री के० राजन
प्रबन्ध निदेशक,
राज्य फार्म्स निगम

14. श्री एन० के० भारद्वाज,
कार्यकारी निदेशक,
राज्य व्यापार निगम

ओटोमोबायल फैन बैल्ट्स का आयात

10345. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 से अब तक आयात की गई ओटोमोबायल फैन बैल्ट की मात्रा क्या है तथा मूल्य कितना है;

(ख) उन पार्टियों के नाम पते क्या हैं जिन्होंने ओ० जी० एल० अथवा आर० ई० पी० योजनाओं के अन्तर्गत फैन बैल्ट का आयात करने अथवा फैन बैल्ट का आयात करने में सक्षम होने के लिये आयात लाइसेंस प्राप्त किये;

(ग) मोटर वाहनों की मांग तथा सप्लाई की तुलना में ओटोमोबाइल फैन बैल्ट का वर्तमान स्तर क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि मंझौले क्षेत्र में उत्पादित ओटोमोबाइल फैन बैल्ट अवरुद्ध हो गई हैं और इस तरह के एककों पर आवश्यक निर्यात बाध्यता लागू कर दी गई है और साथ ही आयात किया जा रहा है; और

(ङ) क्या इस तरह की उन ओटोमोबाइल फैन बैल्ट के आयात ने जो लघु क्षेत्र के आरक्षित की गई है, लघु क्षेत्र में फैन बैल्ट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस मद के लिये अलग से आयात आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ख) आयात लाइसेंसों के ब्यौरे मुख्य नियन्त्रक, आयात व निर्यात द्वारा जारी किये जाने वाले आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों और औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किये जाते हैं ।

आयात आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते ।

(ग) देश में उत्पादन क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(घ) इस पद के लिए अपनाई गई यह सामान्य नीति नहीं है । तथापि, एक मामले में फैन बैल्ट का वार्षिक उत्पादन उनके पिछले शीर्ष उत्पादन पर आधारित स्तर पर अवरुद्ध हो गया था लेकिन फैन-बैल्टस के उत्पादन पर कोई अतिरिक्त निर्यात बाध्यता लागू नहीं की गई थी ।

(ङ) इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा फेबरीकेटेड यूनियन रिंग के लिए मेसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड को क्रयादेश दिया जाना

10346. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने मेसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड को 19,68,750 रुपए की लागत से फेबरीकेटिड ट्रुनियन रिंग के एक सैट के लिए क्रयादेश दिसम्बर, 1975 में दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नवम्बर 1977 में इसी फर्म को एक और वैसा ही सेट की तत्काल खरीद के लिए क्रयादेश बिना प्रतियोगी बाजार भाव मंगाए दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस रिंग की अनुमानित लागत का मूल्यांकन पहले ही विस्तार से किया था और यह बताया था कि इस रिंग का निर्माण इसी संयंत्र में दो लाख रुपए से भी कम लागत में किया जा सकता है;

(घ) उक्त फर्म ने उपरोक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए क्रय आदेश के सम्बन्ध में कितनी प्लेटों की मांग की थी और वास्तव में उसे कितनी प्लेटों की सप्लाई की गई;

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले में की जा रही जांच स्थगित कर दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) मन्त्रालय के ध्यान में लाए गए कुछ आरोपों के आधार पर यह मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को परामर्श के लिए भेज दिया गया है ।

लोह अयस्क की खानों को पट्टे पर देने के लिए आवेदन पत्रों पर स्वीकृति

10347. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सिंचाई और बिजली राज्य मंत्री श्री निरंजन पटनायक लोह अयस्क की खानों के पट्टाधारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस बारे में आवेदन पत्र पर अपनी स्वीकृति दी थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने श्री निरंजन पटनायक के पक्ष में निम्नलिखित खनन पट्टे मंजूर किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

1. 16/17.6.1971 को जिला क्योंझर के चम्पुआ सब डिवीजन में 41 एकड़ क्षेत्र में लौह अयस्क के लिए खनन पट्टा।

2. 3.5.1971 को जिला क्योंझर में ठुकरानी आरक्षित वन में 300 एकड़ क्षेत्र में लौह अयस्क का खनन पट्टा।

3. 31.1.1978 को जिला क्योंझर में ग्राम जोरूरी में 164 एकड़ क्षेत्र में लौह और मैंगनीज अयस्क हेतु खनन पट्टा।

सरकारी उद्यमों द्वारा प्रचार एवं विज्ञापनों पर व्यय

10348. **श्री अजय विश्वास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उद्यमों में पिछले दो वर्षों के दौरान प्रचार और विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : पिछले दो वर्ष के दौरान सरकारी उद्यमों में प्रचार एवं विज्ञापन पर किए गए खर्च के बारे में उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापनों एवं प्रचार पर किए गए खर्च का विवरण :—

(लाख रुपए)

उपक्रम का नाम	1979-80	1980-81
1. आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कं०	0.65	0.81**
2. भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लि०	5.72	5.86**
3. भारत गोल्ड माइन्स लि०	1.53	4.55**
4. ब्रेथवेट एण्ड कं० लि०	0.28	0.41**

1	2	3
5. ब्रिज एण्ड रूफ कं० लि०	1.72	1.75**
6. सेंण्ट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन	3.19	4.33**
7. सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	5.49	6.00**
8. केन्द्रीय भाण्डागार निगम	0.99	1.50**
9. कोल इण्डिया लि०	15.67	13.62
10. कोचीन शिपयार्ड लि०	0.10	0.27
11. भारतीय रूई निगम लि०	0.008	*
12. दिल्ली परिवहन निगम	1.69	2.66**
13. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	2.63	3.50**
14. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	41.33	24.23**
15. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि०	11.28	8.70**
16. फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया	13.41©	9.03©
17. फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डिवेलपमेंट) इण्डिया लि०	13.55	8.00**
18. भारतीय खाद्य निगम	28.39	48.78
19. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०	12.09	9.91**
20. भारतीय सामान्य बीमा निगम	8.24	8.79
21. भारी इंजीनियरी निगम	2.23	2.54
22. हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि०	7.33	5.66**
23. एच० एम० टी० (इण्टरनेशनल) लि०	8.90	9.40
24. हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस् मैं० कं०	20.02	21.19
25. हिन्दुस्तान प्रिफेब लि०	शून्य	0.04

1	2	3
26. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	0.19	0.16
27. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	1.05	0.97
28. इण्डियन एयरलाइन्स	38.79	45.00••
29. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स	30.51	•
30. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि०	1.85	1.90
31. कुद्रेमुख आइरन ओर कम्पनी लि०	2 69	2.60
32. मैंगनीज ओर इण्डिया लि०	3.41	1.43
33. माझगांव डाक लि०	9.99	11.10••
34. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लि०	7.84	6.25••
35. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	0.20	1.62
36. खनिज गवेषण निगम लि०	1.10	1.49
37. खनिज एवं धातु व्यापार निगम	5.33	13.30
38. मिश्र धातु निगम लि०	3.83	5.35
39. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन	0.29	3.18••
40. मुगल लाइन्स लि०	0.94	1.16••
41. नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	5.65	7.42
42. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	0.24	0.06••
43. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	0.56	0.79
44. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	3.53	5.08
45. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम	2.52	•
46. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	0.93	0.75

1	2	3
47. राष्ट्रीय बीज निगम लि०	2.48	•
48. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	5.90	3.03••
49. नेशनल टेक्सटाइल कारपो० (उ० प्र०)	0.69	•
50. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा)	0.93	2.05
51. नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	11.72	23.57
52. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि०	18.25	18.45
53. ओरियण्टल फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस	6.91	2.67
54. प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन	0.78	0.99
56. रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसेज लि०	1.30	1.58
56. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	61.97	52.71
57. सांभर साल्ट्स लि०	0.005	0.006
58. स्कूटर इण्डिया लि०	14.57	10.65••
59. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०	7.46	8.20
60. जल एवं बिजली परामर्शदायी सेवाएं (इण्डिया) लि०	1.11	0.79••

• लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

© आंकड़े केवल केन्द्रीय कार्यालय और उनके रामगुण्डम एकक से संबंधित हैं।

•• अनन्तिम आंकड़े

नई आयात नीति के विरुद्ध शिकायतें

10349. **श्री जेवियर अराकल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तिम आयात नीति की घोषणा कब की गई थी और यह पहली नीति से किस प्रकार भिन्न है; और

(ख) नई आयात नीति के विरुद्ध क्या शिकायतें हैं और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) 1981-82 लिए आयात नीति 3 अप्रैल, 1981 को घोषित की गई। आयात नीति की एक प्रति लोक सभा के पटल पर रखी गयी थी।

आयात नीति की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

अनेक अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन पर सतत रूप में विचार किया जाता है और उन पर यथावश्यक निर्णय लिए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1981-82 के लिए आयात नीति की मुख्य बातें

वर्ष 1981-82 के लिए आयात नीति तैयार करते समय सरकार ने आयातों पर निर्भरता कम करने और देश में उत्पादन क्षमता का पूर्णरूपेण उपयोग सुकर बनाने के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखा है। जब कि स्वदेशी उद्योग को संरक्षण देने के बारे में मुख्य रूप से ध्यान रखा गया है, आयात की अनुमति उस सीमा तक दी जाएगी जितनी सीमा तक देश में उपलब्ध माल मांग की पूर्ति न कर सके। नीति का उद्देश्य यह भी है कि विविधीकृत और परिवर्द्धित उत्पादन आधार को प्रोत्साहन मिले और साथ ही हमारे निर्यात प्रयासों को तीव्र बल भी मिले।

2. खुले सामान्य लाइसेंस के क्षेत्राधिकार में से कच्चे माल, संघटकों और मशीनरी की 165 मदों को निकाल लिया गया है। इसी प्रकार, निषेध सूची में 42 मदों को शामिल किया गया है।

3. साथ ही, कच्चे माल, मशीनरी और संघटकों की 63 मदों को खुले सामान्य लाइसेंस में रखा गया है ताकि स्वदेशी उद्योग बिना कठिनाई के आवश्यक चीजें प्राप्त कर सकें।

4. लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र के लिए नीति काफी उदार बना दी गई है। इस प्रकार के एकक कच्चे माल और संघटकों के लिए अधिक से अधिक एक लाख रु० तक के मूल्य के आयात लाइसेंस पुनरावृत्ति आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे लघु उद्योग क्षेत्र के 4000 से भी अधिक एककों को लाभ पहुंचेगा।

5. निर्यात में अंशदान करने वाले औद्योगिक एककों को अपने आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों का प्रयोग करने में अपेक्षाकृत अधिक लोचशीलता का लाभ मिलेगा। उनकी इन लाइसेंसों के आधार पर, निर्यातित उत्पादों से सम्बन्धित मदों का आयात करने की ही अनुमति नहीं होगी बल्कि उन्हें अपने उत्पादन की प्रक्रिया में काम आने वाले कच्चे माल एवं संघटकों की किन्हीं अन्य मदों का आयात करने की भी अनुमति होगी।

6. व्यापार सदनों की एक नई श्रेणी आरम्भ की गई है। जिन निर्यात सदनों ने 3 साल की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक निर्यात किया है और उनके पास क्वालटी नियंत्रण के लिए आवश्यक तकनीकी संसाधन और प्रबन्ध हैं वे व्यापार सदन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के पात्र होंगे। पात्रता के लिए चुनिन्दा उत्पादों के सम्बन्ध में कम से कम 10 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन की शर्त निर्धारित की गई है। यह भी शर्त रखी गई है कि इसमें से कम से कम 10 प्रतिशत वस्तुएं लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र की बनी हुई होनी चाहिए। इन व्यापार सदनों से यह आशा की जाएगी कि वे अन्य निर्यात सदनों के मुकाबले में निर्यात में कम से कम 50 प्रतिशत की अधिक वृद्धिदर दिखाए। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आयात नीति में उनके लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

7. आयात कम करने की आवश्यकता को देखते हुए निर्यात सदनों को जारी किए गए अतिरिक्त लाइसेंसों की मात्रा कम की गई है। तथापि, यह कटौती निर्यात सदनों के रूप में पंजीकृत लघु एककों पर लागू नहीं होगी।

8 निर्यात सदनों और राज्य लघु उद्योग निगमों को नई भूमिका सौंपी गई है। कुछ ऐसा कच्चा माल अभिज्ञात किया गया है जिसकी आवश्यकता सामान्यत: लघु तथा कुटीर उद्योग एककों को होती है। कच्चे माल की इन चीजों को उनके द्वारा आयात किए जाने के लिए एक पृथक खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है ताकि वास्तविक प्रयोक्ताओं को उनका वितरण किया जा सके।

9. आर० ई० पी० लाइसेंसों की शुल्क मुक्त योजना संशोधित की गई है। अब वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त हटा दी गई है और अन्य आर० ई० पी० लाईसेंसों की तरह ये लाइसेंस हस्तान्तरणीय होंगे। इस योजना में एक नया उत्पाद अर्थात हाथ से गांठ लगाकर बनाए जाने वाले ऊनी कालीनों को जोड़ा गया है। इस मद के समावेश तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त को निकालने से विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग क्षेत्र से अधिक निर्यात सृजित होने की संभावना है और इस प्रकार शिल्पकारों तथा लघु एककों को लाभ पहुंचेगा।

10. सीमा शुल्क छूट के लाभ सहित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली नई मदों को जोड़ कर विस्तार किया है। इस योजना में क्रियाविधि संबंधी बहुत से सुधार भी किए गए हैं ताकि अग्रिम लाइसेंसों के मंजूर किए जाने में लिए जाने वाले समय को कम किया जा सके।

11. पहले ही सृजित पूंजी आस्तियों के समुचित रख-रखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पुर्जा सम्बन्धी आयात नीति उदार बनी रहेगी।

12. मुख्य सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए आयात नीति को और उदार कर दिया गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की सुविधा कोल इंडिया, नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन तथा दूरदर्शन केन्द्रों को दी गई है। रक्षा उपक्रमों, रेलवेज तथा विभागीय रूप से चलाए

जा रहे अन्य उपक्रमों को अन्य वास्तविक प्रयोक्ताओं की तरह खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पूंजीगत माल की मदों का आयात करने की अनुमति दी गई है।

13. सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण विदेश व्यापार में प्रमुख भूमिका अदा करते रहेंगे। उन्हें उन गैर-सरणीबद्ध मदों के लिए जिन्हें अन्य आयातक खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात कर सकते हैं, आगे से आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनके द्वारा सरणीबद्ध मदों की सूची को भी समीक्षा की गई है और कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

बिजली की कमी पर काबू पाने के लिए द्रुत कार्यक्रम शुरू किया जाना

10350. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने बिजली की गम्भीर कमी; जिसने गत कुछ वर्षों के दौरान इसकी उत्पादकता को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है, पर काबू पाने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इसके लिए अनुमति दे दी गई है;

(ग) द्रुत कार्यक्रम का ब्योरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य में, राज्यवार, इस प्रकार के द्रुत कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे; और

(ङ) उनमें से कितने केवल कर्नाटक राज्य में शुरू किए जायेंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम अपनी कुछ मिलों में डीजल जनेरेटिंग सैट लगाने के लिए एक योजना चला रहा है। अप्रैल 1981 के अन्त तक 57,357 किवा के जनेरेटिंग सैटों जिनमें 1565.96 लाख रु० की परिव्यय होगी, के लगाने के लिए स्वीकृत दी जा चुकी है जिनका राज्यवार वितरण निम्नोक्त प्रकार है :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	किवा स्वीकृत	कीमत (रु० लाखों में)
1. आसाम	900	27.00
2. आन्ध्र प्रदेश	1,760	52.23
3. बिहार	1,500	45.00

1	2	3
4. गुजरात	5,564	124.63
5. कर्नाटक	4,003	1000.45
6. मध्य प्रदेश	3,000	82.00
7. महाराष्ट्र	8,510	171.55
8. पंजाब	1,250	40.85
9. राजस्थान	1,125	38.06
10. तमिलनाडु	5,100	161.80
11. उत्तर प्रदेश	11,000	319.40
12. पश्चिम बंगाल	11,950	358.50
13. देहली	575	9.13
14. पाण्डिचेरी	1,120	35.36
	57,357	1565.99

हंगारियन व्यापार योजना के अन्तर्गत मशीनों का आयात

10351. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगारियन व्यापार योजना (रुपये में भुगतान) के अन्तर्गत मशीनों के आयात के लिए 6,83,710 रुपये के लिए 17 अप्रैल, 1971 को एक लाइसेंस सं० 2062392 'साउदर्न बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड' को जारी किया गया था, जबकि मशीन का आयात ओर्टमान एण्ड हर्बस्ट (पश्चिम जर्मनी) से किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मशीन को और गैर-रुपए वाले देश से आयात किये जाने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी, जब कि लाइसेंस केवल रुपया-वाले देश से आयात करने के लिए दिया गया था ;

(ग) क्या यह मशीन अभी भी चण्डीगढ़ में कार्यरत है अथवा इसे बेच दिया गया है और यदि हां, तो क्या इससे आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन होता है ; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव इस बात का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने का है कि इस कम्पनी ने व्यापार नियन्त्रण अधिनियम के उपबन्धों का पालन क्यों नहीं किया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) मेसर्स सदर्न बोटलर्स (प्रा०) लि०, 8, मोहन सिंह बिल्डिंग, कनाट लेन, नई दिल्ली का भारत-हंगरी व्यापार योजना उपबन्ध, 1971 के अन्तर्गत हंगरी से 6,83,710 रु० मूल्य की बोटलिंग मशीन आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सं० पी० सीजी० 12062392 दिनांक 17-4-1971 जारी किया गया था।

सीमा शुल्क रिकार्ड से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस लाइसेंस पर मशीनरी हंगरी से आयात की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विद्यमान मशीनरी यह पता लगाने के लिए पर्याप्त है कि क्या आयात नियन्त्रण विनियमों का उल्लंघन किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। अलग से उच्च स्तरीय जांच कराना उचित नहीं समझा जाता।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मांग-पत्र

10352. **श्री चित बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी महासंघ ने बोनस, अन्तरिम राहत और अन्य बातों सहित एक मांग-पत्र हाल ही में प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच संयुक्त सलाहकार तन्त्र के फोरम के माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कोई बातचीत की है ; और

(ग) क्या संयुक्त सलाहकार तन्त्र के माध्यम से बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी अनिर्णित मांगों के बारे में कर्मचारियों के संगठन के साथ बातचीत करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संगठनोंने 20-1-1981 को केन्द्रीय वित्त मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कुछ मांगें की गयीं थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के कर्मचारी पक्ष की एक मांग यह है कि केन्द्रीय सरकार में प्रत्येक ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारी को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के समान वर्ग के कर्मचारियों की तुलना में उनके वेतन में असमानता को दूर करने के लिए उन्हें मुआवजे के रूप में 150रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त वेतन दिया जाए। यह मांग राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र) के विचाराधीन है। 344 के सूचकांक औसत स्तर तक स्वीकृत किए गए मंहगाई भत्ते को सभी प्रयोजनों के लिए वेतन के साथ मिलाने के बारे में कर्मचारी पक्ष द्वारा राष्ट्रीय परिषद में रखी गई मांग, इस मामले पर विचार करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद की समिति के विचाराधीन है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) कर्मचारी पक्ष द्वारा की गई मांगों के बारे में संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र योजना के अन्तर्गत कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष के बीच पहले ही बातचीत की व्यवस्था की गई है।

फर्मों के सपुर्दगी, परमिट गलत पते पर भेजना

10353. श्री नवल किशोर शर्मा)
श्री अशोक गहलोत) : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायत सरकार के नोटिस में आई है कि इस्पात उत्पादक एककों जिनमें "सेल" "टिस्को" आदि शामिल हैं—के डिस्पेच क्लर्क सुपुर्दगी परमिट सम्बद्ध फर्मों के पतों पर नहीं भेजते हैं और उसके बजाय वे उन्हें गलत पतों पर दूसरी फर्मों को भेजते हैं जहां से ये व्यक्ति सम्बद्ध फर्मों की सांठ-गांठ से परमिट के एवज में माल उठा लेते हैं और उसे काले बाजार/खुले बाजार में बेच देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस तरह की अनियमिताओं को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस उपाय किए हैं ; और

(ग) यदि इस तरह के उपाय नहीं किए गए हैं तो उसके क्या-क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) इस प्रकार की विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सोवियत रूस और अमरीका को प्रक्षालकों 'डिटरजेंटों का निर्यात

10354. श्री अरविन्द नेताम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रक्षालकों (डिटरजैन्टों) के सबसे बड़े उत्पादक मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को करोड़ों रुपये मूल्य का माल सोवियत रूस और अमरीका को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस माल को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात न किए जाने के क्या कारण हैं ।

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) संश्लिष्ट प्रक्षालकों (डिटरजैन्टों) का निर्यात नियंत्रणाधीन नहीं है तथा अनेक विनिर्माता निर्यातक मुख्य रूप से सोवियत संघ को इस उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । वर्ष 1980 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० ने सोवियत संघ को पर्याप्त मात्रा में इन उत्पादकों का निर्यात किया है । उस अवधि में उन्होंने सं० रा० अमरीका को कोई निर्यात नहीं किया है ।

(ख) निर्यात नीति के अनुसार संश्लिष्ट प्रक्षालकों का निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० की मार्फत सरणीबद्ध नहीं है ।

कपड़े की निर्यात की जाने वाली किस्मों का उत्पादन

10355. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े की निर्यात की जाने वाली किस्मों का उत्पादन शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्पादन में किस प्रकार विविधता लाई जायेगी और किस प्रकार का उसका विस्तार किया जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) देश में वस्त्र एकक सामान्यतः घरेलू खपत व साथ ही निर्यात आवश्यकता दोनों के लिए फेब्रिक्स या उत्पादन करते हैं । सरकार ने संकल्प सं० 8(15) 178-ई० पी० दिनांक 31-12-80 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एकक योजना बनाई । इस योजना के अन्तर्गत स्थापित वस्त्र एकक अस्वीकृत मात्रा को छोड़ कर निर्यात के लिए सम्पूर्ण किस्मों का उत्पादन कर सकेंगे ।

(ख) योजना के अन्तर्गत मोटे तौर पर पूंजीगत माल, संघटकों तथा कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है । तैयार उत्पादकों पर भी उत्पादन शुल्क तथा अन्य केन्द्रीय लेवियों से छूट होगी । विदेशी सहयोग की अनुमति गुणावगुण आधार पर होगी । स्वदेशी तौर पर उपलब्ध पूंजीगत माल, संघटक तथा कच्चे माल की अनुमति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी के

बिना होगी। ऐसे एककों के उत्पादन के लिए 20 प्रतिशत अथवा अधिक न्यूनतम मूल्य वर्धित अंश आवश्यक होगा।

(ग) विदेशी बाजारों में मांग तथा उपभोक्ता तरजीह को ध्यान में रखते हुए निर्यात के प्रयोजनार्थ, उत्पादन का विस्तार तथा विविधीकरण किया जाएगा।

खाड़ी के देशों को फलों, सब्जियों आदि का निर्यात

10356. **श्री राजेश पाइलट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने दीर्घावधि विनिमय आधार पर खाड़ी के देशों को फलों, सब्जियों तथा खाद्य-पदार्थों का पेट्रो-डीलरों के बदले निर्यात करने के कोई प्रस्ताव किये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : खाड़ी के देशों को इन मदों का निर्यात हम पहले ही कर रहे हैं परन्तु पेट्रो-डालर्स की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सस्ते कपड़े की ऊंचे दामों पर बिक्री

10357. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सस्ते कपड़े के ऊंचे दामों पर बिकने के बारे में 13 अप्रैल, 1981 के इकोनोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी बिक्री को रोकने तथा नियंत्रित मूल्यों पर उक्त कपड़े को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का सुनिश्चय करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान)। (क) जी हां।

(ख) इस आशय की कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि अर्ध-थोक विक्रेता तथा संसाधक कंट्रोल के कपड़े को फिर से प्रोसेसिंग करके ऊंची कीमत पर बेचने के लिए खरीद रहे हैं। किसी खास राज्य में कंट्रोल के कपड़े के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

नीलगिरि बाट लीफ टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से उत्पाद शुल्क के लिए जोनों में वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापन

1058. **श्री आर० प्रभु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को नीलगिरि बाट लीफ टी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से उत्पाद शुल्क के लिए जोनों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन द्वारा क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख) बॉट लीफ कारखानों का क्षेत्र-I में पुनर्वर्गीकरण करना ।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है ।

होटल उद्योग में विदेशी पूंजी के निगम के लिए शर्तों को अनुदार बनाना

10359. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश की शर्तें उदार बना दी हैं ;

(ख) क्या कुछ विदेशी होटल समूह इस देश में प्रवेश और उपरोक्त नीति के परिणाम स्वरूप अधिक होटल स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां । भारत में होटल उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश और सहयोग सम्बन्धी नए मार्गदर्शी-सिद्धान्तों के अनुसार, "जब कोई विदेशी सहयोगकर्ता भारतीय कम्पनी में विदेशी मुद्रा के रूप में इक्विटी कैपिटल का निवेश करना चाहता है, तब उसे कम्पनी की कुल इक्विटी कैपिटल के 30 प्रतिशत तक ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी" । पुराने मार्गदशी-सिद्धान्तों के अधीन, तत्सम्बन्धी अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत थी । इसके अतिरिक्त नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन भारतीय पार्टी को इस बात की भी अनुमति दी गई है कि यदि वह चाहे, तो वह सरकार द्वारा अनुमोदित की जाने वाली शर्तों पर अपने विदेशी सहयोगकर्ता से परियोजना की कुल लागत के 50 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त कर सकती है ।

इसके अलावा, तेल निर्यातक विकासशील देशों से पूंजी निवेश के बारे में सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई स्कीम के अधीन, कल पेड-अप इक्विटी के 40 प्रतिशत तक नई होटल कम्पनियों में विदेशी इक्विटी पूंजी निवेश किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इन देशों से ऋण भी प्राप्त किये जा सकते हैं बशर्ते कि सरकार द्वारा शर्तें अनुमोदित कर दी जाएं ।

जहां तक विदेशों में सेल्स और प्रचार/मार्केटिंग के लिए सेवाएं अर्पित करने हेतु विदेशी सहयोगकर्ता को देय फीस का संबंध है, वह अब केवल रूम सेल्स के बारे में ही होगी ; पुराने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

(ख) अभी तक नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कन्याकुमारी जिले में हवाई अड्डा

10360. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्याकुमारी में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : कन्याकुमारी में हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवाओं में संवर्ग का पुनरीक्षण

10361. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सेवाओं में संवर्गों का पुनरीक्षण पूरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संवर्ग पुनरीक्षण को कार्मिक विभाग ने अनुमोदित कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ;

(घ) संवर्ग पुनरीक्षण के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ङ) इस संवर्ग पुनरीक्षण के पूरा होने तक पदोन्नति के अवसरों के अभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोठ) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा सम्बन्धी संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट पूरी होने पर वित्त मन्त्रालय द्वारा कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को 8 अप्रैल, 1981 को भेजी गई थी। उसने रिपोर्ट पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस तरह, मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) ऐसे प्रस्तावों को तैयार करने में अत्यधिक विचार-विमर्श करना होता है इसलिए इसे पूरा करने के बारे में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

(ङ) भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारियों का उर्ध्वगामी

आन्दोलन हाल ही के वर्षों में इस बात को लेकर अपेक्षाकृत तीव्र रहा है कि वे समूह "क" के रूप में 16 से 17 वर्ष तक सेवा करने के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पहुंच सके हैं। इसलिए उस सेवा में पदोन्नति में, अब तक कोई रुकावट नहीं रही है।

आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र के उपबन्धों के अन्तर्गत कर योग्य लेन-देन

10362. **श्री शिबू सोरन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात व्यापार नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र के उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया व्यापार केन्द्रीय बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत कर-योग्य है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा बिक्री-कर किन उपबन्धों के अन्तर्गत है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बारोट) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 286 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि राज्य का कोई कानून माल की उस बिक्री अथवा खरीद पर, जहां ऐसी बिक्री अथवा खरीद माल के भारत के राज्य क्षेत्र में आयात के दौरान की जाती है, कोई कर नहीं लगायेगा अथवा कर लगाने का प्राधिकार नहीं देगा और माल की बिक्री अथवा खरीद उपर्युक्त तरीके से कब की जाती है उसका निर्धारण करने के लिए सिद्धान्तों को कानून द्वारा बनाने का संसद को अधिकार भी देता है। आयात के दौरान माल की बिक्री अथवा खरीद कब की जाती है, इसके निर्धारण के सिद्धांत केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1976 की धारा 5(2) में दिए गए हैं, जिसके अनुसार माल की बिक्री अथवा खरीद माल के आयात के दौरान भारत के राज्यक्षेत्र के अन्दर की गई तभी मानी जाएगी यदि ऐसे आयात के किसी एक अवसर पर बिक्री अथवा खरीद की गई है अथवा माल के भारतीय सीमा शुल्क सीमा को पार करने से पूर्व माल की हकदारी के दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा की गई हो। प्रश्न में उल्लिखित लेन-देन कर लगाने योग्य हैं अथवा नहीं यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करेगा।

कुमाऊं की पहाड़ियों और नैनीताल को आने वाले पर्यटकों की संख्या

10363. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश की कुमाऊं पहाड़ियों और विशेषरूप से 'नैनीताल" जो पहाड़ों की रानी कही जाती है, में विद्यमान असीम पर्यटन सम्भावनाओं की जानकारी है ;

(ख) इस समय वहां पर्यटकों के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वहां आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या है ; और

(घ) वहां अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन और विकास सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से क्या उपाय किए गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा नैनीताल में निर्मित यूथ होस्टल के अलावा, वहां राज्य सरकार द्वारा संचालित एक पर्यटक बंगला है, गैर-सरकारी सेक्टर में होटल और विश्राम गृह हैं जो पर्यटकों को आवास जुटाते हैं। नैनीताल में और उसके आस-पास के और कुमाऊं क्षेत्र के अन्य स्थानों के टूअर्स का परिचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है।

(ग) इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्थान-वार आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं।

(घ) चूंकि यह क्षेत्र ट्रैकिंग के लिए अच्छे अवसर अर्पित करता है, इस क्षेत्र के प्रति ट्रैकिंग टूअर्स के संवर्धन के लिए केन्द्र पर्यटन विभाग का राज्य सरकार से परामर्श करते हुए चुने हुए ट्रैकिंग मार्गों के साथ-साथ सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, धन राशि की उपलब्धता और व्यवहार्यता अध्ययन पर निर्भर रहते हुए, भारत पर्यटन विकास निगम का उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम के सहयोग से एक सह-उद्यम के रूप में नैनीताल में एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव है।

धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कागज पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

10364. **श्री के० प्रधानी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैतिक पुस्तकालयों का प्रचार करने तथा प्रकाशन करने के लिए धार्मिक संस्थानों द्वारा प्रयुक्त कागज पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लिया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां तो किस सीमा तक और क्या इस सम्बन्ध में सरकार का प्रतिशत कम करने का विचार है जैसा कि शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के मामले में किया जा रहा है

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) छपाई के कागज पर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की दर से मूल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगता है ? धार्मिक संस्था द्वारा नैतिक पुस्तकों की छपाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कागज चूंकि छपाई का कागज है इसलिए उस पर उपर्युक्त दर पर शुल्क लगता है। जी, नहीं ; धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त कागज पर शुल्क की दर कम करने का, जैसाकि शैक्षणिक

प्रयोजनों के लिए पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन हेतु प्रयुक्त कागज के मामले में किया गया है, फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली बाटलिग कम्पनी के उत्पादकों के मूल्य

10365. **श्री के० सकप्पा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 के दौरान दिल्ली बाटलिग कम्पनी के रेंज आफिस इन्चार्ज ने महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व के मूल्यांकन विभाग के लेखा परीक्षा विंग तथा मंडलीय सहायक समाहर्ता कार्यालय से परामर्श किए बिना अपने उत्पादकों के मूल्यों को स्वीकृति दे दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) 6 लाख रुपए से अधिक राशि के अस्थाई मूल्यांकन के स्थान पर प्रत्याभूति (सिक्यूरिटी) किस प्रकार भारित की गई;

(घ) क्या जारी की गई प्रत्याभूति के लिए मांग को बढ़ाया गया था, यदि हां, तो कम्पनी द्वारा अब तक इसका भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क)जी, हां। मैसर्स दिल्ली बाटलिग कम्पनी के प्रभारी रेंज अधीक्षक ने, 1 जनवरी, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक की अवधि के लिए कम्पनी के उत्पादों के मूल्य महालेखाकार (केन्द्रीय राजस्व), मूल्यांकन कक्ष, लेखापरीक्षा पक्ष और प्रभागीय सहायक समाहर्ता से परामर्श किए बिना ही अनुमोदित किए थे।

(ख) उक्त रेंज अधीक्षक ने अपने ही निर्णय के अनुसार मूल्य-सूची अनुमोदित की थी और शुल्क-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया था।

(ग) 1-1-78 से 31-1-79 तक की अवधि के लिए मैसर्स दिल्ली बॉटलिग कम्पनी के अनन्तिम शुल्क निर्धारणों को अनुमोदित मूल्य के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था और पार्टी द्वारा जमा कराई गई 2.25 लाख रुपए की प्रतिभूति मुक्त कर दी गई थी।

(घ) मुक्त की गई प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में पार्टी पर कोई मांग जारी नहीं की गई है।

(ङ) मैसर्स दिल्ली बॉटलिग कम्पनी की बिक्री पद्धति की जांच की जा रही है। इन जांच-कार्यों के परिणाम के आधार पर ही आगे की कार्यावही की जाएगी।

तुरियल (एजवाल) हवाई अड्डे की तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए उपयुक्तता

10366. **डा० आर० रोथुआमा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में तुरियल हवाई अड्डे को तीसरे स्तर की विमान सेवा के लिए उपयुक्त बनाने हेतु उसका नवीकरण और सुधार करने का काम शीघ्र शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि इसके लिए बार-बार अनुरोध किए गए हैं;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि तुरियल हवाई अड्डा पहले ही त्याग दिया गया है, सरकार का विचार मिजोरम को दी गई तीसरे स्तर की विमान सेवा की सुविधा को अनिश्चित काल के लिए वापस लेने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके सविस्तार कारण क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो मिजोरम में उक्त विमान सेवा की योजना को किस प्रकार से लागू किया जाएगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) तुरियल की हवाई पट्टी 5 से 7 सीटों वाले केवल छोटे विमानों अथवा हेलिकाप्टरों द्वारा परिचालन के लिए उपयुक्त है। इसका इस समय वायुदूत द्वारा परिचालन किए जा रहे किस्म के विमानों के परिचालन के लिए विकास नहीं किया जा सकता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ऐजवाल के लिए वायुदूत परिचालनों की अनुमति प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान पर एक नए विमान क्षेत्र का निर्माण करने की संभावना पर विचार कर रही है।

उन हवाई अड्डों पर, जहां वायुदूत एयरलाइन्स कार्य करती है नियुक्त कर्मचारियों को सुविधाएं

10367. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता क्षेत्र के नागर विमानन कर्मचारियों को उन हवाई अड्डों पर

नियुक्त किया जा रहा है जहां इन कर्मचारियों को आवासीय व्यवस्था तथा जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था किए बिना वायुदूत एयरलाइन्स, कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की परेशानियां कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) 8 हवाई अड्डों में से, जहां कि वायुदूत परिचालन कर रही है, अगरतला और गोहाटी पहले ही बड़े हवाई अड्डे हैं तथा इन दो स्टेशनों पर आवास सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जहां तक कैलाशहर, बारापानी, कमालपुर, और रूपसी का सम्बन्ध है, इन हवाई अड्डों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध है।

छबुआ तथा तेजू भारतीय वायु सेना के स्टेशन हैं तथा इन दो स्टेशनों पर कोई सिविल आवास आदि उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अस्थायी स्थानांतरण के आधार पर छबुआ में तैनात किए गए स्टाफ को नजदीक ही स्थित सर्किट हाउस में आवास प्रदान किया गया है तथा उनके परिवहन की व्यवस्था जिलाधिकारियों द्वारा की जा रही है। जहां तक तेजू का सम्बन्ध है, कोई स्टाफ तैनात नहीं किया गया है तथा इसे मोहनबाड़ी के जरिए नियंत्रित किया जाता है, जहां पर कि स्टॉफ क्वार्टर्स उपलब्ध हैं।

भारत में विदेशों से गैर-सरकारी पूंजी निवेश

10368. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, जर्मन, इटली और जापान देशों में से प्रत्येक की गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा भारत में कितनी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों में चालू वर्ष सहित वर्षवार उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि स्वदेश भेजी है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली तथा जापान की पार्टियों को देश में पूंजी निवेश के लिए दिए गए अनुमोदन का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2570/81]

(ख) चूंकि ये अनुमोदन अभी हाल ही में दिए गए हैं इसलिए संभव है कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में हो रहा हो। इस लिए यह संभव नहीं है कि वस्तुत: कोई रकम बाहर भेजी गई होगी। फिर भी, यदि इनमें से किसी कम्पनी के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहिए तो वह इकट्ठी की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु एककों की शेयर पूंजी में सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा भाग लिया जाना

10369. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिनके आधार पर सरकारी वित्तीय संस्थान लघु एककों की शेयर पूंजी में भाग ले सकेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या लघु क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्थाओं से इस बारे में कोई विचार विमर्श किया गया है;

(ग) क्या ऐसा करने से लघु एकक उन्हें मिलने वाली सुविधाओं और कर की छूटों से वंचित नहीं हो जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) इस समय निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी वित्तीय संस्थाएं, लघु उद्योगों को इक्विटी के रूप में अथवा ऐसे अन्य रूप में जिससे उनकी इक्विटी में हुए अन्तर को पूरा किया जा सके, सहायता उपलब्ध करती है :—

(1) लघु उद्योगों के लिए राज्य वित्तीय निगमों की विशेष पूंजी योजना।

(2) उद्योगों के लिए हामीदारी सहायता।

(3) लघु उद्योगों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी निधि योजना इस सम्बन्ध में कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

राजस्थान के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों को ऋण

10370. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे अनुदेश दिए हैं कि वे राजस्थान के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों के आर्थिक पुनर्वास के लिए ऋण दें;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिए हैं; और

(ग) ऐसे ऋणों पर ब्याज किस दर से लिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को समाज के कमजोर वर्गों के वित्तपोषण के वास्ते मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त पूरे देश में सभी बैंकों पर लागू हैं तथा किसी विशेष राज्य तक ही सीमित नहीं हैं। इसलिए, बैंकों को कृषि, लघु उद्योगों, खुदरा व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में संलग्न अन्य व्यक्तियों को उदार शर्तों पर अग्रिम प्रदान करने की सलाह दी गई है। बैंकों को यह हिदायतें भी जारी की गई हैं कि वे अपने द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों को, 1985 तक, अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा दें। इसके अलावा, 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम विषयक कार्यकारी दल की सिफारशों के अनुपालन में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के भीतर ही कमजोर वर्गों की अवधारणा विकसित की गई है जिससे कि ऐसे वर्गों को बड़ी मात्रा में ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एककों तथा अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में जनजाति के लोग कतिपय विशेष रियायतों तथा प्रोत्साहनों के पात्र हैं। जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय लोगों के वास्ते ऋण प्रदान करने के साथ-साथ गहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बड़े आकार की बहुप्रयोजनीय समितियां (लैम्प्स) संगठित की गई हैं।

(ख) दिसम्बर, 1979 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध में ताजा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 3,15,289 ऋण लेखों के अन्तर्गत 194.59 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

(ग) 2-3-1981 से लागू ब्याज की चालू दरें निम्नलिखित हैं :—

अग्रिमों की श्रेणी	ब्याज की दर (प्रतिशत) प्रतिवर्ष
1. कृषि	
1. छोटे किसानों के 5,000 रु० तक के ऋण (अल्पावधि) (मध्यम तथा दीर्घावधि)	12.50
2. 5,000 रुपए से अधिक के ऋण	
(क) 5,000 रुपए से अधिक तथा 25,000 रुपये तक	15.00 से अधिक नहीं
(ख) 25,000 रुपए से अधिक	17.50 से अधिक नहीं
2. लघु उद्योग	
1. 25,000 रुपए तक के संमिश्रण ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.25
(ख) अन्य क्षेत्र	12.50

1	2
2. अल्पावधि अग्रिम, सीमाएं	
(क) 2 लाख रुपये तक तथा इसके समेत	15.00 से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रु० से अधिक तथा 25 लाख रु० तक	17.50 से अधिक नहीं
(ग) 25 लाख रु० से अधिक	19.50 से अधिक नहीं
3. अन्य श्रेणियां	
1. विभेदी ब्याज दर अग्रिम	4.00
2. फुटकर व्यापार अग्रिम	
(क) 5000 रु० की सीमा तक तथा इसके समेत	12.50 से अधिक नहीं
(ख) 5000 रु० से अधिक तथा 25,000 रु० तक	15.00 से अधिक नहीं
(ग) 25,000 रु० से अधिक	19.50 से अधिक नहीं
3. अन्यथा विनिर्दिष्ट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को छोड़कर	17.50 से अधिक नहीं
4. अन्य सभी अग्रिम	19.50 से अधिक नहीं
3. सावधि ऋण	
1. लघु उद्योग	
1. लघु उद्योगों की नई परिभाषा के अनुसार इकाइयां	
(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50
(ख) अन्य क्षेत्र	13.50
2. कृषि	
(1) लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	10.25
(2) अन्य प्रयोजन	
(क) छोटे किसान	10.25
(ख) अन्य किसान	12.50

1	2
3. आवास	
(1) अनु०जाति/अनु जनजाति को 5000 रु० तक तथा इसके समेत	4.00
(2) अन्यों को 5,000 रु० तक तथा इसके समेत	12.50
(3) 5,000 रु० से अधिक तथा 50,000 रु० तक	13.50
(4) 50,000 रु० से अधिक	15.00
4. सड़क परिवहन चालक	
(1) एक वाहन	12.50
(2) दो अथवा दो से अधिक वाहन	15.00
5. अन्य सभी सावधि ऋण	15.00

जापान में चाय का अनुकूल बाजार

10371. श्री रशीद मसूद
श्री राम विलास पासवान) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काली चाय के बढ़ते हुए अनुकूल रुख को ध्यान में रखते हुए जापान काली चाय के आयात को, लगभग प्रतिबन्धों के बिना, अनुमति देता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो जापान में चाय का बाजार अनुकूल होने से पैदा होने वाली स्थिति का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां, । आयात शुल्क को छोड़कर, जापान में काली चाय के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) बढ़िया भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए, चाय बोर्ड ने जापान में, भारतीय चाय के दो स्थानीय पैकरों के सहयोग से स्टोर प्रदर्शन आयोजित करने तथा चाय

कक्षाओं में व्याख्यान देने के लिए भारत-आधारित दो महिला सहायकों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा चाय बोर्ड, टोकियो में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेले में भी भाग लेता रहा है। इससे जापानी वितरण व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं में बढ़िया भारतीय चाय के प्रति पर्याप्त दिलचस्पी उत्पन्न हुई है और उसके फलस्वरूप भारत से जापान में और अधिक आयात हुए हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांग

10372. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम कर्मचारियों ने अपनी काफी समय से चली आ रही हड़ताल अप्रैल 1981 में समाप्त कर दी है ;

(ख) उनकी मांगें क्या थीं ;

(ग) सरकार द्वारा कितनी मांगों को अंशतः अथवा पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया ;

(घ) इन हड़तालों के कारण हुई जन दिवसों की हानि का क्या अनुमान है ; और

(ङ) उक्त हड़ताल तथा बार-बार होने वाली हड़तालों के कारण तथा 'धीमे काम करो' 'नियमानुसार काम करो' के कारण 1 मार्च 1980 से 15 अप्रैल, 1981 की अवधि के दौरान कर्मचारियों, जीवन बीमा निगम, सरकार और आम जनता को कितनी वित्तीय हानि हुई ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी 2 अप्रैल, 1981 से हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मुख्य मांगें ये थीं :

(1) जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 वापस लिया जाए।

(2) 2 फरवरी, 1981 की अधिसूचना को रद्द किया जाए।

(3) 1974 के समझौते के अनुसार बोनस की अदायगी की जाए।

कर्मचारियों ने 16 अप्रैल, 1981 से अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय में अधिनियम और नियमों को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं दायर कर रखी हैं। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) 'काम नहीं वेतन नहीं' के मान्य सिद्धान्त के अनुसार निगम द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से उन दिनों के लिए, जिनमें वे हड़ताल पर रहे, मानक कटौतियां की

जा रही हैं। यह ठीक है कि इन दिनों ग्राहकों को असुविधा हुई, लेकिन पालिसीधारियों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयत्न किए गए थे।

लौंग के मूल्य में गिरावट

10373. श्री वी० एस० विजयराघवन)
श्री भीकूराम जैन) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौंग के मूल्य गिर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) देश में लौंग का कुल कितना उत्पादन होता है और कितनी खपत होती है ;

(घ) क्या सरकार ने लौंग का आयात करने का निर्णय किया है ;

(ङ) क्या इसका उत्पादकों के हितों पर प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं। ऐसा बताया गया है कि विगत तीन वर्षों में कीमतें सामान्यत: स्थिर रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1979-80 में लौंग का कुल उत्पादन लगभग 800 मै० टन था। ऐसी आशा है कि इसकी खपत लगभग 1600 मै० टन रहेगी।

(घ) लौंग का आयात ओ०जी०एल०पर किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और सोवियत रूस के बीच मौसम विज्ञान के क्षेत्र में समझौता

10374. श्री के० पी० सिंह देव : क्या पर्यटन और नागर विमान मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस के मौसम विशेषज्ञों का एक दल हाल ही में भारत आया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों देशों के बीच ऐसे किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा सोवियत जल मौसम विज्ञान एवं प्राकृतिक पर्यावरण नियंत्रण सम्बन्धी सरकारी समिति के प्रतिनिधियों ने बैठकें कीं। मीटिंगों में किए विचार-विमर्शों को औपचारिक कार्यवृत के रूप में रिकार्ड किया गया और उन पर दोनों प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं द्वारा 10 अप्रैल, 1981 को हस्ताक्षर किए गए।

(ग) दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी कोई परियोजनाओं पर विचार-विमर्श किया जिन पर भविष्य में सहयोग किया जा सकता था। वैज्ञानिक परिणामों के आदान-प्रदान तथा मानसून पर्यावरण संरक्षण एवं उष्णदेशीय मौसम विज्ञान पर भावी अनुसंधान पर विचार-विमर्श करने के एक कार्यक्रम के साथ-साथ भारत तथा यू० एस० आर० के बीच वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया।

चिट फंड कम्पनियों द्वारा भविष्य निधि जमा किया जाना

10375. **श्री तारिक अनवर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की उन चिट फंड कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक भविष्य निधि जमा नहीं की है। उनकी किन शाखाओं में भविष्य निधि जमा नहीं की गई है और प्रत्येक मामले में ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) यथा उपलब्ध सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

10376. **डा० पी० कुलनदईवेलु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ शहर के विभिन्न भागों में जन-

वरी और फरवरी, 1981 में छापे मार कर कई मामलों में निषिद्ध विदेशी माल पकड़ा था, जैसा कि उस समय एक स्थानीय समाचारपत्र ने समाचार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रमाण है कि लखनऊ स्थित सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की इस नगर के तस्करों से सांठ-गांठ है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस प्राधिकारियों ने जनवरी और फरवरी 1981 के दौरान लखनऊ में तस्करी के छः मामलों का पता लगाया जिनमें कुल लगभग 9,300रु० मूल्य का माल ग्रस्त था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

10377. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी तक हरियाणा राज्य के लिए किन्हीं मध्यम दर्जे के और लघु उद्योगों का नियतन किया गया है और क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के मामले में इस राज्य की उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हरियाणा की इस वास्तविक शिकायत को दूर करने के लिए सरकार का क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार का कोई बड़ा उद्योग हरियाणा राज्य में स्थापित नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार के हरियाणा में स्थापित प्रमुख मौजूदा उद्योगों का ब्योरा इस प्रकार है :—

1. एच० एम० टी० का पिंजौर में ट्रैक्टर कारखाना।
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० की पानीपत उर्वरक परियोजना।
3. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० का गुड़गांव में संश्लेषण संयन्त्र।
4. मारुति उद्योग लि०, गुड़गांव।

इसके अलावा, उत्पाद पाइप लाइन (मथुरा तेल शोधक कारखाने से हरियाणा के बीच से निकलकर जलन्धर तक) बिछाने तथा उत्पाद संस्थापनाएं स्थापित करने की चालू योजना है। एक नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है।

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में पूंजी लगाने का निर्णय योजनागत प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है जिसमें संसाधन, बंदोबस्त क्षेत्रीय विकास आदि जैसी विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है। इस आधार पर तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के बाद पूंजीनिवेश प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

उड़ीसा में औद्योगीकरण कार्यक्रम

10378. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-जर्मन वाणिज्य मण्डल ने उड़ीसा में त्वरित औद्योगिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में सहयोग और भागेदारी के क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ; और

(ग) उड़ीसा के उन स्थानों के नाम क्या हैं और वहां भारत जर्मन संयुक्त सहयोग के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) भारत-जर्मन व्यापार कार्यकलापों को और अधिक सन्तुलित रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारत-जर्मन वाणिज्य मण्डल विभिन्न व्यापार केन्द्रों में भारत-जर्मन आर्थिक सहयोग के बारे में गोष्ठियां आयोजित करता रहा है। अभी हाल में उड़ीसा के औद्योगिक संवर्धन तथा निवेश निगम तथा उत्कल वाणिज्य मण्डल के सहयोग से भारत-जर्मन आर्थिक सहयोग के बारे में भुवनेश्वर में एक गोष्ठी आयोजित की गई थी। यह विनिश्चय किया गया था कि दोनों वाणिज्य मण्डल ऐसे उद्योगों का पता लगाएंगे जिनकी उड़ीसा में संभाव्यता है और भारत-जर्मन वाणिज्य मण्डल उपयुक्त जर्मन भागीदारों का पता लगाएगा। चूंकि मामला अभी तक प्रारम्भिक चरण में है, अत: अभी तक किसी विशेष परियोजना का पता नहीं लगाया गया है।

विदेशी पूंजीनिवेश

10379. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के औद्योगिकीकरण के लिए सरकार ने विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) विदेशी पूंजी निवेश के सम्बन्ध में सरकार की नीति चयनात्मक रही है। लगभग 19 उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उद्योग धंधों में तथा निर्यात प्रधान उद्यमों में इसके लिए अनुमति दी गयी है। हाल ही में इन क्षेत्रों में तेल निर्यातक विकासशील देशों के लिए 40 प्रतिशत तक का पूंजी निवेश करने की एक सुविधा की व्यवस्था की गई है, चाहे यह पूंजी निवेश प्रौद्योगिकी से असबन्ध ही क्यों न हो। आशा की जाती है कि इस नीतितंत्र से देश का औद्योगीकरण त्वरित गति से होगा।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कार्यवाहक चेयरमैन

10380. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम का वर्तमान चेयरमैन एक आई० एस० अधिकारी है ;

(ख) क्या वह इस निगम में काम करते रहने के लिए अंतिम रूप से विकल्प दिए बिना, जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, इस पद पर दो वर्षों से अधिक समय काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसको अनिश्चित रूप से काम करते रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) चूंकि वे अंशकालिक अध्यक्ष हैं, इसलिए उनके द्वारा विकल्प दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में कोयल कारो पन-बिजली परियोजना के विकास के लिए सऊदी अरब से ऋण

10381. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब ने बिहार की कोयल कारो पन-बिजली परियोजना के विकास (एस०एफ०डी०) के लिए हाल ही में 25 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में अपना सहयोग दिया है ;

(क) यदि हां, तो इस बारे में हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सऊदी अरब ने भारत को पहले भी कुछ ऋण दिया था और यदि हां, तो कितना ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) सऊदी विकास निधि ने बिहार की कोइल कारो पन-बिजली परियोजना के लिए 10.6 करोड़ सऊदी रियाल (3.2 करोड़ अमेरिकी डालर, लगभग 25 करोड़ रुपए के बराबर) का एक ऋण दिया है। इस ऋण पर 4 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा तथा यह 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में वापस अदा किया जाना है।

(ग) सऊदी विकास निधि ने आन्ध्र प्रदेश की श्री शैलम और नागार्जुन बिजली परियोजना के लिए 35.3 करोड़ सऊदी रियाल (लगभग 10 करोड़ अमेरिकी डालर के बराबर) का भी एक ऋण दिया था।

तीसरी विमान सेवा "वायुदूत" के लिए विमान का चयन

10382. श्री माधवराव सिंधिया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी विमान सेवा "वायुदूत" के लिए विमान के चयन के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय क्या है; और

(ग) विदेशों से कितने विमानों की खरीद की जाएगी और उनका विशिष्ट विवरण क्या है और देश के भीतर ही कितने विमान उपलब्ध होंगे और उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा)। (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायुयानों के आयात करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेवल एयरलाइन की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए छोटे आकार के विमानों का स्वदेश में ही उत्पादन करने का प्रश्न भी फीडर सेवाओं के परिचालन के लिए उपयुक्त विमान के चयन के साथ जुड़ा हुआ है।

मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिकल कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को 'फेरा' से छूट

10383. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फेरा' प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आने वाली विदेशी कम्पनियों के प्रति, इस देश में अपेक्षित प्रतिशतताओं तक उनकी विदेशी इक्विटी पूंजी कम किए बिना पूर्णतया

भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की अपेक्षा, कारोबार करने में कोई तरजीह दिखाई जा सकती है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि मैसर्स इंगलिश इलैक्ट्रिकल कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, जिसकी अभी भी 66 प्रतिशत विदेशी पूंजी इक्विटी है, न केवल इस देश में कारोबार ही कर रही है अपितु इसके प्रति सम्बन्धित सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा इसके साथ अपने काम-काज में तरजीह भी दिखाई जाती है; और

(ग) क्या इस कम्पनी को 'फेरा' के प्रतिबन्धों से कोई विशेष छूट दी गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) इंग्लिश इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया ने जो आवेदनपत्र, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत पेश किया था उस पर विचार किया गया था और यह मतव्य प्रकट किया गया था कि मार्गनिर्देशकों के अनुसार, कम्पनी को 66.66 प्रतिशत की मौजूदा अनिवासी सामान्य शेयर धारिता के साथ अपना कारोबार जारी रखने का हक है, क्योंकि कम्पनी का 75 प्रतिशत से ज्यादा कारोबार अत्यधिक महत्वपूर्ण (कोर) क्षेत्रों में है। इसलिए कम्पनी को विदेशी सामान्य शेयरधारिता के तत्कालीन स्तर के साथ देश में अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी। इस अनुमति के दिए जाने से न तो कम्पनी के प्रति किसी प्रकार का तरजीही व्यवहार प्रदर्शित किया गया है और न ही उसे कोई छूट दी गई है।

बिनोले के तेल, नारियल के तेल आदि का आयात

10384. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल के तेल, बिनोले के तेल, पाम स्टीअरिन, पाम केरनल स्टीअरिन और एसिड आयल के आयात के लिए अपने विदेशी सहमागियों के साथ प्राइवेट व्यापारियों के कुल ठेके 80,000 टन से ज्यादा बढ़ गए हैं और आयात व्यापार नियमों का उल्लंघन करके इनका औद्योगिक कच्चे माल के रूप में आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या मद्रास तथा बम्बई बन्दरगाह से 85,000 टन की पहले ही निकासी हो चुकी है और 20000 टन का पारेषित माल बम्बई बन्दरगाह पर निकासी के लिए बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने खाद्य तेलों का आयात करने पर दिसम्बर, 1978 से लगे प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इन मदों के कुछ आयातों की सूचना मिली है लेकिन इन मदों के आयात के लिए गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा की गई संविदाओं की कुल मात्रा मालूम नहीं है। आयातकों ने आयात नीति के सामान्य ढांचे का नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न किया है जिसके अन्तर्गत वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) ऐसे औद्योगिक कच्चे माल का आयात जिसका उल्लेख आयात नीति में निषिद्ध, प्रतिबंधित या मार्गीकृत सूचियों में नहीं है, खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन कर सकते थे।

(ख) अब तक मिली जानकारी से पता चलता है कि इन मदों का 10,000 मै० टन से अधिक मात्रा में आयात किया गया है।

(ग) ऐसे मामलों में कार्यवाही की जाती है जिनमें सम्बन्धित प्राधिकारी निर्णय करते हैं कि ये आयात गैर-प्राधिकृत हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ मामलों में इन आयातों को गैर-प्राधिकृत माना गया है और उन पर जुर्माना किया गया है।

बैंक आफ बड़ौदा में अधीनस्थ कर्मचारियों को क्लर्क संवर्ग में पदोन्नत किया जाना

10385. श्री आर० आर० भोले : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ बड़ौदा में वर्ष 1977, 1978 और 1979 में वर्षवार कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्लर्क संवर्ग में पदोन्नत किया गया;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के हैं;

(ग) यदि कोई कमी है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में कमी को पूरा करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में बैंक आफ बड़ौदा के क्रमशः 189, 159 तथा 138 अधीनस्थ कर्मचारियों को लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नत किया गया।

(ख) उपर्युक्त कर्मचारियों में से क्रमशः 5, 17 तथा 13 कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के थे।

(ग) बैंक द्वारा, पदोन्नतियों में आरक्षण करने की व्यवस्था 1978 से ही शुरू की गई है। बैंक के अनुसार, इस विषय में कमी रह जाने का मुख्य कारण, पदोन्नति परीक्षा में भाग

लेने के वास्ते, अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों के पात्र कर्मचारियों का उपलब्ध न होना रहा है।

(घ) बैंक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कर्मचारियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, दोनों में, अर्हता-अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दे रहा है। अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के वास्ते होने वाली विभागीय पदोन्नति परीक्षा से पहले, बैंक, अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व-प्रशिक्षण भी दे रहा है।

चन्दवा बिहार में इस्पात और खान संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण

10386. **श्री रणजीत सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात और खान संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से चन्दवा, जिला पालामऊ बिहार में कोई सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) क्या वहां पर बाक्साइट बहुतायत में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजना को अभी तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बिहार में पलामऊ जिले के चन्दवा क्षेत्र में इस्पात कारखाना लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) इस क्षेत्र में बाक्साइट होने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा बोनस पर ब्याज की हानि

10387. **श्री काजी सलीम** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के बोनस पर ब्याज के रूप में देय राशि से जीवन बीमा निगम की भारी क्षति होगी;

(ख) यदि हां, तो इसे प्रति दिन कितनी हानि होगी;

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1978, 1979 और 1980 के लिए बोनस के रूप में अनुमानतः कुल कितनी बकाया राशि का भुगतान करना है;

(घ) जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1981 की अवधि के लिए नियमानुसार कितनी राशि का भुगतान किया जाना है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि जीवन बीमा निगम की अपने कर्मचारियों को बोनस देयता महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुपात में प्रतिवर्ष बढ़ती है;

(च) यदि हां; तो चालू वित्तीय वर्ष में यह वृद्धि कितनी होगी; और

(छ) इससे विभिन्न श्रेणी के कितने कर्मचारियों को लाभ होगा और अप्रैल, 1981 के अन्त में प्रत्येक कर्मचारी की औसतन कितनी धनराशि मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) उच्चतम न्यायालय के 15 अप्रैल, 1981 के अन्तरिम आदेश के अनुसार जीवन बीमा निगम ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अपने कर्मचारियों को 1978-79 तथा 1979-80 के वर्षों के लिए बोनस के रूप में लगभग 18 करोड़ रु० और ब्याज के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि अदा की है।

(घ) से (छ) चूंकि जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों का अनुपालन उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है, अतः वर्ष 1980-81 के वास्ते कोई भुगतान नहीं किया गया है।

नेपाल में सीमा-शुल्क और बिक्री कर में किए गए परिवर्तन

10388. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे देशों से माल पार सीमा शुल्क और बिक्री करने की नेपाल की हाल की घोषणा से दोनों देशों के बीच विद्यमान अत्यधिक प्राथमिकता वाले दर्जे को कम करने में नेपाल के कदमों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या समझौते की भावना में परिवर्तन करने से पूर्व भारत सरकार से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार का प्रस्ताव इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां। नेपाल

सरकार द्वारा 19 मार्च 1981 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कुछ मदों पर आयात शुल्क की सामान्य तथा परम मित्र राष्ट्र दरों को घटा दिया गया है। भारत से इन मदों के आयातों पर लगने वाले शुल्क की दरों के बराबर कर दिया गया है। इस अधिसूचना द्वारा नेपाल में आमतौर पर आयात होने वाली चुनिंदा वस्तुओं पर बिक्री कर की दरों को भी घटा दिया गया है।

(ख) तथा (ग) नेपाल के आयात टैरिफ ढांचे में किए गए इन परिवर्तनों से पहले सरकार से परामर्श नहीं किया गया था। बाद की इस कार्यवाही द्वारा नेपाल ने भारत से संबंधित वस्तुओं के आयातों को दिया गया अधिमानी व्यवहार समाप्त कर दिया है। यह मामले नेपाल सरकार के साथ उठाया जाएगा।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के चेयरमैन के आगमन पर एक वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रणाली का समाप्त किया जाना

10389. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा**
प्रो० अजित कुमार मेहता
श्री पीयूष तिरकी
श्री मनोहर लाल सैनी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम ब्यूरो के सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर चुने गये अथवा नियुक्त किये गये व्यक्तियों पर लागू होने वाली एक वर्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा प्रणाली को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के वर्तमान चेयरमैन की सुविधा के लिये समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य एजेंसियों के मामले में इस प्रकार का निर्णय किया गया है और यदि नहीं, तो स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के वर्तमान चेयरमैन के मामले में ही नियम का अपवाद किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा निर्धारित वर्तमान पद्धति के अनुसार नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवा का एक वर्ष पूरा हो जाने के पश्चात् उसके कार्य की समीक्षा की जाती है और इस प्रकार की गई समीक्षा के आधार पर ही उसके ठेके/कार्यकाल की शेष-अवधि के लिए उसे रखा जाता है। निर्धारित की गई पद्धति के आधार पर सेल के अध्यक्ष को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हें सूचित

किया गया था कि एक वर्ष की सेवा-अवधि की समाप्ति पर उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी, उस पर उन्होंने इस प्रकार की जाने वाली समीक्षा के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था।

इस मामले पर इस्पात विभाग में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि निश्चित अवधि के लिए की गई नियुक्तियों के मामले में, जिनमें किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देने पर सेवा समाप्त की जा सकती है, समीक्षा करने की पद्धति अनावश्यक है। तदनुसार इस निर्णय की सूचना सरकारी उद्यमों के चयन बोर्ड/सरकारी उद्यम ब्यूरो को दे दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर पुनः विचार करें ताकि जहां तक सरकारी उपक्रमों का सम्बन्ध है इस बारे में निर्णय ले लिया जाए और उसे लागू किया जाए। सरकारी उद्यमों के चयन बोर्ड/सरकारी उद्यम ब्यूरो से अभी अन्तिम रूप से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत पर्यटन विकास निगम की विज्ञापन एजेंसियों द्वारा अनेक प्रकाशनों का भुगतान न किया जाना

10390. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम की विज्ञापन एजेंसियों ने उनको 31 जनवरी, 1981 से पूर्व दिये गये बिलों का अनेक प्रकाशनों को भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं और इन प्रकाशनों का किस तारीख तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने सूचित किया है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के सभी विज्ञापन-अभिकर्ताओं को यह परामर्श दिया जा रहा है कि वे पब्लिकेशन्स बिल की अदायगी के बारे में आई० ई० एन० एस० के क्रेडिट नियमों का सख्ती से पालन करें। अभिकरणों से यह भी कहा जा रहा है कि वे उच्च प्राथमिकता आधार पर सभी विचाराधीन बिलों, जो देय हैं, का भुगतान कर दें।

प्रत्येक चीनी मिल द्वारा चीनी का निर्यात

10391. **श्री चन्द्रभान आठेर पाटिल**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 (के अब तक के) उत्पादन में से प्रत्येक चीनी मिल ने कितनी-कितनी चीनी का निर्यात किया;

(ख) वित्तीय वर्ष 1979-80 और 1980-81 में चीनी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) इस निर्यात से कितनी लाभ/हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) चीनी के निर्यात 1979-80 में राज्य व्यापार निगम की मार्फत सरणीबद्ध रहे ।

(ख) तथा (ग) 1979-80 तथा 1980-81 में अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 128.94 करोड़ रु० तथा 35 97 करोड़ रु० (अनन्तिम) थी । 1979-80 में 1.40 करोड़ रु० का घाटा हुआ तथा 1980-81 में 9.20 करोड़ रु० (अनन्तिम) के लाभ की आशा है ।

सीमा शुल्क विभाग के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति

10392. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशों से लौटते समय हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क के अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाता है;

(ख) क्या कोई ऐसी कार्यवाही की गई है जिससे सीमा शुल्क विभाग यात्रियों के प्रति कम से कम अपेक्षित नम्रता तो दर्शायें;

(ग) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डे पर ही ऐसे अधिकारी नियुक्त करने का है जो सीमा शुल्क विभाग के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो यात्रियों को ऐसी परेशानी से बचाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री भगनभाई बरोट) (क) तथा (ख) सरकार इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि वास्तविक एवं नियम का पालन करने वाले यात्रियों को वायुपत्तनों पर सीमाशुल्क विभाग से उनकी निकासी के विषय में कोई परेशानी नहीं हो ।

परेशानी की शिकायतें यदा-कदा प्राप्त होती रहती हैं; और इनकी जांच की जाती है । अनेक मामलों में ऐसी शिकायतें न्यायसंगत नहीं पाई जाती हैं; कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इन

शिकायतों के पीछे ऐसे ईमानदार अधिकारियों के चरित्र पर कीचड़ उछालना ही उद्देश्य होता है जिन्हें अपने कानूनी कार्यों में सामान्यतः असबाब की जांच करनी, शुल्क लगाहना अथवा कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अन्य कार्यवाही करनी होती है। जब-कभी ऐसी शिकायतें न्यायसंगत पाई जाती हैं अथवा अन्यथा परेशानी का कोई उदाहरण जानकारी में आता है, तब न केवल शिकायत को दूर करने के लिए उपाय ही किए जाते है अपितु साथ ही परेशानी पैदा करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) के खिलाफ समुचित कार्यवाही भी की जाती है।

इसके आलावा, हवाई जहाज के यात्रियों की निकासी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा उसमें गति लाने की दृष्टि से अनेक आम उपाय, जैसे—कार्यविधिक, प्रशासनिक तथा अन्य उपाय किए गए हैं जिनसे परेशानी की गुंजाइश कम हो जायेगी। उदाहरणार्थ, पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों की, जो शुल्क लगने योग्य माल को साथ नहीं लाते हैं, निकासी शीघ्र करने के लिए 6 फरवरी, 1981 से एक "वॉक थ्रू प्रणाली" शुरू की गई है; वायुपत्तनों पर सीमाशुल्क कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की गई है; यात्रियों के साथ अपने व्यवहार में उचित शिष्टाचार की आवश्यकता पर जोर देते हुए अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं; यात्रियों को उनकी वस्तुओं की दोबारा पैकिंग कराने में तथा थैलों को बन्द कराने में विशेषकर जब यात्री कोई महिला हो अथवा बच्चा हो, मदद करने के लिए अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं; और यात्रियों का मार्गदर्शन करने एवं सहयोग प्रदान करने में प्रत्येक पाली में सीमाशुल्क जांच हाल में जन संपर्क अधिकारी तैनात किए जाते हैं।

(ख) तथा (घ) सभी अन्तर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों पर चौबीसों घण्टे सहायक समाहर्ताओं के ओहदे के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों के असबाब की निकासी शीघ्र तथा बिना किसी परेशानी के हो। इसके अतिरिक्त, व्यापक पर्यवेक्षण के लिए सान्ताक्रुज हवाई अड्डे (बम्बई) तथा पालम हवाई अड्डे (दिल्ली) पर सीमाशुल्क के अपर समाहर्ताओं को तैनात किया गया है। सीमाशुल्क हाल में यात्रियों को यह सूचित करने के लिए नियमित रूप से घोषणाएं की जाती हैं कि वे (यात्री) किसी शिकायत अथवा कठिनाई होने पर सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता से मुलाकात कर सकते हैं। सीमाशुल्क हाल में विशिष्ट स्थानों पर शिकायत/सुझाव बक्से भी लगाये गये हैं।

आयकर विभाग, दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिकों की संशोधित वरिष्ठता सूची

10393. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग दिल्ली के अवर श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची का जो कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग वित्त मंत्रालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ही सलाह प्राप्त करने के पश्चात् 16 फरवरी, 1981 को जारी/परिचालित की गई थी; आयकर आयुक्त दिल्ली-1 द्वारा उच्चतम पदोन्नति प्रयोजनों के लिये पालन नहीं किया जा रहा है:

(ख) क्या यह सच है कि आयकर आयुक्त दिल्ली-1 ने मामले को पुनर्विचार के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजा है;

(ग) यदि हां, तो अवर श्रेणी लिपिकों की पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची को जारी किये जाने के दो मास बाद उस पर पुनर्विचार के क्या कारण हैं; और

(घ) आयकर विभाग दिल्ली के अवर श्रेणी लिपिकों की वरिष्ठता सूची को अगली उच्च पदोन्नति के प्रयोजन के लिये आधार कब से बनाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) दि० 16-2-1981 को परिचालित की गई संशोधित वरिष्ठता सूची के संबंध में सभी संबंधित कर्मचारियों से आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए आरंभ में परिचालन की तारीख से 10 दिनों का समय दिया गया था। कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 15-3-1981 तक बढ़ा दी गई थी। कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई और उन की जांच करके उन पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जैसे ही संशोधित वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दे दिया जायगा, उसे अगली उच्चतर पदोन्नति के संबंध में लागू किया जाएगा। वरिष्ठता सूची को यथासंभव शीघ्र अन्तिम रूप देने के उपाय किये जा रहे हैं।

नीदरलैण्ड से समझौता

10394. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत नीदरलैण्ड द्विपक्षीय समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी नहीं। किन्तु नीदरलैण्ड सरकार

ने सूचित किया है कि वर्ष 1981 के लिए वह भारत को कुल मिलाकर 2340 लाख डच गिलडरों की सहायता देगी—अर्थात् 1650 लाख डच गिलडर ऋण के रूप में और शेष 690 लाख डच गिलडर अनुदानों के रूप में। आशा है कि इनके संबंध में शीघ्र ही करार निष्पन्न किए जाएंगे।

तमिलनाडु में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

10395. **श्री एन० सुन्दरराजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम जिले के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जहां पर लौह-अयस्क के अतिरिक्त अन्य खनिज होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के खनिज पाये गये हैं और उनका कितना भंडार होने का अनुमान है और उनकी ब्यौरेवार खोज के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) तमिलनाडु के सलेम जिले में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से लौह अयस्क के अलावा जिन खनिजों का पता लगा है, वे हैं :—

6.24 मिलियन टन बॉक्साइट, 0.012 मिलियन टन का क्रोमाइट, 0.038 मिलियन टन कोरंडम, 58 28 मिलियन टन चूना पत्थर, 44 मिलियन टन मैंगनेसाइट, 0.031 मिलियन टन फैल्सपार। अधिकतर खनिजों के बारे में व्यापक पूर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

केरल में चाय बागान

10396. **श्री बी के० नायर** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे जानते हैं कि केरल में बड़ी संख्या में चाय बागान कठिन वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण है;

(ग) क्या उन्हें राहत पहुंचाने के लिये बन्द होने की अवस्था में हजारों श्रमिकों की जिन्दगियों को बेरोजगार होने से बचाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) केरल

में चाय बागान मालिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में युनाइटिड प्लान्टर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया तथा अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केरल चाय उद्योग में विद्यमान संकट अधिक उत्पादन लागत तथा चाय के लिए कम नीलाम कीमतों से सम्बन्धित है। अधिक उत्पादन लागत का महत्वपूर्ण पहलू है राज्य करों तथा स्थानीय लेवियों का भारी भार तथा श्रमिक मजदूरी में वृद्धि।

(ग) तथा (घ) युनाइटिड प्लान्टर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया को सलाह दी गई है कि वे केरल में चाय उद्योग पर अधिक कराधान तथा अन्य लेवियों के प्रभाव के सम्बन्ध में समुचित अभिकरण से अध्ययन कराये ताकि सहायता सम्बन्धी उपायों पर विचार करने में सुविधा हो सके।

घरेलू इस्तेमाल करने वालों को लोहे की चादरों और लोहे की छड़ों का वितरण

10397. श्री गुफरान आजम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राऊरकेला आदि जैसे इस्पात संयंत्रों में माल इकठ्ठा हो जाने की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक घरेलू इस्तेमाल करने वालों को लोहे की चादरों और लोहे की छड़ों के वितरण के लिये लाइसेंस सुविधा को सरल बनाने अथवा इसे समाप्त करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य के लिये वितरण संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान पद्धति क्या है;

(ग) दिल्ली उद्योग निदेशालय को कितना कोटा आबंटित किया गया है और उन उद्योग-पतियों अथवा वितरकों के क्या नाम हैं; जो प्रतिवर्ष 100 मीटरी टन से अधिक माल उठाते हैं; और

(घ) लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं पर वर्तमान प्रीमियम समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) चूंकि इस्पात कारखानों के पास इस्पात का बहुत अधिक स्टाक नहीं है इसलिए इस समय विवरण नीति में फेर बदल करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय इस्पात का वितरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लोहे और इस्पात सामग्री के वितरण के बारे में घोषित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में राज्य वार आवंटन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) खुले बाजार में अधिलाभ मांग तथा उपलब्धि पर निर्भर करता है और स्थान विशेष तथा समय-समय पर अलग-अलग होता है। फिर भी, देशीय उत्पादन में वृद्धि करके तथा आयात के मामले में उदार नीति का अनुसरण करके मांग तथा उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

मूल कच्ची सामग्री विशेष रूप से कोयला, बिजली, रेल यातायात की सप्लाई की स्थिति पर निगरानी रचना तथा इनकी सप्लाई करने वाले अभिकरणों के साथ निकट तथा सतत सम्पर्क रखना तथा मुख्य कच्ची सामग्री सप्लाई करने वाले अभिकरणों के उत्पादन में वृद्धि करना, राख की कम मात्रा वाले बढ़िया कोककर कोयले का आयात करना, इस्पात कारखानों की अपनी कोयला खानों तथा बिजली उत्पादन इकाइयों से कोयले तथा बिजली का अधिकाधिक उत्पादन करना।

पश्चिम एशियाई देशों से ऋण सहायता

10398. डा० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 के दौरान किस-किस पश्चिम एशियाई देश ने भारत में परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता दी और प्रत्येक देश द्वारा गई ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये परियोजनाएं इस समय किस अवस्था पर हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) वित्त वर्ष 1979-80 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन (ओपेक) निधि के साथ केवल एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संस्था पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की सामूहिक सुविधा है। यह करार कोरबा तापीय बिजली परियोजना के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डालर के एक ऋण के लिए था। यह ऋण ब्याज-मुक्त है, लेकिन प्रतिवर्ष एक प्रतिशत के तीन-चौथाई की दर से सेवा प्रभार लगेगा। ऋण की वापसी अदायगी 15 अप्रैल, 1984 से शुरू करके उस तारीख तक समाप्त होने वाली छूट की अवधि के बाद 30 छमाही किस्तों में की जानी है।

(ख) कोरबा तापीय बिजली परियोजना का 200 मेगावाट का पहला एकक 1982-83 में नियत समय पर पूरा हो जाएगा और परियोजना का काम सन्तोषजनक रूप से चल रहा है।

राउरकेला का आधुनिकीकरण

10399. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई गई है : और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की योजना स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड में बनाई जा रही है और इस बारे में सरकार को अभी विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्पादक कार्यों के लिए उदार बैंक ऋण

10400. **श्री अशोक गहलोत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उत्पादिक कार्यों के लिए क्या उदार बैंक ऋण दिए जाने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) ऐसा कोई पत्र हाल में प्राप्त नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, बैंकों को, उत्पादक प्रयोजनों के वास्ते समुचित बैंक सहायता देने के लिए एक नीति का पालन करने की हिदायत दी गई है जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस नीति के अनुसरण में, उठाए गए कुछ मुख्य कदम, इस प्रकार हैं।

(1) बैंक, 1985 तक, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों को अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे। इस समूचे लक्ष्य में से एक महत्वपूर्ण भाग कमजोर वर्गों तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के हिताधिकारियों को मिलेगा।

(2) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए उनके अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत भाग कृषि तथा सहायक कार्यकलापों को मिले। उन छोटे तथा सीमांतिक

किसानों (5 एकड़ तक की जोत वाले) तथा भूमिहीन मजदूरों को दिए जाने वाले अग्रिम, जिनकी ऋण सीमाएं 10,000 रुपये से अनधिक की हैं, 1983 तक समग्र प्रत्यक्ष कृषि उधारों के कम से कम 50 प्रतिशत तक पहुंच जाने चाहियें।

(3) 25,000 रुपए समेत तक की ऋण सीमाओं वाले सभी उद्योगों को इस श्रेणी के अंतर्गत कमजोर वर्ग माना जाएगा। ऐसे कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिम, 1985 तक, लघु उद्योगों को दिए जाने वाले समग्र अग्रिमों के कम से कम 12.5 प्रतिशत तक पहुंच जाने चाहिए।

(4) विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को, उचित उत्पादक कार्यों के वास्ते, नाम मात्र की ब्याज दर पर, अग्रिम प्रदान किया जा रहा है। बैंकों द्वारा ऐसे अग्रिमों को पिछले वर्ष के अन्त में कुल ऋणों को कम से कम एक प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

(5) जिलों में कार्य कर रही सभी वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी में, लीड बैंक, अपने लीड जिलों के वास्ते, ऋण आयोजनाएं तैयार कर रहे हैं तथा उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल से ज्ञापन

10401. **श्री मंगत राम प्रेमी**
श्री उत्तम भाई पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल ने उनसे अनुरोध किया है कि एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए और निर्यातोन्मुख उद्योगों की 5 से 7 वर्ष तक के लिए कराधान से छूट मिलनी चाहिए ;

(ख) क्या उप शक्ति मण्डलों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया है और इस बारे में हाल ही में अपनी मांगें रखी हैं ;

(ग) क्या इस ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है कि निर्यात को बढ़ाने के प्रयास इस प्रकार किए जाने चाहिए ताकि इससे अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ;

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपरोक्त ज्ञापन में निहित सुझावों और मांगों के कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) (क) से (ग) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने 1981-82 के सम्बन्ध में केन्द्रीय बजट-प्रस्तावों पर टिप्पणियों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। मण्डल ने, अपने ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि मुख्य व्यापार क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली कर छूट की अवधि, उस वर्ष से कम से कम 8 वर्ष तक के लिए बढ़ायी जानी चाहिए जिस वर्ष इकाइयां कर निर्धारण योग्य लाभ अर्जित करती हैं और यह कर-छूट, उत्पादन और निर्यात के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मुहैया की गई अन्य कर-रियायतों और राहत के अतिरिक्त होनी चाहिए, न कि उन लोगों के बदले में, जैसी कि वित्त विधेयक में परिकल्पना की गई है। आगे यह भी सुझाव दिया गया है कि विदेशी मुद्रा की आमदनी की दृष्टि से निर्यात अभियान को व्यापक और लाभप्रद बनाने के लिए देश में कहीं भी स्थापित की गई 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को, कुछ और प्रोत्साहन भी दिये जाने चाहिए।

(घ) ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें संलग्न विवरण-पत्र में बतायी गई हैं।

(ङ) मण्डल द्वारा दिए गए सुझावों पर, अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुए ऐसे ही सुझावों के साथ विचार किया गया। उन पर सरकार की प्रतिक्रिया उन प्रस्तावों में प्रतिबिम्बित होती है, जिनका उद्देश्य संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित वित्त विधेयक, 1981 में निहित उपबन्धों में संशोधन करना है।

विवरण

1. आयकर की छूट सीमा को मुद्रा-स्फीति से सम्बद्ध किया जाना चाहिए तथा आय खण्डों की मौजूदा दरों को बनाए रखा जाना चाहिए। अधिकतम सीमान्त दर को घटा कर, यदि अधिक नहीं तो कम से कम 60 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

2. धनकर की छूट सीमा को, 1.5 लाख रु० की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 3 लाख रु० किया जाना चाहिए।

3. विकास तथा अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कम्पनी कराधान को कम किया जाना चाहिए तथा दरों को मौजूदा स्तरों से काफी कम कर दिया जाना चाहिए जिससे यह अन्ततः 50 प्रतिशत रह जाय जिसमें अधिभार भी शामिल हो।

4. अनिवार्य जमा योजना के लिए छूट सीमा को 24,000 रु० तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

5. बढ़ायी गयी मानक कटौती का लाभ उन कर-निर्धारितियों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिन्हें उनके नियोक्ता द्वारा वाहन दिये जाते हैं।

6. लाखों का पता लगाये जाने के बाद अतिकर की अदायगी की मौजूदा अपेक्षा को जारी रखा जाना चाहिए।

7. विश्व के देशों में अत्यधिक प्रतियोगी बाजारों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीति का पालन करने में निर्यातकर्ताओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए बजाय इसके कि सरकार कार्य-कलापों को निश्चित करके उसके क्षेत्र को संकुचित करे जैसाकि वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में संकेत किया है।

8. मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख इकाइयों को मंजूर की गई कर की अवधि उस वर्ष से कम से कम 8 वर्ष तक बढ़ायी जानी चाहिए जिसमें इकाई कर लगाने योग्य लाभ अर्जित करती है और यह छूट उत्पादन और निर्यात के लिए आयकर अधिनियम में दी गई कर की अन्य रियायतों तथा राहतों के अलावा होनी चाहिए न कि उन लाभों के बदले में जैसी कि परिकल्पना की गयी है।

विदेशी मुद्रा अर्जन के अनुसार निर्यात अभियान को व्यापक और लाभप्रद बनाने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को चाहे वे देश में कहीं भी स्थापित हों, कर में कुछ रियायतें दी जानी चाहिए।

9. बैंक में जमा रकमों पर ब्याज की दर में की गयी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक भविष्य निधि की जमा रकमों पर भी ब्याज की दर को बढ़ाया जाना चाहिए। नये 12 प्रतिशत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों को भी, भविष्य निधि रकमों के पूंजी-निवेश के प्रयोजनार्थ शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि निधि के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक आय उपलब्ध होगी।

10. ऐसी इकाइयों को, जो स्वयं बिजली उत्पन्न करने के लिए मशीनें लगाती है, करों में अतिरिक्त प्रोत्साहन दे कर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

11. कम्पनियों में न्यासों द्वारा किए जाने वाले पूंजीनिवेश को कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

12. आयकर अधिनियम की धारा 40 क(8) का कोई औचित्य नहीं है तथा सम्पूर्ण ब्याज पर कम्पनी के हाथों में एक स्वीकार्य व्यय के रूप में छूट दी जानी चाहिए।

13. पूंजीगत लाभ को, यदि उत्पादनशील औद्योगिक उपक्रमों की सामान्य शेयर पूंजी में, अथवा यूनिटो में अथवा बैंकों में जमा रकमों में अथवा नए चालू किए गए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में अथवा अन्य विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है तो उन्हें भी कर से छूट मिलनी चाहिए। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के लिए भी छूट-सीमा 5,000 रु० से बढ़ाकर 15,000 रु० कर दी जानी चाहिए।

14. प्रोत्साहकों द्वारा रखे गये अधिक सामान्य शेयरों को उनसे लेने का विकल्प उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए जिसका इस्तेमाल उनके द्वारा 3 से 5 वर्षों के बीच किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में मोहिनी काटन एण्ड टैक्सटाइल मिल्स का कार्यकारण

10402. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में मोहिनी काटन एण्ड टैक्सटाइल मिल्स, जो 28 फरवरी, 1980 से बन्द पड़ी हुई है, के कार्यकरण के बारे में जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) सरकार ने मोहिनी मिल्स के कार्यों की जांच करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 (ख) के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त की है। कम्पनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और न्यायालय ने जांच समिति के कार्य को स्थगित कर दिया है।

गलीचों का निर्यात

10403. **श्री जैनुल बशर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गलीचों के निर्यात से होने वाली आय का प्रतिशत कितना है; और

(ख) गलीचों सम्बन्धी कुटीर उद्योगों का विस्तार तथा विकास करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत के हस्त-

शिल्प की वस्तुओं के कुल निर्यात की तुलना में कालीनों के निर्यात से निर्यात आय का प्रतिशत 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान क्रमश: 10.85 प्रतिशत, 10.14 प्रतिशत तथा 11.69 प्रतिशत (अनन्तिम) थी।

(ख) कालीन उद्योग के उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1976 में कालीन बुनाई की एक वृहत प्रशिक्षण योजना चलाई। इस योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि जम्मू एवं कश्मीर में कालीन बुनाई के 100 अतिरिक्त उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें।

बुनकरों को सुधरे हुए डिजाइनों, ऊन की सुधरी क्वालटी तथा तकनीकी जानकारी सम्बन्धी सहायता देने के उद्देश्य से भदोही, उत्तर प्रदेश में कालीन प्रौद्योगिकी के लिए भी अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत कच्ची ऊन के आयात की अनुमति दी गई है।

भारत सरकार टकसाल द्वारा निर्मित स्टेंडर्ड सोने की छड़ों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

10404. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार टकसाल द्वारा निर्मित स्टेंडर्ड सोने की छड़ों को, किसी भी रूप से सोने को स्टेंडर्ड सोने में बदलने की लागत पर वसूल किए जाने वाले शुल्क से अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था;

(ग) ऐसे निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इसका सोने के रक्षित भंडार और बाजार में प्रचलित सोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) क्या सरकार को इस निर्णय से सोने के मूल्य कम करने और शुद्ध सोने को प्रचालित होने देने की आशा है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) जी, हां। छूट 1 अप्रैल 1981 से लागू हुई।

(ग) यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि भारत सरकार की टकसाल द्वारा निर्मित मानक स्वर्ण छड़ों पर मूल्यानुसार शुल्क-प्रभाव, छड़ों को दोबारा बनाने की लागत के मुकाबले में, बहुत अधिक होता ।

(घ) रिपोर्ट मिली है कि उक्त निर्णय से स्वर्ण के आरक्षित भण्डार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ङ) यह निर्णय सोने के मूल्य को नीचे लाने के उद्देश्य से नहीं लिया गया था ।

तैयार कपड़ों के निर्यातकों को काली सूची में शामिल करना

10405. **श्री वारिफ मोहम्मन खां**
श्री एस० ए० शिवप्रकाशम) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1981 तक सरकार द्वारा काली सूची में शामिल किए गए तैयार वस्त्रों के निर्यातकों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन निर्यातकों को काली सूची में शामिल करने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

टण्डन समिति की निर्यातकों को कर रियायतें देने की सिफारिश

10406. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम की धारा 358 के क्षेत्र को व्यापक बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि चेयरमैन केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्षकर द्वारा निर्यातकों के एक प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर अधिनियम में संशोधन किए बिना अधिसूचनाओं के माध्यम से यह किया जा सकता है; और

(ग) सभी तरह के निर्यातकर्ताओं को आयकर रियायतें देने के लिए टण्डन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाने के विचार हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) टंडन समिति ने, निर्यात उत्पादन इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय रियायतों के सम्बन्ध में चार सिफारिशें की थीं। उक्त सिफारिशों में से, निवेश छूट निर्यातोन्मुख उद्योगों को भी देने से सम्बन्धित एक सिफारिश, वित्त विधेयक, 1981 के जरिए आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दी गई है। जहां तक शेष सिफारिशों का सम्बन्ध है, समिति की सिफारिशों पर कर्यवाही करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। यह समिति इन सिफारिशों पर यथा-समय विचार करेगी।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की पाली शाखा का कार्यकरण

10407. **श्री मूलचंद डागा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की पाली शाखा का काम संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी सुविधा हो रही है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय और क्षेत्रीय शाखा को इस सम्बन्ध में शिकायतें दर्ज कराई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है, और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उन पर सरकार का कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) जी, हां। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की पाली स्थित शाखा के कार्यचालन तथा उसकी ग्राहक सेवा के खिलाफ कुछ शिकायतें मिलने की सूचना है।

(ग) और (घ) बैंक प्राधिकारी इस मामले के बारे में पहले से ही अवगत हैं और वे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई भी शुरू कर चुके है।

जब्त किए गए सोने का निपटान

10408. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कुल कितना सोना जब्त किया गया; और

(ख) जब्त किए गए सोने के निपटान का क्या तरीका है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जब्ती के बाद सोना भारत सरकार की टकसालों में जमा करवा दिया जाता है।

छुट्टी यात्राछूट पर यात्रा के लिए किरायों में छूट देने की इन्डियन एयरलाइन्स की पेशकश

10409. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए यात्रा छूट सुविधाओं पर यात्रा करने वाले परिवारों को किरायों में 30 प्रतिशत छूट देने का इंडियन एयरलाइंस का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रथम श्रेणी के रेल किराये जिसके लिए यात्रा करने वाले परिवार हकदार हैं; और इंडियन एयरलाइन्स के किराए के बीच अन्तर को, यदि कोई है किस तरह समाप्त किये जाने का विचार है ताकि यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभप्रद हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संस्थाओं के उन कर्मचारियों को जो 1 अप्रैल, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक छुट्टी यात्रा छूट का लाभ उठायेंगे, एक तरफा अथवा दुतरफा यात्रायें 30% की छूट देने का निश्चय किया है। परिवार की सीमा चार सदस्य रखी गयी है, जिसमें कम से कम दो वयस्क होंगे। 15 अप्रैल, 1981 से 15 जुलाई, 1981 के बीच प्रयोग के लिए परिवार की सीमा को घटाकर 2 वयस्क कर दिया गया है।

(ग) व्यय में होने वाले अन्तर को कर्मचारी को वहन करना होगा।

चमड़े की वस्तुओं का निर्यात लक्ष्य

10410. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के लिए चमड़े की वस्तुओं का क्या निर्यात लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम. अर्शीद आलम खान) : वर्ष 1981-82 के लिए चमड़े की चीजों (औद्योगिक चमड़ा, चमड़े की चीजें, फुटवियर तथा फुटवियर संघटक) का निर्यात लक्ष्य 95 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है।

गिरिडीह में अभ्रक का अवैध खनन

10411. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्री बी० डी० सिंह
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री माधवराव सिंधिया : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गिरिडीह और अन्य अभ्रक क्षेत्रों में अभ्रक के अवैध खनन की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सर्वप्रथम सरकार के ध्यान में कब आया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) बिहार में जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में फैली अनेक अभ्रक खानें बन्द हैं। कहा जाता है कि इन बन्द खनन स्थलों में अभ्रक निकाल कर लोग सरों पर ढोकर ले जाते हैं। लेकिन इसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा बिहार अभ्रक अधिनियम के अंतर्गत किए गए कुछ उपायों तथा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्धारित उपायों यथा—खनिज अयस्क की सही जानकारी लेने तथा निरीक्षण कार्यों को अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। मामला राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

इस्पात बनाने वालों द्वारा छोटी डायमीटर छड़ों का उत्पादन

10412. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार बड़े इस्पात उत्पादकों द्वारा कितनी मात्रा में किस-किस माप की छड़ों का उत्पादन किया गया ; और

(ख) देश के बिजली बोर्डों की छोटी डायमीटर छड़ों की मांग कितनी है और वे किन स्रोतों से अपनी मांग पूरी कर रहे हैं ?

वाणिज्य इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इस्पात के मुख्य उत्पादकों ने लगभग जितने-जितने व्यास की गोल छड़ों और टोरस्टील के प्रेषण किए थे, उनके बारे में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान बिजली बोर्डों ने अपने समन्वयकारी अभिकरण नामत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मार्फत 12 मि० मी० तक के छोटे व्यास के टोरस्टील व गोल छड़ों की 66,000 टन की मांग संयुक्त संयंत्र समिति के पास पंजीकृत करवाई है। मुख्य उत्पादकों से कम व्यास अर्थात 12 मि०मी० तक व्यास की गोल छड़ों और टोरस्टील की उपलब्धि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (विद्युत बोर्ड भी शामिल हैं) की इन सेक्शनों की मांग के मुकाबले बहुत कम हैं। इसलिए मुख्य उत्पादकों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले इन साइजों की छड़ों और टोरस्टील का आवंटन बिजली बोर्डों की आवश्यकताओं को पूर्णरूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणामत: बिजली बोर्डों को कम व्यास की गोल छड़ों और टोरस्टील की अपनी आवश्यकताओं की अधिकांशत: पूर्ति के लिए पुनर्वेलकों पर निर्भर करना पड़ता है।

विवरण

मुख्य उत्पादक : वर्ष 77-78, 78-79 और 79-80 के दौरान प्रेषण

(बढ़िया किस्म)

(हजार टन)

उत्पाद/सेक्शन			1977-78	1978-79	1979-80
गोल छड़ें	12	मि०मी०	72.6	73.8	29.5
	14	,,	21.9	6.3	2.5
	16	,,	108.0	67.3	52.0
	18	,,	17.0	15.2	7.4
	20	,,	61.8	49.9	42.8
	22	,,	19.1	17.0	15.4
	25	,,	42.5	32.8	31.0
	27	,,	4.0	4.3	3.5
	28	,,	20.6	12.6	22.3
	30	,,	1.6	3.2	1.4
	32	,,	22.3	26.9	28.3
	33.5	,,	4.2	8 4	4.7
	36	,,	8.9	11.2	6.9
	38	,,	—	0.1	0.2
	40	,,	27.9	13.0	8.9
	42	,,	0.2	1.4	1.2
	45	,,	4.6	3.4	4.2
	47	,,	3.9	10.6	7.8
	50	,,	11 2	10.7	7.3
	53	,,	2.2	12.2	7.1
	56	,,	3.1	8.1	5.9
	60	,,	1.0	2.9	1.7
	63	,,	3.8	9.0	4.4
	67	,,	0.7	5.4	3.3
	80	,,	4.3	6.9	6.5
	100	,,	0.5	0.6	2.2
	125	,,	3.7	5.7	4.3
मिला जुला (अनिर्धारित)			0.2	6.2	2.7
	कुल		471 8	425.1	315.2

उत्पाद/सेक्शन		1977-78	1978-79	1979-80
रिब्बड बार/टोर स्टील				
8	मि०मी०	19.0	26.6	35.1
10	,,	23.2	30.7	27.7
12	,,	13.3	20.5	10.8
16	,,	36.5	40.8	35.2
18	,,	5.2	8.3	3.0
20	,,	32.5	49.6	46.6
22	,,	10.7	13.1	12.5
25	,,	29.6	35.8	37.7
28	,,	13.8	23.0	28.6
32	,,	22.6	35.9	42.5
36	,,	1.9	3.1	2.1
40	,,	—	2.1	1.3
मिला जुला (अनिर्धारित)		0.2	2.6	0.5
	कुल	208.5	292.1	283.6

1980-81 में विमान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को दिया गया मुआवजा

10413. **श्री राम अवध** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980-81 में विमान दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के सदस्य को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

तीसरी विमान सेवा चलाने सम्बन्धी सुरक्षा

10414. **श्री कमल नाथ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के कम्यूनिकेटर्स गिल्ड ने, समुचित संचार मानकों को अपनाये बिना ये तीसरी विमान सेवा चलाने के बारे में अपना भय व्यक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मन्त्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) तीसरी विमान सेवा को सुरक्षापूर्ण संचार व्यवस्था के अंतर्गत चलाने के लिये क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) इस संबंध में एक पत्र कम्युनिकेटर्स गिल्ड की दिल्ली शाखा से प्राप्त हुआ था।

तीसरी वायु सेवाओं के परिचालनों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर दिया गया है। तीसरी वायु सेवायें पांच स्टेशनों अर्थात् रूपसी, बारापानी, कैलाशहर, कमालपुर तथा तेजू के लिए आरम्भ की गयी थीं। रूपसी, बारापानी, कैलाशहर तथा कमालपुर में विमान चालकों तथा विमान यातायात नियंत्रण के बीच वी०एच०एफ०आर०टी० प्रणाली पर संचार व्यवस्था की गयी है। केलाशहर में स्पीच (ओम्नी-बस) सर्किट तथा एन०डी०बी० की भी व्यवस्था कर दी गयी है। तेजू एक सैनिक हवाई अड्डा है जहां संचार/दिक्चालन सुविधायें भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ऐसे प्रत्येक स्टेशन पर, जिसके कि लिए तीसरी वायु सेवाएं परिचालित की जा रही हैं अथवा परिचालित करने का प्रस्ताव है, छठी योजना के दौरान निम्नलिखित ए०सी०एस० उपकरणों की व्यवस्था करने की योजना है :—

1. आदिशिक बीकन (एन०डी०बी०)
2. अति उच्चावृत्ति रेडियो टेलिफोनी उपकरण (वी०एच०एफ०आर०/टी०)
3. उच्चावृत्ति रेडियो टेलिफोनी (एच०एफ०आर०/टी०)।

ग्रेड-II अधिकारी काडर के लिये पदोन्नति हेतु अनुसूचित/जातियों अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए विशेष परीक्षा

10415. **श्री चन्द्र पाल शेलानी** : क्या वित्त मन्त्री भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में काडर से ग्रेड-II अधिकारी के रूप में पदोन्नति के बारे में दिनांक 13 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 790 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक को कहा गया है कि वह ग्रेड-II अधिकारी काडर के लिये पदोन्नति हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से विशेष परीक्षा लेने की सम्भावना की जांच करें ;

(ख) यदि हां, तो बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) बैंक द्वारा उक्त परीक्षा के लिये क्या तिथि निर्धारित की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) इस सम्भावना की जांच भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई थी। बैंक ने विशेष लिखित परीक्षा आयोजित करने को सुविधाजनक नहीं पाया क्योंकि ऐसी परीक्षाओं के लिए उदार मानदण्डों के अनुरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समुचित संख्या में लिपिकीय कर्मचारियों के उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं थी। बैंक ने यह भी सूचना दी है कि पर्यवेक्षी संवर्ग में इस समय कोई रिक्ति विद्यमान नहीं है। बैंक, नवम्बर/दिसम्बर, 1981 में एक सामान्य परीक्षा आयोजित कर सकता है, बशर्ते कि उस समय रिक्तियों की समुचित संख्या मौजूद हो।

भारत-फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की पहली बैठक

10416. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की पहली बैठक फरवरी, 1981 में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे और बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) जी हां। भारत फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की पहली बैठक 3 फरवरी, 1981 को नई दिल्ली में हुई थी। वार्ता भारत तथा फ्रांस में आर्थिक स्थिति की समीक्षा द्विपक्षीय व्यापार के संवर्धन, भारत में फ्रांसीसी सहयोग और साथ ही तीसरे देशों में संयुक्त उपक्रमों के बारे में केन्द्रित रही फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के भारत में अन्तरण और विशेष रूप से लघु तथा मध्यम आकार की फर्मों के लिए भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम को सुकर बनाने के लिए कांसिल नेशनल इयू पैट्रोनेट फ्रांसाइज (सी०एन०पी०एफ०) ने बम्बई में एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया है।

तीसरी विमान सेवा से पंजाब के जोड़े जाने वाले स्थान

10417. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के केन्द्रों के अतिरिक्त पंजाब में अन्य केन्द्र भी तीसरी विमान सेवा से जोड़े जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण देश में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के जोड़े जाने वाले केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) तीसरी वायु सेवाओं का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से इतर क्षेत्रों तक विस्तार करने का प्रस्ताव सरकार के

विचाराधीन है। इन विमान सेवाओं से जोड़े जाने वाले नगरों का पता केवल इस सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिए जाने के बाद ही लग सकेगा।

झींगा मछली के निर्यात के लिए राज सहायता योजना

10418. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगे मछली के मूल्यों में 1980 में तेजी से आई कमी के प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने झींगा मछली के निर्यात के लिए कोई राज सहायता योजना तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो झींगा मछली के निर्यात उद्योग को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जमाये हुए रूप में झींगा मछली के निर्यातों के लिए सरकार ने कोई उपदान योजना तैयार नहीं की है। डिब्बाबन्द झींगा मछली के मामले में नकद प्रतिपूर्ति सहायता सभी गन्तव्य स्थानों को होने वाले निर्यातों के लिए एक समान आधार पर हाल में बढ़ाकर 10% कर दी गई है।

(ख) चूंकि निर्यात बाजार में झींगा मछली की कीमत क्वालिटी पर निर्भर करती है, अतः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने सभी स्तरों पर क्वालिटी बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें शामिल है, नौका स्वामियों को इमदादी दरों पर इन्स्युलेटिड फिश बाक्सेज का वितरण, मत्स्य अवतरण प्लेटफार्मों के निर्माण, छिलाई शेडों के सुधार और संसाधन संयन्त्रों में लघु प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए उपदान, छिलाई, ग्रेडीकरण तथा संसाधन कार्य में प्रशिक्षण, झींगा मछली के परिवहन के लिए रेफ्रीजरेटेड ट्रकों के एक बेड़े का शुरू किया जाना और झींगामछली की स्वास्थ्यकर ट्रेडिंग के बारे में विस्तार कार्य। सरकार ने समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए उपायों का सुझाव देने हेतु एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।

आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया के साथ करार

10419. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए चेकोस्लोवाकिया सरकार के साथ हाल ही में कोई करार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने ऐसी परियोजनाओं का चयन कर लिया है जिन पर चेकोस्लोवाकिया द्वारा तीसरे आर्थिक करार के अन्तर्गत दी गई ऋण-राशि का उपयोग किया जायेगा;

(ग) क्या कपड़ा मशीनरी के निर्माण के प्रस्ताव पर भी बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच आर्थिक, व्यापार तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-चेकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की 9वीं बैठक के संलेख पर 19 दिसम्बर, 1980 को हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) जी हां।

(ग) तथा (घ) भारत सरकार द्वारा शटलरहित ग्रिपर करघों के विनिर्माण के लिए सहयोग की प्रस्थापना अनुमोदित कर दी गई है। ओपेन एण्ड स्पिनिंग मशीनों के विनिर्माण के लिए एक प्रस्थापना भारतीय तथा चेकोस्लोवाकिया की पार्टियों के बीच विचाराधीन है।

बोकारो इस्पात संयन्त्र की निर्धारित क्षमता

10420. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र की निर्धारित पूरी क्षमता कितनी है, तथा 1980 तक के गत तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ख) बोकारो इस्पात रक्षित बिजली संयंत्र की निर्धारित क्षमता क्या है तथा 1980 तक के गत तीन वर्षों के दौरान बिजली का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) 1980 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र को वर्षवार कितने यूनिट बिजली की सप्लाई की गई; और

(घ) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के रक्षित बिजली संयंत्र को उस समय भी इसकी पूरी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने दिया गया था जब वहां बिजली की कमी थी, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने की गत चार वर्षों की निर्धारित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दिखाया गया है :—

(हजार टन)

	विक्रेय इस्पात की वार्षिक निर्धारित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
1977-78	*	815
1978-79	1355	931
1979-80	2000	849
1980-81	2000	844

*बताना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न इकाइयां निर्माणाधीन/जेस्टेशन अवधि में थीं।

(ख) बोकारो इस्पात कारखाने के विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता 122 मेगावाट जिसमें 55-55 मेगावाट के दो टर्बो जेनेरेटर सेट तथा 12 मेगावाट की एक बैक प्रेसर टर्बो जेनेरेटर इकाई है। लेकिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रूपांकित औसत परिचालन स्तर स्थापित क्षमता का 65-75 प्रतिशत है। विद्युत संयंत्र में गत चार वर्षों में उत्पादित बिजली के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	उत्पादित बिजली (मेगावाट)
1977-78	50.7
1978-79	46.00
1979-80	56.1
1980-81	61.6

(ग) दामोदर घाटी निगम से बोकारो इस्पात कारखाने को गत चार वर्षों में सप्लाई की गई बिजली की स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	सप्लाई की गई ऊर्जा (मिलियन यूनिट)
1977-78	447
1978-79	640
1979-80	490
1980-81	399

(घ) बोकारो में रक्षित बिजली उत्पादन इकाइयों की बिजली का उपयोग मुख्यतः अत्यावश्यक जरूरतों तथा पीकिंग लोड को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसाकि ऊपर बताया गया है विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रूपांकित औसत परिचालन स्तर स्थापित क्षमता का 65-75 प्रतिशत है। बोकारो में रक्षित बिजली उत्पादन इकाइयां दामोदर घाटी निगम के गिर्ड के साथ-साथ बिजली का उत्पादन करती हैं और इसलिए इन इकाइयों से अधिकाधिक बिजली प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि गिर्ड की बिजली की आपूर्ति की फिक्वेन्सी की घट-बढ़ होने को सीमित रखा जाय। लेकिन फिक्वेन्सी में अधिक घट-बढ़ होने के कारण, विशेष रूप से 48 साइकिल प्रति सैकिंड से कम डिप्स के समय रक्षित बिजली उत्पादन अक्सर दामोदर घाटी निगम के गिर्ड से अलग हो जाता है और इस प्रकार बिजली के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप, बिजली की कमी के समय भी बोकारो में रक्षित बिजली उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सका।

आसान शर्तों पर ऋण योजना में प्रगति

10421. **श्री निरेन घोष** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसान शर्तों पर ऋण की योजना की आशाजनक प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) 30 जून, 1980 तक आसान शर्तों पर कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये;

(घ) क्या उद्योगों को और रियायतें दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(च) उद्योगों को इतनी अधिक रियायतें क्यों दी जा रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) नवम्बर, 1976 से शुरू की गई सुलभ ऋण (साफ्ट लोन) योजना में गतिशीलता वर्ष 1978 के पूर्वार्द्ध से ही आनी शुरू हुई, जबकि योजना के अधीन दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में, दिसम्बर 1977 में परिवर्तनीयता शर्तों में छूट दे दी गई। योजना के अधीन, संस्थाओं द्वारा दी गई स्वीकृतियां जो 30 जून, 1977 की स्थिति के मुताबिक 65.86 करोड़ रुपये की थीं, 30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार 551.10 करोड़ रुपये की हो गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना के अधीन की गई प्रगति संतोषजनक है। 30 जून, 1980 की स्थिति के अनुसार, सुलभ ऋण योजना के अधीन कुल संवितरण 189.88 करोड़ रुपये की राशि के थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबन्धकों के प्रारम्भिक आपत्तियां उठाये जाने पर श्रम न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र रद्द किया जाना

10422. **श्री समर मुखर्जी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धक अपने लिखित विवरणों में प्रारम्भिक आपत्तियां उठा रहे हैं कि आवेदक मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1960 की धारा 2(13) के अर्थ के अनुसार कर्मचारी नहीं हैं क्योंकि मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम में की गई परिभाषा के अनुसार निर्माण कोई उद्योग नहीं है और आवेदन पत्र को अधिनियम के अधीन स्वीकार नहीं किया जा सकता जब कभी परमानेंट सेट अप (कंस्ट्रक्शन) का कोई कर्मचारी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1960 की धारा 61 के साथ पठित धारा 31(3) के अधीन श्रम मन्त्रालय में आवेदन पत्र दायर करता है;

(ख) यदि हां, तो गत 8 वर्षों में भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों की प्रारम्भिक आपत्तियां स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय द्वारा रद्द किये गए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत 8 वर्षों में श्रम न्यायालय ने जिन आवेदन पत्रों पर निर्णय दिये हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। भिलाई इस्पात कारखाने में निर्माण कार्य करने वाले कर्मचारियों ने जिन कुछ मामलों में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए श्रम न्यायालय की शरण ली, उन मामलों में प्रबन्धकों ने यह दलील पेश की कि निर्माण कार्य करने वाले इन कर्मचारियों की याचिका समर्थनीय नहीं है क्योंकि वे मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 की परिभाषा के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिक नहीं हैं। श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायालय ने प्रबन्धकों की यह दलील मान ली है और याचिकाएं खारिज कर दीं।

(ख) श्रम न्यायालय ने जिन वैयक्तिक मुकदमों को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि श्रमिक मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1960 की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मुकदमों की संख्या	मांगी गयी राहत
6	सेवाएं समाप्त की गई। बहाली व उसके अनुषंगिक लाभ के लिए मुकदमा।
3	पदोन्नति और वरीयता के लिए मुकदमा।
1	दण्ड को वापिस लेने और वेतनमान की बहाली के लिए मुकदमा।
5	वेतन नियत करने व बकाया राशि के भुगतान के लिए मुकदमा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोआ में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

10423. **श्री एडुआर्डो फलेरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मंगन भाई बरोट) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना

अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव में विचाराधीन परियोजनाओं में से हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० की परियोजनाएं, इलेक्ट्रानिका कारपोरेशन आफ इण्डिया के सहयोग से दूरदर्शन सैंटों के विनिर्माण की विस्तार परियोजना उल्लेखनीय है। इनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाने वाला पूंजीनिवेश भी संघ राज्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास निगम और आर्थिक विकास निगम के माध्यम से प्रस्तावित किया जाता है।

मध्य प्रदेश में सांची का विकास

10424. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के स्थान सांची के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकार ने सांची के विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एस० ए० डी० ए०) गठित किया है;

(घ) क्या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने सांची के विकास के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख). सांची को मध्य प्रदेश के ऐसे यात्रा परिपथों में से एक में शामिल किया गया है जिन्हें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधारित संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने हेतु अभिनिर्धारित किया गया है। इस समय, भारत पर्यटन विकास निगम की छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान सांची स्थित अपने विद्यमान यात्री-गृह का विस्तार करने की योजनाएं हैं। भारत पर्यटन विकास निगम को छठी योजना के अन्तर्गत भारत में विद्यमान यात्री गृहों का, जिनमें सांची स्थित यात्री गृह भी शामिल है, विस्तार करने के लिए 50.00 लाख रुपए का एक-मुश्त प्रावधान है।

(ग) से (ङ) जी, हां। यह समझा जाता है कि राज्य सरकार ने सांची के विकास के लिए जनवरी, 1979 में एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एस० ए० डी० ए०) की स्थापना की हैं जिसने एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया है। वर्ष 2001 तक सात हजार की अनुमानित जनसंख्या के लिए यह विकास योजना तैयार की गई है। प्रस्तावित भूमि-प्रयोग योजना 210 हेक्टअर्स के लिए है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए तथा

प्राकृतिक निधियों के संरक्षण के लिए आवश्यक आधारित संरचना, सुख-साधन और सुविधाएं प्रदान करना है। राज्य सरकार ने पर्यावरण के सुधार करने सम्बन्धी स्कीमों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है और एक शापिंग काम्पलेक्स के लिए 1 लाख रुपए का "ब्लाक लोन" दिया है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान मुद्रणाधीन है और उस पर आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए उसे शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाएगा।

सुकेती-फोसिल पार्क, हिमाचल प्रदेश

10425. **श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के नहान जिले में सुकेती फोसिल पार्क कब स्थापित किया गया था;

(ख) केन्द्रीय सरकार इसके लिए कितनी अनुदान राशि दे रही है;

(ग) राज्य सरकार ने इसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि मांगी है; और

(घ) इसके विकास के लिए कितना काम किया गया है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) हिमाचल प्रदेश के नाहत जिले में सुकेती फोसिल पार्क 1972 के उत्तरार्ध में स्थापित किया गया था।

(ख) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई अनुदान राशि नहीं दी है।

(ग) राज्य सरकार ने इस पार्क के विकास के लिए केन्द्र सरकार से किसी अनुदान राशि की मांग नहीं की है।

(घ) निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की गई :—

(1) पार्क में निम्नलिखित विलुप्त जातियों के जन्तुओं अर्थात् दरियाई घोड़ा (हैक्सा-प्रोटोडोन) (2) कछुआ (कोलस-कैलोख) (3) नुकीले दांतों वाला बाघ (4) हाथी (स्टीगोडोन गनेसा) (5) जिराफ (सिवायेरियस) के पूर्णाकार माडल बनाए गए हैं।

(2) हिमालय प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने एक कृत्रिम झील के विकास के लिए एक मिट्टी का बांध बनाया है, जिसके साथ विस्तृत मार्ग और जलरोक बांध बनाया है।

(3) उद्यान और वन विभागों ने भूसंरक्षण और स्थल रमणीकता के लिए वृक्षारोपण किया है।

(4) पार्क तक जाने के लिए एक पक्की सड़क और फुटपाथ का निर्माण किया गया है।

(5) फासिलों के प्रदर्शन के लिए एक क्षेत्र संग्रहालय का निर्माण किया गया है।

(6) सैलानियों की आम जरूरतों की चीजों की उपलब्धि के लिए हाल ही में एक बिक्री मण्डप (कियोस्क) का भी निर्माण किया गया है।

पश्चिम जर्मनी के साथ करार

10426. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री वी० वी० देसाई } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों करारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय समुद्र विज्ञान अनुसंधान जहाज के लिए पश्चिम जर्मनी द्वारा 20 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उन दो करारों की क्रियान्विति कब से शुरू होगी ?

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. लखनऊ में औजार कक्ष प्रशिक्षण संस्थान :

इस करार के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार (1) संस्थान में काम पर लगाए जाने वाले भारतीय विशेषज्ञों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी; (2) अल्पावधिक विशेषज्ञ भेजेगी; (4) कुल 45,38,000 ड्यूश मार्क मूल्य तक की सामग्री, उपस्कर, औजारों, कच्चे माल, कार्यालय मशीनरी, परियोजना वाहनों की पूर्ति करेगी; और (4) जर्मन विशेषज्ञों के कार्यकलापों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रदान किए गए परियोजना वाहनों के अनुरक्षण व्यय को पूरा करेगी।

2. गहरे समुद्र में अनुसंधान के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग :

इस करार के अन्तर्गत जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि वह अनुदान के रूप में समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक उपस्कर देगी जो भारत द्वारा जर्मन संघीय गणराज्य से प्राप्त किया जा रहा है और जिसके लिए

उसने 5 करोड़ ड्यूश मार्क का ऋण देने के लिए सहमति दी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय उपभोक्ता अभिकरणों से सम्बन्धित भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को, जो इसपात की सुविधाओं को प्रयोग में लाएंगे, जर्मन संघीय गणराज्य में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार समुद्रविज्ञान अनुसंधान पोत के लिये ऋण के रूप में 5 करोड़ ड्यूशमार्क (लगभग 20 करोड़ रुपए) देने के लिए सहमत हो गई है।

(घ) दोनों करारों का कार्यान्वयन उन पर हस्ताक्षर होने की तारीख अर्थात 5 मार्च, 1981 से प्रभावी हो गया है।

पर्यटन विभाग में सी० ए० जी० से प्रतिनियुक्ति पर आये लेखाकार

10427. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग में सी० ए० जी० से आये कुछ लेखाकार 1973 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर थे;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1972 को सी० ए० जी० से आये कितने लेखाकार प्रतिनियुक्ति पर थे और पर्यटन विभाग में वे किन-किन अनुभागों में कार्य के लिये नियुक्त किये गये थे;

(ग) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग के कुछ अवर श्रेणी क्लर्कों के नाम सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल (अब जिनका नाम सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान है) में नकदी और लेखा मामलों में प्रशिक्षण के लिए 1971 में भेजे जाने का निर्णय किया गया था;

(घ) यदि हां, तो 1971 से 1980 तक वर्षवार ऐसे प्रशिक्षण के लिये कितने लोगों के नाम भेजे गये; और

(ङ) क्या इन प्रशिक्षित लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तीन; प्रशासन प्रभाग, आयोजना प्रभाग (प्रमुख परियोजना सैल) और होटल ऋण अनुभाग) प्रत्येक में एक-एक।

(ग) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में नकदी तथा लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अपर श्रेणी लिपिकों का प्रायोजन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के सामान्य अनुदेशों के अनुसार किया गया था।

(घ) प्रशिक्षण के लिए 4 व्यक्ति प्रायोजित किए गए थे—वर्ष 1971, 1972, 1974 और 1975 प्रत्येक में एक-एक ।

(ङ) जिन अधिकारियों ने उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है वे लेखाकार के पद पर पदोन्नति पाने के पात्र हैं ।

तम्बाकू व्यापारी संघ

10428. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू व्यापारी संघ, कायमगंज की मुख्य सतकर्ता आयुक्त, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई दिनांक 28 नवम्बर, 1980 की शिकायत प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या कोई जांच की गई थी अथवा मुख्य सतकर्ता आयुक्त या किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा करवाई गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में जांच का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतकर्ता आयोग को भेजी गई है तम्बाकू व्यापारी संघ, कायमगंज की दिनांक 28-11-80 की शिकायत, उनके द्वारा जनवरी, 1981 में इस मंत्रालय को "निपटान हेतु" भेजी गई थी । इस शिकायत की जांच करने पर पाया गया कि उसमें निहित आरोप उसी किस्म के हैं थे जो उक्त संघ से प्राप्त पिछली शिकायतों में लगाए गए थे और जिनकी जांच-पड़ताल किए जाने पर उनमें कोई विशेष तत्व नहीं पाया गया था । 28 नवम्बर, 1980 की शिकायत में लगाए गये आरोपों को साबित करने के लिए चूंकि कोई तथ्यपरक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था इसलिये उसमें आगे और कोई जांच आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

विदेशों में औषध उत्पादक एककों की स्थापना

19429. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय औषध कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदेशों में अपने औषध-उत्पादक एकक स्थापित किये है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय औषध उत्पादन कंपनियां न इर्ज़ निया म अपने औषध उत्पादक संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है ।

(ग) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) वहां औषध संयंत्र स्थापित करने के लिये अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) औषधियों और भेषकों के क्षेत्र में, जिन भारतीय कम्पनियों ने विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) फिलहाल केवल एक प्रस्ताव अर्थात मैसर्स डाबर (डा० एस० के० बर्मन) प्रा० लि०, कलकत्ता का भेषजों के विनिर्माण के लिए नाइजीरिया में संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जैसाकि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में संलग्न विवरण से देखा जा सकता है कि औषधियों और भेषजों के क्षेत्र में नाइजीरिया में एक संयुक्त उद्यम एक भारतीय कम्पनी द्वारा पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यह एकक पहले ही उत्पादन कर रहा है।

विवरण

औषधियों और भेषजों के क्षेत्र में विदेशों में स्थापित भारतीय संयुक्त उद्यमों की सूची

क्रमांक	भारतीय कम्पनी का नाम	देश जहां स्थापित हैं
1.	मै० साराभाई एम० कैमिकल्स	इंडोनेशिया
2.	मै० कालिन्दी इन्वैस्टमैंट प्रा० लि०	कीनिया
3.	मै० साराभाई एम० कैमिकल्स	मलयेशिया
4.	मै० रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लि०	नाइजीरिया

गुजरात में हजीरा में उर्वरक संयंत्रों के लिए विश्व बैंक से ऋण

10430. **श्री चिरंजी लाल शर्मा**
श्री आर० पी० गायकवाड़ } : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के हजीरा में गैस पर आधारित दो प्रस्तावित संयंत्रों के लिये विश्व बैंक से ऋण लेने के बारे में बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कुल कितना ऋण दिया जाएगा ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) और (ग) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ हजीरा उर्वरक परियोजना के लिए 40 करोड़ डालर के ऋण के वास्ते फरवरी 1981 के दूसरे पखवाड़े में बातचीत की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यकारी

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 1981 को इस ऋण का अनुमोदन भी कर दिया है। इस ऋण पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

(ख) संघ की मानक शर्तों के अनुसार, हजीरा उर्वरक परियोजना के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और ऋण के मूलधन की निकाली गई और समय-समय पर बकाया राशि पर 0.75 प्रतिशत की दर से केवल सेवा प्रभार देना होगा। इस ऋण की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्ष की होगी। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का यह ऋण भारत सरकार के नाम होगा।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन केन्द्र आरम्भ करना

10431. **श्री अजय बिश्वास** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड का उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन केन्द्र आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राज्यवार कितने केन्द्र आरम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इस तरह के केन्द्र आरम्भ करने के क्या उद्देश्य हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुरशीद आलम खान) : (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ब्लाक स्तर पर ग्रामीण विपणन केन्द्र स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(1) शिल्पकारों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था करना ;

(2) बैंकों की मार्फत अथवा सीधे ऋण के प्रवाह की व्यवस्था करना ;

(3) सुधरे हुए तकनीकी ज्ञान की व्यवस्था करना ; तथा

(4) शिल्पकारों को स्थानीय अथवा बाहरी बाजार अभिकरणों के सम्पर्क में रखना।

"पावर बिल टू ईट अप एलाय प्लांट प्राफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10432. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पावर बिल टू ईट अप एलाय प्लांट प्राफिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान देंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील प्लांट को इस वर्ष बहुत कम लाभ होगा, क्योंकि कर्नाटक बिजली बोर्ड के अधिक टैरिफ के कारण इसका बिजली का बिल दुगना हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में उसके कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। बिजली के टैरिफ में वृद्धि के कारण परिचालन लागत में काफी वृद्धि होगी और उससे लाभ की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में कम्पनी को बिक्री से हुई आय और लाभदायकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

	1979-80	1980-81
(1) कुल बिक्री	8100	9100*
(2) शुद्ध लाभ	493	205*

*अस्थायी

पति और पत्नी संयुक्त सचिवों द्वारा विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना

10433. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के पद पर विभिन्न विभागों में नियुक्त कितने वरिष्ठ अधिकारियों को, जो पति और पत्नी हैं, उनकी सरकारी हैसियत में पिछले वर्षों में एक ही समय विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर कितना व्यय हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसे संयुक्त सचिवों व उनसे उच्च ओहदे वाले पति-पत्नी को एक साथ बाहर जाने पर कठोर प्रतिबन्ध लगा रखे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस उल्लंघन के क्या कारण हैं और इस उल्लंघन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) और (ख) 1 मई, 1978 से 30 अप्रैल, 1981 तक की अवधि के लिए सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि के लिए अधिकारियों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति के प्रस्तावों के निपटान के लिए एक कड़ी कार्याविधि निर्धारित की गई है। सचिवों की एक समिति ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करती है और विदेशों में प्रतिनियुक्ति/प्रतिनिधि-मण्डल में प्रत्येक अधिकारी को शामिल करने का निर्णय, सम्मेलन आदि के विषय में उसकी जानकारी और विशेषज्ञता तथा लोक हित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत रूस द्वारा बी० बैल्टों की खरीद के लिए समझौता

10434. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस ने भारत से 172 लाख रु० के मूल्य के औद्योगिक तथा आटोमोबाईल बी० बैल्टों की खरीद के लिए पहली बार एक बहुत बड़े करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) तथा (ख) सोवियत संघ गत कुछ वर्षों से भारत से औद्योगिक/आटोमोबाइल बी० बैल्ट्स खरीदता रहा है। 1981 में 17.2 मिलियन रु. मूल्य की बी० बैल्टस के लिए एक आर्डर भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम लि० को दिया गया है। आर्डर के अनुसार सुपुर्दगियां दिसम्बर, 1981 तक पूरी की जानी है।

"वैशाली अभिषेक पुनकर्नी" क्षेत्रों का विकास

10485. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैशाली अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का ऐतिहासिक स्थान है जहां पर देश और विदेश से सैंकड़ों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वैशाली अभिषेक पुनकर्नी के विकास के लिये मन्त्रालय के पर्यटन महानिदेशक तथा मन्त्रियों को अनेक अभ्यावेदन दिए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) और (ख) जी, हां। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों में वैशाली को भी एक यात्रा परिपथ में शामिल कर लिया गया है। तथापि, वैशाली में पर्यटन विकास का का स्वरूप और सीमा, धन-राशि की उपलब्धता और बिहार में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले पर्यटक केन्द्रों के विकास में उनकी परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेकिंग (चीन) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलना

10436. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रमुख बैंकों ने पेकिंग (चीन) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था पर है और इस सम्बन्ध में चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या इन कार्यालयों को बाद में पूरी तरह से शाखा कार्यालय में परिवर्तित कर दिया जाएगा और यदि हां, तो क्या चीन सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भगतभाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों ने जनवादी गणतन्त्र चीन में प्रतिनिधि कार्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव किये हैं।

(ख) इस समय इन प्रस्तावों के बारे में कार्रवाई करने का सरकार का विचार नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कनाडा के विमान के आयात के प्रस्ताव को समाप्त किया जाना

10437. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) तीसरी विमान सेवा-वायुदूत के लिए चार से छः कनाडा के विमानों के आयात के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) यदि इसका प्रस्ताव रोक दिया गया है, तो अन्य किस किस्म के विमान के आयात का प्रस्ताव किया गया है और इसका आयात किस देश से किया जाएगा ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि० कानपुर इस तीसरी विमान सेवा के लिए विमान के निर्माण का कार्य कर सकता है और क्या हिन्दुस्तान एअरोनाटिक्स लि०, कानपुर में इसके निर्माण में कोई प्रयास किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) कनेडियन विमान का आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

(ग) एच० ए० एल० के पास ऐसे विमान का निर्माण करने की क्षमता है जिसका तीसरी वायु सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। तीसरी वायु सेवाओं की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए छोटे आकार के विमानों का स्वदेश में ही उत्पादन करने का प्रश्न फीडर सेवाओं के परिचालन के लिए उपयुक्त विमान के चयन के साथ जुड़ा हुआ है।

बोकारो स्टील एम्पलाइज प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील लिमिटेड को मांग पत्र

10438. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील एम्पलाईज प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा लम्बे समय से लम्बित उनकी शिकायतों को हल न किये जाने के बारे में प्रबन्ध-निदेशक, बोकारो स्टील लिमिटेड को प्रेषित किया गया दिनांक 16 सितम्बर, 1980 का एक मांग पत्र मिला है ;

(ख) क्या यूनियन ने प्रस्ताव किया है कि उनकी मांग को केन्द्रीय श्रम विभाग को मध्यस्थता के लिए भेजा जाये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह मामला बोकारो स्टील सिटी के सुलह अधिकारी एवं श्रम-उपायुक्त के पास अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

शीरा का निर्यात

10439. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी शीरा का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को किया गया ;

(ख) किस एजेंसी के माध्यम से निर्यात किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में शीरा की बहुत मांग है ;

(घ) क्या यह सच है कि मांग की कमी के कारण चीनी मिलें शीरा को फेंक रहे हैं; और

(ङ) उक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर सरकार शीरा का नियमित रूप से निर्यात क्यों नहीं करती ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान देशवार शीरे की निर्यातित मात्रा दर्शायी गई है।

(ख) 29 नवम्बर, 1978 से 31.3.1979 की थोड़ी सी अवधि को छोड़ कर जबकि सम्बन्धित राज्य के उत्पादन शुल्क आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अधीन ओ०जी०एल०-3 के अन्तर्गत निर्यात की अनुमति दी गई थी, शीरे के निर्यात की अनुमति केवल राज्य व्यापार निगम की मार्फत दी जाती थी।

(ग) यह सत्य है कि इसकी निर्यात मांग काफी अच्छी है।

(घ) तथा (ङ) चूंकि शीरे के लिए घरेलू उद्योग की मांग का अनुमान वर्तमान उपलब्धता से कहीं अधिक लगाया गया है, अतः इसके निर्यात की अनुमति नहीं दी गई है। इस तथ्य को चीनी उद्योग द्वारा स्टाकों का निपटान न कर पाने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश	निर्यात		(मात्रा मे० टनों में)
	1977-78	1978-79	1979-80 (अप्रैल-फरवरी)
नेपाल	217	3645	2482
नीदरलैन्ड्स	11000	31227	356602
पोलैन्ड	—	4000	—
जर्मन संघीय गणराज्य	12630	—	—
ब्रिटेन	16300	—	33803
अन्य	—	605	2849
योग	40147	39477	395736

उड़ीसा में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखाएं खोलना

10440. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजनायें उड़ीसा में पंजाब नेशनल बैंक की कुछ नई शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में उड़ीसा में कितनी नई शाखाएं खोलने का विचार है;

(ग) ये शाखाएं कहां-कहां खोली जाएंगी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (घ) 1779-81 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत देश के विभिन्न जिलों में शाखाएं खोलने का प्राथमिक दायित्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा/अथवा सम्बद्ध लीड बैंकों का है। उड़ीसा के किसी भी जिले में पंजाब नेशनल बैंक का लीड दायित्व नहीं है।

इस समय पंजाब नेशनल बैंक के पास सुन्दरगढ़ (जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा) में कार्यालय खोलने के वास्ते लाइसेंस है।

मलेशिया से खाद्य तेल खरीदने का प्रस्ताव

10441. **श्री अनादि चरण दास** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मलेशिया से खाद्य तेलों की खरीद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मलेशिया से खाद्य तेलों की कुल कितनी मात्रा में खरीद किए जाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत और मलेशिया के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम मलेशिया से ताड़ का तेल, आयात करता रहा है बशर्ते ताड़ के तेल की कीमतें अन्य तेलों की कीमतों की तुलना में प्रतियोगी हों। मलयेशिया से खाद्य तेल खरीदने के बारे में भारत तथा उस देश के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये। तथापि मलयेशिया सरकार ने भारत द्वारा ताड़ के तेल की खरीद के लिए दीर्घावधि संविदाओं को सम्पन्न करने का प्रस्ताव रखा है।

नए किस्म की बीमा पालिसियां शुरू करना

10442. **प्रो० मधु दंडवते**
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री हरिहर सोरण
श्री आरिफ मोहम्मद खान
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त मन्त्रालय नए किस्म की बीमा पालिसियां शुरू करने की एक योजना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो नई योजनाएं लागू करने पर विचार कर रहा है। इन योजनाओं का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम, शोरूम कर्मचारी एसोसियेशन से ज्ञापन

10443. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम, शोरूम कर्मचारी एसोसिएशन ने 2 अप्रैल, 1981 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था, जिसमें कर्मचारियों की मांगें दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) प्रधान मन्त्री को संबोधित दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के उस ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ मांगों का उल्लेख है।

(ख) मुख्य मांग है : राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम तथा प्रशासनिक स्टाफ के कर्मचारियों के बीच वेतनों तथा अन्य सेवा शर्तों में समानता। सेवा की शर्तें, जिनमें राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम कर्मचारियों की परिलब्धियां भी शामिल हैं, संबंधित दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियमों के अन्तर्गत समान प्रतिष्ठानों के लिए अपनाये गये नियमों तथा क्रियाविधियों और उन सम्बन्धित राज्यों के न्यूनतम वेतन अधिनियमों तथा नियमों, जिनके क्षेत्र अधिकार में ये शोरूम स्थित हैं, द्वारा शासित होती है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के शोरूम कर्मचारियों के वेतन इन अधिनियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम वेतनों की अपेक्षा आमतौर पर अधिक है।

बम्बई सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा कलाई की घड़ियों, केसेट टेप-डेक रिकार्ड और एम्पलीफायर का पकड़ा जाना

10444. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 अप्रैल, 1981 को बम्बई सीमा शुल्क विभाग के एक विमान आसूचना एकक को 'पुष्पक' एविएशन से सम्बन्धित केरावित विमान के शौचालय में एक गुप्त स्थान से 200 कलाई की घड़ियां, एक केसेट टेप-डेक और एक एम्पलीफायर जिनका मूल्य 74000 रुपये है, मिला था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) से (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार बम्बई में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने मैसर्स पुष्पक विमानन के हवाई जहाज में से, जो 12-4-1981 को शारजाह से वहां पहुँचा था, विभिन्न जगहों से कुल लगभग 74,000 रुपये मूल्य की 200 कलाई-घड़ियां, टेप-डेक और दो कैसेट टेपें, एक एम्पलीफायर, व्हिस्की की दो बोतलें और 200 सिगरेटें पकड़ी थीं।

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और मामले की जांच की जा रही है।

'टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्कैन्डल'

10445. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**
श्री एस० एम० कृष्ण } : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1981 के 'फाइनेन्सियल एक्सप्रैस' में प्रकाशित 'टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्कैंडल' (वस्त्र निर्यात कांड) शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) उसमें अन्तर्ग्रस्त फर्मों और निर्यातकर्ताओं के नाम क्या हैं और कब तथा किन सामानों के लिए फर्म ने सोवियत संघ की सरकारी आयात एजेंसी के साथ निर्यात अनुबन्ध किया था और इसमें कितना निर्यात होना है;

(ग) अनुबंध प्रलेख में फर्म ने किस तरह की जालसाजी की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) भारतीय निर्यातक और रूसी आयातक के बीच संविदा सूत्रों वस्त्र मदों तथा हथकरघा तालियों की सप्लाई से सम्बन्धित थी। रूसी पार्टी का संविदा में कतिपय तकनीकी विशिष्टियों के सम्बन्ध में तथाकथित कुछ एकपक्षीय संशोधनों का पता चला। मामले को दोनों पार्टियों के पारस्परिक समाधान के अनुसार निपटाया जा चुका है।

(घ) उपरोक्त (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित होटल परियोजनाएं

10446. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में केन्द्र तथा राज्य सरकार ने होटल परियोजनाओं का वित्त पोषण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजस्थान में इस प्रकार वित्त पोषित सभी परियोजनाएं कठिनाइयों में फंसी हैं तथा घाटे में जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में होटल-परियोजनाओं की कठिनाइयों को हल करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा होटल परियोजनाओं के वित्त पोषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा शासित 'होटल विकास ऋण निधि स्कीम' के अधीन 1971 में 60.00 लाख रुपये के एक ऋण की मंजूरी दी गई थी और दिसम्बर 1972 तक पूरा ऋण संवितरित कर दिया गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने मैसर्स एस० बी० प्रापरटीज एण्ड इन्टरप्राइजिज लिमिटेड, जयपुर, को एक होटल के लिए 32.50 लाख रुपये का ऋण दिया था। इसके अतिरिक्त, आई० एफ० सी० आई० ने यू० पी० होटल्स लिमिटेड को होटल कलार्क्स अमेर, जयपुर, के लिए 11.50 लाख रुपये का एक ऋण मंजूर किया था परन्तु, यह ऋण संवितरित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) मैसर्स एस० बी० प्रापरटीज एण्ड इन्टरप्राइजिज लिमिटेड ने अपने होटल, वैलकम होटल मानसिंह, का व्यापारिक परिचालन जनवरी 1981 में शुरू किया था। इस होटल को 30 जून 1979 को समाप्त वर्ष के दौरान (मूल्य ह्रास के बाद) 17.28 लाख रुपये की और 30 जून 1980 को समाप्त वर्ष के दौरान (मूल्य ह्रास के बाद) 14.86 लाख रुपये की हानि हुई। होटल कलार्क्स अमेर, जयपुर, भी संतोषपूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। इसे 30 सितम्बर 1980 को समाप्त वर्ष में (मूल्य ह्रास के बाद) 17.26 लाख रुपये की हानि हुई।

(ङ) वैलकम होटल मानसिंह का प्रबन्ध इण्डिया टोबेको कम्पनी द्वारा किया जाता है जो भारत में होटलों की एक श्रृंखला का संचालन कर रही है। आशा है कि इसका संचालन चालू वर्ष में गति पकड़ लेगा। ऐसा समझा जाता है कि यू० पी० होटल्स लिमिटेड देश में अन्य कम्पनियों के साथ कुछ मार्किटिंग प्रबन्ध तय कर रहा है ताकि अपनी बिक्री में सुधार कर सके। कम्पनी ने आई० एफ० सी० आई से विभिन्न राहतें देने का अनुरोध किया है, जैसे कि होटल विकास ऋण निधि स्कीम (जो अब आई०एफ०सी०आई० द्वारा शासित की जाती है) के अधीन प्रदान किए गए ऋण के बारे में वापसी अनुसूचियों में संशोधन, जिन पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

किताबों के आयात पर प्रतिबन्ध

10447. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की आयात नीति में किताबों के आयात पर प्रतिबन्ध से पढ़ने वाली जनता, छात्रों और विद्वानों में व्याप्त व्यापक असन्तोष की सरकार को जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को समाचार पत्रों में व्यक्त की गई इन आशंकाओं की भी जानकारी है कि किताबों के आयात पर प्रतिबन्ध से किताबों के चोरी छिपे लाये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता में सभी ओर अस्तव्यस्तता और देरी होगी; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का प्रतिकार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ग) ऐसा बताया गया है कि 1981-82 के लिए आयात नीति में पुस्तकों के आयात पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जिसका देश में पुस्तकों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मामला विचाराधीन है।

आयकर छापे

10448. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम तथा उनके मालिकों के नाम और अन्य ब्यौरे क्या हैं, जिनके यहां 22-4-1981 को श्रीनगर (कश्मीर), उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा बम्बई में एक साथ छापे मारे गए थे;

(ख) प्रत्येक फर्म तथा अथवा फर्म से प्राप्त सोने, चरस, भारतीय तथा विदेशी करेंसी नोटों की कुल मात्रा तथा अन्य वस्तुओं एवं अभीशसी दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जब श्रीनगर में कुछ प्रमुख व्यापारियों के मकानों पर छापे मारे जा रहे थे तब यूथ फेडरेशन के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हमले एवं पथराव के फलस्वरूप 69 आयकर कर्मचारियों में से 47 कर्मचारी घायल हो गए;

(घ) क्या यह भी सच है कि यूथ फेडरेशन द्वारा पहले भी जब्त किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छीन लिया गया था तथा आंशिक रूप से जलाकर एवं आंशिक रूप से फाड़कर डल झील में फेंक दिया था;

(ङ) क्या यह भी सच है कि छापों के बारे में अग्रिम सूचना के बावजूद जम्मू तथा कश्मीर राज्य प्रशासन और पुलिस ने आयकर छापामार दल को सहयोग नहीं दिया; और

(च) यदि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो राज्य सरकार द्वारा निष्क्रियता के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) आयकर विभाग ने 21-4-1981 को, श्रीनगर, गोपी गंज, मिर्जापुर, भदोई, पानीपत, दिल्ली, बम्बई तथा जयपुर स्थित कालीनों के कुछ प्रमुख निर्माताओं तथा व्यापारियों के मामले में एक साथ तलाशियां लीं। इस अभियान में 92 परिसरों तथा अनेक व्यक्तियों/पार्टियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, 7,35,423 रु० की नकदी, लगभग 2,60,000 रु० (रुपये मूल्य में) के मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा सोना, चांदी, सोने के ऐसे जवाहरात तथा रत्न आदि पकड़े गये हैं, जिनका अभी मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा, अनेक ऐसी अपराध-आरोपणीय लेखा-पुस्तकें तथा दस्तावेज पकड़े गये हैं, जिनसे इस बात का पता चलता है कि कर की बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। इनकी जांच की जा रही है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभी इन मामलों की जांच की जा रही है, ब्यौरे-वार विवरण प्रस्तुत करना वांछनीय नहीं है।

(ग) भीड़ के आक्रमण के परिणामतः 47 से अधिक अधिकारी घायल हुए।

(घ) भीड़ ने कुछ ऐसे दस्तावेजों तथा लेखा-पुस्तकों को जबरदस्ती छीन लिया तथा नष्ट कर दिया जिन्हें अधिकारियों ने पहले कब्जे में ले लिया था।

(ङ) निरीक्षण निदेशक (जांच) द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीनगर से विशेष रूप से अनुरोध किये जाने के बावजूद भी आयकर अधिकारियों को जम्मू तथा कश्मीर पुलिस से समय पर सहायता नहीं मिली।

(च) सरकार अब इस सम्पूर्ण मामले की जांच कर रही है।

भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर में खराब नोटों का बदला जाना

10449. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **वित्त** मन्त्री भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर में खराब नोटों के बदले जाने के बारे में 23 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापर्स) संशोधन नियम, 1980 को भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से स्वीकार और लागू नहीं किया जाता है; और

(ख) इस मामले में अर्थात नोटों के बदले जाने के बारे में लोगों को दिन प्रतिदिन की दिक्कतों से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक कानपुर को भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापर्सा) संशोधन नियम, 1975, जैसा कि वह 1980 में संशोधित किया गया है, के उपबंधों के अनुसार खराब और कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारी अपने निरीक्षणों के दौरान यह सत्यापित करते हैं कि क्या जनता को पर्याप्त

विनिमय सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यदि कोई विशिष्ट शिकायतें हों तो भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए उन पर गौर करता है कि जनता को कोई दिक्कत न हो।

(ख) यदि जनता की दिक्कत के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में लाई जाएगी तो उस पर गौर किया जाएगा।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय कानपुर के सहायक समाहर्ता के विरुद्ध शिकायत

10450. **श्री दया राम शाक्य** : क्या वित्त मंत्री मुख्यतया कानपुर के केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता कार्यालय के सहायक समाहर्ता के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र सं० 448 डी०पी०एम० (एफ०) 79-इम्प (आर०) दिनांक 25 जनवरी, 1979 का अवलोकन कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मामले में सम्बन्धित अधिकारी अथवा अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इस मामले में यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) कानपुर समाहर्ता कार्यालय तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली में कुछ पदों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों में विद्यमान भ्रष्टाचार तथा मेलिंग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले का तथा उसकी परिस्थितियों का सम्पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (घ) तत्कालीन उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 25.1.1979 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी प्राप्ति 31 जनवरी, 1979 को स्वीकारी गई थी न कि 25.1.1979 को।

25 जनवरी, 1979 की इस शिकायत में, जिसमें कहा गया था कि लोक सभा की याचिका सम्बन्धी समिति की 23 वीं रिपोर्ट में निहित अभिमतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जिसमें कानपुर समाहर्तालय के कतिपय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में साधारण उल्लेख किया गया था, उस शिकायत में इन अधिकारियों के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे। इसकी बजाए इसमें दिनांक 1.5.78 को एक पिछली शिकायत में निहित आरोपों का जिक्र किया गया था जो एक संसद-सदस्य के माध्यम से उनके दिनांक 19.6.78 के पत्र के साथ प्राप्त हुई थी।

दिनांक 1.5.1978 की शिकायत में निहित उक्त आरोपों की, जिसका जिक्र इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दिनांक 25.1.79 की शिकायत में किया गया है, जांच की गई थी। उसके बाद यह मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह हेतु भेजा गया। इस मामले पर विचार करने के बाद आयोग ने, दिसम्बर, 1979 में, इन आरोपों को समाप्त करने की सलाह दी।

इसी संघ से, जिसने इस प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 25.1.79 की शिकायत की थी, कुछ और शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की भी, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके, जांच की गई थी जिसने उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने की सलाह दी।

जब उपर्युक्त शिकायतों में निहित आरोप, जांच के पश्चात निराधार पाए गए और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह मानते हुए उक्त मामले को बन्द कर दिया गया है तो उन्हें सदन पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

जहां तक लोक सभा की याचिका सम्बन्धी समिति की 23 वी रिपोर्ट में निहित अभिमतों का संबंध है, उन अभिमतों पर की गई कार्यवाही विषयक रिपोर्ट बाकायदा लोक सभा सचिवालय को भेजी गई थी।

मैसर्स आटो पिन्स इंडिया (रजिस्टर्ड)

10451. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या वित्त मैसर्ज आटोपिन्स इण्डिया के बारे में 19 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स आटो पिन्स इण्डिया (रजिस्टर्ड) के विरुद्ध आयकर अधिनियम और अन्य सम्बन्धित आर्थिक कानूनों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का क्या ठोस परिणाम निकला ;

(ख) क्या मैसर्स आटो पिन्स इण्डिया (रजिस्टर्ड) और उनसे सम्बन्धित कर्मचारियों और निदेशकों सहित भागीदारों के खिलाफ सम्बन्धित आर्थिक कानूनों के अन्तर्गत मुकदमें दायर किए गए हैं, यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ;

(ग) मैसर्स आटो पिन्स इण्डिया (रजिस्टर्ड) के खिलाफ आर्थिक कानून के उल्लंघन से सम्बन्धित उचित कार्यवाही कब शुरू की गई थी और मामले में इतने अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार विवादास्पद मामले से सम्बन्धित पूर्ण तथ्य और परिस्थितियों की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) इस मामले में आयकर निर्धारण, कर निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक (वर्ष 1975-76 को छोड़कर, जिसकी कि जांच की जा रही है) पूरे किए जा चुके हैं। इन आदेशों के खिलाफ कर निर्धारिती ने अपील की है तथा अपीलीय निर्णय हो जाने के बाद अन्तिम रूप से कर निर्धारण होने पर ही, अन्तिम परिणाम का पता चलेगा।

(ख) जी, नहीं। इस मामले में, अब तक आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई मुकदमें दायर नहीं किये गए हैं, क्योंकि अपीलें विचाराधीन पड़ी हैं।

(ग) कर निर्धारण वर्ष 1975-76 को छोड़ कर, जिसकी कि जांच की जा रही है, आयकर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित वर्षों के कर निर्धारण पूरे कर लिए गए हैं। इसलिए, आयकर विभाग द्वारा कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) जी, हां। सरकार, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रश्न विशेष का उत्तर देने की स्थिति में है।

असम में कुटीर उद्योग की व्यवस्था के लिए संगठित प्रयास

10452. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में, हथकरघा, रेशम कीट पालन, ब्रास-मेटल, बेंत और बांस की वस्तुओं जैसे कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करने तथा उनकी बिक्री तथा कारीगरों को उपयुक्त मजदूरी देने के लिए कोई संगठित प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां।

(ख) इन क्षेत्रों के कार्यों में वृद्धि करने हेतु हथकरघा, रेशम उद्योग तथा हस्तशिल्प के क्षेत्रों में किए गए विभिन्न उपाय दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

हथकरघा, रेशम तथा हस्तशिल्प के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों के कार्यों में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों का सारांश नीचे दिया गया है :

हथकरघा :

(1) **उपादान/विशेष छूट** : —

(क) जनता उत्पादन करने पर उपादान दिया जाता है।

(ख) बुनकर समितियों को प्रबन्धकीय उपदान दिया जाता है।

(ग) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट दी जाती है।

(2) **अंशपूंजी में भागीदारी :**

(क) प्राथमिक बुनकरों की समितियों और असम वीवर्स एण्ड आर्टिजन्स फैडरेशन को अंशपूंजी ऋण सहायता दी जाती है।

(ख) आसाम सरकार विपणन निगम लि० को (जो कि आसाम में गहन हथकरघा विकास परियोजना और निर्यात उत्पादन केन्द्र चला रहा है) अंशपूंजी सहायता दी जाती है।

(3) **उत्तरी पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम (एन०ई०एच०एच०डी०सी०)**

(क) एन०ई०एच०एच०डी०सी० से यह निवेदन किया गया है कि वह उत्तर पूर्व में, जिसमें असम भी शामिल है, हथकरघों को यार्न की सप्लाई की व्यवस्था करे।

(ख) हथकरघा उद्योग की सहायता के लिए गोहाटी के निकट एक आधुनिक रंगाई घर लगाने के लिए भी एन० ई० एच० एच० डी० सी० को धनराशि स्वीकृत की गई है।

(4) गोहाटी स्थित बुनकर सेवा केन्द्र असम में हथकरघा विकास कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता दे रहा है।

(5) करघों के आधुनिकीकरण/खरीद के लिए सहायता दी जाती है।

(6) आसाम के लिए एक गहन हथकरघा विकास परियोजना और एक निर्यात अभिमुख उत्पादन परियोजना को स्वीकृति दी गई है जो कि असम राज्य विपणन निगम लि० द्वारा चलाई जाएगी।

(7) परम्परागत असम वस्त्रों पर आधारित उत्पाद बनाने और विकास करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को अधिकृत किया गया है।

रेशम उद्योग :

(1) चूंकि मूगा उद्योग असम के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन का एक अभिन्न अंग मात्र है अतः केन्द्रीय सरकार ने प्राइमरी उत्पादकों से मूगा कोए खरीदने के लिए कच्चा माल बैंक स्थापित किया गया है ताकि उन्हें अपने उत्पादों की न्यूनतम आर्थिक कीमत मिल सके। इस बैंक ने 15 लाख रु० की मार्जिन राशि से केन्द्रीय

रेशम बोर्ड के तत्वावधान में कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसी आशा है कि इस बैंक की गतिविधियों में वृद्धि होने से इस क्षेत्र में मूगा उद्योग में स्थाई रूप से वृद्धि होती रहेगी।

(2) असम में शहतूती रेशम उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड राज्य सरकार को मलबरी कटिंग्स सप्लाई कर रहा है ताकि राज्य में किसान शहतूती रेशम उत्पादन उद्योग प्रारम्भ कर सके।

(3) इस समय असम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र है जो टीटागढ़ में स्थित है और रेशम की मूगा, अरी तथा मलबरी किस्मों के अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों में कार्यरत है। इस राज्य में रेशम की इन सभी तीनों किस्मों को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध संभाव्यताओं को समझते हुए, केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र में रेशम की तीनों किस्मों में से प्रत्येक के लिए तीन क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। ये 1981-82 से कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

हस्तशिल्प :

(1) असम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हस्तशिल्प की वस्तुओं का विकास करने तथा उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम (एन०ई०एच०एच०डी०सी०) स्थापित किया गया है।

(2) असम सरकार विपणन निगम लि० असम सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने इसकी शेयर पूंजी में भाग लिया है ताकि निगम कच्चा माल खरीद सके एवं उसकी सप्लाई कर सके और अपनी बिक्री गतिविधियों का विस्तार कर सके।

(3) शिल्पकारों की उनके विपणन प्रयासों में सहायता देने हेतु अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड गौरीपुर (असम) में एक विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र चला रहा है।

(4) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड शिल्पकारों की कुशलता बढ़ाने के लिए बेंत तथा बांस के उन्नत प्रशिक्षण केन्द्रों को भी चला रहा है।

खजूरों का आयात

10453. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार कुल कितनी मात्रा में खजूर का आयात किया गया ;

(ख) किस एजेंसी के माध्यम से आयात किया गया था ;

(ग) खजूर लाने के लिए परिवहन के किस माध्यम का उपयोग किया गया ;

(घ) क्या कोई निर्णय किया गया है कि खजूर की ढुलाई के लिए केवल पोत का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस प्रयोजन के लिए जहाजों का उपयोग किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) :

(क)

वर्ष	आयातित मात्रा
1977-78	44579 मे. टन
1978-79	33310 मे. टन
1979-80 (फरवरी, 1980 तक)	26601 मे. टन

(ख) आयात आंकड़े आयातवार नहीं रखे जाते परन्तु 1978-79 से खजूर के आयात की अनुमति सभी व्यक्तियों के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है ।

(ग) भारतीय नौचालन पोतों से आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है परन्तु गुणावगुण के आधार पर परिवहन के अन्य साधनों से भी आयात किए जाने पर विचार किया जा सकता है ;

(घ) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि० को स्टीमर से 3000 मे. टन खजूर आयात करने की अनुमति दी गई है ।

(ङ) कृषि मंत्रालय की सिफारिश पर आयात की अनुमति भारतीय नौचालन पोतों की गैर-उपलब्धता के कारण दी गई थी ।

जम्मू में वैष्णों देवी मन्दिर की यात्रा करने वाले पर्यटकों/यात्रियों की परिवहन की कठिनाई

10454. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वैष्णों देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जम्मू से कटरा तक और यहां तक कि मांग में परिवहन सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या वैष्णों देवी की तीर्थ यात्रा पर आ रहे यात्रियों के लिए आरक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश देना सरकार के लिए सम्भव होगा ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि कभी-कभी दर्शन के लिए सपरिवार जाने वाले लोगों को विशेष कर उन लोगों को जो दिल्ली आना चाहते हैं वापस लौटते समय, आरक्षण नहीं मिलता ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (घ) जम्मू और कटरा के बीच नियमित परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल आवास का आरक्षण "पहले आइए और पाइए" के आधार पर किया जाता है। रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए आरक्षण 4 महीने पहले करवाया जा सकता है और यात्रा जाने के लिए तथा साथ-साथ वापस आने के लिए इस आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जम्मू तवी में, जो कि वैष्णों देवी की यात्रा करने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए रेल हैड है, पर्याप्त आरक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं। भीड़-भाड़ के दिनों में विशेष रेलगाड़ियां खासकर हावड़ा-जम्मू तवी, बम्बई-जम्मू तवी और दिल्ली/नई दिल्ली-जम्मू तवी के बीच चलाई जाती हैं।

पालम हवाई अड्डा और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के सीमा शुल्क निकासी भवन पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की कार्यविधि

10455. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे और केन्द्रीय भांडागार निगम के सीमाशुल्क निकासी भवन के किसी निरीक्षक (एयर कस्टम पूल) अधीक्षक/सहायक-कलेक्टर/उप-कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के पदों पर एक समय में नियुक्त रहने की अवधि निर्धारित की गई है ताकि स्वस्थ और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि ये पद बड़े प्रभाव वाले अधिकार-युक्त होते हैं, यदि हां, तो कितनी अवधि तक;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पालम हवाई अड्डे और केन्द्रीय भांडागार निगम के गोदाम पर गत तीन वर्ष से अधिक (विभिन्न श्रेणियों में उनकी कुल सेवा मिलाकर) अवधि से तैनात हैं और उनके लगातार एक ही स्थान पर बने रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूरे ढांचे में रद्दोबदल करने और लम्बे समय से तैनात सभी व्यक्तियों का स्थानान्तरण करने के लिए उनका क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) और (ख) पालम पर एयर पूल अथवा एयर कार्गो कम्पलैक्स में तैनात किसी अधिकारी का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष

होता है। दिल्ली समाहर्तालय के सीमा शुल्क पक्ष की कतिपय अन्य शाखाएं भी, जो मालसूची, निकासी अनिकासित माल का गोदाम, आंकड़े, आदि जैसे सम्बद्ध कार्य करती हैं, प्रशासनिक सुविधा के कारण पालम पर स्थित हैं। ऐसी शाखाओं में तैनात अधिकारी निकासी अथवा हवाई-यात्री अथवा हवाई माल से सम्बद्ध कार्य सीधे नहीं करते हैं।

इस ससय पालम पर तैनात 213 ग्रुप 'ग' कार्यकारी अधिकारियों में से केवल सात ही ऐसे हैं जो किसी एक क्षमता में निरंतर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक तैनात रहे हैं : और इस समय पालम पर तैनात 45 ग्रुप 'ख' कार्यकारी अधिकारियों में से केवल तीन अधिकारी ही ऐसे हैं जो निरंतर तीन से अधिक वर्षों की अवधि से वहां तैनात हैं। तथापि इन अधिकारियों को भी, पालम पर इनकी तैनाती के दौरान, निरंतर एक ही काम पर नहीं रखा गया है और इनमें से अधिकांश को बारी-बारी से जनता के साथ सम्पर्क में आने (पब्लिक डीलिंग) और नहीं आने वाले कार्यों पर तैनात किया जाता रहा है। पालम पर तैनात किए गए विभिन्न ग्रेडों के नौ ग्रुप क' अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी ही ऐसा है जो वहां निरन्तर तीन से अधिक वर्षों से तैनात है। उस अधिकारी ने सामान्य कार्यकाल की निर्धारित अवधि अभी मार्च 1981 में ही पूरी की है और उसे शीघ्र ही वहां से स्थानांतरित किया जाना है।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पालम पर, एयर पूल तथा एयर कार्गो अधिकारियों के लिए निर्धारित सामान्य कार्यकाल का, कुल मिलाकर, पालन किया जा रहा है।

(ग) एयर पूल में 25 प्रतिशत कर्मचारियों की तैनाती बाहर के समाहर्तालयों से करने, उनके सामान्य कार्यकाल को तीन वर्ष तक सीमित रखने और नियमित रूप से उन्हें बारी-बारी से लगाते रहने के सम्बन्ध में अनुदेश पहले ही से मौजूद हैं।

बड़े उद्योग गृहों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क सम्बन्धी मामले

10456. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या वित्त मंत्री आयकर में नीचे के अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील के मामलों में 10 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7260 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह पहले चार उद्योग-गृहों के सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के मामलों सम्बन्धी ब्योरा एकत्र करेंगे तथा उसे सभा पटल पर रखेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'पैसेन्जर्स नाईटमेयर एट दिल्ली एयर पोर्ट' शीर्षक समाचार

10457. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री रशीद मसूद
श्री राजेश कुमार सिंह
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस' नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल, 1981 में 'पेसेन्जर्स नाइटमेयर एट दिल्ली एयरपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थिति को सुधारने तथा यात्रियों को ऐसी परेशानियों से बचाने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 8 अप्रैल, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की विषयवस्तु से सभी सम्बन्धित एजेन्सियों को उस पर उपचारी कार्यवाही करने के लिए अवगत करा दिया है। समाचार रिपोर्ट में प्रकाशित शिकायतों के बारे में एक तथ्यात्मक ब्यौरे विवरण मे दिए गए है।

विवरण

मुख्य शिकायतें लोडरों, वाहक पट्टों (कन्वेयर्स) के अनियमित कार्यचालन, टायलेट्स की अपर्याप्त व्यवस्था, प्रस्थान साइड पर 'चैक-इन' क्षेत्र में मुलाकातियों के प्रवेश तथा निर्धारित सीमा से अधिक सामान को क्लीयर कराने के लिए बिचौलियों की दखलंदाजी के बारे में थीं। उपर्युक्त प्रत्येक शिकायत की सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से जांच की गयी है और उनके परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

1. लोडरों के विरुद्ध शिकायतें

सीमा-शुल्क से सामान को क्लीयर करने के लिए बिचौलियों के रूप में कार्य करने वाले लोडरों के बारे में सीमा-शुल्क अधिकारियों अथवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लोडरों की नियुक्ति एयर लाइनों द्वारा की जाती है।

2. कन्वेयर बैल्टों का कार्यचालन

भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने बताया है कि कन्वेयर बैल्ट संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं और फ्लाइट नम्बरों को दर्शाने के लिए इन कन्वेयर्स के ऊपर इलेक्ट्रानिक फ्लाइट इंडिकेटर बोर्ड लगाए गए हैं।

3. आगमन हाल में टायलेट सुविधाएं

आगमन हाल में महिलाओं तथा पुरुषों के लिए टायलेट सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं और सामान्यतः साफ रहती हैं। तथापि, कुछ अवसरों पर जब अधिक संख्या में यात्री टायलेट-का प्रयोग करते हैं तो जब तक यात्रियों की भीड़ कम नहीं हो जाती, उन्हें लगातार साफ रखना संभव नहीं है।

4. प्रस्थान साइड पर 'चैन-इन' क्षेत्र में मुलाकातियों का प्रवेश

गेट पर तैनात कर्मचारियों द्वारा यात्रियों तथा मुलाकातियों में आसानी में पहचान नहीं की जा सकती और कर्मचारियों द्वारा इस किस्म की कोई पूछताछ करने से अशिष्ट व्यवहार की शिकायतें होने लगती हैं। तथापि, एयरलाइन्स आपरेटर्स कमेटी के परामर्श से इस समस्या का समाधान करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

5. अधिक सामान को कब्जीपर करने में बिचौलियों द्वारा दखलंदाजी

भ्रष्टाचार के अपराधी पोर्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। की गयी सभी शिकायतों की पूर्ण रूप से जांच की जाती है तथा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में पर्यटक सुविधाओं के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की योजना

10458. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं;

(ख) क्या उस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो वे योजनाएं क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पश्चिम बंगाल में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर समन्वित और एकीकृत ढंग से आधारित संरचना सम्बन्धी सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार से परामर्श करके निम्नलिखित यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं :—

(एक) कलकत्ता-सुन्दरबन-कलकत्ता

(दो) दार्जिलिंग-मणिभंजंग-टोंगलू-संदकफू-फालूत-संदकफू-रिम-बिक-पल्माजुआ-धोत्रे-दार्जिलिंग

(तीन) कलकत्ता-कमारपुकूर-जयरामबटी-विष्णुपुर-बांकुरा-अजोध्या हिल्स और वापसी, जो व्यवहार्यता अध्ययन पर निर्भर करेगा।

धनराशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, राज्य सेक्टर के कार्यकलापों को पूरा करने के लिए स्कीमें केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत प्रारम्भ की जाएंगी।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में ये शामिल हैं :—

(1) व्यवहार्यता अध्ययन और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए, कलकत्ता में एक नई होटल परियोजना प्रारम्भ करने के लिए 50.00 लाख रुपए का प्रावधान।

(2) 20 लाख रुपए की लागत पर होटल एयरपोर्ट अशोक के 50 कमरों को पुनः सुसज्जित करना।

दिल्ली स्थित अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास विचाराधीन आयकर निर्धारण सम्बन्धी अपीलें

10459. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास आयकर निर्धारण सम्बन्धी अपीलों के अनेक मामले विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 के अन्त तक ऐसे मामले कितने थे; और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री भगन भाई बरोट) : (क) जी, हां।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में अपीलीय सहायक आयुक्त के पास 28,657 अपीलें बकाया पड़ी हैं।

(ग) अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास बकाया पड़े, कार्यभार को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) बकाया पड़ी अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए दिल्ली अधिकार क्षेत्र में नवम्बर, 1980 से 7 अतिरिक्त अपीलीय सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की गई है।

(2) सम्बन्धित आयकर आयुक्त और निरीक्षण निदेशक (आयकर) द्वारा अपीलीय सहायक आयुक्तों के कार्य निष्पादन की प्रत्येक महीने समीक्षा की जा रही है। प्रत्येक अपीलीय सहायक आयुक्त के लिए अपील निपटान कोटा निर्धारित किया गया है।

सांविधिक अपील फार्म में, मांगी गई कर की रकम अथवा निर्धारित की गई कुल आय की रकम का अपीलकर्ता द्वारा उल्लेख किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार, बकाया पड़े मामलों में अन्तर्ग्रस्त रकम का उल्लेख करना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दिया जाना

10460. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं ने शिक्षित बेरोजगार लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79, 1979-80 और अप्रैल से दिसम्बर, 1980 में शिक्षित बेरोजगार लोगों को अलग-अलग कितना ऋण दिया गया तथा उन लोगों की कुल संख्या क्या है, जिन्हें ऋण दिए गए हैं; और

(ग) मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में शिक्षित बेरोजगार लोगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक कृषि, लघु उद्योग, लघु परिवहन, खुदरा व्यापार तथा छोटे कारबार, व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्ति आदि जैसे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को ऋण देकर शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों के लिए आत्म-नियोजन के अवसर प्रदान करने के प्रयास करते रहे हैं। अलबत्ता, आंकड़ा सूचना प्रणाली से शिक्षित बेरोजगारों को अलग श्रेणी के रूप में बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सहायता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती। ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषण वाले ऋण खातों की कुल संख्या, जो कि राज्य में स्वनियोजित उद्यमियों के वास्ते बढ़ते हुए सहयोग के प्रवाह का संकेत देती है, दिसम्बर 1978 के 4,43,629 से बढ़कर दिसम्बर 1979 में 5,19,828 हो गई। इस अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में बकाया ऋणों की राशि भी 201.70 करोड़ रुपये से बढ़कर 228.86 करोड़ रुपये हो गई।

(ग) बैंक, अपनी ऋण प्रक्रियाओं के सरलीकरण, आवेदनों के त्वरित निपटान, मार्जिन तथा सिक्योरिटी की आवश्यकताओं में छूट आदि के माध्यम से स्व-नियोजन के लिए छोटे ऋण-कर्ताओं को ऋण के प्रवाह में वृद्धि के प्रयास करते हैं। ऋण वितरण के रोजगार निर्माण के पहलू का ध्यान में रखकर सभी लीड जिलों के वास्ते जिला ऋण आयोजनाएं तैयार की गई हैं। हाल ही में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों को 1985 तक अपने कुल अग्रिम के 40 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचा दें। आशा है कि इन उपायों के कार्यान्वयन से पूरे देश में बेरोजगारों को अधिकाधिक स्वनियोजन उद्यम अपनाने में मदद मिलेगी। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों/जिलों में स्थित एककों से 25,000 रुपये तक के संमिश्र ऋणों तथा आवधि ऋणों पर अपेक्षाकृत कम दरों पर ब्याज लिया जाता है। इसके अलावा, जिन जिलों/क्षेत्रों को वर्गीकरण में संशोधन करके औद्योगिक दृष्टि से अत्याधिक पिछड़ा क्षेत्र माना गया है, उनमें स्थापित एकक यथास्थिति कुल स्थायी पूंजी निवेश

अथवा अतिरिक्त कुल स्थायी पूंजी निवेश के 15 प्रतिशत केन्द्रीय आर्थिक सहायता पाने के पात्र हैं। परन्तु, यह राशि अधिक से अधिक 15 लाख रुपये तक हो सकती है।

पीयरलेस कम्पनी द्वारा पालिसियां मंजूर की जाना

10461. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पीयरलेस कम्पनी पालिसियां मंजूर कर रही है और उनमें लगाए गए धन पर काफी ऊंची दर पर ब्याज दे रही है;

(ख) वर्ष 1980 में इस कम्पनी ने वार्षिक कितना बिजनेस किया और धन का किस प्रकार निवेश किया;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का इस संगठन पर कोई नियंत्रण है, क्योंकि इसमें धन लगाने वाले भारी संख्या में व्यक्ति अधिकांश मध्यम वर्ग के हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह कम्पनी एकाएक परिसमाप्त तो नहीं हो जाएगी और यदि हां, तो केन्द्र द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार यह बताया गया है कि यह कम्पनी समाज कल्याण 'बचत योजनाएं' (सोशल वेलफेयर सेविंग स्कीम्स) के नाम से जनता के लिए कुछ योजनाएं चलाती है और 10 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक की अवधियों के लिए जनता को प्रमाण-पत्र जारी करती हैं और इन प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक किस्तें इकट्ठी करती है। प्रमाणपत्रों के परिपक्व होने पर अभिदाताओं को उल्लिखित बोनस की राशि के साथ प्रमाणपत्रों मे अंकित मूल्य की अदायगी की जाती है।

(ख) आवश्यक सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) इस कम्पनी पर केन्द्रीय सरकार का कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबन्दी) अधिनियम, 1978 के, जिसे 12 दिसम्बर, 1978 से लागू किया गया था, उपबन्धों और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में पश्चिम बंगाल सरकार ने 10 सितम्बर, 1979 को इस कम्पनी के नाम नोटिस जारी किया था कि वह अपना परिसमापन कार्यक्रम प्रस्तुत करे। कम्पनी ने यह दावा किया कि उसका कारबार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता और उसने केन्द्रीय, राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। यह मामला अभी न्यायाधीन है।

इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकहित में कम्पनी को यह निदेश दिया है कि वह रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना तथा प्रमाणपत्र धारियों को की जाने वाली वापसी अदायगी के सिवाय, एक बैंक के पास रखे गये जमा पत्रों तथा सरकारी प्रतिभूतियों को न निकाले ।

शेयरों के अंकित मूल्य में कमी करने के लिए जोयन्ट स्टाक कम्पनियों को निर्देश

10462. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान सभी पुरानी जोयन्ट स्टाक कम्पनियों को यह निदेश दिया है कि वे 1983 से पूर्व अपने शेयरों का अंकित मूल्य घटा कर प्रति शेयर 10 रुपए कर दें ;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश का क्या प्रभाव होगा; और

(ग) बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बद्ध उन जोयन्ट स्टाक कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें ऐसे आदेश दिए गए हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) तथा (ख) जी, हां । 17 फरवरी, 1981 को सरकार ने देशभर के समस्त स्टाक एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि समस्त सूचीबद्ध कम्पनियों की ऐसी सिक्यूरिटियों को, जो कि ऋणपत्रों तथा तरजीही शेयरों के सम्बन्ध में 100 रुपए से इतर मूल्य की हैं और सामान्य शेयरों के मामले में 10 रुपए से इतर मूल्य की हैं, 31 दिसम्बर, 1983 से पहले इन्हीं मूल्य वर्गों में रूपान्तरित कर दिया जाए। इसलिए ऐसी समस्त सूचीबद्ध कम्पनियों को, जिनकी सिक्यूरिटियां इन मूल्यों से इतर मूल्यवर्गों की हैं अपनी सिक्यूरियों को इन्हीं मूल्यवर्गों की सिक्यूरिटी में रूपांतरित कराने के लिए 31 दिसम्बर, 1983 से पहले कार्रवाई करनी होगी । यह कार्रवाई इस उद्देश्य से की गई है कि सिक्यूरिटियों का अंकित मूल्य मानकित किया जा सके ताकि साधारण निवेशकर्ता स्टाक एक्सचेंजों की घटबढ़ को और ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सके ।

(ग) 31 दिसम्बर, 1979 को, बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित 386 कम्पनियों की सिक्यूरिटियां देश के स्टाक एक्सचेंजों में दर्ज थीं । इनमें से 212 कम्पनियों की सिक्यूरिटियां पहले से ही, सरकार के 17 फरवरी, 1981 को जारी किए गए उपर्युक्त निर्देश में व्यवस्थित मूल्य वर्गों का है । एक और कम्पनी की सिक्यूरिटियां भी स्टर्लिंग में हैं । शेष 173 कम्पनियों में से 108 कम्पनियों की सिक्यूरिटियां आंशिक रूप में उपर्युक्त व्यवस्थित मूल्यवर्गों में है परन्तु 68 कम्पनियों की सिक्यूरिटियां पूर्णतया इस व्यवस्थित मूल्यवर्ग की नहीं है । इन 108 तथा 686 कम्पनियों के नाम तथा इनकी सिक्यूरिटियों के अंकित मूल्य का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण 'क' तथा 'ख' में दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-2571/81]।

मंगलूर पैलेट संयन्त्र के लिए ठेका दिए जाने के लिए भारत-अमरीका और पश्चिम जर्मनी वार्ता

10463. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलूर पैलेट संयंत्र के लिए ठेका दिए जाने हेतु अमरीका की ए०एल०आई० एल०एस० चेम्बर तथा पश्चिम जर्मनी के लुर्गी के बीच हाल में बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य पार्टियों के साथ-साथ मेसर्स एलिसचामर्स और मेसर्स लुर्गी के साथ की गई बातचीत तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले और स्पष्टीकरण/पुष्टिकरण के आधार पर आशा है कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड शीघ्र ही सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी।

विस्कोस स्टेपल फाइबर के मूल्यों में वृद्धि

10464. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इंडिया मिल्स एसोसिएशन ने 15 अप्रैल से और पुनः 25 मई से विस्कोस स्टेपल फाइबर के मूल्यों में वृद्धि करने के ग्वालियर रेयंस के प्रस्ताव के प्रति विरोध व्यक्त किया है;

(ख) अक्तूबर, 1980 और मई 1981 के मध्य ग्वालियर रेयंस द्वारा वृद्धि करने के क्रम ने फाइबर के मूल्यों को 34 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है;

(ग) क्या इससे देश के हथकरघा और विद्युत चालित करघे के बुनकरों पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सिलसिला शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या गत नवम्बर में विस्कोस थटेपिल फाइबर पर तीन रुपए प्रति किलो ग्राम तक शुल्क में कमी का लाभ समाज के कमजोर वर्गों के उपभोक्ताओं को मिलने के बजाय स्वयं बड़े निर्माताओं द्वारा इस दलील पर ले लिया गया कि विस्कोश स्टेपल फाइबर की उत्पादन लागत वृद्धि होती रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (ङ) विस्कोस स्टेपल रेशे पर लागू उत्पादन शुल्क को 1-11-80 से 4.80 रु०/कि० ग्रा० से घटा कर 3.00 रु०

कि० ग्रा० अर्थात् 1.80 रु०/कि० ग्रा० (न कि 3.00 रु०/कि० ग्रा०) कर दिया गया है। साऊथ इंडिया मिल एक एसोसिएशन और साथ ही अन्य प्रयोक्ताओं ने विस्कोस की कीमतों में बाद में हुई वृद्धि के प्रति, जो आज की तारीख तक लगभग 287 बैठती है, विरोध व्यक्त किया है। इस सामग्री की कीमत तथा वितरण पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है। वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए विस्कोस स्टेपल रेशे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के विचार से ओ० बी० एल० आधार पर इसके आयात की अनुमति दी जाती है। कुल मिलाकर इस नीति से कीमतों को समुचित स्तरों पर बनाये रखने में सहायता मिली है। तथापि, संभव प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार विनिर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के बीच विस्कोस स्टेपल रेशे की ऐच्छिक तथा व्यावहारिक उचित कीमत के बारे में बातचीत कर रही है।

विदेशी मुद्रा

10465. **श्री के० मालन्ना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी संभावना है कि भारत आगामी दो वर्षों में विदेशी मुद्रा के संकट को दूर करने की स्थिति में हो जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने और विदेशी सहायता पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार विदेशी सहायता के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों का जहां तक ये उपलब्ध होंगे उपयोग करेगी। जहां जरूरी समझा जाएगा, वहां निर्यात ऋणों का सहारा लिया जाएगा और उपयुक्त मामलों में सरकार के ऋण की वापसी अदायगी सम्बन्धी दायित्व को विवेकपूर्ण सीमाओं तक रखने की बात को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक ऋणों का भी सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार देश में क्षमता के पहले से अच्छे उपयोग के लिए और देश में उत्पादन के रास्ते में आने वाली रूकावटों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। उत्पादन के अत्यावश्यक क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्षमता का भी विस्तार किया जा रहा है। देश में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के काम में तेजी लाने, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि देश बढ़ती हुई आयात की आवश्यकताओं के लिए अदायगी कर सके।

इंडियन एयरलाइंस में तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

10466. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस में तृतीय श्रेणी के पदों पर प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में (एक) नई दिल्ली, (दो) बम्बई, (तीन) कलकत्ता, (चार) मद्रास में कितने प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया; और

(ग) प्रशिक्षुओं की परिलब्धियां क्या हैं और प्रशिक्षण पूरा होने पर उनके रोजगार के अवसर क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्वः नियोजन के लिए दिए गये ऋण

10467. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बेरोजगार स्नातकों/मैट्रिक पास को स्वःनियोजन के लिए कोई ऋण दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा इस अवधि में जिलावार कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कोई राशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई और कितने ऋण वस्तुतः दिये गए; और

(ङ) क्या इनमें से प्रत्येक बैंक द्वारा इस राशि में वृद्धि की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक, हिमाचल प्रदेश समेत, पूरे भारत में कृषि, लघु उद्योग, लघु परिवहन, खुदरा व्यापार तथा छोटे कारबार, व्यावसायिक तथा स्वनियोजित व्यक्ति आदि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण की मात्रा बढ़ा कर शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगारों के वास्ते आत्म नियोजन के अवसर प्रदान करने के प्रयास करते हैं।

(ख) वर्तमान सूचना प्रणाली में बैंकों द्वारा बेरोजगार स्नातकों/मैट्रिकुलेटों को दी गई ऋण सहायता के बारे में एक अलग श्रेणी के रूप में सूचना एकत्र नहीं की जाती।

(ग) से (ङ) बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों का अंश, 1985 तक, उनके कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना है। यह लक्ष्य, सारे देश में प्रत्येक बैंक द्वारा, उसके द्वारा दिए जाने वाले समग्र अग्रिमों के सम्बन्ध में प्राप्त किया जाना है। अलबत्ता, हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों के उपलब्ध आंकड़े तथा राज्य के सकल अग्रिमों में उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपये)

निम्नलिखित के अन्त की स्थिति के अनुसार	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन कुल बकाया राशि	राज्य में दिए गए कुल अग्रिमों के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का प्रतिशत
दिसम्बर, 1977	1242.48	54.5
दिसम्बर, 1978	1897.59	56.5
दिसम्बर, 1979	2741.02	61.6

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

1981-82 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्ताओं के वास्ते नियत कुल राशि, पिछले वर्ष की राशि से अधिक होने की सम्भावना है।

राजस्थान में विदेशी पर्यटकों के दौरों के लिए पर्यटन के महत्व के स्थानों का प्रचार

10468. **श्री चतुर्भुज** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित करने की दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की एक सूची मुख्य रेलवे स्टेशनों, पर्यटक गृहों और महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित की गई है;

(ख) यदि नहीं, क्या ऐसी सूचियों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो प्राकृतिक सौंदर्य; ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की सूची सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) :(क) से (ग) भारत सरकार प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की सूचियों का डिस्पले नहीं करती। तथापि, भारत के विभिन्न

पर्यटक स्थानों की ओर, जिनमें राजस्थान के पर्यटक स्थान भी शामिल हैं, विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटन विभाग पर्यटकों को मुफ्त बांटने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटक प्रचार साहित्य का प्रकाशन करता है। पर्यटन विभाग ने भारत के विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर फोल्डरों, ब्रोशरों, निर्देशिकाओं, मानचित्रों, पोस्टरों आदि के रूप में पर्यटक प्रचार साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रकाशन किया है जिनमें विशेष रूप से राजस्थान पर प्रकाशित निम्नलिखित प्रचार साहित्य भी शामिल है :

1. राजस्थान ब्रोशर
2. भरतपुर-जयपुर-उदयपुर फोल्डर
3. जयपुर सिटी गैप फोल्डर
4. उदयपुर डायरेक्ट्री
5. जयपुर डायरेक्ट्री
6. जोधपुर-जैसलमेर डायरेक्ट्री

पोस्टर

1. राजस्थान मिनी पेंटिंग
2. पुष्कर
3. मैन विद टरबन
4. लीज

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित फोल्डरों/ब्रोशरों में राजस्थान के बारे में सूचना निहित है :—

1. दिस इज इंडिया फोल्डर
2. देहली एंड दी नार्थ फोल्डर
3. वाइल्ड लाइफ ब्रोशर
4. हेरीटेज आफ डांस (फोल्डर)
5. फेयर्स एंड फेस्टिवल्स फोल्डर

केन्द्रीय पर्यटन विभाग और साथ ही साथ राज्यों के पर्यटन विभाग अपने पोस्टरों का भारत में प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर डिस्पले करते हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 'होट टिप्ड' तरीके द्वारा टिन प्लेटों का निर्माण

10469. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र ने टिन-पिंडों की बर्बादी से बचने के लिये अपने उस एकक को बन्द कर दिया है जिसमें 'होट टिप्ड' तरीके से 'टिन प्लेट' बनायी जाती थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संयंत्र 'इलेक्ट्रोप्लेटिंग' तरीके से टिन प्लेटों के उत्पादन के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है और इसकी वर्तमान सुविधाएं टिनिंग संयंत्र को पूरी क्षमता से काम करने के लिए अपेक्षित मात्रा में टिन मिल ब्लेक प्लेट के लिए पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने ही संसाधनों से इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कितनी मात्रा में 'टिन मिल' ब्लेक प्लेट का उत्पादन कर सकता है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राउरकेला इस्पात कारखाने में इलेक्ट्रोलिटिक टिनिंग लाइन की वार्षिक निर्धारित क्षमता 1,50,000 टन है। इलेक्ट्रोलिटिक टिनिंग लाइन की आवश्यकताओं के लिए अपेक्षित मात्रा में टिन मिल ब्लेक प्लेट उत्पादन करने के लिए इस्पात बनाने तथा बेलन की वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं बशर्ते कि लो सल्फर स्टील के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री तथा हॉट-स्ट्रिप मिल और पांच स्टेन्ड वाली ठंडी बेलन टेन्डम मिल के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो। भूत में इलेक्ट्रोलिटिक टिन प्लेट के उत्पादन में कमी, अपेक्षित क्वालिटी के कच्चे माल की अनुपलब्धि तथा बिजली आपूर्ति की स्थिति असंतोषजनक होने के कारण हुई थी।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गये ग्राउन्ड सपोर्ट इक्वीपमेंट की खरीद के बारे में जांच

104*0. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयरबस परियोजना के लिए सितम्बर, 1978 में खरीदे गये कई लाख रुपए मूल्य के 'ग्राउंड सपोर्ट इक्वीपमेंट' की खरीद के मामले में हुई कथित अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले जैसा कि 11 अप्रैल, 1981 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समचार था; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध और मामले को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

'एयर इंडिया पालिसी टु ओवर बुक' शीर्षक समाचार

10471. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अप्रैल, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में 'एयर इण्डिया टु ओवर बुक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाओं से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की नजरों में एयर इण्डिया जैसी राष्ट्रीय विमान सेवा की छवि काफी बिगड़ गई है; और

(घ) बुकिंग की पुष्टि प्राप्त यात्रियों को विशेषतया उनको जिन्होंने विदेशी मुद्रा में अदायगी की है और जो विदेशों से आये हैं उतार देने की बुरी प्रक्रिया को समाप्त करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से हीरों का आयात

10472. श्री ए० ए० रहीम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम गैर-परम्परागत स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की वसूली और वितरण का कार्य शुरू करने की योजना बना रहा है;

(ख) उस मामले में भारतीय हीरा उद्योग में उन्नति होने की आशा है; और

(ग) इस स्रोत के माध्यम से आयात किए जाने वाले हीरों की अनुमानित मात्रा कितनी होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) हालांकि भारतीय उद्योग के लिए बिना तराशे हीरों की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार अभी होने की संभावना है, किन्तु अभी आयात की जाने वाली मात्रा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है क्योंकि अभी हाल ही में खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने बाजार में पुनः प्रवेश किया है।

सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का खोला जाना

10473. श्री हरिहर सोरन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंडीकेट बैंक देश में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और युवकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोल रहा है जिससे उन्हें स्वरोजगार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं और युवकों के स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु उड़ीसा में ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

अभ्रक सलाहकार समिति में मजदूर संघ के प्रतिनिधि को शामिल किया जाना

10474. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मजदूर संघ (सी० एम० एस०) से सम्बद्ध माइकागुडूर मजदूर संघ (अभ्रक मजदूर संघ) के कुल तीन हजार अभ्रक मजदूरों में 2500 मजदूर सदस्य हैं; और

(ख) क्या इस मजदूर संघ में से मन्त्रालय की अभ्रक सलाहकार समिति में इन मजदूरों के कमजोर वर्गों को वास्तविक प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रतिनिधि लिया जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) इस संघ की सदस्यता के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास अधिकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) अभ्रक परामर्श समिति का उद्देश्य है ऐसे उपायों का सुझाव देना जो संसाधित तथा निर्मित अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यात में सुधार करने और साथ ही अभ्रक उद्योग तथा अभ्रक आधारित उत्पादनों के विकास के लिए आवश्यक हों। समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का परामर्श समिति में नामांकन अभ्रक उद्योग के संबंधित क्षेत्र में उनके ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर किया जाता है । बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान के अभ्रक उत्पादक राज्यों से संसद सदस्यों को अभ्रक परामर्श समिति में शामिल किया जाता है ।

राज्यों द्वारा प्राप्त सहायता

10475. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवें वित्त आयोग ने स्थानीय प्रशासन और विकेन्द्रित विकासशील गतिविधियों के आधारभूत एकक के रूप में सामंजस्य हेतु सामान्य प्रशासन और जिला प्रशासन के

विस्तृत कार्यों के लिए राजस्व प्रशासन पर अत्यधिक महत्व दिया है और इन क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने पांच वर्षों के लिए और अब तक प्रत्येक वर्ष सहायता अनुदान प्राप्त किए हैं और जिला प्रशासन का दर्जा बढ़ाने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) इन राज्यों द्वारा जिला प्रशासनों में प्रशासन की किन-किन कठिनाइयों का पता लगाया गया है और अब तक दिए गए सहायता अनुदान का उपयोग कर इन कठिनाइयों को हल करने के लिए क्या प्रस्ताव किए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : (क) जी, हां। सातवें वित्त आयोग ने जिला तथा राजस्व प्रशासन को प्रशासन क्षेत्रों के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में माना है जो सरकार के मूल प्रशासनिक आधार-भूत ढांचे में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं।

(ख) और (ग) जिला तथा राजस्व प्रशासन के उन विशिष्ट क्षेत्रों, जिनके लिए सहायता की आवश्यकता होगी, का पता स्वयं ही आयोग द्वारा लगाया गया है, संलग्न विवरण में ऐसे राज्यों, उद्देश्य और आयोग द्वारा सिफारिश की गई राशियों तथा अब तक दी गई निधियों का उल्लेख किया गया है।

विवरण

(लाख रुपये)

राज्य	उद्देश्य	5 वर्षों के लिए सिफारिश की गई राशि	अब तक दी गई राशि (1979-80 और 1980-81)
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	1. हाल ही में शामिल किये गये 54 तालुकों में प्रशासनिक भवनों/कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण के लिए।	250	112.00
2. असम	1. 2 जिला और 5 सब-डिविजन शामिल करने के लिए।	470	190.00

1	2	3	4
3. बिहार	1. सभी अंचल अधिकारियों को वाहन प्रदान करने के लिए।	263	48.00
	2. 1972 से सृजित किये गये प्रभागों/जिलों/उप-प्रभागों में भवनों का निर्माण	1000	152.00
	जोड़-बिहार	1263	200.00
4. हिमाचल प्रदेश	1. उप रिकार्ड कार्यालयों और प्रतिलिपिकरण अभिकरणों की स्थापना	40	114.66
5. जम्मू और कश्मीर	1. भूमि सुधार संगठन	50	—
	2. मुख्य स्थानों पर ब्लाक केन्द्रों में कार्यालय एवं आवास कम्पलैक्स का निर्माण (जिला मुख्यालयों को छोड़कर)	200	—
	जोड़—जम्मू और कश्मीर	250	—
6. मध्य प्रदेश	1. तहसील और सब-डिविजनों का सीमा निर्धारण	300	—
	2. रायसेन, शाजापुर और दतिया में जिलाधीश कार्यालय सम्बन्धी भवनों और बागली, कुक्शी और जतारे में तहसील भवनों का निर्माण	84	39.00
	3. नये सब-डिविजनों/तहसीलों के सम्बन्ध में आवर्ती और अनावर्ती लागत।	60	—
	जोड़ : मध्य-प्रदेश	444	39.00

1	2	3	4
7. मणिपुर	1. 5 पर्वतीय जिलों में आवासीय और गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए।	500	100.00
8 मेघालय	राज्य की राजधानी के अलावा अन्य स्थानों पर भवनों का निर्माण	150	40.50
9. नागालैण्ड	1. 4 नये सब-डिविजनों का शामिल किया जाना	50	16.60
	2. 4 नये सब-डिविजनों में भवनों का निर्माण	24	—
	जोड़ : नागालैण्ड	74	25.60
10. उड़ीसा	1. 258 राजस्व निरीक्षकों की व्यवस्था	150	—
	2. जिला और सब-डिविजनों का पुनर्गठन	300	30.00
	जोड़ : उड़ीसा	450	30.00
11. राजस्थान	1. अतिरिक्त तहसीलों का सृजन	50	14.54
	2. नई तहसीलों में प्रशासनिक और आवासीय भवनों का निर्माण	350	140.00
	जोड़ : राजस्थान	400	154.54
12. उत्तर प्रदेश	1. 147 सब-डिवीजनों में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण का कार्य पूरा करना प्रशासनिक और आवासीय-भवनों की लागत	2000	722.00
	2. उपर्युक्त से सम्बन्धित आवर्ती और अनावर्ती व्यय	150	30.00
	जोड़ : उत्तर प्रदेश	2150	752.00
	कुल जोड़	6441	1658.30

कन्सेन्ट्रेटों के निपटान की दोष पूर्ण योजना

10476. **श्री मनोहर लाल संनी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी के प्रबन्धकों की अनिश्चित और दोषपूर्ण योजना के कारण कन्सेन्ट्रेट बनाने वाला इसका संयंत्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार आगे बढ़ता रहा और ईरान के साथ हुए मूल समझौते के अनुसरण में उसके उत्पादन की बिक्री की ओर ध्यान नहीं दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्धकों ने समय रहते बिक्री बढ़ाने या पेलेटाइजेशन प्लांट की स्थापना की दिशा में कोई काम नहीं किया ;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप दो वर्ष की अवधि में ही वह संयंत्र कबाड़ मात्र बनकर रह जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस संयंत्र को और आगे कुप्रबन्ध से पेलेटाइजेशन प्लांट की स्थापना करने और प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा कन्सेन्ट्रेट के निपटान का कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) जी, नहीं। ईरान के साथ किए गए संविदागत वायदों को पूरा करने के लिए कुद्रेमुख लौह-अयस्क परियोजना समय-सूची के अनुसार पूरी की जाती थी। बाद में ईरान में हुई घटनाओं के कारण ईरान द्वारा करार के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में अनिश्चितता की स्थिति उस समय पैदा हुई जिस समय परियोजना का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका और चूंकि इस परियोजना में बहुत धनराशि लगी हुई थी अतः परियोजना के कार्य की गति जान-बूझकर धीमी करना देश के हित में न होता। कम्पनी के प्रबन्धक तथा सरकार सांद्रण तथा/अथवा पैलेटों की बिक्री के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैंगलोर में कुद्रेमुख के सांद्रण पर आधारित 30 लाख टन क्षमता का पैलेट बनाने का एक कारखाना लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी हाल ही में पूंजी-निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिया है। मंगलौर में पैलेट बनाने का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में टेंडर-कर्त्ताओं के साथ बातचीत इस समय अन्तिम दौर में हैं।

'सोवियत पर्चेज फ्राम स्टेट-प्राइस हिच इन राइस डील' शीर्षक के प्रकाशित समाचार

10477. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस'—विजयवाड़ संस्करण में 'सोवियत पर्चेज फ्राम स्टेट प्राइस हिच इन राइस डील' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये समझौते में सोवियत रूस को आन्ध्र प्रदेश से निर्यात किये गये चावल का विवरण क्या है और अभी कितना मात्रा में और कब निर्यात किया जाना है ;

(ग) क्या सोवियत रूस ने भी अशोधित तेल और पेट्रोलियम के मूल्य में कुछ रियायतें देने का करार किया है और वह 'ओपेक' मूल्य नहीं लेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस सौदे से भारत को कितना लाभ पहुँचेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम ने 30 अप्रैल, 1981 को विद्यमान स्थिति के अनुसार सोवियत संघ को 72.6 हजार मे० टन चावल सप्लाई किया है । मोटे तौर पर 38.0 हजार मे० टन और 30 जून, 1981 तक भेजा जाना बाकी है ।

(ग) तथा (घ) 19 जून, 1980 को सोवियत संघ के साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार सोवियत संघ को 1980 में भारत को 200,000 टन कच्चा तेल तथा 500,000 टन डीजल तेल सप्लाई करना था । "विशिष्टियां, कीमतें, भुगतान की शर्तें, विशिष्ट तारीखें और डिलिवरी की अन्य शर्तें" सोवियत और भारतीय संगठनों के बीच संविदा करने के समय तय की जानी थीं ।

इस करार से भारत को रुपये में भुगतान के आधार पर कच्चातेल और पेट्रोलियम उत्पाद मिल सकेंगे जिनकी उसे बहुत आवश्यकता है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

सोवियत रूस को चावल का निर्यात

10478. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 करोड़ रु० मूल्य के 50,000 टन चावल के निर्यात के लिये भारत और सोवियत रूस के बीच एक समझौता हुआ था :

(ख) क्या सरकार ने पारस्परिक समझौते की शर्तों के अनुसार चावल की किस्म प्राप्त करने के लिए उप-ठेका देने हेतु, एगमार्क को प्राधिकृत किया था ;

(ग) क्या एगमार्क प्राधिकारियों के साथ सांठगांठ करके लाइसेन्सधारियों तथा उप-ठेकेदार द्वारा चावल के घोटालों का पता चला है जिसमें घटिया किस्म के चावल का निर्यात सोवियत रूस को किया जा रहा था, जिसे रोक दिया गया ; और

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त घोटाले की जांच पूरी कर ली है एगमार्क अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित कर ली है और उस पर निर्णय ले लिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) एक लाख मे० टन बासमती चावल के निर्यात के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किए गए ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) एगमार्क के अन्तर्गत बासमती चावल की ग्रेडिंग में अनियमितताओं के बारे में ग्रमीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को एक बेनाम शिकायक प्राप्त हुई थी । उसकी जांच की जा रही है ।

हावड़ा में स्क्रेप विक्रेता

10479. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि हावड़ा के एक स्क्रेप विक्रेता (बिहार) में स्क्रेप के रूप में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की खरीद कर रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस स्क्रेप विक्रेता के पास वाले धन की भारी मात्रा है और यह अनेक गैर कानूनी कृत्यों में अन्तर्ग्रस्त है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आय कर विभाग ने हावड़ा में इस स्क्रेप विक्रेता कम्पनी के मामलों की जांच की है ;

(घ) क्या सरकार इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कराएगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मगनभाई बरोट) : (क) से (ङ) जी, हां । सरकार को जानकारी है कि हावड़ा के एक कर निर्धारिती ने भारतीय उर्वरक निगम (लि०), सिन्दरी से निरर्थक, संयंत्र, संरचनाओं तथा पालतू पुर्जों की खरीद की है । आयकर विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 7231 दिनांक 10-4-1981 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खोलने से संबन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या 7231 के उत्तर में, पहले पैराग्राफ में

एक त्रुटि रह गयी थी। पुहले पैराग्राफ को, "इस समय राजस्थान में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर०आर०बी०) कार्यरत हैं जिनकी व्याप्ति 8 जिलों में है। इस प्रकार के दो और बैंकों के शीघ्र खोले जाने की सम्भावना है जिनकी व्याप्ति के अन्तर्गत 4 और जिले आ जायेंगे," के स्थान पर जब इस प्रकार पढ़ा जाये, "इस समय, राजस्थान राज्य में 10 जिलों को व्याप्त करते हुए पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। दो और जिलों को व्याप्त करने के लिए, यथाशीघ्र एक और बैंक की स्थापना की संभावना है।"

राजस्थान में पांचवा बैंक, अर्थात् अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर अभी हाल ही में स्थापित किया गया था तथा मूल प्रश्न का उत्तर देते समय ध्यान में नहीं आया था। इस अशुद्धि के लिए खेद है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 798 दिनांक 20 फरवरी, 1981 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के अन्तिम वाक्य में उल्लिखित शब्द "1.57 करोड़ रुपये" पढ़ा जाए।

उत्तर को सही करने में विलम्ब के कारण

ये गलती टाइपिंग की थी, जिसका कुछ देर से पता चला। उसके बाद संबंधित संगठन से इस जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के लिए लिखा गया। अतः विसंगति को मूल उत्तर की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर दूर करना संभव नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करता हूं कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। हरियाणा के विधायक श्री स्वामी अग्निवेश···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब। आपके पूछने से पहले मुझे···अनुमति देनी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक अनुरोध करता चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना मैं बात नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं है। कहे जाने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। कुछ नहीं श्रीमन्। (व्यवधान)** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है। मैं इसे पसन्द नहीं करता। इसके बारे में कुछ भी नहीं है। हमारे यहां न्यायालय हैं। हम कानून की शरण ले सकते हैं (व्यवधान)** नहीं श्रीमन्। (व्यवधान)** नहीं मैं इससे सहमत नहीं। यह देश एक स्वतंत्र देश है, और कोई भी व्यक्ति उस बात की अनुमति नहीं दे सकता···

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका निष्कर्ष क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या निष्कर्ष निकालना है? आप मुझसे क्या किए जाने की आशा करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैं आपकी अनुमति मांग रहा हूं?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कहता हूं कि मुख्य मंत्री स्वामी अग्निवेश को धमकी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं कि हमारा स्वतंत्र देश है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं दे सकता। नहीं। वह कानून की शरण ले सकता है। (व्यवधान)** नहीं। इसका कोई प्रश्न नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती। कृपया बैठ जाइए। आप वैसी ही बात कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक अत्यन्त दुःखद समाचार आया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचिव···

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। इस बारे में कुछ नहीं करना है। यह एक प्रशासनिक मामला है। (व्यवधान)* नहीं, अनुमति नहीं दी जाती। (व्यवधान)** कृपया बैठ जाइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज आप एक पुलिस आयुक्त जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी अन्य के सदृश व्यवहार नहीं कर रहा। समाचार पत्र कुछ कह सकते हैं। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। जो उन्होंने कहा है। उसकी कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जाएगी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक एडजोर्नमेंट मोशन तथा एक प्रिवलेज मोशन मैंने दिया है। पहले किसे लूं?

अध्यक्ष महोदय : ऐडजोर्नमेंट मोशन मैंने अस्वीकृत कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान : सुप्रीम कोर्ट ने श्री पटनायक के बारे में—

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं नवीनतम स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। (व्यवधान) गृह मन्त्री ने कहा है कि पहले वे सारे मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद उससे सदन को अवगत करायेंगे। श्री नागभूषण पटनायक के बारे में नवीनतम स्थिति यह है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने सूचित

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

किया है कि दिल्ली पुलिस को अभी तक उच्चतम न्यायालय से श्री नागभूषण पटनायक की रिहाई के लिए कोई आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। पुलिस आयुक्त को आंध्र-प्रदेश सरकार से संपर्क करने के लिए कहा गया है। संभवतः रिहाई के आदेश आंध्र प्रदेश सरकार के पास चले गए होंगे। इसलिए पुलिस आयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार से और उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार से भी सम्पर्क करने के लिए कहा गया है···(व्यवधान) रजिस्ट्रार से सम्पर्क किया गया है, और हम इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार का मत जानना चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : देखिये, मेरा एडजार्नमेंट मोशन कितने महत्व का होता है।

मैंने प्रिवलेज मोशन आल इंडिया रेडियो के खिलाफ दिया है। यहां पर बस्तर में बी० बी० सी० की घटना के सम्बन्ध में बहस हुई थी। उस पर हाँगा एडीटर आया था। उसके बारे में एक लाइन भी मेंशन नहीं की गई। इसके पहले भी ऐसे हुआ है—

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी—खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : एक का जवाब तो दे लेने दीजिए। अगर स्वामी ही कष्ट में होंगे तो हमारा क्या होगा ?

श्री राम विलास पासवान : मैंने एक प्रिवलेज मोशन 222 में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आ गया है। मैं पता करूंगा। जैसा कल यहां हुआ है और अखबारों में पूरा विवरण आया है और वह जरूरी बात थी और अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो मैं पूछूंगा।

श्री राम विलास पासवान : आकाशवाणी ने नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा।

श्री राम विलास पासवान : हमेशा होता है।

अध्यक्ष महोदय: यह देश के हित की बात थी। इसका आना जरूरी था। मैं पता करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु—खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पास आऊंगा, जैसा कि जानते हैं, मैं हमेशा करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने एक प्रिवलेज मोशन और एक एडजर्नमेंट मोशन दिया है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थिति बड़ी खराब है। इसको कन्ट्रोल करने में सरकार असफल रही है। इसके सम्बन्ध में मेरा एडजर्नमेंट मोशन है—

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त करने दीजिए । अगर प्रिवलेज मोशन दिया है तो मेरे पास ही आएगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : बहुत दिन हो गए हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ है । मन्त्री जी ने गलत रिपोर्ट दी है । कालाजार से दो नहीं दो सौ मरे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : 115 में आएगा ।

श्री हरिकेश बहादुर : आज यह एक अलग बात है । मैंने स्वास्थ्य मन्त्री के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह आपको नियम 115 के अन्तर्गत करना है ।

श्री हरिकेश बहादुर : सैशन खत्म हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : सैशन फिर भी होगा । आज थोड़े ही खत्म कर देंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : नियम 2 के अंतर्गत मैं एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाता हूं । जल्दी ही हम अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने जा रहे हैं । हम जानना चाहेंगे कि सदन का कार्यकारी नेता कौन है ताकि..... ?

अध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे । चिंता मत कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : खालीपन की स्थिति में हम काम नहीं कर सकते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं 3-3-81 को श्री फलेरियो के विरुद्ध उनके कथन के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय देने जा रहा हूं ।

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : नियम 115 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिए मुझे छः सप्ताह से अधिक का समय हो गया है । उसका एक भी उत्तर नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके बारे में आपको बता चुके है । हमने आपके उस निर्णय से कि यह स्वीकार्य नहीं है, आपको अवगत करा दिया है । (व्यवधान)

डा० वसंत कुमार पंडित : आपके विभाग ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया है ।

श्री एडुआर्डो फलेरो (मारमागाओ) : मैंने एक नोटिस दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने 6 मार्च को श्री ज्योतिर्मय बसु के विरुद्ध चीनी अधिकारियों को गोपनीय सूचना पहुँचाने के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या आज आप अपनी टिप्पणी दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री निरेन घोष (दमदम) : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री नीरेन घोष : मैंने आपको·····के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया था (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकृत कर दिया है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कृपया आप याद करेंगे कि मैंने नियम 222 के अन्तर्गत दो नोटिस दिए हैं। एक ज्योतिर्मय बसु के खिलाफ था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ।

प्रो० के० के० तिवारी : दूसरा, सदन के कुछ सदस्यों के वक्तव्य की आलोचना करने के लिये उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता परिषद के खिलाफ था।

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है। मैं समझता हूँ उसे स्वीकार न किए जाने के बारे में आपको सूचित कर दिया गया है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैंने एक मोशन दिया है। गाजीपुर के भरदड़ा थाना के कोर गांव में पुलिस द्वारा भयानक लूटपाट और बलात्कार—

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। यह कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्या है। (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)।

विशेषाधिकार के मामले

अध्यक्ष महोदय : उच्चतम न्यायालय में एक मुकदमे के सम्बन्ध में जिस पर कार्यवाही चल रही थी निम्न टिप्पणी करने के लिए जैसाकि एक समाचार-पत्र की रिपोर्ट में बताया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, श्री वाई० वी० चन्द्रचूड़ और एक अन्य वकील श्री बी० डी० तुलजापुरकर के विरुद्ध सर्व श्री रामविलास पासवान, के० लकप्पा और राजेश कुमार सिंह ने, विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस दिए हैं :

[अध्यक्ष महोदय]

".....वे, जो संसद में राष्ट्र के लिए भाषण करते हैं, एक समान दायित्व की भावना से ऐसा करते है, सिर्फ इसलिए कि वे संसद में हैं, वे जो कुछ चाहे कह सकते हैं, क्योंकि वे निरापद हैं ऐसा समझा जाता है कि वे यह कह कर सभा की चर्चाओं को जीवंत बनाते हैं कि सभी न्यायाधीश अपनी कुर्सियों पर बैठे रहते हैं।"

विधि मंत्रालय से एक तथ्यपूर्ण नोट मंगाया गया था और उसमें उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार से तथ्य मंगाकर भेज दिए हैं। मैंने लोकसभा की वह कार्यवाही नहीं देखी है जिसमें एक माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के कार्य निष्पादन का सार-गर्भित रूप में उल्लेख किया है।

जबकि इस सदन के सदस्य संविधान में प्रदत्त वाक्स्वातन्त्रय का उपभोग करते हैं, हमें स्वयं को इस बात का स्मरण कराना है कि इसे लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के साथ-साथ निषेधों की जिनका कुछ मामलों के सम्बन्ध में लोकसभा में वाद-विवाद के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। पुष्टि करनी हैं। इस सम्बन्ध में, मैं संविधान के अनुच्छेद 121 को याद दिलाना चाहूँगा जिसमें विशेष रूप से इस बात का प्रावधान किया गया है कि "उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को आगे उपबंधित रीति से हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के अतिरिक्त कोई और चर्चा के समय संसद में ऐसे किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य-पालन में किए गए आचरण के विषय में न होगी।"

संविधान ने संसद के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लिए निर्दिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदार दायित्व नियत किए हैं और उन्हें परस्पर समादर करना है। यह हितकारी बात होगी यदि संविधान में निर्धारित लोक तांत्रिक नियमों तथा परम्पराओं का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन किया जाए और कि इन संस्थाओं से सम्बन्धित लोग अपनी-अपनी सीमाओं को नहीं लांघे ताकि, संविधान में निहित आदर्श अवधारणा सजीव वास्तविकता बनी रहे और उपहास बनकर न रह जाए।

मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारे देश में कायम लोकतंत्र की मजबूत परम्परा से ये संस्थाएं एक दूसरे की पूरक होंगी और समग्र राष्ट्र के लिए शक्ति का स्रोत होंगी। 4 मार्च, 1981 को सर्वश्री एडुआर्डो फैलीरो, राजेश पायलट, के० के० तिवारी और अशोक गहलौत ने श्री ज्योतिर्मय बसु, द्वारा 3 मार्च, 1981 को यह स्वीकार करने पर कि उन्होंने भारत तथा चीन के बीच मैकमाहोन सीमारेखा के बारे में विदेश मंत्री से पत्र-व्यवहार किया था और यह कि इन्होंने मंत्री महोदय से प्राप्त सूचना चीन को भेजी है के प्रश्न पर विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस दिया है। बाद में श्री कमल नाथ ने भी इसी प्रकार का नोटिस दिया है।

ये नोटिस मेरे निदेश के अन्तर्गत श्री ज्योतिर्मय बसु को इस अनुरोध के साथ भेजे गए थे कि वह मामले में जो कहना चाहते है बताएं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने 7 मई, 1981 के अपने पत्र में

अन्य बातों के साथ-साथ कहा भी रहा है कि "उस दिन सदन में जब मैंने यह कहा था कि "मैंने ऐसा किया है, वह इस संदर्भ में था कि मैंने विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा था, क्योंकि मंत्री महोदय ने उस संसद सदस्य का नाम नहीं बताया था जिसने भारत-चीन सम्बन्धों के सम्बन्ध में मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण पाने के लिए उन्हें पत्र लिखा था।"

श्री ज्योतिर्मय बसु ने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के माध्यम से जो वे सदन में देना चाहते थे एक विस्तृत नोट भी दिया है। चूंकि मामले को उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के रूप में उठाया जाना था अतः मैंने इसे उचित समझा कि उन्हें मामले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दे दी जाए। व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के अन्य बातों के साथ-साथ उस पत्र-व्यवहार का भी कुछ हवाला दिया गया है जो श्री ज्योतिर्मय बसु ने विदेश मंत्री के साथ किया था और, इसलिए, मैंने विदेश मंत्री से एक तथ्यात्मक विवरण देने को कहा था जो मुझे आज प्रातः प्राप्त हुआ है।

मैं मामले की जांच कर रहा हूं।

30 मार्च, 1981 को मैंने सदन को सूचित किया था कि श्री के० पी० उन्नीकृष्णन और कई अन्य सदस्यों ने श्री प्रकाश चन्द्र सेठी, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री ज्ञानी जेलसिंह, गृह मंत्री और अन्य के खिलाफ इस बात की जांच की जाए कि बम्बई हाई काम्पलैक्स के आधार पर यूरिया और अमोनिया उर्वरक संयंत्र बनाए जाने के लिए टेकनालजी और विदेशी सहयोग के चयन 23 दिसम्बर, 1980 को नियम 193 के अन्तर्गत हुई चर्चा के दौरान श्री के० पी० उन्नीकृष्णन को उन फाइलों की, नोटिगों की तथा रिपोर्टों की फोटो प्रतियां किस प्रकार प्राप्त हुई जिनका उन्होंने 23 दिसम्बर, 1980 को चर्चा के दौरान हवाला दिया था और सभा पटल पर रखी थी।

मुझे अब सम्बन्धित मंत्रालयों से, पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा गृह मंत्री की स्वीकृति से टिप्पणियां प्राप्त हो गई है। प्राप्त हुई तथ्यात्मक सूचना के संदर्भ में मैंने श्री उन्नीकृष्णन से अनुरोध किया था कि वे मुझे मिल लें। वे मुझे कुछ उन अन्य संसद सदस्यों के साथ मिले हैं जिन्होंने इस विषय पर विशेषाधिकार की सूचना दी थी। उन्होंने कुछ और मुद्दे उठाए हैं। मैं मामले की जांच कर रहा हूं।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि सदन में संसद सदस्य द्वारा स्वेच्छा से तथा बिना किसी भय अथवा पक्षपात के कार्य करने के अधिकार को संवैधानिक गारंटी प्राप्त है ?

मुझे श्री एडुआर्डो फैलोरो से 1 अप्रैल, 1981 की विशेषाधिकार की सूचना भी प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि :—

"कल, प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त बाद, श्री ज्योतिर्मय बसु, संसद सदस्य ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आरोप लगाया :—

[अध्यक्ष महोदय]

"आप (अध्यक्ष महोदय) पक्षपाती है। आप पक्षपाती है। श्रीमन मैं आप पर आरोप लगाता हूँ। अध्यक्ष महोदय सत्तारूढ़ दल के आदेश पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं।"

"उपरोक्त वक्तव्य के साथ श्री ज्योतिर्मय बसु ने अध्यक्ष महोदय की गम्भीर निन्दा की है और उन्होंने विशेषाधिकार का बहुत गम्भीर उल्लंघन किया है....."

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार श्री बसु को 1 अप्रैल, 1981 को अनुरोध किया गया था कि वे मामले में जो भी कहना चाहते हैं कहें ? इसके पश्चात उन्हें कई अनुस्मारक दिए गए हैं।

श्री एडुआर्डो फैलोरो ने 7 मई, 1981 को पत्र लिखकर इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। मुझे इस पर विचार करना होगा कि क्या लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 227 के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का यह एक उचित मामला है। (व्यवधान) मेरे निर्णय के पश्चात कोई भी प्रश्न अथवा व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे समय पर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे आदि तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे और हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे विश्वभारती विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे और हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा 1978-79 और 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन को लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2534/81]

(2) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे क हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2535/81]

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद और मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री प्रणब, मुखर्जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-2536/81]

(ख) (एक) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड, रांची के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड, रांची का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-2537/81]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी, पुणे के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और मैसर्स स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० का प्रतिवेदन समय पर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पिम्परी, पुणे, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लिमिटेड, पिम्परी, पुणे का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2538/81]

(3) मैसर्स स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 1979 और 1980 को समाप्त हुई अवधियों के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2539/81]

राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के लिए विवरण

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षि लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्ष प्रतिवेदन ।

(2) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षि लेखे को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2540/81]

ऊन अनुसंधान संघ, बम्बई के वर्ष 1979-80, चाय बोर्ड के वर्ष 1979-80, निर्यात निरीक्षण परिषद और एजेंसियों के वर्ष 1979-80, खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : श्री खुर्शीद आलम खां की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) (एक) ऊन अनुसंधान संघ, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) ऊन अनुसंधान, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वार समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 2541/81]

(3) (एक) चाय बोर्ड के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) चाय बोर्ड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति ।
[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी० 2542/81]

(4) (एक) निर्यात (गुण-प्रकार-नियन्त्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 16 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद और एजेंसियो के वर्ष 1979-80 के (एक) वार्षिक प्रतिवेदन और (दो) लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद और एजेंसियों के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 2543/81]

(5) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे का एक "शुद्धि-पत्र' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 2544/81]

(6) (एक) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2545/81]

(7) (एक) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रेशम तथा कृत्रिम रेशम मिल अनुसंधान संघ, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०2546/81]

(9) (एक) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2547/81]

(10) (एक) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2548/81]

(11) (एक) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिन्दुस्तान डायमंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के का करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2549/81]

(12) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ऊनी वस्त्र (उत्पाद तथा वितरण नियन्त्रण) (संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 186 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 2550/81)

भारतीय विद्युत अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा बिलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 253 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2551/81]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई, के वर्ष 1979-80 के लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 2552/81)

इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी सोंधी तथा मेनन समितियों की सिफारिशें तथा हिन्दी संस्करण न रखने वाला विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं —

(1) इलैक्ट्रोनिक संबन्धी समीक्षा समिति (सोंधी समिति) की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2553/81]

(2) इलैक्ट्रोनिक्स निर्यात संबन्धी समिति (मेनन समिति) की सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों की एक प्रति।

(3) इलेक्ट्रोनिक्स निर्यात संबंधी समिति (मेनन समिति) और इलैक्ट्रोनिक्स संबन्धी समीक्षा समिति (सोंधी समिति) की समान/अतिव्यापी सिफारिशों तथा उन पर सरकार के निर्णयों की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (1), (2) तथा (3) में उल्लिखित पत्रों का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2554/81]

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी महा संघ, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : श्री आर० वी० स्वामीनाथन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी महासंघ नई दिल्ली के, वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी महासंघ नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2555/81]

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी, लि० नई दिल्ली के 30 जून 1980 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन और समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 एवं भारतीय पुलिस सेवा नियम और विनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2556/81]

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन, संशोधन नियम, 1981, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 395 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पहला संशोधन विनियम, 1981, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 396 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1981, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 397 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1981, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 398 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1981, जो दिनांक 18 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 399 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2557/81]

सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनिगम, 1959 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 का प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (रेल) तथा विनियोग लेखे, भाग एक और दो—रेलवे तथा ब्लाक खाते, रेलवे

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : श्री मगनभाई बरोट की ओर से—मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (छठा निर्गम) नियम, 1981 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 309(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1981 जो दिनांक 24 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 310(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० सां० नि० 318(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा (1) की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई, सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 को राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (छठा निर्गम) और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (सातवां निर्गम) पर लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 311 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2558/81]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2559/81]

(4) वर्ष 1979-80 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग-1, समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) वर्ष 1979-80 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग-2, ब्यौरेवार विनियोग लेखे, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2560/81]

(6) वर्ष 1979-80 के लिये ब्लाक खाते (पूंजी विवरणों, जिनमें ऋण खाते दिये गये हैं, को मिलाकर), संतुलन पत्र और लाभ तथा हानि खाते रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2561/81]

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लि॰, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, सुपर बाजार, काओपरेटिव स्टोर्स लि॰, दिल्ली के 30 जून, 1978 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक लेखे तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2562/81]

(2) (एक) सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, दिल्ली के 30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 2563/81]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
कार्यवाही सारांश

श्री जी॰ लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की वर्तमान सत्र में हुए चौदहवीं से चौबीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे वित्त विधेयक 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 29 अप्रैल, 1981 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताना है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।"

कोयला खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक—राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाए गए रूप में

(2) मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 7 मई, 1981 को अपनी बैठक में कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1980 को जिसे लोक सभा द्वारा 23 दिसम्बर, 1980 की बैठक में स्वीकृत किया गया था को निम्न संशोधन से स्वीकृत किया है :—

अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, लाइन 1 में 'इकतीस' शब्द के स्थान पर 'बत्तीस' शब्द प्रस्थापित किया जाय।

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, लाइन 4 में '1980' संख्या के स्थान पर '1981' संख्या प्रस्थापित की जाय।

अतः, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसरण में मैं उन विधेयक को इस अनुरोध सहित वापिस लौटाता हूं कि कथित संशोधनों पर लोक सभा की स्वीकृति इस सदन को भेज दी जाय।"

श्रीमान, मैं सभा पटल पर कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1981, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, रखता हूं।

विधेयक पर अनुमति

सचिव : महोदय, 3 अप्रैल, 1981 को सभा को सूचित करने के पश्चात चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त विनियोजन (नम्बर 4) विधेयक, 1981 को भी मैं सभा पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री हरिनाथ मिश्रा (दरभंगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का पहला प्रतिवेदत पेश करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बंगलौर में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कथित ताला बन्दी किए जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर संचार मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"बंगलौर की सरकारी क्षेत्र के चार उपक्रमों द्वारा घोषित की गई कथित तालाबन्दी से उत्पन्न स्थिति।"

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने श्री बसु के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले की सूचना दी है। उन्होंने संसद की आलोचना की है। यह नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको जानकारी भेजी है।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे कोई भी जानकारी नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको मिल जाएगी। रिकार्ड में कुछ भी नहीं लिया जायेगा।

प्रो० के० के० तिवारी : **

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। कुछ भी रिकार्ड में नहीं लिया जा रहा है।

प्रो० के० के० तिवारी : **

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि उसे गृहीत नहीं किया गया है। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि वह गृहीत नहीं किया गया है।

प्रो० के० के० तिवारी : **

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा। मंत्रि-परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव के लिए और अधिक समय देने के लिए यदि सभा सहमत होती है तो हम आज मध्याह्न भोजन के समय भी बैठे रहेंगे। मुझे आशा है आप इससे सहमत हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

एक माननीय सदस्य : शाम के भोजन का क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में निर्णय हम कर चुके हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में सायंकालीन भोजन मिलेगा।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों के अनुकूल सेवा शर्तों की मांग को लेकर बंगलौर, हैदराबाद और देश के अन्य भागों में स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, आई० टी० आई०, इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, भारत डायनमिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड जैसे विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के एक लाख से भी अधिक कर्मचारियों ने अलग-अलग तारीखों पर 26 दिसम्बर, 1980 से हड़ताल की। हड़ताल के दौरान प्रबन्धकों और मजदूर संघों के बीच बातचीत की गई ताकि हड़ताल समाप्त की जा सके। सरकार ने 1-1-1981 से 25 रु० प्रतिमाह की वृद्धि और 700/-रु० एक मुश्त देने की अंतिम पेशकश की और वर्तमान वेतन समझौते को 31-12-1982 तक बढ़ाने का सुझाव रखा। कुछ श्रमिक संघों ने जैसे आई० टी० आई० रायबरेली और हिन्दुस्तान एयरोनाटिकल लिमिटेड लखनऊ ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और काम पर लौट आए। अन्य एककों ने बिना किसी शर्त के मार्च के मध्य में अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की और 12 से 15 मार्च, 1981 के बीच अपने काम पर लौट आये।

तबसे लेकर अभी तक उपर्युक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्थिति लगभग शांतिपूर्ण बनी रही यद्यपि उत्पादन अभी तक सामान्य स्तर का नहीं हो पाया। जे० एफ०ए० की कार्यकारणी ने 1 4-1981 को फिर से आन्दोलन छेड़ने का निर्णय किया यदि कर्मचारियों की मांग को तय करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक नहीं बुलाई जाती। इस निर्णय को मानत हुए पिछले महीने के अन्त में श्री एस० फर्नाण्डीज की रहनुमाई में जे० एफ० ए० के कुछ नेताओं ने और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मजदूर संघों के अन्य प्रतिनिधियों ने विधान शोध के बाहर एक जगह बैठकर भूख-हड़ताल शुरू कर दी। जे० एफ० ए० के नेताओं द्वारा भूख-हड़ताल शुरू करने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में, केवल हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को छोड़ कर, 4-5-1981 से श्रमिक संबंध बिगड़ते गए।

लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किए गए। दिनांक 4-5-1981 को, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बंगलौर के रेल डिब्बा प्रभाग और आई० टी० आई० के सभी कर्मचारियों ने एक-साथ अपने प्रवेश कार्ड को पंच करने के बाद काम छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ बी० ई० एल० और एच० ए० एल० के कर्मचारियों ने 5-5-1981 को किया। दिनांक 5-5-1981 को एच० ए० एल० में भी शांति भंग हुई जब कुछ लोगों ने लोहे की छड़ें और लाठियां लेकर कारखाने का दरवाजा तोड़ दिया और कुछ अधिकारियों को पीटा। पुलिस ने एहतियाती तौर पर 5 तारीख की रात्रि को जे० एफ० ए० के कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की।

दिनांक 6-5-1981 को श्रमिक संबंध और ज्यादा बिगड़ गए। एच० ए० एल० और भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के रेल डिब्बा प्रभाग के कर्मचारी काम पर नहीं आये। कर्मचारियों को लेने के लिऐ भेजी गई बसें खाली लौटीं। एच० ए० एल० और आई० टी० आई० की कुछ बसों को अनियंत्रित कर्मचारियों ने अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें शहर में घुमाया तथा इन बसों को

[श्री सी० एम० स्टीफन]

स्वयं सेवक, पत्थर आदि इकट्ठा करने के लिए काम में लाया गया। उद्देश्य यह था कि शहर के विभिन्न भागों में शांति भंग की जाये। एच० ए० एल० और बी० ई० एम० एल० के कारखानों के दरवाजों पर बडी मात्रा में धरना दिया गया। शहर के विभिन्न भागों में अशांति फैलाई गई। शिकायत मिली है कि एक सभा में जिसकी अध्यक्षता कर्नाटक के मुख्य मंत्री कर रहे थे, आन्दोलन पर उतारू कर्मचारियों ने शमयाना जला डाला। इन कर्मचारियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के तथा राज्य सरकार की 10-12 गाड़ियों को जला दिया।

एच० ए० एल०, बी० ई० एम० एल० और आई० टी० आई० के प्रबन्ध ने हिंसा, डराने-धमकाने की इन कार्यवाहियों को तथा ऊपर बताई हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और कम्पनी की सम्पत्ति को हो सकने वाले नुकसान और शारीरिक चोट आदि की संभावना पर विचार कर निर्णय किया कि उनके उत्पादन एककों में 6/7 मई 1981 की मध्य रात्रि से तालाबन्दी घोषित कर दी जाये।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान के लगभग एक लाख कर्मचारी 77 दिन की लम्बी हड़ताल के बाद मार्च में अपने काम पर वापिस आए और पुनः एक छोटी सी अवधि में बंगलौर के चार प्रतिष्ठानों में हिंसक उपद्रव की घटना शुरू हुई। सरकार की ओर से जो एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, जिस समझौते के अनुसार ये श्रमिक काम पर वापिस आए, उसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं उस समझौते में कौन कौन से मुद्दे थे और किस बिन्दु पर आपका समझौता हुआ था जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी वापिस आए थे ?

दूसरी बात यह है कि बंगलौर में पुनः जब विधान सभा के सामने सार्वजनिक प्रतिष्ठान के कर्मचारियों का अनशन शुरू हुआ तो फिर सरकार की ओर से कोई समझौते का प्रयास किया गया या नहीं ?

तीसरी बात यह है कि अगर सरकार की ओर से प्रयास किया गया तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ? और फिर पूरे शहर में एक दंगे का दृश्य जो उपस्थित किया गया उसके पीछे क्या किसी निहित स्वार्थ-सिद्धि करने का उद्देश्य है जिससे कि आज वहां की स्थिति इतनी भयानक है कि सरकार को बाध्य होकर लाक-आउट करना पड़ा है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि लाक-आउट करने का जो नियम है, लेबर लाज में, उसका अनुपालन किया गया है या नहीं ? इसके लिए उनको समय पर नोटिस दिया गया है या नहीं ? सारे नियमों का पालन करने के बाद लाक-आउट किया गया है या उसके पहले किया गया है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि इससे लगभग एक लाख कारीगर प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में सभी कम्पनियों को मिलाकर संख्या एक लाख से कुछ ऊपर होगी। किन्तु तालाबंदी से प्रभावित कारीगर 47,000 है, यह संख्या एक लाख नहीं है।

जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, विभिन्न उद्यमों में श्रमिक 26 दिसम्बर, से हड़ताल पर थे और उन्होंने हड़ताल वापस ले ली थी।

यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या कोई करार हुआ था और क्या उसका उल्लंघन हुआ है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी करार नहीं हुआ था। श्रमिकों ने स्वयं ही हड़ताल समाप्त कर दी थी और हमने उनके इस रुख का स्वागत किया था। उन्होंने पुनः काम शुरू कर दिया था।

जहां तक प्रबन्ध-मंडलों और केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उनसे कोई करार नहीं था। हमने कोई वचन नहीं दिया था। उस समय काफी संख्या में श्रमिक निलम्बित थे। सामान्य स्थिति लाने के लिए, हमने सभी प्रकार की कार्यवाही की थी। सस्थायी कारीगरों सहित सभी श्रमिकों को, जो भी काम पर नहीं आये थे, सामान्य स्थिति लाने के लिए पुनः काम पर ले लिया गया था। काम पर वापस आनेके बाद हमने उन्हें 600 रुपये देने का प्रस्ताव किया था जो राशि वापस लौटाई जाती थी, चूंकि वे लम्बे समय तक हड़ताल पर रहे थे। कुछ कम्पनियों के कारीगरों ने 600 रुपये की पूरी राशि स्वीकार की और कुछ ने 550 रुपये की राशि। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो हम दे रहे थे, उसे वे लेना नहीं चाहते थे और इस मामले में अपना निर्णय लेना चाहते थे। बाद में उन्होंने कुछ और राशि की मांग की क्योंकि वे कठिनाई में थे और सरकार ने स्वयं ही 200 रुपये की अतिरिक्त राशि के भुगतान का आदेश दिया, यह राशि भी वापस भुगतान की जानी थी। परिणामतः कुछ कारखानों में 800 रुपये के हिसाब से राशि बांटी गई और कुछ में 700 रुपये के हिसाब से।

यह आशा की गई थी कि स्थिति सामान्य हो जायेगी श्रमिक संघ के नेता मुझ से मिले और मुझे बताया कि वे श्रमिकों से सामान्य स्थिति लाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं—उस समय मैं बंगलौर में था जबकि प्रधान मंत्री वहां से गुजरी थी और एक ज्ञापन दिया गया था। ऐसा ही आश्वासन उन्होंने यहां भी दिया था। परन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि काम निरन्तर धीमी गति से हो रहा था। जब वे काम पर लौट आये थे तब भी हमें केवल 30 प्रतिशत उत्पादन ही मिला था और 70 प्रतिशत उत्पादन नहीं किया जा रहा था। व्यावहारिक रूप से तो उत्पादन बिल्कुल किया ही नहीं जा रहा था। हड़ताल वापस लिये जाने से पूर्व और पश्चात् की अवधि में अन्तर सिर्फ़ यह था कि हड़ताल वापस लेने से पूर्व हड़ताल बिना मंजूरी के थी जबकि इसके बाद हड़ताल का स्वरूप बदल गया किन्तु वह जारी रही और मजूरी के भुगतान का दायित्व हम पर चढ़ता गया। सामान्य स्थिति वापस नही लाई गई और उत्पादन को घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

जैसा कि मैंने कहा है कि न कोई करार था और न शर्तें जिस पर हड़ताल वापस ली गई थी इसलिए उसके उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह भी पूछा गया है कि क्या भूख-हड़ताल के बाद श्रमिक संघ के नेताओं की भावनाओं को शान्त करने के लिए कोई प्रयास किया गया था। वह भूख-हड़ताल श्रमिक संघ की गतिविधि नहीं थी। वह विधान सभा के परिसर में हुई थी और उसका सीधा संबंध राज्य सरकार से है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कैसे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : आप अपनी बारी आने पर प्रश्न पूछिये ।

विधान सभा का परिसर हमारी सीमा से बाहर है । उस संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते । हमने अपनी स्थिति बार-बार स्पष्ट की है । हमने जो प्रस्ताव पहले किया था वह अभी भी बरकरार है ।

कुछ कम्पनियों ने करार पर हस्ताक्षर किये हैं और कुछ ने नहीं किये हैं । अन्य मित्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाने से पूर्व ही मैं यह बताना चाहूंगा कि उनका करार जून, 1981 तक लागू रहेगा और विपक्षीय करार संधि-करार पूरी तरह लागू होना है इसी बीच बी० एच० इ० एल० के एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं । वे उसके साथ समता चाहते हैं । वह एक मूल प्रश्न है । विपक्षीय करार लागू है । यदि हम केवल इसलिए इसमें संशोधन करते हैं कि कहीं अन्यत्र कोई अन्य करार हो गया है तो इस प्रक्रिया का कहीं अन्त न होगा । अतः सरकार का यह दृढ़ मत है कि करार सम्पूर्ण अवधि तक लागू रहे ।

वैकल्पिक प्रस्ताव भी किये गये हैं और वे उनके सामने हैं । वे वापस नहीं लिए गय हैं । यदि कारीगर चाहें तो उन्हें स्वीकार कर लें चूंकि कुछ अन्य कारखाने उसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं । मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : तालाबन्दी के बारे में आपको क्या कहना है । कृपया आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़िये । उसमें तालाबंदी का जिक्र है । परन्तु उन्होंने इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे अफसोस है, यह प्रश्न पूछा गया । स्थिति यह रही कि 'धीमे कार्य करो' और प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहा और वहां अशान्ति बनी रही । फिर जैसा मैंने बताया 4-5-81 को सभी कारीगर पंच करने के बाद कारखाना छोड़कर चले गये और कारखाने से बाहर रहे । अगले दिन हमने बसें भेजी । हमारे पास काफी संख्या में बसें हैं—एच० ए० एल० के लिए 107 बसें आई आई० टी० आई० के लिए 86 बसें । हुआ क्या ? इन बसों का वस्तुतः अपहरण कर लिया गया और बसें वापस नहीं आईं । बसों में अन्य लोग भर दिये गये और चालकों से उन्हें ले जाने के लिए कहा गया । पत्थर और हथियार लेकर वे चारों ओर घूमते रहे, बसों को उन्होंने क्षति पहुँचाई और हिंसा भड़काई । एक-दो दिन तक बसें वापस न आ सकीं ।

श्रमिक जब काम पर वापस नहीं आ रहे थे, काम की धीमी गति निरन्तर जारी थी बसों का अपहरण किया जा रहा था, हिंसा भड़काई जा रही थी । कारखाना हिंसा के वातावरण में चल रहा था और हिंसा भड़क उठने का भय था और यह वातावरण गहरा होता जा रहा था । ऐसी स्थिति में कारखाने का और आगे चलाया जाना सम्भव नहीं रहा था । श्रमिकों का कारखाने से बाहर जाना पूर्णतः अवैध था । इन परिस्थितियों में तालाबंदी घोषित करने के अतिरिक्त और कोई

चारा नहीं था। प्रबन्धकों ने महसूस किया कि कर्मचारियों की जान और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए तालाबंदी घोषित करने के अतिरिक्त उनके पास कोई और विकल्प शेष न था। इन परिस्थितियों में तालाबंदी की गोषणा की गई थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन्, मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने का कार्य ऐसे व्यक्ति को क्यों सौंपा गया जो हमारी सूची पर अन्तिम व्यक्ति है। सरकार को यह प्रमुख रोग लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है। अन्य इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि इसका उत्तर श्रम मंत्री द्वारा क्यों नहीं दिया गया जबकि वह सभा में उपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई भी उत्तर दे सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति क्यों ? मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित इस श्रम संबंधी प्रश्न का उत्तर माननीय श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा क्यों दिया जाये, जिसकी आवाज हम सुनना नहीं चाहते। हम तो इस प्रश्न पर श्री तिवारी को सुनना चाहते थे जो सभा और सदस्यों की मनोवृत्ति को पहचानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर भी वही देंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार 'विश्वसनीयता' की परवाह करती है ? क्या वह विश्वसनीय है। इस सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता और जिस सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, वह सत्ता में रहने योग्य नहीं है। आपको अभी चुनाव कराने चाहिए। आपको परिणाम का पता लग जायेगा। 12 मार्च को··· (**व्यवधान**) आप सभा में व्यवस्था लाइये। मेरा आपसे अनुरोध है। 12 मार्च को··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्थिति आपने पैदा की है। अतः आप मेरे से यह नहीं कह सकते कि सभा में व्यवस्था लाइये। यह सब ठीक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 12 मार्च, 1981 को श्रमिकों ने हड़ताल समाप्त कर दी थी। किस आशा में और क्या समझकर उन्होंने हड़ताल समाप्त की थी ? ऐसा इसलिए हुआ था कि उन्हें बताया गया था कि यहां लोकतांत्रिक सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो कल्याणकारी राज्य और समाजवादी ढांचे की तथा अन्य ऐसी ही बातें करती है, उन्हें बताया गया था कि 155 करोड़ रुपये के मूल्य के उत्पादन की हानि होगी। उन्होंने इस आशा के साथ हड़ताल समाप्त की थी कि बातचीत शुरू की जायेगी और उनके साथ सदव्यवहार किया जायेगा। इस आधार को ले कर उन्होंने हड़ताल वापस ली थी। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार और मन्त्रीमण्डल, जिसका सामूहिक और पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायित्व है, क्या इस समय सदन में हमें अभी यह आश्वासन देंगे कि बिना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए आप शीघ्र ही श्रमिकों के प्रतिनिधियों, मजदूर संघ के

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

नेताओं के साथ कोई समझौता स्वीकार कर लेंगे, ताकि ऐसे दिनों में जब स्वयं को जिन्दा रखना भी एक समस्या बन गई है, गरीब मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों को भारी मुसीबतों का सामना न करना पड़ा और उत्पादन में बाधा पड़नी जारी न रहे, जो इस समय 2 करोड़ रुपये प्रतिदिन से अधिक का है—दिसम्बर में यह 2 करोड़ रुपये प्रतिदिन का था। मुद्रा-स्फीति से, जो चारों ओर फैलती जा रही है, वर्तमान मूल्य 240 करोड़ रुपये होगा। मैं यह मानता हूं कि मुझे सही सही आंकड़ों का ज्ञान नहीं है। लेकिन यह मैं समझता हूं कि इसमें लगे हुए सभी सरकारी उपक्रमों में 75,000 व्यक्ति नियोजित होंगे।

श्री स्टीफन, क्या आप को पता है कि जब सरकार के रवैये के विरोध में 7 नेता शान्ति-पूर्वक भूख-हरताल पर बैठे थे, वे कथित लोकतान्त्रिक जनवादी किस्म की सरकार के प्रपंच के विरोध में भूख-हड़ताल कर रहे थे, उन्हें जबरदस्ती वहां से उठा लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया था? उनके विरुद्ध क्या आरोप थे? क्या आपको पता है कि उनके विरुद्ध आत्महत्या करने का आरोप लगाया गया था? ऐसी हालत में जब उनके परिवार भूखे मर रहे हैं, जब 3,70,000 पेट भूखे तड़प रहे हैं, उस समय अचानक ही, नई दिल्ली से प्राप्त आदेशों के अनुसार मंत्रणा करने के उपरान्त श्री गुंडू राव की सरकार ने यह कार्यवाही की। सात व्यक्तियों के जीवन को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वे आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें वहां से उठा लिया गया। यह तो धींगा-मस्ती की राजनीति हुई। आप उन्हें आतंकित करना चाहते हैं। आतंक फैलाने से, श्री स्टीफन, आप अपने जीवन में कभी भी उत्पादन एककों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि डंडे से उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। यही कुछ हो रहा है। आप मानते हैं कि उत्पादन में कमी आई है, क्योंकि भूखा मरता मजदूर उत्पादन नहीं दे सकता। यह बात तो पूंजीवादी देश भी समझते हैं और संक्षेप में कहा जाए, तो इसी कारण विकसित पूंजीवादी देश अपने यहां श्रमिकों को भूखा नहीं रखते। वे समझौतों को मान्यता देते हैं। वे समझौतों का जहां तक हो सके आदर करते हैं और उन्होंने मजदूर को इतना कुछ दिया हुआ है कि वे अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकें और दूसरे दिन पहिया चला सकें। आप यह बात नहीं समझते क्योंकि आप उत्पादकता से कोई संबंध नहीं रखते हैं, आपने उन मजदूरों के लिए कभी काम नहीं किया।

उन गिरफ्तार किये गये सात व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की हालत गम्भीर है और मजदूर संघ के सभी नेताओं ने, जिनमें 'इन्टक' के वह प्रेजीडेन्ट भी शामिल हैं जो आपके बाद प्रेजीडेन्ट बने हैं—मैं नहीं जानता कि आप 'इन्टक' जो एक मजदूर संगठन है, के प्रेजीडेन्ट कैसे बन गए थे, यह मैं कभी नहीं समझ पाया—उनका नाम श्री दारा है ने इस बात की स्पष्ट भर्त्सना की है। यह दबाने वाले रवैये के एक घिनौना प्रदर्शन है, ऐसा रवैया जिससे आप उससे बन्धक मजदूर के रूप में, दास के रूप में काम करवाते हैं, आदमी भूखा मर रहा है, उसके लिए रोजगार का कोई प्रबन्ध नहीं है, उससे कहा जाता है, 'यदि आप दिन में एक समय की रोटी चाहते हैं, तो आप काम कीजिए, नहीं तो आप चले जाइए'। वह जेल में भी हो सकता है।

मुझे यह सुनकर बड़ा दुःख हुआ कि उनके इशारे पर कम से कम 125 गिरफ्तारियां हुईं। मैं पुनः यह दोहराता हूँ कि यह सम्पूर्ण फैसला नई दिल्ली में लिया गया था और इस फैसले रूपी शस्त्र से सज्जित होकर श्री गुंडू राव वापिस कर्नाटक गए और उन्होंने यह कार्यवाही की।

पिछली बार 77 दिन की हड़ताल हुई थी। यदि आप इसे फैक्ट्री गेट पर उत्पादन-मूल्य के रूप में आंकेंगे, तो पाएंगे कि 154 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। और वे केवल 25 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ही तो मांग रहे थे। अन्दाजन 2 करोड़ रुपये प्रतिदिन की दर से एक वर्ष में 720 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन होता है। वे केवल 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। मैं सरकारी उपक्रमों में घूमा था। इनमें विशेष किस्म का माल तैयार होता है। ये एकक इतना बढ़िया माल तैयार करते हैं कि वे अपना तैयार माल विदेशों को निर्यात करते हैं। उनमें से लगभग सभी एकक निर्यात का काम करते हैं और वे एक दिन 'बन्द' कर देने का आवाहन कर रहे हैं—मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि चेतावनी दे रहा हूं—यदि आप आमने-सामने बैठकर उनसे बात नहीं करते हैं। श्री स्टीफन, यदि अपने जीवन में आपको मजदूरों के प्रति कभी कोई वास्तविक रूप से सहानुभूति रही है—मंत्री बनने के बाद नहीं, फिर तो कभी रह ही नहीं सकती—तो कृपया ध्यान दें कि आप आमने-सामने बैठ कर उनके साथ इस बात का निपटारा कर लें। यह पराकाष्ठा है। यह वायदा-खिलाफी है क्योंकि जो समझौता हुआ था, तो क्या वे उससे विमुख हो जाने का प्रयास कर रहे हैं। और चालाकी से उससे कोन बच निकलना चाहता है? स्वायत सरकारी उपक्रम यह कह रहे हैं कि सरकार ने उनके मसलों का निपटारा नहीं किया है। सरकारी उपक्रम स्वायत निगम हैं। वे यह कह कर किस प्रकार बच सकते हैं कि सरकार उन बातों का निपटारा नहीं कर रही है। उन्होंने अकुशल श्रमिकों के लिए 500 रुपये की स्वीकृति दी है और और ये श्रमिक केवल 42 रुपये की वृद्धि और चाह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें वे यह कैसे देख रहे हैं कि इससे जीवन यापन सूचकांक में वृद्धि हो जाएगी। क्या मैं यह समझूं कि विश्व-बैंक के अध्यक्ष श्री मैकनामारा जिन्हें छठी योजना के दस्तावेजों को अनुमोदित करना था, कि यात्रा के बाद, और एल० के० झा तथा आपके सुपर वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन—सरकार को ये विधेयात्मक आदेश दे रहे हैं कि श्रमिक वर्ग को कोई भी रियायत न दी जाए? हम सरकार से इसका स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। (व्यवधान)। कृपया मंत्री महोदय सदन को यह स्पष्ट आश्वासन दें क्योंकि सदन का संबंध देश की सम्पत्ति से है - कि वे शीघ्र ही आमने-सामने बैठ कर वार्ता करेंगे और समस्याओं पर विचार करेंगे तथा उन पर निर्णय लेंगे, ताकि मजदूर अपने काम पर लौट सकें और सन्तुष्ट दिल से भरपूर उत्पादन दे सकें।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे सन्देह है कि कोई ऐसी नई बात सामने आई हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी उसको आश्वस्त किया है, कि धीरे काम करो' की नीति नहीं अपनाई जाएगी।

श्री सी० एम० स्टीफन : .....जिसका कि उत्तर दिया जाये। मैं विद्यमान समझौते की पृष्ठभूमि पहले ही आपको बता चुका हूँ और उस समझौते से प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। कठि-

[श्री सी० एम० स्टीफन]

नाई तो यह हुई है कि मजदूर संघ के नेता इस समझौते में एक अन्य उस समझौते के लाभ को शामिल करना चाहते थे जिसका वर्ष 1980 में बाहर समाधान हो चुका था। हम कहते हैं कि यह एक ऐसा समझौता है जो अलंघनीय है और जिसका हर प्रकार से पालन किया जाना है। यदि किसी दूसरी स्थिति को स्वीकार किया जाता है, तो कोई भी त्रिपक्षीय समझौता बैंध नहीं होगा और कोई स्थायित्व नहीं रह जाएगा और किसी भी व्यक्ति को कहीं भी अधिक वेतन नहीं दिया जा सकेगा। शीघ्र ही यह मांग होने लगेगी 'मेरा वेतन भी बढ़ाओ' और यही प्रक्रिया चलती जायेगी तथा जिन एककों में वेतन बढ़ाना बहुत ही जरूरी होगा, उनमें ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने यह बात स्वीकार की है कि ऐसा सम्भव नहीं है। जहां तक श्रमिक संबंधों का प्रश्न है यह मौलिक प्रश्न है वास्तव में यूनियनों की मांग एक ऐसी मांग है जिससे उस मूल स्थिति का अहित हो जाएगा, जिसमें श्रमिक सम्बन्धों का विकास होना है।

जब उन्होंने मांग उठाई, तो हमने पेशकश की। समझौता जून, 1981 में समाप्त हो रहा है। हम इसकी अवधि डेढ़ वर्ष और बढ़ा देंगे अर्थात् इसे दिसम्बर, 1982 तक लागू कर देंगे और बदले में हमने एक-मुश्त 700 रुपये का भुगतान करने का तथा 25 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव रखा था और दोनों को मिलाकर 1300 रुपये बैठता है। यह मात्र 42 रुपये वृद्धि नहीं है; बल्कि दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए प्रत्येक श्रमिक को 70 रुपये अधिक मिलने हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने 42 रुपये की वृद्धि की बात कही है। लेकिन 700 रुपये तथा 18 महीनों तक 25 रुपये प्रति माह, दोनों को मिलाकर आप देखेंगे कि मेहतर से लेकर ऊपर तक प्रत्येक श्रमिक को 1300 रुपये मिलने की बात है और यह 70 रुपये प्रति माह बैठता है। दिसम्बर, 1982 के बाद, नई बातचीत की जा सकती है और नए समझौते किए जा सकते हैं।

यह प्रस्ताव उन्होंने अस्वीकार कर दिया था और हड़ताल चल रही थी। जब हड़ताल चल रही थी, तो उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट थी। हमने कोई तालाबन्दी नहीं की। हमने हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया। हमने उन्हें वही वेतन दिया, जो उनका देय था, हालांकि हड़ताल चल रही थी। हमने उन्हें फैक्ट्री में वापिस बुलाया और उन्हें वह वेतन दिया, जो उनका देय था। हमने एक भी मजदूर गिरफ्तार नहीं किया। हमने श्रमिकों के खिलाफ कोई भी अनुचित कार्यवाही नहीं की। उन्हें हड़ताल जारी रखने दी गई। जब हम शांत बैठे थे, तब हमने यह पेशकश की थी। अन्त में केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में यह पेशकश की गई थी और जब उन्होंने यह कहा था कि विद्यमान समझौते के अन्तर्गत वे 'बी० एच० ई० एल०' के उपबन्धों को इसमें शामिल करने के अधिकारी हैं, तब हमने यह पेशकश की थी। समझौते की व्याख्या के सम्बन्ध में सरकार और श्रमिकों में मतभेद था। हमने कहा था, हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमने कहा था कि हम इस मामले को पंचाट बोर्ड को भेजने के लिए तैयार हैं। हमने कहा था कि हम पंचार के लिए मामला भेज देंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम इस मामले को केवल एक ही पंच को भेज देंगे। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं, तो हम मामले को ऐसे पंचाट बोर्ड के पास भेज देंगे, जिसमें आपका प्रतिनिधि होगा हमारा प्रतिनिधि होगा और

बोर्ड की अध्यक्षता उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश करेगा और उस बोर्ड को इस खंड की व्याख्या करने दें, और वे जो इसकी व्याख्या करेंगे, हम उसे लागू कर देंगे। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि वे भी उस व्याख्या के प्रति विश्वस्त नहीं थे, जो वे दे रहे थे और जो मांगें वे उठा रहे थे। वे किसी पंच के सामने जाना ही नहीं चाहते थे। इन्हीं परिस्थितियों में हमने कहा था कि हम जो कुछ पेशकश कर चुके हैं वे अन्तिम रूप में कर चुके हैं और इससे अधिक कुछ नहीं दिया जा सकता। हम मछली बाजार की तरह सामूहिक मोल-तोल नहीं करते। जब सरकार किसी निर्णय पर दृढ़ होती है, तो वह ऐसी पेशकश करती है, जो सर्वोत्तम उपलब्ध होती हैं और यह पेशकश श्रमिकों के हित में की गई है। इसलिए, जैसा कि मैंने बताया है, इस पेशकश से 70 रुपये प्रति माह का श्रमिकों को लाभ होगा। हमने प्रत्येक श्रमिक को 700 रुपये का प्रत्यावर्तनीय भुगतान करने का प्रस्ताव रखा था; यह राशि उस अवधि के लिए, जिस अवधि में वे काम पर नहीं आये थे। 700 रुपये का एकमुश्त भुगतान, 25 रुपये प्रति माह की वृद्धि और दिसम्बर, 1982 तक समझौते की अवधि को डेढ़ वर्ष और बढ़ाया जाना, इस पेशकश में सम्मिलित था। इस प्रकार, महोदय, हमने 1300 रुपये प्रति श्रमिक की पेशकश की थी। यह हो सकता है कि किसी बड़े पद पर काम करने वाले को भी उतना ही लाभ मिलता, जो एक मेहतर को मिलना था। हमने मेहतर को भी उसी बड़े पदधारी व्यक्ति के बराबर माना और प्रत्येक के लिए 1300 रुपये की पेशकश की। यही वह पेशकश थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और वे काम पर वापिस लौट आये।

मैं आपसे यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि कोई करार नहीं था और न कोई आशय था और न कोई बैठक हुई। वे काम करने के लिए लौटे थे तथा उनके लिए दरवाजे खुले थे और जो भी कोई वापस काम पर आया उसको राशि दी गई और उसने काम आरम्भ कर दिया।

श्री बसु ने कहा कि उत्पादन नहीं हो रहा था क्योंकि वे श्रमिकों को भूखा मार रहे थे। महोदय, उनको वेतन दिया जा रहा था उन्हें काम पर लौटने पर 800 रुपये दिये गये अतः उनको भूखों नही मरना चाहिए। 800 रुपये प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने उत्पादन कराना 30 प्रतिशत कर दिया। महोदय, सरकारी क्षेत्र के एककों के बारे में यह अनिवार्य नहीं है कि वे कायदे पर ही चलाये जायें। हम सरकारी क्षेत्र के एककों को उत्पादों के लिये ही चलाते हैं। संचार के लिये उनका उत्पादन अनिवार्य है, रक्षा कार्यों के लिए उनका उत्पादन अनिवार्य है। उत्पादन की ही आवश्यकता होती है तथा उत्पादन में ही कमी की जा रही है। हमारी ओर से कोई प्रलोभन बिना हमने एक यही उपाय किया कि हमने इस बात पर बल दिया कि करार होना चाहिये। हम उस करार को बाध्य मानते हैं। हमारा यह मत रहा है। बसों को जलाना, लोगों की हत्या करना तथा उनको क्षति पहुंचाना और इसी प्रकार के कार्य अच्छे नहीं हैं। हड़ताल चल रही थी, उन्होंने रेल रोको अभियान चलाया और अब उन्होंने बारी-बारी भूख हड़ताल आरम्भ कर दी है। महोदय, यह सब उन्हीं पर छोड़ दिया गया है।

जहां तक प्रबल वर्ग का सम्बन्ध हमारे विचार श्रमिकों के हित के बारे में स्पष्ट हैं। व्या-

[श्री सी० एम० स्टीफन]

पारिक पहलू को भी ध्यान में अवश्य रखा जायेगा। उस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। हम उत्पादन के लिये कारखाना चलाते हैं। उत्पादन कराकर यदि वे हम से उदारता की अपेक्षा रखते हैं तो उसका परिणाम निराशा ही होगा। इस बात का हम कठोरता के साथ पालन करेंगे। हम इससे टलने वाले नहीं हैं। कारखाने को क्षमता और उत्पादिता के अनुसार चलाना है। उसके अनुसार पैसा भी दिया जायेगा। एच० एम० टी० में अच्छा उत्पादन हो रहा है। श्रमिकों को उसी के अनुसार प्राप्ति होगी। यदि उत्पादन नहीं किया जायेगा तो पैसा भी नहीं दिया जायेगा। इस बात को स्पष्टतः समझ लेना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, संचार मंत्री महोदय ने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में मैं उनसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं तथा उनसे कतिपय बहुत सरल प्रश्न करना चाहता हूं जिनका उत्तर पाने के लिए मैं स्वयं को अधिकारी समझता हूं।

क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो नामक एक नाडल दिमाग है जो मजदूरों में वृद्धि और औद्योगिक विवाद सम्बन्धी इन सभी बातों का समन्वय तथा तथा देखभाल करता है। यदि हां, तो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो एक खास संस्थान के बारे में एक समान नीति क्यों बरतता? निर्धारित नीति के अनुसार आपको इन सभी व्यक्तियोंके साथ विचार-विमर्श करना चाहिये।

क्या यह सच नहीं है कि जब पूर्व हड़ताल को वापस लिया गया था तब कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओंने एक अपील की थी जिसमें कर्नाटक विधान सभा की सत्तारूढ़ पार्टी तथा विपक्ष भी सम्मिलित था, कि यदि हड़ताल को एक बार बिना शर्त वापस ले लिया जाये तो बातचीत आरम्भ हो जायेगी तथा उस हड़ताल को समाप्त किये जाने के दो सप्ताह बाद विचार-विमर्श आरम्भ हो जायेगा। यदि हां तो बातचीत क्यों आरम्भ नहीं की गई? इसमें क्या कठिनाई है कि कर्नाटक में सभी राजनीतिक ग्रुपों द्वारा की गई अपील तथा मुख्य मंत्री श्री गुंडू राव द्वारा विशिष्ट रूप से दिये गये आश्वासन के बावजूद व्यापक समझौता करने के लिए बातचीत आरम्भ नहीं की गई। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा किया गया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती। इस अवसर पर केवल एक यही बात है कि क्या सरकार मजदूर संघों के नेताओं के साथ समझौता करने के लिए बातचीत आरम्भ करने को तैयार है, यदि हां, तो कब तक। यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय वित्त विभाग में एक नाडल यूनिट है जो इन बातों का समन्वय करती है। जब हम सामान्य नीति निर्धारित करते हैं तब उनका ध्यान रखा जाता है। अब भी सामान्य नीति यह है कि मजूरी में वृद्धि उस यूनिट की क्षमता के अनुरूप तथा उस यूनिट में हो रहे उत्पादन के अनुसार होगी। यह सामान्य नीति है और मेरे ख्याल से यह मैं ठीक ही कह

रहा हूँ। यह सामान्य नीति निर्धारित की गई है। उत्पादन के अनुसार मजूरी निर्धारित की जायेगी। मजूरी ढांचा निर्धारित करने के लिए उस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जायेगा तथा नाडल डिपार्टमेंट की यही नीति है। इसी आधार पर मैंने सभा में वक्तव्य दिया था। जहां तक मुख्य मंत्री की अपील का सम्बन्ध है, यह सच है कि उन्होंने अपील की थी। यह कर्नाटक विधान सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प के परिणामस्वरूप की गई थी। हम जानते हैं कि ये सब किस प्रकार घटित हुआ। हड़ताल वापस ली जानी थी तथा इसीलिए स्थानीय विधान सभा सदस्यों तथा विभिन्न पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी थी। उन्होंने हड़ताल वापस लेने में सहायता दी। उन्होंने अपील की तथा श्रमिकों ने उसे मान लिया। हमसे कोई अपील नहीं गई। श्रमिकों से अपील की गई तथा उसके परिणाम-स्वरूप वे काम पर लौट आये। यदि मुझे सही याद है तो एक उपबन्ध यह था कि हड़ताल वापस लेने पर और सामान्य स्थिति उत्पन्न होने पर अनुकूल वातावरण में बातचीत आरम्भ की जायेगी। सामान्य स्थिति उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि उत्पादन घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया। हड़ताल कारखाने के भीतर बनी रही। कारखाने के बाहर हड़ताल वापस ली गई किन्तु कारखाने के अंदर हड़ताल जारी रही।

जहां तक बात-चीत का सम्बन्ध है हमने यह कभी नहीं कहा कि बातचीत नहीं की जायेगी। बात चीत के लिए द्वार खुले हैं। प्रबन्धकों ने उन्हें यह बता दिया है। वे बातचीत करने के लिए तथा प्रत्येक यूनिट के साथ करार करने के लिये तैयार हैं। प्रत्येक यूनिट सम्बद्धकों से मिल सकती है तथा बात-चीत आरम्भ कर सकती है। आदेश जारी कर दिये गये हैं तथा प्रबन्धकों ने भी उन्हें जानकारी दे दी है। ज्ञात नहीं वे किसी प्रकार की बात-चीत करना चाहते हैं। यदि यह कहा जाये कि जे० ए० एफ० स्तर पर बात-चीत होनी चाहिये तो महोदय, औद्योगिक कानून इस जे० ए० एफ० को नहीं जानता। श्रम, प्रबन्धक और श्रमिक बात-चीत करेंगे। कुछ लोग इकट्ठे होकर आये और रहे कि हमारे साथ बात-चीत करिये तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि विशेषकर इस बात को ध्यान में रखना है जो मैंने पहले कही है अर्थात् एक यूनिट से दूसरे यूनिट की मंजूरी में अन्तर होगा तथा मंजूरी उत्पादन के अनुसार दी जायेगी। अर्थात् ऐसे विकास के साथ बात-चीत करना जो एक समान भुगतान की पूर्व शर्त लगाता है, तो इस प्रकार की बात चीत हमारे लिये सम्भव नहीं है। प्रत्येक यूनिट में यूनियन प्रबन्धकों के साथ बातचीत कर सकती है। प्रत्येक चीज तैयार करली गई है तथा इसके लिये दरवाजे खुले हैं। मैं इस सदन में उन श्रमिकों से यह अपील करता हूं तथा यूनियन के नेताओं से यह अपील करता हूं कि वे एक-एक यूनिट के बारे में तथा उनके प्रबन्धकों से बात-चीत करने के लिये आ जायें तथा बतायें कि वे क्या कर सकते हैं। हमारी मूल भूत स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जिन आधारों पर बात-चीत हो सकती है वे बिल्कुल साफ हैं। दरवाजे बन्द नहीं हैं। दरवाजे खुले हैं। प्रत्येक कारखाने के प्रबन्ध-कार्यालय के दरवाजे खुले हैं तथा यूनियन वहां जाकर बात-चीत कर सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय इस सरकार ने एक नया रिकार्ड कायम किया है। मेरी जानकारी में यह पहली बार है जब सार्वजनिक क्षेत्र के इतने महत्वपूर्ण कारखाने—चार —बन्द कर दिये गए हैं। सरकारी क्षेत्र में बहुत बार औद्योगिक हड़ताल हुई हैं लेकिन पहले उनमें

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

गैर-सरकारी क्षेत्र का अनुसरण कभी नहीं किया गया तथा चार कारखानों को बन्द नहीं किया गया । यह नई बात है । यदि भारत में औद्योगिक सम्बन्धों का इतिहास लिखा जाये तो यह एक अद्भुत घटना होगी । यह मैं केवल रिकार्ड के लिए कहना चाहता हूं । महोदय उन्होंने बहुत से नये रिकार्ड कायम किये हैं जिनमें एन० आई० सी० बोनस केस में उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन भी सम्मिलित हैं । मैं यहां बार-बार कहता रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय का उल्लंघन मत करिये । करार का उल्लंघन मत करिये, वे नहीं सुनेंगे । वे नहीं सुनेंगे । बुल्डोजर ने अभी आगे जाना है और आखिरकार उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कान से पकड़ा तथा उनकी खिचाई की । इस मामले में भी मुझे ज्ञात है आपकी सरकार है, आपके प्रबन्धक आपके साथ है, आपकी पुलिस आपके साथ है । इन श्रमिकों को मत कुचलो क्योंकि वे भी कुछ पाठ सीख सकते हैं किन्तु आपको भी कोई सबक सीखना पड़ेगा । अतः कृपया उनकी बात सुन लो । सार्वजनिक क्षेत्र को इस प्रकार नहीं चलाया जा सकता । इन बन्द किए गए यूनिटों में से तीन मेरे मित्र श्री शिवराज पाटिल के अधीन हैं जिन्होंने शुरू से आखीर तक एक शब्द भी नहीं कहा है । चौथा कारखाना जो बन्द है वह मेरे मित्र श्री स्टीफन के अधीन है । वह चारों कारखानों के प्रतिनिधि बन गए हैं । ठीक है उनका स्वागत है । महोदय उन्होंने अपने उत्तर में बहुत सी असंगत बातें कही हैं । यदि मैं उन सबके विस्तार में जाऊँ तो मुझे बहुत समय चाहिए । उनका मुद्दा जो बी० ई० एल० के साथ समानता का मुद्दा है वह पुराना है तथा व्यर्थ है । दिल्ली में हुई बात-चीत के समय भी किसी प्रथक यूनियन के साथ नहीं वरन् जे० ए० एफ० के साथ ही बात-चीत हुई थी, श्रम मंत्रालय में जे० ए० एफ० के साथ ही बात-चीत हुई थी । मैं उसमें भी उपस्थित था । उन्होंने जनवरी या फरवरी में यह साफ-साफ कह दिया था कि हमने बी० एफ० ई० एल० के साथ समानता की मांग को त्याग दिया है । समझौते के लिए हम इस मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं अब इसके महीनों बाद सभा को धोखा देने के लिए तथा जनमत को धोखा देने के लिए यह प्रचार किया जा रहा है कि वे बी० एच० ई० एल० के साथ समानता चाहते हैं आदि । इस समय मैं उन सब बातों में नहीं जा सकता और अब वह प्रश्न भी नहीं है । यह कहा गया कि मध्यस्थता का प्रस्ताव किया गया तथा उन्होंने इस मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया ।

उस समय वे मध्यस्थता के लिए सहमत क्यों नहीं हुए ? क्योंकि मजदूरों ने इस बात को देखा था कि एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जीवन बीमा निगम में मध्यस्थता के सम्बन्ध में आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने में भी सहमत नहीं थे । उस समय यह सब कुछ हो रहा था । उन्होंने हमें बताया था कि ये ही वे लोग हैं जो उच्चतम न्यायालय तक के निर्णयों से इन्कार कर रहे हैं; उनके साथ मध्यस्थता हेतु सहमत होने में भलाई ही क्या है ? आपने मध्यस्थता के लिए सम्पूर्ण आधार को ही बिगाड़ दिया है । यदि आपने जैसा कि जीवन बीमा निगम के मामले में किया है, ऐसा एक साथ न किया होता तो मध्यस्थता हो सकती थी । तब आपने कहा था कि हड़ताल के वापस लिए जाने के बाद उत्पादन में 30 प्रतिशत कमी आई है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : 70 प्रतिशत ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसे चुनौती देता हूं। मैं श्री स्टीफन को चुनौती देता हूँ कि वे अप्रैल माह के लिए जो कि पिछला महीना है उत्पादन संबंधी आकड़े दें और अप्रैल 1980 और अप्रैल 1979 के उत्पादन आंकड़ों के साथ इसकी तुलना करें। मैं विशेषकर उनकी अपनी ही फैक्ट्री आई० टी० आई० के बारे में मैं उन्हें चुनौती देता हूं। मैं उन्हें अप्रैल के उत्पादन आंकड़े पेश करने के लिये चुनौती देता हूं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे सदन को गुमराह कर रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना में काफी उत्पादन हुआ था और श्रमिक अपने दिलों में कड़वाहट लिए हुए वापस काम पर लौटे थे। यह बात भी मैंने कई बार यहां पर बताई है। आप ऐसे श्रमिकों से जो 77 दिनों से हड़ताल पर रहे हों, जिन्हें इतना कड़वा अनुभव हो, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को नहीं चला सकते और सरकार भी उनके साथ किसी प्रकार का समझौता करने की इच्छुक नहीं थी। फिर भी यह पिछला इतिहास है। पिछले 8 सप्ताह पूर्व यह हड़ताल हुई थी। यह बात सही है कि वे बिना किसी फैसले के, बिना किसी समझौते के काम पर वापस लौटे थे। और वे काम पर वापस क्यों आये ? क्या यह सच है कि श्री गुंडू राव तथा कर्नाटक विधान सभा में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनसे कहा था : 'यदि आप हड़ताल को वापस ले लेते हैं, तो इससे हमारे हाथ मजबूत होंगे और हम आपके साथ बातचीत करने के लिये केन्द्रीय सरकार इस कारण वे काम पर लौटे थे। अब जब उन्होंने दिल्ली में मंत्रियों से संपर्क किया, उन्होंने यह कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास कोई लिखित आश्वासन है ? वह आश्वासन कहां हैं ? हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है।" ठीक है, यदि आप यहां पर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

मैंने कल के 'हिन्दू' समाचार पत्र में एक बड़ा शीर्षक देखा है गुंडू राव का कहना है कि मैं तो केवल केन्द्र से कह सकता हूँ। यह बात उन्होंने कल ही कही है और इसे हिन्दू में उद्धृत किया गया है।

"श्री राव का कहना है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही हेतु उन्होंने भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए प्रत्येक प्रयास किया है और उन्हें केन्द्र से सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने की प्रतीक्षा है। वे इस दिशा में कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे।"

यह बात उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखे एक पत्र में कही है।

"मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें तो सिर्फ यह वायदा किया था कि वे इस विवाद को सुलझाने के लिए सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कहने हेतु अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने जो सुझाव दिया था तथा जिस पर सभी विरोधी दलों के नेता सहमत थे, यह था कि हमें हड़ताल समाप्त करने के लिए आह्वान करना चाहिये जिससे कि शांतिपूर्ण वातावरण बने जिससे केन्द्र इस दिशा में कार्यवाही शुरू कर सके।

श्री गुंडु राव ने कहा कि इस बात पर मतैक्य स्थापित किये हुए कि निःसन्देह हड़ताल

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

समाप्त की जानी चाहिए दो महीने बीत चुके हैं। किंतु इस मामले पर विचार करने का कार्य भारत सरकार का है और राज्य सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।"

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। वे किस बात को लेकर हड़ताल से लौटे थे ? उनके वक्तव्य में भी जो मैंने यहां पर अभी पढ़कर सुनाया है, उनका कहना है कि हड़ताल वापस लिए जाने के समय से लेकर अब तक इन उपक्रमों में कुल मिलाकर शांति है। उनके दूसरे पैराग्राफ का यह पहला वाक्या है। अतः उन्होंने ये कहा था कि जब तक वहां हाल में कुछ नहीं होता, सारी स्थिति शांति पूर्ण है। वहां कोई संकट नहीं है। यह बात उनके वक्तव्य में है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान, अभ्यावेदनों, ज्ञापनों के माध्यम से, पत्रों के माध्यमों से यह बात कई बार बताई जाती रही है कि श्रमिक लोग अशांत हैं और उनके साथ कोई बातचीत शुरू की जानी चाहिए, जिससे कि इस विवाद का कोई हल निकाला जा सके। आप अपने ही मामले के बारे में जिक्र कर सकते थे, जिसे आप असीम उत्साह के साथ यहां कहा करते हैं। किंतु आप श्रमिकों द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने के बाद अपने श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की बातचीत को समाप्त क्यों करते हैं ? मुझे पता चला है कि एच० एम० टी० की इन यूनियनों ने भी जो मान्यता प्राप्त यूनियनें हैं, जिन्हें इन्टक से भी मान्यता प्राप्त है, उन्होंने आपको पत्र लिखें हैं। एच० एम० टी० वाच फैक्टरी कर्मचारी संघ द्वारा पिछले महीने की 12 तारीख को वे इन्टक के जनरल सैक्रेटरी श्री जी० रामानुजम को लिखे गए पत्रों की प्रतियां मेरे पास मौजूद हैं। उन्होंने इस पत्र में क्या लिखा है ? उनका कहना है कि एक माह समाप्त होने के बाद, गत्यावरोध जारी है। श्रमिकों में असन्तोष व्याप्त है। यूनियन अपने द्वारा किए गए इस आश्वासन को इस विश्वास पर छोड़ने में इसलिए समर्थ नहीं है कि इन्टक इन श्रमिकों के नेतृत्व प्रदान करें। उनका यह भी कहना है "कृपया आप कुछ कीजिए, समूचे देश भर में तनाव बढ़ रहा है।" इण्डिया नेशनल मेटल-वर्कर्स फेडरेशन द्वारा केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री चरणजीत चानना को एक पत्र और लिखा गया है। इसमें कहा गया है "श्रमिकों को सताए जाने अथवा बातचीत और उनकी मांगों सम्बन्धी मान्य विनिर्णय में विलंब किया जाना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिससे श्रमिक अशांत हो सकते हैं और जिस से लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण तरीकों से उनका विश्वास उठ सकता है।" अतः केवल हमने ही चेतावनी नहीं दी है अपितु उन यूनियनों ने भी चेतावनी दी है, जिनसे श्री स्टीफन सम्बद्ध हैं।

अतः महोदय इस बात का ठीक ही जिक्र किया गया है कि उन्होंने भूख हड़ताल पर जाने तथा ऐसा कोई तरीका अपनाने का फैसला किया है, जिसे श्रमिकों में व्याप्त आक्रोश तथा अशांति को दूर किया जा सके। अतः कुछ वैयक्तिक नेताओं द्वारा शांतिपूर्ण भूख हड़ताल शुरू की गई है। संयोगवश, भूख हड़ताल के सम्बन्ध में स्थिति वह नहीं है, जिसे कि वे बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्रमिक केवल बंगलोर में ही भूख हड़ताल पर नहीं हैं अपितु हैदराबाद में कलाभासारी एच० एम० टी० फैक्टरी में भी लोग भूख हड़ताल पर हैं और तीन शीर्षस्थ नेता इस भवन से थोड़ी ही दूरी पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० यूनियन के प्रेजीडेन्ट श्री एम० एस० कृष्णन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज उनका 16वां दिन है और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स यूनियन के प्रेजी-

डेन्ट श्री आनन्द रेड्डी भूख हडताल पर हैं तथा आई० टी० आई० एम्पलाइज यूनियन के सैक्रेटरी श्री उग्रवेल भी यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दस दिन बीत चुके हैं। इस समय उनकी मांग क्या है ? उनकी केवल एक ही मांग है कि कोई वार्ता शुरू की जानी चाहिए, जिसके बारे में हड़ताल वापस लिए जाने के समय विश्वास दिलाया गया था कि यह वार्ता शुरू की जाएगी। इसकी बजाय, वहां यह हुआ कि इन भूख हड़तालियों को वहां बैठना पड़ा। यह स्वाभाविक है कि ड्यूटी के बाद श्रमिक लोग भी उस स्थान पर प्रदर्शन में आने लगे, यहां उनके नेता भूख हड़ताल पर बैठे थे और आयद प्रशासन को इस बात की जानकारी हो गई कि यदि हजारों श्रमिक इस प्रकार प्रतिदिन इकट्ठे होते रहे, तो यह बुरी बात होगी। अतः उन्होंने इन भूख हड़तालियों को काफी रात गए हटाने का निर्णय किया। श्रमिकों का भड़क उठना स्वाभाविक है। मुझे खेद है कि ये घटनाएँ हुई हैं, किन्तु यदि बंगलौर में बसों का जलाया जाना तथा पथराव किया जाना बुरा है तो कलकत्ता में ऐसा किया जाना समान रूप से उतना ही बुरा है। कोई भी इस सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं बोला है। यदि बंगलौरमें बसोंका जलाया जाना बुरा है तो क्या कलकत्तामें बसों का जलाया जाना अच्छी बात है ? जब कभी ये घटनाएँ कुछ दिन पूर्व हुई, तो किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा। एक ओर सप्ताह-दर-सप्ताह सरकार का यह रवैया है कि वह वार्ता से इंकार कर रही है अथवा यह तक नहीं बता रही कि इस प्रकार की कोई वार्ता होगी भी या नहीं और दूसरी ओर इन लोगों का इस तरह से घेराव किया गया है और निस्सन्देह श्रमिकों को प्रोत्साहित किया गया है।

मैं यह नहीं कहता कि इससे वे प्रताड़ित हुए हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए किन्तु ऐसा करने से पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि को अवश्य समझना चाहिए। मैं देखता हूं कि 8 अप्रैल को प्रो० मधु दण्डवते ने सदन में एक प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर श्रीमती रामदुलारी सिन्हा द्वारा दिया गया था। पूछे गये प्रश्न का भाग (ग) है : "हड़ताल के कारण उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए क्या वार्ता पुनः प्रारम्भ की जाएगी" जिसका उत्तर दिया गया था : "वार्ता पुनः प्रारम्भ किए जाने का प्रश्न सम्बन्धित पक्षों पर छोड़ दिया गया है।"

इनमें सम्बन्धित एक पक्ष है श्रमिक पक्ष, जिसने कहा है कि वे बिना शर्त बिना किसी विशेष शर्त के वार्ता के लिए बैठने के लिए तैयार है। दूसरे पक्ष द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है ? आप देश में इस प्रकार के औद्योगिक सम्बन्धों का विकास करने जा रहे हैं। मुझे यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। मैं इस मामले को यह समझकर समाप्त करना चाहता हूं कि यह आप पर निर्भर है; यदि आप किसी न किसी रूप में तनाव को जारी रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, किंतु स्टीफन जी, आप एक पुराने ट्रेड यूनियन नेता हैं और आपको श्रमिकों के प्रति पूंजीवादी विचारधारा का विकास नहीं करना चाहिए क्योंकि वे काफी लम्बी हड़ताल पर रहे हैं और उनका झुकना अवश्यम्भावी है, जिससे कि आप उन्हें कुचल सकें। मैं आपको बता दूं, ये बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्रों की यूनिटों में ये युवा श्रमिक पुराने किस्म के श्रमिक नहीं हैं, आपको यह बात मालूम होनीचाहिए। ये सभी युवा लड़कें हैं जो इस उद्योग में नये-नये आए हैं। वे श्रमिकों की पहली पीढ़ी हैं, उनके पिता कभी श्रमिक नहीं रहे हैं। वे मध्यवर्ग के परिवारों से आए हैं और वे सुशिक्षित हैं। ये उस किस्म के लोग नहीं हैं जो इन बातों को साधारण तौर पर लें। सार्वजनिक क्षेत्र के कारण यदि कोई तनाव उत्पन्न होता है, तो इससे किसी का भला नहीं होने वाला।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अब मैं अपना प्रश्न पूछना चाहूंगा। अन्त में उन्होंने कुछ सही बात कही है जो उन्होंने पहले नहीं कही थी। विभिन्न उाकपों के प्रबन्ध को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित यूनियनों से वार्तायें प्रारम्भ करें। मुझे मालूम है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स के एक उच्च अधिकारी ने दो दिन पहले दिल्ली में किसी व्यक्ति को एक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि प्रबन्ध इस बात को महसूप करता है कि वे बैठकर इन बातों को हल कर सकते हैं, किन्तु दिल्ली से अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसका क्या आइडिया है ? कुछ भी है, अब फैक्टरियों में तालाबन्दी की गई, यह एक ऐसी बात है जो सार्वजनिक क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को प्रतिष्ठा का मामला मानते हैं कि जे० ए० एफ० के साथ नहीं बैठा जाना चाहिए, यद्यपि आप पहले उनके साथ बैठे हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिये, अन्यथा आप सम्बन्धित फैक्टरियों के प्रबन्धकों को तथा मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाएं और उनके साथ वार्ता प्रारंभ करें। तभी सभी मूल हड़तालें, तालाबन्दी आदि की समस्या को सुलझाया जा सकता है। तब हम इस बात को देख सकते हैं। कि क्या कुछ होता है; क्या इस समझौते को आगे बढ़ाया जाएगा अथवा नहीं, अथवा इस प्रकार के तनाव को बढ़ाये जाने से विपत्ति को बुलावा देना होगा, देखें क्या कुछ किया जाता है। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि क्या वे वार्ता आरम्भ करके स्थिति को सामान्य बनाने का वास्तविक, गम्भीरतापूर्वक प्रयास करेंगे। उन्होंने कोई रुपया, आना और पाई नहीं मांग रहे, उनकी तो सिर्फ यही मांग है कि वार्ता शुरू की ए।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, मैं समझता हूं कि मैं इस प्रश्न का पहले ही विस्तृत उत्तर दे चुका हूं। मैंने कहा था कि बात-चीत निरन्तर जारी है। फैसला कभी नहीं हुआ और एकक-वार बात-चीत की जा सकती है। इस बारे में कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने उनको बुलाया था। क्या ऐसा नहीं है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह ठीक है। परन्तु मैं एक बात पूरी तरह से साफ करना चाहता हूँ। हमने वह शर्तें बता दी हैं जिन पर यह मसला हल किया जा सकता है। यूनियनों को फिर से बात-चीत के लिये बुलाये जाने का यह अर्थ निकाला जा सकता हैं कि हम कुछ अधिक की पेशकश कर रहे हैं। मैं उनके साथ विश्वासघात किये जाने अथवा उनको धोखा दिये जाने की किसी बात के साथ सम्बद्ध नहीं होना चाहता। वे भूख हड़ताल पर हैं। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि उनको बातचीत के लिये बुलाया जाए तो प्रत्येक एकक के प्रबन्धों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे बातचीत करने के लिये स्वतन्त्र हैं। परन्तु यदि इस समय मैं उनको बुलाता हूं तो भूख हड़ताल तोड़ दी जाएगी और यदि मैं कोई नई पेशकश नहीं करता तो वे रहेंगे, आपने हमें बुलाया क्यों था ? बुलाने का मतलब है कि आप हमें कुछ अधिक देने को तैयार हैं। अब अगर आप हमें कुछ नहीं दे रहे तो इसका अर्थ है कि आपने हमें आन्दोलन वापस लेने के लिए धोखा दिया है और हमारे साथ विश्वासघात किया गया है।" यही आरोप कर्नाटक के मुख्य मंत्री के

विरूद्ध है। मैं अपने ऊपर यह आरोप नहीं लेना चाहता। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमने बहुत उदार रियायतों की पेशकश की है। यही मैंने भी कहा था। समझौते की अवधि को 1982 के अंत तक बढ़ाना, प्रत्येक श्रमिक को 1300 रु०, हर एक को औसतन लगभग 70 रु० का चावल प्रति मास। इन उदार शर्तों की हमने पेशकश की है। आखिर हमें भी हानि हुई है। पांच महीने तक कोई उत्पादन नहीं हुआ। हम अन्यत्र कहीं से पैसा लेकर उनको अदा नहीं कर सकते। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति एक ट्रस्ट के समान है। हम राष्ट्र के लिए इसके ट्रस्टी हैं। प्रबन्ध के मामले में हम अति उदार नहीं बन सकते। अतः पांच महीने उत्पादन न होने की स्थिति के कारण हमारी क्षमता कम हो गयी है।

मैं इतनी ही उदारता दिखा सकता हूं। हालांकि उत्पादन के न होने के कारण हमारी क्षमता में कमी आ गई है मैं अभी भी प्रस्ताव पर दृढ़ हूं और जो पैसा देना हमने स्वीकार किया है उस पर दृढ़ हूं। मैं इतना ही कर सकता हूं।

यदि बातचीत जरूरी है तो वह की जा सकती है परन्तु इस सभा को इस बारे में साक्षी होना होगा कि बातचीत आरम्भ करने का मतलब यह नहीं है कि हम अधिक ऊंची शर्तों की पेशकश कर रहे हैं। शर्तें सम्बद्ध एकक की क्षमता के अनुसार होंगी। मेरे ऊपर विश्वासघात करने अथवा लोगों को धोखा देने का आरोप नहीं होना चाहिए। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इतनी ही रियायत दे सकता हूं जो मैंने बता दी है।

महोदय, केवल यही बात उठाई गई थी। मैं किसी प्रकार का मुकाबला नहीं चाहता। सरकार किसी प्रकार का मुकाबला नहीं चाहती। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स एक ऐसा सार्वजनिक उपक्रम जिसके देश भर में एकक हैं। सभी एकक काम कर रहे हैं, हमे पूरा उत्पादन तथा सामान्य उत्पादन उपलब्ध करा रहे हैं। इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के भी बंगलौर में ही नहीं एवं अन्य स्थानों पर भी एकक हैं जो काम कर रहे हैं और पूरी तरह से सामान्य उत्पादन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्ल्स के भी अन्य स्थानों पर एकक हैं, काम चल रहा है और हमें अच्छा उत्पादन उपलब्ध हो रहा है। बंगलौर में, ये चार कारखाने रुकावट बन रहे है और उत्पादन में कटौती कर रहे हैं तथा इस प्रकार की स्थिति पैदा की जा रही है। यदि बातचीत की जरूरत है तो आरम्भ की जा सकती है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या आप मुझे एक मिनट की अनुमति देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर आप व्यवधान नहीं पैदा कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : वे झुक गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर भी आपको पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिये। मैं इसको सहन नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो अन्य को बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें नियमों के अनुसार कार्यवाही चलानी है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा प्रश्न इनसे एक स्पष्टीकरण मांगता है। यदि आपने यह घोषणा की होती कि आप उन्हीं शर्तों पर जिनकी आपने पेशकश की है, बातचीत आरम्भ करने को तैयार हैं तो भूख-हड़ताल आरम्भ न हुई होती। मैं 29 तारीख को बंगलौर में सभी भूख-हड़ताल करने वालों से मिला हूं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी भूख-हड़ताल का उद्देश्य केवल बातचीत को पुनः आरम्भ कराना है। और यदि आपने यह स्थिति स्पष्ट कर दी होती तो भूख-हड़ताल आरम्भ न हुई होती और कोई प्रदर्शन न हुआ होता। अभी भी इस बात को कृपया स्पष्ट कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हम अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं देते। इसको पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जाना चाहिए। श्री दण्डवते को एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई है।

श्री सी० एम० स्टीफन : अपने मित्र प्रो० मधु दण्डवते तथा इस सभा की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जानकारी मौखिक रूप से विभिन्न यूनियन नेताओं को दी गई थी कि वे आकर बातचीत करें और समझौते को अन्तिम रूप दें। समाचार पत्रों में भी यह प्रकाशित कराया गया था। सभी की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में एक विज्ञापन भी छापा गया था। यदि कोई मजदूर अथवा कोई यूनियन बातचीत करना चाहती है, हमें लिखती है और साक्षात्कार अथवा बातचीत की मांग करती है तो उसके लिए इन्कार नहीं किया जाएगा। हमें इस प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला। मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। इस बारे में इन्कार किए जाने की कोई बात नहीं है।

यह स्थिति है और यह हालात रहे हैं। यह घोषणा की गई थी और उनको कहलवाया भी गया था। त्रि-पक्षीय और द्वि-पक्षीय स्तरों पर बातचीत चल भी रही थी। यह बात कभी भी नहीं थी कि बातचीत टूट गई है। परन्तु शर्तें बता दी गई थीं। यह घोषणा की गई थी "कि आप आएं और समझौते को अन्तिम रूप दें"। यह भूख-हड़ताल तथा अन्य बातों के लिए उत्तेजक नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० पी० एन० सिंह, मंत्री द्वारा व्यक्ति गत स्पष्टीकरण।

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

विज्ञान और औद्योगिकि तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के समय श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् ने सेंचूरियन टैंक के कल-पुर्जों की बिक्री और सेंचूरियन टैंकों की बिक्री के प्रस्ताव के संबंध में, रक्षा मंत्रालय में तत्कालीन मंत्री की हैसियत से मेरे व्यक्तिगत आचरण पर जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं तथा कटाक्ष किये हैं, उनका मैं इस अवसर पर अंतर्विद्ध रूप से तथा स्पष्ट शब्दों में खंडन करना चाहूंगा।

दिसम्बर, 1977 में जब जनता सरकार थी 90 सत्तारूढ़ अप्रचलित तथा पुराने सेंचुरियन टैंक बेच दिए गए। शेष 190 सेंचूरियन टैंकों की बिक्री के संबंध में नवम्बर, 1979 में भूतपूर्व सरकार द्वारा प्रस्ताव लाया गया। टैंकों की बिक्री के संबंध में जो पूछ-ताछ की गई उसके साथ-साथ कल-पुर्जों और युद्धउपकरण की बिक्री के बारे में भी पूछ-ताछ की गई। इसका प्रचार व्यापक रूप से किया गया। इसके फलस्वरूप कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन पर एक अंत: विषय-प्रबन्ध समिति द्वारा विचार किया गया जिसके अध्यक्ष तत्कालीन रक्षा उत्पादन सचिव थे।

जब इस बात का पता चला कि वर्ष 1977 में बेचे गए टैंक स्पेन नहीं पहुंचे थे, तो विदेश मंत्रालय के परामर्श से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए हर संभव सावधानी बरतने का विचार किया गया कि टैंक कहीं ऐसे देश में न पहुंच जाएं जो राजनैतिक दृष्टि से स्वीकार्य न हों। चूंकि, मेसर्स फेरो-इम्पोर्ट नामक कम्पनी का प्रस्ताव सर्वाधिक अनुकूल समझा गया, अत: मेसर्स फेरो-इम्पोर्ट के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की स्थिति में आवश्यक समाश्वासन (गारंटी) प्राप्त करने की मंशा जाहिर की गई।

ये कागजात अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के समक्ष पेश किए गए तथा उन्होंने जो-जो निर्देश दिए उन्हें अक्षरश: कार्यान्वित किया गया। बिक्री स्थगित कर दी गई; मैंने 3 जून, 1980 को शेष सेंचूरियन टैंकों की बिक्री के संबंध में वार्ता समाप्त कर दी।

टैंकों तथा युद्ध उपकरण के साथ-साथ कल-पुर्जों की बिक्री के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। चूंकि कल-पुर्जों के लिए कोई योग्य विचारणीय प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए, अत: समझौता-वार्ता समिति ने सिफारिश की कि कल-पुर्जों की बिक्री के लिए बोलियां अलग से पुन: आमंत्रित की जाएं। जिन-जिन फर्मों से टैंकों तथा/अथवा कल-पुर्जों के लिए पहले बोलियां प्राप्त हुई थी उनसे अपने-अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। कनाड़ा की मेसर्स लेवी ऑटो पार्टस नामक कम्पनी ही एकमात्र ऐसी कम्पनी थी जिसकी बोली न केवल बयाना राशि अपितु "अन्तय प्रयोगकर्ता देश" के संबंध में लगाई गई शर्तों को पूरा करती थी। कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था; बिक्री इस आधार पर की जाने वाली थी कि सर्वाधिक ऊंचा स्वीकार्य प्रस्ताव किस कंपनी का है। 5000 टन कल-पुर्जों के लिए पहले मेसर्स लेवी ऑटो पार्टस कम्पनी का प्रस्ताव 900,000 डालर था। बातचीत के बाद, उन्होंने उसी कीमत पर केवल 3000 टन माल खरीदना स्वीकार कर लिया। समूचे 5000 टन कल-पुर्जे के लिए उनका संशोधित प्रस्ताव 11 लाख डालर था। यह निर्णय किया गया कि 9 लाख डालर में केवल 3000 टन माल बेचा जाए। यह बिक्री कनाड़ा सरकार द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस के आधार पर की गई। उनके उच्चायुक्त महोदय ने सूचित किया कि कनाड़ा से पुन: निर्यात करने के लिए उनकी सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होगा।

जब समझौता-वार्ता समिति ने मेसर्स लेवी आटो पार्ट्स कम्पनी के प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार किया जा, तब यह विचार व्यक्त किया गया कि यह काफी कम है और इस बात को कार्य वृत्त में भी विधिवत् दर्ज किया गया। ठीक यही कारण था जिससे वास्तविक निरीक्षण के बाद

[श्री सी० पी० एन० सिंह]

लौह तथा इस्पात नियंत्रक तथा धातु-कतरन व्यापार निगम के प्रतिनिधियों द्वारा रद्दी माल के संभावित मूल्य का आकलन करवाया गया और वार्ता के जरिये ऊंचा मूल्य तय किया गया। इस्पात मंत्रालय से भी परामर्श किया गया। समझोता सम्पन्न होने से एक महीने पहले धातु-कतरन व्यापार निगम (एम० एस० टी० सी०) के निरीक्षण-दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। वित्त मंत्रालय ने कनाड़ा की मेसर्स लेवी आटो पार्ट्स कम्पनी को 3000 टन अतिरिक्त कल-पुर्जों की बिक्री के संबंध में अपना अनुमोदन प्रदान किया।

इस मामले में, जहाज पर माल की लदाई के काफी पहले ही बैंक-ड्राफ्ट के जरिए भुगतान प्राप्त हो चुका था। बैंक-ड्राफ्ट की तारीख 8 अगस्त, 1980 थी तथा यह 7 अगस्त, 1980 की शाम को दिया गया था। माल जहाज पर अक्तूबर, 1980 तथा फरवरी, 1981 में लादा गया।

महोदय, मैंने इन दो मामलों पर पूरे ब्यौरे पेश किये हैं जो इस बात को असंदिग्ध रूप से सिद्ध करते हैं कि मैंने सदिच्छा की भावना से तथा सरकार के सर्वोत्तम हित में कार्य किया। मैं जोर देकर तथा पूर्ण जिम्मेदारी की भावना के साथ यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में मेरी भूमिका पूर्णतया सही तथा आचरण पूर्णरूपेण असंदिग्ध रहे हैं। एक ओर तो टैंकों की बिक्री हुई ही नहीं तो दूसरी ओर जहां तक तल-पुर्जों की बिक्री का संबंध है, सम्बद्ध मंत्रालयों की सहमति से बिक्री सम्पन्न की गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री उन्नीकृष्णन् ने मुझ पर अनावश्यक तथा अप्रत्यक्ष रूप से लांछन लगाये हैं

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन—खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा। कोई वाद-विवाद नहीं होगा। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल विधायी कार्य ही लिया जायेगा। (व्यवधान) आप सूचना दे सकते हैं। (व्यवधान)**

पुरःस्थापित किए गए विधेयक

(1) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1981

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को अग्रसर करने हेतु वित्त पोषण करने के लिये कथा फिल्मों पर उपकर का उदग्रहण करने और संग्रहण करने और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को अग्रसर करने हेतु वित्त-पोषण करने के लिये कथा फिल्मों पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वसन्त साठे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि अनेक विधेयक पुरः स्थापित किये जाने हैं और सभा आज स्थागित हो रही है तो इन विधेयकों को प्रवर समिति को क्यों न निर्देशित कर दिया जाये।

---

(2) सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रस्ताव ररता हूं कि कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को अग्रसर करने हेतु वित्त-पोषण करने का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ सिनेमा कर्मकारों के कल्याण संबंधी क्रियाकलापों को अग्रसर करने हेतु वित्त-पोषण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वसन्त साठे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

(3) भारतीय आयात-निर्यात बैंक विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से आयात और निर्यातकर्ताओं की वित्तीय सहायता का उपबन्ध करने के लिए माल और संबंधों के आयात और निर्यात के वित्त पोषण में लगी संस्थानों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए और उससे संबद्ध तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए भारतीय आयात-निर्यात बैंक के नाम से एक निगम की स्थापना करने वाले विधेयक के पुर.स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से आयात और निर्यातकर्ताओं की वित्तीय सहायता का उपबंध करने के लिये माल और सेवाओं के आयात और निर्यात के वित्त-पोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए और उनसे संबद्ध तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए भारतीय आयात-निर्यात बैंक के नाम से एक निगम की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

(4) भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) विधेयक

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : राव बीरेन्द्र सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्र में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम अविश्वास प्रस्ताव को लेंगे। श्री जार्ज फर्नान्डीस।

डा० बी० एन० सिंह (हजारी बाग) : निर्धारित समय सीमा के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक इस बारे में चर्चा पूरी नहीं होती, तब तक बैठक चलेगी । समय के बारे में फैसला यह है कि बैठेंगे ।

डा० बी० एन० सिंह : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है, मैं आपसे जानना चाहता हूं । नियम 48 (3) और (4) का पाठ इस प्रकार है—

198 (3) यदि उप-नियम (2) के अन्तर्गत अनुमति दे दी जाये तो अध्यक्ष, समय के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद, प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसी एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा ।

(4) अध्यक्ष, यथास्थिति नियत दिन या नियत दिनों में से अन्तिम दिन निश्चित समय पर, प्रस्ताव पर सभा का विनिश्चय निर्धारित करने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा···।"

अतः नियमों के अनुसार सही-सही वह समय वक्त निर्धारित कीजिये जिसको आप इस प्रस्ताव पर मत विज्ञापन कराने जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम उसके बारे में विचार करेंगे । इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा । हमेशा की तरह सामान्य तौर पर इसके लिए औसत समय नौ से लेकर बारह घन्टे के बीच होता है ।

एक माननीय सदस्य : इसको सुबह 6 बजे रख दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में तय हो जायेगा । आप अपनी बात जारी रखें । (व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : हमें बतायें कि इस पर मत विभाजन कब होने की संभावना है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप यहीं रहिए । आप सारे समय यहां रहिए । (व्यवधान) मैं भी आपके साथ रहूँगा । चिन्ता न करिये ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : 3 30 बजे गैर सरकारी सदस्यों संबंधी कार्य है । अतः 9 की सुबह या··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उस पर गौर किया जायेगा । दस घंटे । हम निश्चित करेंगे । यह कैसे संभव है ?

एक माननीय सदस्य : केवल आठ बजे तक ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आज 6 बजे से 8 बजे तक कर लें और उनके बाद कल कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : कल की बात छोड़िये । बहुत से माननीय सदस्यों के प्रोग्राम बने हुए हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अगर कोई मीनिंगफुल डिबेट करनी है, तो ज्यादा समय इसके लिए चाहिए। ज्यादा रात तक बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वी शैल वाच। 2 घंटे तो अब हो जायेंगे और छः बजे के बाद, 3, 4 और 5 घंटे इसमें लगा सकते हैं। देखेंगे। चिन्ता न करें। पूरा-पूरा न्याय किया जाएगा। हम इसके साथ पूरा-पूरा न्याय करेंगे। (व्यवधान) ठीक है, तो अब अपनी बात कहिए। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे खुशी है कि आप अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको ज्ञान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : अंग्रेजी में बोलिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हिन्दी में बोल लेने दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है, यह समूचे देश की इस सरकार के बारे में जो इस वक्त भावनाएं हैं, उन्हें पूर्णतया व्यक्त करता है।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : बिल्कुल गलत है। कभी आप सच बोला कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : असल में यह बात कभी नहीं रही है कि इस सरकार के पीछे देश का बहुमत कभी रहा हो। कल हमने एक मंत्री महोदय का यहां पर बयान सुना जब उन्होंने कहा था कि एक ऐसा समर्थन उनके दल को मिला था पिछले चुनाव में, जो मैसिव और अनप्रीसीडेंटेड था। असल में उन्हें वोट मिले थे 42 फीसदी। मगर सामने बैठने के बाद लोग जरूर गिनती और हिसाब भूल जाते हैं। शायद यही कारण हो कि आज सुबह हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी यह प्रदर्शित किया कि बियरर बाण्ड में 37 प्रतिशत रकम प्राप्त हो जाना कामयाबी है। उसी तरह से 42 प्रतिशत वोट पाना भी इन लोगों ने मेसिव और अनप्रीसिडेंटिड मान लिया।

असल में, अध्यक्ष जी, अगर थोड़ा बहुत भी सरकारी पक्ष के लोग सोचना शुरू करें तो वह यह महसूस करेंगे कि जब 1980 के जनवरी में ये लोग चुनकर आये तो जिनको इस देश में वोट देने का अधिकार था उनमें हर चार में से सिर्फ एक ने इनको वोट दिया और तीन ने आपको वोट देने से इंकार किया। (व्यवधान) यह याद रखना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त आयेगा, आप अपनी बात कहना।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सरकार में और विरोध में रहते हुए हम सब की कुछ जिम्मेदारियां हैं। (व्यवधान) सरकार में रहते हुए उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप बिल्कुल गलत काम कर

रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। जब आपका नम्बर आये आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कह सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, इस सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं मानता हूं कि इस सरकार की जिम्मेदारी है इस घोषणा पत्र को अमल में लाना। पता नहीं, इनमें से कितने लोगों ने जो कि यहां बैठे हैं, इसे पढ़ा है और कहां तक यह अमल में आ रहा है, इसके बारे में कहां तक ये लोग सोच पाये हैं? मगर एक तो इनकी जिम्मेदारी यह है कि इसको ये पूरा करें। वैसे हमारी भी जिम्मेदारी यह है कि जब ये वायदों से दूर जायें, गलत दिशाएं पकड़ें तो इन्हें बताने का काम हम करें और आपको यह भी बताएं कि कहां-कहां आप दूर जा रहे हैं, कहां-कहां गलत दिशा को पकड़ रहे हैं।

हालांकि, अध्यक्ष जी, कुछ दिक्कत हम जरूर महसूस करते हैं। घोषणा पत्र में भले ही बहुत चीजें लिखी हों, मैं यह मानता हूं कि लोगों ने इस घोषणा पत्र को देखकर ही इन लोगों को यहां चुनकर नहीं भेजा है। इन लोगों ने दो नारे दिए थे। एक नारा उन लोगों के लिए था जो कि गांवों में रहते हैं और कुछ राजनीति की बुनियादी बातें जानते हैं लेकिन कार्यक्रम के बारे में सोचने की स्थिति में आजादी के 34 वर्ष बाद भी नहीं पहुंच पाये हैं। उनके सामने नारा इतना ही था—"न जात पर न पांत पर, इन्दिरा जी की बात पर, मोहर लगाओ हाथ पर।" (व्यवधान) इससे आगे कोई बात नहीं थी। गरीबों के लिए कोई कार्यक्रम पर नहीं, समस्याओं को हल करने के किसी कार्यक्रम पर नहीं, सिर्फ बात पर, मोहर लगाओ हाथ पर। कुछ पढ़े-लिखे और राजनीति को सही ढंग से समझने वाले लोग थे। उनके लिए इन्होंने कुछ और नारा रखा कि "ऐसी सरकार बनाओ जो सरकार काम कर सकें।"··· (व्यवधान)···अध्यक्ष जी आप हमको संरक्षण देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चलती कमैन्ट्री पसन्द नहीं करता। यह संसदीय परिपाटी के भी विरुद्ध है। जब आपका नम्बर आये तो आप हर तर्क की काट कर सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं इस तरफ बैठे अपने सभी साथियों से अपील करता हूं कि वे विघ्न न डालें। हम खुद काम करने में समर्थ हैं। हम सब प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और हम सभा तथा देश दोनों को ही संतुष्ट कर सकते हैं। कृपया विघ्न न डालें।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : सरकारी पक्ष में बैठे मंत्री लोग भी हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तो अध्यक्ष जी, कहा गया कि ऐसी सरकार बनाओ जो काम कर सके "गवर्नमेंट दैट वर्क्स"। खैर जहां बात पर वोट दिया गया था, वहां पता नहीं सरकारी दल के लोग कितना गांवों में घूमते हैं, लेकिन हम तो काफी घूमते हैं और अध्यक्ष जी वही लोग, जिन्होंने इनकी बात पर मोहर लगाने का काम किया था, अब बोलने लगे हैं कि :

मोहर लगाई हाथ पर,
मिट्टी का तेल मिले 5 पर,
डीजल मिले 7 पर,

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

चीनी मिले आठ पर,
जल्दी पहुंचेंगे घाट पर।

अगर आप गांवों में जायेंगे, सरकारी दल के लोग गांवों में जाने का प्रयास करेंगे तो जरूर उनको यह बात सुनने को मिलेगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात ? क्या इससे हटकर नहीं बोल सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : तो अध्यक्ष जी, जहां पर इन्होंने काम करने वाली सरकार का नारा दिया था वहां हम लोग देख ही रहे हैं कि कहां पर कैसे काम हो रहा है।

बिहार शरीफ से शुरू करें, जहां विदेश जाने से पहले और अरब देशों के दौरे पर जाने से पहले प्रधान-मंत्री ने जाना उचित समझा। हमें खुशी है कि वे वहां पर पहुंच गईं, क्योंकि पिछले 16 महीनों में जहां-जहां इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, वहां प्रधान-मंत्री नहीं पहुंचीं। हो सकता है कि उसकी वजह यह रही हो कि इसके पहले जब-जब ऐसी घटनाएं हुईं, उन घटनाओं के घटते हुए उन्हें स्विट्जरलैंड अथवा अरब देशों के दौरे पर नहीं जाना था। ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी, लेकिन अब परिस्थिति आ गई, उन्हें दौरे पर नहीं जाना था तो उन्होंने बिहार जाना उचित समझा। कुछ ही घंटों के लिए सही, लेकिन वे वहां पर गईं।

वहां जाने पर प्रधान मंत्री ने वहां के मुख्य मंत्री से जो सवाल पूछे और वहां के मुख्य मंत्री ने जो जवाब दिये, वे सबूत देते हैं कि सरकार कितना काम कर रही है।

बिहार शरीफ जल रहा था। जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार 200 लोग वहां मारे गये हैं। मुरादाबाद के बाद ऐसी भयानक घटना हिन्दुस्तान में शायद ही घटी हो, जो आज बिहार शरीफ में घटी है।

श्री हरिकेश बहादुर : रिकार्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मिली है। ऐसी स्थिति में भी राज्य के मुख्य मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे घटना स्थल पर तत्काल जाने की और लोगों को राहत पहुंचाने की और सबसे आवश्यक बात यह है कि उनके जान और माल के बचाव का काम करने की और इस काम में नेतृत्व प्रदान करने की, प्रधान मंत्री के पीछे वहां गए, उसके पहले और बाद में नहीं गए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : वह जमानत पर हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : जमानत पर हैं इसलिए नहीं गए, अगर आपका यह कहना है तो उसके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है।

मैंने यह घोषणा पत्र इसलिए आज अपने हाथ में लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब

सरकारी दल के लोग अपने बचाव की बात कहें तो सिर्फ बात काटने का काम न करें बल्कि इस घोषणा पत्र को हाथ में लेकर क्या वादा किया था और उसको किस तरह से पूरा किया गया है, इसको बताएं। देश के अल्पसंख्यकों की स्थिति को आप देखें। वे एक जमाने से मारे जा रहे हैं। उनके साथ आपने क्या वादे किए थे और उन वादों में से किस वादे को अमल में लाने का काम आपने किया है, इसका जवाब आप दें। एक बिहार शरीफ नहीं बल्कि इलाहाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद तथा देश के अनेक कोनों में आज ऐसी ही स्थिति है। मेरे पास यहां पर गृह मंत्रालय का दस्तावेज है। इसमें जो आंकड़े दिये गए हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

गत पांच वर्ष के दौरान हुए दंगों तथा मौतों तथा जख्मी हुए लोगों की संख्या का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	साम्प्रदायिक दंगों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायलों की संख्या
1976	169	39	794
1977	188	36	1122
1978	230	110	1853
1979	304	261	2379
1980	421	372	2691
			(इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ)

देश को तोड़ने के काम में आप लोग 1981 में लगे हुए हैं।

हरिजनों की बात कितनी चलाई गई थी, आदिवासियों की बात कितनी चलाई गई थी। इसी दस्तावेज में हरिजनों और आदिवासियों के बारे में क्या-क्या वादे किए थे वे भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आदिवासियों की बात मैं विशेष रूप से करना चाहूंगा। इंदरावली की मिसाल हमारे सामने है। जयपाल सिंह जी और स्वामी इंद्रवेश वहां जा कर आए हैं और आंखों देखा हाल वे आपको बताएंगे। पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। कोई बाहर का आदमी अन्दर जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, आदिवासियों से मिल नहीं सकता है। पुलिस की जीप वहां जमे हुए आदिवासियों के बीच में से चली और दोनों तरफ गोली चलाती गई। कम से कम सौ लोग मारे गए हैं। लोगों की लाशें जलाई गई हैं। गौड समाज में यह काम नहीं होता है। क्या जुल्म वहां पर नहीं चला। आंखों देखा हाल कई लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे।

वहां तो यह हुआ है लेकिन आप घोषणापत्र में क्या कहते हैं ?

"कांग्रेस देश के जनजातीय लोगों को आत्म निर्भर तथा विकास और प्रगति का फल उन्हें दिलाने के लिए कार्यक्रम को तेज करेगी और उसको बढ़ायेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उनके परम्परागत रहन-सहन के ढंग में कोई हस्तक्षेप न किया जाये और उनकी पहचान और संस्कृति कायम रखी जाये। पूर्वोत्तर तथा भारत के अन्य राज्यों में उनको उनके मूल निवास स्थानों से हटाने के प्रयासों को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये जायेंगे।"

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

क्या हो रहा है इंदरावली में ? क्या हो गया है ढल्ली राजहड़ा में ? आदिवासियों को शराब से दूर करने का प्रयास एक नौजवान मजदूर नेता ने किया जो मार्क्सवादी है, गांधियन नहीं। इस घटना को ले कर चुन कर गए हुए, गांधी जी के नाम पर अपनी राजनीति की बात करने वाले लोगों ने क्या दिया ? शराब से मजदूरों को, आदिवासियों को दूर करने का काम शंकर गुह नियोगी ने किया। इसलिये ठेकेदारों के मगरमच्छी बन कर उनको गिरफ्तार करने का काम किया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत उसको बन्द रखा। हुआ में यही स्थिति, बिहार के हुआ में जहां आदिवासी पेड़ न काटिये, हमारे जंगल को तोड़ने का काम न करिये, हम लोगों के साथ सीधा व्यवहार कीजिये, यह बात उन्होंने चलायी। लेकिन वहां भी आपने उन पर गोली चलायी।

हरिजनों के साथ चर्चा बहुत हुई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बेलची में पहुंचे थे आप। लेकिन पिपरा नहीं पहुंचे, कफलटा नहीं पहुँचे और पिछले 16 महीने में, देश के अलग-अलग हिस्सों में हरिजनों के साथ जो व्यवहार हुआ है, गुजरात में आरक्षण के सवाल को ले कर के जो हालत बनी है, उत्तर प्रदेश में अभी 5 रोज पहले जिस प्रकार की गोलियां चलायी गयीं, उनका कत्लेआम किया गया है, एक-एक घटना को अगर देखें अध्यक्ष जी, समझ में नहीं आता कि यह घोषणा-पत्र और अपने वायदों को कहां यह लोग याद कर सकते हैं, कहा इनके दिमाग में यह बातें आ सकती हैं। और जैसा समाज में शोषित लोगों के साथ यह व्यवहार, वही आर्थिक शोषित लोगों के साथ भी इनका व्यवहार रहा।

अभी-अभी यहां पर बहस चली, और जिस मंत्री महोदय ने जवाब दिया वह इस समय यहां नहीं हैं, हो सकता है कि बाद में आ कर अपना भाषण करें, मेरा मतलब श्री स्टीफन से है। लेकिन आज पब्लिक सैक्टर अन्डरटेकिंग्स के कर्मचारियों की क्या स्थिति है। इसी संसद के बाहर मजदूर नेता आज 10 दिन से अनशन करके बैठे हैं। बंगलौर की स्थिति को आप जानते हैं सेना को बुला कर कहा गया मजदूरों के मामले पर आपको अलर्ट रहना चाहिये। शूट टु किल का ऑर्डर वहां पर देने का काम हुआ। कोई चीज बाकी नही रही। अभी मंत्री जी बोले मजदूरों की तरफ से हत्या हो गई। कहां हो गई मजदूरों की तरफ से ? गोलियां चली थीं बंगलौर में, तीन लोग मारे गए थे। मजदूरों ने गोलियां नहीं चलायीं थी। पुलिस ने चलायी थी। और एक क्षेत्र के मजदूरों के साथ जो व्यवहार आज आप लोगों का हो रहा है, कल रेल कर्मचारियों की सदन में बहस चली और मंत्री महोदय का जो रूख था वह भी हमने कल देखा। एल० आई० सी० कर्मचारियों को अदालत में जा कर दसियों हजार रु० खर्च करना पड़ा न्याय पाने के लिये। वह न्याय चाहते हैं, आप उनको वंचित करना चाहते थे, सरकारी ताकत को ले कर। उस ताकत से अपना न्याय पाने के लिये दसियों हजार रु० मजदूरों को अदालत में खर्च करना पड़ा। कौन सा इन्साफ है मजदूरों के साथ ?

और फिर इसमें लिखा था कि न सिर्फ मजदूरों को न्याय दिया जायगा बल्कि कारखाने चलाने में उनको हिस्सेदार बनाया जायगा, साझेदारी उनकी होगी। साझेदारी की बात कही गई है। लेकिन बंगलौर में लाक आउट कर के लोगों को सड़क पर भेजने का काम, और दिन प्रति

दिन लाठियां, अश्रु गैस और गोलियां और आर्मी को बुलाकर शूट एट साइट वाली बात। तो कहां इनका वायदा रहा ? आर्थिक क्षेत्र में हर व्यक्ति परेशान है।

किसानों की बात बहुत बढ़ कर कही गई इनके घोषणा-पत्र में :

अत: कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी :

(क) कि किसान में लागत ढांचे की ओर प्रत्यक्ष ध्यान दिया जाये। उसके उत्पादन में लगने वाली आवश्यक सामग्री की लागत को ध्यान में रखकर समर्थन मूल्य तय किया जाये ताकि किसान की आय को मुद्रा स्फीति के प्रभाव से बचाया जा सके;

(ख) कि बाजार तंत्र की कमियों के कारण किसान को कोई नुकसान न हो;

(ग) कि छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से क्रय तंत्र को केन्द्रीय-कृत आधार पर पुनर्गठित किया जाये।

यह आपके चुनाव घोषणा-पत्र के 22 वें पेज पर छपा है। कहां है ? निपाणी में 20 किसान मारे गये अभी पिछले महीने की 6 तारीख को। महाराष्ट्र में प्याज पैदा करने वाले किसानों को लेकर, गन्ना करने वाले किसानों पर आपने गोलियां चलायीं, गुजरात में मूंगफली पैदा करने वाले किसानों पर गोली चलायी। आंध्र में धान के लिये उचित मूल्य मिलना चाहिये ऐसा कहने वाले किसानों पर गोलियां चलायीं। दसियों हजार किसानों की गिरफ्तारियां कीं। और इस देश के पिछले 34 वर्ष के इतिहास में जितने किसान मारे गये थे उससे अधिक पैमाने पर पिछले 1 वर्ष में किसानों को मार डालने का काम आप लोगों ने किया। हंसी आती है आपको इस बात पर भी। क्या इनकी बात कही जाए ? (व्यवधान) गोली चलाओ और उसके बाद इस सदन में बैठ कर हंसो, यह इन लोगों का काम है। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपको मुजफ्फरपुर के लोग याद कर रहे हैं, उन्हें मुंह तो दिखाएं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, पिछला पूरा साल इनके वादों के साथ कोई सम्बन्ध रखने वाला नहीं रहा है। अगर मैं एक वाक्य में कहूं, तो पिछला साल इस देश के आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषित लोगों के लिए पुलिस के जुल्म का साल रहा है—पुलिस जुल्म के अलावा उनके लिए कोई दूसरी बात नहीं रही है।

और पुलिस के जुल्म की शुरूआत दिल्ली की सड़कों पर हुई। पता नहीं, कुछ शर्म बची है या नहीं, कुछ याद है या नहीं कि यह शुरूआत की गई थी अंधों पर लाठी चला कर इसी दिल्ली की सड़कों पर मार्च, 1980 में। (व्यवधान) पता नहीं कि इनको याद है या नहीं कि पिछले साल —दि यीअर आफ दि डिसएबल्ड में—जिस दिन को दि यीअर आफ दि डिसएबल्ड के तौर पर मनाया गया, उस दिन प्रधान मंत्री के निवास-स्थान को जाने वाले 300 अंधों पर लाठी चलाई गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

जो सरकार अंधों पर लाठी चला कर, उनकी पिटाई करके उनको जेल में भरने का काम कर सकती है, वह अन्याय के विरोध में मजबूती के साथ लड़ने वालों के साथ क्या कर सकती है, उसका अंदाज है ही, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है।

मगर जहां अन्याय के विरुद्ध लड़ने वालों के खिलाफ इस सरकार के हथियार खड़े हो गए, वहां उसने देश में कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति बना रखी है ? आज मैं अखबारों में छपी बातें नहीं पढ़ूंगा, मैं आज अपनी बात आपके सामने नहीं रखूंगा, आज मैं गृह मंत्रालय का एक दस्तावेज आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। गृह मंत्री यहां पर बैठे हैं। यह दस्तावेज है मिनिस्ट्री आफ होम एफेयर्ज, गवर्नमेंट आफ इण्डिया, ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवेलपमेंट का। इसमें लिखा है : —

> 1980 की पहली तिमाही में पिछली तिमाही अर्थात 1979 की चौथी तिमाही की अपेक्षा अपराधों में वृद्धि हुई। जालसाजी 52.5 प्रतिशत, डाके 23.8 प्रतिशत, बलात्कार 19 प्रतिशत, मादक औषध लेने के मामले 7.9 प्रतिशत, सशस्त्र डाके शिबरी, 7.3 प्रतिशत, अपहरण 5.5 प्रतिशत और कत्ल 2 प्रतिशत।

आगे लिखा है :—

> यदि 1979 की पहली तिमाही में हुए अपराधों से 1980 की पहली तिमाही में हुए अपराधों की तुलना की जाये तो पता चलेगा कि डाके में 19.7 प्रतिशत, जालसाजी में 19.4 प्रतिशत, कत्ल में 13 प्रतिशत, सशस्त्र डाके में 4.4 प्रतिशत तथा चोरी में 2 प्रतिशत वृद्धि हुई।

सरकार में आने के बाद पहले तीन महीनों का इनका यह काम है। यह दिसम्बर 30, 1980 का, उसी गृह मंत्रालय के उसी ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट का दस्तावेज है, उसमें क्या लिखा है—

'वर्ष 1980 के उतरार्ध में अपराध'

यानी हम लोग इस सरकार के दूसरे क्वार्टर में पहुंच जाते हैं। काम अब जोरों से शुरू हो गया है, सब लोग अपनी-अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और काम में लगे हुए हैं।

> जो सरकार कार्य कर सकती है उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। 'वर्ष 1980 के उतरार्ध में, वर्ष 1980 के पूर्वार्ध की तुलना में अपराधों में वृद्धि हुई है।''

यानी पहले दूसरे महीने के जो भयानक आंकड़े मैंने रखे वहां से आगे बढ़ते हैं—

> विभिन्न प्रकार के अपराधों की सरकार में वृद्धि हुई है अपहरण/भगा ले जाना 23.2 प्रतिशत; बलात्कार 22.8 प्रतिशत; हत्या में 16.5 प्रतिशत; दंगे 14.4 प्रतिशत, हत्या की

कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव बध 12.9 प्रतिशत, अन्य भारतीय दंड संहिता के अपराध 8.3 प्रतिशत ।

कानून और व्यवस्था की बात इन लोगों ने की थी, इसमें उसका उल्लेख था और पहले छः महीनों का यह आप लोगों का काम है कि देश में एक तरफ अन्याय के विरोध में लड़ने वालों पर जब आपने जुल्म करना शुरू किया और पुलिस का इस्तेमाल वहां शुरू किया वहां दूसरी तरफ जो समाज-कंटक और इस प्रकार के गलत काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी छूट देने की बात हो गई कि हर तरह से अन्याय और जुल्म देश में बढ़ता चला गया । तो इनका एक तरफ वादा दूसरी तरफ इनका काम इस प्रकार है ।

दाम की बड़ी चर्चा इन लोगों ने की थी और वह चुनाव मुझे याद है, 1979 के नवम्बर-दिसम्बर से हिन्दुस्तान में चर्चा शुरू हुई थी—प्याज के दाम और चीनी के दाम की, प्याज और चीनी और कुछ लोगों ने लिखा भी था कि जो लोग सरकार में थे वह इसलिए हारे थे कि प्याज का दाम बढ़ गया था और चीनी का दाम पांच रुपये पर पहुंच गया था । देश में बड़े पैमाने पर इतना चिल्लाना शुरू हुआ था कि चीनी का दाम पांच पर गया है और क्या स्थिति है आज ? वित्त मंत्री बैठे हैं, क्या स्थिति है? क्या है अब चीनी का दाम और क्या हैं और चीजों के दाम ? सिर्फ आप के आश्वासन और प्रधान मंत्री के बेमतलबी बयान जिसमें कोई मतलब नहीं रहता है जहां तक दामों का सवाल है वह इतना ही बोलती रहती हैं कि जनता लोकदल ने सब बिगाड़ा, आ प कम से कम यह तो नहीं बोलते हैं लेकिन सिर्फ आपके आश्वासन और वादे होते हैं और हो क्या रहा है ? यह है दस्तावेज और यह आपका ही है, आपके ही मंत्रालय का है—एक है रिज़र्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन, लेटेस्ट दिसम्बर 1980 का, इसके बाद का अभी छपकर नहीं आया है और यह है बीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट आफ दि रिजर्व बैंक आफ इंडिया बुलेटिन, मैं इसका एक एक पन्ना खोलकर अभी आपका समय इसमें नहीं लूंगा लेकिन कुछ आंकड़े इन्हीं में से निकाले हुए दूंगा । वित्त मंत्री बड़े सयाने हैं, खूब पढ़ते हैं, उनके सामने तो कम से कम ये आंकड़े बिल्कुल सीधे होने चाहिए और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस दल के लोग भी इसको समझ लें, अगर कोई रास्ता इसमें से निकालना आपके बस का हो, अपनी सरकार पर कुछ दबाव डालने का काम इस मामले में कर सकते हों तो वह भी करने का प्रयास आप लोग करें । इसलिए इसको समझने की कोशिश करें । ये दाम बढे हैं दिसम्बर 1979 के अन्तिम सप्ताह से लेकर अप्रैल महीने की 11 तारीख तक, उसके बाद के आंकड़े नहीं आए हैं, रिजर्व बैंक का बुलेटिन उसके बाद का नहीं आया है. समूचे 1980 साल से लेकर अप्रैल महीने की 11 तारीख तक ये दाम बढ़े हैं और इन्हीं के दस्तावेजों के ये आंकड़े हैं—226.2 था इन्डेक्स ओवरआल प्राइसेज का, वह पहुंच गया 274, ऐन इन्क्रीज आफ ओनली 21 परसेंट ।

सेंट्रल हाल में कमेटियों में बैठकर जो भाषण आप लोग सुनते हैं सिर्फ उसी को न सुना करें, कुछ हम लोगों की बात को भी समझ लें, उसे भी सुनने का काम करे ···· (व्यवधान)··· अगर झूठ है तो यह दस्तावेज झूठ है, फिर आपके मंत्री** फिर आपकी सरकार** (व्यवधान)···

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया ।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

जहां कुल दामों को 1980 और अप्रैल 1981 के बीच 21 प्रतिशत बढ़ाने का काम आपकी सरकार ने किया वहां पयूएल पावर लाइट ऐंड लुब्रिकेंट्स का दाम आपने बढ़ा दिया 37 परसेंट। मिनरल आयल्स का दाम बढ़ाया 45 परसेंट, चीनी का दाम बढ़ाया 64 परसेंट, एडिबल आयल्स का दाम 27 परसेंट और वह जो बेचारे किसान हैं जिनको दिल्ली लाए आप लोग 200 करोड़ खर्च करके इंडिया टुडे के अनुसार और 100 करोड़ खर्च करके एकोनामिक टाइम्स के अग्रलेख के अनुसार, उन बेचारे किसानों के लिए आपने फर्टिलाइजर का दाम बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर प्रोफेसर रंगा साहब, आप तो किसानों के लिए जिन्दगी भर लड़ने वाले व्यक्ति रहे और आज आप चुप बैठे हैं ? किसानों के लिए फर्टिलाइजर का दाम एक वर्ष में 54 परसेंट बढ़ा दिया। कभी इतिहास में यह बात नहीं हुई है—रंगा साहब आप इस बात को जानते हैं।

जहां तक आवश्यक चीजों के दाम की बात है, जो खाने पीने की चीजें हैं उसका क्या हाल है ? उसके लिए होलसेल इण्डेक्स उपलब्ध है। होलसेल और रिटेल का जो अन्तर है उसको मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन होलसेल में भी आपने दाम बढ़ा दिए इस सिलसिले में मैं सिर्फ फूड प्रोडक्टस की बात ही कहूंगा। इसमें 16 महीनों में 55 परसेंट की इंक्रीज हुई है। इसमें देकरी में डबल रोटी वगैरह के दामों में अभी हाल में 39 परसेंट दाम बढ़े हैं। फल और सब्जियों के दाम, आपके कहने के अनुसार ही, 26 परसेंट बढ़े हैं। यह तो होलसेल की स्थिति है, रिटेल की जो स्थिति होगी उसका अन्दाज तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि रोज ही उसको हम अनुभव करते हैं। इस तरह से दाम बढ़ाकर जो लोगों की लूट हो रही है उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

स्टीफन साहब यहां पर नहीं हैं। जब लोगों ने शिकायत की, कलकत्ते से लेकर इस सदन तक, कि टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं तो वे कहते हैं कि टेलीफोन वापिस करो। उनके दिमाग में यह बात नहीं आती है कि मैं इस्तीफा देकर चला जाऊँ, मैं निकम्मा साबित हो गया हूं इसलिए मैं हट जाऊँ। उनके दिमाग में यह बात नहीं आती है। अगर उन्हें अपनी सरकार की इज्जत बचानी होती तो वे सोचते कि जब मुझ से मंत्री का काम नहीं होता तो मैं हट जाऊँ। अब मैं देख रहा हूं एक दो महीने से वे एक नया नारा लेने लगे हैं कि टेलीफोन ऐसे ही रहेंगे यानी गवर्नमेंट दैट वर्क्स, लेकिन टेलीफोन ऐसे ही रहेंगे। इसमें जब सभी की लूट हो रही है तो जो संसत्सदस्य हैं वे भी फंसेंगे क्योंकि वे इसमें कुछ ज्यादा ही शामिल होते हैं। इस तरह से तो आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री चल रही है।

अब चलिये रेल मंत्रालय की तरफ।

सभापति महोदय : आपने 35 मिनट का समय ले लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : रेल मंत्री कल यहां पर बहस कर रहे थे, कल उन्होंने यहां पर जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार भी किया कि पिछले एक वर्ष में रेलवेज में अनप्रिसिडेंटेड अपराधों की संख्या बढ़ने लगी है। रेलवेज का हर क्षेत्र में यही हाल है। ऊर्जा मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि हमारे पास कोयला है लेकिन उसको उठाने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से

कोई इन्तजाम नहीं है। रेल मंत्री की तरफ से, गाड़ियों में जितनी चोरी डकैती कभी नहीं हुई, वहां तक पहुंचाने का काम हुआ है। इसी तरह से जहां तक रेलवे एक्सीडेन्ट्स की बात है वह हम रोज ही देख रहे हैं। एक मंत्री ऐसी भी हुए हैं जिन्होंने एक एक्सीडेन्ट पर इस्तीफा दे दिया था लेकिन अब रोज ही एक्सीडेन्ट्स हो रहे हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ वे अपने बचाव का काम करते हैं। इस सिलसिले में कम लोग देख रहे हैं कि यह सरकार किस क्षेत्र में और कहां तक कामयाब रही है। मैं इस बात को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर इनके बस की हो तो उसको सुधारने की बात कहें।

वाणिज्य मंत्री इस समय यहां पर नहीं हैं। इनके घोषणापत्र में, इनके एक-एक बयान में, इनके एक-एक भाषण में, पुरानी सरकार की खूब आलोचना होती रही है कि देश की निर्यात नीति खत्म हो गई है और देश डूब रहा है। तेल का दाम बढ़ा था और कोई बात नहीं थी। कोई चर्चा का विषय सामने नहीं आया था, लेकिन जब से जनता और लोकदल आये, इन लोगों ने विदेश-व्यापार नीति को बरबाद कर दिया। यही एक नारा एक साल तक लगातार लगाते रहे। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है, आप शायद पढ़ते न हों या मंत्री की ओर से आपको बताया न गया हो कि 1980 कैलेण्डर ईयर में, आपकी सरकार के पहले वर्ष में, विदेश-व्यापार का नैगेटिव बैलेंस आफ ट्रेड-डेफिसिट 47 अरब 52 करोड़ रुपये रहा है। आज तक इतना बड़ा ट्रेड-डेफिसिट इस देश का कभी नहीं रहा, जो पिछले साल आपने कर दिया। 1979 में, जिस पर आप लोग हल्ला कर रहे थे, यह उसका दुगना है, 1978 का पांच गुना है और 1977 का आठ गुना है। यह आप लोगों की सरकार है।

खाद्य मंत्री किस तरह से अपना काम कर रहे हैं—खूब चर्चा और हल्ला हुआ था····· (व्यवधान)·····इसको समझ लीजिये, काम में आयेगा।···(व्यवधान)···चर्चा हो रही थी कि आप लोगों ने बहुत छोड़ा था लेकिन हम लोगों ने बरबाद कर दिया। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग सरकार से हटे तो हिन्दुस्तान के अनाज के भण्डार में जो अनाज था—वह 1 करोड़ 90 लाख टन था। आज उसको एक करोड़ टन पर पहुंचाने का काम आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से किया है। फूड-फौर-वर्क हम लोगों ने चलाया, यह आपकी की ही सरकार की रिपोर्ट है 1977 के अप्रैल में शुरू किया हुआ कार्यक्रम···(व्यवधान)···यह आपकी ही की रिपोर्ट है, जिसे आप लोग पढ़ना पसन्द नहीं करते हैं, पढ़ाई और समझदारी से हमेशा आप लोगों की दुश्मनी है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है · लेकिन यह रिपोर्ट है :

> "रोजगार तथा आय के संदर्भ में लोगों के जीवन और जीवन की परिस्थितियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है।"

कार्य के लिए भोजन का क्या परिणाम निकला ?

> "भूख के कारण होने वाली चोरियों तथा अपराधों की घटनायें इस कार्यक्रम के क्रियान्वित किए जाने पर कम हो गयीं।"

यह आपकी रिपोर्ट है, लेकिन उसको खत्म आपने किया और खत्म करके जो रेल में जुल्म बढ़े हैं,

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

जो डकैतियां बढ़ी हैं, चोरियां बढ़ी हैं, जिसके आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, तो उसके पीछे जो भले कार्यक्रमों को हमारी सरकार ने अमल में लाने का काम किया था। उनको आप लोगों ने समाप्त किया। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खड़े होकर कहा कि हम लोग काबिल हैं, बचाव के लिए ऐसे चिल्लाने वालों की जरूरत नहीं है। सभापति जी, इतना चिल्लाहट था कि हम लोगों ने विदेशी भण्डार, जो इन लोगों ने दिया था, वह सारा खत्म किया। वित्त मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है ··(व्यवधान)···क्या यह बात सही नहीं है कि 1979 के दिसम्बर महीने में, इसको समझ लीजिए, आप लोगों के काम में आयेगा, अपनी सरकार को सुधारिए, आपकी सरकार को अपने दल को सुधारने के काम में आएगा···(व्यवधान) 1979 के दिसम्बर महीने में हम लोग जब सरकार से अलग हो गये, तो यहां पर फौरेन एक्सचेन्ज 5195 करोड़ रुपये यानी 53 अरब 95 करोड़ रुपये छोड़ गये थे और इन पिछले 16 महीनों में कितना फौरेत एक्सचेन्ज आपने खत्म कर दिया, कुछ पता है, कुछ याद है आपको। 11 अरब 18 करोड़ रुपया समाप्त किया है। जब आप लोग सरकार से हटाये गये थे, तब आप लोगों ने छोड़ा 28 अरब 82 करोड़ रुपया और जो सरकार आप लोगों की जबान पर निकम्मी थी, आप लोगों की जबान पर काम न करने वाली थी, उस सरकार ने 2 वर्ष 9 महीने में 28 अरब 82 करोड़ की विदेशी मुद्रा की रकम को 53 अरब, 95 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का काम किया और एक साल में जब से आप लोगों ने काम की शुरूआत फिर से की है, इसी अप्रैल के महीने तक उसमें आपके 11 अरब 18 करोड़ रुपये समाप्त करने की बात की है।

आपका जो काला पैसा निकालने का मामला है, उसमें भी फँस गये आप, लेकिन आप बड़ी हिम्मत से बोलते हैं और वह स्वाभाविक है और हम आपसे यह अपेक्षा नहीं करते कि आप अपनी हार को स्वीकार करेंगे। इसके लिए हम आपकी तारीफ करेंगे कि आप अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश मानता है, दुनिया मानती है कि आप हार गये हो

आपने यह भी कहा था कि हम अगले बजट में यानी जो बजट पेश किया है, उसमें आप लोगों पर कड़े टैक्स नहीं लगाएंगे और हर प्रकार की सुविधाएँ देंगे। आपने उनको सुविधायें दी और उन्होंने सुविधायें ले भी लीं लेकिन देश से जो 10 अरब रुपये काले पैसे को सफेद पैसा करने का जो वायदा किया था, वह भी उन्होंने तोड़ दिया। इस तरह से आप तो दोनों तरफ से मारे गये। इसलिए आपको समझना चाहिए। कि आपकी कामयाबी इस वक्त कहां जा रही है।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये। आप 45 मिनट ले चुके हैं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जितना समय आप ले सकते हैं लीजिए और बोलिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप यह देखिये कि आपके औद्योगिक विभाग की स्थिति क्या है। हमने जिला औद्योगिक केन्द्रों की शुरुआत की थी लेकिन उन जिला औद्योगिक केन्द्रों को आपको समाप्त करना है हालांकि राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है, आपके दल की राज्य सरकारों ने भी विरोध किया और प्लानिंग कमीशन ने भी विरोध किया। इसलिए नाम के लिए आपको

इसको स्वीकार करना पड़ा लेकिन एक-एक जिले का अनुभव यह है कि उनको आज पूंजी नहीं मिल रही है। गांवों में उद्योगों को ले जाने, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने का जो आपने अपने मेनीफेस्टों में जिक्र किया था, आज उस कल्पना को, इसलिए कि वह पुरानी सरकार की कल्पना रही है, आप समाप्त करने का काम कर रहे हैं। एक कारण तो यह है और दूसरा कारण इनको समाप्त करने की यह है कि 1979 साल में अकेले जिला औद्योगिक केन्द्रों के रहते हुए लगभग 400 करोड़ रुपये की पूंजी इन केन्द्रों के जरिए विकेन्द्रित विकास के लिए लगाई गई थी और इस को हमारे देश के पूंजीपतियों ने पसन्द नहीं किया और जब नई सरकार बन गई, तो डी० आई० सी० को समाप्त करो, ऐसा नारा दिया और यह कहा कि ये जो डी० आई० सी० हैं, ये काम नहीं कर रही हैं, एक बात यह चलाई थी। असल में देश के बड़े पूंजीपति महसूस करने लगे थे कि जब गांवों में उद्योग बनते हैं, जब वहां कुटीर उद्योग बनते हैं, जब हथकरघों से कपड़ा बनता है, तो उन्हें पूंजी कम मिलती है और गांवों में जितना उनका माल बिकना चाहिए, वह भी कम हो जाता है। तो उनके लिए आपने नीति को बढ़ाने का काम किया और छोटे उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए पंचवर्षीय योजना में कम पैसा दिया और इन्होंने अपने बजट में भी पैसा कम दिया। दूसरी तरफ आप यह देखिये कि मारुति के लिए 500 करोड़ रुपये रखा था अब तो पता चला है कि वह 800 से 1000 करोड़ रुपये तक जा सकता है मोटर गाड़ियां बनाने के लिए। इतना पैसा अब उसके लिए जाएगा। एक तरफ देश की औद्योगिक नीति को बर्बाद करने का काम इनकी तरफ से होने लगा है।

हमारे गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। हमारे मित्रों ने आज सुबह पढ़ा होगा कि हमारी सरकार के एक बहुत बड़े आफिसर, जो कि बड़े सेकेट्री हैं, श्री नाग, उनकी क्या हालत बनी है। मंत्री जी उनसे कहते हैं कि हट जाओ, प्रधान मंत्री जी को मालूम नहीं है, और भारत सरकार का सब से बड़ा सेकेट्री कहता है मैं कैसे हट जाऊं। क्या यह हमारे गृह मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है ? हमें मालूम नहीं कि इसके बारे पे उनसे पूछा जाता या नहीं। हमें मालूम है कि उन पर भी बड़ा हल्ला है। देश में इस समय जो स्थिति बन रही है इसके लिए सारी सरकार जिम्मेदार है। उसका सारा दोष गृह मंत्री पर डालने का एक प्रयास कई लोग कर रहे हैं और सरकार के इशारे पर कर रहे हैं।

क्या गृह मंत्री को मालूम है, राजस्थान के सदस्य यहां पर बैठे हैं, वे इस बात की गवाही देंगे कि राजस्थान के चीफ सेक्रेट्री को 8 बजे रात टेलीफोन जाता है और उनसे कहा जाता है कि "यू आर रिलिव्ड फ्रोम योर आफिस" ? वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाता है जो कश्मीर से आए हुए हैं। यह सिलसिला चल रहा है, उत्तर प्रदेश में यह हो रहा है, मारुति में भी यही किया गया। एक ऐसे नौजवान को ले आये जो कि प्रधान मंत्री के घर पर बैठे हुए एक व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, उनको मारुति में सब से बड़ा अफसर बना दिया।

सभापति महोदय, गृह मंत्री, ऐसी हालत में क्या करें। काम तो किसी क्षेत्र में है नहीं, किसी क्षेत्र में विकास है नहीं, अपने वायदे पूरे करने का काम है नहीं। अगर कुछ नहीं काम है तो रोज ऐसे चमत्कार दिखाए जाएं। और कुछ नहीं मिला तो एयर इंडिया के हवाई जहाज का मामला

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

लाओ। वह भी नहीं मिला तो हमारे मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल को हटाने का काम करो, पंडित कमलापति त्रिपाठी को हटाओ। अगर वह भी नहीं तो किसी और के पीछे लगो। पिछले 14 महीनों से यही नाटक चलाया जा रहा है। (व्यवधान) राज नारायण ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने डब्ल्यू० एच० ओ० में जा कर काम किया। अब हमारी प्रधान मंत्री जी भी राज नारायण जी के बताये हुए रास्ते पर चल पड़ी हैं। मैं कह रहा था कि जहां सरकारी काम नहीं हो वहां राजनीति चलाने का काम करो। किसी न किसी ढंग से यह काम करो।

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय : दस मिनट तो आपको हो गये हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि आप अपना समय लीजिये। मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

इनके पास काम क्या है ? लोगों की समस्याओं को हल करने की दिशा में कोई पहल नहीं है। जब यह नहीं है तो कोई चमत्कार या जादू चलाते रहो और लोगों को गुमराह करते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। दस वर्ष के डायनेमिक डिकेड में यही चला था। अब यह डायनेमिक डिकेड में यही हो रहा है। दिल्ली के एशियाड पर सात सौ करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। दिल्ली के एशियाड पर ये सात सौ करोड़ रुपये बर्बाद हो रहे हैं जो कि दूसरी जरूरी चीजों के काम में लग सकते थे। इसकी वजह से अस्पताल बनने पर गये हैं, पुल बनने रुक गये हैं, सिंचाई के काम रुक गये हैं। हर क्षेत्र में जहां विशेषकर सीमेंट की, स्टील की और अन्य चीजों की आवश्यकता थी वे सारी चीजें दिल्ली के एशियाड में लगाने का काम हो रहा है।

इसके चलते जहां आज लोगों को राहत मिलनी चाहिए, उसके बजाए सरकार ने तुगलकी विचारों से जनता को बेवकूफ बनाने का सिलसिला जारी रखा है।

सबसे बड़ी तारीफ करने योग्य बात यह है कि सरकार बने हुए 16 महीने हो गए, लेकिन आपका मंत्रीमण्डल अब तक पूरा नहीं हो पाया।

एक माननीय सदस्य : आप किस प्रकार कह सकते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बताइए, कौन है आपका उद्योग मंत्री, कौन है रक्षा मंत्री, कौन है इस्पात मंत्री, कहां हैं आपके सारे मंत्री। एक प्रधान-मंत्री के आगे ये सारे नाम लिखे रहें यह आपको जरूर भला लगता हो, लेकिन देश कैसे बर्बाद हो रहा है, इसको समझने का आप लोगों को प्रयास करना चाहिए।

इससे अधिक तारीफ की बात क्या होगी कि इनकी सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव

आया है, लेकिन जिनका पल्लू पकड़कर ये यहां तक पहुंचे हैं, वही इनका बचाव करने के लिए यहां पर मौजूद नहीं है।

कल हमारे मंत्री स्टीफन जी ने यहां पर बड़ जोर-शोर के साथ प्वाइंट आफ आर्डर में कहा था कि प्रधान-मंत्री को यहां पर होना चाहिए, उनके बगैर हम कैसे बोलें। हम मानते हैं कि उनकी सरकार है, आप तो सब ऐसे ही मेहमान हैं यह सब हम जानते हैं और अब आपको ऐसी स्थिति में लाकर रख दिया है आपके प्रधान-मंत्री ने कि उनकी सरकार के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आया है, लेकिन बचाव करने के लिए वे यहां नही हैं।

सभापति जी यह मामला बहुत गंभीर है। सदन के चलते, सदन की मीटिंग रहते, उनका गैर-हाजिर रहना···(व्यवधान) इस तरह की गैर-जिम्मेदारी की बात देश के प्रधान मंत्री के लिए दूसरी नहीं हो सकती (व्यवधान) सरकार का प्रधान-मंत्री, सदन का नेता, जिनको लेकर सब लोग यहां पर बैठे हैं, वही यहां पर मौजूद नहीं है इसी एक कारण को लेकर सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी सरकार को निकाल कर बाहर करना चाहिए··· (व्यवधान)

मेरी इन लोगों से इतनी प्रार्थना है कि अब भी बचे हुए समय में अक्ल से काम लें और इनके लिए यही रास्ता ठीक है कि ये रास्ते से हट जाने का काम करें, वरना यह सदन और देश आप लोगों को हटाए बगैर नहीं रहेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : सभापति महोदय, अभी अविश्वास के प्रस्ताव पर श्री जार्ज फर्नान्डीस का भाषण हुआ। हम सब लोगों ने उसको बड़े गौर से सुना और सुनना भी चाहिए था। जब उनका भाषण खत्म हुआ तो जो अविश्वास-प्रस्ताव लाने वाले थे, उनमें से अधिकतर हाउस से उठकर चले गए। यह बात साबित करती है कि वे इस प्रस्ताव को कितनी गंभीरता से लाए हैं। जार्ज साहब कह रहे थे कि उनको बड़ी भारी आपत्ति है कि प्रधान-मंत्री सदन में नहीं है। उनका सारा भाषण मैंने सुना। लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं कही जो इस सदन में इस से पहले किसी न किसी मौके पर कही न जा चुकी हो। उनके भाषण को अगर नोट किया जाए तो सारी वही बातें थी। इन का जिक्र होम मिनिस्ट्री की ग्रांट्स पर बहस के दौरान किया जा चुका है, इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की ग्रांट्स पर हुई बहस के दौरान दिया जा चुका है या दूसरे मौकों पर किया जा चुका है। मैं मानता हूं कि यह उनका अधिकार है कि वे जब चाहें तो कान्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है। इन को दो कारणों से लाया गया है इस समय खास तौर पर। प्रधान मंत्री दो दिन पहले ही बाहर गई हैं और इसके बाद उसको लाया गया है। क्यों ? यह कहा गया खुल कर और अखबारों में भी यह

[श्री एच० के० एल० भगत]

आया है, आफिशली नहीं, फार्मली नहीं बल्कि इनफार्मली अपोजीशन के लोगों ने यह कहा है कि पहली बात तो यह है कि जब इंदिरा जी के एक्सपलशन के बारे में रेजोल्यूशन हम लोग ले आए हैं तो इसका जवाब है नो-कान्फिडेंस मोशन, उसको हम स्टाल करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कही गई कि जरा मजा आएगा। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक मेम्बर ने कहा कि जरा मजा आएगा। इंदिरा जी बाहर हैं और वहां पर उन तक बात पहुंचेगी कि नो-कान्फिडेंस मोशन आ गई है तो उनको परेशानी होगी। इन दो मोटिव्ज से यह प्रस्ताव लाया गया है। बात यह है कि हमारे विरोधी दल के लोग सरकार चलाने के काबिल तो थे ही नहीं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अर्से से तीस साल से ये विरोध करते चले आ रहे थे और मैं समझता था कि कुछ न कुछ कोई न कोई विरोधी दल की कहीं न कहीं एक सीमा होती है और सीमा में रह कर उसको काम भी करना होता है। लेकिन दो ढाई साल पावर टेस्ट करने के बाद उसकी पावर में वापिस आने की इतनी लालसा ज्यादा बढ़ गई है कि सारी सीमायें ही ऐसा करने के लिए वह पार कर सकता है, यह मैंने नहीं सोचा था। सभी सीमाओं को वह पार कर गया है। प्रधान मंत्री की एबसेंस में और प्रधान मंत्री चूंकि बाहर हैं इसलिए हम उनको परेशान करें तो मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा लेकिन अगर आप यह समझते थे और आपका यह ख्याल था कि आपकी इस मोशन से इंदिरा जी की एक्सपलशन का जो मामला था, प्रिवलेज का मामला था, उसको उलट करने के वास्ते कल जो प्रस्ताव यहां आया था, वह रुक जाएगा, तो आपकी अक्ल पर मातम करने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, और मातम करने को मेरा जी चाहता है। उसको आप रोक नहीं सके। वह रुका नहीं। लेकिन एक फर्क है इन में और हम में। मुझे याद है जब ये प्रस्ताव लाए थे सदन में इंदिरा जी को निकालने का और इम्प्रिजन करने का उस समय मैं उस गैलरी में बैठा था। सारी बहस मैंने उस गैलरी में बैठ कर सुनी थी। यहां कांग्रेस के लोग विरोध में बैठे हुए थे। एक-एक मिनट उस प्रस्ताव का डट कर विरोध कर रहे थे। माया थेवर जी यहां नहीं हैं। इन्होंने कहा था तथा कुछ और मैम्बर्ज ने कहा था कि याद रखो तुम ने बहुत बड़े पाप किए हैं लेकिन अब इतना बड़ा पाप कर रहे हो कि जनता तुम को निकाल बाहर कर देगी, निकाल बाहर फेंक देगी और जनता ने इनको निकाल बाहर फेंक दिया। फर्क क्या है ? कांग्रेस के लोगों ने यहां बैठ कर उस प्रस्ताव के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सारी स्पीचिज भी मुझे याद है। जो तरीके अख्तयार किए गए वे भी मुझे याद हैं। लेकिन कल इन्होंने क्या किया ? कुछ एतराज किए। एतराज करने के बाद बजाय इसके कि तर्क का जवाब तर्क से देते, लाजिक का जवाब लाजिक से देते, जब बहस होने लगी तो भाग कर सब चले गए, वाक आउट कर गए। इनको चाहिये था कि सामने बैठते। आज अविश्वास का प्रस्ताव आया है तो हमारी तरफ से मैंने पहले बोलना शुरू किया तो ये सदन से उठ कर बाहर चले गए हैं।

कोन नहीं जानता कि इंदिरा जी की सरकार बहुत स्थिर है ? सारी दुनिया इसको जानती है। उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है, इसको भी सब जानते हैं। अगर आपका यह ख्याल है कि वह बाहर गई हुई हैं और उनकी पोजिशन खराब होगी तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बहुत

गलत सोचते हैं। इंदिरा जी को कोई परेशानी नहीं हुई है आपके प्रस्ताव से। उनके होने या न होने से हम को कोई परेशानी नहीं है। उनकी सरकार इतनी मजबूत है कि आप उसको हिला नहीं सकते हैं फिर चाहे वह यहां हों या न हों। इसलिये अगर आप समझते हैं कि दुनिया के लोग धोखा खा जायेंगे, जिन देशों में वह गयी हैं वहां के लोग समझेंगे कि इनकी सरकार हिल रही है तो हमारे विदेशी लोग इतने नासमझ नहीं हैं जितने आप हैं।

आपका अपना हाल क्या है ? आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, और रोज हम क्या देखते हैं कि जार्ज फर्नान्डीस के लोक दल के तीन लोक दल हो गये। एक चरण सिंह का, एक चन्द्रजीत यादव का और एक राजनारायण का। दो जनता पार्टी हो गयीं। एक जनता पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा बहुगुणा जी अपना अलग झंडा लिये खड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह भी दो के तीन हो गये और रोजाना अखबारों में आ रहा है कि आई० एम० दी आल्टरनेटिव।

पहले क्या कहते थे ? पहले कहते थे कि इन्दिरा जी की पार्टी इज ए पर्सनलाइज्ड पार्टी। वहां पर्सनेलिटी कल्ट है, इन्दिरा गांधी को ही प्रोजेक्ट करते हैं। अब इनमें से हर एक आदमी नाम ले कर के एक-एक प्रधान मंत्री नाम ले कर के एक-एक नाम प्रोजेक्ट कर रहा है, और कहते हैं वाजपेयी जी भावी प्रधान मंत्री, चरण सिंह भावी प्रधान मंत्री, अगर वह न हों तो जार्ज फर्नान्डीस कहेंगे मेरा नम्बर लग जाये, बहुगुणा, बीजू, चन्द्रजीत यादव, मालूम नहीं 9, 10 आदमी, जवान भी बूढ़े भी, सेमी जवान और सेमी बुड्ढे, सब प्रधान मंत्री होने के लिये खड़े हैं दुल्हा बने तैयार हैं लेकिन न दुल्हन है कहीं और न बाराती हैं। यह हालत अपोजीशन की है। माननीय जार्ज-फर्नान्डीस को मैं बताना चाहता हूं इस एक साल में फिर से साबित किया है कि अपोजीशन न हकुमत करने के काबिल है और न अपोजीशन करने के काबिल है। अब आपने बहुत बातें कही हैं मैं अध्यक्ष जी, इस बात से खुश नहीं हूं, अपोजीशन होनी चाहिये, अच्छी होनी चाहिये, तगड़ी और मजबूत अपोजीशन होनी चाहिये। जब यह पावर में थे तो लोग किस्सा कहते थे कि जब यह आपस में लड़ते थे तो इन्दिरा जी की तस्वीर मोरारजी भाई दिखा देते थे और यह सब इकट्ठे हो जाते थे। यह उस वक्त एक कहानी मशहूर थी आप लोगों में कि यह तो पहले ही टूट जायेंगे। मोरार जी तस्वीर दिखा देते हैं और यह सारे डर कर इकट्ठे हो जाते हैं। अब भी नो-कान्फीडेंस पर कुछ इकट्ठे हो गये तो इन्दिरा जी के नाम पर ही थोड़ा बहुत जुड़े हुए है। इंदिरा फोबिया से सफर करते हैं। कैंसर की बिमारी का इलाज तो ढूंढ लिया गया लेकिन इन्दिरा फोबिया का कोई इलाज नहीं है क्योंकि यह इस बीमारी से सफर करते हैं।

अभी माननीय जार्ज फर्नान्डीस देश के गरीबों के हित के लिये बड़ी चिन्ता प्रकट कर रहे थे। तीन काम माननीय फर्नान्डीस ने किये हैं मार्के के, तुरा न माने, मैं उनका जाती आदर करता हूं। पहला तो कार रैली पर पत्थर फेंके। इन्होंने कहा कि कार रैली नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात इन्होंने कही रास्ता रोको। रेल रोकने की कोशिश करो। तीसरी बात अब इनका दल, और इनको मैं चार्ज करता हूं कि इनका दल खड़ा हो कर के जगह-जगह किसानों को कह रहा है कि

[श्री एच० के० एल० भगत]

अनाज न दो। क्यों कह रहे हैं ? जवाब दीजिये कि चौधरी चरण सिंह और माननीय जार्ज फर्नान्डीस की वजारत में गेहूं का दाम कितना बढ़ाया था ? शर्म आनी चाहिये। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने के कितने दाम आपने बढ़ाये थे ? तुमने प्याज वालों का क्या किया था ? मैं माननीय फर्नान्डीस से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार ने किसानों के लिये क्या किया था ? किसानों को जेल में डाला था, उनको डंडे मारे। जब कि इन्दिरा जी की सरकार ने किसानों के हित के लिये ठोस कदम उठाये हैं, उनके दाम बढ़ाये। और आज आप प्रोक्योरमेंट को सबोटाज करने के लिये खुल्लमखुल्ला लगे हुए हैं। रेल बन्द कर दो, अनाज सरकार को न दो। और अभी भाई एशियन गेम्स का जिक्र कर रहे थे। अब मेरे ख्याल में जब एशियन गेम्स शुरू होंगे तो बाहर से जो लोग आयेंगे उन पर आप पत्थर फेंकेंगे। खुशी की बात है कि आपके विरोध की कोई परवाह नहीं करता।

अभी इन्होंने कहा हमारा अविश्वास प्रस्ताव जनता की भावनाओं का इजहार करता है। अभी इन्होंने इन्डिया टु-डे का जिक्र किया और कहा कि उसने किसान रैली के बारे में कुछ लिखा है, मैं आज उस पर बहस नहीं करता, लेकिन इसी पत्र ने, जो अक्सर इन्दिरा जी का क्रिटिक है, उसने 15, 20 दिन पहले एक ओपीनियन लिखा है, एक सर्वे में लिखा है कि 'इन्दिरा बाउन्सेज बैक" और उसमें फिगर्स दी हैं कि इन्दिरा गांधी को आज भी देश के बहुमत का विश्वास हासिल है। यह "इन्डिया-टु-डे" ने लिखा है। इसके अलावा और भी 53 परसेंट का लिखा गया है, आपका तो 2 पपसेंट है शास्त्री जी, आप किस गिनती में हैं ? (व्यवधान) जितने आप हमसे दूर होते जा रहे हो, अगली दफा आओगे ही नहीं, यह लिख लो। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि असेम्बली के इलैक्शन हम जीते, बाई-इलैक्शन हम जीते और ओपीनियन-पोल जितने भी आए हैं वह सब कहते है कि इन्दिरा गांधी के अलावा कुछ है ही नहीं। सारे अखबार जनरल, जिसमें आपके सिम्पैथेटिकली हैं, वह सब लिखते हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं, अपोजिशन खत्म हो गई, मुर्दा हो गई, उसमें जान नहीं रह गई, कुछ नहीं है और जार्ज फर्नान्डीस खड़े होकर कह रहे हैं कि यह साल जो है इस सरकार का कुछ नही है। उनका बड़ा अच्छा है।

इन्होंने कोमुनल रायट्स का जिक्र किया और कहा कि सरकार के डाकुमेंट्स से साबित होता है कि ज्यादा आदमी मरे हैं। यह तो सरकार को क्रेडिट है कि उसने सही पिक्चर दे दी, अगर आप होते तो इसको छिपा लेते, चुप हो जाते। (व्यवधान)

बोला आपने ? हम बढ़ा नहीं रहे हैं। यह साल संघर्ष का साल रहा है। आप आग लगाते हैं और हम आग को बुझाते हैं। आपको तो खुशी होती है। हमारे जार्ज फर्नान्डीस साहब जिस दिन अखबार में पढ़ लेते हैं कि वहां दंगा हो गया तो उनका खून बढ़ जाता है। उनको मौका मिल जाता है इन्दिरा गांधी को गाली देने का।

दाम के बारे में कहा गया कि दाम बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन दाम का मुकाबला आपने क्या किया ? जात-पांत की बात आप करते हैं, जिस समय आपने हिन्दुस्तान की गद्दी छोड़ी उस समय भारत बिलकुल "आन दी बजे आफ डिस-इन्टेग्रेशन" था। असम को लीजिए, जब आपने 80 में सरकार छोड़ी, जब पिछले साल में आपकी और आपकी जनता पार्टी की कृपा हुई उस समय क्या हालत थी। आज असम पहले से बेहतर है या नहीं ? गुजरात में आपकी कोशिशों के बावजूद भी अब सुधार हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में क्या हो रहा है ?

श्री एच० के० एल० भगत : बिहार में सबसे ज्यादा खराबी हुई है। सबसे ज्यादा जात पांत को बढ़ावा देना, झगड़ा करना और करवाना, जब राम विलास पासवान की सरकार थी, वह उस जमाने से है और जात-पांत को बढ़ावा आप ने दिया है।

हम इस बात से बहुत खुश नहीं हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, दंगों से देश को नुकसान होता है, हम सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। जब हरिजनों पर अत्याचार होता है यह कोमुनल दंगे होते हैं, उससे देश गिरता है, उसकी ताकत कम होती है। एज ए पार्टी जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, वह हमारे ज्यादा नजदीक हैं, वह हमको वोट देते हैं। हमारी दिलचस्पी इन दंगों में नहीं है, आप उनको भड़काना चाहते हैं। कोई भी दंगा होता है तो आप उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं।

अभी हमारे भाई फर्नान्डीज कह रहे थे कि अन्धों पर लाठी चार्ज किया गया। उसका भी इस्तेमाल आप अपने पोलिटिकल परपजेज के लिए करना चाहते हैं, कोई किसी प्रकार का भी मौका मिल जाये, हमारी सरकार की बातें कहते रहते हैं, अभी कह रहे थे कि राजस्थान के चीफ सैक्रेटरी को यों कर दिया और सेक्रेटरी को हटा दिया। आप सरकार की एक नहीं, दो, चार, दस बातें और भी कह सकते हैं, लेकिन एक चमत्कार किसी ने नहीं किया जोकि आप ने किया है। मैं कहना नहीं चाहता था इस बात को, लेकिन मजबूरी में कह रहा हूं। यह बात हमारे भारत वर्ष के इतिहास में रही है कि अगर कोई इन्सान अपना शरीर छोड़ दे तो हमारे ऋषियों, मुनियों और सन्तों ने अपने तप से उस मरे हुए आदमी को जिन्दा कर दिया और इस प्रकार के चमत्कार वह करते थे। लेकिन एक चमत्कार आपने किया था कि अपने बड़े महान नेता श्री जय प्रकाश नारायण के जिन्दा होते हुए भी उन्हें इस हाउस में मुर्दा घोषित कर दिया था। अब यह हुकूमत चलायेंगे, इन्द्रा जी की सरकार की जगह यह फर्नान्डीज को लायेंगे।

यह इंडस्ट्री की बात सुना रहे थे, मैं इसकी कहानी में जाना नहीं चाहता, मैंने चिकमगलूर में भी बड़ा देखा था इनको, और मैं परसनल नहीं होना चाहता क्योंकि इस हाउस के हर मेम्बर का मैं आदर करता हूं। उनकी आदत हैं और उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक काम करना है। वह अविश्वास प्रस्ताव इसलिये लाये थे कि सैशन खत्म होने वाला है, सब इस अविश्वास प्रस्ताव में लग जायेंगे और जो रैंज्यूलेशन कल आया है वह रुक जायेगा।

यह चालाकी की लड़ाई है। आप यह मोशन टैक्टिक्स के तौर पर लाए हैं, लेकिन इसमें

[श्री एच० के० चल० भगत]

आपकी दिलचस्पी नहीं है और आप जानते हैं कि इसके कोई माने नहीं हैं। मैं मानता हूं कि आपोजीशन को विरोध करना है, कुछ कहना है, लोगों में जाना है, हर बात को उठाना है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इरोसपांसिबल होने की भी कोई लिमिट होती है, थिएट्रिकल होने की भी कोई लिमिट होती है। चाइल्डिश होने की भी कोई लिमिट होती है अगर वे हमारा फायदा नहीं सोचते, तो कम से कम अपना फायदा तो सोचा होता। आदमी में तो इतनी अकल होनी चाहिए कि मेरा फायदा किस में है और नुकसान किस में है। अगर आप समझते हैं कि इस तरह के थिएट्रिकल्ज कर के, गलत बातें कहकर, जनता को गुमराह करके और भड़का कर आप फिर सत्ता में आ जाएंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। ऐसा करके आप तीस साल तक सत्ता में नहीं आ पाए। आप बुरा न माने–हमारे लोग भी शायद बुरा मानेंगे, लेकिन 1977 में जो आप सत्ता में आगए, तो अपनी लयाकत से नहीं आए, बल्कि हमारी वजह से आए। उस बात को भूल जाएं। (व्यवधान)

उनको डेमीक्रेसी में बहुत विश्वास है। श्री जार्ज फर्नान्डीस अभी डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे। डेमोक्रेसीमें उनका विश्वास इतना है कि जब यह पार्लियामेंट चुनकर आई, तो उसके एक हफ्ते के बाद चौधरी चरणसिंह कहने लगे कि संसद का कोई अर्थ ही नहीं रहा है। इसी लिए शायद अब वह पार्लियामेंट में नहीं आते हैं–कभी कभी भाषण देने के लिए आ जाते हैं। चूंकि वह सत्ता से हट गये। इसलिए पार्लियामेंट की रेलिवेंस ही नहीं रही ! प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने पार्लियामेंट को एक दिन भी फेस नहीं किया, मगर जब हम जीत गए, तो पार्लियामेंट की रेलिवेंस खत्म हो गई ! मैं समझता था कि शायद इस नो-कांफिडेंस मोशन पर बोलने के लिए वह आ जाएं, लेकिन वह नहीं आए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस को पार्लियामेंट और उसके इलैक्शन में विश्वास है। वह हमें सुना रहे थे कि हमें 42 परसेंट वोट मिले। लेकिन उनको तो सिर्फ 4.2 परसेंट ही वोट मिले। क्या उससे आगे कुछ है ?—कुछ नहीं। आपके पल्ले कुछ है नहीं। लोग आपके साथ नहीं हैं। दम आप में नहीं है। हां, इसमें कोई शक नहीं है कि भाषण आपका बड़ा जोरदार होता है। योग्य भी हैं, भाषण योग्यता से करते हैं। लेकिन चालाकी तो पकड़ी जाती है—और भी बैठे हैं पकड़ने वाले। इसलिए मेरा कहना है कि यह अविश्वास-प्रस्ताव न तो सीरियसली लाया गया है, न इससे उनको कोई फायदा होने वाला है और न किसी को फायदा होने वाला है। यह एक चालाकी पूर्ण कार्यवाही हैं। जो उन्हें उल्टी पड़ेगी।

हिन्दुस्तान की जनता समझती है कि आज की आपोजीशन महज नाटक है। नाटक में भी दिखावे की सचाई होती है, लेकिन इन के दिखावे में भी सच्चाई नहीं है। यह बिलकुल झूठा नाटक है और जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।

आपके ख्याल में हिन्दुस्तान की तस्वीर बहुत खराब हो गयी है। यह ठीक है कि जो तस्वीर हम चाहते हैं, वह नहीं है आज। जितना सुधार हम चाहते हैं, वह नहीं हो पाया है। जनता की कठिनाइयां हैं। हम संघर्ष से गुजर रहे हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। लेकिन इन्दिरा गांधी और आपके एपरोच में यह फर्क है कि आप जलती हुई आग में तेल डालना चाहते हैं, जबकि इन्दिरा

गांधी मेहनत करके उस आग को बुझाना चाहती हैं। आप लोगों की कठिनाइयों पर मुस्कराना चाहते हैं, मगर इन्दिरा गांधी कठिनाइयों का मुकाबला मुस्कराहट से करना चाहती है। यह साल रहा है इन एपारोचिज के संघर्ष का हमें विश्वास है देश की जनता पर। अभी तो थोड़े दिनों में बाई-इलैक्शन होने वाले हैं। सब के सामने आ जाएगा कि आपकी बात सही है या हमारी। इसलिए मेरा कहना है कि विपक्ष द्वारा लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव एक चालाकी पूर्ण नाटक है, एक बचकाना हरकत है इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। निश्चित रूप उन्हीं के लिए यह उल्टा पड़ेगा।

श्रीमती मोहिसना किदवई (मेरठ) : सभापति महोदय, मैं आपकी मशकूर हूं कि आप ने मुझे मौका दिया। हमारे साथी जार्ज फर्नान्डीस साहब ने इस सरकार के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक आज सदन में पेश की है मैं उसका सख्ती के साथ विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। जार्ज फर्नान्डीस साहब, मुझे आज वह वक्त याद आ रहा है कि जब मैं आजमगढ़ से जीतकर आई थी और वहीं बैठी थी जहां आज आप बैठे हैं और आप इस तरफ बैठे थे। जुलाई में जब सवा दो साल आपकी सरकार चल चुकी थी उस वक्त हमारी पार्टी ने उस वक्त की सरकार के खिलाफ नो कान्फिडेंस मोशन मूव किया था तो मेरे ख्याल से उस वक्त की मिनिस्ट्री में सबसे जोरदार और धुआंधार तकरीर जार्ज फर्नान्डीस साहब, आपकी थी। वह आखीरी तकरीर थी और दूसरे दिन आप उस पार्टी को छोड़कर चले गए थे। मैं हवाला देना चाहूंगी आप की स्पीच का। बहुत लम्बी स्पीच थी, थोड़ा सा हिस्सा ही उसका मैं पढ़ना चाहूंगी।

> "महोदय, उस गतिशील दशक में कौन कार्य किये गये जिससे वे हमारे कार्यों की तुलना करना चाहते हैं। हमें सत्ता सभाले केवल 2 वर्ष 3 माह का समय हुआ है और इस छोटी सी अवधि में कितने बड़े कार्य कर सकते थे।"

सवा दो साल के आप के राज के बाद आज इसके लिए क्या आप का ख्याल है कि साल सवा साल के बाद आप आज यह नो-कांफिडेंस लाए हैं—श्री फर्नान्डीज आपका मानदण्ड क्या है? आपने इस चीज का जोरशोर के साथ विरोध किया और आज मैं आप से कहना चाहूंगी, मैं तो समझती हूं जैसा भगत जी ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को मानने वाली और सबसे बड़ी पार्लियामेंट हमारे मुल्क की है और मैं समझती हूं कि अपोजीशन की गैर-संजीदगी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब नेता सदन में मौजूद न हो और महीनों से यह मालूम हो कि वह दूसरे मुल्कों के दौरे पर जाने वाली है ऐसी हालत में ठीक उस दिन अविश्वास का प्रस्ताव ला कर रख दिया जाए, मैं तो यह कहूंगी कि बड़ी ही अनस्पोर्टिंग चीज आपने की है जो अपोजीशन की तरफ से यह तहरीक आज लाए हैं। तीन महीने का बजट सेशन हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं आया कि जिसके ऊपर यहां चर्चा नहीं हुई हो या वक्त नहीं दिया गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह अविश्वास का प्रस्ताव आज ही के दिन छांटकर क्यों लाया गया? या तो यह समझा जाए कि अब कुछ बाई-एलेक्शन होने वाले हैं और उसके लिए चर्चा यहीं से शुरू हो जाय अखबारों में या जो भी आप कहें, जैसा भगत जी ने कहा, वह मैं दोहराना नहीं चाहती लेकिन आज मैं यह जरूर कहना

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

चाहूंगी कि आज मुल्क जिन हालात में से गुजर रहा है, पिछले तीन सालों का जनता पार्टी का मिसरूल उसका कारण रहा है, आज मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं।

मुझे बड़ी हंसी आयी जब जार्ज साहब यह कह रहे थे कि हम लोगों की पार्टी का पढ़ने-लिखने से कोई वास्ता नहीं और मैं यह कहना चाहूंगी कि आप पढ़-लिख कर आंकड़ों के चक्कर चला कर दूसरों को बेवकूफ बनाना खूब समझते हैं। आज आप यह कहते हैं कि किसानों को हमने बेवकूफ बनाया। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि किसानों को हमने बेवकूफ बनाया? आपने सौ रुपये उन्हें गेंहूं की कीमत दी थी, हमने 130 रुपये गेंहूं की कीमत उनको दी, यह हमारी बेवकूफी है? कम से कम 130 रुपये। इसके अलावा गन्ना आपने खेतों में जलवाया। उस गन्ने की कीमत आज 32 और 34 रुपये किसानों को मिली। आपने हर कोशिश की कि गन्ने की फैक्ट्रियों में गन्ना न जाय, मिलें हड़ताल पर चली जायं, गन्ना किसान मिलों को गन्ना न दें। आपने बिकवाया गन्ना 3 रु० क्विंटल और हम जब दे रहे हैं 23-24 रुपये और 32 रुपये क्विंटल तब आप कोशिश कर रहे हैं, हर मिल पर आपके लोग जा रहे हैं, मैं खुद बड़ी इज्जत करती हूं चौधरी साहब की और उनकी बीवी की, वह तक हर मिल पर गईं लेकिन किसी गन्ना किसान ने उनकी बात नहीं सुनी। आज आप कहते हैं कि किसानों के हम हक में नहीं हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि वह किसान सम्मेलन जो हुआ था और करोड़ों रुपये जो किसान सम्मेलन के नाम पर जमा हुए थे जरा मुझे जार्ज साहब अपने जवाब में बता दें कि कितने प्रतिशत आपने उसमें से किसान के वेलफेयर पर खर्च किया? कितना रुपया जमा हुआ था और कितना रुपया आपने किसानों के लिए खर्च किया?

आज आप कहते हैं हमारा रिजर्व फंड कितना था? लेकिन आज मैं कह सकती हूं कि 1977 में जनता पार्टी शासन में आई लेकिन मैं समझती हूं किसी भी जमहूरियत को मानने वाले देश के लिए जो सेहतमन्द निशानी होती है, किसी भी पार्टी की सरकार आए उसको चलाने के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं, उस वक्त आपके लिए पोलिटिकल गुडविल थी, आपके लिए अनाज का बहुत बड़ा भण्डार था, फारेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा भण्डार था, सूटेबिल प्राइसेज थीं, मुल्क में हर तरफ अमनो अमान था लेकिन उसके बावजूद आप सरकार नहीं चला पाए। उस वक्त भी आप बड़े-बड़े आंकड़े देकर हमसे कहते थे कि हमने बहुत कुछ संभाला है। जार्ज साहब कहते हैं 38 अरब के फारेन एक्सचेंज को 58 अरब में बदल दिया लेकिन मुझे यह शिकायत है कि अगर कांग्रेस सरकार बनी रहती तो हम 58 अरब की जगह 78 और 80 अरब करके दिखा देते। आप एक पढ़े-लिखे और काबिल इन्सान हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन अगर आप सन् 1980 और 1981 का मुकाबला सन् 1952, 1950 या 1948 से करें तो यकीनन आपको यह लगेगा कि उस वक्त कोई तरक्की नहीं थी और आज बहुत तरक्की है। असल चीज यह है कि किसी भी मुल्क की तरक्की करने के लिए पहले इन्फ्रा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, इण्डस्ट्रीज के लिए और तालीम के लिए जब बुनियाद बन जाती है तब फिर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। जैसे पहाड़ों को खोदकर हम कोई सड़क निकालना चाहते हैं तो पहले बड़ी परेशानी आती है लेकिन एक बार अगर सड़क हमवार हो जाए तो फिर उसको आगे कहीं भी ले जाना बड़ा आसान रहता है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने पहाड़

काटे, जमीन हमवार की, बुनियादें डालीं और आप उस पर इमारत खड़ी करने के लिए आए तो वह भी आपने टेढ़ी-मेढ़ी कर दी।

आपने बहुत जोरदार तरीके से कहा था कि 6 पार्टीज इकट्ठा होकर मेनस्ट्रीम में शामिल हुई और आपस में डिफरेन्सेज भी हैं लेकिन वह पार्टियां मेनस्ट्रीम से फिर उन्हीं नालियों में घुस गयी।

आज मैं कहती हूं अपोजीशन से कि आपने तजकिरा किया किसान आन्दोलन का लेकिन वह किसने कराया ? उसका जिम्मेदार कौन है ? आपने हमेशा घेराव और आन्दोलन की राजनीति चलायी। हम भी तीन साल अपोजीशन में रहे, हमने कोशिश की कि आपको जिम्मेदार अपोजीशन का रोल निभाना भी सिखा दें लेकिन अफसोस है वह भी आप नहीं सीख सके। हमने कभी आपका घेराव नहीं किया, कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि नेशनल इन्ट्रेस्ट को कोई धक्का पहुंचे लेकिन आप वही कर रहे हैं जिससे कि नेशनल इन्ट्रेस्ट को धक्का पहुंचे। आपने कोशिश की, किसानों का आन्दोलन कराकर कि उनकी जो भी फसल है—प्याज, गन्ना, गेंहूं वगैरह उसको उनके घर में ही सड़ा दिया जाए। यह मानी हुई बात है कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो मंहगाई को कोई रोक नहीं सकता है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह सकती हूं कि अगर आपने किसानों को बेवकूफ बना लिया होता और किसानों ने मिलों पर अपना गन्ना नहीं पहुंचाया होता तो आज चीनी 25-30 रुपए किलो से कम पर नहीं बिक रही होती। आज आप कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ आप मजदूरों में जाकर कहते हैं कि हड़ताल करो, बोनस के मामले में तालाबन्दी करो और दूसरी तरफ जब आप आवाम में जाते हैं तो कहते हैं कि मंहगाई कितनी बढ़ गयी है। एक तरफ आप कहते हैं किसानों को दाम मिलना चाहिए—दो सौ रुपया क्विंटल और दूसरी तरफ आवाम में जाकर कहते हैं कि यह इन्दिरा गांधी की सरकार है, जो आपको दो रु० और तीन रु० किलो में गेहूं खिला रही है। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि किसान को डेढ़ सौ रुपया मिले और आवाम को एक रुपया किलो गेहूं मिले। यह सोचने और समझने की बात है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि आज आपको अपने दोस्त दांये-बांये नजर नहीं आए। तीन साल में आपने अपनी सोशियलिस्ट विचारधारा को अपनी सरकार के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि आपके साथ बैठे हुए, जो आपके दोस्त बनते थे, उन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया और आज वह पार्टी, जिनका विश्वास रहा है दो कौमी नजरिए पर, उन्होंने इस मुल्क में कितनी बड़ी एक चीज पैदा कर दी। मैं कहना चाहती हूं कि आप उन शिशु मन्दिरों को बन्द नहीं कर सकते, जो हिन्दुस्तान के पवित्र मन्दिर में आग लगाना चाहते हैं। आज आप यह नहीं कर सकते कि जो वहां चीजें सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उन मासूम बच्चों को जिनका पूरा करेक्टर, पूरी जिन्दगी आप खराब कर सकते हैं। इस ओर हमने कभी नहीं देखा कि आप उनसे कभी लड़े हों। चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, लेकिन वह खतरनाक अलामत है, उस अलामत की तरफ देखिए, उस जड़ की तरफ देखिए, आज आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं—यह आपके लिए या हमारे लिए नहीं, बल्कि मुल्क के लिए घातक है। आज आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

नेशनल इशूज होने चाहिए कि जहां पर हमारा और आपका समझौता हो। चाहे वह नेशनल इन्टिग्रेशन हो और चाहे जात-पांत से ऊपर उठकर सोचने की बात हो, चाहे मुल्क की सलामियत की बात हो, चाहे मुल्क के प्रोडक्शन की बात हो, चाहे ऐजुकेशन की बात हो—लेकिन कुछ इशूज होने चाहिए, जिन पर पार्टी लाइन से ऊपर को उठकर सोचें और कोशिश करें कि इस मुल्क को कैसे बनायें।

मुझे खुशी है कि कल श्री बलीराम भगत द्वारा रिजोल्यूशन लाया गया, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ प्रिवलेज कमेटी का फैसला था···(व्यवधान)—उसको रद्द किया गया। आपको तीन साल का मौका आवाम ने दिया, लेकिन आपने उसको सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी तक ही महदूद रखा कि कैसे श्रीमती इन्दिरा गांधी को खत्म किया जाए और मैं तो यहां तक कह सकती हूं कि इनको सबसे बड़ी जैलसी हमारे लीडर्स से है, क्योंकि इनके पास कोई लीडर तो है नहीं···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : इनमें हर आदमी लीडर है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैंने किसी अखबार में देखा था कि इन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की लीडरशिप को माना है। लेकिन आज झगड़ा इस बात का है कि इनमें दूसरा लीडर कौन होगा—बाबूजी हों, बहुगुणा जी हों, जार्ज साहब हों या कोई और हो—लेकिन सवाल यह है, जानी-सोची बात है कि बगैर लीडर के पार्टी नहीं चलती है। बगैर लीडर के कोई मुल्क नहीं चलता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्रीमती इन्दिरा गांधी न सिर्फ इस मुल्क की लीडर है, बल्कि बैरुनी मुमालिक की जानी मानी लीडर समझी जाती हैं। आज जार्ज साहब ने कह दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी सिर्फ बैरुणी मुमालिक के दौरे पर गयी हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपके लीडर कभी इस कुर्सी से उठकर बेलछी में गए, पिपरा में गए, नारायणपुर में गए। आप तो बड़े भारी मजदूरों के नेता हैं। जब कानपुर में टैक्सटाइल मिल में मजदूरों को भूना जा रहा था, उस वक्त आप कहां थे? जब पन्तनगर में खेतिहर मजदूरों पर, किसानों पर गोलियां चली थीं, उस वक्त आप कहां थे? मैं यह कहना चाहती हूं कि आपके रिजीम में क्या हुआ या हमारे रिजीम में क्या हुआ, इससे इस मुल्क की किस्मत बनने वाली नहीं है। आपके भाषणों से, आपके बयानात से श्रीमती इन्दिरा गांधी के ऊपर कुछ आंच आने वाली नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस मुल्क को बच्चा बच्चा मानता है, जानता है और दिल से इज्जत तथा मोहब्बत करता है, जो आप लोगों में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है।

मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप मुल्क के हालात को देखिए, उन ताकतों को देखिए, उन फोर्सेस को देखिए, जो इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ, इस मुल्क की मजबूती के खिलाफ, इस मुल्क की आत्मनिर्भरता के खिलाफ आज जागरूक है, जिनके चक्कर में आज आप भी हैं।

आज आप इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन को ले लीजिए। हमने कभी भी सीमेंट इम्पोर्ट करने की बात नहीं कही। जब आप इण्डस्ट्री मिनिस्टर थे तो मेरे ही सवाल के जवाब में आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश की चुरू सीमेंट फैक्ट्री का प्रोडक्शन 20% है जबकि पहले वह 70% था। क्या वजह थी जो उसका इतना प्रोडक्शन गिर गया था? उसकी वजह यही थी कि तीन सालों में इस मुल्क की ऐसी हालत कर दी गयी थी कि मुल्क कहां से कहां पहुंच गया।

ये सारी बातें आपको संजीदगी से देखनी चाहिए। आपको उन फोर्सिज को बेनकाब करना चाहिए जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं। मैं तो कहूंगा कि आज हमारे इण्डियन ओसन में तहलका मचा हुआ है। जब आप पावर में थे तो आपसे जब यह पूछा गया कि आप इस मामले में क्या कोशिश कर रहे हैं तो जवाब मिलता है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी यू० एन० ओ० गये थे लेकिन इस मसले पर उनकी कोई खास बातचीत नहीं हुई। इतने अहम मसले पर आपकी नजर नहीं गयी। आपकी नजर किस चीज पर गयी कि किसी तरीके से भी श्रीमती गांधी की मेम्बरशिप को खारिज किया जाए, किसी तरीके से जल्दी से जल्दी उन्हें जेल भिजवा दिया जाए।

आपको उस वक्त बहुत मौके थे। आपसे लोगों ने बड़ी आशाएं और उम्मीदें बांधी थीं। आपने उनकी वे आशाएं और उम्मीदें पूरी नहीं कीं। आज भी आपके सोचने का वही ढंग है कि किस तरह से झूठ बोलकर लोगों को बहकावें, गुमराह करें। ये जो नारे आप लगा रहे हैं ये आपके हक में नहीं हैं। कोई भी इनसे बहकावे में नहीं आयेगा लेकिन मुल्क के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगी कि आप अपनी ये बचकाना हरकतों से बाज आएं, कुछ सोचें और समझें। कुछ समस्याओं का समाधान निकालने की तरफ भी ध्यान दीजिए। हमें इस मुल्क को शानदार तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है तभी हम सब आगे बढ़ेंगे और यह मुल्क आगे बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष जी मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अपने दल का दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगा।

यह अविश्वास प्रस्ताव हम नहीं लाये हैं, परन्तु हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमारा विचार था कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधान मन्त्री के समक्ष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविक सत्ता, एकमात्र सत्ता, वही है, इसलिए गत 16 महीनों में उनके कार्य निष्पादन के बारे में चर्चा उनके समक्ष ही होनी चाहिये ताकि सरकार और सत्तारूढ़ दल कम से कम चर्चा से ही अपनी असफलता के बारे में जान सके। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो हम इस प्रस्ताव की आवश्यकता और महत्व को महसूस करते हैं क्योंकि स्थिति एक ऐसी सीमा पर पहुंच गई है। जिसका प्रतिबिम्बी प्रतिदिन यहां देखा जा सकता है। दो-तीन दिन पूर्व अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्तावों की एक ऐस सूची दिखाई थी जिसमें पता नहीं 200 प्रस्ताव थे अथवा 300 देश के लोग, जिनका हम आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत से मामलों से चिन्तित हैं। आपको भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। परन्तु हमें भी थोड़ा बहुत बहुमत प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमने

[श्री समर मुखर्जी]

विचार किया कि यह मामला यहाँ सदन में उठाया जाना चाहिए। परन्तु दलों के सम्बन्ध इतने कटु हो चुके हैं कि जब तक आप इसे यहाँ उठाने की अनुमति नहीं देते तब उग्रवाद विवाद और गरमा गरमी चलती रहेगी (व्यवधान)इसके लिए किसी को व्यक्तिगत रूप से दोषी नहीं हैं ठहराया जाना चाहिए। आप भी तनाव की परिस्थितियों में कार्य कर रहे है क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है। यह देश में एक आम बात हो गई है। इस तनाव के मुख्य कारण क्या हैं ? इसे समझा जाना चाहिये। यदि आप इसे नहीं समझते तो जब तक आपका शासन चलता रहेगा तब तक लाखों लोगों का कोई भविष्य नहीं हैं। यह एक सचाई है क्योंकि आप एसी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऐतिहासिक रूप से समयानुकूल नहीं रही है और जो समाप्त होती जा रही है। आप पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विश्व में एक नयी व्यवस्था का जन्म हो चुका है और आपको इसे समाजवादी स्थापना को अपना उद्देश्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा है। परन्तु आपकी कथनी और करनी आपसी विरोधी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शान्ति से हमारी बात सुनें।

इस अविश्वास पर चल रही चर्चा में मेरा तात्पर्य सरकार के गत 16 महीनों के कार्य से ही नहीं है क्योंकि यही सरकार वर्ष 1947 से चली आ रही है। बीच में केवल दो वर्ष और 9 माह का व्यवधान आया है और आपको पता है कि हमने जनता सरकार के विरूद्ध भी एक अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। उस समय जो बात कही गयी थीं और जो तर्क दिये गए थे वे आपकी सरकार के मामले में भी संगत हैं क्योंकि जनता सरकार के विरुद्ध हमारी मुख्य शिकायत यह थी कि उनकी नीति भी वही थी जिसका अनुसरण आप कर रहे हैं। उन्हें जाना पड़ा। आप की सरकार फिर से सत्ता में आयी, आपकी अपनी शक्ति के कारण नहीं अपितु विपक्ष की कमजोरी के कारण। विपक्ष की कमजोरी ही आपकी शक्ति है। जब तक विपक्ष विभाजित है तब तक आप सुरक्षित हैं। संसदीय लोकतन्त्र में रहते जिस क्षण विरोधी दल एक हो जायेंगे आपकी सरकार नहीं रहेगी। आप यह जानते हैं। इसीलिए संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त करने के प्रयास आरम्भ कर दिए-गए हैं।

प्रो० एम० जी० रंगा : नहीं।

श्री समर मुखर्जी : मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। यह आपकी इच्छानुसार नहीं हो रहा है। कार्य चल रहा है। आपकी इच्छा के विपरीत समाजवादी शक्तियां कार्य कर रही हैं और आप यहां नहीं देख पा रहे हैं कि वे समाजवादी शक्तियाँ कौन सी हैं। ये शक्तियाँ क्यों कार्य कर रही हैं ? ये शक्तियां इसलिए कार्य कर रही हैं कि आप लोगों की मूल समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते।

मैं वास्तविक बात पर आता हूँ। भारत में यह स्थिति क्यों आयी ? स्थिति आपके नियन्त्रण से ही नहीं, सभी के नियन्त्रण से बाहर होती जा रही है। राजनैतिक दल ही नहीं प्रत्येक चीज अस्थायी हो गई है। आपके दल में भी फूट पड़ रही है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके दल में फूट नहीं है। आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि आसाम में

आपके दल से 6 विधान सभा सदस्यों ने आपके दल से त्याग पत्र दे दिया है। इससे पता चलता है कि आपके दल की एकता भी खतरे में है। दल के सदस्यों में असन्तोष है। उन्होंने चाय बागान क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ मामले उठाये थे। मुख्य मन्त्री उनकी बात से सहमत नहीं थे अथवा वे उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर पाएं। उन्होंने आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री पर दबाव डालना चाहा। वे असफल रहे। अब उन्होंने कदम उठाया है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। प्रत्येक सरकार अस्थायी हो गई है। क्योंकि आपके कहने और करने में विरोधाभास है। आपका तर्क यह है। कि यदि राजनैतिक अस्थिरता होगी तो आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। हमने आपसे बार-बार यह कहा है कि जब तक आर्थिक स्थिरता नहीं होगी तब तक राजनैतिक स्थिरता नहीं रह सकती। जब तक आमआदमी के जीवन में मूल परिवर्तन नहीं लाए जाते, जब तक मूल समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक आपकी सरकार भी स्थिर नहीं रह सकती। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। (व्यवधान) मैं एक बहुत गम्भीर बात कह रहा हूं। मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप में आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको अवसर मिले तब आप इसका खंडन कर सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : प्रश्न यह है कि आप जनता की मूल समस्याओं का समाधान किस प्रकार कर सकते हैं ? मूल समस्याएं क्या हैं ? मूल समस्या निम्नलिखित हैं :

1. खाना
2. कपड़ा
3. मकान
4. स्वास्थ्य
5. शिक्षा

ये पांच चीजें आवश्यक हैं।

खाद्य पदार्थ क्षेत्र की क्या स्थिति है ? हमारे वित्त मन्त्री यहां बैठे हुए है। मैंने उनका भाषण पढ़ा है जो आज इकानामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है।

कल वित्त मन्त्री जी ने राज्य सभा में वित्त विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर दिया था। मेरे विचार से यह पूरी तरह एक आत्मतुष्टिकारक दृष्टिकोण है कि अर्थव्यवस्था सुधर रही है। हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कुछ इसी प्रकार की टिप्पणी की है लेकिन आम आदमी का क्या अनुभव है। क्या आम आदमी यह महसूस कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है ? क्या उसके जीवन में यह अर्थव्यवस्था उसके लिए अधिकाधिक सहायक हो रही है ? स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। इसलिए आम आदमी का अनुभव और सम्पूर्ण स्थिति के बारे में आपका ज्ञान यह परस्पर पूरी तरह विपरीत हैं।

आप हमेशा पश्चिम के विकसित पूंजीवाद देशों के साथ अपनी तुलना करते हैं और अपने को अनुकूल स्थिति में पाते हैं। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने मुद्रास्फीति के प्रश्न का उत्तर दिया उनका कहना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि जो कि पिछले वर्ष की तुलना

[श्री समर मुखर्जी]

में वर्ष 1980 में 9.01 प्रतिशत है—श्री जार्ज फर्नांडीज ने इस बारे में कुछ आंकड़े दिए हैं आप उनकी तुलना कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की तुलना में यह वृद्धि अमेरिका में 12.4 प्रतिशत और ब्रिटेन में 15.1 प्रतिशत है। ब्रिटेन में मूल्य वृद्धि में कमी आई है और जैसाकि समाचार पत्र मैंने पढ़ा है, अब यह कम होकर 11 प्रतिशत रह गई है। इंडोनेशिया में यह वृद्धि 17.1 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 3.4 प्रतिशत, मैक्सिको में 28.8 प्रतिशत, पाकिस्तान में 15.8 प्रतिशत, फिलीपीन्स में 14.8 प्रतिशत और वेन्एजुएला में 22.4 प्रतिशत है। हमारे देश में 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं। यदि यह भी मान लिया जाए कि मुद्रास्फीति में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उससे हमारे देश के जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे जाते हैं उन्हें कितनी अधिक कठिनाइयाँ होती हैं।

आप उन देशों के साथ तुलना कर रहे हैं जो कि समृद्ध हैं जिनका सामान्य जीवन स्तर इतना अधिक ऊंचा है कि मुद्रास्फीति में होने वाली 10,15 अथवा 20 प्रतिशत की वृद्धि से वहां के लोगों को इतनी अधिक कठिनाइयां नहीं होतीं जितनी कि भारत के लोगों को होती हैं।

हमारे मन्त्रीगण कभी समाजवादी देशों के साथ तुलना नहीं करते। लेकिन हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने समाजवादी देशों के साथ तुलना की है। अब उन्होंने एक विचारधारा की लड़ाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में उन्होंने यही कहा था। मैं 15 फरवरी, 1981 के सन्डे स्टेट्समैन से उद्धृत कर रहा हूं।

> "श्रीमती गांधी ने कहा—कम से कम एक तथाकथित आदर्श समाज प्रत्येक उपलब्ध बाजार विशेषकर पूंजीवादी देशों से भारी मात्रा में अनाज का आयात जारी रखे हुए है। जबकि हमारी बुर्जुआ नीतियों ने हमें आत्मनिर्भर बना दिया है। उनके शब्दों में हमारे वामपन्थी मित्रों के साथ कठिनाई यह है कि बहुत बड़े बड़े शब्दों और विचार क्षेत्र में सोचते हैं जो कि काफी पहले पुराने पड़ चुके हैं और जिन्हें बहुत अधिक ऐसे रूढ़िपन्थी समाजवादी देशों तक ने छोड़ दिया।
>
> श्रीमती गांधी ने आगे कहा कि भारतीय समाजवाद लोकतन्त्र की धारणा का ऐसी युक्तिसंगत अवधारणा है जो हमारी उस प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप है जो कि समाज की महानतम भलाई के लिए वैयक्तिक प्रयासों का उपयोग करने की दृष्टि बनाई गयी थी।

यहां सभी पूंजीपति जिनमें कि काले धन वाले भी हैं, समाजवाद का निर्माण करने में लगे हुए हैं।

उन्होंने कहा, भारत के नेताओं ने जानबूझकर इस मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। हमारा आशय उस मार्ग को अपनाना है जो कि हमारे विचार के अनुसार हमें सम्भवत: मन्द गति से लेकिन निश्चित रूप से समाजवाद की ओर ले जायेगा।

अब श्री वेंकटरमन सुनें।

यह देश, उन्होंने देश का नाम नहीं लिया है लेकिन यह स्पष्ट ही है कि इससे उनका मतलब सोवियत संघ से है क्योंकि वे वहां से खाद्यान्न का आयात कर रहे है।

यह श्री ब्रेजनेव की रिपोर्ट है। यह सोवियत रशियन पार्टी कांग्रेस की नवीरतम रिपोर्ट है। मैं उसी से उद्धृत कर रहा हूं···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप विचारधारा के बारे में क्या कह रहे हैं।

श्री समर मुखर्जी : उनका वैचारिक सिद्धांत यह है कि समाजवाद का निर्माण वैयक्तिक पूंजीपतियों से होगा। यह उनकी विचारधारा है। आपको समझना चाहिए कि आप किस विचार-धारा के पक्ष में बोल रहे हैं। कृपया सुनिएं—(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

श्री समर मुखर्जी : मैं यह पढ़कर सुना रहा हूं—(व्यवधान) मैं उन पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं ब्रेजनेव की रिपोर्ट पढ़ कर सुना रहा हूं। यद्यपि पिछले तीनों वर्ष बहुत प्रतिकूल थे और खाद्यान्न की औसत फसल 2050 लाख टन प्रति वर्ष हुई। यह है उत्पादन, 2050 लाख टन।

हमारी जनसंख्या इस समय 68 करोड़ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की उपर्युक्त टिप्पणी के समय यह सम्भवत: लगभग 65 करोड़ थी और हमारा उत्पादन है 1310 लाख टन और हमें उस पर बहुत गर्व है। जबकि सोवियत रूस की आबादी इस समय 26 करोड़ है और उनका उत्पादन है 2050 लाख टन।

एक ओर 65 करोड़ जनसंख्या के देश में 1310 लाख टन उत्पादन है तो दूसरी ओर 26 करोड़ लोगों के पास 2050 लाख टन। प्रगति कौन कर रहा है मैं केवल आपसे यह कहता हूं कि आप उत्तर दीजिए। केवल यही नहीं—(व्यवधान)। यह टाइम्स आफ इंडिया है—(व्यवधान) आप मुझे नहीं बल्कि अपने आपको जवाब देंगे—(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये, शान्त रहिये। बीच में बाधा मत डालिए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : वहां ऐसे आन्दोलन नहीं होते, वहां ऐसे पटरियां नहीं रोकी जातीं—(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रधानमन्त्री महोदया ने किसी देश विशेष का उल्लेख नहीं किया है, आप क्यों परेशान होते हैं।

श्री समर मुखर्जी : सोवियत संघ आयात कर रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं है। मैं कहता हूं कि सोवियत संघ आयात कर रहा है लेकिन क्यों ? टाइम्स आफ इण्डिया में एक खबर

[श्री समर मुखर्जी]

छपी है पार्टी कांग्रेस की बैठक से पूर्व इसमें लिखा है कि उस समय वहां पर सूखा पड़ा हुआ था। लेकिन अब वह सूखे की स्थिति समाप्त हो गयी है। इस खबर में जोर दिया गया है कि सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्था संकट के दायरे से मुक्त हो गई है। और पिछली आधी शताब्दी से वहां कोई बेरोजगारी नहीं है। इस खबर में बताया गया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों के दौरान वहां पर डबलरोटी, चीनी, दूध, मांस, मक्खन तथा अधिकतर खाद्यान्न तथा भोजनेत्तर घरेलू-सामग्री के खुदरा मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उनके मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है। यही स्थिति मकान के किराये और परिवहन की है जोकि गत 50 वर्षों में नहीं बदला है। वर्ष 1970 से 1980 तक की अवधि में सामान्य मूल्य सूचकांक में केवल 2 अंकों की वृद्धि हुई। क्या आप इसकी तुलना अपने देश से करेंगे ? मैं आपसे पूछता हूं···(व्यवधान)।

अब मैं चीन के बारे में उल्लेख करता हूं यह चीनी निर्माण है चूंकि मैं भारत में हूं। इसलिए मैं आपके सामने तुलनात्मक तथ्य रखने का प्रयास कर रहा हूं (व्यवधान)।

यह चीन के प्रधान मंत्री की रिपोर्ट है। मैं सारी रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं। केवल 1980 की सफलता और 1981 के लक्ष्यों के बारे में बता रहा हूं।

'इन सबसे किसानों को और अधिक उत्पादन करने और अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। 1979 में मूल्य की दृष्टि से कुल कृषि उत्पादन में 1978 के मुकाबले 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3321.2 लाख टन हुआ।'

अर्थात 1978 में जो सबसे अच्छी फसल हुई थी उससे भी 273.7 लाख टन अधिक उत्पादन।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : इस वर्ष 1981 में चीन में क्या स्थिति है ?

श्री समर मुखर्जी : उसको मुझे जानकारी नहीं है। चीन की आबादी 100 करोड़ है और उनका खाद्यान्न उत्पादन 3320 लाख टन है जबकि यहां की आबादी 65 करोड़ और उत्पादन 1310 लाख टन है। अब आप देखिए कि प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। मैं श्री वेंकटरामन से अनुरोध करूंगा कि वह इन आंकड़ों से तुलना करें न कि साधारण रूप से पूंजीवादी देशों के साथ। माननीय वित्त मंत्री श्री वेंकटरमन जी ने यह स्वीकार किया है कि विकसित पूंजीवादी देश संकटापन्न है। सम्पूर्ण विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था इस समय गंभीर संकट में है। 1935 की तरह ही फिर से विश्व का संकट गम्भीर रूप से गहरा गया है। इसलिए उनका आन्तरिक बाजार पूरी तरह छोटा हो गया है। कारखाने बन्द हो रहे हैं। यह सर्वविदित बात है। कम से कम उन लोगों को तो ज्ञात है ही जो कि विश्व में हो रही घटनाओं से परिचित हैं। वे अपने लाभ को बनाये रखने के लिए कम विकसित

और नवविकसित देशों में अपने माल की भरमार कर देने में रुचि रखते हैं और कल ही वित्त मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ये इस स्थिति को रोकथामके लिए सरकार ने कुछ वस्तुओं के आयात पर लगने वाले शुल्क में वृद्धि कर दी है। लेकिन सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। यदि हम सरकार द्वारा अपनायी जा रही नीतियों की दृष्टि से देखें तो सरकार एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को एक के बाद दूसरी रियायतें देती जा रही है···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : चीन में कृषि क्षेत्र कितना है, रूस में कितना और इस मामले में उनकी तुलना में हमारी क्या स्थिति है।

श्री समर मुखर्जी : मैं आपको बाद में आंकड़े दूंगा। मैं आपको सभी आंकड़े व्यक्तिगत रूप से दूंगा। (व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव : चीन सरकार ने विडला को कितने ठके दिये हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री समर मुखर्जी : इसलिए आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल यदि कोई माननीय सदस्य बताता है आप रोक सकते हैं अन्यथा आपको नहीं रोकना चाहिए।

श्री समर मुखर्जी : भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच के अन्तर को कम करने के उद्देश्य से सरकार की नीतियों का पालन किया जाना चाहिए। आप 33 वर्षों से शासन में हैं। और इन 33 वर्षों में आपकी नीतियों का क्या परिणाम रहा है, स्थिति यह है कि कुछ एकाधिकार वाले घराने बड़े एकाधिकारी घराने बन गये हैं। इन कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन एकत्रित हो गया है। और गरीब व्यक्ति और ज्यादा गरीब हो गये हैं। इसका तात्पर्य है कि संविधान के निर्देशक सिद्धांतों को देखते हुए सरकार का कार्य निष्पादन ठीक उल्टा रहा है। क्यों ? इसका कारण यह है कि आप पूंजीवादी नीति का पालन कर रहे हैं, और जब तक आप इस नीति को बुनियादी रूप से नहीं बदलते हैं तब तक इसके तर्कसंगत परिणाम ही निकलेंगे; और इसी प्रकार के परिणाम सामने आयेंगे। जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली बन रहे हैं वे एक समानान्तर अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे अपने हाथों में सभी आवश्यक वस्तुओं को इकठ्ठा कर रहे हैं उनका कृत्रिम अभाव पैदा कर रहे हैं तथा सभी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी सदस्यों सम्बधी कार्य के समाप्त होने के पश्चात माननीय सदस्य अपनी बात जारी रखेंगे।

अब हम गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य को लेते है।

श्री रशीद मसूद

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि वह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधायकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से जो 6 मई, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से जो 6 मई, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

महात्मा गांधी की छवि को बिगड़ने से रोकने के संबन्ध में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तैयब हुसैन के संकल्प पर चर्चा होगी। श्री तैयब हुसैन।

श्री तैयब हुसैन (फरीदाबाद) : डिपुटी स्पीकर साहब, मैं उस दिन अर्ज कर रहा था कि गांधी स्मृति एक कौमी यादगार है, जिसको देखने के लिए रोजाना हजारों आदमी जाते हैं। मगर उस कौमी यादगार में जो पेंटिंग्ज लगी हुई हैं, उनको देखकर आदमी पर एक अजीब असर पड़ेगा। पहले वे पेंटिंग्ज मिटा दी गयी थीं, मगर हाल में ही वे फिर से पेन्ट कर दी गई हैं। गांधी जी ने हिन्दुओं और मुसलमानों और सभी देशवासियों को आपस में मिल कर रहने की तल्कीन की थी, लेकिन वहां पर एक तस्वीर दिखाई गई है कम्युनल रायट्स की। जिस जगह पर गांधी जी ने जामे शहादत पिया, जो एक कौमी यादगार है, अगर वहां पर कोई बच्चा या बड़ा भी कम्युनल रायट्स की— लोगों के आपस में लड़ने की — तस्वीर देखेगा, तो वह क्या असर लेकर जायेगा? वहां पर जो और तस्वीर हैं, **

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप यह नहीं समझते कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए आप केवल आपत्ति जनक बातों के बारे में ही कहें।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया है।

श्री तैयब हुसैन : यह एक सार्वजनिक स्थान है और हजारों लोग उसे देखने आते हैं। मुझे इसका खेद है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आप से पिछली बार भी कहा था। इन सब बातों को यहां रिकार्ड क्यों किया जाये? आप यह कह सकते हैं कि वहां कुछ आपत्तिजनक बातें हैं।

श्री तैयब हुसैन : मैं उपाध्यक्ष महोदय से पूर्णतः सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको धन्यवाद।

श्री तैयब हुसैन : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर गांधीजी के बारे में जो तस्वीरें लगाई गयी है, जिनको हजारों आदमी देखते है वे मुनासिब नहीं हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : गांधीजी की ये फोटोज कहां हैं?

श्री तैयब हुसैन : गांधी स्मृति, तीस जनवरी मार्ग पर इस तरह के पेंटिंग्ज हैं डिपुटी स्पीकर साहब ने सही कहा है कि उनका जिक्र करना जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इन बातों को सुन भी नहीं सकता इसलिए मैंने आपसे कहा था।

श्री तैयब हुसैन : मैं सहमत हूं।

तो उस में मैं यह अर्ज करता हूं आप से कि एक सवाल का जवाब राज्य सभा में दिया गया है 6 मई को जिस का नम्बर है 1503, उस में कहा गया है कि यह गांधी जी की आत्म कथा से लिया गया है। वैसे ताज्जुब होता है और अफसोस की बात है कि जिस ने चुना, चुनने वाले ने इन चीजों को चुना और सवाल के जवाब में आपने यह चीज मानी है, मैं राज्य सभा का जवाब कोट करता हूं

"उनमें से कुछ व्यक्तियों को स्थान की पवित्रता का भी पता नहीं है।"

यह उसमें बताया गया है राज्य सभा के जवाब में लेकिन उसमें यह कहा तो गया है, उसके बाद आज तक भी वह वहां मौजूद है। यानी कहने के बाद उस पर अमल क्या हुआ?

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : कितने साल से वह फोटो वहां है?

श्री तैयब हुसैन : यह आप पूछ लीजिएगा जब आप का टर्न आए। मुझे अपने ढंग से कहने दीजिए और मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि जितनी जनता पार्टी के राज में अनगांधियन ऐक्विटीज हुई हैं उतनी कभी नहीं हुई जब कि गांधी जी के नाम से यानी उन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे, उसी स्टैट के लेकिन उस जमाने में जितना हुआ उतना कभी नहीं हुआ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह कहने के बाद भी कि वहां पर वह नहीं रहना चाहिए उस के बावजूद भी वह वहां है।

[श्री तैयब हुसैन]

एक दूसरे सवाल नम्बर 1423 के जवाब में 6 मई को ही यह बताया गया है, उस का भी मैं जिक्र कर दूं, जो मैं ने पिछले फ्राइडे को यहां बात कही, उसके जवाब में यह कहा गया है राज्य सभा में कि वहां पर इस तरह की किताब नहीं बिक रही है। अगर वह कहते कि नहीं बिक रही है और साधारण बात होती तो मैं मान लेता लेकिन वहां न सिर्फ किताबें बिक रही हैं न सिर्फ इस सदन के मोअज्जिज मेम्बरान वहां से खरीद कर लाए हैं बल्कि खुद होम मिनिस्टर साहब वहां से किताबें खरीद कर लाए हैं जैसे कि "हू किल्ड गांधी जी" "गांधी वध और मैं" इस तरह की बेशुमार किताबें खुद होम मिनिस्टर साहब वहां से खरीद कर लाए हैं और सवाल के जवाब में मुझे यह लगता है कि उन्होंने गांधी स्मृति से जवाब मांगा होगा, उन्होंने जो जवाब दे दिया, वजीर साहब ने उसको बगैर वैरिफाई किए हुए कि खुद यहां के होम मिनिस्टर साहब वहां से वह किताब खरीद कर ला चुके हैं, और उसमें वह चीज है, उन्होंने राज्य सभा में जवाब दे दिया।

जहां तक पेन्टिंग्स का सवाल है, वह पेन्टिंग्स और भी अच्छी हो सकती थी लेकिन उन्हीं को चुनना अच्छी बात नहीं थी क्योंकि जो वहां जा कर देखेगा वह क्या समझेगा ? वह कौमी यादगार है, वहां हजारों लोग जाते हैं। जो आत्म कथा की बात कही गई, आत्म कथा में तो कहीं कोई स्ट्रे इंसीडेंट या इस तरह की कोई बात कही होगी मगर जहां तक मुझे मालूम है उस में यह कहीं नहीं है आत्मकथा में **

इस तरह की बातें आत्मकथा में नहीं हैं। यानि वह जो सवाल के जवाब में दिया गया है, हालांकि मैं उसको भी नहीं समझता कि वह सही तौर पर कहा गया है लेकिन उसके बावजूद भी मिसलीडिंग इन्फार्मेशन दी गई है जिसको कि फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत है और वह दूर करना चाहिए क्यों कि इस तरह की चीज उस में कहना कोई अच्छी बात नहीं है।

ज्यादा वक्त न लेता हुआ मैं यह अर्ज करूंगा कि गांधी जी के साथ जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं चाहे गांधी स्मारक संग्रहालय है, चाहे गांधी पीस फाउन्डेशन है या गांधी बुक डिपो है जिसकी राजघाट पर दुकान है या और भी जो संस्थाएं हैं, जहां गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है वहां कम से कम हमें पार्टी लाइन से उठकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि गांधी जी के बारे में या जो भी संस्थाएं गांधी जी के नाम पर चल रही हैं वहां पर गांधी जो जिन बातों को नहीं चाहते थे उनको न किया जाये। ताकि हम कम से कम उनकी रूह को तो दुनिया में जा कर तकलीफ न पहुंचाएं। इस तरह की बात करने की बेहद जरूरत है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह रेजोल्यूशन लाने की जो मेरे दिल में इच्छा हुई और उसके साथ मैंने इसको मूव किया उसका एक कारण यह है कि हमारे ऊपर तो गांधी जी का खास तौर से एहसान है। मैं फरीदाबाद कांस्टीच्यूएंसी से आता हूं, गुडगांव जिले और फरीदाबाद की कांस्टीच्यूएंसी से, सन 47 के जमाने में जब लोग पाकिस्तान को जा रहे थे तो अलवर

** अध्यक्षपीठ के अनुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया है

और भरतपुर रियासत के भी लोग वहां आकर जमा हो गये थे। गांधी जी खुद आये थे। उस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि मजबूर किया जा रहा था जाने के लिए तो गांधी जी खुद 19 दिसम्बर 1947 को, एक घसेडा गांव है गुड़गाव में, वहां गए थे और उन्होंने कहा था कि आप लोग यहीं पर रहिये, हर आदमी यहीं पर रहे क्योंकि हिन्दुस्तान सभी का है। हम लोग बिल्कुल ही जाना नहीं चाहते थे और गांधी जी के आने के बाद वह ताकतें जो कि गलत बातें कर रही थीं, वह रुकीं और हमारे सारे लोग हिन्दुस्तान में ही रह पाये। मैं समझता हूं उस जमाने में, 1947 में गांधी जी की शायद वह आखिरी पब्लिक मीटिंग हुई थी क्योंकि उसके बाद उनकी शहादत हो गई 30 जनवरी, 1948 को। तो हमारे ऊपर गांधी जी के खास अहसानात हैं। उन्होंने हरएक को यकीन दिलाया था कि तुम्हें मकान और जमीन वगैरह मिलेगी लेकिन वह बात अलग है। अलवर जिले के गोविन्दगढ़ तहसील में मकान नहीं मिला लेकिन गांधी जी दिल्ली से चलकर हमारे इलाके में गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं रहिए। वैसे तो गांधी जी के लिए सभी के दिल में दर्द है और होना भी चाहिए लेकिन हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अहमियत थी। उस जमाने में हमारे वालिद साहब, यासीन खां साहब और सभी को उन्होंने रोका था और इसीलिए हमलोग जो हिन्दुस्तान में रहना चाहते थे यहां पर रह पाये थे।

मैं आपका और ज्यादा वक्त न ले करके यह अर्ज करूंगा कि गांधी जी का नाम लेकर जो बहुत से आन्दोलन और दूसरी बातें हो रही हैं वह ठीक नहीं हैं। मेरे पास "आसाम ट्रिब्यून" डेटेड 25 अप्रैल, 1980 है जिसको कोट करना चाहूंगा :

आन्दोलन को गांधीवादी नेता का समर्थन

गोहाटी अप्रैल 24-गांधी शान्ति फाउंडेशन नई दिल्ली के सचिव श्री राधाकृष्णन ने आश्वासन दिया है कि वह असम आन्दोलन को समर्थन देने तथा बल देने के लिए खुशी से गोहाटी आयेंगे।

सर्वोदय नेता श्री रवीन्द्रनाथ उपाध्याय के, जिनका दुर्घटना में चोट लगने के बाद गोहाटी के नर्सिंग होम में इलाज हो रहा है, कल के तार के उत्तर में श्री राधाकृष्ण ने अपने तार में जो कल प्राप्त हुआ था यह कहा है "हम असम आन्दोलन को समाप्त करने के लिए उपाय कर रहे हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि असम आन्दोलन अब असम की ही समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मसला होना चाहिए। गोहाटी जाने से पहले मैं इस सम्बन्ध में हुई प्रगति और इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहूंगा। असम आन्दोलन को समर्थन देने तथा शक्ति प्रदान करने के खुशी से गोहाटी जाऊंगा।"

मैं नहीं समझता गांधी जी की तालीमात में से ऐसी भी कोई तालीम है? आज गांधी जी के नाम से जुड़ी हुई कितनी ही संस्थाएं चल रही हैं, करोड़ों रुपया उनके पास है क्योंकि गांधी जी का मुकद्दस नाम लेकर पैसा भी आसानी से मिल जाता है। मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह की जो बहुत सी संस्थाएं हैं और जो बहुत सी चीजें हो रही हैं उनके साथ गांधी जी का मुकद्दस नाम न

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

[श्री तैयब हुसैन]

जोड़ा जाए। आज गांधी जी के नाम पर ऐसी सोसायटीज बन गई हैं जिनको बाहर की एजेन्सीज से भी रुपया मिल रहा है। खास तौर से दिल्ली में गांधी बुक डिपो, गांधी पीस फाउंडेशन, गांधी स्मारक निधि इस तरह की जो संस्थाएं हैं, सरकार को उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और अब तक जो नुकसान होना था वह हो चुका लेकिन आगे के लिए उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाए।

इन अलफाज के साथ मैं पूरे हाउस से दरख्वास्त करूंगा कि मैंने जो एक बहुत सीधा-सादा रेजोल्यूशन रखा है, उसको इत्तफाक राय से पास किया जाय और गवर्नमेंट को यह रेक्सपेंड किया जाए कि इस तरह की जो गलत एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रोका जाय।

सभापति महोदय : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि संकेतों, शब्दों अथवा प्रकाशनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए किये जाने वाले प्रत्येक कार्य को दण्डनीय अपराध बनाया जाये।"

अब कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन दिए हैं। वे अपने संशोधन एक-एक करके पेश करें।

संशोधन—1

श्री भोलूराम जैन (चांदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

"प्रत्येक" के पश्चात "प्रयास षडयन्त्र योजना अथवा" अन्तःस्थापित किया जाये।

संशोधन—2

श्री सुधीर गिरी (कंटोई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

"प्रकाशनों" के पश्चात तथ्यों पर आधारित न हो" अन्तः स्थापित किया जाए।

संशोधन—3

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे:) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—
अन्त में यह जोड़ा जाये—

"ऐसे व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों अथवा निकायों के जो गांधीजी का अपमान करने वाले अथवा उनकी छवि बिगाड़ने वाले कार्य करते हैं अथवा जिन्होंने ऐसे कार्य किये

हों, कार्यकरण, वित्त और गतिविधियों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये जिसे 6 महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिए जाये।"

संशोधन—4

श्री जी० एस० डोगरा (जम्मू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

अन्त में यह जोड़ा जाये—

"अधिक से अधिक सात वर्ष किन्तु कम से कम 6 मास का कठोर कारावास तथा अधिक से अधिक 10,000 रुपये जुर्माने का दण्ड"

संशोधन—5

श्री बी० आर० नहाटा (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

अन्त में यह जोडा जाए—

"और गांधी दर्शन और विचारधारा का प्रचार और प्रसार के उद्देश्य से गठित कोई संस्था संगठन या व्यक्तियों के निकाय को, जिसने गांधी दर्शन या विचारधारा की मूल परिकल्पना के विरुद्ध कोई कार्य किया है अथवा जो ऐसी कार्यवाही में लगा हुआ है और जिससे गांधीजी की छवि बिगड़ती है अथवा बिगड़ने की सम्भावना है उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकेगा और निर्धारित दण्ड दिया जा सकेगा।"

संशोधन—6

श्री कल्पनाथ झा (सहरसा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

अन्त में यह जोड़ा जाये—

"भूतलक्षी प्रभाव से समय सीमा के बिना।"

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा अनुपस्थित हैं। श्री डागा।

संशोधन—8

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प में—

(एक) "कि किसी" के पश्चात जान-बूझकर अन्तः स्थापित किया जाये।

(दो) "कार्यवाही" के पश्चात अथवा प्रयास अन्तः स्थापित किया जाये।

(तीन) "संज्ञेय" के पश्चात और गैर जमानतीय अन्तः स्थापित किया जाये।

संशोधन—9

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि संकल्प में—

अन्त मेंयह जोड़ा जाये—

"अधिक से अधिक सात वर्ष का कारावास और कम से कम 1000 रुपये जुर्माने का दण्ड।"

सभापति महोदय : संकल्प और संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री सुधीर कुमार गिरी (कन्टई) : सभापति महोदय, श्रीमन, मैं समझता हूं कि तैयब हुसैन महात्मा गांधी जी के बड़े भक्त हैं। गांधी जी के प्रति जो उनके विचार तथा भावनायें हैं वही मेरी भीहैं मु झे गांधी जी के प्रति उनकी भावनाओं से सहमत होते हुए संकल्प का मूल्यांकन करने में अपने विचार व्यक्त करने चाहिए जिसके द्वारा उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है।

श्रीमन, संकल्प में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है :—

"संकेतों, शब्दों अथवा प्रकाशनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की छवि को बिगाड़ने के उद्देश्य से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य को दंडनीय अपराध बनाया जाये"

श्रीमन, आक्स फोर्ड शब्द कोश में टार्निश शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। मैं उसके एक अपेक्षित भाग को कोट कर रहा हूँ टार्निश का अर्थ है कान्ति को कम करना अथवा नष्ट करना। इमेज का अर्थ है जनता द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का चरित्र।

यदि आप आक्सफोर्ड शब्द कोश में दिये गये अर्थ को ध्यान में रखते हुए संकल्प का शब्दश: अनुवाद करना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा :—

"संकेतों, शब्दों अथवा प्रकाशनों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र की कांति को कम करने या नष्ट करने के लिये किये गये किसी भी कार्य को दंडनीय अपराध बनाया जाये"

श्रीमन, महात्मा गांधी का चरित्र जनता ने समझ लिया है। 'जनता' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। जनता का अर्थ है कि हमारे अथवा विदेश में रहने वाला कोई सदस्य। अत: जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है और महात्मा गांधी जी की नीतियों, विचारधारा तथा सिद्धांतों की भी आलोचना करता है तो उसे भी इस दंडनीय अपराध के अन्तर्गत लाया जायेगा। मैं इस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से इसमें गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री हुसैन के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत होते हुए भी मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत देश के सभी नागरिकों को वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अत: यदि इस संकल्प को अमल में भी लाया जाता है तो भी हमारे नागरिकों के मूल अधिकार कम होंगे क्योंकि, जहां तक भाषण और अभिव्यक्ति का सम्बंध है संविधान के अनुच्छेद 19 (2) (क) के अन्तर्गत लगायी गयी सीमा के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी विषय की आलोचना करने का अधिकार दिया गया है। अत: मैं यह बताना चाहता हूं कि संकल्प की भावना मूल अधिकारों से मेल नहीं खाती है। अत. इस संकल्प को स्वीकृत नहीं किया जाये।

श्रीमन, हमारा समाज प्रजातांत्रिक है। इसका अपना अलग ही लोकतांत्रिक स्वरूप है। जो व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं वे, उसकी भी आलोचना करते हैं। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे लेकिन उनकी भी आलोचना की जा सकती है। अत: संकल्प को अमल में लाने से, इस संकल्प के प्रस्तावक की भावना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्रीमन, मैं गांधी जी का इसलिये, आदर करता हूं कि उन्होंने साम्राज्य वाद के विरोध में हमारा नेतृत्व किया, वह गरीब तथा समाज के पददलित समाज और उपेक्षित वर्ग को प्यार करते थे। मेरी उनमें अगाध श्रद्धा है। लेकिन उनके नेतृत्व में श्रद्धा रखते हुए भी उन दिनों मेरी भावनाएं उनसे नहीं मिलती थी। गांधी जी ने उपदेश दिया था कि त्याग में समानता होनी चाहिए तथा आमोद-प्रमोद में भी समानता होनी चाहिए। इन सिद्धांन्तों को अपनाते हुए उन्होंने मानव मात्रकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था।

लेकिन क्या वह सफल हुए ? यदि गांधी जी के सिद्धान्त ठीक होते तो भगवान बुद्ध या किसी धार्मिक नेता ने समाज को बदल दिया होता, समाज की गरीबी दूर कर दी होती। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। अब गांधी जी के सिद्धान्त कारगर नहीं रहे। कुछ निश्चित नियम हैं जो समाज के विधान को नियंत्रित करते हैं। परन्तु क्या उन्होंने उन नियमों का पालन किया है ? हम मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का पालन करते हैं। आप जानते हैं कि समाज का विकास नियमानुसार होता है। वर्ग संघर्ष हुआ और वर्ग संघर्ष के कारण समाज विकसित हुआ तथा जिस समाज में आज हम रह रहे हैं वह भी वर्ग संघर्ष का ही फल है। तो मैं समझता हूं कि यदि मैं गांधी जी के सिद्धान्तों और नीतियों की आलोचना वर्ग संघर्ष को ध्यान में रखते हुए करूं तो मुझे भी दण्डनीय अपराधी माना जा सकता है। यदि मैं उनके सिद्धान्तों तथा नीतियों की आलोचना करूं तो इसे गांधी जी के चरित्र की महानता को नष्ट करना या कम करना जाना जाएगा क्योंकि गांधी जी के कुछ निश्चित सिद्धान्त थे और यदि मेरी विचारधारा उन सभी सिद्धान्तों के विपरीत होगी तो यह समझा जाएगा कि मैं गांधी जी के सिद्धान्तों का विरोध कर रहा हूँ। तब श्रीमन, मैं संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) के अधीन अपने अधिकार का उपयोग कैसे कर पाऊंगा ? यदि श्री हुसैन सतारूढ़ पार्टी के नेताओं की एकाधिकारी शक्ति पर रोक लगाने के लिए कोई संकल्प सभा में लाए होते तो मुझे प्रसन्नता होती।

सभापति महोदय : महात्मा गांधी का जिक्र यहां कैसे आ गया ?

एक माननीय सदस्य : उन्हें अपनी बात आगे कहने दीजिए··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं तो सभा को यह बात समझाने की सहायता कर रहा हूं।

श्री सुधीर गिरि : इस संकल्प में उन सभी व्यक्तियों को दण्डनीय अपराध की सीमा में लाने की बात है जो गांधी जी की छवि बिगाड़ना चाहते हैं। मैंने ध्यान दिलाया है कि ये दोनों शब्द बिगाड़ना और छवि, इस सम्बन्ध में संगत नहीं है। मुझे खुशी होती यदि श्री हुसैन सत्तारूढ़ दल के नेताओं की एकाधिकारी शक्तियों पर रोक लगाने सम्बन्धी कोई संकल्प सभा में लाते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह गांधीवाद के अनुयायी हैं और गांधी जी चाहते थे प्रशासनिक, राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। लेकिन क्या सत्तारूढ़ नेताओं ने इन बातों को अपनाया है ? नहीं। जब गांधी जी के अनन्य अनुयायी, श्री जवाहरलाल नेहरू सत्ता में नहीं थे तो वे जोर-शोर से समाजवाद की बात करते थे लेकिन जब वे सत्ता में आयेतो

[श्री सुधीर गिरि]

उन्होंने समाजवाद के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि श्री हुसैन ऐसा कोई संकल्प लाए होते जिसमें गांधीवादी कहे जाने वालों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों के दोषों को उजागर किया गया होता तो उन्होंने समाज तथा देश के प्रति न्याय किया होता। इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहूंगा कि एक सज्जन श्री निर्मल कुमार बोस ने, जो एक योग्य गांधीवादी थे तथा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, एक पुस्तक लिखी है।

सभापति महोदय : मैंने उन्हें देखा था तथा उनसे बात भी की थी।

श्री सुधीर गिरि : उन्होंने अपनी पुस्तक में गांधी जी के बारे में जो कुछ लिखा था मैं उसका समर्थन नहीं करता। गांधी जी के कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मैं आलोचना के योग्य मान सकता हूं। और यदि मैं उन बातों के लिए उनकी आलोचना करूं तो यह दण्डनीय अपराध माना जाएगा। उदाहरण के लिए, जलियांवाला बाग में हत्याकाण्ड हुआ था। महान कवि टैगोर ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी लेकिन गांधी जी तथ्यों को छिपाना चाहते थे। यदि मैं ये बातें लोगों को बताऊं तो वह संकल्प मुझ पर लागू हो सकता है।

गृह तथा संसदीय कार्य विभाग राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : हमें कम्युनिस्ट विचारधारा का पहले से ही पता है, वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चमचे थे···(**व्यवधान**)। हम इन बातों का उत्तर देना जानते हैं। लेकिन यह उचित नहीं है कि राष्ट्रपिता की छवि बिगाड़ी जाए। मैं इसका घोर विरोध करता हूं·····(**व्यवधान**)। मैं आपकी बात का उत्तर दे सकता हूं लेकिन तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर मत कहिए·····(**व्यवधान**) मैं एक एक करके आप के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हम जानते हैं कि आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में क्या भूमिका निभाई थी। आप श्री सुभाष चन्द्र बोस को कहने में भी नहीं चूके।** (**व्यवधान**)। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूं·····(**व्यवधान**) यह इतिहास में दर्ज है। (**व्यवधान**)। मैं आपसे इससे अधिक और कुछ आशा नहीं कर सकता। क्योंकि आपका इतिहास स्वतंत्रता आंन्दोलन के साथ विश्वासघात करने का रहा है।

आपने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने वह पुस्तक पढ़ी है। मैं जानता हूं मेरा उस सज्जन से सम्पर्क था।

सभापति महोदय : आप 13 मिनट का समय ले चुके हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें क्योंकि लगभग 10 और सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं हमें इस विषय को दो घंटों में समाप्त करना है। (**व्यवधान**)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री सुधीर गिरि : माननीय मंत्री ने इस सभा में बात को तोड़-मरोड़ कर कहा था।

सभापति महोदय : उसे भूल जाइए।

श्री सुधीर गिरि : लेकिन मैं यह नहीं कह रहा जो माननीय मन्त्री कहना चाहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य ही बताये जाने चाहिए। आप इन बातों को जनता से छिपा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री पी०वेंकट सुब्बय्या : मैं जानता हूं कि स्वतन्त्रा आन्दोलन में आपने क्या किया था।

श्री सुधीर गिरि : शक्ति प्राप्त वर्ग के लोग उन लोगों का शोषण कर रहे हैं जिनके लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया था। इसलिए मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने पहले कहा है उसे देखते हुए ऐसा संकल्प लाना अनावश्यक तथा व्यर्थ है।

(**श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासन हुए**)

सभापति महोदय : श्री भीखूराम जैन।

श्री भीखूराम जैन (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, श्रीमान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सम्बद्ध एक बहुत ही साधारण संकल्प के बारे में अपने मित्रों के विचार बहुत ध्यान से सुन रहा था। मुझे आश्चर्य है कि इस संकल्प की प्रशंसा करने के बजाय वे राजनीति, मतभेद तथा महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत और अपनी पार्टी को बीच में ले आए हैं। अच्छा होता यदि उन्होंने संकल्प में निहित बात के बारे में कुछ कहा होता। महात्मा गांधी को इस युग का महानतम व्यक्ति माना गया है। उन्हें सभी ने राष्ट्रपिता माना है। अब ये राष्ट्रपिता तथा उनकी गलत नीति की बात कर रहे हैं। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। इन्होंने उनके चरित्र के बारे में कहा है जिसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता। संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता ने यह बहुत ठीक कहा है कि पिछले कुछ वर्ष में कुछ ऐसा काम हुआ है जिससे मेरे मित्र श्री तैयब हुसैन ने विवशतावश यह संकल्प प्रस्तुत किया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि बहरलाल ऐसा संकल्प यहां आया तो सही। उन्होंने स्वयं कहा है कि सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जाने अनजाने कोई ऐसा कदम उठाया है जिनको निरस्त किए जाने की आवश्यकता है यदि इसे अनुचित ढंग से उद्धृत न किया जाए जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय, श्री त्रिपाठी जी ने श्री सुखाडिया और अन्य लोगों के साथ पिछली बैठक में कहा है।

अभी दो-तीन दिन पहले क्या हुआ ? राज्यसभा में एक सदस्य ने बिरला भवन में लगे चित्रों के बारे में प्रश्न उठाया था। बिरला भवन अब राष्ट्रीय स्मारक है तथा गांधी स्मृति के नियंत्रणाधीन है। वहां कुछ बहुत ही अशोभनीय चित्र लगे हैं। जिन्हें एक बार इस सदन के ही एक भूतपूर्व सदस्य ने नष्ट कर दिया था। आश्चर्य की बात यह है कि 6000 रुपये खर्च करके इन चित्रों को फिर उन्हीं स्थानों पर लगाया गया है। इसलिए ऐसा लगता है कि वे भावी पीढ़ियों के सामने राष्ट्रपिता की छवि धूमिलक रना चाहते हैं। यद्यपि यह सच है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथामें यूं ही कुछ उल्लेख

[श्री भोखूरमजैना]

किया है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह उनके जीवन का अंग है, और हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि हम लोगों के सामने इन्हें इसी रूप में छोड़ दे ? जैसा कि इन्हें दर्शाया गया है। क्या हम उन लोगों को जो हमारे बाद, 50 या 100 वर्ष बाद होंगे यह बता रहे हैं कि और श्री तैयब हुसैन से यह कहा गया है कि ऐसी बातें यहां दोबारा नहीं कही जानी चाहिए। लेकिन मैं यह देखकर चिन्तित हूं कि जो कुछ पिछली बार कहा गया था उसके बावजूद यह कहने का प्रयास किया गया है कि यह वह बात है जो गांधी जी की पुस्तक में लिखी हुई है ****और इसलिए यह बात सही है। यदि राष्ट्रपिता के जीवन का अंकन करने का यही तरीका है और इसी प्रकार हम उनका आदर करते हैं तो आश्चर्य यह है कि यह सब कैसे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि वे सरकार ने या उन प्राधिकारियों ने नहीं हटाए जो इनके लिए जिम्मेदार हैं तो दो-तीन दिन में मैं स्वयं उन चित्रों को हटा दूंगा। वे चित्र गांधी जी का निरादर करते हैं मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे वहां लगे रहने दिए हैं। मुझे सन्देह है कि वे जान-बूझकर वहां लगाए गए हैं और यह काम पिछले दो-तीन वर्ष में हुआ है।

श्री तैयब हुसैन के पास वे चित्र हैं और मैं उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें सभा पटल रखा जाए ताकि कभी हम यह तो कह सकें कि एक बार हमने ऐसा किया था कि गांधी जी को इस स्थिति में दिखाया था। ये चित्र वास्तविक हैं जो लगभग एक सप्ताह पूर्व उसी स्थान पर लिए गए थे। अतः मैं आपकी अनुमति से इन्हें सभा पटल पर रख रहा हूं।

सभापति महोदय : इसकी जांच की जाएगी।

श्री भोखूराम जैन . आप इनकी जांच करके इन्हें सभापटल पर रख सकते हैं।

मैं पंडित नेहरू के वे शब्द उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर व्यक्त किए थे। मैंने यह अंश मिनट बुक (कार्यवाही पुस्तक)से लिया है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था :

> "व्यक्तिगत रूप से तथा भारत सरकार का प्रधान होने के नाते मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि हम अपनी महानतम निधि की रक्षा करने में असफल रहे हैं।"

और श्रीमन, हम अपने देश की बहुमूल्य निधि को ऐसी इज्जत दे रहे हैं। पंडित नेहरू ने शोक-संदेश में यह भी कहा था :

> "यह बात हमारे लिए कितनी लज्जा की है कि इस शक्तिशाली व्यक्ति को जिसे हमने बेहद इज्जत दी तथा प्यार दिया हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। वे अभी तक

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया

भारत के महानतम प्रतीक थे और मैं तो कहूंगा कि आने वाले भारत के भी महानतम प्रतीक थे ।"

ये शब्द इसी सभा में 1948 में हमारे प्रधानमन्त्री ने इस युग के महान व्यक्ति की मृत्यु पर कहे थे। और अब हम यह भी ध्यान नहीं रखते कि गांधी जी की वस्तुओं को, पुस्तकों को तथा उनकी अन्य यादगार वस्तुओं को कैसे रखें तो उस स्थान को कैसे रखा जाए जो इतना पूजनीय बन गया है। हमें इन सब का जायजा लेना चाहिए ।

पंडित नेहरू ने कहा था :

"यह युग पुरुष अपने जीवन काल में जितना महान था मरने के बाद भी वह महान है और मुझे इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है कि उन्होंने मरकर भी हमें कुछ दिया है जैसे वे जीवन भर देते रहे ।"

इसलिए, सभापति महोदय बहुत आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूं न केवल आज बल्कि यह अच्छा हुआ था कि 1950 में इस सभा में एक अधिनियम पारित किया था, संप्रतीक और नाम का(अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950। इस अधिनियम के अन्तर्गत महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और छत्रपति शिवाजी के नामों के इस्तेमाल पर, कैलेंडरों में छपने वाले चित्रों को छोड़कर, प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह इस देश के इन तीन महान व्यक्तियों की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किया गया था।

मुझे एक छोटी-सी बात कहनी है। हमने गांधी जी का नाम आदरपूर्वक लिया है और गांधी शांति प्रतिष्ठान, और गाँधी स्मृति है। हम निश्चित रूप से कहते हैं कि हम इस महान व्यक्ति की याद को भावी पीढ़ियों के लिए बनाये रखेंगे। वास्तव में क्या हुआ है ? सैकड़ों संस्थाएं बन गई हैं विदेशों से धन आ रहा है। यह धन समाज के गरीब वर्ग की सेवा करने के नाम पर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वास्तव में क्या हो रहा है ? मेरे पास विदेश में एक समाचार पत्र में छपे विज्ञापन की फोटोस्टैट प्रति है और वहां कार्यरत एक संगठन ने विज्ञापन दिया है :

"पीपल ईट व्हाट ही लीव्स ।"

इसकी भाषा इस प्रकार है : 'लोग छोटी-सी धनराशि कमाने के लिए चूहे मारते हैं।" दूसरे पैरा में इस प्रकार कहा गया है :

"वे चूहे के बिल से उसका भोजन निकालते हैं। फिर वे और उनका परिवार उसे खाते हैं। भारत में गाजीपुर के निकट एक गाँव में इस प्रकार की निराशाजनक गरीबी है।"

इस प्रकार का विज्ञापन क्यों छपा है ? क्योंकि वे इन लोगों से पैसा चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि उन लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है और वे चूहों के बिलों से अनाज निकालकर

[श्री भीखूराम जैन]

खाते हैं। ऐसा वे लोग कर रहे हैं जो गांधी विचारधारा का समर्थन करते हैं और गांधी शान्ति संस्था और निधि में कार्य करते हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विज्ञापन 'ओक्सफाम' नामक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण संगठन, द्वारा दिया गया है 'ओक्सफाम' ने हमारे यहां संगठन के लिए करोड़ों रुपया भेजा है। लेकिन यह कोई भी नहीं जानता कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। मेरे विचार में, यह पैसा गांधी कार्यकलापों से भिन्न कार्यकलापों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप कभी वहां जाऐं—काश, कि सभापति महोदय स्वयं वहां जाते—तो आपको मालूम हो जाएगा कि गांधी पुस्तक भंडार द्वारा जो पुस्तकें बेची जाती हैं वे गांधी दर्शन के प्रतिकूल हैं। मेरे पास यहां एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है 'द मैन हू किल्ड गांधी' एक अन्य पुस्तक 'गांधी वध और मैं' गांधी के हत्यारे द्वारा लिखी गई है। एक अन्य पुस्तक गांधी के हत्यारे के भाई द्वारा लिखी गई है। वे पुस्तकें गांधी भवन में बेची जाती हैं। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो वहां किसी ने मुझे बताया कि वे गांधी जी से सम्बन्धित सभी प्रकार का उपलब्ध साहित्य बेचना चाहते हैं। चाहे वह गांधी विचारधारा के अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो।

मेरा निवेदन है कि आज एक अत्यन्त उपयुक्त संकल्प प्रस्तुत हुआ है। यह किसी राजनैतिक गतिविधि अथवा व्यक्तिगत गतिविधि पर रोक लगाने के लिए पेश नहीं किया गया है। कोई सज्जन संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दे रहे थे। यह किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है और निष्कपट है। मैंने इस सम्बन्ध में संशोधन भी प्रस्तुत किया है। इससे यह अभिप्रेत है कि गांधी जी की प्रतिष्ठा को मलिन बनाने का कोई भी प्रयत्न, आशय, योजना अथवा चिन्हों, शब्दों या प्रकाशन द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यवाही प्रज्ञेय अपराध होगा। मैं नहीं जानता कि अब तक यह क्यों नहीं किया गया। हमें अपने राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करनी होगी। गांधी का अर्थ है हमारा राष्ट्र। गांधी का अर्थ है भारत। गांधी का सम्मान हमारे राष्ट्र का सम्मान है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसमें विश्वास नहीं रखता तो उसे सामने आकर कहना चाहिए। लेकिन मेरे विचार में इस देश में ऐसा व्यक्ति ढूंढ़ना मुश्किल होगा जो गांधी जी को उनके दर्शन को न मानता हो, जो गांधीजो को राष्ट्रपिता न मानता हो और जो यह सब बातें सहन कर सकते हो।

मेरा एक बार फिर निवेदन है कि यदि यह अपमान, जो कि एक एसे स्थान पर किया जा रहा है जहाँ कि गांधी जी की हत्या की गई थी, कुछ दिनों के भीतर दूर नहीं किया गया तो मैं स्वयं वहाँ जाकर इसे दूर करूंगा। उसके जो भी परिणाम होंगे मैं निश्चय ही उनको भोगूंगा। मैं यह नहीं सहन कर सकता। मेरा दिल जलता है। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि मेरे इस शहर, दिल्ली, में इस प्रकार की तस्वीर उन लोगों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है जो उस स्थान के अनुक्षरण के लिए जिम्मेदार हैं और इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। यदि इसे दूर नहीं किया गया तो हमें किस अन्य उपाय के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि सरकार इसकी जांच करेगी।

श्री प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, गांधी जी के बारे में जिन लोगों का इस देश के राष्ट्रीय संग्राम से सम्बन्ध है, जिनकी ईमानदारी 100 प्रतिशत इस देश के साथ है, ऐसे लोग गांधी जी को हमेशा ही मानते रहेंगे। गांधी जी की सिर्फ अपने देश के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया के शोषित लोग अपना आदर्श मानते थे।

गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। रैज्यूलूशन उनके बारे में आया है, वह लगता है कि इन्नोसेंट है। लेकिन वह इन्नोसेंट नहीं है। जो रेज्यूलूशन लाया गया है, उसने गांधी जी की फिलासफी को भी डिफीट कर दिया है। गांधी जी विरोधियों को भी चाहते थे, उनका हृदय परिवर्तन कर के अपने साथ लेना चाहते थे,। काम्नीजेबल आफेन्स की बात उनके मन में नहीं होती थी। इस प्रकार का रैज्यूलूशन लाकर गलती हो गयी है। मैं समझती हूं कि रैज्यूलूशन लाने वाले का मन भी आदर से भरा हुआ है। लेकिन दो तीन बातें मैं कहना चाहती हूं। आज जो दुनिया की हालत हर क्षेत्र में हो रही है, आज गांधी जी की ओर जाने वाले, जिन्होंने गांधी जी से नफरत की थी, ऐसे पार्टी के लोग भी गांधी जी का नाम लेते हैं क्योंकि आज दुनिया के सामने जो सवाल हैं, उन्हें हल करने की ताकत गांधी जी की फिलासफी में है और उनकी शिक्षा में थी। गांधी जी के किसी चित्र के नीचे क्या लिखा है, हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पीछे क्या भावना है। यह बात हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। किसी चित्र में गौतम बुद्ध को आम्रपाली के साथ दिखा देने से गौतम बुद्ध का नाम खत्म नहीं हो जाता है। गौतम बुद्ध के एक वेश्या के पास जाने के संबन्ध में उस जमाने में कई लोगों ने उनकी आलोचना की थी।

मुझे लगता है कि यह चित्र वगैरह सब एक बहाना है। गांधी पीस फाउंडेशन और गांधी स्मृति के लोगों ने श्री जय प्रकाश नारायण के आंदोलन को समर्थन दिया था, यह बात सही है। मुझे जो कहानियां बताई गई हैं, उनसे मुझे मालूम हुआ है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब वहां गए और उन्होंने कहा कि मुझे गोडसे की किताब चाहिए। वहां पर जो एक नौकर है, उसने कहा कि यह किताब हमारे यहां नहीं बेची जाती है, मुझे होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बेची जाती है, मुझे चाहिए। उन्हें वहां से यह किताब नहीं दी गई, तो उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाहर से किताब मंगवाई और इस बात पर जबर्दस्ती की कि उन्हें वहां से रसीद दी जाए। (व्यवधान)

श्री भीकूराम जैन : यह सही नहीं है। मैंने भी वहां से पुस्तकें खरीदी हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : गांधी जी ने 1942 में क्रान्ति लाकर हमारे देश को आजाद कराया और हमारे देश में आजादी के लिए उमंग पैदा की। मगर गांधी जी के तपश्चर्या से फायदा उठाने वाले लोगों ने 42वां संशोधन ला कर इस देश को एक बार फिर गुलाम करने की कोशिश की।

[श्रीमती प्रमिला दण्डवते]

मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि आपातकाल में हम लोगों से कहते थे कि उन्हें गांधी जी को याद रखना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अन्याय करने वालों की तुलना में अन्याय सहने वाले अन्याय के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं, इसलिए अन्याय के खिलाफ लड़ो, और ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद आगे चल कर अगर कभी अपनी सरकार भी अन्याय करती है, तो उसके खिलाफ भी निर्भय होकर लड़ो। आपातकाल में जो छोटे छोटे बच्चे गांधी जी के फोटो का बैज लगा कर घूमते थे, उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता था।

मेरी एक फ्रेंड ने पूना में चित्रों की एक एग्जहिबिशन लगाई थी उसमें ऐसा कोई भी अनुचित चित्र नहीं था, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया है। उसमें गांधी जी से संबंधित डांडी मार्च आदि ऐतिहासिक घटनाओं के चित्र थे। लेकिन एग्जिहिबिशन को बैन कर दिया गया। श्री एस० बी० चव्हाण उस वक्त मुख्य मंत्री थे। उन्होंने उस ऐग्जिहिबिशन को बैन कर दिया और उस महिला को गिरफ्तार कराया। इसका कारण यह था कि चूंकि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी की शिक्षा काम में आती है, इसलिए गांधी जी की शिक्षा और चित्रों आदि पर बैन लगा देने से लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठायेंगे।

आज भी लोगों को निर्भर होने की आवश्यकता है। लोग सेंट्रल हाल में और अपने घरों में बातें करते हैं कि जो कुछ हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। इस तरह से वांडिड लेबर बन कर नहीं रहना चाहिए। आज देश के लोकतन्त्र को खतरा है। इसलिए अगर गांधी जी के प्रति सम्मान प्रकट करना है, तो आज जो हालत चल रही है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज देश में स्मगलरों और गुंडों का राज्य चल रहा है। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा ? अगर देश को बचाना है, तो गांधी जी की शिक्षा के अनुसार निर्भय बनो। यह रेजोल्यूशन लाने के बजाय निर्भय बनो और लोकतन्त्र के लिए खड़े हो जाओ और इस सदन में जो कुछ चल रहा है, वह खत्म करो, यह मेरी प्रार्थना है। केवल गांधी जी का नाम ले कर कुछ नहीं होता है।

मुझे पता चला है कि यह हुक्म निकाला गया है कि गांधी स्मृति के द्वारा जयप्रकाश नारायण की किताबें न बेची जाएं, "प्रिजन डायरी" न बेची जाए। यह सरकार श्री जयप्रकाश नारायण के संबंध में कमेटी बनाती है, प्रधान मंत्री उसकी चेयरमैन बनती हैं और श्री जयप्रकाश नारायण की स्मृति में स्टैम्प जारी करती है। दुनिया जानती है कि इस देश में फिर एक बार लोकतन्त्र लाने वाले और जनता के मन में उमंग पैदा करने वाले श्री जयप्रकाश नारायण थे। यह आदेश दिया जाता है कि श्री जयप्रकाश नारायण का लिट्रेचर न बेचा जाए। उनके नेतृत्व को समर्थन देने वाली और उनकी मदद करने वाली जो संस्थाएं हैं। कुछ न कुछ बहाना करके उनके खिलाफ सवाल उठाये जाते हैं। इसीलिए आज यह प्रस्ताव आया है। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : यह गलतबयानी कर रही हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वे सच्चे मानों में गांधी जी का सम्मान करना चाहते हैं, तो वे इस रेजोल्यूशन का विरोध करें और स्वतन्त्रता के लिए अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार रहें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मैं सामान्यतया इस संकल्प की आत्मा से सहमत हूं।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस प्रश्न को चर्चा के लिए यहां सदन में रखा गया है। एक मामले के सम्बन्ध में मैं सदन के सामने अपने आपको दोषी मानता हूं। संयोगवश, मैं गांधी स्मृति की कार्यकारिणी का एक सदस्य हूं, जिसका कार्यालय कभी बिरला भवन होता था। बाद में बिरला परिवार को मुआवजा देकर इसे राष्ट्र को सौंपा गया था। हमने इसे राष्ट्र के लिए अपने नियन्त्रण में लिया था। लेकिन जब हमने इसे अपने नियन्त्रण में लिया उस समय हमने देखा कि वहाँ एक छोटे से मन्दिर में अनेक तस्वीरें पहले ही चित्रित थीं। हमने उन्हें हटाना चाहा क्योंकि हमने महसूस किया कि कुछ लोग इस पर आपत्ति करेंगे। लेकिन कुछेक छोटे से चित्र —एक अथवा दो—ऐसे थे जो वहाँ नहीं होने चाहिए थे, जिन्हें आसानी से और सुविधापूर्वक हटाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए किसी न किसी को निर्णय लेना था जिसके लिए राजनीतिक दृष्टि से काफी हिम्मत की जरूरत थी। अब मैं चाहता हूं कि सरकार उन चित्रों को उचित रूप से हटवा दे। उनमें दो अथवा तीन को संभवतया हटाया जा सकता है अथवा नहीं, इसकी सावधानी से जांच की जानी चाहिए।

दूसरे, सरकार को स्वयं पूर्ण राष्ट्र को यह स्पष्टीकरण देना होगा कि इतने वर्षों तक भी राजधानी में महात्मागांधी की प्रतिमा लगाने के लिए क्या यह सरकार अथवा जनता सरकार अथवा अन्य कोई सरकार असफल रही है। जब पंडितजी जीवित थे तो यह प्रश्न कई बार चर्चा के लिए आया और बाद में भी इस पर चर्चा हुई। जब मोरारजी भाई प्रधानमन्त्री थे तो मैंने यह मामला उनके साथ उठाया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इस समाचार से प्रसन्नता होनी चाहिए कि अन्ततः उन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का डिजाइन क्या होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि महात्मा गांधी की प्रतिमा में उन्हें इस प्रकार खड़ा दिखाया जाना चाहिए जैसे वे आज हमें जान पड़ते हैं, अथवा जब वे 'डांडी मार्च' के लिए जा रहे थे, अथवा प्रार्थना कर रहे थे अथवा चरखा कात रहे थे, आदि। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने निर्णय लिया है, वास्तुविद् का चयन किया है और शीघ्र ही प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। आज तक कोई भी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया लगता और मैं नहीं जानता कि यह सरकार प्रतिमा स्थापित करने में और कितना समय लगाएगी।

वास्तव में, प्रतिमा कहां स्थापित की जाय इस संबंध में कुछ विवाद था। लम्बे समय के बाद, विशेष कर जब हम महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी मनाने का प्रयत्न कर थे उस दौरान हमने आग्रह किया कि शताब्दी वर्ष पूरा होने तक प्रतिमा स्थापित कर दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्थान का चयन किया जाना चाहिए। मेरे विचार में स्थान का अन्ततः चयन

[प्रो० एन जी० रंगा]

कर लिया गया है। इण्डिया गेट के ठीक सामने जहां किंग चार्ज की प्रतिमा होती थी वहां अथवा उसी के आस-पास के किसी स्थान का चयन किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस सदन को यदि संभव हो सके तो आज ही अथवा फिर कभी इस संबंध में निश्चित जानकारी दे।

भारत भर में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं। मुझे विश्वास है ये प्रतिमाएं एक लाख से भी अधिक हैं। अनेक कस्बों में, प्रत्येक मोहल्ले में कोई न कोई प्रतिमा स्थापित की गई हैं। उनकी मरम्मत की भी जरूरत रहती है। लोग प्रतिमा स्थापित करने के अधिक इच्छुक होते हैं लेकिन बाद में उसका अनुरक्षण करने में अधिक दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अनुरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुछ करना होगा। यहां से राज्य सरकारों को सलाह के रूप में कोई अनुदेश जारी किए जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चत हो सके कि जब कभी महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जाय तो वहां के पंचायत बोर्ड अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद या कोई महानगर प्राधिकरण या और प्राधिकरण को यह जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वह उन प्रतिमाओं को उचित हालत में बनाए रखें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दो अथवा तीन महत्वपूर्ण अवसरों पर, जैसे महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर और स्वर्गारोहण दिवस 30 जनवरी को वे प्रतिमाएं उचित ढंग से साफ की जाए, उन हर फूल मालाएं चढ़ाई जाएं और उनके चबूतरे के निकट प्रार्थना की जाए।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। वह यह कि महात्मा गांधी जी के साथ अश्लील ढंग से व्यवहार किए जाने के मामले पर हमें विचार करना होगा। कतिपय पुस्तकें भी ऐसी पाई गई थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में हर प्रकार की बातें लिखीं हैं।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में हमारे सामाजिक जीवन, भारतीयों के सामाजिक जीवन, मानव जाति के सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रयोग किए हैं। कतिपय ऐसे प्रयोग हैं जिनके बारे में अपने बच्चों को बताना अच्छा होगा, और महात्मा गांधी द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों और अच्छे परिणामों का अनुकरण करने में उनकी सहायता करनी होगी। वे उपलब्धियां बच्चों के सामने रखी जानी चाहिए। कतिपय अन्य प्रयोग हैं जिनके परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। वे असफल सिद्ध हुए हैं। जीवन और प्रयोग के ऐसे पहलुओं का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार प्रचार करे। लेकिन सरकार को निश्चय की यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो प्रकाशन, जो फोटोचित्र जनता के सामने रखे जाते हैं उनकी उचित जांच होनी चाहिए तथा सरकार इस स्थिति में हो कि वह यह निर्णय ले सके कि उनमें से किस पहलू का प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए और किस पहलू की नहीं। ठीक आप जैसे विकासात्मक आयु के छोटे बच्चों को उनकी किशोरावस्था से पूर्व अथवा किशोरावस्था के दौरान कुछ प्रकार की फिल्में नहीं देखने देते, वैसे ही महात्मा गांधी जी के कतिपय ऐसे पहेलू हैं, फोटो चित्र हैं जो उस समय लिए गए थे अथवा कुछ कलाकारों की कल्पना से प्रसूत हैं, बच्चों को नहीं दिखाये जाने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजें आम जनता के सामने न रखी जाएं।

क्या हम इसे प्रज्ञय अपराध घोषित कर सकते हैं ? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। सरकार को इस पर विचार करना होगा। मैं नहीं समझता कि सरकार के लिए यहां और अभी यह कहना संभव है कि इन सभी बातों को प्रज्ञेय अपराध घोषित करने जा रही है जिससे इस प्रकार के कलाकारो तथा अन्य व्यक्तियों को सजा दी जा सके। उसे गम्भीरता से उन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि किस ढंग से हमें इन कलाकारों, फोटोग्राफरों, लेखकों तथा अन्य व्यक्तियों को महात्मा गांधी के बारे में अपनी धारणा देश की जनता के सामने रखने की अनुमति देनी है।

मुझे विश्वास है कि इस सदन में इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि महात्मा गांधी किस प्रकार हमारे सम्मान के पात्र रहे हैं और रहेंगे और उनका जीवन वृत्त तथा उपदेश महात्मा बुद्ध और भगवान राम की तरह ही आने वाली पीढ़ियों से सामने रखा जाना चाहिए तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए एक उदाहरण होना चाहिए।

महिलाओं के साथ उनका व्यवहार एक अत्यन्त असामान्य उदाहरण है। हम जानते हैं कि उन्होंने इस दिशा में प्रयोग किए हैं। उन्होंने अपना जीवन एक सामान्य भारतीय पति की तरह शुरू किया जो महिला को पुरुष से कम दर्जा देकर उसके साथ दुखद ढंग से व्यवहार करता है लेकिन अन्त में उन्होंने महिला को न केवल बराबर का दर्जा दिया बल्कि उसके साथ लगभग एक देवी की तरह व्यवहार किया।

इसी प्रकार, बच्चों के सम्बन्ध में भी, महात्मा गांधी की ही तरह राष्ट्र संघ भी बाल दिवस मनाने की बात सोच रहा है। इस वर्ष अपंग दिवस मनाया जा रहा है।

पहले कुष्ठ रोगियों का दिवस मनाया गया, बाद में महिलाओं का और इसी तरह और कई दिवस मनाये गये। ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने इन सभी दिशाओं में हमें रास्ता दिखाया।

वह वे व्यक्ति थे जिन्होंने एक कुष्ठ रोगी की सेवा की थी। कुछ दिन पहले भी हमने इस सदन में बहस की थी और मेरे मित्रों ने मांग की थी कि उन सभी संस्थाओं को, जो हमारे कुष्ठ रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वित्तीय तथा अन्य प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने हमारा मार्ग निर्देशन किया। हम में बहुत से तो कुष्ठ रोगी के नाम से ही घबरा जाते थे। किन्तु ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने एक कुष्ठ व्यक्ति की सेवा की और हम सबको रास्ता दिखाया।

महात्मा बुद्ध चाहते थे कि लोग कई तरह से मानवीय ढंग से व्यवहार करें। महात्मा गांधी वास्तव में उस रास्ते पर चले और लोगों को भी यह रास्ता दिखाया और दिखाया कि केवल मनुष्यों का ही आदर, प्यार और कदर नहीं होनी चाहिए बल्कि जानवरों का भी आदर किया जाना चाहिए और उनसे प्यार किया जाना चाहिए। यही नहीं, पेड़-पौधों का भी बड़ा सम्मान किया जाना चाहिए। ये सभी दिशाएं दिखाने वाले एकमात्र महात्मा गांधी ही नहीं थे।

[प्रो० एन० जी० रंगा]

इन दिशाओं के लिए भारतीय परम्परा स्वयं में अद्वितीय है। महात्मा गांधी ने इन सभी में अपनी जान डाल दी और हम सबको यह महसूस करवाया कि हम प्राकृतिक तौर पर एक ही हैं, जो कुछ भी यहां है वह सब एक ही है चाहे वह सजीव हो अथवा निर्जीव। एक बार उनसे पूछा गया था कि क्या वह यह मानते हैं कि पत्थरों में भी जीवन है उन्होंने कहा, "जी हां, क्यों नहीं ? प्रत्येक वस्तु में जीवन है" और वह भी हमारी परम्परा का ही एक अंग है। हमारे घरों के मनुष्य और महिलाएं अपने बच्चों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से भूमि को भी नहीं मानने देते हैं वे। उन्हें धरती माता से माफी मांगने और धरती माता का आदर करने के लिए कहते हैं। इस तरीके से महात्मा गांधी ने हमारे सामने जीवन के कुछ महान आदर्श प्रस्तुत किए और यही कारण है कि हम महात्मा गांधी से प्यार करने को बाध्य हैं और हम उन्हें प्यार करते रहेंगे।

मैं तहे दिल से यह आशा करता हूं कि सरकार यहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना हेतु यथासम्भव शीघ्र कदम उठाएगी और देश भर के सभी नागरिक संगठनों को आवश्यक सलाह भी देगी कि महात्मा गांधी की मूर्तियों से प्यार करें और उनके विचारों का प्रचार भी करें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) सभापति महोदय, मैं संकल्प के शब्दों का विरोध करता हूं:

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि को किन्हीं संकेतों, शब्दों अथवा प्रकाशनों द्वारा बिगाड़े जाने को संज्ञेय अपराध बनाया जाये।"

सभापति महोदय, मैं इस रिजोल्यूशन के सैंस और कान्सैंपशन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं कान्निजीबल आफैंस के मामले में खास तौर से शुरू में ही कहना चाहता हूं कि इस रिजोल्यूशन के विरोध करने का मकसद यह नहीं कि मैं महात्मा गांधी की इज्जत नहीं करता हूं या उनका विरोध करता हूं, बल्कि सिद्धान्तत देश की आजादी की लड़ाई में एक तरफ महात्मा गांधी जी ने अगर इस देश की आजादी को नेतृत्व दिया था तो दूसरी तरफ इस देश की आजादी के लिए सैकड़ों-हजारों नौजवानों, किसान-मजदूर और हमारे भाइयों और बहनों के पतियों ने बलिदान दिया था। यह बात सही है कि महात्मा गांधी ने नेतृत्व दिया था। कल किसी भी नेता के बारे में इस हाउस में मामला उठा सकते हैं, चाहे वह पंडित जवाहर लाल नेहरू हों, श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में हो या किसी और गांधी के बारे में हो, स्व० संजय गांधी के बारे में हो या श्री राजीव गांधी के बारे में हो, किसी भी गांधी के बारे में हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी पालिसी नहीं होनी चाहिए कि एक-एक देश के नेताओं के बारे में रिजोल्यूशन आए और दूसरे नेताओं के बारे में छूट हो और उनके बारे में जो चाहें करें।

एक बार गांधी जी ने कहा था कि पाप से नफरत करनी चाहिए, पापी से नहीं। उनके पूरे जीवन का जो उद्देश्य था वह किसी से बदला लेना नहीं था। मैं खास तौर से···(व्यवधान) मैं इस मामले पर इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि कान्स्टीयूशन में हमारे मुल्क में लोगों को आजादी है, डिफ्रेंट ओपिनियन रखने की, आलोचना करने की। इस रिजोल्यूशन का कल गलत इस्तेमाल

हो सकता है, जिसमें हमारी जमहूरियत को खतरा पहुंच सकता है]। मान लीजिए कल मैं हो या कोई भी आदमी किसी विचारधारा को मानने वाला हो, वह गांधी जी की विचारधारा का समर्थन नहीं करता है।

सभापति महोदय : विचार धारा की बात नहीं है, इमेज की बात है।

श्री जगपाल सिंह : मैं पब्लिकेशन और वर्ड के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में बाबा साहिब अम्बेडकर और गांधी जी दोनों गए थे। दोनों की ओपिनियन बिलकुल डिफेंट थी। गांधी जी कुछ कहें और बाबा साहिब अम्बेडकर कुछ कहें और जब लोग बाबा साहिब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं तो उसमें गांधी जी की चर्चा जरूर आती है।

सभापति महोदय : जगपाल सिंह, इमेज और बातचीत दोनों अलग बातें हैं।

श्री जगपाल सिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसकी लैंग्वेज बड़ी वाइड और वेग है। आप उनकी मूर्ति के प्रति या किसी प्रकार के अपशब्दों के संबंध में प्रस्ताव को संशोधित कीजिए, लेकिन जो इस प्रस्ताव में दिया गया है उन शब्दों को निकालिए। आप जानते हैं हिन्दुस्तान में कम्यूनिस्ट पार्टी है, अन्य क्रांतिकारी हैं जो गांधी जी की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मेरा कोई "वाद" नहीं है, मैंने तो दुनिया से सीखा है। यहां तक कि गांधी जी ने स्वयं जब कांग्रेस पार्टी कुछ दिन शासन में रह चुकी थी, तो कहा था कि ये लोग मेरी विचारधारा के खिलाफ चल रहे हैं, जो मुझे एक झाड़ू देने वाले के बराबर भी नहीं समझते हैं। उस समय का शासन गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ काम कर रहा था। गांधी जी चाहते थे कि देहात की गरीब जनता के हित में काम किया जाय, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी उस विचारधारा पर नहीं चली। उसी पार्टी के सदस्य आज इस प्रस्ताव को लेकर यहां आये हैं जब कि गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ चलने वाली इस सरकार को सत्ता में रहने भी का अधिकार नहीं है। जो हमेशा गांधी जी के नाम पर जनता से वोट लेते रहे, लेकिन गांधी जी के सिद्धान्तों के खिलाफ चलते रहे, जिन्होंने सिद्धान्तों को ही तिलांजलि दे दी·····

एक माननीय सदस्य : चौ० चरण सिंह ने दी है।

श्री जगपाल सिंह : चौ० चरण सिंह के बराबर गांधी जी की आइडियोलाजी को मानने वाला दूसरा नहीं हो सकता। वे आज भी देहात के प्रश्न को लेकर चल रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि इसके पास कर देने से कहीं किसी प्रकार का डिस्क्रीमिनेशन पैदा न हो जाय। गांधी जी की जो इमेज है, जो श्रद्धा और सम्मान उनके प्रति हमारे दिल में है, इस प्रस्ताव के पास करने के बाद कहीं कोई सिरफिरा आदमी कोई गलत कदम न उठा दे। दुनिया में गांधी जी के अलावा और भी बड़े-नड़े नेता हुए हैं, यद्यपि उनके विचार गांधी जी से मिलते नहीं थे, लेकिन वे गांधी जी की अपार इज्जत करते थे। इसलिए सब के साथ एक-सा व्यवहार होना चाहिए। इसी लिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री तैयब हुसैन जी की सराहना करता हूं। उन्होंने इस प्रस्ताव को इस समय यहां ला कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन और राष्ट्र का ध्यान दिलाने की कोशिश की है।

सवाल यह नहीं है कि इस प्रस्ताव के पास हो जाने से या इस प्रस्ताव पर इस सदन की मोहर लग जाने से यह कागनिजिबिल आफेन्स हो जायेगा। यह तो एक भावना है जो इस प्रस्ताव के द्वारा सरकार को दी जा रही है। आप लोग कहते हैं कि जब कोई कानून बनेगा या इसको आफेन्स में शामिल किया जायगा तो यह "ओपन टु दि कोर्टस" होगा। मैं भी यही बात कहता हूं। तब फिर इसमें घबराने की क्या बात है। हमारे विरोध पक्ष के भाई कुछ इस तरह की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इस पक्ष की ओर से कोई ऐसी बात लाई जा रही है या श्री तैयब हुसैन की ओर से ऐसी बात लाई जा रही है जिसमें विरोध को खत्म करने के लिये कोई कार्यवाही हो रही हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि कुछ संस्थाओं द्वारा ऐसे काम किये जा रहे हैं, उनकी गति विधियां कुछ इस प्रकार की हैं जिन पर आपत्ति है। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्र की कुछ मान्यतायें हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आदर्श हैं जिनको ले कर हमारी सरकार चल रही है। यह ठीक है कि बहुत से लोगों का गांधी जी की विचारधारा से इख्तिलाफ रहा है, लेकिन उस के बावजूद भी वे दिल से उन का सम्मान करते थे, इस लिए कि गांधी जी ने सारे राष्ट्र को अहिंसा के रास्ते पर ला कर खड़ा कर दिया था और उस समय एक ऐसे राज्य से टक्कर ली जिसका सात-समुद्र पार राज्य था। जिसके शासन काल में सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे व्यक्ति के प्रति कुछ गलत भावना पनपे, जिसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उस की इमेज को धूमिल किया जाय यह उचित नहीं है। हमारे देश में ऐसे अनेक क्रान्तिकारी हुए हैं जिन्होंने गांधी जी की विचारधारा का खण्डन किया था, लेकिन वे भी उनके सामने नतमस्तक हुए हैं। उन्होंने भी माना है कि महात्मा गांधी एक ऐसे राष्ट्रपुरुष हैं जो सारे राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं।

उस व्यक्ति के प्रति कम से कम हमें श्रद्धा की बात करनी चाहिए। बड़े खेद की बात है, जैसा कि मैं देख रहा हूं, इस किताब में "द मेन हू किल्ड गांधी" में नाथू राम गोडसे की उक्तियां दी गयी हैं। इसकी एक उक्ति यह है जो कि मैं चेप्टर दो में से पढ़कर सुनाता हूं।

> "कोई ऐसी कानूनी प्रणाली नहीं है जिसके द्वारा (गांधी) को दण्ड दिया जा सके मैंने महसूस किया कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होने देनी चाहिए।"

ये बातें हैं जिनका ऐसी किताबों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी को अपना जीवन पूरा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उनकी हत्या होनी चाहिए। अगर इस तरह की किताबों में इस तरह की उक्तियां हों और उन्हें गांधी स्मारक निधि द्वारा चलाये जा रहे पुस्तकालयों में रखा जाय और उसके बिक्री

केन्द्रों द्वारा बेचा जाय तो यह देश के लिए बहुत अहितकर होगा। इस किताब के एक दूसरे चेप्टर में गोडसे की एक बात और कही गयी है जिसे मैं पढ़कर सुना देता हूं :

"जहां तक अहिंसा का प्रश्न है यह सोचना ही हास्यास्पद था कि 40 करोड़ लोग इतने ऊंचे आदर्शों पर अपना जीवन ढाल लेंगे।"

अहिंसा हमारे देश की एक थाती है, एक चिंतन है, एक परम्परा है, एक आधार है। अगर इसकी जड़ खोदने के लिए कोई प्रयत्न करे और गांधी जी के नाम से तो करे आपको यह समझना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

जिस जड़ को गांधी जी ने मेहनत से सींचा, अपने खून पसीने से पनपाया उस जड़ पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस को आपको समझना चाहिए। इस प्रस्ताव में यह जो बात कही गयी है कि राष्ट्र के चिन्हों और राष्ट्रपिता का जो अपमान करे उसके बारे में जरूर कार्यवाही होनी चाहिए। अगर सरकार यह व्यवस्था नहीं करेगी तो हमारी जो ये परम्पराएं हैं, या थातियां हैं उनको तोड़ दिया जायगा। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि उन्हीं के नाम से बनी संस्था में ऐसी किताब बिके। हम इस प्रस्ताव के द्वारा किसी विचारधारा को खत्म नहीं करना चाहते हैं। (व्यवधान) हमारे किसी की विचारधारा से मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम जयप्रकाश जी का आदर करते हैं। जयप्रकाश नारायण स्मारक निधि की स्वयं हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी अध्यक्षा हैं। वह उनका आदर करती हैं तभी तो वे उसकी अध्यक्षा हैं। (व्यवधान) आपकी तरफ से यह बात आयी थी, मिसिज दंडवते ने यह कहा था। अगर ऐसी बात होती तो इन्दिरा जी उस का अध्यक्षा होना पसंद नहीं करतीं। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे उनका भी आदर करती हैं।

इसके द्वारा हम यही चाहते हैं कि राष्ट्र का जो चिंतन है, जो परम्पराएं हैं, अहिंसा का जो वातावरण है जिसको गांधी जी ने पूरी मेहनत के साथ देश में बनाया था उस सब को खत्म करने की किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश-विदेश से धन ले कर और गांधी जी का नाम ले कर इस प्रकार की किताबों का, साहित्य का, ऐसे चित्रों का, माडलों का प्रदर्शन करती हैं। जो भी इस प्रकार का प्रदर्शन करती हैं, या इस प्रकार का साहित्य सृजित या विक्रय करती हैं जिससे कि हिंसा की भावना देश में बढ़ती है तो उनको इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। इससे देश का नुकसान हो सकता है।

इसलिए मैं सदन के सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इसकी भावना को समझें और तैयब हुसैन जी के प्रस्ताव को स्वीकार करें और मन से यह बात स्वीकार करें कि गांधी जी का रास्ता ही सही है, वही ही ठीक रास्ता है ; अहिंसा का रास्ता ही ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

* **श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं अपने दल, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, की

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री ईश मोहन]

ओर से श्री तैयब हुसैन के इस संकल्प पर कि सरकार से इस सदन के माध्यम से सिफारिश करता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि को किन्हीं संकेतों, शब्दों अथवा प्रकाशनों द्वारा धूमिल करने को संज्ञेय अपराध बनाया जाए, कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने प्रारम्भिक भाषण में मेरे माननीय मित्र श्री तैयब हुसैन ने इन भावनाओं का सजीव चित्रण किया है जिससे कि यह संकल्प लाने का उनका इरादा बना। श्री रंगा और अन्य माननीय सदस्यों ने देश की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है और सदन के समक्ष प्रस्तुत संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु सरकार पर जोर दिया है।

यद्यपि राज्य सरकारों ने विज्ञापनों में राष्ट्रीय नेताओं के नामों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है तथापि देश के बहुत से भागों में आप यह देख सकते हैं कि दुकानों और होटलों में महात्मा गांधी का नाम प्रदर्शित किया जाता है तथा महात्मा गांधी बीड़ी, तम्बाकू आदि का ब्रांड नाम भी बन गया है। सरकार को हमारे राष्ट्रीय नेताओं के नामों के इस प्रकार के दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस और दक्षिण भारत के अन्य नेताओं जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया, जैसे राजाजी, अंथायी पेरियोर, नौवहन में अग्रगामी श्री वा० वी० चिदाम्बरम पिल्लयी को हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाना चाहिए। भावी पीढ़ियों को उनकी हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण कद्र करनी चाहिए और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों लिए उनके नामों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे श्रद्धेय नामों का प्रयोग पक्षपातपूर्ण ढंग से लेने के प्रयास किये जाते रहे तो भारत का नाम नीचा होगा। सरकार को ऐसी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। वास्तव में, सरकार का यह दायित्व है कि हमारे राष्ट्र की इन महान हस्तियों के सम्मान की रक्षा करे।

हाल ही में महात्मा गांधी के जीवन पर सर एटैनबरो की फिल्म पर काफी गरमा गरम बहस हुई थी। मैं न तो विरोधियों में ही था और न ही समर्थकों में। अगर महात्मा गांधी के जीवन को उचित रूप से फिल्माया जाता है तो सम्पूर्ण विश्व उपनिवेश देशों की स्वतन्त्रता हेतु महात्मा गांधी के योगदान के बारे में जान जाएगा। अगर इस फिल्म में घटनाओं को उचित ढंग से तथा महात्मा गांधी के विचारों को उचित ढंग से समझे बिना फिल्माया गया तो यह स्वाभाविक है कि विश्व के बहुत से लोगों में गलत धारणाएं बन जायेंगी। इस मामले में हमें अपने राष्ट्र की शान की रक्षा करनी चाहिए। जो कुछ मैंने समाचार पत्रों से पढ़ा और जो कुछ मैंने हाल ही में विजय चौक पर फिल्माये गए महात्मा गांधी की शव यात्रा के दृश्य को देखने वालों से सुना, मैं समझता हूं कि इस दृश्य से इस जबरदस्त व्यक्ति की मृत्यु के कारण राष्ट्र को हुई हानि की भावना उजागर नहीं होती। वे तो हंस रहे थे, मुस्करा रहे थे और आपस में मजाक कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कि वे चहल-कदमी करने आये हों। स्वाभाविक है कि दर्शक महात्मा जी के जीवन के इस अन्तिम दृश्य की सही भावना को नहीं समझेंगे। भारत सरकार को इस फिल्म के ऐसे दृश्यों की सावधानी पूर्वक

जांच करनी चाहिए। और इस फिल्म को विश्व में प्रदर्शन की अनुमति देने से पहले ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि महात्मा गांधी के जीवन को उचित भावना से प्रदर्शित किया जा सके।

जैसा कि मैं प्रारम्भ में कह रहा था कि महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के नामों का प्रयोग दुकानों और होटलों के विज्ञापनों में हो रहा है और इन्हें उत्पादों के ब्रांड नामों के तौर पर भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आजकल, राजनैतिक दल भी, जो कि निर्धारित सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर संगठित होते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के नाम लिए होते हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में तो नहीं जानता किन्तु तमिलनाडु में, महात्मा गांधी और कामराज के नाम पर एक राजनैतिक दल है। अकेले कामराज के नाम पर ही एक राजनैतिक दल है। अरिगनार अन्ना राजनैतिक दल का एक उपसर्ग बन गया है। कल मेरे माननीय सहयोगी श्री सुब्रहमण्यम स्वामी अन्ना डी० एम० के० और अम्मा डी०एन०के० के बारे में बोल रहे थे। वे तमिलनाडु के द्रविड़ आंदोलन के बारे में नहीं जानते। अन्ना, डी० एम० के० के संस्थापक-सदस्य थें। वे अपने विचारों की सम्पत्ति केवल डी० एम० के० में ही छोड़ गए। किन्तु दूसरा दल अन्ना का केवल नाम ही लेता है उनके विचारों पर नहीं चलता।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : कांग्रेस (ई) से क्या अभिप्राय है ?

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : यह भिन्न बात है। तमिलनाडु में व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय नेताओं के नाम सीधे ही प्रयोग किए जा रहे हैं। किसी राजनैतिक दल के लिए महात्मा गांधी के नाम अथवा कामराज के नाम अथवा अन्ना के नाम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए कि राष्ट्र के महान नेताओं के नामों को इस ढंग से संकेतों द्वारा अथवा शब्दों द्वारा अथवा प्रकाशनों द्वारा अनादर अथवा बदनाम नहीं होने दिया जाये। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति महोदय : श्री गाडगिल, अपनी बात संक्षेप में कीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : अहोदय, मैं अपनी बात संक्षेप में करने का प्रयास करूंगा। परन्तु आपको मेरे प्रति थोड़ा कृपालु होना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस बात को प्रमाणित करना है कि मैंने यह संशोधन प्रस्ताव क्यों पेश किया है मैंने यह संशोधन इस लिए पेश किया है कि इस विषय पर एक जांच आयोग स्थापित किया जाए। गांधीजी के नाम पर चल रही अनेक संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों और पार्टी की गति विधियों का अड्डा बन गई हैं। मैं ऐसी एक या दो संस्थाओं का उल्लेख करूंगा।

सर्वप्रथम मैं इस सम्बन्ध में गांधी शांति स्मारक का नाम लेना चाहूंगा जिसे श्री राधाकृष्ण द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे दुःख है कि श्रीमती दंडवते इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं अपने दल की किसी समाचार पत्रिका अथवा पत्रिका से कोई उद्धरण नहीं दूंगा। बल्कि मैं ऐसी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के लेखों का उद्धरण दूंगा। जिनका मेरे दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

[श्री वी० एन० गाडगिल]

इन पत्रिकाओं। समाचार पत्रों में इस संस्था के बारे में प्रकाशित हुआ है। श्री राधाकृष्ण का नाम एक पत्रिका में छपा है।

गांधी शांति प्रतिष्ठान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। 221/223 दीनदयाल उपाध्यक्ष मार्ग, जहां एक स्मारक स्थित है, भारत सरकार ने एक उपहार के रूप में इस संस्था को दिया था। इसमें दो बंगले भी शामिल हैं। उपहार देते समय यह शर्त लगाई गयी थी कि इस स्थल से किसी पंजीकृत, अपंजीकृत अथवा वाणिज्यिक संस्था या गतिविधि का संचालन नहीं किया जायेगा। इसका उद्देश्य था कि इस स्थल में गांधी दर्शन के लिए सहायक गतिविधियों का संचालन किया सके। अब क्या होता है ?

आज अनेक संस्थाएं ऐसी हैं—मेरे पास ऐसी संस्थाओं की एक लम्बी सूची है, मैं इस पूरी सूची को नहीं पढ़ूंगा। परन्तु मैं इसमें से कुछेक का उल्लेख करूंगा।

1. वोलन्टरी ऐक्शन सेल
2. इंडियन कौंसिल फार पीस रिसर्च
3. कंसोर्टियन आन रूरल टैक्नोलोजी
4. सीडिना फाउंडेशन
5. क्लीरिंग हाउस कम इंफारमेशन सेन्टर आन रूरल डिवेलपमेंट
6. पिपुल्ज यूनियन फार सिविल लिबरटीज
7. कोआर्डिनेटिंग कमेटी फार स्ट्रेंगथनिंग डेमोक्रेसी

ऐसी अनेक पंजीकृत और अपंजीकृत सोसायटियां हैं.....

सभापति महोदय : श्री गाडगिल, और बेहतर होगा यदि आप किसी व्यक्ति का नाम न लेकर संगठन का ही नाम लें।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं केवल समाचारपत्रों से ही उद्धरण दे रहा हूं। ये एसोसिएशनें पंजीकृत अथवा अपंजीकृत सोसायटियां हैं। और ये उन शर्तों के विरुद्ध अपनी गतिविधियां चला रही हैं जिनके तहत इस प्रतिष्ठान को यह भूमि उपहार स्वरूप दी गई थी। मैंने श्री राधाकृष्ण के नाम का उल्लेख किया था जो कि अनेक संस्थाओं से संबद्ध हैं .....

सभापति महोदय : आप केवल विषयवस्तु का ही उल्लेख करें। आप किसी का नाम क्यों लेते हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं केवल समाचारपत्रों से उद्धरण दे रहा हूं।

सभापति महोदय : आप नामों का क्यों उल्लेख करते हैं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : चूंकि यह उसी व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हैं इसलिए मैं उसके नाम का उल्लेख करूंगा ।

सभापति महोदय : वे यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मोजूद नहीं हैं ।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं आपकी बात समझता हूं । मैं समाचारपत्रों में प्रकाशित लेखों से उद्धरण दे रहा हूं । इसमें अवमानना की कोई बात निहित नहीं है । मैं केवल एक जांच समिति गठित किये जाने की मांग कर रहा हूँ। संशोधन पेश करने का मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जबकि संस्थाएं अथवा संघ गांधी जी के नाम पर अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और यदि वे गांधीवादी सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो सरकार को इनकी छानबीन करनी चाहिए ।

महोदय, इस व्यक्ति का विभिन्न संस्थाओं के साथ संबंध है । मैं ऐसी 49 संस्थाओं के नामों की सूची पेश कर सकता हूं । इनमें से 20 के नाम तो संसद के कार्यवाही वृतांत में शामिल हो चुके हैं । उदाहरण के तौर पर, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि विभिन्न संस्थाओं को धन भेजने वाले बाहर के देशों की संख्या क्या है । मैं इसी समय इस प्रकार की कुछ संस्थाओं का उल्लेख करूंगा । "ए० बी० ए० आर० डी०" नामक एक एसोसिएशन को ई० जेड० ई० बोन से 1979 से 44,55,589 रुपये प्राप्त हुए हैं , डेनिडा-डेनमार्क से 1,44,000 रुपये तथा पुनः ई० जेड० ई० बोन 15,63,215 रुपये और फोर्ड फाउंडेशन से 6,14,250 रुपये प्राप्त हुए हैं। विभिन्न संस्थाओं को इस प्रकार से धन दिया जाता है । गाँधी शांति प्रतिष्ठान में क्या चल रहा है ? राजनैतिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है ? इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त है । श्री मोरार जी देसाई को प्रधान मंत्री चुनने के लिए पहली बैठक इसी अहाते में हुई थी । इस स्थल का प्रयोग पार्टी कार्यों के लिए नहीं किया जाना था । इसी तरह से पार्टी कार्यों के लिए इस प्रतिष्ठान का इस्तेमाल किए जाने की शुरुआत हुई ।

एक अन्य संस्थान है एकेडमी आफ गांधीयन स्टडीज । इसका कार्यालय तिरुपति और हैदराबाद में है मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात के लिए छानबीन करे कि इस संस्था को कौन चला रहा है, कहां से यह धन मिलता है और कौन-कौन व्यक्ति इस संस्था से संबद्ध हैं क्या उन्हें विदेशों से धन प्राप्त हुआ है ? .

इस संस्था द्वारा भी गतिविधियों का सन्चालन किया जाता है । यह राष्ट्र के हित में नहीं है और इस प्रकार से महात्मा गांधी के दर्शन के विरुद्ध है । भारत सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार भारत में बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या 2 लाख है । इस संस्था ने भी एक सर्वेक्षण किया था जिसके अनुसार यह संख्या 24 लाख बताई गई थी । इन सभी आंकड़ों को कम्प्यूटर

[श्री वी० एन० गाडगिल]

प्रक्षियन हेतु, पश्चिम जर्मनी भेज दिया गया है। क्या यह कार्य गांधीवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है ? क्या इस प्रकार की गतिविधि गांधी जी के नाम की आड़ में की जानी चाहिए ?

एक अन्य संस्था है गांधी स्मारक निधि। गांधी जी का मूल सिद्धान्त था सत्य और कानून के प्रति आदर। उन्होंने कमजोर वर्गों के लिये काम किया। अब गांधी स्मारक निधि ने गेस्ट कीन विलियम्ज लिमिटेड, ब्रेथवेटे कम्पनी, हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, बिन्नी लिमिटेड, डनलप इंडिया लिमिटेड, सिमन्ग इंडिया लिमिटेड, लारसन एंड टुबरो क० लिमिटेड इत्यादि कम्पनियों में धन लगाया हुआ है।

क्या एकाधिकार घरानों में धन लगाना गांधी दर्शन के अनुरूप है ?

एक संस्था का नाम गांधी स्मारक संग्रहालय है जिसका श्री भीखुराम जैन ने अभी-अभी हवाला दिया था। उस संस्था में क्या चल रहा है ? यहां चल रही गतिविधियां श्रमवर्ग और जन-साधारण के लिए अहितकर है। मैं दिनांक 8 फरवरी 1981 की 'रविवार' पत्रिका में प्रकाशित एक लेख से दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा–जिसमें कहा गया है :

> "कुछ बातें तो साफ दिखाई देती हैं, जैसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, प्रतिष्ठान के भवन का विधि विरुद्ध इस्तेमाल, वहां सम्पन्न हुए कामों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठान के साधनों का स्पष्ट दुरुपयोग इत्यादि। प्रतिष्ठान की कार्य पद्धति में अनियमितताओं और विधि उल्लंघनों की तो पूरी एक श्रृंखला है।"

इसके अतिरिक्त :

> उदाहरण के लिए एक संगठन एक होटल चलाता है जिसे यद्यपि हास्टल कहा जाता है लेकिन आधार व्यवसायिक है।

इसमें आगे कहा गया है :

> हाल ही में प्रतिष्ठान ने दो व्यक्तियों से 25 हजार रुपये दान के रूप में प्राप्त किये। यह रकम वस्तुत: "सिटिजन फार डेमोक्रेसी" को दी जानी थी और उसे ही मिली भी लेकिन प्रतिष्ठान के रास्ते से, क्योंकि प्रतिष्ठान के दाताओं को प्रदत्त रकम पर आयकर की छूट मिलती है। क्या यही गांधी जी का रास्ता है ? गांधी शान्ति प्रतिष्ठान का होटल और कैंटीन पिछले 16 वर्षों से चल रहे हैं। सालाना बिक्री है लगभग तीन लाख रुपये। लेकिन 1974 तक इसकी कोई भी आडिटशुदा रिपोर्ट नहीं पेश की गयी थी।

इसमें आगे कहा गया है :

उदाहरण के लिए प्रतिष्ठान के कुछ व्यक्ति गांधी बुक हाउस का काम करते हैं। और उन्हें पैसा दिया जाता है दिल्ली तत्व प्रचार केन्द्र की ओर से

और

बताया जाता है कि किसी विदेशी संस्थान से चार गाड़ियां तीन मैटाडोर और एक स्टेशन वैगन प्राप्त हुई थीं लेकिन इनमें से एक भी गाड़ी अब गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में नहीं है।

इसमें फिर कहा गया है :

एक बार तो यहां तक हुआ कि कर्मचारियों की यूनियन को रजिस्टर होने से रोकने के लिए प्रतिष्ठान के लोगों द्वारा सम्बद्ध सरकारी अधिकारियों को घूस भी दी गई।

इस संस्था के लोगों ने रिश्वत दी। यदि ये सब कार्य किए जा रहे हैं तो क्या यह जांच आयोग बिठाने का मामला नहीं बनता ? मैं एक और बात कहूंगा। एक बार श्री ज्योतिर्मय बसु ने वर्ष 1977 में इस सदन में नियम 377, विशेष उल्लेख के अन्तर्गत एक हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि ए० वी० ए० आर० डी० के खिलाफ हुई जांच राजनैतिक भावना से प्रेरित थी। उन्होंने कहा था कि वे लोग बहुत ही भोले व्यक्ति हैं और वे कोई गलत कार्यों में नहीं हैं। श्रीमती गांधी की सरकार ने बदले की भावना से यह जांच कराई थी। ऐसा उन्होंने 1977 में कहा था। परन्तु आज मुझे इन तथ्यों का पता चला है। मैं सर्वोदय प्रेस सर्विस खण्ड-2, भाग 48, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 से उद्धरण दे रहा हूं। सर्व सेवा संघ के एक भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनमोहन चौधरी ने कहा है कि :

"पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में जिन एजेन्सियों के कार्य करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनमें ए० वी० ए० आर० डी० (द एसोसियेशन आफ वोलन्ट्री एजेन्सीज फार रूरल डिवलपमेंट) और टैगोर सोसायटी फार रूरल डिवेलपमेंट शामिल हैं।"

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। केवल एक वाक्य और। अत: मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि ये मेरे संशोधन को स्वीकार करें और ऐसी सभी संस्थाओं के कार्यकरण की जाँच के लिए जांच आयोग नियुक्त करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय सभापति जी, मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि महात्मा गांधी इस देश के करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श थे और इस शताब्दी में देश के लिए अगर उन्हें अणुशक्ति भी कहा जाये तो मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी को अगर कोई इस देश में अपमानित करने की कोशिश करता है तो वह नाकाबिले बर्दाश्त है। महात्मा गांधी की इज्जत के नाम पर किसी संस्था से राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए अगर कोई भावना इस प्रस्ताव के पीछे छिपी हुई है तो उससे ज्यादा कोई निन्दनीय और गन्दी भावना नहीं है।

यह महात्मा गांधी का देश है। इस देश में आदिवासियों के मुंह पर चलती हुई गोलियां, हरिजनों की सामूहिक हत्या, मजदूरों पर चलती हुई गोलियां, कर्नाटक के किसानों पर चलती हुई गोलियां, क्या यही महात्मा गांधी का आदर्श है? महात्मा गांधी के देश में इससे ज्यादा गांधी का अपमान और कोई नहीं हो सकता।

सभापति महोदय : आप रैज्यूलूशन के बाहर बोल रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वह भी अपमान है। साइंस वर्ल्ड आया है। अगर चिन्हों से और इशारों से कहा जाता है तो वह भी गांधी जी का अपमान है।

महात्मा गांधी को अगर मान देना है तो इस को सोचना चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि महात्मा गांधी के नाम को आपने जिन गांधी आश्रमों के बोर्डों पर लगा रखा है, उन आश्रमों की हालत भी देखिये। वहां पर नकली कपड़े बिकते हैं, ऊनी कपड़ों में सूती कपड़ा मिलाकर बेचा जाता है। तेल और शहद में भी मिलावट होती है। यह सब चीजें भी गांधी जी का अपमान है, उनके नाम का अपमान है। अगर कहीं महात्मा गांधी की मूर्ति अपमानित की जाये, कहीं डा० अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और महात्मा बुद्ध की मूर्ति अपमानित की जाये तो उसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। सारे महापुरुषों को एक ही इज्जत और प्रतिष्ठा से रखा जाना चाहिए। इस देश में महात्मा गांधी के फर्ज के नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश की जाये तो उसको भी मिटाना चाहिए। महात्मा गांधी महान थे और जितने और लोग महान थे, उनको अपमानित करने का अगर कोई प्रयास किया जाता है तो वह राष्ट्र का अपमान है हर व्यक्ति का अपमान है। सारे राष्ट्र के महापुरुषों को मानव सम्मान मिले, ऐसा होना चाहिए। इस रैज्यूलूशन के पीछे कोई दुर्भावना न हो। श्री जयप्रकाश नारायण भी इस देश के उन क्रांतिकारियों में रहे हैं, जिनको आज भी देश के करोड़ों लोग इज्जत देते हैं। अगर उस भावना को दुर्भावना में लाने की कोई कोशिश की जाती है तो इस आदर्श का विरोध ही नहीं निन्दा भी हम करेंगे।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : चेयरमैन साहब, आज भारत ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया इस बात को कुबूल करती है कि गांधीजी ने जो अहिंसा का रास्ता दिखाया, उसी रास्ते पर चल कर लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। श्री तैयब हुसैन ने जो रेजोल्यूशन रखा है, उसका मकसद यह है कि ऐसी किताबों या तस्वीरों की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिनसे गांधी जी की प्रतिष्ठा गिरे या उनके आदर्शों पर धब्बा लगे। यह रेजोल्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। हमने महात्मा गांधी को बापू के नाम से जाना है। यह सही है कि हम उनकी पीढ़ी के नहीं हैं। हम उस पीढ़ी से आते हैं, जिसने महात्मा गांधी को किताबों और इतिहासों के पन्नों से जाना है। लेकिन हमें उनके आदर्शों और उनके बताए हुए रास्ते पर विश्वास है। (व्यवधान)

अभी हमारे विरोधी पक्ष के साथियों ने गांधीजी के प्रति सम्मान प्रकट किया है, लेकिन वे अपने भाषणों में हर बात में "लेकिन" और "परन्तु" का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि उनकी भावना साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग—कांग्रेस के लोग—गांधी जी की इज्जत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण की भी चर्चा की, मगर उन्होंने जयप्रकाश बाबू को क्या प्रतिष्ठा दी, इसको हमने और सारे देश ने देखा है। विरोधी दलों और जनता पार्टी के लोग चिल्ला-चिल्ला कर श्री जयप्रकाश नारायण का नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण को क्या प्रतिष्ठा दी है, यह हमने और देश ने तीन सालों में देखा है। जब वे जयप्रकाश बाबू का नाम लेते हैं, तो हमें शर्म आती है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम पहले भी जयप्रकाश बाबू की इज्जत करते थे और आज भी करते हैं।

अगर महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के बारे में कोई अनुचित बातें कहीं या लिखी जाती हैं, तो उनपर बंदिश लगनी चाहिए, क्योंकि गांधीजी एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनको हमने महात्मा माना है। अगर उनके विरोध में कोई बातें होती हैं, तो वे राष्ट्र के हितों में नहीं है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, भारत की आजादी के संघर्ष में महात्मा गांधी की जो भूमिका रही है, राष्ट्र की आजादी को लाने में उन्होंने जो योगदान किया है, यहां तक कि आजादी के संघर्ष को मासेज तक उन्होंने पहुंचाया, मासेज को मोबिलाइज किया, उसमें उनकी ऐतिहासिक भूमिका रही है और अछूतोद्धार में, राष्ट्रीय एकता में, हिन्दू मुस्लिम एकता में जो उनकी भूमिका रही है वह सर्वमान्य है, उसमें, कोई विवाद की बात नहीं है। हम गांधीवाद को नहीं मानते हैं, हमारा दृष्टिकोण दूसरा है। लेकिन जो उनकी इतिहास में भूमिका है उससे तो इन्कार करने की बात नहीं हो सकती है।

माननीय सदस्य जो प्रस्ताव लाए हैं उस प्रस्ताव से उनकी मशा पूरी नहीं हो रही है।

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

मंशा यह होनी चाहिए कि गांधी जी के नाम पर बहुत सारी संस्थाएं जैसे गांधी स्मृति या गांधी पीस फाउंडेशन आदि चल रही हैं, उनकी गतिविधियों को देखा जाय, ये सारी संस्थाएं अमेरिकन एजेंसी का काम कर रही हैं, सी० आइ० ए० का काम कर रही हैं और सरकार की नाक के नीचे यह हो रहा है। कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। वही बात हो रही है। आप यहां प्रस्ताव ला रहे हैं और होम मिनिस्टर साहब यहां नहीं हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि इन संस्थाओं के जरिए कितने राष्ट्रद्रोही कार्य हो रहे हैं और आपके सामने हो रहे हैं, आपकी आवाज नहीं उठती है। प्रस्ताव से क्या होने वाला है? आप प्रस्ताव क्या लाए हैं? प्रस्ताव यह लाए हैं कि गांधी जी की तस्वीर को, उनकी इमेज को बिगाड़ने वाले को कागिनजेबल आफेंस के अन्दर लाया जाय। लेकिन यह कौन ला रहा है? सही माने में कहा जाय तो गांधी जी की तस्वीर को बिगाड़ने में इन्होंने ज्यादा भूमिका अदा की है। उन्होंने गांधी जी का नाम लिया है। हमारे यहां क्या परम्परा रही है? परम्परा यह रही है कि हम राम का नाम जपते हैं, दिन भर, महादेव का नाम जपते हैं दिन भर, कृष्ण का नाम जपते हैं दिन भर और ठीक उनके बताए गए आदर्शों के उलटा चलते हैं। असल में कहा जाय तो गांधी टोपी पहन कर और गांधी जी का नाम लेकर आप गांधी जी के नाम को, उनके सिद्धांतों को और उनके जीवन दर्शन को आचरण में नहीं ला रहे हैं और आचरण में नहीं लाने से क्या हो रहा है कि गांधी टोपी से और गांधी दर्शन से आज नौजवानों को घृणा है, वह कहते हैं कि गांधी दर्शन कोई वैज्ञानिक सत्य नहीं है।—उसमें कोई ऐसा सत्य नहीं है जो विज्ञान सम्मत हो। . . . . . (व्यवधान) . . . . . गांधी जी के दर्शन को जीवन में उतारने का प्रयास आपसे भी नहीं होता होगा और किसी से नहीं होता है। . . . . (व्यवधान) . . . . . वही मैं अर्ज करने वाला हूं। आज गांधी पीस फाउंडेशन एक कलंक है देश के सामने। गांधी जी के जीवन को, उनकी तस्वीर को एक समग्र रूप से रखना चाहिए। इतिहास में उनकी क्या भूमिका रही है यह बात आनी चाहिए।

उन्होंने आत्मकथा को कोट किया है। आत्मकथा में उन्होंने कबूल किया है कि मैंने मांस खाया है आत्मकथा में उन्होंने कबूल किया है कि मैंने सिगरेट पिया है, और भी बहुत कुछ कबूल किया है। लेकिन यह प्रयास किया जाय कि आत्मकथा में जो ऐसी बातें कही गई हैं उन्हीं को उभाड़ कर रखा जाय और समग्र रूप उसको न दिया जाय, इस बात का मैं भी विरोध करता हूं, मैं आपके साथ हूं इस बात में। लेकिन फिर हृदय टटोलिए आप कि गांधी जी का दर्शन क्या है और आपका व्यवहार क्या है?

एक किताब निकली है आचार्य रजनीश के द्वारा, आप जानते होंगे, उसमें क्या लिखा है? उसने लिखा है कि बुद्ध से और गांधी से मैं बड़ा हूं। उसको नौजवान पढ़ते हैं, क्यों नहीं उसको बन्द करते हैं?

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि उपाय क्या है? उपाय यह है कि आपके जीवन में, समाज

के जीवन में अगर गांधी जी का दर्शन सही हो, हालांकि हम लोगों को उस पर मतभेद है, हम नहीं मानते हैं उसको, फिर भी उसको जीवन में तो उतारिए। वह नहीं कर रहे हैं। उसको जीवन में उतारने का प्रयास तो कीजिए, वह नहीं कर रहे हैं। तो फिर गांधी जी का नाम रटने से, उनकी माला जपने से कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर गांधी जी की माला जपते हैं और सही माने में गांधी जी के जीवन दर्शन को आचरण में नहीं उतारते हैं तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले रूलिंग पार्टी की और से गांधी जी के दर्शन और उनकी इमेज को बिगाड़ने के काम को कम किया जाय। यदि अत्याचार रहेगा, हिन्दू मुस्लिम रायट होता रहेगा, हरिजननों पर अत्याचार होता रहेगा और फिर भी कहा जायगा कि हम गांधी जी को मानते हैं तो यह गांधी जी की इमेज को बुरा करता है। इसलिए प्रस्ताव में जो काग्निजेबल आफेंस की बात है उसको मैं नहीं मानता हूं। उनकी मंशा को मैं सही समझता हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं।

श्री हरिशचन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, तैयब जी ने जो संकल्प इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संकल्प का जो उद्देश्य है उसको हमारे विरोधी मित्रों ने गलत रूप में समझने की कोशिश की है। एक पवित्र उद्देश्व को लेकर, कुछ गल्तियों की तरफ इस संकल्प के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ताकि उन भूलों को दुरुस्त किया जा सके और सरकार तत्परता के साथ इस सम्बन्ध में कदम उठा सके। इसी उद्देश्य से हमारे मित्र तैयब जी इस संकल्प को यहां पर लाये हैं लेकिन हमारे विरोधी दोस्तों ने कुछ ऐसी मंशा जाहिर की है मानो इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य छिपा हो। जय प्रकाश जी का नाम इस सन्दर्भ में आया है। हम जय प्रकाश जी की विचार-धारा से सहमत नहीं हो सकते लेकिन आज वे स्वर्गवासी हैं, जो उनमें अच्छाइयां थीं, जो त्याग-तपस्या उनके साथ जोड़ी हुई थी उसको सम्मान देने के लिए सरकार ने एक प्रतिष्ठान की स्थापना की, जिसकी चेयरमैन स्वय प्रधान मन्त्री जी हैं। यह इस बात का द्योतक है कि भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा को हमारी पार्टी और सरकार न मानती हो लेकिन उनमें जो अच्छाइयां थीं, उनकी जो त्याग-तपस्या थी उसको सरकार सही सन्दर्भ में देखना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ बार-बार उनका नाम लेने वालों ने हमेशा उनके नाम को कलुषित करने की कोशिश की है और उनके सपनों को चकनाचूर किया है। इसी प्रकार से गांधी जी के नाम के साथ जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उसको रोकने के लिए हमारे साथी तैयब हुसैन जी ने यह संकल्प यहां प्रस्तुत किया है जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मानयवर, यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन जो इस प्रस्ताव की मूल भावना है उससे क्या शासक दल के लोग अपने को सचमुच में सम्बद्ध रख पाए हैं—इसमें मुझे सन्देह है। गांधी जी से शासक दल के लोगों का

[श्री हरिकेश बहादुर]

सम्बन्ध है—यह मैं इन शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि केवल राजनीतिक लाभ उठाने के लिए गांधीजी के नाम का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार से गांधी जी का नाम शासक दल के लिए राजनीति भोजन बन गया है इस प्रकार की शासक दल की जो वर्तमान स्थिति है उसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। यह स्थिति क्यों है, इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। जब आपातकाल की घोषणा की गयी थी तब महात्मा गांधी के नाम से सम्बद्ध जितने भी संगठन हैं सभी ने उसका विरोध किया था क्योंकि वह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद लगातार इस बात की कोशिश की गई कि उन संस्थानों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाय। उनकी जो मांगें थीं उनको पूरा न करना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, इस तरह की तमाम बातें उस समय चल रही थीं। आज भी मौजूदा सरकार की कोई भी सहानभूति उन संगठनों के साथ नहीं रह गयी है।

मान्यवर, एक फिल्म बन रही है, उसमें भी पता चला है कि गांधी जी के जीवन से सम्बन्धित कुछ ऐसी बातें रखने की कोशिश हो रही हैं जिससे गांधी जी के जीवन पर कीचड़ उछाला जा सके। अगर इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे तरीके से मौजूदा शासन के ऊपर होगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उसको देखें और उस फिल्म के अन्दर अगर कोई भी ऐसी बात हो जिससे गांधी जी का जीवन भी कलुषित और कलंकित होता है तो उसको रोकें क्योंकि उससे हमारे राष्ट्र का जीवन भी कलुषित और कलंकित होता है। जब तक कमजोर वर्गों पर अत्याचार होते रहेंगे, जब तक एक-एक सूबे में साठ-साठ आदिवासी मारे जाते रहेंगे, जब तक बीस-बीस हरिजन गोलियों से उड़ाये जाते रहेंगे तब तक गांधी जी का नाम लेने का अधिकार इन लोगों को नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . क्योंकि आपका शासन है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की हरकतें न होने पायें। गांधी जी की प्रतिमायें जब तोड़ी जाती हैं, तो उसके लिये यह शासन जिम्मेदार है। क्यों ऐसी बातें होती हैं? इसलिये मैं चाहूंगा कि इस बात के लिये निन्दा की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, जो मौजूदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं व्यक्तिरूप से एक बात कहना चाहता हूं। महात्मा गांधी जी सन् 1947 के दौरान में चौधरी तैयब हुसैन के गांव में आये थे और मुझे यह भी मालूम है, चूंकि मेरा चुनाव क्षेत्र चौधरी तैयब हुसैन के क्षेत्र से बिलकुल समीप रहा है, कि इनके क्षेत्र में ज्यादातर उसी कौम के लोग रहते हैं जिस कौम से चौधरी तैयब हुसैन ताल्लुक रखते हैं। चौधरी तैयब हुसैन "मेव" मुसलमान जाति के हैं। हिन्दुस्तान के बटवारे के वक्त एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ था—मेव जाति के लोग उस वक्त के पंजाब और राजस्थान के बीच में रहते थे, उन्होंने उस वक्त यह फैसला किया था

कि हम लोग पाकिस्तान जाकर आबाद होंगे। लेकिन वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने आकर सत्याग्रह किया—यह उस क्षेत्र का जिक्र है जो अलवर और गुड़गांवां के बीच का क्षेत्र है—इनके पिता चौधरी यासीन खां ने महात्मा गांधी के साथ इस बात का वायदा किया कि जितने भी मेव भाई हैं वे सब हिन्दुस्तान के अन्दर रहेंगे और हिन्दुस्तान के ही नागरिक रहेंगे तथा हिन्दुस्तान के अन्दर उनको भी वही अधिकार मिलेंगे जिनकी कि वे पाकिस्तान के अन्दर उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि महात्मा गांधी और चौधरी तैयब हुसैन के पिता चौधरी यासीन खां के यत्नों से वे मेव लोग वहीं पर आबाद रहे और इस वक्त भी बहुत खुशी के साथ, हिन्दुओं के साथ मिल कर रहते हैं।

जहाँ तक महात्मा गांधी के दर्शन, उनकी संस्कृति और उनकी फिलास्फी का सम्बन्ध है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यदि आज के इस युग को गांधी-युग कहा जाय। गांधी जी एक साधारण मानव ही नहीं, बल्कि एक महान युगपुरुष थे और उन्होंने इस राष्ट्र के अन्दर अंग्रेजों के जमाने में जो हमारे अन्दर सांस्कृति कमजोरी, नैतिक कमजोरी और दूसरी कमजोरियाँ जो आगई थीं, उन सब दुर्बलताओं को दूर करके समाज में शक्ति पैदा की, एक फिलास्फी समाज को दी। आप यह भी जानते हैं कि कोई कितना भी बड़ा समाज क्यों न हो, उस समाज के अन्दर यदि शक्ति कहीं से प्राप्त हो सकती है, तो फिलास्फी से हो सकती है। जिस समाज के अन्दर, जिस राष्ट्र के अन्दर और जिस काम के अन्दर कोई फिलास्फी नहीं है, तो वह राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। यही कारण है कि यही राष्ट्र अंग्रेजों के टाइम में महात्मा गांधी से पहले भी हिन्दुस्तान था, लेकिन उन्होंने एक फिलास्फी दी और एक दर्शन दिया और उसी दर्शन के कारण उन्होंने एक नई जिन्दगी इस कौम को दी।

मैं कहना चाहता हूं कि जो फिलास्फी और दर्शन हमको महात्मा गांधी जी ने दिया है, उस फिलास्फी को हमको कायम रखना है और यदि वह फिलास्फी कायम रहेगी तो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत का हम मुकाबला कर सकते हैं, चाहे वह बौद्धिक ताकत हो, चाहे वह आर्म्स की ताकत हो और किसी भी तरह की ताकत हो। यदि वह फिलास्फी और दर्शन हमारे पास से लुप्त हो जाएगा, तो हम उस ताकत को भी खो देंगे। इसलिए जरूरी है, जो गांधी वाङ्मय है, गांधी संस्कृति है, गांधी अभिव्यक्ति है, गांधी दर्शन है और गांधी सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त को हम अक्षुण रखेंगे। मैंने इसलिए एक संशोधन पेश किया है कि गांधी जी का दर्शन, गांधी विचारधारा और गांधी के सिद्धान्तों को अक्षुण रखने के लिए हमें इस तरह का प्रावधान करना चाहिए कि इस राष्ट्र के अन्दर इस प्रकार की किसी की हिम्मत न हो सके।

मैं आप को खास तौर से अमृतसर के बारे में, जो कि 17 मई, 1980 को पैट्रियोट में खबर छपी है, कहना चाहता हूं :

[श्री रामसिंह यादव]

"रामबाग में स्थापित महात्मा गांधी की कास्य प्रतिमा आज सवेरे दात-विदात अवस्था में पाई गयी। कुछ बदमाशों ने इसे बिगाड़ दिया।

प्रतिमा में महात्मा गांधी के हाथ में जो लाठी दिखाई गई थी उसे तोड़ दिया गया था। राष्ट्रपिता की प्रतिमा के अन्य भागों पर गोबर और मिट्टी पोत दी गयी थी।"

इस तरह की जो साम्प्रदायिक बात है या जो किसी भी नाम पर राष्ट्रपिता को कलंकित करना चाहते हैं, उनकी मूर्ति को खण्डित करना चाहते हैं,—इस राष्ट्र को ऐसी चीजों को किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इसके सम्बन्ध में कोई उचित कदम उठायें, कोई ऐसा कानून इस सदन के सामने लायें जिससे महात्मा गांधी जी के साहित्य, उनके वाइमय, उनके विचारों को अक्षुण्ण रखा जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : चैअरमैन साहब, मैं इस रेजोल्यूशन और जो तरमीम मैंने पेश की है, दोनों के हक में बोलना चाहता हूं। जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, उनको शहीद किया, उनकी फिलास्फी का भी वे ही लोग आज फायदा उठाना चाहते हैं। उनकी फिलास्फी को आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त जो संस्थायें बनाई गई थीं उन संस्थाओं में उन लोगों ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है और आज गांधी जी के नाम पर वे गलत फायदा उठा रहे हैं। उनके जीवन-चरित्र को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इस बारे में गाडगिल साहब ने बहुत सी बातें डिटेल में आपके सामने रखी हैं और यह बतलाया है कि गवर्नमेंट के लिए लाजमी हो जाता है कि पार्लियामेंट के एक्ट के जरिये एक लाइब्रेरी बनाई जाय, उनके लिए मेमोरियल बनाया जाय। उस वक्त तमाम लोगों ने मिलकर गांधी स्मारक निधि को बनाया था, उसको जमीन दी गयी थी, उसके जरिये गांधी पीस फाउण्डेशन बनाया गया, वहां पर बड़े-बड़े एअरि कण्डिशन्ड हाल बनाये गये, उसके बाद क्या हो रहा है—विदेशों से रुपया जमा किया जा रहा है, यह सब कुछ हो रहा है लेकिन वह पैसा कैसे खर्च होता है उसका हिसाब किसी को पता न हो और अगर पता लगाने की कोशिश की जाय तो उसकी मुखालिफत हो—यह बात समझ नहीं आती है।

मेरे एक दोस्त अमरीका गये थे—उनको वहां पर बतलाया गया कि इस तरह का प्रचार वहां पर हुआ कि हिन्दुस्तान के गांव-गांव में लोग भूखे मर रहे हैं। स्कूली बच्चों से चन्दा इकट्ठा किया गया और वह पैसा इन्हीं संस्थाओं के पास भेजा गया। यहां आकर उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, किसी को पता नहीं है यह क्या बेबसी है? सरकार को इसके बारे में पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि जो गांधी जी के नाम को टारनिश करते हैं, उनके

नाम पर पैसा जमा करते हैं वह पैसा कहाँ जाता है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है और जो लोग इसके लिए मुजरिम पाये जायँ उनको सजा दी जाय।

न सिर्फ महात्मा गांधी, बल्कि हिन्दुस्तान के रहने वाले किसी भी व्यक्ति की इमेज को खराब नहीं करना चाहिए—मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फादर-आफ-दि-नेशन को तो हमें सैक्रेटली ट्रीट करना होगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि हमारे अपोजीशन के साथी इसकी मुखालिफत क्यों कर रहे हैं—इस में ऐसी कोई बात नहीं है।

इन अलफाज के साथ मैं इस रेजोल्यूशन की ताईद करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मैंने जो तरमीम पेश की है उसके साथ इसको मन्जूर किया जाय।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : न केवल इस देश की बल्कि विश्व भर की जनता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ऋणी है, आइंस्टाइन ने गांधी जी के सम्बन्ध में कहा था :

> "आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही यह विश्वास कर पायेंगी कि कभी पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति भी रहा था"

सौभाग्यवश, आज एक दूसरी महान आत्मा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिवस भी है। गुरुदेव ने महात्मा गांधी के सम्बन्ध में कहा था :

> "महात्मा गांधी एक जीवंत सत्य हैं।"

इन शब्दों में उन्होंने महात्मा गांधी को अद्धांजली अर्पित की थी। हमें राष्ट्रपिता ने ही ब्रिटिश साम्राज्य का दृढ़ता सेक मुकाबला करने का पाठ सिखाया उन्होंने हम में आत्म सम्मान उत्पन किया। उन्होंने हमें रण क्षेत्र का नारा दिया रण क्षेत्र में मर मिटना सिखाया। उनके नेतृत्व में हम ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। जब भी इस देश में महात्मा गांधी के विरुद्ध कहा जाता तो हमें गहरी चोट पहुंचती है। हम यह चाहते हैं कि किसी भी हालत में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र पिता की प्रतिष्ठा और सम्मान पर आंच न आए। इस विचार से, हम इस संकल्प की प्रशंसा करते हैं तथा मैं इस संकल्प की प्रशंसा करता हूं।

लेकिन, जब मैंने यहाँ भाषण सुने, तो मुझे संदेह हुआ कि क्या केवल इसी उद्देश्य को लेकर यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है कुछ लोगों ने गांधी संस्थानों की आलोचना की। जैसा कि श्री गाडगिल ने कहा है अगर गांधी संस्थानों में कुछ गलत बात है, तो स्वाभाविक है इसकी जांच कराई जाए। अगर किसी गांधी संस्थान में कुछ गलत हुआ है, हमें यह देखना चाहिए कि उसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाए अपितु उसे उसी समय रोका जाए। जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन साथ ही, मैं आपको सचेत करना चाहूंगा तथा इस तरफ के अपने मित्रों को भी सचेत करना चाहूंगा कि यदि हम इन गांधी संस्थानों में राजनीति लाने की कोशिश करेंगे, चूंकि आपात काल के दिनों में उन संस्थानों में .... (व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा : आप मेहरबानी करके मत बोलिये। आप चुप बैठिये। इस देश में कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इन स्थानों द्वारा आपात काल में जो कुछ किया गया उसे पसंद नहीं करते। चूंकि ये संस्थान महात्मा गांधी के आदर्शों के लिए लड़े एवं महात्मा गांधी ने हमें निर्भय बनो का नारा दिया, तो आपने उस नारे और महात्मा गांधी के भाषणों पर ही रोक लगा दी, और अब आप इनके बारे में उपदेश दे रहे हैं। कृपया, महात्मा गांधी के लिए उपदेश मत दीजिए। महात्मा गांधी के उपदेशों का प्रचार करके मसीहा बनने की कोशिश मत करिए। याद है न, आपात काल में महात्मा गांधी के भाषण रेडियो पर प्रसारित नहीं किये जाते थे। सच्चे दिल से याद कर के देखिये, आपने क्या किया है।

अतः जब भी हम गांधी जी की चर्चा करें, विनम्र रहें। अगर कुछ संस्थानों में कुछेक गलतियां हुई हैं तो हमें उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

आचार्य भगवान देव : आप बिल्कुल गलत—बयानी कर रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : आपके कहने से गलत बयानी नहीं होगी। आपने क्या किया है वह हम को मालूम है।

महोदय, आपको इन श्रीमान को ठीक करना होगा। इन्हें मुझ इस तरह टोकने का कोई अधिकार नहीं है। सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता।

श्री स्टीफन ने इसमें राजनीति लाने की कोशिश की और उसको ध्यान में रखते हुए कुछ भाषण दिये गये। कुछ पत्रिकाओं का भी हवाला दिया गया। यदि महात्मा गांधी के नाम पर कुछ ऐसे संस्थान हैं जहां कुछ गलत बातें अथवा अनियमितताएँ हुई हैं तो मैं यह कहूंगा कि उनसे कानून के अनुसार निपटा जाए, लेकिन साथ ही हमारा उद्देश्य राजनीति से प्रेरित न हो। इन संस्थानों की आलोचना करते हुए हमें यह देखना चाहिए कि हमें उन्हें ठीक करना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि हम उसमें अपनी राजनीति लायें। इस पहलू पर मैं यहां अपने मित्रों को सचेत करना चाहूंगा।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं चूंकि इस प्रस्ताव पर बोलते समय, इन संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जोकि प्रशसनीय कार्य कर रहे हैं, आदिवासी, हरिजन और अन्य क्षेत्रों में ये संस्थान बहुत ही रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में उनका कार्य बहुत ही लाभकारी है। जबकि ये गांधी संस्थान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, कभी-कभी कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे निहित स्वार्थी भी पैदा हो जाएं, जो गांधी जी के नाम और उनकी छवि को धूमिल कर दें। जहां तक इसका सम्बन्ध है, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए।

मैं यहां अपने माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि जब हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो उसमें हमारी दो राय न हो। यदि कोई व्यक्ति इस देश में महात्मा गांधी की छवि बिगाड़ना चाहता है अथवा ऐसा करने की कोशिश करता है अथवा उनकी प्रतिमा आदि को भ्रष्ट करता है तो हमें न केवल कानून से अपितु जनता में जनमत जागृत करके इसको दृढ़तापूर्वक रोकना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति उनकी प्रतिमाओं को खण्डित करने, भ्रष्ट करने अथवा उनके नाम को मलिन करने का साहस न कर सके।

इस विचार से मैं इस प्रस्ताव की प्रशंसा करता हूं। लेकिन मेरी निश्चित रूप से यह राय है कि केवल कानून सूर्यास्त नहीं है। हमें लोगों को संगठित करना होगा, लोगों में चेतना जगानी होगी ताकि वे गांधी जी के सिद्धान्तों के समर्थक बन सकें। यदि हम ऐसा कर सकें, तो मेरा विचार है कि इससे हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि गांधी स्मृति भवन पर जो लिटरेचर बिकता है, उसके सम्बन्ध में तैयब साहब ने जो जिक्र किया है। इस प्रकार का लिटरेचर अगर बिकता है तो निश्चित रूप से इसको बन्द कराया जाए, इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गांधी पीस फाउंडेशन ऐसी संस्था है, जिसके बारे में अभी एक कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा कि यह संस्था सी० आई० ए० की एजेंसी के रूप में काम करती है और फोर्ड फाउंडेशन जो कि अमेरिका में है, उससे धन प्राप्त करके इस देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके सम्बन्ध में निश्चित तरीके से जांच की जानी चाहिए कि इसकी क्या एक्टीविटीज हैं और यह किस तरीके से काम करती है। अगर इसकी एक्टीविटीज एंटी नेशनल हैं तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

जनता पार्टी के समय में एक काम शुरू हुआ कि जनता पार्टी ने सब को भय—मुक्त कर दिया, निर्भय कर दिया। गुण्डे, बदमाश, स्मगलर्स, होर्डर्स, ब्लैक-मार्केटियर्स सब को निर्भय कर दिया और इस प्रकार के लोगों द्वारा इन संस्थाओं में प्रवेश करके इन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा बदनाम करने की कार्यवाही की गयी। इस तरह के जो लोग इन संस्थाओं में प्रवेश कर गए हैं, इनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए और ऐसे लोग जो एंटी नेशनल एक्टीविटीज में भाग लेते हैं और देश को बदनाम करने की कार्यवाही करते हैं, ऐसे लोगों को इन संस्थाओं से निकाला जाना चाहिये और इनके स्थान पर ऐसे लोगों को लाया जाना चाहिये जो गांधी जी के नाम को उज्जवल करें। ऐसे लोगों को लाना चहिये जो मजदूरों, किसानों, गरीब आदमियों, पीड़ितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब तबके के लोगों की सेवा करें।

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

आज ये संस्थाएं पालिटिक्स प्ले करती हैं, पालिटिक्स का अड्डा बन गई हैं। 1977-78 के चुनाव में हमने देखा है। कांग्रेस विरोधी लोगों द्वारा धन दिया गया और सर्वोदय के नाम पर प्रचार किया गया। इनका कहना था कि हम तो वोटर्स को एजूकेट करने का काम करते हैं, लेकिन उनकी ऐजूकेशन कांग्रेस के खिलाफ रही और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं का उपयोग होने लगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं की जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों को इनमें से निकाला जाना चाहिए।

आज चाहे गांधी स्मारक निधि हो, चाहे गांधी जी पीस पाउंडेशन हो, चाहे गांधी स्मृति भवन हो या इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं हों, ये सारी की सारी संस्थाएं और संगठन आज इसी काम में लगे हैं, इसलिए जब तक इनके खिलाफ पूरे तरीके से कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक इन संस्थाओं के लोग पालिटिकल एक्टीविटीज में हिस्सा लेते रहेंगे और जिन उद्देश्यों के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया गया है, उन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता।

अभी राजदा साहब कह रहे थे कि ये पालिटिकल वेंडेटा से कार्यवाही करना चाहते है, यह कार्यवाही नहीं करनी चहिए। मैं तो कहता हूं कि हम इन संस्थाओं से पीड़ित हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो बराबर राज्य से पैसा लेती हैं और राज्य के खिलाफ ही काम करती हैं। इस प्रकार की संस्थाएं अगर वोटर्स को एजूकेट करके सही रास्ते पर लाने का काम करती हैं, गरीब लोगों को ऊपर उठाने का काम करती हैं, ऐसे काम करती हैं जिससे देश ऊंचा उठता है, इसके द्वारा स्थापित स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में लोगों को रोजगार-धंधा मिलता है तो निश्चित रूप से इनके कार्य स्वागत योग्य हैं। लेकिन ये उलटे काम करते हैं। लाखों करोड़ों रुपया इनको मिलता है। उसका नाजायज फायदा उठा कर अपने आपको ये शक्तिशाली और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। श्री तैयब हुसैन ने जो प्रस्ताव रखा है और श्री गाडगिल ने जो एमेडमेंट दिया है, उनका में समर्थन करता हू और निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमिशन मुकर्रर करवा कर जितने भी सर्वोदय संस्थान हैं, गांधी जी स्मारक निधि है, गांधी पीस फाउंडेशन आदि हैं उन सब की जांच कराई जाए और उनकी जो आपत्तिजनक गतिविधियां हैं उन पर पावन्दी लगाई जाए।

सभापति महोदय : बहुत से सदस्य इस प्रस्ताव के बारे में बोलना चाहते हैं। मैंने समय सीमा के अन्दर उनको अनुमति देने की कोशिश की है लेकिन फिर भी बहुत से सदस्य रह गए हैं। वे इस संकल्प पर बोलना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि समय बढ़ाया जाये।

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ

सभापति महोदय : क्या इसे एक घन्टा बढ़ाया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हाँ ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी मेरी बात सुनिये । यही करना है अपोजीशन को कह दीजिये कि चले जाएं । मुझे अपने प्रस्ताव को इन्ट्रोड्यूस करने का मौका दे दें । लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ।

सभापति महोदय : यहाँ उसकी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री सईफुद्दीन चौधरी : श्री रामावतार शास्त्री को संकल्प रखने दीजिए ।

सभापति महोदय : अब सत्र स्थगित होने जा रहा है···(व्यवधान)···इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । (व्यवधान) क्या किया जाए । आप ही अन्तर देख सकते है । अब सत्र स्थगित होने जा रही है । श्री सुन्दर सिह ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी बात तो सुनिये । चेयर से पिछली बार वाजपेयी जी को कहा गया था आपका नहीं होगा तो अगली बार ल लग । इतना तो आप भी कारय । उनका रेजोल्यूशन स्टेट्स के बाइफरकेशन के बारे मे था । डिप्टी स्पीकर न यह कहा था । मर रजोल्यूशन को आप किल तो न करें । आप हमारा कांओप्रेशन चाहते है लेकिन एसे तो वह नहा मिल सकता है ।

सभापति महोदय : कोई प्रोविजन नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : उनके वास्ते कैसे प्राविजन हो गया था ? आपके यहाँ से, उस कुर्सी से, उनको एलाउ किया गया था ; बारह साल से मे यहाँ हू और पहली बार मेरा रेजोल्यूशन आ रहा है और उसको भी किल किया जा रहा ह । एक बार चयर स एसा फैसला दिया जा सकता है तो मेरे केस में भी एसा आप कर सकते है । मुझ आप मोका दे सकत है और मैं नैक्स्ट टाइम इस पर बोल सकता हू ।

सभापति महोदय : श्री सुन्दर सिह, आप बोलिये ।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे मूव कर लेने दीजिये और नैक्स्ट सैशन में यह चला जाएगा । मुझे कोई एतराज नहीं है । मूव कर लेने दीजिये ।

श्री सुन्दर सिह (फिल्लौर) : सभापति महोदय, महात्मा गांधी फादर आफ दी नेशन थे । उनके वरखिलाफ अगर कोई बात करता है तो इसका साफ मतलब यह कि वह नेशनल नहीं है । इस रिजोल्यूशन पर बोलते हुए जिन ख्यालात का इजहार किया गया उनको सुनकर जो हरिजन हैं उनको बहुत तकलीप हुई होगी । मैं इस रिजोल्यूशन के लाने पर मननीय सदस्य को

[श्री सुन्दर सिंह]

मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमको को मौका दिया इस अहम मसले पर बहस करने का। मैं समझता हूं कि जो भी पार्टी महात्मा गांधी की नीति के बरखिलाफ बात करे उस पार्टी में नेशनेलिटी नाम की चीज नहीं है। अगर मोहम्मद साहब, ईसामसीह के खिलाफ कोई गलत बात करे तो तूफान खड़ा हो जाता है। लेकिन जब कि गांधी जी के खिलाफ बात हो रही है तो किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है। गांधी जी हमारी आँखों के सितारे थे, उनकी शख्सियत थी, उन्होंने गरीबों की मदद की और तमाम दुनिया को इकठ्ठा करके हिन्दुस्तान को आजाद कराया। अतः उनके बरखिलाफ आवाज उठाई है। जो उनकी बेइज्जती करते हैं मेरी तो मांग है कि ऐसे लोगों और पार्टी के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी कार्यवाही करने में आप हमारा साथ नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे मानें कि आप नेशनल हैं, आपमें नेशनैलिटी है। ऐसी जो भी संस्थाएं हों, जो महात्मा गांधी के पवित्र नाम का मिसयूज करती है उनके खिलाफ कार्यवाही में हर माननीय सदस्य को साथ देना चहिए। मैं समझता हूं आपमें नेशनैलिटी नहीं है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था :

> "मैं दूसरा जन्म नहीं चाहता। लेकिन, अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो वह अछूत घराने में हो जिससे कि जो दुख कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं, मैं भी उनका सहभागी बन सकूं। अतः मैं यह प्रर्थना करता हूं कि अगर मुझे ऐसा करना पड़े तो मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्रन हो करके अति-शूद्र होकर करूं।"

श्री सुधीर गिरी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री सुधीर गिरी : आप कृपया मेरी बात सुनें (व्यवधान) कार्यमंत्रणा समिति ने इस प्रस्ताव के लिए 2 घन्टे निर्धारित किए हैं। क्या आपने सदन की अनुमति से समय बढ़ाया है ? आपने सदन की अनुमति नहीं ली।

सभापति महोदय : मैंने सभा की इच्छा जान ली है। आप रिकार्ड देखिये। (व्यवधान) मैंने इसे सभा के समक्ष रखा तथा उसकी सर्वसम्मति ली।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : सभापति महोदय, मैं यह एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा श्री शास्त्री को संकल्प प्रस्तुत करने से रोकने की बिल्कुल नहीं है।

अनेक सदस्यों ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था और यदि इस बारे में नियम है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : यदि वह इसे प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह अपगत हो जाता है।

अन्य बातों को होने दीजिए। यह सभा में किया गया है। पहले ऐसा किया गया है।

सभापति महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ।

श्री समर मुखर्जी : नियम का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

सभापति महोदय : श्री सुन्दर सिंह जी, अब आप को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री सुन्दर सिंह : इनमें करैक्टर नहीं है । अगर करैक्टर हो तो यह रैज्यूलूशन को पास करें । ये कहते हैं कि कांग्रेस (आई) वाले महात्मा गांधी के उसूलों पर नहीं चलते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चलते हैं ? आप भी नहीं चलते हैं । आपकी कोई सुनता नहीं है । अगर आप इस रैज्यूलूशन का हमारे साथ मिलकर साथ दें तो आपके करैक्टर का पता लग जायेगा, अगर वरखिलाफ बोलेंगे तो यह आपके खिलाफ जायेगा । मैं चाहता हूं कि आप इस रैज्यूलूशन को यूनैनिमसली पास करें । जितना नुकसान महात्मा गांधी के मरने के बाद, उनके उसूलों को तोड़ने के बाद हरिजनों का हुआ है, उतना और किसी का नहीं हुआ है । हमें दुःख है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है । अगर आज महात्मा गांधी होते तो हमारी यह हालत न होती ।

इन शब्दों के साथ मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं जो इस रैज्यूलूशन को लाये हैं । मैं श्री तैयब हुसैन की ताईद करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कीडरमा) : सभापति महोदय, महात्मा गांधी की छवि बिगाड़ने का जो संकल्प है, यह देखने में तो बहुत अच्छा लगता है (व्यवधान)

इस संकल्प को लाने वाले जो हमारे माननीय सदस्य श्री तैयब हुसैन जी हैं, अगर उनकी मनसा, वाचा, कर्मणा की तरह भावना रही होती तो अच्छी बात थी, लेकिन पिछले 34 वर्षों का इतिहास अगर देखा जाये तो महात्मा गांधी की छवि को कितना सुन्दर रखा गया है ?

आज सब लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी । महात्मा गांधी बोलते थे, रघुपति राघव राजा राम और उनकी भावना थी पतित पावन सीता राम । लेकिन आज गांव गांव में जो लोग बोलते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, पांचो अंडा एक ही शाम । इस तरह की लोग बातें करते हैं ।

गांधी जी के चरित्र, उनके साहित्य और उनके जितने भी आदर्श हैं, उन्हें हमें मानना चाहिये, चाहे हम किसी भी दल के हों । महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण इस 20वीं शताब्दी की अप्रतिम प्रतिमा और अप्रतिम महापुरुष हैं जिन्होंने कभी कोई गद्दी नहीं ली और किसी तरह का कोई मोह नहीं किया । उन्होंने कभी कामना नहीं की किसी दुराग्रह की या कुर्सी के लिये कभी इच्छा प्रकट नहीं की । ऐसे महात्माओं के प्रति किसी को घृणा हो, उनके प्रति अविश्वास हो तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता । कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य बहुत जोरों से कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की छवि को बिगाड़ने से रोकने के लिए कानून

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

बनाना चाहिए। मगर कानून से किसी की छवि नहीं बन सकती है। कानून के अनुसार मर्डर करना एक भयंकर अपराध है और उसके लिए सजा दी जाती है, लेकिन फिर भी मर्डर होते हैं। आत्म-शुद्धि और वास्तविक श्रद्धा की भावना रखने से महात्मा गांधी की छवि को बनाए रखा जा सकता है।

गांधी स्मृति और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने जो कुछ किया है, वह किसी पार्टी या दल के लिए नही किया है। अगर उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण और सर्वोदय की मदद की है, तो आम जनता के जागरण के लिए और लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए की है, न कि किसी दल के लिए। अगर ये संस्थाएं रात-दिन इन्दिरा जी और संजय गांधी की जय करें और उनकी प्रशंसा करें, तो आप कहेंगे कि ठीक है। लेकिन अगर वे पूरे देश की आम जनता को जगाने का प्रयास करती हैं, तो आप कहते हैं कि वे खराब हैं। तो इन संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण कर लीजिए।

गांधी जी के आदर्श, चारित्र और वाङ्मय और लोकनायक जयप्रकाश नारायण दोनों पैरालेल हैं। उन दोनों ने राष्ट्र की जो सेवा की है, उसके लिए उनका नाम शताब्दियों तक अक्षुण्ण और अमर रहेगा और उस पर कोई छींटा-कशी नहीं कर सकता है। अगर इन संस्थाओं में गलत चरित्र के आदमी हैं, तो उनको आम जनता के सामने लाना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि कलंकित और दूषित चरित्र वाले लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर कोई राजनैतिक शिकार करना चाहे, तो उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। अगर ये सोचते हैं कि सब संस्थाओं पर हमारा कब्जा है, मगर एक दो संस्थाओं पर नहीं है, इसलिए उन पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाए, तो यह राजनैतिक दुराग्रह से प्रेरित दृष्टिकोण है।

महात्मा गांधी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन दोनों का चरित्र अप्रतिम है—किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है और उनमें कोई भेद नहीं है। इस लिए में कहूंगा कि अगर महात्मा गांधी और लोकनायक की छवि को अच्छा माना है, तो राष्ट्र के हित के लिए जो काम हुआ है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आज प्रगति मैदान में सन आफ इन्डिया की प्रदर्शनी महीनों से लगी हुई है, लेकिन सरकार ने महात्मा गांधी के बारे में कोई प्रदर्शनी नहीं लगाई है। सरकार इन्दिरा जी के सम्बन्ध में एक महीने से प्रदर्शनी लगा रही है, लेकिन यह नहीं हुआ कि वह महात्मा गांधी के चरित्र और विचार-धारा के बारे में कोई प्रदर्शनी लगाए। अगर कथनी और करनी में यह अन्तर रहेगा, हांथी के दांत दिखाने के और-और खाने के और, अगर इस तरह की मैन्टेलिटी रही, तो हम महात्मा गांधी को आदर नहीं दे सकते हैं। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने और राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के द्वारा गत चुनाव में महात्मा गांधी की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। सर्वोदय के नाम पर भी काबे में कुफ्र किया गया। और कम्युनिस्ट भाइयों के द्वारा तो आज-कल ऐसे चित्र भी निकाले जा रहें हैं, जिनमें गांधी जी के हाथ में साम्यवाद का झंडा दिया गया है।

चूंकि चर्चा का समय कम है, इस लिए में एक पार्यंट को आपके समाने पेश करना चाहता हूं। गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों ने जब यह बात कह दी कि हम अब गांधीवाद में विश्वास रखते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि गांधीजी के साथ विश्वासघात करने वाले, धोखेबाज व्यक्ति गांधीजी को किस लाइन पर ले जाना चाहते हैं और उसके पीछे क्या षड्यंत्र है। जो लोग आर एस एस. में थे, वे रंग बदल कर जनसंघी बने जनसंघ से वे भारतीय जनता पार्टी में गये और उसके बाद चौथा रंग बदला। जब भारतीय जनता पार्टी बना कर उन्होंने उस अधिवेशन में गांधीवाद की बात कही तो, इससे यह पता लगा कि इस देश में बहुत बड़े गद्दार एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं गांधीजी के साथ।

जो लोग आज गांधीवाद की बात करते हैं, उन्होंने गांधी जी की हत्या कराने में सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहां दिल्ली में और बहार जनता पार्टी के नाम से वोट लिए और जनता को बिना पूछे नई पार्टी बनाकर, अपने सिद्धान्त ताक पर रख कर, दुनिया के सामने कुछ और रखने का प्रयास किया। शराब, वही थी, रंग बदल दिया बोतल का। अन्दर जहर था, उस जहर को अमृत का रूप दे कर गांधीवाद का चोंगा पहन कर.....

सभापति महोदय : अब छः बज चुके हैं। आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव-जारी

सभापति महोदय : अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पुनः आरम्भ करेंगे। श्री समर मुखर्जी बोल रहे थे। हाँ आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के उत्तर की चर्चा कर रहा था जिन्होंने यह आशा व्यक्त की थी कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। मेरा मुद्दा यह है कि यह एक भ्रम है जो सरकार पैदा कर रही है जोकि वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। असलियत यह है कि हमारा देश एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है और यह संकट केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक क्षेत्र तक भी फैल गया है। यहाँ तक कि यह राजनीतिक क्षेत्र में तथा हमारे लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के तानेबाने तक में प्रवेश कर गया है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये है कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये है कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिककराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करारोपण करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यादि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दूखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करारोपण करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखानेदारों मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रुख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिककराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करारोपण करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नौकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये है कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे है कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नौकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिककराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नौकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये है कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का चार्ट है इसमें रुख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी । इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है । यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें । घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिककराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करांधान करना पड़ेगा । 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है । ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं । इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी । श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है । उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं । मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं । यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था ; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ । छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है । कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है । इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं ; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है । उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं । इस सबका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं । फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं । इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है । इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है । आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है । निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया । वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए । सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी । ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे । जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं ।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है । जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है । यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती । यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है ।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करांधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यदि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करांधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यादि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये है कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रूख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक्कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त करारोपण करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहाँ उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यादि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दुखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि मूल्यों में स्थिरता आ जायेगी और उन्होंने यह बताने के लिए आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं कि मुद्रा-स्फीति में गिरावट के आसार दिखाई देने लगे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकन्क का चार्ट है इसमें रुख में वृद्धि दिखाई गई है। 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर जनवरी 1981 में मूल्य सूचकांक 411 था। फरवरी, 1981 में 418 और मार्च में 420 था। इस प्रकार हमारे वित्त मंत्री महोदय जो भी गणना कर रहे हैं वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर कर रहे हैं और ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि अब हम खतरे से बाहर हैं जबकि वास्तविकता यह नहीं है। मार्च से अप्रैल तक हुई और वृद्धि के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं लेकिन फिर भी सूचकांक वृद्धि पर है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया है। वर्ष 1960 के मूल्य सूचकांक 100 के आधार पर 1978-79 में यह सूचकांक 331.41 था, 1979-80 में यह 359.75 था। इसका मतलब है कि 8.46 के प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1980-81 में सूचकांक 400.83 था। इस प्रकार 11.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मूल्यों में यही रुख चला आ रहा है।

यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना को देखें—योजना का मुख्य दस्तावेज हाल ही में परिचालित किया गया है—इसमें संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने के प्रश्न की चर्चा की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्यक्ष कराधान बढ़ाकर संसाधन जुटाने की संभावना अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच गयी है इसलिए उच्च आय वर्ग पर कोई कर नहीं लगाया जायेगा। इसका अर्थ है कि वर्तमान प्रवृत्ति के अन्तर्गत एकाधिकारवादियों और बड़े घरानों को और अधिक रियायतें दी जायेगी तथा गैर सरकारी पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सी रियायतें घोषित की गई हैं। कम आय वर्गों को कम रियायतें दी गई हैं और अधिक आय वर्ग वालों को अधिक बड़ी रियायतें दी गई हैं। दूसरे उपाय के रूप में यह सुझाव दिया गया है कि घाटे की बजट व्यवस्था रखी जाये। आप जानते हैं कि घाटे की बजट व्यवस्था का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो तथा मुद्रा-स्फीति और अधिक बढ़े। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में यह अनुमान लगाया गया था कि 5 करोड़ रु० तक का घाटा बजट में होगा लेकिन 1980-81 से 1981-82 तक के दौरान इन दो वर्षों में ही यह घाटा बढ़कर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जबकि वर्ष 1980-81 का संशोधित अनुमान 1975 करोड़ रु० हो गया है जबकि वर्ष 1981-82 का बजट के घाटे का अनुमान 1539 करोड़ रु० का है। यदि दोनों वर्ष के इस घाटे को मिला दिया जाये तो कुल घाटा 3514 करोड़ रु० का हो जाता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बाकी है। इसके अलावा धारक बांड से 600 करोड़ रु० प्राप्त होने का लक्ष्य है परन्तु यह लक्ष्य कभी भी पूरा नहीं होगा और बजट का यह घाटा 5000 करोड़ रु० से कहीं अधिक हो जायेगा। इसका अर्थ है कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी और मूल्य निरन्तर बढ़ते रहेंगे। इस सब के कारण, योजना आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे खाद्यान्न पर दी जाने वाली सभी राज सहायता बन्द कर देंगे जो कि 600 करोड़ रुपये है। आपको यह समझना चाहिये कि यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न पर से राजसहायता समाप्त कर दी जाती है तो खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जायेगा। आवश्यक

वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जायेगी। इस सम्बन्ध में पहले ही एक व्यवस्था है। यह सिफारिश की गयी है कि कम से कम 2000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जायें। घाटे की बजट व्यवस्था के 5000 करोड़ तथा और अधिक कराधान द्वारा और 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था के अलावा 5140 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कराधान करना पड़ेगा। 1980-81 और 1981-82 के रेल बजट में जो नये शुल्क लगाये गये हैं उनसे 4530 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। ये शुल्क पहले ही लगाये जा चुके हैं। इससे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा तथा मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने एक लेख में यह लिखा था कि हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उत्पादन में हुई वृद्धि के आँकड़े भी दिए हैं। मैं इस समय उनके आंकड़ों को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि इस समय मेरे पास और कोई आंकड़े नहीं हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है जो उदाहरण के लिए 1980-81 में कोयले, लिग्नाइट आदि का उत्पादन 11000 लाख टन था; बिजली के उत्पादन में 6 प्रतिशत का सुधार हुआ। छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि की गई है। कोयला उत्पादन आदि में वृद्धि होने से उन्होंने आशा व्यक्त की है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जायेगी परन्तु वास्तव में हमारी आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी ढांचे पर आधारित है। इसलिए जहां उत्पादन बढ़ा है वहीं मूल्य भी बढ़ रहे हैं; हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदया और वित्त मंत्री जी तथा सभी मंत्रियों ने देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक नारा दिया है। उनके अनुसार इस संकट से निकलने का एकमात्र तरीका उत्पादन बढ़ाना है लेकिन उत्पादन बढ़ाया जाता है तो मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इस सबका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बढ़े हुए उत्पादन का लाभ सर्वसाधारण को नहीं मिल पा रहा है बल्कि उन लोगों के पास पहुंच रहा है जोकि उत्पादन साधनों के मालिक हैं। फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भू-स्वामी हैं। इस प्रकार निहित स्वार्थों को लाभ पहुंच रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना अधिक उत्पादन किया जाये उत्पादन करने वालों को उतनी अधिक हानि होती है। आप देख ही चुके हैं कि तम्बाकू का मूल्य किस तरह कम हुआ है। निपानी में किसानों ने आन्दोलन आरम्भ किया। वहाँ गोली चली जोकि हमारी लोकतांत्रिक सरकार का तरीका है—यादि किसानों पर गोली चलाई गई—आखिर किसके हितों की रक्षा के लिए। सरकार बड़ी तम्बाकू फैक्ट्रियों के मालिकों और बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसा इसलिए किया गया कि वे मूल्य कम करना चाहते थे और वे सफल रहे। जब भी फसल की कटाई के बाद अनाज मंडी में आता है तो कीमतें कम हो जाती हैं।

गेहूं के मामले में भी कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि फसल के बाद अब नया गेहूं बाजार में आ रहा है उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े कारखाने के मालिकों और व्यापारियों के हित में मूल्यों में हेरा-फेरी करने की अनुमति दी जाती है। जिन व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है, उनके पास नोकरशाही और मन्त्रियों को खरीदने के लिए पर्याप्त ताकत है। यही कारण है कि यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। यह ऐसी दूखद स्थिति है जिसमें हम घिर चुके है।

[श्री समर मुखर्जी]

मजदूरों को क्या लाभ हुआ है ? वर्ष 1971-72 से वर्ष 1979-80 की अवधि के बीच कोयला मजदूरों की उत्पादकता में तीन गुनी वृद्धि हुई है । अर्थात वह 111 से बढ़कर 356 पर पहुंच गयी है । लेकिन कोयले के मूल्यों में वृद्धि हुई है । कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है और कोयले के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है । नुकसान किसे हुआ है ? कोयले के उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है । फायदा किसे पहुंचा है ? कोयले की खान मालिकों को फायदा हुआ है । मजदूरों को क्या लाभ पहुंचता है ? कोयले के मजदूरों की छंटनी की जा रही है और उन्हें सताया जा रहा है ।

अब हमारी सरकार बहुराष्ट्रिक निगमों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है । अब हमारी सरकार विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय मुद्रा बोर्ड और साम्राज्यवादी विदेशी सरकारों पर ऋण लेने के लिए अधिक आश्रित है । इसी प्रकार सरकार बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण को लागू करने जा रही है । श्रीमान जी, आजकल की परिस्थितियों में आप जितना अधिक यंत्रीकरण करेंगे उतनी ही अधिक बेरोजगारी की समस्या पैदा होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ट्रैक्टरों का उपयोग होने लगा है और ट्रैक्टर उन खेतिहर मजदूरों का स्थान ले रहे हैं जो खेतों में काम किया करते थे । मशीन माननीय श्रम का स्थान ले रही है । आप मनुष्यों के प्रतिनिधि हैं न कि स्वचालिक मशीनों के । इसलिए आपकी रुचि उनकी सुरक्षा करने में होनी चाहिए । यदि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है तो आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को जवाब देना होगा । अब स्थिति यह कि देश में बेरोजगारी अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है । देश में प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है । देश में यह हो रहा है । धन कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथों में केन्द्रित होता जा रहा है । एक ही तरह का सिलसिला अभी भी जारी है । अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है । सम्पन्न और अधिक सम्पन्न होते जा रहे हैं । गरीब और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं । अब स्थिति यह है और यही देश का स्वरूप है । यदी बात राष्ट्रपति ने भी उस समय स्वीकार की थी । उन्होंने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमंडल संघ के 54 वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित किया था । उन्होंने बताया था कि काले धन ने कैसे और कितनी अधिक क्षति पहुंचाई है । समाचार में यह कहा गया है :

> "राष्ट्रहति श्री संजीवरेड्डी ने कहा कि काले धन के मालिक मुख्यत: उद्योग, व्यापार और इसी प्रकार की अन्य आर्थिक गतिविधियों में हैं और उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि अगर वे उन व्यक्तियों को, जिनके पास सत्ता और अधिकार हैं, खरीदने में सफल हो जाते हैं तो परिणाम भंयकर हों सकते हैं ।"

यही वे आदमी हैं जिन्होंने सत्तारूढ़ आदमियों को खरीदा है । क्योंकि अन्यथा उनके काले धन को सफेद धन में नहीं बदलने दिया जायेगा । यह कार्य इन लोगों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता । और अब आप देश का भविष्य उनके हाथों में सोंप रहे हैं आप यह कहते हैं कि आप

अतिरिक्त साधनों को जुटाना चाहते हैं, किनसे से जुटाना चाहते हैं? आप आम आदमी पर अधिक से अधिक कर लगाते जा रहे हैं। काले धन का पता लगाने के लिए आपमें समुचित कार्यवाही करने का साहस ही नहीं है आप केवल आम आदमी पर अधिक से अधिक टैक्स लगाते जा रहे हैं। यह किसके हित में किया जा रहा है? ये वे व्यक्ति हैं जिनको आप हर संभव तरीके से सहायता देना चाहते हैं, हम यह देखते हैं कि धीरे-धीरे अन्तर अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। आप कृषक समुदाय को खत्म कर रहे हैं। यह महाराष्ट्र में हुआ। यही गुजरात में हुआ। यही आन्ध्र और तमिलनाडु में हुआ। आप यह समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? सरकार का कृषक समुदाय के साथ संघर्ष क्यों हो?

मुख्य प्रश्न यही है। यदि आप उन किसानों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब लाभ कारी मूल्यों, उचित मजदूरी की मांग कर रहे हैं, तो आपका यह कार्य किस प्रकार का कहा जा सकता है? आप उन्हें दबा रहे हैं, उनको अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आपने कर्मचारी वर्ग को दबाना शुरू कर दिया है। आपने जीवन बीमा निगम कर्मचारियों को दबाया है। आपने लोको कर्मचारियों को दबाया है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की दबाया है। आपने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दबाया है। वे यहां धरना देने आये थे। आपने राज्य-सरकार के उन 50 लाख कर्मचारियों की आलोचना की है। आप किसानों से भिड़ रहे हैं। आपको अपने रेल कर्मचारियों के साथ भिडन्त की स्थिति चल रही है। इस स्थिति से निपटने का क्या रास्ता है? आपके विचार से इस स्थिति से केवल अधिनायकवाद द्वारा ही निपटा जा सकता है केवल संसदीय प्रजातन्त्र को पूर्णरूप से विनिष्ट करके ही इस स्थिति निपटा जा सकता है। आप इन लोगों का सामना नहीं कर सकते तथा वे लोग मत पेटियों के माध्यम से ही अपना फैसला देंगे। इसलिए आपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण सभाप्त कीजिये।

श्री समर मुखर्जी : जी हां, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। ये सभी बातें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। कोई भी इससे अलग नहीं है। आप निहित आर्थिक तत्वों को प्रश्रय देना चाहते हैं आपका सारा प्रशासनिक तंत्र मजदूरी की बढ़ोतरी तथा अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्यों की मांग करने वाले श्रमिक वर्ग तथा मजदूरों और आम किसान को दबाने का आदी है। आप इन्हें दबाना चाहते हैं। काले धन की जमाखोरी करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी है। वित्त मन्त्री ने एक बार कहा था कि काले धन के बन्धपत्रों द्वारा मित्रों से ऋण लिया जा रहा है। (व्यवधान) धारक बन्ध पत्र योजना निष्फल सिद्ध हुई है। श्री वेंकटरामन ने स्वयं कहा था कि इसके द्वारा मित्रों से केवल ऋण लिया जा रहा है। इस तरह काले धन की जमाखोरी करने वाले उनके मित्र बन गये हैं तथा किसान और श्रमिक इनके शत्रु बन गये हैं इनकी विचार-धारा इस प्रकार की बन गयी है। सभापति महोदय, अब अधिनायक वादी प्रवृत्तियों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा पूर्णदमन प्रारम्भ हो गया आप लोगों के लिए प्रजातन्त्र और

[श्री समर मुखर्जी]

अधिक खतरनाक हो गया है। इसलिए आप विशेषकर पश्चिम बंगाल में उप-चुनावों को कराने में भयभीत हो रहे हैं। इसलिए इनकी पार्टी ने निगम के चुनावों का बहिस्कार करने का निर्णय लिया था। (व्यवधान) इन्हें चुनावों से भय लगता है। कांग्रेस-आई अध्यक्ष ने यहां आकर हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी को प्रभावित किया। इसलिए उप-चुनाव को स्थगित किया गया था। इस उप-चुनाव को राज्य-सरकार के परामर्श से 17 मई को करवाना निश्चित था। तुरन्त बाद ही इसे स्थगित कर दिय गया। सभी स्थानों से इसका तीव्र विरोध किया गया तथा अन्ततः यह घोषण की गई कि उप-चुनाव कराये जाएंगे। (व्यवधान) महोदय, बार-बार इस मुद्दे को यहां उठाया गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस आई की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों को उलटने का षड्यन्त्र बनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल इस का पहला लक्ष्य है। बार-बार इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी गैर कांग्रेस-आई राज्य-सरकार को गिराने की इनकी मंशा नहीं है। मुझे नहीं पता कि बार-बार आश्वासन देना क्यों जरूरी है। हमें पिछले अनुभवों का पता है। 1967 तथा 1972 के बीच पश्चिम बंगाल में 4 बार चुनाव करांये गये थे। अतः हम इस अवधि के दौरान अनुभव कर चुके हैं हम जानते हैं कि साम्यवाद को कुचलने के लिए आपकी पार्टी अमरीकी एजेंन्सियों से भी धन लेने से नहीं हिचकिचायी श्री मोनीहान द्वार लिखित पुस्तक से यह स्पष्ट है। इस बात को सभी जानते हैं। इन तीतियों के कारण पूरे भारत वर्ष में जनता के विभिन्न वर्गों में बहुत अधिक असन्तोष बढ़ रहा है। जो लोग विघटनकारी तथा साम्प्रदायिक प्रवृति के पोषक हैं, उन्हें सत्तारूढ़ दल अधिकारी प्रोत्साहन दे रहा है .....(व्यवधान) मैं गुजरात में या गथा तथा वहां मुझे पता चला है कि गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन में कांग्रेस-आई पार्टी के लोग भी शामिल थे। अतः आपके द्वारा इस प्रवृति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के लिए इस सारी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। आप दल-बबल के प्रोत्साहन दे रहे हैं। वहां को राज्य सरकार को हराया नहीं जा सकता। इसलिए आप असामाजिक तत्वों को भड़काकर वहां कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं.....(व्यवधान). अब पश्चिम बंगाल में गुण्डों को संगठित किया जा रहा है। आप इन्हें प्रति दिन वहां भेज रहे हैं। आप कहते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोगों को मार रहे हैं। परन्तु इन लोगों को यहां से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वे कुछ सुबह-सुबह आते हैं तथा यहां से निर्देश प्राप्त करके शाम के हवाई जहाज से वापस चले जाते हैं। अगले दिन वे पुनः यहां विचार विमर्श करते हैं तथा वापिस भी चले जाते हैं। ये सब बातें समाचार-पत्रों में छपती रही हैं। आपने सरकार उलटने की स्थितियां पैदा कर दी हैं। मुझे अपने भूतपूर्व संसद सदस्य श्री राबिन सेन से एक तार प्राप्त हुआ है। इस तार में उन्होंने उल्लेख किया है कि लोकों हड़ताल तोड़ने के लिए जिन असमाजिक तत्वों को बढ़ावा दिया गया था, उन्हें अब कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का काम लाया जा रहा है। ये लोग डायमंड क्लब, कोलकाता में बम बना रहे थे। बम के फटने से वे लोग घायल हो गये। हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री मकवाना तथा अन्य लोग इन असामाजिक तत्वों को देखने के लिए हस्पताल गये थे.....

(व्यवधान) मैं आपको केवल एक चेतावनी दे रहा हूं। 1972 में इन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनावों में हेराफेरी की थी तथा अर्द्ध फासिस्ट आतंक पैदा किया था। उस समय, हमने सारे देश को यह बताया था कि यह सारे देश, प्रजातंत्र तथा संसदीय प्रणाली को नष्ट करने की ओर एक संकेत है। पुनः पश्चिम बंगाल को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। यह भी संसदीय प्रजातन्त्र पर हमले का एक संकेत है। इस संसदीय प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिए देश भर की प्रजातान्त्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट तथा संगठित होना होगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना दिये गये किसी भी भाषण को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री आर० एस० स्पैरो को बोलने की अनुमति देने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि अने सदस्य प्रस्ताव पर बोलने के इच्छुक हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दलों सदस्य इस प्रस्ताव पर बोल सकें, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषण केवल द मिनट तक ही सीमित रखें तथा इस बात का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। यदि आप अप बात को न दोहराये तथा केवल नये मुद्दों की ही चर्चा करें तो प्रत्येक सदस्य दस मिनट के अन्त ही अपनी बात कह सकता है। दस मिनट के बाद मैं घंटी बजाऊंगा तथा अगले सदस्य को बोल के लिए कहूंगा। यदि माननीय सदस्य बोलना जारी रखेंगे, तो उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलि नहीं किया जायेगा। हमें 8.00 बजे अपराह्न तक यह समाप्त करना है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कल उनके कक्ष तथा आज इस सभा में पुनः यह स्वीकार किया गया था कि इस विषय पर 12.00 बजे विचार-विमर्श किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : (जयपुर) : यह कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी मंशा यह है कि जो भी सदस्य बोलना चाहता है, उसे बो का मौका देना चाहिए। यह बात नहीं है कि केवल कुछेक सदस्यों को ही बोलना चाहिए। मंशा यह है कि इस विषय पर पूर्ण चर्चा होनी चाहिये तथा दोनों पक्षों के सदस्यों को बोलने अवसर मिलना चाहिये।

श्री बीजूपटनायक (केन्द्रपाड़ा) : यदि इस विषय पर आज चर्चा समाप्त नहीं हो पाती इसे कल भी जारी रखा जा सकता है।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : कल नहीं, आज ही इसे समाप्त करना है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव की मैं घोर निन्दा करता हूं।

इस सत्र के दौरान सभी विषयों पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है तथा सभा के समक्ष सरकार के कार्य-निष्पादन के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर चर्चा की जा चुकी है। इसी-लिए मैं किसी प्रकार के आंकड़े अथवा उद्धरण प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि यह सब असंगत है तथा कुछ पक्षों द्वारा अपने विचार तथा सनक की संतुष्टि के लिये पुस्तकों का उल्लेख किया गया तथा अनेक उद्धरण दिये जाते हैं, जिसको सुनने के लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है। तथापि, महोदय, मैं मुख्यतया भारत के आम आदमी के विचार रखूंगा तथा इस सन्दर्भ में जो एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि करोड़ों भारतवासियों के जीवन तथा उन्नति को प्रभावित करने वाली अनेक समस्याओं को सुलझाने के लिये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय कुशलता तथा समर्पित इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इसी आधार-वाक्य पर मैं निर्धारित समय के भीतर इस अविश्वास प्रस्ताव से सम्बन्धित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा।

भारत इस समय एक विकासशील देश के रूप में कठिन दौर से गुजर रहा है तथा प्रत्येक विकासशील देश अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। तथा हमारे देश में अनेक वर्णों, धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों तथा अनेक आर्थिक दलों के 68 करोड़ लोग हैं तथा इनकी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस एवं मजबूत हाथ तथा आपसी सहायता की आवश्यकता है। महोदय, इस सन्दर्भ में मैंने इस मुद्दे को उठाया है क्योंकि यह आवश्यक है। भारत के सन्दर्भ में यह बात लागू होती है। समस्याओं का चलताऊ समाधान ढूंढने से कोई लाभ नहीं होगा। एक बार विकासशील स्तर की सीमा पार कर लेने के बाद जब कोई देश विकसित देश बन जाता है तो वह कुछ स्थिर तथा मजबूत बन जाता हैं। केवल महत्वपूर्ण तथा विशेषज्ञ व्यक्ति ही समस्याओं को सुलझाते हैं तथा जनता के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाते हैं। यही बात पिछड़े देश पर भी लागू होती है, जिसे आस-पास की घटनाओं का पता नहीं होता। किसी के अधीन होते हुए भी एक प्रकार की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। ये तीन विभिन्न अवस्थाएं हैं तथा हम फिलहाल विकासशील अवस्था से गुजर रहे हैं। तथा इस सन्दर्भ में मैं सभा के समक्ष पूरी ईमानदारी से यह बताना चाहता हूं कि मेरे विचार से जो प्रगति और कार्य वर्तमान सरकार के नेतृत्व में किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है। चूंकि समय कम है इसलिये मैं कुछ उदाहरणों को ही दूंगा। ये उदाहरण आर्थिक योजनाओं, 20 सूत्री कार्यक्रम, छोटे किसानों, कृषि मजदूरों, फैक्टरी मजदूरों, दस्तकारों, लघु-उद्योगपतियों, पिछड़े वर्ग के लोगों, आदिवासियों गरीब हरिजनों इत्यादि से सम्बन्धित हो सकते हैं। जिन लोगों के पास कुछ नहीं है तथा जो वास्तव में निर्धन हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने पर

पूरा जोर दिया जा रहा है। संक्षेप में इन्हीं प्रयासों पर जोर दिया गया है। हमने योजनाओं के सम्बन्ध में किये गये विचार-विमर्श को सुना है, हमने प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई समीक्षा के उपरान्त प्रत्येक मांग पर विचार किया है। अतः महोदय, जिस सदस्य ने भी इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, मैं उनसे यह बात पूछना चाहता हूं कि उपर्युक्त स्थिति में, जबकि स्पष्टतः जनता की जागरूकता के बारे में राजनीति क्षेत्र में कार्य करने वाले-सभी व्यक्तियों को इस स्थिति का पता है, इस अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सबसे निचले स्तर पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह न जानता हो कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा होती है? और प्रत्येक व्यक्ति उसकी आकांक्षाओं, उसकी मांगों, उसके अधिकारों और उसकी आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझता है और आप उसे एक सीमा से आगे बेवकूफ नहीं बना सकते। यदि ऐसा है तो फिर ये लोग इन्दिरा गांधी के इर्द-गिर्द क्यों मंडराते हैं। वे लाखों लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों?

उन्हें मालूम है कि वे क्या कर रहे हैं। आप चाहे कुछ ही कहते रहिये मगर बात यही है कि केवल इंदिरा गांधी और उनका दल ही समय-समय पर बड़े पैमाने पर जनता के जीवन स्तर में सुधार करने और उसे ऊपर उठाने पर विचार करता रहा है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

आप चाहें तो मैं एक दो उदाहरण दूं? मैं निर्धारित समय के भीतर आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जिन्हें कोई भी आसानी से समझ सकता है। मैं सरकार की ओर से एक उदाहरण देता हूं। आपने किसानों के बारे में बात की है मैं पिछले 12 वर्षों से किसान खेत मजदूर दल, पंजाब के अध्यक्ष की हैसियत से आपको एक बात बताता हूं। वहां से प्राप्त अनुभव के आधार पर मैं आपको एक बात बताता हूं जिससे शायद आप सहमत हों।

इधर तेल का संकट बरा हुआ है। आज के युग में डीजल, तेल और पम्पों के बिना खेती नहीं की जा सकती। इस कारण कुछ देशों को तो बाइसाईकिल का सहारा लेना पड़ा। इस दौर का यह गंभीर तेल संकट है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे असम, नाहरकटिया, तिनसुखिया और दिगबोई आदि से तेल मिलता था। इन स्थानों से हर महीने हमें 1,30,000 टन डीजल मिलता था। 12 महीने से इन स्थानों पर कुछ नहीं हो रहा—कारण हम सब जानते हैं। इतना अधिक डीजल हमने बाहर से कैसे मंगाया? इसकी वित्त व्यवस्था कैसे की गई? विदेशी मामलों—मैत्री आपसी लेन-देन और विचार-विमर्श की सहायता से किस प्रकार व्यवस्था की गई? यह बहुत ही सनसनीखेज बात है। इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमारे यहां ट्रैक्टर, ट्रक, पम्प और सब कुछ चलता रहा। इन परिस्थितियों में भी हम चीजें लाते रहे और अपने बाजार भरते रहे।

[श्री आर० एस० स्पैरो]

अब एक उदाहरण विपक्ष से लीजिए। हम चीनी और गन्ने की बात कर रहे हैं। क्या आपको याद है—मैं तो बड़ी आसानी से जबानी हिसाब लगाकर बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ का गन्ना जला दिया गया था। यह सब अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह क्यों जला दिया गया था। पर ऐसा हुआ।

इतना ही नहीं, मेरे पास एक छोटा-सा फार्म था। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के खेतों से 26 लाख टन आलू सड़ गया। परन्तु उसे उठाया नहीं जा सका। वे उसे उन क्षेत्रों में क्यों नहीं भेज सके जहां लोग भूखे मर रहे थे? बावजूद अनुरोध के कुछ नहीं किया गया। आलू सड़ गया और किसानों को कुछ नहीं मिला।

मैं ऐसी बहुत-सी बातें बता सकता हूं। मगर उपाध्यक्ष महोदय ने जरा सख्ती से समय निर्धारित कर दिया है। अब यह अविश्वास प्रस्ताव हमारे सामने है। मैं एक सीधा-सा सवाल पूछता हूं: "यदि आपको हम पर विश्वास नहीं है तो आप यह सारी सत्ता किसे सौंपना चाहते हैं? कौन करेगा यह सब? क्या जनता पार्टी अपने 6 अलग-अलग घटकों के साथ यह काम सम्भाल सकती है? मेरा साधारण-सा प्रश्न है कि क्या आप चाहते हैं कि हम उन्हें सौंप दें? इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? मैं इस प्रस्ताव का उद्देश्य जानना चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति जो देश को आगे ले जा सकता है, ऐसी सरकार जो लोगों को संतुष्ट कर सकती है जिसने एकरूप ढग से, धर्मनिरपेक्ष रूप से कुछ नीतियां बनाई हैं क्या आप चाहते हैं कि एक जरा सी चाल से, जिसे आप अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, उन्हें निकाल बाहर किया जाये? मैं कहता हूं इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। किसी कारणवश मैं यहां उसका ब्यौरा नहीं दे रहा। मैं सिर्फ एक मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं जिस पर आप विचार कर सकते है। धुआंधार भाषणों और नारों से देश नहीं चलाये जाते। नहीं। यह बहुत जटिल मामला होता है। इसमें निर्णय लेने होते हैं। आज की दुनिया में बड़े तार्किक ढाले लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ता है। आप किसी दाम या दक्षिण से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीं। यह बहुत बड़ा मामला होता है इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस निरर्थक अविश्वास प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद श्री स्पैरो। आपने 6.30 पर बोलना शुरू किया था और 6.40 पर अपनी बात समाप्त कर दी। बहुत अच्छा। यह अन्य वक्ताओं के लिए एक उदाहरण है। श्री दण्डपाणि। (व्यवधान) श्री शास्त्री, कुछ समय पहले आप भी हममें से एक थे। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आपको यहां आकर बोलना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपके कदमों पर चल रहे हैं। चलिए ठीक है। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है

कि हम सरकार के विरुद्ध ऐसे समय पर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं जबकि सरकार की नेता भारत में नहीं हैं। श्रीमती गांधी केवल एक राजनैतिक दल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नेता हैं। वे भारत सरकार की प्रतिनिधि हैं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह उनकी बदनामी कर रहे हैं। वे मानवता की नेता हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि : इनके लिए मानवता का अर्थ कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है। बहरहाल वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं और वे एक महत्वपूर्ण कार्य से विदेशों के दौरे पर गयी हुई हैं। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस को जो बहुत बुद्धिमान हैं और बहुत अच्छे सांसद हैं ऐसे समय पर यह प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था जबकि प्रधानमंत्री देश के बाहर गयी हुई हैं। (व्यवधान)

जहां तक चर्चा का संबंध है हमारे माननीय वित्त मंत्री ने दोपहर में कह दिया है कि वे सभा में सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों से निपट सकते हैं। क्योंकि ये वही मुद्दे हैं जिन पर हम राष्ट्रपति के भाषण तथा बजट के दौरान चर्चा कर चुके हैं। इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह इस लम्बे सत्र के अन्तिम दिन की कवायद है। बजट सत्र का सारांश प्रस्तुत करके उस पर चर्चा की जा रही है।

मेरे नेता डा० करुणानिधि ने 1979 में भारत, दिल्ली में गड़बड़ घोटाला देखकर कहा था कि उस समय दिल्ली में जो राजनैतिक गड़बड़ चल रही थी उसी के कारण नेताओं के बीच सत्ता और अन्य सुविधाओं को लेकर आपस में लड़ाई हुई।

मेरे एक मात्र नेता डा० करुणानिधि ने मद्रास में श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्वागत करते हुए तमिल में कुछ शब्द कहे थे जिनका अर्थ था, "नेहरू जी की पुत्री का स्वागत कीजिए। देश को स्थायी सरकार दीजिए।" हमारे नेता ने उनका इस तरह स्वागत किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दंडपाणि मेरे विचार में यह शब्द सच साबित हुए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप अध्यक्ष से कुछ टिप्पणियां बुलवा रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे ख्याल से आपको सावधानी से काम लेना चाहिए।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

एक माननीय सदस्य : समय-सीमा तो इन पर भी लागू होती है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, हां। कृपया आप भी दस मिनट ही बोलिए। जैसा पहले निर्णय किया जा चुका है।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं औरों की तरह अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का उल्लंघन नहीं

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

कर सकता। निस्संदेह 1977 में सरकार की बदली। लोगों ने उसे दल विशेष के लिए अपना मत दिया। मैं उन्हें राजनैतिक दल नहीं कहूंगा। बहरहाल, जनता और कांग्रेस फार डेमोक्रेसी जैसे दो राजनैतिक दल सत्ता में आये। लोगों ने कहा कि वे देश पर शासन करने के योग्य नहीं थे। इसी लिए लोगों ने उन्हें वापिस बुला लिया और उन्हें जाना पड़ा। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का संबंध है ये लोक सभा और विधान सभाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं परन्तु जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है अविश्वास प्रस्ताव तो बस एक ही था जिसने सारे देश को हिलाकर रख दिया। यह था जनता सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव। हम सब जानते हैं कि उसके बाद वह सरकार नहीं रही।

जहां तक अन्य समस्याओं का संबंध है जैसे आयोजना अथवा योजनागत नियतन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और अन्य मामले, ये सब प्रकाशित हो चुके हैं। उनको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि विशेषत: जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न नियतन करती है तो उसे देखना चाहिए कि उसका ठीक से उपयोग किया जा रहा है और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है भारत में इसकी निगरानी करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तभी हमारे कार्यक्रमों और आयोजना नीति का कुछ मतलब होगा। हमारे जार्ज ने भी यही बात कही थी परन्तु उन्होंने इसके निष्पादन के बारे में जो कुछ कहा था वैसा नही है।

यह सच है कि साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। मैं किसी सम्प्रदाय विशेष पर आरोप नहीं लगाना चाहता बल्कि यह कहता हूं कि यही सच है कि सभी राजनैतिक दल साम्प्रदायिक दंगों के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि इन्हीं राजनैतिक दलों के नेता सार्वजनिक मंच पर बोलते हैं। अपने निजी जीवन में हम इन दंगों के समर्थक नहीं हैं। हम सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, सांप्रदायिक मेल-मिलाप चाहते हैं लेकिन सबको अपने दिल पर हाथ रखकर इसे स्वीकार करना चाहिए। उदाहरण के लिए मुरादाबाद में क्या हुआ ? कहीं से सिर्फ एक सुअर गुजर गया और दंगे शुरू हो गये। बिहार शरीफ में ताड़ी की दुकान से दंगे शुरू हुए। अहमदाबाद में एक गाय को मार देने से मुसीबत खड़ी हो गई। यह ऐसी बातें हैं जिनके लिए सरकार को देश में सामान्य स्थिति लाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार अपने आप कुछ नहीं कर सकती। सभी संगठनों, केन्द्रीय बल और राजनैतिक दलों को ही कुछ करना चाहिए तभी यह हो सकता है।

राष्ट्रीय एकता के लिए भी सरकार और अन्य राजनैतिक दलों को मेल-मिलाप का वातावरण बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने की नीति तैयार कम करनी चाहिए। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान हरिजनों पर अत्याचार हुए, उनके शासन (जनता) में नहीं। मेरे पास आंकड़े हैं। उनके अनुसार 1976 में जब कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, 169 सांप्रदायिक दंगे हुए। 1977 में इनकी संख्या बढ़कर 188 हो गई। उनके शासन काल के दौरान इनकी संख्या घटनी चाहिए थी। लेकिन उनमें वृद्धि हुई। कारण मैं नहीं बता सकता। यह सिलसिला जनता शासन में शुरू हुआ और बढ़ता ही गया।

जहां तक अत्याचार और उत्पीड़न का संबंध है, अध्याय 9 में एक तालिका दी गई है जिसमें 1976, 1977 तथा जून, 1978 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों से ताल्लुक रखने वालों अपराधों जिनका शिकार वे बने, दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शायी गई है जिसमें 1976 की तुलना में 1977 के दौरान हुए अपराधों की वृद्धि अथवा घटत का प्रतिशत भी दिया गया है। हरिजनों के मामले में 75.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि आदिवासियों के मामले में 6,6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपर्युक्त तालिका से यह पता चलेगा कि वर्ष 1977 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले 1976 के मुकाबले अधिक थे। अनुसूचित जातियों पर किये गए अत्याचार के 10, 879 मामले वर्ष 1977 के दौरान दर्ज किए गए जो वर्ष 1976 के दौरान दर्ज कराए गए अत्याचार के मामलों से 75.5 प्रतिशत अधिक थे।

दूसरे, हर रोज हम हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की बात करते हैं। मैंने खुद इस संबंध में कई मामले उठाए हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। मेरे दोस्तों ने यह कहा है कि जब हरिजनों को जान से मारा जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, तो केन्द्र सरकार को उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। यह तर्क देते हैं वे लोग। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि 1978 में इसी सभा में श्री ए० के० राय और अन्य सदस्यों ने गृह मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब 21 फरवरी, 1979 को दिया गया था। प्रश्न यह था :

> "1978 के दौरान देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर कितनी और किस तरह के अत्याचारों की घटनाएं घटीं और उनके परिणाम स्वरूप जान-माल की क्या हानि हुई; और हरिजनों को आवश्यक राहत तथा संरक्षण प्रदान करने की दिशा में क्या उपाय किए गए हैं? जनता सरकार की ओर से इसका उत्तर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री घनिक लाल मण्डल ने 21 फरवरी, 1979 को दिया गया था।
>
> '....अनुसूचित जातियों पर किए जाने वाले अपराध कानून के अन्तर्गत दण्ड योग्य हैं और वे सार्वजनिक व्यवस्था की परिभाषा के भीतर आते हैं, जोकि राज्य का विषय है।'

अतः जनता शासन के दौरान केन्द्र सरकार इस मामले में इसलिए हस्तक्षेप नहीं कर सकी क्योंकि यह राज्य का विषय है। अब जबकि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, तो केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। चूंकि राज्य का विषय होने के कारण वह हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो वे सभा में उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन में हमारा एक ही मानदण्ड होना चाहिये दोहरे मानदण्ड नहीं होने चाहिए। इसीलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं श्री समर मुखर्जी के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा। जहां तक आर्थिक नीति के बारे में उनके विचारों का सवाल है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और उनका समर्थन करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया है। लेकिन उन्होंने तमिलनाडु में कृषकों द्वारा स्थानीय सरकार के विरुद्ध छेड़े गए आन्दोलन का जिक्र नहीं किया है। तमिलनाडु में सी पी एम दल कृषकों का समर्थन नहीं कर रहा है। लेकिन सारे देश में कृषकों की एक सी समस्याएं हैं। इस संबंध में यह नहीं होना चाहिए कि हम एक का समर्थन करें दूसरे का

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

नहीं । उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया है । जब मैं III फार्म का छात्र था, तो मैं कम्यूनिस्ट पार्टी की कुछ क्लासों में जाया करता था क्योंकि अध्यापक मुझे उन क्लासों में ले जाया करते थे । उसके बाद आज मुझे कम्यूनिस्ट पार्टी वर्कर्स क्लास में जाने का एक और अवसर मिला है जिसका संचालन माननीय सदस्य श्री समर मुखर्जी ने किया । उन्होंने सम्पूर्ण आर्थिक नीति का वर्णन किया और यह कहा कि आज की व्यवस्था जनता, आम लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करती । उन्होंने रूस और चीन में प्रचलित व्यवस्था का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए । लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया हमारे देश में कौन सी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए या किस व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए ।

जहां तक श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व का सम्बन्ध हैं, यद्यपि कुछ सदस्य यह कहेंगे कि उन्हें उनकी सरकार में कोई विश्वास नहीं है। मैं कहूंगा कि सारे देश को उन पर विश्वास है, मैं यह भी कहूंगा कि वह गरीबों की एक मात्र आशा है और ऐसे आम आदमियों के लिए आशा की एक मात्र किस्सा है जो दूर-दराज के गांवों में रहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं श्री फर्नान्डीस द्वारा रखे गए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री आरिफ मौहम्मद खां (कानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको भी धन्यवाद देने से पहले श्री जार्ज फर्नान्डीस को धन्यवाद दूंगा कि पूरे साल में आज पहला मौका है जब अपनी तकरीर का जबाब सुनने के लिए वे सदन में बैठे हुए हैं । मैंने किसी बुरी भावना से यह बात नहीं कही है बल्कि इसलिए कही है कि उनके भाषण की चर्चा सब जगह होती है, हम भी बहुत प्रभावित हैं, वे बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और जब वे बोलते हैं तो लगता है कि छोटे गरीब मजदूर किसान, अल्पसंख्यक—इन लोगों का उनसे बड़ा हमदर्द दूसरा कोई भी इस देश में नहीं है दिल में आता है कि इनके ऊपर ईमान ले आऊं लेकिन श्रीमन्, जब नज़र इनके कामों पर उठती है तो डर लगता है । इसलिए कि रेलवे का सबसे बड़ा आन्दोलन देश में श्री जार्ज फर्नान्डीस के नेतृत्व में हुआ और 1977 में ऐसी सरकार बनी जिसमें ये खुद मंत्री थे तब हमने सोचा था कि अब रेलवे के मजदूरों की सारी मांगें मान ली जायेंगी लेकिन रेलवे के मजदूरों की जो मांगें उस वक्त थीं जब इन्होंने आन्दोलन चलाया था वह शायद आज तक चल रही हैं । रेलवे के मजदूरों की लाशों पर पैर रखकर श्री जार्ज फर्नान्डीस उन्हें सीढ़ी की तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैबिनेट तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसके बाद, उनकी मांगें क्या हैं यह भी उन्हें याद नहीं रहता है ।

आज बिहार शरीफ से शुरूआत की । अल्पसंख्यकों के हमदर्द ···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज कहते हैं यदि वह रेल मंत्री होते, तो वह यह कर देते ।

श्री आरिफ मौहम्मद खां : महोदय, क्षमा करें, मैं उनकी बात नहीं समझ सका । (व्यवधान) मैं उनकी बात बाद में सुनूंगा । उन्हें उत्तर देने का अधिकार है । बिहार-शरीफ से शुरूआत की । बिहार शरीफ, हरिजन, मजदूर, जैसा कि मैं पहले कह रहा था और इस तरफ बाबू जी बैठे हुए

हैं। श्री जॉर्ज साहब का संबंध उस पार्टी से है, जिसके नेता माननीय चौधरी चरणसिंह है, जो यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि एक हरिजन चाहे वह उप-प्रधान-मंत्री का बेटा हो, उनकी बिरादरी की लड़की से सम्बन्ध स्थापित कर सके। अपने लेखपाल, जिन्हें कहते हैं कि मेरे गोद लिए हुए बेटे हैं, उनके जरिए बाबू जी के बेटे और उनके मित्र का अपहरण कर दिया।

एक माननीय सदस्य : इससे ताल्लुक क्या है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इससे ताल्लुक है, हरिजनों के प्रति कितनी हमदर्दी है। हरिजनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वह जितने बड़े ओहदे पर हों। यह वही लीडर है, जो जार्ज साहब के लीडर है··· (व्यवधान) ·· जी हां, यह बोलने वाली चीज है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली वाकया नहीं है। सम्पूर्ण क्रान्ति के बाजार में गांधीवाद का बोर्ड लगाकर बैठने वाले लोग, उन्होंने हर काम किया जो गांधी जी की शिक्षा और उनके विरोध में था। मैं किसी एक वाकया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, उस मैंटेलिटी की, उस समझ की, उस सोच की, जो इन्सानों को बिरादरी के आधार पर बांटती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो मुहब्बत और चिन्ता दिखाई है, उस चिन्ता के बारे में हमें बहुत शुब्हा है कि आप की चिन्ता कितनी सही है। शुब्हा इसलिए भी है कि एक और नो-कान्फिडेन्स-मोशन दो साल पहले आया था। उस में आप ने बड़ी शानदार तकरीर की थी, आंकड़ों का सहारा लिया था और उतनी शानदार तकरीर करने के बाद पार्टी से अलग हो गये···

श्री पी० शिवशंकर : दूसरे ही दिन।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर आप की चिन्ता सही होती, अगर आप दिल से बोले होते तो आप उस चूहे की तरह नहीं भागते जो जहाज में आग लगने के बाद पानी में कूद पड़ता है। लोक दल वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आज भी इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया है, लेकिन दो दिन बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं है। जार्ज फर्नान्डीज साहब ने आंकड़ों का सहारा लिया और कहा कि मैं अखबारों पर नहीं, बल्कि होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों से साबित करने की कोशिश करता हूं। यह सरकार अक्षम है यह सरकार काम नहीं कर रही है, उन्होंने मेनिफेस्टो भी दिखलाया, कुछ और बातें भी कीं ··(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री जार्ज फर्नान्डीज और उनके साथियों को बतलाना चाहता हूं कि सरकार आंकड़ों के सहारे नहीं चलती है सरकार चलती है—प्रतिष्ठा और सम्मान से, सरकार चलती है—ऐतबार के सहारे, सरकार चलती है डिगनिटी और अथारिटी से। सरकार यदि आंकड़ों के सहारे चला करती तो आप अपने भाषण से मोरारजी भाई की सरकार को बचा ले गए होते। कोई लेखपाल नदी पार करने के लिए चला। उसने हिसाब लगाया कि उसका एक बच्चा 5 फुट का है, एक 4 फुट का है और उसकी बीवी साढ़े पांच फुट की है और अपना हिसाब लगाया, फिर देखा कि गंगा में इतना पानी है, इसलिए गंगा पार कर जायेंगे, फिर उसके अन्दर घुसे तो डूब गए। फिर वह कहने लगा—"हिसाब ज्यों का-त्यों, कुनबा डूबा क्यों ?"

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

जार्ज फर्नान्डीज साहब, आप भी जरा सोचिए, आप के आंकड़े हमेशा सही रहे, लेकिन कुनबा हमेशा डूबता रहा। इसका क्या कारण है? इसलिए आंकड़ों के सहारे सरकार नहीं चला करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्र 16 फरवरी से चल रहा है और आज खत्म होने जा रहा था। हमारा कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन आज पता चला कि सदन में अविश्वास का प्रस्ताव आ रहा है। स्टीफन साहब ने कल यहां कहा था – इन में इतना साहस नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की मौजूदगी में यहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाते। बात बहुत हद तक सही है। लेकिन मैं आप के माध्यम से इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि मामला सिर्फ साहस का या डर का नहीं है। अखबारों में भी यह बात आई—चूंकि यह सदन इन के किये हुए पापों को—श्रीमती इन्दिरा गांधी को इन्होंने इस सदन की सदस्यता से निष्कासित किया था, चिकमंगलूर की जनता को उन के प्रतिनिधि से वंचित किया था—उन किये हुए पापों को यह सदन कल खत्म कर रहा था, उस को रोकने के लिए ये यहां पर नो-कान्फिडेंस का मोशन लाए। कल जार्ज साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि हम इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं, यह सरकार रास्ते से भटक गई है, उस को वापस रास्ते पर लाना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन सब दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं हूं—न इन के दिल में उस रेजोल्यूशन का डर था और न ही ये सरकार की निन्दा करना चाहते थे, बल्कि इस का कारण यह था—आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे पड़ौसी देश को पश्चिमी ताकतें हथियारों से लैस करने पर तुली हुई हैं, हमारे इस क्षेत्र को बड़ी ताकतों की कशमकश और उन रण-भूमि बनाने की कोशिश की जा रही है, श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने देशवासियों को उस आने वाली मुसीबत से आगाह कर रही थीं और कह रही थीं कि देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है—ऐसे वक्त में वह स्विटजरलैंड जाती हैं, इस मौके का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के उन मुल्कों को बताने के लिए कि भारत का दृष्टिकोण क्या है, इस क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने के लिए हथियारों की सप्लाई न की जाय, उन मुल्कों को, वहां कोई स्थिरता नहीं है। वे अपने इस दृष्टिकोण को अन्तर्राष्ट्रीय मंच से बतलाने के लिए वहां गई। आप जानते हैं—श्रीमती इन्दिरा गांधी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है, वे इस संसद और इस देश की जनता को भी वर्तमान परिस्थितियों से आगाह करते हुए प्रभावित कर रही थीं, इन्होंने सोचा कि वे अब दूसरे देशों को भी प्रभावित करेंगी, इस लिए जरूर इस के पीछे कोई साजिश है। इन लोगों ने सोचा कि अब ऐसा काम किया जाय जिस से श्रीमती इन्दिरा गांधी की बातों के प्रभाव को कम किया जाय। बल्कि मेरा तो यह आरोप है, श्रीमन्, उन शक्तियों के इशारों पर, जो शक्तियां इस क्षेत्र को रण-भूमि बनाना चाहती हैं, वे शक्तियां जो हमारे पड़ौसी देश को असलाह दे रही हैं, फौजी समान दे रही हैं, उन शक्तियों के इशारे पर चन्द लोगों ने पार्लियामेन्ट के सदस्यों के इस प्रिवलेज का नाजायज इस्तेमाल किया है ताकि इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। कल ही इस सदन में इन का अविश्वास प्रस्ताव विचार के लिए एडमिट हुआ था, कल ही कुछ देशों के अखबारों और रेडियो ने बड़े-बड़े अक्षरों में कहना शुरू कर दिया कि वह प्रधान मंत्री जिस के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो, क्या वह अपने देश का प्रतिनिधित्व

अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर करने की हकदार है ? इन का यही उद्देश्य था, मैं इस के अलावा कोई दूसरी बात मानने को तैयार नहीं हूं। यह ऐसा मामला है जिस में राष्ट्र की प्रतिष्ठा को चुनौती दी गई है, राष्ट्रीय हितों को चुनौती दी गई है, ऐसा काम किया गया है जो सरासर हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत है।

इस लिए, श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करता हूं, बल्कि इस की निन्दा करता हूं कि ये लोग इस प्रस्ताव को ऐसे समय पर ले कर आए हैं, वरना इस सेशन को चलते हुए तीन महीने हो गए हैं, सरकार की निन्दा करने के रोज़ाना मौके आते थे, बजट प्रपोज़ल्ज़ के वक्त सरकार की निन्दा कर सकते थे, उस वक्त आप ने निन्दा क्यों नहीं की ? क्या आप के पास यही मौका रह गया था कि सत्र समाप्ति के दो दिन पहले इस प्रस्ताव को यहां लाए ? इसीलिए यह प्रस्ताव लाया गया है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि जो इस में कहा गया है, जो कुछ इस के उद्देश्य बताए गए हैं, उन पर यह सदन यकीन नहीं करता और मैं भी यकीन नहीं करता।

अभी चन्द दिन पहले, जार्ज फर्नान्डीस साहब की हम ने तकरीर सुनी थी इसी सदन में। स्पेशल बीयेरर बोंड्स के विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आवाहन् दिया था, लोक दल के राष्ट्रीय नेता ने कहा था कि काले धन वाले जब बैंकों पर पहुंचे, तो हमारे कार्यकर्ता इन्हें पकड़ कर ले जाएं और पुलिस में इन की इत्तिला दें। मैं आप के माध्यम से इन से पूछना चाहता हूं कि इन के कार्यकर्ताओं ने कितने काले धन वालों को पकड़ा ? क्या सिर्फ उन को डराने के लिए ऐसी बात कही गई थी कि वे लोक दल के लोकल यूनिट से बात कर के बैंको में जाएं और कोई फैसला कर लें, जो कुछ करना है। मैं, श्रीमन्, दावे से कहता हूं कि अगर इन में कोई भी ईमानदारी होती, पहले तो हमें इन की ईमानदारी से अपील करने में ही शुबाह है लेकिन अगर इन में ईमानदारी हो भी, इन के कार्यकर्ताओं में नैतिक साहस हो भी, और वे अगर काले धन वालों को पकड़ना शुरू करें भी, तो शायद पहला छापा इन के घर पर पड़ेगा। वे इन से पूछेंगे कि आप अपने खर्चे का हिसाब-किताब दीजिए और इसीलिए हम यह कहते हैं कि हमें इन की नीयत पर, इन के उद्देश्य पर, इन की मंशा पर शुबाह है। यह साधारण अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, यह निहायत खतरनाक तरीका है।...(व्यवधान)...इन को गुस्सा आने लगा। कल हम ने श्री जेठमलानी का गुस्सा देखा था। आप इस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहिये तो मैं आप को एक चीज सुना दूं :

क्रोधात्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृति विभ्रमः ।
स्मृतिभ्रमशात्बुद्धिनाशो बुद्धि नाशात्प्रण श्यति ॥

शास्त्री जी, यह खास तौर से आप के लिए है। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा करेंगे तो बुद्धि भ्रम में हो जाएगी और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए गुस्सा मत कीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं कभी गुस्सा नहीं करता।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आप से छोटा हूं, आप से भी सीखने की कोशिश करूंगा। अगर गलती होगी तो आप से भी सीख लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शास्त्री जी को सलाह दे रहे हैं जैसा कि श्री मुरुगैयन ने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को दी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह उन पर भी लागू होती है।

मैंने जैसा पहले कहा कि यह प्रस्ताव असल में अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, इस प्रस्ताव का उद्देश्य कुछ और है। जो बातें जार्ज फर्नान्डीस साहब ने कही, उन को हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में प्रधान मंत्री जी के बारे में कुछ बातें कही। मैं उन से एक बात कहूंगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिए कोई बात करने से पहले थोड़ा पीछे की तरफ नजर डालें। इन्दिरा गांधी जी किसी राजनीतिक एक्सीडेंट की वजह से सरकार में नहीं आई हैं। इन्दिरा गांधी भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में जो क्रान्ति की लड़ाई थी, उन का व्यक्तित्व उन की पैदावार है और 12 साल की उम्र में, जब जार्ज फर्नान्डीस साहब गुल्ली डंडा खेल रहे होगें और इन्हीं बेंचों पर बैठने वाले इन के दूसरे साथी आगरा की अदालत में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के खिलाफ सरकारी वकील बन कर शहादत दे रहे थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस 12 साल की उम्र में बच्चों की एक वानर सेना बनाई और आजादी की लड़ाई में अपना सहयोग और योगदान दिया था।''' (व्यवधान) '''हम यह नहीं कहते कि सारे काम हो गये, बहुत ज्यादा काम करने को बाकी हैं और हमें विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) ये सारे काम करने में सफल होगी।

श्रीमन्, पूरा 30 साल का इतिहास है। इस पार्टी के नेतृत्व में कुछ काम किए गए हैं। देश में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम किए गए हैं, जिनका नतीजा हमारे सामने आया है और भी नतीजे हमारे सामने आएंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिन्हें लोग नहीं जानते। चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, प्रिवी-पर्स खत्म करना हो, संविधान में संशोधन करना हो, जिससे गरीब और छोटे वर्गों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके और चाहे कोयले उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे बीस सूत्रीय कार्यक्रम हो, जिसे गरीब और कमजोर वर्गों का, पीड़ितों का मेग्ना-कार्टा कहा जा सकता है, ये सारे काम किए गए, जिससे लोगों को आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये हमारे काम हैं। अभी भी हम संतुष्ट नहीं हैं। अभी बहुत काम करने बाकी हैं। हमें फख्र है कि हमने काम किया है। हम हिन्दुस्तान को ऐसे लोगों की जगह नहीं बनाना चाहते जो सिर्फ चीखते रहे कि हमने कुछ नहीं किया, हमको कुछ नहीं आता और दूसरों से मुकाबला करके अहसासे कमतरी में मुबतिला होते रहें। हम हिन्दुस्तान में हर हिन्दुस्तानी के अन्दर आत्म-सम्मान और आत्म विश्वास पैदा करना चाहते हैं। हमने काम किया है, हमारे नेतृत्व ने काम किया है।

आखिर में मैं समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि श्री समर मुखर्जी हिन्दुस्तान का मुकाबला रूस और चीन से कर रहे थे। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि रूस और चीन में

सरकार चलाने वालों के सामने समर मुखर्जी बैठे हुए नजर नहीं आते, जो हमेशा तोड़-फोड़ की बात करते हों और सरकार के खिलाफ हर वक्त नो-कान्फीडेंस की बात करते हों। सरकार का कोई भी अच्छा या गलत काम हो, उसकी निन्दा अवश्य होनी चाहिए, ऐसे विघटनकारी और विकास में रूकावट डालने वाले तत्वों को वहां पर काम करने की इजाजत नहीं है।

आप कहते है कि हम पूंजीवादी समाजवाद की ओर चल रहे हैं। यह आपका समाजवाद है। हमारा समाजवाद तो यही है जहां मानवीय मूल्यों की रक्षा होती हो, इन्सानी कद्रों का बचाव होता हो, लेकिन अगर आपका समाजवाद आया तो आपको यहां पर नारे लगाने की इजाजत नहीं होगी। आप यहां पर बोल नहीं पाएंगे। इसलिए कांग्रेस के समाजवाद को ही रहने दीजिए, कांग्रेस के समाजवाद में आपको बात करने की इजाजत है।

आखिर में मैं यह मानता हू कि हमारे अपोजीशन में बैठने वाले सारे साथी इस साजिश से परिचित नहीं थे और अब उन्हें पता चल गया होगा कि यह सिर्फ अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र विरोधी शक्तियों के इशारे पर लाया गया है और मुझे विश्वास हैं कि हमारे विरोधी पक्ष के ज्यादातर साथी इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और इसकी निन्दा करेंगे।

प्रो मधु दंडवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में रखे गये अविश्वास प्रस्ताव का इस कारण समर्थन करता हूं कि देश में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार बनने के बाद उसने देश में सारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को खत्म करने की कोशिश की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शांत, कृपया शांत रहिये। हर सदस्य को दूसरे सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति सहनशीलता का परिचय देना चाहिये, भले ही वह सदस्य सत्तारूढ़ दल का हो अथवा विरोधी पक्ष का। कोई भी मत व्यक्त किया जाये, उसे आपको सहन करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं भड़काने वाले सारे भाषण बड़े धैर्य के साथ सुनता रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके भाषण की सराहना कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे खुशी है कि यह बात पीठासीन अधिकारी ने कही है कि उन्होंने मेरे भाषण की प्रशंसा और सराहना की है। मैं आपके निर्णय को स्वीकार करता हूँ।

यह बात सिद्ध करने के लिए कि सारे लोकतंत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है, मैं प्रधान मंत्री की खुद की कही बात कहना चाहूंगा। हाल ही में उन्होंने संसदीय लोकतंत्र बनाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली नामक विवाद पैदा किया है (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिये। उनको बोलने का अधिकार है।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस हस्तक्षेप में जो समय लगे उसे आप मेरे लिए निर्धारित समय में सम्मिलित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सबके लिए सामान्य नियम यही है।

प्रो० मधु दंडवते : जिसमें पीठासीन अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं प्रमाणिक रूप से प्रधान मंत्री महोदया की कही बात को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है, "यद्यपि मैंने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली का प्रचार नहीं किया, फिर भी संसदीय लोकतंत्र बनाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के विवादास्पद विषय पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए मैंने खुद प्रोत्साहन दिया था।" प्रधान मंत्री जी ने इस विषय पर चर्चा कराना क्यों आवश्यक समझा ? (व्यवधान) छोड़ा धैर्य रखिये और मेरी बात सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

प्रो० मधु दंडवते : जब मैं विवाद की बात करता हूँ तो वे भड़क उठते हैं। प्रधान मंत्री जी ने खुद यह स्वीकार किया है, "संसदीय लोकतंत्र बनाम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के विषय पर वाद विवाद कराने के लिए मैंने ही प्रोत्साहन दिया है।"

खूब सोच विचार के बाद संविधान सभा के सदस्य इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यदि सरकार के स्थायित्व तथा सरकार तथा मंत्रिमंडल भी जवाब देने में से किसी को चुनना हो, तो संविधान सभा स्थायित्व के मुकाबले जवाब देही को चुनेगी। यह पसन्द उन्होंने उस समय प्रकट की थी जबकि स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल जैसी दिग्गज हस्तियां, दिग्गज मंत्री मौजूद थे। उस समय भी जबकि ऐसे दिग्गज लोग मौजूद थे, उनका यह विचार था कि इन मंत्रियों को संसद, जोकि देश की सार्वभौम सभा हैं, के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। परन्तु आज राजनीतिज्ञों का एक ऐसा वर्ग है, जो यह महसूस करता है कि मंत्री मंडल में ऐसे मंत्री हैं, जिन्हें देश की संसद के प्रति उत्तरदायी होने के कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अन्तर्गत उत्तरदायित्व तो कम होगा और स्थिरता अधिक होगी। सरकार के लिए अधिक स्थिरता होगी और मंत्रियों के लिए अधिक स्थायित्व होगा। इस प्रकार इस किस्म का खतरना विवाद देश में आरंभ हो गया है।

इस देश को मीसा संबंधी विधेयक का दुखद अनुभव है, जो पांचवीं लोकसभा में पारित हुआ था, जिसका मैं भी एक सदस्य था। जब इस विधेयक को पुरः स्थापित किया गया था, तो हमने यह मांग की थी कि मीसा जैसे कानून को राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, और प्रधानमंत्री तथा तत्कालीन गृह मंत्री ने इसी सदन को यह आश्वासन दिया था कि मीसा का उपयोग तथा राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें राजनैतिक कार्यकर्ताओं को, जिनमें स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जैसे विराट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भी शामिल थे, मीसा का शिकार होना पड़ा था और एक लाख से अधिक व्यक्तियों को मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया था। (व्यवधान) जनता-सरकार ने उस

मीसा को निरस्त कर दिया था। फिर से, यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के रूप में पुरः स्थापित किया गया है.....

श्री सी० एम० स्टीफन : अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के खिलाफ ? वर्ष 1976 की सरकार के विरुद्ध ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मंत्री श्री स्टीफन की विद्वत्ता का सम्मान करता हूँ। वह इस सदन के समक्ष विचाराधीन मुद्दों को समझ नहीं पाये हैं। मैं तुलनात्मक दृष्टि से आपको बताना चाहता था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इस सदन में फिर से उस समय लाया गया है जब कि श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री हैं। हमें फिर से यह आश्वासन दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। जब हमने तत्कालीन सरकार में विश्वास नहीं किया और न विश्वास कर सकते थे, जिसने मीसा जैसा कानून पेश किया था और आपात स्थिति के दौरान मीसा का दुरुपयोग किया था। इसलिए हमें कतई इस बात में संदेह नहीं है कि वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका असम में पहले से ही दुरुपयोग हो रहा है और अन्य स्थाओं पर भी दुरुपयोग किवा जा रहा है और कुछ राज्य जो यह कहते हैं "हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उपयोग नहीं करेंगे" उन्हें यह धमकी दी जा रही है कि उन राज्यों को इस अधिनियम का उपयोग करना पड़ेगा। यह दुखद स्थिति है। यही कारण है कि मैं यह कहता हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 (1) में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाता है तो उसे पांच दिन से दस दिन की अवधि के अन्दर कारण बताने होंगे। परन्तु उसी अधिनियम की धारा 8 (2) में यह कहा गया है कि लोकहित में और राष्ट्रीय हित में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। उस मामले में संबंधित अधिकारियों को कारण बताने की आवश्यक नहीं है। ये अधिकारी हैं जो बैठे हुए हैं और हमें इस बात में कतई संदेह नहीं है कि ये अधिकारी उस समय भी कारण न बताने में संकोच नहीं करेंगे जबकि राष्ट्र भक्तों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबंद किया जाएगा। इस प्रकार लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। लोकतंत्र शब्द महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की भावना और यह दूसरा उदाहरण है जिनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट किया जा रहा है।

न्यायपालिका की स्वाधीनता और निष्पक्षता को लीजिये। आपातस्थिति के दौरान हमने जो कुछ महसूस किया वही हम आज भी महसूस कर रहे हैं। मैं स्वयं इस तथ्य का साक्षी हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर बंगलौर उच्च न्यायलय में कार्यवाही चल रही, उस समय इस सरकार के विरुद्ध न्यायाधीश महोदय द्वारा 3 आंतरिक आदेश जारी किये गये थे, उस मामले में न्यायाधीश श्री चन्द्र शेखरन् को बंगलौर उच्च न्यायलय से इलाहबाद उच्च न्यायलय में स्थानांतरित कर दिया गया था। राजनीति से प्रेरित 16 स्थानांतरण किये गये थे। जब जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई तो उस सरकार ने उन्हें अपने सम्बन्धित उच्च न्यायालयों में, यदि वे ऐसा चाहे, तो वापस

[प्रो० मधु दण्डवते]

जाने की अनुमति दी थी और 14 न्यायाधीश अपने मूल स्थानों को वापस चले गये थे। (व्यवधान) मैं जो कुछ कह रहा हूं वह बात उनके दिमाग में नही बैठ रही।

हमें पता चला है कि केन्द्रीय कानून मंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक परिपत्र भेजा था जिसमें यह कहा गया था कि परिपत्र प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनो के अन्दर वे किसी भी अन्य उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों का स्थानान्तरण करने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करें। यह अतिरिक्त न्यायधीशों को ब्लैकमेल करने का दूसरा तरीका है कि यदि वे अपनी स्वीकृति देने से इंकार करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना है कि उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा अथवा उन्हें अपने पदों पर स्थायी नहीं बनाया जाएगा। यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष दबाव है जो न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यकरण पर डाला जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नष्ट किया जा रहा है।

मैं उन भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों के ब्यौरे नहीं देना चाहता जो विभिन्न परामर्श दात्री करारों में किए जा रहे हैं। उक्त समस्या पहले ही सदन के समक्ष है। उक्त मामला पहले से ही विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय ने आज पहले ही घोषणा की है कि "उक्त मामला मेरे विचाराधीन है। मैंने मामले को अनिर्णीत रखा है।" यह विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में आया और इसलिए मैं इसके व्यापक ब्यौरे का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं केवल यह संकेत करना चाहता हूं कि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद मंत्रिमंडल की समितियों द्वारा निर्णय किए गये थे और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ परामर्शदात्री करार किये गए थे। उन करारों में परिवर्तन कर दिया गया था और काफी मात्रा में भ्रष्टाचार और कदाचार हुआ है और इस प्रकार फेर बदल की जा रही है।

ये सरकार समाचार पत्रों को धमकाने और डराने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। श्रीमान जी, समाचार पत्र लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्पूर्ण वाटरगेट घोटाले का समाचार पत्रों ने ही भण्डाफोड़ किया था और उस देश के लिए यह महत्व की बात है कि इन सभी कदाचारों और भ्रष्टाचार को स्वतंत्र निष्पक्ष और जागरुक प्रेस द्वारा प्रकट किया था। यहां पर समाचार पत्रों का गला घोंटने का प्रयास किया जा रहा है अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री ने बिहार का दौरा किया था तो वहां से वापस आने के बाद कुछ पत्रकार प्रधानमंत्री से भेंट करना चाहते थे उन्होंने उनसे मिलने से इंकार कर दिया।

श्रीमान् जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि प्रेस को अपने आचरण में सुधार करना होगा। उन्होंने यह बात नासिक में एक सम्मेलन में कही थी। उन्होंने यह बात अनेक बार-बार कही और उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने एक पुस्तक छपवायी है जो उन्होंने महाराष्ट्र के सभी संसद सदस्यों में वितरित की थी। उन्होंने यह कहा है कि देश में वर्तमान संसदीय प्रणाली न्यायपालिका की तानाशाही है। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कही है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने देश के अनेक कांग्रेस (आई) सदस्यों की राय को व्यक्त किया है। यह तरीका है जिसके अनुसार देश के शासक शासन चला रहे हैं।

श्रीमान जी, यह देश के प्रशासनिक तंत्र को क्षति पहुँचाने के समान है। कार्यकाल में वृद्धि करना, पदोन्नति देना और स्थानान्तरण ये सभी कार्य राजनैतिक बदले की भावना के आधार पर किये जा रहे हैं। यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट और दे दीजिए।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगली बार जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो मैं उस प्रस्ताव पर नहीं बोलूंगा। मुझे उस समय समय नहीं दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों क्या अगला अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो आप यहां नहीं होंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान जी, पिछले 25 वर्ष से कांग्रेस (आई) उस निर्वाचन क्षेत्र से विजयी नहीं हो सकी है, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस सदन में पुनः आऊंगा। इसलिए इस बारे में आपको चिन्ता नहीं होनी चाहिए। ... (व्यवधान)**

श्रीमान जी, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि किस प्रकार की ध्यान बंटाने वाली कार्यवाहियां चल रही हैं। एक ओर तो युद्ध की मनोवृत्ति बनाई जा रही है। दूसरी ओर एयर इंडिया के बोइंग विमान में तोड़-फोड़ करने के बारे में देश में आतंक फैलाया जा रहा है जिसे हमारे प्रधान-मंत्री को 5 मई को विदेश ले जाना था। श्रीमान जी, पहली बार उन्होंने 16 दिन पहले ही यह बात कही है कि तोड़-फोड़ करने का प्रयास किया गया था। अब वे कह सकते हैं कि तोड़-फोड़ नहीं होगी। श्रीमान जी, कोई भी तोड़-फोड़ करने वाला व्यक्ति विमान की उड़ान भरने के 16 दिन पहले ही तोड़-फोड़ करने का प्रयास कैसे कर सकता है ? नियम पुस्तिका के अनुसार उड़ान भरने के तीन दिन पहले परीक्षण किया जाता है और उड़ान भरने के 15 मिनट पहले फिर से परीक्षण किया जाता है। इसलिए सबसे पहले यह कहा गया था कि तोड़-फोड़ करने का प्रयास किया गया है। इसलिए उड़ान भरने के 15 दिन पहले पांच अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में यह कहा गया कि इसमें कुछ विदेशी तत्वों का हाथ था। इसलिए तर्क बदल जाता है। इसे हंसी में मत उड़ाइये। मुझे इस बारे में पूरी बात कहने दीजिए। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 68 करोड़ हो गई है और यदि आप प्रधान मंत्री से पूछें कि इस देश की जनसंख्या में क्यों वृद्धि हुई है तो प्रधान मंत्री सबसे पहले यही कहेंगी इसके लिए तो जनता सरकार उत्तरदायी है। अगर आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे तो यह कहा जाएगा कि इसके पीछे कुछ विदेशी तत्वों का हाथ है। वे तत्व जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं (व्यवधान) श्रीमान जी, अल्प-

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो० मधु दण्डवते]

संख्यकों पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। क्योंकि आपने माननीय महिला सदस्य का उल्लेख किया है जो मेरी पत्नी है तो वे उनका भी उल्लेख करना होगा। महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में उन्होंने बागपत की घटना का उल्लेख किया है। उस समय सदन में यह आरोप लगाया गया था कि यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। परन्तु उनकी अपनी सरकार ने एक जांच समिति गठित की थी और उस जांच समिति ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस अधिकारी उन अत्याचारों के लिए उत्तरदायी थे जो बागपत में किए गए थे और सभी तथ्य उस जांच के द्वारा प्रकट हो गये हैं। यह तो उन घटनाओं का कुछ संकेत मात्र है कि किस प्रकार बड़े पैमाने पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। डाकुओं ने समय बदल लिया है। पहले वे रात में डाका डाला करते थे और अब वे खुले आम दिन-दहाड़े डाका डालते हैं।

श्रीमन्, विकलांग वर्ष होते हुए भी नेत्रहीनों पर लाठी प्रहार किया गया और हमारे गृह मंत्री ने धृष्टतापूर्वक कहा कि पुलिसकर्मियों को यह भय था कि कहीं नेत्रहीन उनको अपनी डंडियों से न पीट डालें। मेरी समझ में यह नहीं आया कि नेत्रहीन लोग ऐसा करते हुए अपने साथियों और पुलिस आयुक्त में अन्तर कैसे करते। ऐसे आरोप लगाने का कारण शायद यह था कि लाठी चार्ज के लिए पर्याप्त संख्या में नेत्रहीन नहीं थे और उन्होंने भागलपुर जेल के विचाराधीन बंदियों को अंधा करने का निर्णय किया।

महोदय, जहां तक अत्याचारों का सम्बन्ध है, मेरे एक साथी, श्री अग्निवेश जो हरियाणा विधान मंडल के सदस्य हैं, को भारत की राजधानी, हरियाणा की राजधानी नहीं, में बताया गया (व्यवधान)** वह दिल्ली के एक थाने में इस आशय की शिकायत पहले ही दर्ज करा चुके हैं। यह मामला रिकार्ड पर है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : श्रीमान्, क्या उस मुख्य मंत्री पर आरोप लगाया जा सकता है जो सभा मे उत्तर देने के लिए और अपना बचाव पेश करने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा। आप आरोप न लगायें।

श्री वसन्त साठे : महोदय, वह एक अनुभवी संसद सदस्य हैं और उन्हें एक मुख्य मंत्री पर आरोप नहीं लगाना चाहिए था जो यहां उत्तर देने और अपने बचाव में कुछ कहने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने अपने वक्तव्य को यह कहकर पूरा किया है कि यह रिपोर्ट पहले ही की जा चुकी है, श्री अग्निवेश हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिल्ली के एक थाने में पहले ही शिकायत दर्ज करा चुके हैं। मैंने यह कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं कार्यवाही वृतांत को देखूंगा।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, नियमानुसार वह उसे उठा नहीं सकता। अनुभवी संसदक्ष होने के नाते उन्हें यह मामला उठाना ही नहीं चाहिए था।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते। आप आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतांत देखूंगा। अब समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आर्थिक पहलू के बारे में बोल रहा था। जहां तक इस सरकार के वर्ग चरित्र का सम्बन्ध है, वे देश के धनी और प्रभावशाली लोगों के समर्थक हैं। काला धन निकालने के लिए वे जो आदेश जारी कर रहे हैं, उनसे काले धन के मालिक दंडित नहीं होंगे बल्कि पुरस्कृत होंगे अत: उन्होंने विशेष धारक बौंडों को अस्तित्व में लाये हैं। उन्हें आशा थी कि इस योजना से 1000 करोड़ रुपये एकत्र हो जायेंगे परन्तु वे केवल 373.05 करोड़ रुपये ही एकत्र कर पाये हैं। यदि मेरा गणित ठीक है तो उनकी आशा का 37,3 प्रतिशत ही एकत्र हो पाया है। अत: उन्हें केवल 37 प्रतिशत विश्वास प्राप्त है, इससे अधिक नहीं। मैं इसी बात को बताना चाहता हूं। मैं किसी बात को दुबारा नहीं कहना चाहता। जो भी रियायतें सरकार ने दी हैं वे समाज के समृद्ध और उच्च वर्ग तथा धनी वर्ग को दी गई है। निर्गमित क्षेत्र को करों में 5 प्रतिशत की कमी का लाभ प्राप्त हुआ है। सम्पदा शुल्क की छूट-सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है। अन्य किन-किन वस्तुओं पर छूट या रियायत दी जायेगी। ये सब विलास-वस्तुए हैं। इन्हें आयकर अधिनियम की अनुसूची XI में नहीं रखा गया है। जो भी रियायतें दी गई हैं वे समृद्ध वर्ग को ही दी गई हैं। वे आयकर की दरों के बारे में बात करते हैं। छूट की सीमा 12000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी गई है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं? इन लोगों की सरकार को कोई चिन्ता नहीं है। वह तो आयकरदाताओं के लिए चिन्तित है। धनी और समृद्ध लोग ही सरकार की लाबी बन गये हैं। सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था को स्थिर करने के बारे में बातें बहुत अधिक करती है। वह प्रत्येक कमी के लिए भूतपूर्व जनता सरकार को दोषी ठहराते हैं। यदि आप वस्तु स्थिति को समझना चाहते हैं तो मुझे पुन: वही कहना पड़ेगा जो मैंने वित्त विधेयक के समय कहा था। वह यह है कि आपात स्थिति से पूर्व 1974-75 और 1975-76 में मुद्रा-स्फीति की दर 22.5 प्रतिशत थी। जनता पार्टी के शासनकाल अर्थात् 1977-78 और 1978-79 में यह 2.5 प्रतिशत थी। आज मुद्रा-स्फीति की औसत दर 18 प्रतिशत तक पहुंच गई है। अब हम धीरे-धीरे आपात स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से सुदृढ़ किया जा रहा है। यह सरकार यह दावा करती है कि वह लोगों की भलाई दिल से चाहती है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने तो हमारे द्वारा शुरू की गई वे सभी योजनाएं समाप्त कर दी हैं जिनके अन्तर्गत अन्त्योदय कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 12 लाख परिवारों को रोजगार मिलता। इस सरकार ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को छोड़ दिया है जिससे 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता। हम देख रहे हैं कि इस सरकार ने कृषि क्षेत्र में कार्यरत वित्तीय संस्थानों के लिए आवंटन राशि में कटौती कर दी है और यह राशि 231 करोड़ रुपये से घटाकर 111 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार

[प्रो० मधु दण्डवते]

केवल धनी लोगों का ख्याल कर रही है गरीब लोगों का नहीं। जहां तक वर्तमान सरकार का संबंध है, इसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, निर्धनता बढ़ाई है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी है और देश में युद्ध का आतंक पैदा किया है, देश में काले धन के मालिकों की मदद की है। अतः इस सरकार को पूर्णतः उखाड़ फेंका जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री वसन्त साठे : उन्हें विपक्ष का केवल 37 प्रतिशत समर्थन प्राप्त है।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस प्रस्ताव पर जो सदस्य अभी तक बोले हैं उन्होंने भिन्न भिन्न कारण दिये हैं। इनमें से अधिकांश विश्वसनीय प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तव में बात यह है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव पूर्व नियोजित नहीं था। इसे लाने के बारे में निर्णय एकाएक किया गया और इसे सभा में पेश करने के अनेक कारण हो सकते हैं। मैं एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूं जो श्री जार्ज फर्नान्डीस के भाषण से उत्पन्न होती है : सरकार के विरुद्ध इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिए वह कारण क्यों नहीं बता सके ? हम मंत्री-परिषद में अविश्वास कायम करते हैं, इस प्रकार की भाषा में अविश्वास प्रस्ताव देना ठीक नहीं है। इससे ही स्पष्ट होता है कि विपक्षी दलों में इस बारे में कितना अधिक मतभेद है। वे इस बात पर ही सहमत नहीं हो पाये कि वे किन बातों के आधार पर सरकार का विरोध करना चाहते हैं। वे कारण ही नहीं जानते, वे यह तय नहीं कर पाये कि किन विशिष्ट मुद्दों को लेकर सरकार का विरोध करना है। अतः उन्होंने प्रस्ताव में केवल एक वाक्य ही लिखना ठीक समझा। हमारी संसद में जैसा विपक्ष उभर कर सामने आया है वैसा ही यह अविश्वास का प्रस्ताव है। इससे विपक्ष की कमजोरी का पता लगता है। हमारे देश में विपक्ष वह दायित्व निभाने में असमर्थ रहा है जो उसे संसदीय लोकतंत्र में सामान्यतः निभाना चाहिए। हम शुरू से ही यह देखते रहे हैं कि विपक्ष नकारात्मक विचार धारा पर ही आधारित है। उन्होंने सोचा था कि वे एस० बी० डी० सरकार के माध्यम से सत्ता हथिया लेंगे। वर्ष 1977 में उन्होंने यह प्रयोग किया और विशेषकर उत्तर भारत में लोगों की आंखों में धूल झोंककर वे सत्ता हथियाने में सफल हो गये थे। जैसे ही मत-दाताओं को अपना मत व्यक्त करने का पहला अवसर मिला, उन्होंने उन्हें सत्ता से बाहर फेंक दिया और देश में पुनः सामान्य स्थिति आ गई। यह ठीक है कि लोगों को एक बार तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार-बार नहीं। श्री जार्ज फर्नान्डीस ने ऐसी नीति अपनाई की वर्तमान सरकार के लिए केवल 42 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रो० मधु दण्डवते उन लोगों के बारे में बात-चीत कर रहे थे जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। परन्तु क्या वह जानते हैं कि उन्हें सत्ता किन लोगों ने सौंपी थी क्या उन्होंने इन लोगों की परवाह की ? गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले इन्ही लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक थे। ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, हरिजन हैं और आदिवासी हैं। ये लोग हमारे दल की रीढ़ हैं। ये लोग 1952 से, जब से देश में हमारा अपना संविधान लागू होने के बाद पहला आम चुनाव हुआ था, लगातार कांग्रेस का समर्थन करते आ रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में, 1971 में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। केवल

1977 में उन्होंने एक गलत फहमी के कारण हमारे खिलाफ मत दिया, जो उनकी आंखों में धूल झोंक कर उनमें पैदा कर दी गई थी। केवल थोड़े से समय के लिए विपक्ष के लोग उत्तर भारत में लोगों को पथभ्रष्ट कर सके। उत्तर भारत के अतिरिक्त वे देश के किसी अन्य भाग में राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन न ला सके। हम यह जानते हैं कि ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए उनकी नकारात्मक विचार धारा ही उन्हें एक साथ ला सकती है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के रूप में न्यायपालिका को जिस प्रकार की स्वतंत्रता दी थी, वह भी हमने देखी। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस का ध्यान उस अभियोग-प्रस्ताव की ओर दिलाना चाहता हूं जो वह उच्चतम न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश श्री जे० सी० शाह के विरुद्ध लाए थे। वह श्री जे० सी० शाह के विरूद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाकर उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाए थे और संसद के दोनों सदनों से लगभग 150 सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। किन्तु चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी और हम यह नहीं चाहते थे कि न्यायपालिका की मान-हानि हो अतः हमने अपने सभी सदस्यों को यह आदेश दिया कि उन महाभियोग पर हस्ताक्षर न करें तथा महाभियोग प्रस्ताव सभा के समक्ष नहीं लाया गया। वह प्रस्ताव बहुत गम्भीर आरोपों के बारे में था और वे सच भी हो सकते थे। यह हम नहीं जानते। किन्तु जब श्री जार्ज फर्नान्डीस जनता पार्टी सरकार में मंत्री बने उनकी सरकार ने उसी तथा कथित भ्रष्ट कथित को हमारे ऊपर आयोग के रूप में बिठा दिया तथा उससे यह निर्णय करने के लिए कहा गया था कि क्या हम सच थे ये गलत थे ईमानदार थे अथवा बेईमान थे। ज्ञात नहीं उन के मन में इस प्रकार के व्यक्ति की नियुक्ति के लिए किस प्रकार गवाही दी जिसे वह उन मामलों में निर्णय करने में स्वयं भ्रष्ट और बेईमान मानते थे। सम्भवतः उसकी नियुक्ति का यह कारण था कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो वह कह सके जो वह कहलवाना चाहते थे। मैं इस प्रकार के अनेक उनाहरण दे सकता हूं क्योंकि मैंने सहा है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने न्यायाधीश के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है वह केवल उस बारे में उल्लेख कर रहे हैं। उन्होंने न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अब मैं सबसे बड़े मामले तथा सबसे मशहूर मामले, जैसा कि यह कहते हैं, का अर्थात 'किस्सा कुर्सी का' का उल्लेख करूंगा। भारत के उच्चतम न्यायालय ने हमें सर्व-सम्मति से बाइज्जत बरी कर दिया है। उस मुकदमे में उन्होंने हमें दण्डित कराने के लिए तथा हम पर झूठा इलजाम लगाने के लिए बचा नहीं लिया जब कि वह मामला वास्तव में था ही नहीं। उन्होंने इस मामले में यथा सम्भव जल्दबाजी की। शायद वे जानते थे कि उनके थोड़े दिन रह गए हैं। वे हमें इस प्रकार दण्डित कराना चाहते थे कि हम राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो जाते। जिस सैसन जज के न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा था उसको फाइल पर पदोन्नत करके दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया गया परन्तु, उस की पदोनत को तब तक के लिए रोका रखा गया जब तक वह हमें दोषी सिद्ध करके निर्णय न सुना दे। हमें दण्ड सुनाने के पश्चात् ही (व्यवधान) उन्होंने अपने निर्णय को प्रभावी किया। यह निर्णय कई महीने पहले कर लिया गया था। इस सभा में विधि मंत्री ने कहा था कि अमुख तिथि को, उस व्यक्ति द्वारा घोषित निर्णय से कई महीने पहले। उस व्यक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पदोन्नत करने का निर्णय

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

किया गया था किन्तु उस निर्णय को प्रभावी तभी किया गया जब उसने वह अपेक्षित निर्णय सुना दिया था। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का गलत स्टाइल और जनता विचारधारा है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान सभा द्वारा संविधान में उस समय अंकित की गई थी जब उस समय विपक्ष का कोई सदस्य नही था। संविधान सभा में शतप्रतिशत कांग्रेस के सदस्य थे। और यदि संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अंकित है तो यह केवल भारतीय नेशनल कांग्रेस के कारण हैं और उन्होंने उसका पालन किया है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डा० अम्बेडकर के बारे में आपका क्या मत है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : उस समय वह भी कांग्रेस में थे। वह विपक्ष के नेता नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते को संसदीय बनाम राष्ट्रपतीय सरकार के बारे में कुछ कहना पड़ा। हम सभी को यह विदित है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, न कि श्री दण्डवते अथवा उनकी बातें अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने, भारत में संसदीय प्रजातंत्र प्रणाली का शासन चुना था। जब संविधान बना था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यही इच्छा और नीति थी तथा हम अब भी उसका समर्थन करते हैं। अतः यह कहना कि आज कोई मतभेद उत्पन्न हो रहा है अथवा कोई पुनर्विचार किया जा रहा है, यह एक विडम्बना है, कोई ऐसा नहीं सोच रहा है। मैं नही समझता कि विभिन्न प्रजातांत्रिक प्रणालियों पर जो अच्छी चर्चा हो रही है उस पर कोई आपत्ति की जाये। आखिरकार राष्ट्रपतीय प्रणाली थी एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है और यदि विभिन्न प्रकार की प्रजातांत्रिक प्रणालियों पर चर्चा हो रही है तो किसी को इस पर भी क्यों आपत्ति होनी चाहिये। इससे उन की मानसिक कमजोरी और विचारधारागत कमजोरी का पता लगता है। हम प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिये वचन बद्ध हैं तथा हमें वर्ष प्रति वर्ष एक आम-चुनाव के बाद दूसरे आम-चुनावों में इस देश का भाग्य निर्धारित करने का आदेश मिलता रहा है तथा हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जब तक हम गरीबों के हितों की रक्षा करते रहेंगे, जब तक हम भाग्य सँस्करों के हितों की रक्षा करते रहेंगे, तब तक हम पूरे देश के हितों की रक्षा करते रहेंगे तब तक हमें संसदीय प्रणाली से डरने की कोई बात नहीं है। अतः इस बारे में भ्रम उत्पन्न करने का कोई प्रश्न किसी के दिमाग में नहीं उठना चाहिये।

महोदय यह मैं कह चुका हूं कि ये 42 प्रतिशत लोग, जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मत डाले इस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण लोग हैं। प्रश्न यह नही है कि क्या 41 प्रतिशत, 42 प्रतिशत, अथवा 51 प्रतिशत या 55 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। किन्तु प्रश्न यह है कि 42 प्रतिशत लोग कौन हैं जिन्होंने हमारे पक्ष में मतदान किया है। जैसा कि मैं कह चुका हूं वे अत्यंत निर्धन लोग हैं, अत्यँत कमजोर लोग हैं, हरिजन आदिवासी और अल्प संख्यक हैं। उन्होंने हम में विश्वास व्यक्त किया है तथा हम उनके विश्वास को पूरा करना चाहते हैं तथा हम उनके उत्थान के लिये जो भी सम्भव होगा करेंगे, और श्रीमती इन्दिरा गांधी यही कर रही हैं इसीलिये हम यहां उनका तथा सरकार का पक्ष पोषण करने के लिये खड़े हैं।

महोदय, इस कांग्रेस सरकार का कार्यकरण उतना ही अच्छा या बुरा है यदि बेहतर नहीं तो, जितना पहली कांग्रेस सरकार का था। कांग्रेस सरकार 1952 से जो कुछ करती रही है जबसे कि आम चुनाव आरम्भ हुये, हमने यह उससे बेहतर नहीं तो उतना ही अच्छा किया है। इस प्रकार के अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा मैंने इस सभा में कई बार सुनी है। महोदय तीन वर्षों की अवधि को छोड़ कर 1977-1980 मुझे गत 25 वर्षों से इस सभा की सेवा करने का सौभाग्य मिला है किन्तु मैंने विपक्ष की ओर से कभी उससे कोई भिन्न तर्क नहीं सुने जो आज सुने जा रहे हैं— उसी प्रकार की असंगति, उसी प्रकार के तर्क, उसी प्रकार के औचित्य जिन्हें देश की जनता ने लगातार अस्वीकार किया गया है। महोदय, जब श्री जार्ज फर्नान्डीस वाद-विवाद आरम्भ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि "गांवों में रहने वाले लोग इन कार्यक्रमों के बारे में नहीं समझते।" वह हमारे चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बोल रहे थे। यह उनकी मूलभूत गलती है। उनका विजार है कि गांवों में रहने वाले लोग इन कार्यक्रमों को नहीं समझते वे इस विचारधारा को नहीं समझते वे नीतियों को नहीं समझते। मैं ने एक को छोड़ कर कई चुनाव सफलता-पूर्वक लड़े हैं और मैं यह बलपूर्वक कह सकता हूं कि गांव में रहने वाले लोग बहुत समझदार हैं तथा वे लोग इन लोगों की तुलना में नीतियों को अच्छी प्रकार समझते हैं··· (व्यवधान)

हर बार इन लोगों को चुनावों में हार देखनी पड़ती है तथा वे मतदाताओं को दोष देते हैं। ये कहते हैं कि वे अनपढ़ हैं। वे समझते नहीं हैं। किन्तु ऐसा कह कर ये स्वयं को ही मूर्ख बनाते हैं। यदि वे इस मूलभूत सिद्धांत को समझ लें कि इस देश की जनता मन और बुद्धि दोनों से समझती हैं कि उनके लिये क्या अच्छा है तो ये लोग अपना कार्य सुधार करते हैं। किन्तु जब तक वे मतदाताओं को दोष देते रहेंगे तथा अपने कार्य की ओर नहीं देखेंगे, अपने चरित्र, तथा अपनी कार्य-प्रणाली को नहीं देखेंगे तब तक वे प्रजातंत्र को मजबूत नहीं कर सकेंगे। वे स्वयं में सुधार करके ही प्रजातंत्र को मजबूत कर सकते हैं।

जहां तक हमारा संबंध है, हमें कई बार जनता का समर्थन मिल चुका है तथा मुझे विश्वास है कि हमें जब तक श्रीमती गांधी जैसा विशिष्ट नेतृत्व मिलता रहेगा हम देश को सही ढंग से चलाते रहेंगे तथा भारत को विश्व में शक्तिशाली देश बना सकेंगे।

मैं यह कहूंगा कि श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा उनके सहयोगियों को उनकी राजनीतिक विचार-धारा के बारे में पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। यह निराशावाद की नीति न उनकी सहायता करेगी और न देश की जनता की। मुझे विश्वास है वह हमारी बात सुनेंगे लोक प्रतिनिधि के नाते। उनकी भांति हम भी अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाखों व्यक्तियों ने हमें और उन्हें चुना है तथा देश की सामूहिक बुद्धि यहां प्रतिबिम्बित होती है। मैं चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से और शांति से विचार करें; मुझे विश्वास है मैंने जो कुछ कहा है उसमें उन्हें कुछ दिखाई देगा। मुझे विश्वास है कि यदि वह इन मामलों पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो इस अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लेंगे तथा देश का निर्माण करने में सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : सभापति महोदय, इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर जाएगी, ऐसी बात किसी के दिमाग में नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री रहेंगी हमें कोई एतराज कैसे हो। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश का विश्वास लेकर आई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी वक्त पड़ने पर किसी तरह का भी बहादुरी का काम भला या बुरा दोनों कर देने की क्षमता रखती हैं। इसको भी स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है कि श्रीमती गांधी ने चुनाव के वक्त बहुत-सी आशाएं उन लोगों को दी थीं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं।···(व्यवधान)···मैं इनकी प्रधान मंत्री की तारीफ कर रहा हूं और वह भी इनको गंवारा नहीं होती है। ये चाहते हैं कि मैं भी उस भाषा का इस्तेमाल करूं, जिस भाषा का इस्तेमाल मेरे कुछ साथियों ने किया था और जो भाषा इनकी समझ में आती है। मैं भी उस भाषा के इस्तेमाल के लिए क्षमता रखता हूं लेकिन शराफत का तकाजा है कि मैं उस भाषा का इस्तेमाल न करूं। अगर आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं···(व्यवधान)···मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी का आदर करता हूं, सिर्फ इसलिए कि वह हमारे देश की एक बेटी है। उन्होंने जनता का विश्वास प्राप्त किया है और यहां आई हैं। उन्होने लोगों को कुछ आश्वासन दिए यह सवाल आपके भी सोचने का है सिर्फ मेरे ही सोचने का नहीं है कि क्या उस विश्वास को बरकरार रख रही हैं? मैं उस पर कोई प्रश्न-चिन्ह नहीं लगा रहा हूं—आपके सोचने की बात कर रहा हूं। क्या आज लोगों को परेशानी नहीं हैं? आप कहेंगे कि सारी बातें बजट स्पीच में और राष्ट्रपति के संभाषण के ऊपर विचार की जा चुकी हैं। विचार की जा चुकी हैं, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, लेकिन आप अपने दिलों पर हाथ रखकर पूछें कि क्या परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हुआ है? अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो क्या आप समझते हैं कि उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा हूं। आप भी इस देश से आए हैं, मैं भी इस देश से आया हूं। आप भी चुनकर आए हैं—मैं भी चुनकर आया हूं। आप भी 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं—मैं भी 10 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। आप भी गांवों में, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं—क्या आप अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहिएगा कि लोग संतुष्ट हैं?

सभापति जी, यह कोई एक-दूसरे पर आक्रमण करने की बात नहीं है, बल्कि देश के हित में सोचने की बात है। आज गरीबों की क्या हालत है, आज महंगाई किस कदर है। गरीबी की रेखा के नीचे वालों की बात तो छोड़ दीजिए, मध्य और निम्न श्रेणी के लोग कैसे जी रहे हैं, इसकी कल्पना कीजिए। गरीबी की रेखा से नीचे वाले कैसे जिन्दा रहते हैं, इसकी कल्पना करना तो मुश्किल है।

यह आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कह रहा हूं। सरकार और शासन में जो रहता है, उसी को यह संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है।

महंगाई आज आसमान छूती जा रही है, गरीबों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने पद को छोड़ देंगे तो केवल उसी से स्थिति संभल जाएगी, लेकिन मैं यह उम्मीद जरूर करता हूं कि इन्दिरा गांधी आज भी अभी भी इस समस्या की ओर उचित ध्यान

देकर कुछ हद तक सुलझाने का प्रयत्न कर सकती। मैं आज उनकी क्षमता को चैलेंज करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव से आपको हटाया नहीं जा सकता है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर कोई करेक्टिव (सरकार को सुधारने की) बात करता है तो आप उससे घबराते क्यों हैं।

आप सोचिए कि गांव में क्या हालत है। अभी विद्याचरण जी कह रहे थे कि गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनका विश्वास प्राप्त करके वे लोग आते हैं—बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका विश्वास प्राप्त करने का अर्थ यह है कि उनको उसी रेखा के नीचे छोड़ते जाइये? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सोचिए—आप सोचिए, हमारे भी सोचने की बात है, मैं अपने आपको बरी करके नहीं कह रहा हूं—लेकिन क्या यह आपके सोचने की बात नहीं है कि 1952 से लेकर आज तक गरीबी की रेखा से नीचे वाले आपका समर्थन करते रहे, आपको विश्वास देते रहे और उस विश्वास का आपने उनको यही फल दिया कि गरीबी की रेखा से नीचे वालों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आपसे अलग होकर के नहीं सोचना चाहता—देश की समस्या है—देश को इसके लिए शर्म करने की बात होती है, लेकिन चूंकि आज आप उस स्थान पर हैं, जहां से इस मामले पर कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। क्या इसके लिए आपको दर्द नहीं है? मैं मानता हूं कि दर्द होगा, यहां कोई बहस करने की बात नहीं है—ठंडे दिल से सोचिए।

क्या 12 हजार से 15 हजार तक वालों का इन्कम टैक्स छोड़ देने से निम्न-मध्य श्रेणी को आप लाभ दे रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे वालों को लाभ पहुंचा रहे हैं? आप अपनी योजना को देखिए। आप कहते हैं कि आपने बहुत प्रबन्ध कर दिया है, गरीबी की रेखा के नीचे वालों के लिए बहुत कुछ प्रबन्ध कर दिया है, लेकिन उस प्रबन्ध के इस्तेमाल को छोड़ दिया है उन लोगों के हाथ में जिनको उनसे कोई प्रेम नहीं है। क्या आपने एक पार्टी की हैसियत से देखा कि उस पर कितना अमल हो रहा है—अगर नहीं देखा तो मैं कह सकता हूं कि आपका फेल्यूअर (असफल) है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं। सरकार के ऊपर छोड़ देने से काम हो जाएगा? क्या आपका दायित्व नहीं था?

20 प्वाइंट प्रोग्राम—मैं उसकी शिकायत करने के लिए ही उसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। उसके कुछ अंश अच्छे हैं। लेकिन उसकी पूर्ति की दिशा में क्या आपने देखा है कि उस पर अमल कराने वाले अमल करा रहे हैं या उलटा अमल कर रहे हैं? नेतृत्व का क्या यह उत्तर-दायित्व नहीं है इस चीज को भी देखना और अमल कराना? इसीलिए मैं कहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व से देश को लाभ की जितनी आशा की गई थीं वह आज तक पूरी नहीं हो पायी है। इसको तो आप भी मानेंगे कि देश की स्थिति बिगड़ती जा रही है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, लॉ एंड आर्डर शांति सुव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है, कोई भी अपने आपको महफूज नहीं पाता है और इसमें आप भी शामिल हैं और मैं भी शामिल हूं। हम इसे वास्ते क्यों बुरा मानते हैं जब इस स्थिति को बयान किया जाता है। क्या आप नहीं जानते

[श्री जगजीवन राम]

कि आज क्या हो रहा है और क्या हालत है ? किसी ने कहा है कि सरकार अधिकारों से नहीं चलती है, सरकारी अधिकारियों से नहीं चलती है, पुलिस से नहीं चलती है, फौज से नहीं चलती है, सरकार प्रतिष्ठा से चलती है। क्या आप समझते हैं कि आज सरकार की प्रतिष्ठा है ? चैलेंज करने के लिए मैं यह नहीं कह रहा हूं। चिन्ता के साथ कह रहा हूं। जब सरकार, कानून और सत्ता, तीनों के लिए लोगों के दिलों में आदर न हो तो डकैतियां दिन में ही नहीं होती है, सरकार की शक्ति के सामने भी हो जाती हैं। आज सरकार की शक्ति के सामने डकैतियां हो रही हैं। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ? आपके लिए भी यह चिन्ता का विषय होना चाहिए। दिल्ली में हो रही है, देहातों में हो रही है, शहरों में हो रही हैं। आपकी सरकार है या किसी दूसरे की है, इस बहस में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं। देश की समस्या बिगड़ रही है, आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे वाले अपने को बहुत प्रोत्साहित मानते हैं। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह तो आप मानेंगे कि आर्थिक स्थिति बिगड़ भी जाए तो हम उस को बना सकते हैं और सुधार भी लेंगे लेकिन चारित्रिक पतन हो जाए तो कितनी जल्दी सुधार सकेंगे ? हम देख रहे हैं कि चारित्रिक पतन देश का हो रहा है। आप कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपकी ज्यादा है क्योंकि आप सत्ता में हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा आपके फक्र करने वाला नेतृत्व आपको प्राप्त है। क्या यह सोचने का विषय नहीं है, चिन्ता का विषय नहीं है ? देश का चारित्रिक पतन हो जाए तो देश कहां का रहेगा ? आप सोचें। उलाहने के लिए आप कह सकते हैं कि जनता पार्टी के राज में क्या हुआ, कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ ? इसका अर्थ हुआ इंदिरा गांधी जैसा क्या नेतृत्व जनता पार्टी में था इसे आप स्वीकार करते हैं ?

एक माननीय सदस्य : नहीं था।

श्री जगजीवन राम : नहीं था तो आपके लिए यह एक चैलेंज की बात होनी चाहिए थी। तुलना कर देते हैं तो क्या आपको शर्म नहीं आती है ? फिर भी आप इंदिरा गांधी के नेतृत्व के नीचे झुक रहे हैं। लेकिन आपको उसी में खुशी है तो मैं क्यों एतराज करूं ? अगर आप श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व के बराबर ले आएं तो मैं क्यों एतराज करूं।

देश का जो चारित्रिक पतन हो रहा है यह आपकी भी बदकिस्मती है। न केवल आप और हम बल्कि देश की यह बदकिस्मती है। देश के चारित्रिक पतन को रोकने के लिए कुछ काम होना चाहिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी देश को प्यार करती हैं इसीलिए तो सही या गलत होवा देश को दिखा दिया करती है। ठीक है। लड़ाई का खतरा है। जागरूक प्रधान मंत्री खतरा न हो तो भी देश को आगाह करे तो बुरी बात नहीं है। लेकिन देश को फीयर साइकोसिस (भयग्रस्त स्थिति) में डाल दे तो उचित बात नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी जागरूक हैं। विश्व की परिस्थितियों का हिसाब रखती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त से दुनिया की बड़ी हस्तियों से मिलने का

उनको अवसर मिलता आ रहा है। सबको जानती भी हैं, अधिक परखती भी हैं, लेकिन कुछ कर्टसी (सौजन्य) उनके अन्दर इतनी है कि अपने मित्रों से भी खुली बात नहीं कह सकतीं। अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ब्रेझनेव साहब उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, कह सकती थीं जब वह वहां आये थे कि आप हमारे मित्र हैं, मित्र की हैसियत से मैं आपको सलाह देना चाहती हूं आपकी प्रतिष्ठा दुनिया में बहुत बढ़ेगी अगर अफगानिस्तान से आप अपनी फौज को जल्दी वापस कर लें। लेकिन अपनी शराफत की वजह से या गफलत से शायद ऐसा नहीं कह सकीं। और नहीं कह सकीं तो उसके बाद अपने वक्तव्य को न मालूम कितनी दफा संशोधन करना पड़ा। रास्ते पर आ रही हैं। तो मैं यही कह रहा था उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, कभी-कभी गफलत से या शराफत से एक तो निर्णय नहीं करतीं और जो बात मौके पर कहनी चाहिए नहीं कह पाती हैं।

बहुत पहले सुना था, इन्दिरा जी के बारे में यही कहते हैं कि उनमें टाइमलीनैस खूब है। शायद उम्र बढ़ने के साथ-साथ टाइमलीनैस में भी अन्तर बढ़ता जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : आपकी उम्र भी तो बढ़ रही है, आप में भी अन्तर पड़ा होगा ?

श्री जगजीवन राम : वह तो अपने पिताजी से आप पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछते हैं।

मैं उनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता, और ऐसे समय पर नहीं कहना चाहता जब वे विदेश में हैं। जब विदेश में हैं तो उनकी शान को बढ़ाना चाहता हूं। मैं इन्दिरा जी को यह कहना चाहता हूं कि बिहार शरीफ की समस्या आवश्यक है या जिनेवा की समस्या ?..... (व्यवधान) बिहार में हरिजनों की समस्या नहीं है। इतनी भी अक्ल नहीं है तो मैं क्या कहूं। बिहारशरीफ में हरिजनों की समस्या नहीं है, मुसलमानों की समस्या है।...(व्यवधान)

हम भी अछूत हैं और मुसलमान भी अछूत हैं। मुसलमानों से क्या लेना है ? अछूत-अछूत एक साथ चलेंगे यह कहना है। वह भी अछूत हैं, उसका भी पानी तुम नहीं पीओगे।

मैं फिर कहना चाहता हूं देश जब जल रहा हो तब इन्दिरा जी को खुद निर्णय करना चाहिये था जिनेवा जाना चाहिए कि नहीं। और आप में से कोई सलाह देने वाला न हो तो बुरा न मानिये।

बुरा मत मानिये, आप में से इन्दिरा जी को कोई सलाह देने वाला नहीं है, इन्दिरा जी को खुद निर्णय करना पड़ता है। इन्दिरा जी की मुश्किल आज यह भी हो गई है कि उनको कोई सलाह देने वाला नहीं है। (व्यवधान)

इतने सलाह देने वाले बोलते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप में से हर कोई इन्दिरा जी को सलाह देने वाला है। जहां 300 सलाह देने वाले हों, वहां क्या हालत होगी ? (व्यवधान) मैं मानता हूं आप में से हर आदमी इन्दिरा जी को सलाह देने की क्षमता रखते हैं, तो इन्दिरा जी

[श्री जगजीवन राम]

कितनी परेशान होंगी, यह देखने की बात है। (व्यवधान) बुरा मत मानिये, सत्य को वर्दाश्त करना आसान नहीं होता। मैं सत्य कह रहा हूं। मैं श्री गिरिलाल जैन का एक सैंटेंस कोट करूंगा। श्री गिरिलाल जैन इन्दिरा जी के प्रशंसकों में से हैं हमेशा से। ये उनका एक सैंटेंस है :

"पूर्व मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री कुछ सहयोगी रखा करते थे, वर्तमान मंत्रिमण्डल में वह केवल अनुयायी रखती हैं।"

यह मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि कानून की क्या स्थिति है। जिनकी आत्मा मर चुकी है, देश में संकट के समय भी हंस सकते हैं, यह देश के लिए शर्म है। मैं उस संकट की चर्चा कर रहा हूं, जिससे देश के रसातल की तरफ जाने का खतरा है। उस वक्त भी कोई हंसे, तो उसको क्या कहा जाये ?

एक माननीय सदस्य : बंधुआ मजदूर कहें। (व्यवधान)

श्री जगजीवन राम : मैं आपको बता रहा हूं कि उनको बताना आपका उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। देश में संकट है, उसको समझ लीजिए। जनता पार्टी ने बिगाड़ दिया।

आचार्य भगवान देव : बाबूजी, आप भी दायित्व सुन लें, आप भी सुषमा और सुरेश कांड को याद करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरा निवेदन है कि कृपया शान्तिपूर्वक इनकी बात सुनें। इस तरफ से भी बोलने वाले हैं, उनकी बातों को भी शांतिपूर्वक सुनें। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हर व्यक्ति का अपना-अपना मत है। उन्हें बोलने दें।··· (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : उन्होंने कुछ मंत्रियों के विवाह पर हमें भेजे गये निमंत्रण पत्रों का उल्लेख नहीं किया है।

श्री जगजीवन राम : किसी ने अपने जीवन में सिर्फ आसन जमाना ही सीखा है, वह बहस करना कहां से सीखें ?

आचार्य भगवान देव : बाबूजी, बहस भी कर सकते हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं कह रहा था··· (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि आप लोग देख सकते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आपकी प्रतिष्ठा बढ़े,

हमारी प्रतिष्ठा बढ़े। वह सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा नहीं है, देश की प्रतिष्ठा हैं। इन्दिरा जी का स्थान, जब वह बाहर हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, देश को धक्का लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि उनकी शान में कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सीने पर हाथ रखकर सोचें।

प्राइस की बात मैंने कही, आप कहिये खड़े होकर कि ठीक है, तो मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। मैंने कहा कि लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, आप खड़े होकर कहिए कि बहुत अच्छी हो गई है। (व्यवधान) आप अपनी प्रतिष्ठा को नीचे ले जाना चाहते हैं, मैं तो उसको ऊंचा उठाना चाहता हूं। नीचे ले जाइये, तो मुझे क्या है। आप इन बातों पर ठंडे दिल से सोचिए।

जो विश्वास इन्दिरा जी जनता से, मतदाताओं से लेकर आई थीं, वह उस विश्वास को पूरा नहीं कर सकी हैं। मैं यह मानता हूं कि कोई आपको हटाने की हैसियत में नहीं, लेकिन यह तो सोचना आपका काम है कि जो विश्वास आप में उस वक्त था, उसमें कमी हुई है या नहीं। यह तो नहीं होना चाहिए कि गरीबी की रेखा से नीचे वालों ने जब आप पर विश्वास किया, तो उनको एक जून खाने को मिलता था, लेकिन जब आपको विश्वास दे दिया, तो उन्हें आधा जून मिले। क्या यह सोचने का विषय नहीं है। आज मद्रास में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, वहां एग्रीकल्चरल वर्कर्ज (खेतीहर मजदूरों) की क्या हालत है ? आप कह दीजिए कि यह स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन जब देश के लोग मरेंगे, तो देश के लोग ही मरेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कहकर आप बरी नहीं हो सकते। क्यों नहीं आप इस बात को समझते हैं ? उसमें दलित मर जाये, मुसलमान मर जाए, क्या इससे आपको संतोष हो जाएगा ?

एक गांव में डकैतों द्वारा राजपूत मार दिए गए, तो कितना बावेला मचा। इटावा में हरिजन मार दिये गये, तो इतना बावेला तो नहीं मचेगा। दोनों में अन्तर है। (व्यवधान) आप इस बात को टाल नहीं सकते हैं। मैं हरिजन का प्रश्न खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सामने देश का प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। डकैतियां हो रही हैं। आप कहेंगे कि जनता पार्टी के समय ज्यादा थीं। मैं कहूंगा कि उससे पहले जो सरकार थी, उस वक्त भी होती थीं। (व्यवधान) इस तरह तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं। सवाल यह है कि इन बातों को रोकने के लिए यत्न करना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि आप जनता का विश्वास लेकर आए हैं। मैं भी कहता हूं कि आप विश्वास लेकर आए हैं। (व्यवधान) मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस विश्वास को आप भूलिये मत। आप भूलते जा रहे हैं।

मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करके (प्रतिशत के हिसाब से) नहीं कहना चाहता हूं कि आपको कितना विश्वास या आपको सिर्फ 42 प्रतिशत ही मिला है। मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जाकर अपने क्षेत्रों में देखिए कि क्या उस विश्वास में कुछ कमी हुई है या नहीं। अगर आपको संतोष हो जाए कि उसमें कमी नहीं हुई है, तो कह दीजिए कि हमारा विश्वास ज्यों का

[श्री जगजीवन राम]

त्यों है। अगर इरोजन हुआ है, तो प्रयत्न कीजिये कि उसमें और इरोजन न होने पाए। अगर आप यत्न करेंगे कि उसमें इरोजन न हो, तो मैं मानता हूं कि देश के लोगों को जो शिकायत है, वह कुछ कम हो जाएगी।

लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करेंगे, अगर आप समझेंगे कि सब कुछ सही है, तो मैं यही कहूंगा कि देश की जनता अनपढ़ तो हो सकती है, मगर वह बेवकूफ नहीं है, वह बहुत दिनों तक चकमे में नहीं आ सकती है। उसको ज्ञान रहता है कि कौन उसका मित्र है और कौन उसका दुश्मन है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने विश्वास को बचा कर नहीं रख सके हैं। इस अविश्वास-प्रस्ताव का यही अर्थ है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों का जो विश्वास आपने लिया था, उसमें सिर्फ कमी नहीं हो रही है, उसे आप खो चुके हैं इस अविश्वास-प्रस्ताव का अर्थ यही है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज जो सरकार के खिलाफ अविश्वास का मता पेश हुआ है इस प्रस्ताव पर कुछ तकरीरें हुईं, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। मैं यह महसूस करता हूं कि डेमोक्रेसी में विरोधियों को यह हक है कि वह जब चाहें अविश्वास प्रकट करें। लेकिन संसार में कुछ कायदे होते हैं, सोचना होता है लोगों के नुमाइन्दों को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिऐ। इन्होंने तीनों बातों को नहीं सोचा। यह कुदरत की बात है कि फालोवर्स बहुत कम हैं लेकिन लीडर तो बहुत हैं। बेशक एक-एक दर्जन के लीडर हैं या चार-चार, पांच-पांच दर्जन के जो थे, जो बड़ा ग्रुप था वह तो धीरे धीरे उनकी नेतागीरी की वजह से कभी एक बटालियन चली जाती है, कभी दूसरी चली जाती है लेकिन मैं विश्वास रखता हूं और अब भी मेरे दिल में विश्वास है कि समय की बात होती है, कभी लोग ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी की जो परसनैलिटी, शख्सियत और दिमाग होता है उसकी कदर करनी चाहिए। आज मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतने समझदार, दूरंदेश लोग हैं और इस मुल्क में जब भी कोई मुसीबत आई, कोई नाजुक समय आ या तो उस वक्त में हम इकट्ठे होते रहे, लेकिन आज इस समय जब इसी देश की प्रधानमंत्री विदेशों में महत्वपूर्ण यात्रा के लिए गई हुई हैं, तो उनके खिलाफ अविश्वास का मता रखकर यह मुल्क की खिदमत नहीं की है और जानते हुए कि इस अविश्वास के मते की क्या गति होगी - यानि, यह एक रद्दी के टुकड़े के समान भी नहीं रहेगा, इसको जानते हुए और कुछ हाथ में नहीं आयेगा, यह जानते हुए इसको रखा गया है।

बजट सैशन रहा, तीन महीने के करीब चलता रहा और तीन महीने में कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि अविश्वास का मत पेश करे। अब इसी दिन का इन्तजार था कि जब प्रधान मंत्री जी विदेशों में हो, उस वक्त यह मत रखा जाए। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव कल आना

था, उसको रोकने के लिए यह रखा था। तो वह तो रुक नहीं सका, आज ही सब्र कर लेते। हम तो अविश्वास का मत वापिस लेते हैं, ताकि एक मौका और मिल जाता, छः महीने के बा दोबारा कर लेते। हमारी सरकार का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, दो घंटे की बात है। दुनिया भर हमारे विरोधी अपना रेडियो बजा लेंगे लेकिन उसके बाद पता चल जाएगा कि उस मते की क्य हालत होगी और इंदिरा गांधी इस ग्रेट कन्ट्री के प्राइम मिनिस्टर ग्रेट हैं, ग्रेटैस्ट हैं कि उनकी गैर हाजिरी में भी यह अविश्वास का प्रस्ताव हार गया।

हमारे दोस्तों ने पर्टिकुलरली मूवर ने हमारा कांग्रेस का मैनिफैस्टो पढ़कर सुनाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं। क्योंकि यदि किसी को भूल गया होगा, तो वह मैनिफैस्टो देख लेगा। लेकिन शायद वह यह बात भूल गए कि मैनिफैस्टो जितनी देर के लिए किसी मुल्क के कान्स्टीचूशन के मुताबिक पार्लियामेंट बनती है, उतने दिनों में, उस अर्से में, उसको पूरा किया जाता है और मैनिफैस्टो एक दिन में पूरा नहीं किया जाता है। कांग्रेस (आइ) की सरकार उस पर अमल करना शुरू किया या नहीं किया, यह बात तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं इतना समय नहीं लेता क्योंकि जो कुछ कहा गया, वह इससे भी पहले कहा गया और एक बार नहीं कई बार कहा गया। नई बात कोई ला नहीं सके और इसका जवाब भी, दे चुके हैं पहले ··(व्यवधान) ···मैं जानता हूं, मेरी बात को आप याद रखें, मैंने एक बार पहले भी कहा था यह सब पार्टियों वाले माइन्ड बनाकर आते हैं कि मेरी बात से इन्हें कंविन्स नहीं होना है और हमें इनकी बात से कंविन्स नहीं होना है। लेकिन जनता के पास हमारी राय पहुंच जाती है और वह अपना माइन्ड बना लेती है कि गलत बात किसने कही है और और सही बात किसने कही है।

आप न देहिं चुल्लू भर पानी
तेहि निन्दै जेहिं गंगा लानी।

यह भक्त कबीर ने कहा है। इसका मतलब यह है कि खुद तो चुल्लू भर पानी किसी को पिला नहीं सकते लेकिन निन्दा भगवान शिवजी की भी करते हैं जिन्होंने गंगा लाकर दी हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने जब हमको याद दिलाया तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि जार्ज साहब को अभी तक पंजे की चोट याद है। जो उस पर लिखा था, कविता, नारा, स्लोगन वह भी पढ़कर सुनाया और यह भी हमको उन्होंने बता दिया कि आप अपने मैनिफैस्टो से नहीं जीते हैं बल्कि इस बात से जीते हैं कि लोगों से यह कहा था कि पंजे पर मोहर लगाओ तो लोगों ने मोहर लगा दी। लेकिन यह तो बहुत ग्रेटनेस है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि लोग मैनिफैस्टो भी नहीं पढ़ते फिर भी उनको वोट देते हैं और लोग आपका मैनिफैस्टो भी पढ़ते हैं फिर भी वोट नहीं देते हैं। (व्यवधान)

मैं जार्ज साहब की बात तो समझ सकता था क्योंकि उन्होंने अपने नेता के तहत 6 महीने राज दोबारा किया, जैसा कि मेरे दोस्त ने बतला दिया कि पहले इस तरफ खड़े होकर तो कांफिडेन्स मोशन के खिलाफ तकरीर की और फिर जो उस मोशन को लाए थे उनके साथ मिनिस्टर बने। यह तो अकल और बुद्धि की बात है लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस प्राइम मिनिस्टर

[श्री जैल सिंह]

के नीचे मैं रहा, उसको खुशकिस्मती से 6 महीने राज करने का मौका तो मिला लेकिन वे दो मिनट भी पार्लमेन्ट के सामने खड़े नहीं हो सके। उस केयरटेकर गवर्नमेन्ट के अन्तर्गत उन्हें देश की बर्बादी की जो बुनियादें रखनी थीं वह तो उन्होंने रख दीं और उसके बाद वे चले गए।

बाबू जगजीवन राम जी को जब मेरे दोस्त कुछ बातें कह रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि बाबूजी को कुछ न कहो। बाबूजी के प्रति हमारे दिल में आदर है, सम्मान है। उन्होंने गम्भीरता से बातें कही हैं। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा अफसोस है। जब अनलहक मंसूर को यह सजा मिल गई कि पत्थर मार-मार कर इसको मारना है और हर एक सिटिजन को आर्डर दिया गया कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा वह मंसूर के एक पत्थर मारेगा तो सभी लोग पत्थर मारते चले गये और अनलहक मंसूर खुदा को याद करता गया। लेकिन उसका दोस्त जो शिबली आलम था, उसने सोचा अगर मैं पत्थर नहीं मारूंगा तो मुझे सजा मिलेगी और अगर पत्थर मारूंगा तो यह मेरा दोस्त है इसलिए उसने एक फूल लेकर, उसकी पत्थर की शक्ल बनाकर मंसूर को मार दिया। जब मंसूर को वह लगा तो मंसूर ने कहा हाए। शिबली आलम खड़ा हो गया कि लोगों के पत्थर खाकर इसने हाय की नहीं लेकिन मेरे फूल से हाय करता है। इसपर मंसूर ने जवाब दिया कि शिबली आलम, यह लोग तो जानते नहीं, डरते हैं और बेकायदगियां करते हैं लेकिन तू तो मेरी हालत को जानता था कि मेरा कुसूर नहीं है, तूने फूल मारा लेकिन फूल से भी मुझे चोट लगी है।

सभापति महोदय, मूवर ने बड़े जोर से कहा कि दो सौ आदमी बिहार-शरीफ में मर गए, बिल्कुल बे-बुनियाद है। मैं इस हाउस में कहता हूं कि अगर दो सौ साबित हो जाए आज से पहले, कल का मैं नहीं कह सकता हूं कि भगवान क्या करें। आज से पहले जो दंगे हुए, उसके बाद जो अमन हो गया है, यदि जार्ज साहब दो सौ साबित कर दें तो मैं इस्तीफा दूंगा और ये साबित न करें तो ये इस्तीफा देंगे। यह ऑगस्ट हाउस में नो-कान्फिडेंस-मोशन तो मूव करें, लेकिन झूठ बोलना और गलत ब्यानी करने का क्या हक है···

श्री राम विलास पासवान : सरकार क्या कभी झूठ नहीं बोली। ज्ञानी जी आप जो कहते हैं, वह सही नहीं है ··· **(व्यवधान)** ···

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, मैं पासवान जी की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि वह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कभी-कभी। लेकिन··· **(व्यवधान)** ·· चेयरमैन साहब, मुझे एक शेयर याद आ गया है :

"नजर आते हैं हर इकरार में इन्कार के पहलू',
मोहब्बत इस जमाने में सियासत होती जाती है॥

जो पासवान जी हमारे साथ प्राइवेट बातें करते हैं, वे कहां रह गए, टोका-टाकी कहां रह गई। जॉर्ज फर्नाण्डीस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैंने तो बात ही कही है खुद सोच लें, दिमाग को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा।

एक बात का मुझे अफसोस है, चलों हमने जो कहना था, कह दिया, लेकिन उन्होंने हिन्दुस्तान के आवाम की तोहीन की है कि उन्होंने पंजे को वोट दे डाला सोचा-समझा कुछ नहीं। हिन्दुस्तान के लोगों ने 34 साल में डैमोक्रेटिक सैट-अप को कायम रखकर यह दिखा दिया है कि वह हमको भी बदल सकती है और फिर उस शख्सियत के खिलाफ, जो हाइयेस्ट डैमोक्रेटिक रवायतों को कायम रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि हार जायें या जीत जायें। बाबू जी मेरी बात को ताईद करते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि वह बहुत बहादुर हैं। उन्होंने बड़ी तारीफ की है और कौन सा मौका है, जब इंदिरा गांधी ने डैमोक्रेटिक रवायतों को कायम नहीं किया है। बाबू जी ने कहा कि उनको सलाह देने वाला कोई नहीं है, उनके सब फालोअर है। अगर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के फालोअर हो तभी सरकार अच्छी चलती है। आपने मोरारजी का हाल देखा और चरण सिंह जी का हाल देखा।

चेयरमैन साहब, यहां कहा गया कि लॉ-एंड-आर्डर की हालत खराब हुई है। मैंने इस हाउस में कहा था, माननीय वाजपेयी जी से, कि मैं सारे हिन्दुस्तान के आंकड़ें नही दे सकता, लेकिन दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली आपकी कान्स्टीचूयेंसी है, आप दिल्ली में रहने वाले होकर इतना तो मानिए कि 14 प्रतिशत क्राइम्स दिल्ली में कम हुआ है। मैं आज कहता हूँ कि लॉ-एंड-आर्डर की हालत देश में 1976 में सुधरनी शुरू हुई। 1974, उससे आगे 1975 में बेहतर हुई, 1976 में बेहतर हुई और 1977 में उसका सत्यानाश होना शुरू हो गया। यह क्यों हुआ, इसमें इनका कसूर नहीं है। जो महानुभाव हैं, इनका कसूर नहीं है। कोई और भी उस गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं, तो उसका एस्सीडेंट होना ही था। क्योंकि उसमें कोई एम्बैसडर का पूर्जा था, कोई मरसीडी का, कोई ट्रक का। इस प्रकार चक्का कहीं का, पुर्जा कहीं का, मैं तो कहता हूं कि और तो सवार हो गए, लेकिन बाबू जी को उस पर सवार नही होना चाहिए था। बाबू जी ऐसी गाड़ी में सवार हो गए। अब आप सोचिये, वह क्या करते। कोई जाटों का नेता था, कोई ब्राह्मणों का नेता था, कोई हरिजनों का नेता था, न जाने कितने नेता थे।

एक और बात देखिए—किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने एक नोट भेजा, कैबिनेट में भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर ने एक मिनिस्टर को निकाल दिया। एक दूसरा मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि सुलह करवा देता हूँ। यानी तुम सुलह करवाने वाले चौधरी हो गए। यहां वह सुलह करवाने वाले हमारे दोस्त बैठे हैं—बीजू पटनायक साहब। लेकिन सुलह-करवाते-करवाते चले गए। उनका भी हिसाब कर दिया और अपना भी हिसाब कर लिया।

चेयरमैन साहब, हमारे खिलाफ बातें कौन करते हैं? वे करते हैं जिनके खिलाफ एक साल पहले हिन्दुस्तान की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया था। बाबू जी के साथ मुझे बहुत हमदर्दी है। बाबू जी ने कहा कि 34 साल में कुछ नहीं हुआ। बाबूजी, हमारे तो अभी [illegible] हुए हैं, जबकि आप के तो 35 साल हो गए हैं। हम तो फोलोअर रहे हैं, लेकिन आप तो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार रहे हैं। पंडित जी के भी सलाहकार थे, इंदिरा जी के भी सलाहकार थे और जो सरकार स्वर्गवासी हो गई उसके भी सलाहकार थे ... (व्यवधान) [illegible] के, बिला-खौफे-तरदीद के, यह बात कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान के हर [illegible]

[श्री राम विलास पासवान]

जिक, ला-एण्ड-आर्डर, और विदेशी मामलों में, हिन्दुस्तान की सरकार ने अपने प्रिन्सिपल्ज को कुरबान नहीं किया और आगे बढ़ती जा रही है। हम कम्यूनलिज्म के आगे नहीं झुके, जब हरिजनों के रिजर्वेशन का मसला आया हम उसके आगे नहीं झुके, हिन्दुस्तान के संविधान में तरमीम करके उनके रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ाया, उसके खिलाफ एजीटेशन हुआ—हम उसके आगे नहीं झुके, आसाम में जिस कम्यूनलिज्म की आग भड़की हम उसके आगे भी नहीं झुके, और आइन्दा भी यह सरकार नहीं झुकेगी। कांग्रेस (आई) की सरकार, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार पालिसी, प्रोग्राम और प्रिन्सिपल्ज के साथ चलती है। लेकिन मुझे अफसोस है--हमारे समर मुखर्जी साहब ने बड़े जोर से तकरीर की ओर पोलिटिक्स-विदाउट-प्रिन्सिपल का जिक्र किया। लेकिन सी० पी० (एम) के नेता जार्ज फरनान्डीज के मते पर बोल रहे थे। मैं तो सोच रहा था —कितना बदल गया—इन्सान।

समर मुखर्जी साहब मेरे बुजुर्ग हैं - मैं उनका बड़ा अदब करता हूं। आपकी पार्टी के कुछ प्रिन्सिपल्ज हैं, सैकुलरिज्म की बात है, कुछ और बातें हैं, जिनको मैं पसन्द करता हूं। लेकिन पहले मैं आपको कम्यूनिस्ट समझता था, फिर आपको "अपारचूनिस्ट" समझने लगा, जब जनता सरकार आई तो आप उनकी तरफ हो गये। हमारे सी० पी० (आई०) के दोस्त भी यहां बैठे हैं। अब मैं आपको "जिग-जैग अपारचूनिस्ट" पार्टी समझता हूं। पता नहीं किस तरफ आपका मुंह हो जाय और क्या कह दें।...(व्यवधान)...जब दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता, मेरी बहुत प्यार से की हुई बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्यों चिन्ता कर रहे हैं। अगर कोई गलत बात होगी, तो मुझे टोक देंगे। मैं कहता हूं कि कल इनको सदन के बाहर नहीं जाना चाहिए था। कल का दिन इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जायेगा। पार्लियामेंटरी रवायत को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिये कोई मैजोरिटी किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं कर सकेगी। कल इनको बाहर नहीं जाना चाहिए था। एक रेजोलूशन कल पास किया था। कल जब दूसरी अपोजीशन पार्टीज के लोग चले गये थे, तो आप क्यों बाहर चले गये? ये भी चले गये और इसका मुझे बड़ा अफसोस है।

आज हमारे सामने बहुत से नेतागण बैठे हैं। हमने कभी इतने सारे अपोजीशन पार्टीज के मिनिस्टर नहीं देखे, ऐसे लोग जो मिनिस्टर रह चुके हैं और जिनको सरकार का तजुर्बा है, हमारे सामने बैठे हैं। साल दो साल का जो टाइम है, उसमें लोग देखते हैं कि सरकार क्या करती है लेकिन इन्होंने तो अपोजीशन में आते ही शुरू कर दिया ऐजीटेशन कराना, हड़ताल कराना, जुलूस निकालना, दंगा-फिसाद कराना और लोगों को भड़काना लेकिन परमात्मा की महरबानी है कि हम कामयाब रहे हैं। दंगे-फिसाद कराना कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन हमारे मधु दंडवते जी कहते हैं कि नेशनल सैक्युरिटी एक्ट लगा दिया, इसलिए डेमोक्रेसी नहीं रही है। आप की सरकार में भी ये सारे एक्ट इस्तेमाल होते रहे हैं, याद रहे और मैं यह कहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट बनने के बाद केवल 900 आदमियों के करीब पकड़े गये और 900 में से

भी 600 को छोड़ा गया, जिनके लिए जूडीशियरी और हमारे एडवाइजरी बोर्डों ने कहा था। यह हमारी सरकार की निष्पक्षता का नतीजा है कि जो बेगुनाह थे, उनको छोड़ दिया लेकिन जो मिस्क्रियेन्ट्स हैं, उनके निपटने के लिए किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि बिहारशरीफ में क्या हुआ और यू० पी० में डाकुओं ने कैसे हरिजनों और दूसरे लोगों को मारा। आप यह बताएं कि अगर ऐसा एक्ट कोई न हो, तो इस मुल्क के लोग कैसे संभल सकते हैं। इन को संभालना पड़ेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि उन्होंने एन० एम० ए० के अधीन 600 बेगुनाह व्यक्तियों को गलती में गिरफ्तार किया।

श्री जैल सिंह : चेयरमेन साहब, मैं एक बात कहूंगा और मैं बहुत अदब के साथ आपके थ्रू अपने इन दोस्तों से कहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से आपको सरकार दी गई थी और हमारी पार्टी को हराया गया था लेकिन आपने एक बात साबित कर दी थी कि आप सरकार नहीं चला सकते और आज आपने यह भी साबित कर दिया कि आप अपोजीशन भी नहीं कर सकते। कोई मौका तो देखो, कोई सोच-समझ की बात करो। कोई नई बात आप लाए नहीं और वही पुरानी बातें हैं, मकालू हवाई जहाज की बात कह दी, वहां दंगा हो गया उसकी बात कह दी। कौन सा नया प्वाइन्ट है, जिसको आप लेकर आये हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसको लाकर आपने हाऊस का वक्त जाया किया क्योंकि यह हाऊस जो है, वह बहुत सुप्रीम है।" (व्यवधान)

चेयरमेन साहब, एक मेम्बर साहब ने कहा कि पी० एम० साहब को विदेशों में इस समय नहीं जाना चाहिए था, उनको बिहार शरीफ के मुकाबले में जनेवा में नहीं जाना चाहिए था, शायद बाबूजी ने यह कहा था। अब चेयरमेन साहब, आप सोचिये कि प्राइम मिनिस्टर के पास विदेश यात्रा के लिए सिर्फ 10-12 घंटे थे। लेकिन इस वक्त में उन्होंने और कोई काम नहीं किया, वे बिहार-शरीफ गईं। वहां पर जाकर आईं, लोगों को मिलकर आईं और सरकार को हिदायतें करके आईं और उसके बाद से वहां पर कोई दंगा नहीं है—अमन शांति है। आज भी इन्दिरा-गांधी कहीं नहीं गईं, वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हों—अपने देश की रनुमाई कर सकती हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन यह बात असंगत है और इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिये थी। मैं क्या कहूँ अपने बुजुर्ग दोस्त समर मुखर्जी को।

प्रो० मधु दण्डवते जी की पार्टी के नेता तो यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हथियार लेने से नहीं रोकना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि सिक्किम नहीं लेना चाहिए था। हमारे विचार में तो यह ठीक था। हम तो इस बात पर विश्वास रखते हैं।

पाकिस्तान असला क्यों इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तान ने जितनी बार भी असला इकट्ठा किया—हिन्दुस्तान को खतरा हुआ। अब ऐसे मौके पर आप यह कहते हैं और जब हिन्दुस्तान की सरहदों पर जंग के बादल छा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर महत्वपूर्ण टूर पर बाहर गई हैं ऐसे

[श्री जैल सिंह]

वक्त में आप उनके खिलाफ नो कान्फीडेंस मोशन लाते हैं। क्या दुनियां के रेडियो और अखबारों ने इस बात को ज्यादा नहीं उछाला कि ऐसे वक्त पर प्राइम-मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है। (व्यवधान)

दण्डवते जी, आपने बहुत कुछ कहा है, अब थोड़ा ध्यान से सुनिये। मैं आपकी लियाकत की, आपकी विद्वता की और आपके बोलने की शैली की तारीफ करता हूं, लेकिन क्या करेगी शैली जब आपके पास मसाला ही कोई नहीं है। खामख्वाह अपनी इनर्जी और इंटेलीजेंसी को बरबाद कर रहे हैं—मुझे अफसोस तो इसी बात का है।

एक चीज और देखिए कि एक ही समय पर और एक ही टाइम पर दण्डवते जी दो टेबलों पर बैठ सकते हैं—मैं अभी आपके सामने बताता हूं। इन्होंने पहले तो कहा कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म नहीं होने देंगे—प्रेसीडेंशियल गवर्नमेंट बनाने पर विचार किया जा रहा है। इतने विद्वान होकर ऐसी बात करते हैं—क्या प्रेसीडेंशियल सिस्टम आफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं है। या तो यह कहिये कि नहीं है। खैर यहां तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन आगे जाकर क्या कहते हैं कि अमरीका में इतनी आजादी है—अखबारों को इतनी आजादी हैं—प्रेस को इतनी आजादी है—इस तरह फिर उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। जिसके खिलाफ हैं—उसी की तारीफ करते हैं। फिर ये तो प्रोफेसर हैं—हमसे बहुत ज्यादा विद्वान हैं और रेल-मंत्री भी रह चुके हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब आपको तो इनफार्मली पार्लियामेंट के मेंबर्स को इस बात के लिए लेक्चर देना चाहिए कि दुनिया में कितने प्रकार की डेमोक्रेसी है। एक तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। तर्जे-हुकूमत बदलते रहते हैं।

इसी तरह से समर मुखर्जी कम्युनिस्ट है—तो आप इस बात का रिमान्ड क्यों नहीं करते कि यहां पर कम्युनिस्टिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए—हमें इस डेमाक्रेसी में विश्वास नहीं है, लेकिन आप तो कहते हैं कि यही रहे और तब तक रहे जब तक हमको खुली छूट रहे और जब हम आ जाएंगे तो फिर यह नहीं रहेगी—फिर कम्युनिस्टिक डेमाक्रेसी लाएंगे। अगर कम्युनिज्म में विश्वास है तो फिर लाओ तर्जे-हुकूमत कम्युनिस्ट कंट्री की और कहो कि इसी से काम चलेगा—इसके बगैर काम नहीं चल सकता। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी सरमाएदारों की लाना चाहते हैं—ये दोनों बातें कंट्राडक्टरी हैं। आप देख लीजिए कम्युनिस्ट मेनीफैस्टो में—मैंने 2-4 बार ही ही पढ़ा है, आपने तो कई बार पढ़ा होगा, उसमें मैंने देखा है। बहुत बार हमने कहा है, प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि अभी तक कुछ ऐसी बात हमारे विचार में नहीं है। हम सुन रहे हैं लोगों से, वकला साहिबान कुछ कह रहे हैं और प्रोफेसर साहिबान कुछ और कह रहे हैं और कोई तारीफ करता है रशियन टाइप डेमोक्रेसी की, कोई चीन टाइप की, कोई अमरीकन टाइप की, कोई कहता है फ्रांसीसी टाइप चाहिये। कितनी ही तर्ज की डेमोक्रेसीज हैं। लेकिन हमने जो रास्ता अपनाया है और जो हमारी कांस्टीट्यूशन में है, उसकी पवित्रता को, उसके कायदे कानून को हम निभा रहे हैं और निभाते जाएंगे। ये हमारे ऊपर शक कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आदमी को

नहीं सोचना चाहिये कि जो मैं हेराफेरी करता हूं वही सब करते हैं। हम हेराफेरी वाली बात नहीं करना चाहते हैं।

यह कहा जाता है कि कभी कह दिया जाता है कि विदेशी हाथ है। आपका तो मैंने लिहाज किया है। बिहार की गवर्नमेंट ने जब मैं तकरीर कर चुका तो बताया कि आपने कहा है कि किसी पार्टी का हाथ नजर नहीं आता है लेकिन यह तो अपोजीशन पार्टी वाले करवा रहे हैं क्योंकि बाई इलैक्शन आ रहे हैं। तब तो मैंने विश्वास नहीं किया लेकिन अब बिल्कुल मुझे विश्वास हो गया है कि अपोजीशन पार्टीज करवा रही हैं। आज की नो कान्फिडेंस से यह साफ हो गया है, कहीं की ईंट कहीं का रोडा भानमति ने कुनबा जोड़ा। आपस में कोई इत्तफाक नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कुछ न कुछ तो होता लेकिन कुछ भी नहीं है। कुछ तो कहा जाता कि इस बात के लिए विरोध करता हूँ और इसके लिए नहीं करता। जिस तरह से पहले इकट्ठे हो गये थे वैसे अब भी हो जाओं तो भी कुछ नहीं होगा। साज एक नपा तुला अच्छा हो तभी उसकी गूंज होती है, तभी वह आवाज देता है। दस हारमोनियम टूटे फूटे लाकर रख दो एक तरफ जिनकी सुर न मिलती हो, और दूसरी तरफ एक हारमोनियम रख दो जिसकी सुर मिलती हो, तो दस का कोई फायदा नहीं लेकिन एक का फायदा है। सुर मिले तब बात बनती है। सुर तो अपनी-अपनी पार्टी में आपकी नहीं मिलती है तो फिर जनता कैसे विश्वास कर ले कि हमको हटा दें और आपको ले आएँ तो आप अच्छा काम हम से करेंगे। हमसे आप अच्छे होंगे तभी तो आएंगे। जब तक हमसे अच्छे पैदा नहीं होते तब तक कैसे आ सकते हैं, कैसे जनता आपको ला सकती है।

मेरे सामने नेता लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। वे बहुत दूर अंदेश हैं। आज की बात छोड़ देता हूं। आज तो उन्होंने गुनाहे बे लज्जत किया है। इस से अगर आप बाज आ जाएं, इसको आप छोड़ दें तो आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी। यह प्रस्ताव पास होगा नहीं लेकिन इससे जनता के मन में आपके प्रति शक बढ़ेगा, लोग अच्छा नहीं कहेंगे। आपको चाहिए कि आप हमसे बढ़कर कोई काम करें, कोई गुण दिखाएं। नही तो पीछे रहने से क्या फायदा, बुरा कहने से कोई बात नहीं बनेगी।

बाबू जी का तो मैं फिर धन्यवाद करता हूं। मकालू हवाई जहाज की बात दो-तीन बार कही जा चुकी है। दुबारा मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। विदेशी हाथ होने या न होने की बात की न तो मैंने ताईद की है और न ही दरदीद। यह बड़ा खतरनाक मामला है। अगर मैं कह दूं कि विदेशी हाथ है और कल को न निकले और अगर कह दूं कि नहीं है और कल को निकल आए तो यह बुरी बात होगी। मामला अंडर इनवैस्टीगेशन है।

एक सदस्य ने यह कहा है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एक एम० एल० ए० को धमकी दी है। अब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बेचारा यहां नही है। आपके पास कोई सबूत नहीं है सिवाय अखबार की खबर के। खबर भी नहीं लेकिन एक विरोधी का स्टेटमेंट है। सच है या नहीं इससे सैंटर की सरकार की कैसे टांग टूटेगी? उसका क्या बिगड़ेगा? इस वास्ते जो भी बात कही जाए प्रिसाइज मैनर से कहीं जानी चाहिए। ऐसी बातें कही जानी चाहिएं जो लोगों के दिमागों में धंस जाएं। आपकी कोई भी बात लोगों के दिमाग में नहीं धंसती।

[श्री जैल सिंह]

इस बहस का जवाब तो हमारे आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर देंगे क्योंकि यह बजट सैशन है। मैंने थोड़ी-सी बातों का जवाब दिया है। एक बात में कहूंगा।

बाबू जी से मैं इत्तफाक करता हूं, जब वह कहते हैं कि इन्दिरा जी में क्षमता है, हिम्मत है, बहादुरी है, वह चाहें तो तमाम मसले हल कर सकती हैं। तो बाबू जी निश्चिन्त रहिए तमाम मसले हल कर लेंगे।

चेयरमैन साहब मेरे पास मैटर तो बहुत है, लेकिन घड़ी दिखाई देती है। इसलिये मैं अपने दोस्तों का समय नहीं लेना चाहता, और मेरा ख्याल है कि हमारे आनरेबिल मेम्बरान को यही काफी होगा और इसी से वह सब्र करेंगे। और अच्छी बात तो यह है कि समर मुखर्जी, माननीय वाजपेयी और माननीय इन्द्रजीत गुप्त, इनको उठाकर उस किनारे में ले जायें और समझा दें कि गलती न करो, प्रस्ताव वापस ले लो, वापस लेने से ज्यादा इज्जत रहेगी। मैंने दण्डपाणि जी की तकरीर सुनी है, दूसरे लोगों की भी सुनी है, वह तो हमारे विरोधियों में हैं, अगर वह इनके साथ बैठे हैं वह उनके कहने पर नहीं लगते तो मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैं दंडपाणि जी को तकलीफ नहीं देता। मैं इनको तकलीफ देता हूं। अगर वह मेरी सलाह नहीं मानते तो कोई बात नहीं। मैं फिर भी मन में गुस्सा नहीं रखूंगा। मेरा तो वही निशाना है :

"तुम तीर मारो सीने पर बेशक, मगर इतना ख्याल रखना
कि सीने में दिल है और दिल में तुम्हारा मकाम है।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं ज्ञानी जी के भाषण का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उनकी तकरीर लाजवाब थी, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता।

सभापति महोदय, मैं अभी मणिपुर से लौटा हूं। मणिपुर की हरी-भरी धरती पर इस समय खून के धब्बे पड़े हुए हैं। मणिपुर उत्तर पूर्वान्चल का सीमान्त प्रदेश है। अभी तक मणिपुर में 135 लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ में या आपस में संघर्ष में मरे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के किसी भाग में जो सीमा पर स्थित है इतनी बड़ी संख्या में लोग मरें, और यह संख्या बिहारशरीफ से ज्यादा है, तो यह सारे देश के लिए एक खतरे की घंटी है। मणिपुर केवल दिल्ली से दूर है इसलिए हमारे दिल दिल से दूर नहीं होना चाहिए। आज वहां राष्ट्रपति शासन है। मणिपुर के शासन के लिए केन्द्र उत्तरदायी है। आज सवेरे दो नौजवान पुलिस की मुठभेड़ में मारे गये। मुझे उस स्थान पर जाने का मौका मिला था। भरी बस्ती के बीच में गोलियां चलीं, खून के दाग पड़े हैं। उनमें एक नौजवान ऐसा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसने यूनिवर्सिटी में टाप किया था। आज वह जान लेने पर और जान देने पर क्यों उतारू हो गया ?

एक माननीय सदस्य : आप यूनिवर्सिटी में दंगा कराना चाहते हैं ? (व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोका-टाकी का मामला नहीं है।··· (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना व्यवधान की किसी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)** इन बातों को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं टोका-टाकी का स्वागत करूंगा, मगर टोका-टाकी में समझदारी होनी चाहिए। नासमझी से टोका-टाकी न संसद् की मर्यादा को बढ़ाती है और न वाद-विवाद में योगदान देती है।

मैं एक गम्भीर बात की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मणिपुर में 14 लाख की आबादी में एक लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं, क्या वजह है कि विश्वविद्यालय से निकलकर नौजवान सीधे भूमिगत आन्दोलन में शामिल हो जाता है, बन्दूक लेकर मैदान में निकल पड़ता है ?

पीपल्स डैमोक्रेटिक फ्रंट आज दावा कर रहा है, उसे बहुमत प्राप्त है। क्या वजह है कि मणिपुर में उसे सरकार बनाने के लिये निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है ? राष्ट्रपति राज्य लागू करने की क्या जरूरत है ? चुनी हुई सरकार की तकदीर का फैसला विधान-सभा में होगा या केन्द्र के हाथ की कठपुतली बने हुए राज्यपालों की रिपोर्ट पर होगा ?

असम में कांग्रेस (आई) का बहुमत नहीं था, मगर सरकार बनाने के लिए दल के नेता को निमंत्रण दे दिया गया। वह सरकार हार गई। उसे न जनता का विश्वास प्राप्त है, न विधान-सभा का। वह सरकार असम में थोपी हुई है। लोकतंत्र को नापने के लिए क्या अलग-अलग गज होंगे ? राज्यपाल मणिपुर में एक तरह से आचरण करेंगे और असम में दूसरी तरह से ? केन्द्र में बैठकर आप मणिपुर की विस्फोटक स्थिति नहीं देखेंगे ? असम के नौजवान अतिरेक के रास्ते पर न चले जायें, इसकी चिन्ता नहीं करेंगे ? केवल दल का हित देखा जाएगा ?

एक माननीय सदस्य : देश का हित देखा गया, जब से कांग्रेस आई तब से शांति उपस्थित हुई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, फौज और पुलिस के बल पर लोगों के शरीर को मारा जा सकता है, मगर दिल पर राज नहीं किया जा सकता। मणिपुर में एक सरकार थी, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे—मंत्री भ्रष्ट, अफसर बेईमान, ठेकेदार लोगों का शोषण

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

करने में निमग्न। नौजवान असंतोष की आग में जल रहा है। भारत की एकता को मणिपुर में चुनौती दी जा रही है। जिन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा सेनाएं काम कर रही हैं, मुझे उनके साथ सहानुभूति है। मगर मणिपुर और आसाम की समस्या का हल दमन नहीं है, आतंक नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र की सही मर्यादाओं पर दृढ़ रहना पड़ेगा, सत्ता के लिए खेल को छोड़ना पड़ेगा। अगर मणिपुर में पीपल्ज डेमोक्रेटिक फ्रंट को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए, और वह सरकार विधान सभा में गिर जाए, तो आपको कोई दोष नहीं देगा। मगर आप पीपल्ज डेमोक्रेटिक फ्रंट को बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछली राज्य सरकार के समय जो दो हजार टन रेपसीड आयल मणिपुर के लिए भेजा गया, वह कलकत्ता के बाजार में बिक गया, मणिपुर तक नहीं पहुँचा। वहां जो पेपर मिल लगने वाली थी, उसका क्या हुआ ? किसी भी नौकरी के लिए बिना रिश्वत के काम नहीं बन सकता है। बिजली पैदा करने के लिए लोकटक प्राजेक्ट कितने वर्षों से पड़ा हुआ है।

इसलिए नौजवान बिगड़ रहे हैं। यह पार्टियों की लड़ाई तो यहां लड़ी जाएगी, मगर संकट पार्टियों की परिधि को पार कर गया है। यह संकट केवल राजनैतिक संकट नहीं है, यह विश्वास का संकट है, यह व्यवस्था का संकट है। क्या वजह है कि पन्द्रह महीने के भीतर जादू उतर गया है। क्या वजह है कि पन्द्रह महीने के भीतर देश फिर से तकदीर के तिराहे पर खड़ा हो गया है ? क्या वजह है कि विधान सभाओं में और लोक सभा में आपका बहुमत है, मगर देश में संतोष नहीं है ? महंगाई बढ़ रही है। पिछले साल वह 18 परसेंट बढ़ी। इन्हीं चार महीनों में वह उससे ज्यादा बढ़ गई है। जब बजट पेश किया गया था, तब दावा किया गया था कि थोड़ी-सी महंगाई बढ़ेगी। बंधी बंधाई तनख्वाह पाने वाला, गरीब मजदूर किस तरह से अपने जीवन का पालन करेगा ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अमीर की बात कीजिए, गरीब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनके मुंह से तो कोई भी बात शोभा नहीं देती है। बूढ़ा होकर जो टोका-टाकी करता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

ज्ञानी जी कानून और व्यवस्था की बात कर रहे थे। वह आंकड़ों से साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में अपराध कम हो गये हैं। क्या ज्ञानी जी को पता है कि दिल्ली के थानों में अपराधों को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है ? जनता पार्टी के राज्य में श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती थीं कि दिल्ली में शाम को औरतों का अकेले चलना मुश्किल है। इन्दिरा जी के राज्य में आज हालत यह है कि अच्छे-अच्छे मरदों का शाम को अकेले निकलना कठिन है। (व्यवधान) बसों में हमले हो रहे हैं। रेलें लूटी जा रही हैं। हवाई जहाज की यात्रा भी अब निरापद नहीं है। अगर प्रधान मंत्री को ले जाने वाला हवाई जहाज और पन्द्रह दिन बाद वह ले जाने वाला था, बीच में कई

उड़ानें भरने वाला था, अगर वह हवाई जहाज तार काटने वालों का शिकार हो गया तो फिर और हवाई जहाजों के तारों का क्या होने वाला है ? यह तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी चिन्ता की बात है।

यह संसद का सत्र कई बातों के लिए याद रखा जाएगा। उस दिन सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने लोक सभा के बीच में आकर धरना दिया। ऐसा तो संसद के 33 साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वह विरोधी दल के सदस्य नहीं थे। वह प्रचार के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में मामला क्यों नहीं उठाया ? वह अपना दुखड़ा लेकर अपने लीडर के पास नहीं गये। क्या यह विश्वास का संकट नहीं है दल में, नेता में ? फिर उन्हें यहां बोलने से रोका गया। यह गहरी बीमारी का लक्षण है।

मगर एक घटना इस सदन के बाहर हुई है। मंत्रि-मंडल के एक सदस्य अपने कमरे में भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पहरेदार को, सेक्योरिटी वाले को कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े रहो, मैं भोजन कर रहा हूं, किसी को आने मत देना। उसी समय एक मंत्री पहुंच गये। सेक्योरिटी वाले ने रोका, साहब, खाना खा रहे हैं इस समय उन्होंने मना किया है। आप जानते हैं उन मंत्री ने क्या किया ? उन्होंने सेक्योरिटी वाले को मारा, उसके पेट में घूंसा दिया। वह रास्ते में रोता हुआ मुझको मिला। मंत्री संतरी को मारेगा संसद भवन की परिधि में, यह कौन-सी मर्यादा का पालन है ? यह आचरण का कौन-सा मानदण्ड स्थापित करना है ? यह छोटी-सी घटना नहीं है। ···(व्यवधान)···

मैं तो आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं।···(व्यवधान)···

एक और मैं छोटी-सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। हवा का रुख क्या है, यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार एमरजेंसी की तरफ जा रही है इसका आधार क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। बम्बई में एक सभा का आयोजन किया गया था···(व्यवधान)···

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब मैं बड़े अदब से यह कहूंगा कि वाजपेयी जी पार्टी के प्रेसीडेंट भी हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, इनके कहे हुए शब्द बहुत दूर जायेंगे। तो अगर वह कहते हैं कि किसी मंत्री ने ऐसा किया तो उनका नाम बता दें ताकि हम समझ सकें कि कौन थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम बता दूंगा, आप मुश्किल में पड़ेंगे। ···(व्यवधान)···यह इसलिए नाम पूछे जा रहे हैं कि इन सबको शक हो रहा है कि कहीं हमारे ऊपर तो इशारा नहीं किया है···(व्यवधान)···अच्छा मैं एक नाम बता देता हूं। भोजन करने वाले मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह थे, उन्हें बुलाकर दूसरे मंत्री का नाम पूछ लीजिए।·····(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे आरोप को चुनौती दी जायेगी तो प्रिविलेज कमेटी को मामला

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

भेज दिया जाय, मैं उस सेक्योरिटी वाले को पेश कर दूंगा।···(व्यवधान)···मैं एक बात और··· (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, श्रीमान वाजपेयी जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, यह प्रिविलेज कमेटी में जाने वाला मता नहीं है। यह आपको या तो कहना नहीं चाहिए, या तो कहिए कि मैंने सुनी-सुनायी बात कही है, या आपने अगर देखा है तो आप उसका नाम बता दें।···(व्यवधान)···मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं आपको किसी ने गलत कहा है, किसी मंत्री ने ऐसी बात नहीं की। बिल्कुल किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। आप विश्वास मत करिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं फिर दोहराता हूं कि सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दीजिए, मैं उस सेक्योरिटी वाले को हाजिर करने के लिए तैयार हूं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : जब वह एक मंत्री का नाम ले सकते हैं, किसके चेम्बर में ऐसा हुआ है, वह दूसरे मंत्री का नाम क्यों नही ले सकते ? (व्यवधान)

यह एक*** है और आपने उसको स्वीकार कर लिया। कहिए कि यह झूठ है (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वे मेरी चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री मगन भाई बरोट : सभा विशेषाधिकार समिति से बड़ी है। सभा में मंत्री का नाम बताया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसको मानने के लिए तैयार नही। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विशेषाधिकार का मामला···(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : नियम 376 के अधीन विशेषाधिकार का मामला तभी बन सकता है यदि उस मंत्री का नाम बताया जाए जिसके विरूद्ध ऐसे व्यर्थ के आरोप लगाए जायें, (व्यवधान) वह बिना आधार के विशेषाधिकार का मामला नही उठा सकते। हम किस के विरूद्ध विशेषाधिकार का मामला उठायें। वह मंत्री का नाम बतायें। जब तक उनमें उस मंत्री का नाम लेने की हिम्मत नहीं जिसने चोकीदार को पीटा था (व्यवधान)। वह आरोप को निराधार रखना चाहते हैं ताकि उसका कोई परिणाम न निकले। यदि उन्होंने आरोप लगाया है तो उनमें उस मंत्री का नाम बताने की हिम्मत और ईमानदारी भी होनी चाहिए जिस ने पिटाई की है क्योंकि वह उस व्यक्ति का

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

नाम जानते हैं। अत: या तो वह आरोप को वापिस लें या (व्यवधान) मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। आरोप को वापिस लिया जाए अथवा कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए अथवा श्री वाजपेयी को मंत्री का नाम बताना चाहिए। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री मगन भाई बरोट : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मंत्री का और चौकीदार का भी ईमानदारी से नाम बतायें (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मंत्री का नाम बताने के लिए तैयार हूं। परन्तु मैं चाहता हूं कि किसी जांच समिति द्वारा सारे मामले की जांच कराई जाए। (व्यवधान) सभा के भीतर क्या होगा (व्यवधान)

श्री मगन भाई बारोट : आप मंत्री का नाम बतायें और फिर यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिए। (व्यवधान)

श्री मगन भाई बरोट : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी, इसका एक चारा है। या तो आप··· (व्यवधान) क्या आप नाम बता रहे हैं या नहीं। (व्यवधान) आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री मगन भाई बरोट : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री मगन भाई बारोट : माननीय सदस्य की बात निराधार है। उन्होंने तो घटना स्थल भी नहीं बताया और मंत्री का नाम भी नहीं बताया। वह उस के लिए सभा का उपयोग करना चाहते हैं और अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, बस। यदि उनमें हिम्मत है तो नाम बताइये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी, हम नाम बताने की बात आप पर छोड़ते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विशेषाधिकार समिति को भेजने की उनकी हिम्मत नहीं (व्यवधान) मैं नहीं चाहता कि रक्षा करने वाले व्यक्ति पर दबाव डाला जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि चुनौती देनें और जवाबी चुनौती देने से आवेश पैदा होगा। सभा को अविश्वास प्रस्ताव पर शान्तिपूर्वक विचार करना चाहिये। अत मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य चुनौतियां तथा जवाबी चुनोतियां न दें। (व्यवधान)***

***कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मल्लिकार्जुन : ***

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।..... (व्यवधान)***

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह श्री वाजपेयी को बोलने की अनुमति देंगे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। मेरी अनुमति के बिना दिये गए किसी वक्तव्य अथवा भाषण को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय है और यही मेरा विनिर्णय है। (व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अदस्य यदि मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया अध्यक्ष-पीठ को सम्बोधन करें। यदि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करेंगे तो मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं आप से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सभा की प्रतिष्ठा बनाये रखे। अन्य बातें कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि अन्य बहुत से सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। इस सभा में आपकी उपस्थिति में, आप के अनुदेश के बावजूद एक मंत्री ने उठ का उस तर्क को दोहराया। उन्होंने कहा 'मैं चेतावनी देता हूं कि मैं उनको सभा में नहीं बोलने दूंगा।" क्या यह अध्यक्षपीठ का उल्लंघन नहीं है। मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरी अनुमति के बिना किसी भाषण या व्याख्या को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह मेरा विनिर्णय है। ..... (व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात केवल एक पक्ष की नहीं बल्कि दोनों पक्ष चुनौतियां और जवाबी चुनौतियां दे रहे हैं। अतः उनको कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।... (व्यवधान)***

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ। आपकी उपस्थिति में इस सभा में रेल उपमंत्री ने कहा है : "मैं चेतावनी देता हूं, मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। क्या यह अध्यक्षपीठ का उल्लंघन नहीं है ? मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ से ही किसी माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी जाती है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी बात कहना उचित नहीं। अध्यक्षपीठ से ही अनुमति दी जाती है। (व्यवधान)

***कार्यवाही वृतांत मे सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (**व्यवधान**)***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से करवद्ध अनुरोध करता हूँ क्योंकि मेरे पास एकमात्र साधन है —गांधीवादी तरीका—कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये। कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल मेरे अनुरोध को सम्मिलित किया जायेगा। इस सभा के माननीय सदस्य अपने स्थानों पर बैठ जाये और श्री वाजपेयी को बोलने दें कृपया बैठ जाइये।··· (**व्यवधान**)*** आइये, थोड़ी देर हंस लीजिये। बैठ जाइये। मैंने श्री वाजपेयी को बोलने की अनुमति दी है। (**व्यवधान**)***

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने संविधान के नाम पर शपथ ग्रहण की है। इस प्रकार का आरोप लगाया गया है जिससे संवैधानिक मान्यता का उल्लंघन होता है।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अधीन ?

श्री मल्लिकार्जुन : चूंकि मैंने शपथ ग्रहण की है···(**व्यवधान**) वास्तव में यह गलत बात है। उनको मंत्री महोदय का नाम बताना चाहिए अन्यथा इसे कार्यवाही वृतांत से अभी निकाल दिया जाना चाहिये (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही को पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या संविधान अथवा नियम विरुद्ध कोई बात कही गई है। अब श्री वाजपेयी। (**व्यवधान**) अब एक मिनट कीमती है। जो माननीय सदस्य नहीं बोल सके, वे इस बारे में खिन्न नहीं है क्योंकि उनका अवसर छिन्न जायेगा। श्री वाजपेयी कृपया भाषण देना आरम्भ करें। श्री रामावतार शास्त्री और श्री हरिकेश कृपया बैठ जाये उनको बोलने दीजिए। श्री आरिफ, कृपया बैठ जाइये। कृपया उन्हें बोलने दें। अब बात समाप्त हो गई है, उन्हें बोलने दीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब समय नहीं है। एक-एक मिनट कीमती है। हम हर मिनट जनता का लगाया 400 रुपया खर्च कर रहे हैं। (**व्यवधान**)*** अब समय बहुत कीमती है। श्री हरिकेश, कृपया बैठ जाइये।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : कल कोई निराधार कहानी प्रेस में छप जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता न करें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अविश्वास प्रस्ताव में सरकार की नीतियां···(**व्यवधान**) ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपमें से किसी से भी अधिक बुद्धिमान नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार की नीतियों पर ही विचार किया जाएगा। निजी मामले और व्यक्तिगत आरोपों पर विचार नहीं किया जाएगा। श्री वाजपेयी, कृपया आगे बात शुरू करें। आप सरकार की नीतियों की ही आलोचना कर सकते है और व्यक्तिगत आरोपों तथा निजी बातों पर

***कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

नहीं बोलेंगे। हमें व्यक्तिगत राजनीति से बचना चाहिए। इस देश को व्यक्तिगत राजनीति से खतरा पैदा हो गया है। कृपया इससे बचिए। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ दोनों तरफ के मेम्बरों से प्रार्थना करता हूँ कि हाऊस का शान्तिमय वायु-मंडल बना रहे और वाजपेयी जी, जो कुछ कहना चाहें, वे कहें, लेकिन एक प्रार्थना है आपके थ्रू श्री वाजपेयी जी से कि किसी की सुनी-सुनाई बात अगर उन्होंने सुन ली, तो उन को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और वे मुनासिब समझें तो खुद ही कह दें कि बेशक यह बात रिकार्ड में न रहे, क्योंकि सुनी-सुनाई बात है, स्वयं मिट जाएगा, लेकिन अन्डर शेडो गवर्नमेंट को रखना, यह अच्छा नहीं है और ऐसे जिम्मेदार शख्स को यह नहीं कहना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। गलती हो सकती है और मैंने भी एक बार ऐसी गलती की थी, लेकिन बाद में कह दिया था कि यह सुनी-सुनाई बात है, जो मैंने कही थी। आप भी कह दीजिए कि सुनी-सुनाई बात है, बात खत्म हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : जो कुछ गृह मंत्री जी ने कहा है, वह उन्हें कह लेने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आरोप अथवा कोई लांछन लगाया गया, तो मैं कार्यवाही-वृतान्त को देखूंगा। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : यह उन्हें अन्यथा नकारने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कार्यवाही-वृतान्त में कोई भी अपमानजनक, निन्दात्मक असंसदीय शब्द शामिल नहीं किए जाएंगे। फिर सदन में यह सब शोर-शराबा क्यों ? हमें शान्तिपूर्ण वातावरण में विचार-विमर्श करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल नियमों का हवाला दे रहा हूं।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे कक्ष में आना (व्यवधान) मेरा विचार है कि मैंने इतना अध्ययन नहीं किया है, जितना डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने किया है। (व्यवधान) अगले विषय पर बोलना शुरू करें।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मेरा आरोप है कि देश में इमर्जेन्सी लागू करने का एक योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। (व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : ···जो कुछ उन्होंने कहा है, उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैं पहले ही कह चुका हूँ। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। श्री हल्दर, इतनी उम्र में आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस आरोप को बलपूर्वक दोहराना चाहता हूं कि देश में योजनापूर्वक धीरे-धीरे आपात-स्थिति लागू करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। संविधान में संशोधन के बाद वह स्थिति बनी है कि जब तक देश में आर्म्ड रिबेलियन न हो, देश में आपात् स्थिति लागू नहीं की जा सकती। इसीलिए विदेशी हाथ विदेशी खतरे की बात बार-बार कही जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जजों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है ? जैसे कैजुअल लेबरर्स को चार-चार महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, वैसे उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने क्या कहा है ? (व्यवधान) इसमें असंसदीय बात क्या है ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : असंसदीय बात क्या है ? (व्यवधान)

श्री आर० एन० राकेश : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)। असंसदीय बात क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने अनुवाद को ठीक से नहीं समझा है। मैंने तो सरकार की आलोचना की है, जो जजों को चार-चार महीने की एक्सटेंशन दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जजों का हवाला दे रहे थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस को भयभीत करने की कोशिश हो रही है। उड़ीसा में क्या हुआ ? मैं इसका उल्लेख करना नहीं चाहता। वाराणसी में एक पत्रकार को किस तरह से हमले का निशाना बनाया गया। यह सारे सदन के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। (व्यवधान) ये इस का समर्थन कर रहे हैं।

अभी बम्बई में एक ठोस घटना हुई। भारत सरकार की अफगानिस्तान के बारे में नीति की आलोचना करने के लिए हम चौपाटी पर एक जन-सभा करना चाहते थे। उस जन-सभा पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि चौपाटी पर आप सभा नहीं कर सकते क्योंकि चौपाटी महाराष्ट्र सरकार की बपौती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी, उसके लिए यह सरकार कैसे जिम्मेदार है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मनोवृत्ति दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब दूसरे सदस्य केरल का हवाला दे सकते हैं और केरल में राजनीतिक हत्याओं के लिए सी० बी० आई० संस्था की आलोचना कर सकते हैं तो मुझे महाराष्ट्र सरकार का उल्लेख करने से क्यों रोका जा रहा है···(व्यवधान) यह देखना सरकार का काम है कि महाराष्ट्र में प्रशासन संविधान के उपबन्धों के अनुसार चले।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

यह सभा न करने के लिए दूसरा आधार जो दिया गया वह तो और भी हास्यास्पद था। कहा गया कि सोवियत संघ हमारा मित्र है हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हम उसकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। (व्यवधान)

मैं श्री साठे जी से जो कि उसका समर्थन करने वालों में हैं और सूचना मन्त्री हैं पूछना चाहता हूं कि क्या विदेश नीति पर हमारे और आपके बीच मतभेद की गुंजाइश नहीं है ? क्या हमें अपने मित्रों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है ? उन्होंने इसी बात पर हमारे सभा करने पर रोक लगा दी। फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने वहां सभा करने की इजाजत दे दी। महाराष्ट्र की सरकार बेंच के सामने गई। इतवार को बेंच की बैठक हुई। जब महाराष्ट्र की सरकार ने देखा कि वह मामला हार जाएगी तो उसने कहा कि हम अपनी अपील वापस लेते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि श्री वसंत साठे ने महाराष्ट्र-सरकार के इस कदम का समर्थन कैसे किया ? क्या अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का गला घोंटने की तैयारी हो रही है। क्या विदेशी मित्रों से मित्रता रखने के लिए हमें बोलने की आजादी नहीं होगी इस देश में।

ये अफगानिस्तान की मित्रता की बात करते हैं। अफगानिस्तान की जनता के साथ धोखा करके—उनके साथ विश्वासघात करके मित्रता की बात करते हैं।

श्री प्रभुनारायण टण्डन (दमोह): आप तो अमरीका से मित्रता की बात कीजिए—अफगानिस्तान की मित्रता की बात आप मत कीजिए।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, मैंने श्रीनगर में यह कहा कि वाजपेयी जी और उनके साथी यहां पर सभा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं—पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ दोस्ती की बात करना चाहते हैं। यह देश हित के खिलाफ है, इसलिए इस देश में यदि कोई यह कहे कि हम इस देश के जो दुश्मन हैं, उनके साथ हम दोस्ती करना चाहते है तो यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है इसलिए यदि वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया है तो उसके लिए मैं आपत्ति नहीं ले सकता। यह मेरा कहना है आप जियाउलहक का समर्थन करना चाहते हैं—अमरीका का समर्थन करना चाहते हैं यह आप करना चाहते हैं तो इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि सूचना मंत्री ने बाहर कुछ कहा और भीतर कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : मैंने यही कहा था और मैंने स्पष्टीकरण भी दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम वहां के सैनिक शासन का समर्थन नहीं करते। हमारा सवाल यह है कि इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार होगा या नहीं ? अगर हम अपकी

हां में हां मिलायेंगे तभी अधिकार होगा ? अगर दिल्ली के दरबार में सलाम झुकाएंगे, तभी बोलने का अधिकार होगा । यह रोल, यह भूमिका वसंत साठे अदा कर सकते हैं—हम नहीं कर सकते ।

श्री वसन्त साठे : जातिवाद को भड़काने का अधिकार चाहिए ? अराष्ट्रीयता को भड़काने का अधिकार चाहिए—किस आजादी की बात आप कर रहे हैं बाजपेयी जी और यह काम आपने किया है । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आल इंण्डिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन जो 15 मिनट का होता है, उसमें 12 मिनट श्रीमती इंदिरा गांधी का गुणगान करने की इजाजत है । आल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आल इन्दिरा रेडियो कर दो, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है—कोई सुनेगा नहीं ।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, बी० बी० सी० का नाम बाजपेयी ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन कर देना चाहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आशा करता हूं कि आकाशवाणी कार्यवाही वृतान्त के इस भाग को शब्द प्रतिशब्द रिपोर्ट प्रसारित करेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, अगर देश पर सचमुच में खतरा है तो क्या गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने की धमकी देना उचित हैं ? क्या प्रधान मंत्री का जम्मू-कश्मीर में यह कहना उचित है···। (व्यवधान)

श्री पी० नामग्याल : गलत है—बिल्कुल गलत है (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री ने जम्मू में जा कर कहा कि अगर केन्द्रीय सरकार राज्य को मदद न दें तो राज्य सरकार आध घंटे तक भी टिकी नहीं रह सकती है ।

श्री एच० के० एल० भगत : गलत कह रहे हैं । इसको कंट्रेडिक्ट किया जा चुका है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गैर कांग्रेसी सरकारें भी उसी जनता ने चुन कर भेजी हैं जिस जनता ने इस सरकार का निर्माण किया है । उनके साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक संघर्ष चलेगा लेकिन लोकतन्त्र में चुनी हुई सरकारों की तकदीरों का फैसला राज्य विधान सभाओं में होगा, दिल्ली के दरबार में नहीं ।

गृहमन्त्री महोदय ने जनता पार्टी के झगड़े की बड़ी चर्चा की है । हम में झगड़ा हुआ और

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

हम अलग-अलग हुए। लेकिन जनता पार्टी तो अलग-अलग पार्टियों से बनी थी। आप की तो एक पार्टी है। आपका पन्द्रह महीने में क्या हाल हो गया है ? त्रिपाठी जी भगत थे। अभी विभक्त हो गए हैं। शुक्ल कृष्ण हो गए हैं शुक्ल का अर्थ है, श्वेतचांदनी, शुक्ल पक्ष। आज मैंने उनका भाषण पूरा नहीं सुना लेकिन प्रधान मन्त्री के सचिवालय से कहा गया कि श्री विद्याचरण शुक्ल का त्याग पत्र इसलिए लिया गया है कि उन्होंने शक्कर में गोलमाल किया था। आल इंडिया रेडियो ने भी यह रिपोर्ट दी जबकि सारा सदन जानता है, दुनिया जानती है कि शक्कर के लिए राव बीरेन्द्र सिंह जिम्मेदार हैं, विद्या चरण शुक्ल नहीं। अब तीसरा नम्बर किस का है ? इसलिए बढ़ चढ़ कर वफादारी की कसमें खाई जा रही है।

यह भी कहा गया है कि कल संसद ने एक नया इतिहास लिखा है। मैं कहूंगा कि एक नया इतिहास नहीं लिखा बल्कि एक खतरनाक परम्परा कायम की है। अगर पुरानी संसद के निर्णयों को नई संसद बदलेगी तो वर्तमान संसद के निर्माण को आने वाली संसद भी बदल सकती है।

श्री मगनभाई बरोट : यह तीन वर्ष की संसद थी। उसके बाद नई संसद द्वारा कार्यवाही की गई थी।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है, तो उसका जबाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। जो सदस्य बोल रहा है, उसकी बात का जवाब देने के लिए चाहे किसी सदस्य का खड़ा हो जाना उचित नहीं है। अत: मैं आप से नम्र निवेदन करता हूं कि जो सदस्य बोल रहा है, उसकी बातों में बाधा न डालिए। ऐसा करने से समय का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार पर अथवा उसकी नीतियों पर लगाए गए आरोपों का जबाब तो सरकार को देना ही है। अत: मेरा यह आपसे नम्र निवेदन है कि चाहे जो माननीय सदस्य बाधा नहीं डालेगा। मैं सदन के दोनों पक्षों से यह अपील कर रहा हूं। जब किसी एक पक्ष का कोई सदस्य बोल रहा हो, तो दूसरे पक्ष का कोई सदस्य उसमें बाधा नहीं डालेगा।

अन्त में, श्री जार्ज इसका जबाब देंगे और सरकार भी इसका उत्तर देगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम समझते थे कि लोक सभा के चुनाव में जब कांग्रेस (आई) की विजय हो गयी है तो उसी दिन प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा की पुनरस्थापना हो गई। लेकिन कल आपने प्रस्ताव पास करके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई नहीं है, अपनी विजय के रंग को फीका कर दिया है। 15 महीने के भीतर ही यह प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई। 15 महीने के भीतर ही दिल्ली में किसानों की रैली बुलाने की जरूरत पड़ गई, 15 महीने के भीतर ही नजर बंदी कानून और ज्ञानी जी कहते हैं कि बहुत कम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तब तो पता लगता है कि उस कानून की जरूरत ही नहीं थी। इससे उस कानून की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, इस सरकार का दिमागी दिवालियापन साबित होता है।

एक माननीय सदस्य : किसी बात से चैन नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब आप बेचैन हैं तो हमें कैसे चैन हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मूड बहुत अच्छा है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, 15 महीने हो गए मगर अभी तक केन्द्र सरकार का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। देश पर संकट है मगर भारत का कोई रक्षा मन्त्री नहीं है। प्रधान मन्त्री हर एक मंत्रालय का भार कैसे देख सकती हैं? कोई उद्योग मन्त्री नहीं है। अन्जैया चले गए कोई श्रम मन्त्री नहीं है। स्टील का कोई मंत्री नहीं है। अगर इतने लोगों में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम कुछ लोगों की सेवायें अपोजीशन से उधार देने के लिए तैयार हैं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय वाजपेयी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और मैं समझता हूं कि उनकी जो यह तकरीर थी, सारा जो झगड़ा था। अब भी आ जायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञानी जी मुझे बुला रहे है। एक बार पहले भी बुला चुके हैं। मैं उधर जाऊंगा जरूर, मगर जनता के कहने पर आऊंगा। आपके कहने पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जी कह रहे थे कांग्रेस के सदस्य भी चुनकर आए हैं और विरोधी दल वाले भी चुनकर आए हैं। दोनों चुनकर आए हैं, यह बात सही है। मगर एक बुनियादी अन्तर है। आप लोग इन्दिरा जी की कृपा से चुनकर आए हैं, और हम उनके विरोध के बावजूद चुनकर आए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्तारूढ़ दल में ऐसे लोग निकलें जो डंके की चोट पर खरी बात कहने का साहस जुटायें। महाभारत में जब द्रोणाचार्य से पूछा गया, भीष्मपितामह से पूछा गया कि आप इतने विद्वान और बुद्धमान हैं आप अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हैं। तो भीष्मपितामह ने कहा 'अर्थस्य पुरुषोदासः'।..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय, इसको तो आज भी बुद्धिमत्ता नहीं। यह महाभारत पढ़ते नहीं हैं, महाभारत कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज देश में विश्वास का संकट है इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। हम तो चाहते थे प्रधान मन्त्री वापस आयें, 14 तारीख को इस प्रस्ताव पर बहस हो जाए। पीठ पीछे हमारा प्रस्ताव लाने का कोई इरादा नहीं था। मगर आपने अधिवेशन बढ़ाने के हमारे सुझाव को क्यों नहीं माना। आज अधिवेशन समाप्त करने की आवश्यकता क्या है? क्या लोगों को बहस करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप बहस से इतना घबराते क्यों हैं।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अधिवेशन समाप्त करने का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ने लिया था।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और उसमें सभी नेता उपस्थित थे।...(व्यवधान) सभी नेता उपस्थित थे और प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति भी वहां मौजूद था...(व्यवधान) कार्य मंत्रणा समिति नहीं। सभी नेता वहां उपस्थित थे और वही निर्णय लिया गया था। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों पर यह आरोप लगाना कि प्रधान मन्त्री विदेश गई हुई हैं, ऐसे समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का विरोधी दल प्रयत्न कर रहे हैं, यह आरोप निराधार है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब संसद का अधिवेशन हो रहा है, प्रधान मन्त्री विदेश क्यों गई ? (व्यवधान)

इस समय नई परम्पराएं कायम हो रही हैं। अगर कोई मन्त्री बाहर जाता था तो उससे पूछा जाता था कि सदन की बैठक चलते हुए आप बाहर क्यों गए हैं ? मगर प्रधान मन्त्री बाहर गई हैं, अब स्पीकर साहब भी बाहर जाने लगे हैं। नई परम्पराएं कायम हो रही हैं, यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

श्री के० लक्प्पा (टुमकुर) : मुझे पता है कि इस सरकार के विरुद्ध, जो न केवल देश में शासन करती है बल्कि देश पर नियन्त्रण भी रखती है और देश की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आशाओं का प्रतिबिम्बन करती है, यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का अनेक भागों में विभक्त विपक्ष का क्या उद्देश्य है।

हमें उन लोगों की विशिष्टताओं का विश्लेषण करना होगा, जो जनता के धन का अपव्यय करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। श्री जार्ज फर्नान्डीस सहित विपक्ष के सभी सदस्यों का मेरे दिल में बड़ा सम्मान है। श्री जार्ज फर्नान्डीस, उनका व्यक्तित्व और उनका आचरण, सभी कुछ देश को उल्टी दिशा में जाने वाले साबित हुए हैं। उन्हें बाधा डालने वाले, तोड़-फोड़ करने वाले, घेराव करने वाले और काम में रुकावट डालने वाले सभी तरीकों के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में जब संयोग से जनता पार्टी शासन में आ गई थी, तो उस समय अपनी पराजय के लिए स्वयं श्री फर्नान्डीस ही जिम्मेदार रहे। वे इस प्रकार के आदमी हैं, जो स्वयं अपने विरुद्ध या अपनी ही सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने में नहीं

झिझकेंगे। यह वह महान् व्यक्ति है, जो इस सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अब देखें कि इसके लिए उन्होंने समय कौन सा चुना है ? मेरे मित्र, श्री वाजपेयी को मेरी यह बात सुननी चाहिए, क्योंकि अफवाहों से वे देश में एक वातावरण तयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसकी एक जिन्दा मिसाल हैं और हांलाकि वे एक लम्बे समय से इस संसद के सदस्य हैं, तो भी उन्हें सदन में अफवाह फैलाने में और एक विशेष वातावरण पैदा करने में तथा न केवल उसने मंत्रियों के नाम शामिल करने में बल्कि मन्त्री को बदनाम करने के लिए सरकार के विरुद्ध सभी प्रकार के अनैतिक और अपमान जनक मिथ्यापवाद लगाने में कोई हिचक नहीं है और इनमें इतना साहस भी नहीं है कि ये उस व्यक्ति का नाम बता दें जो इस घटना के लिए जिम्मेदार था। ये कहते हैं। "आप संसदीय समिति बैठा लें।" महोदय, मुझे जनता सरकार के वे काले दिन याद आते हैं। ये कहते हैं कि अब इमर्जेन्सी का वातावरण तैयार किया जा रहा है। ये जानते हैं कि इस प्रकार की अफवाहों से ये एक स्थिति पैदा कर सकते हैं। अन्यथा इस देश के लोग इन्हें पहले ही पाठ पढ़ा चुके हैं। जनता सरकार, माफियागैंग के काले दिनों का एक उदाहरण मैं यहां देना चाहता हूं। ये समग्र क्रान्ति की बात कहते हैं और बाबू जय प्रकाश नारायण को अपना गुरु बताते हैं। यहां तक कि मोरारजी देसाई, जब वे प्रधान मंत्री थे, ने भी उन्हें अपना गुरु घोषित किया था।

जब वे जीवित ही थे, तो उस समय उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। यह जनता सरकार का आचरण था। महोदय, दुर्भाग्यवश, इस देश पर इन लोगों का 2½ वर्ष शासन रहा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अविश्वास प्रस्ताव किसी कारण से लाया गया है ? आज मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि उनके पास सरकार की आलोचना करने के अतिरिक्त और कोई नीति नहीं है, उनके कोई सिद्धान्त नहीं हैं, उनमें कोई एकता नहीं है। यह एक बंटा हुआ घर है। श्री जार्ज फर्नान्डीस को यह बताने दें कि क्या उनके द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस (यू) सहित उनके सहबद्ध दलों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। हम श्री भगत से या श्री मिर्धा से अथवा श्री चव्हाण से पूछकर देखें। यह एक ऐसा दल है जो समस्याएं पैदा करने के लिए और इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के मौलिक सिद्धांत को नष्ट करने के लिए फिर एक बार एक-जुट होना चाहता है। फिर उन्होंने कुछ अफवाहों का सहारा लेकर या कुछ कमजोर मामलों पर सरकार पर हमला करने के लिए गैंग का रूप धारण कर दिया है। मैंने विपक्ष के तर्कों को सुना है। गत एक वर्ष से कुंठित रहते हुए उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार कर दिया है कि इस सरकार में कहीं कोई कमजोरी है। लेकिन जनता को हमारी प्रधान मन्त्री की लोकप्रियता का पता है। अब वे देश में हिंसा फैलाने में लगे हुए हैं। इस देश में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? श्री वाजपेयी अभी-अभी इसी के सम्बन्ध में कुछ बता रहे थे। वे मणिपुर गए थे। मुझे मालूम नहीं, वे मणिपुर क्यों गए

[श्री के० लक्कप्पा]

थे। हो सकता है, ये वहां कुछ गड़बड़ फैलाने गए हों। इन्होंने वहां छात्रों को भड़काया। कुछ समय पहले हुए गुजरात आन्दोलन पर नजर डालिए। उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि वे संसदीय लोकतन्त्र के हितचिन्तक हैं।

यदि उनकी संसदीय लोकतंत्र में आस्था थी तो उन्होंने जनता शासन के दौरान, जब यह उनके हाथ में था, संसदीय लोकतंत्र की रक्षा क्यों नहीं की थी ? जनता सरकार के ढाई वर्षों के शासन में देश में यह स्थिति लाई गई थी। यह देश किस प्रकार बच सकता था यदि इस पर बेईमान और विभाजित राजनीतिक पार्टी का शासन होता ? मैं जानता हूं कि वे निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। मैं नहीं जानता कि मतदान के समय वे सभी इसमें भाग लेंगे अन्यथा वे चले जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यदि श्री फर्नान्डीस की पार्टी को यह देश चलाने का अवसर मिलता है तो क्या वे इसे सफलतापूर्वक चला पायेंगे अथवा नहीं। इस देश के लोग जिन्होंने इस देश का प्रशासन चलाने में इस पार्टी को अजमा लिया है, इस बेईमान राजनीतिक पार्टी को दोबारा इस देश का कार्यभार सौंपने का भी प्रयास नहीं करेंगे।

ऐसे समय में, जब लोकतंत्र संकट और कठिनाई में था और संसदीय पद्धति बदनाम हो रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की लोक प्रियता, उनका नेतृत्व और लोगों की आकांक्षा से यह स्वय पुनः स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हैं कि वे संसदीय लोकतंत्र का बहुत आदर करते हैं। श्री दडवते और अन्य सदस्यगण कहते हैं कि आपात काल के दौरान उन सब को जेल में डाल दिया गया था। महोदय, आपात काल संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए की गई कार्यवाही है। यह कोई अतिरिक्त संवैधानिक कार्यवाही नहीं है। उन्होंने सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर भय और खतरे का वातावरण बनाया था। सम्पूर्ण क्रांति शून्य बनकर रह गई है। वे ढाई वर्षों तक भी सरकार नहीं चला सके। वे परस्पर विभाजित थे। जिस क्षण हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और उसे सदन के सामने लाये वे पराजित हुए।

आज का अविश्वास प्रस्ताव बिना किसी कारण के है। इसे श्री जार्ज फर्नान्डीस प्रचार और प्रशंसा पाने के लिए लाये हैं। यह न केवल घातक है अपितु स्वरूप में गतिरोधी है। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस इसे दोबारा लाने का प्रयास नहीं करेंगे।

वे कहते हैं कि उन्हें सभी को आपात काल के दौरान जेल में बंद कर दिया गया था। जब वे सत्ता में आए थे तो उन्होंने कौन-कौन से झूठे आरोप प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की कार्यवाही नहीं की थी। जब वह चिकमगलूर से निर्वाचित हुई थीं तो उन्होंने एक योजना बनाई थी—श्री वाजपेयी के मित्र श्री जेठमलानी और श्री जार्ज फर्नान्डीस के मित्र श्री मधु लिमये ने यह किया था और पिछले कागज निकाल कर मामला तैयार किया था। विशेषाधिकार के मामले पर हांलाकि आरोप अस्पष्ट और निरर्थक थे तथापि वे इसे सफलतापूर्वक लाये थे क्यों-

कि वे सत्ता में थे। उन्होंने योजना बनाई थी और यहां तक कि अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए संसदीय प्रक्रियाओं और नियमों को प्रयुक्त किया था ताकि राजनीतिक बदला लिया जा सके। उनके हाथों से नियम, परिपाटियां और सदन की गरिमा पूरी तरह से अपमानित हुई थी और बदनाम हुई थी। विपक्ष के मेरे मित्रों ने श्रीमती गांधी को झूठ-मूठ मुकदमें में फंसा लिया था और उन्हें दण्डित किया था। इस प्रकार का कोई ऐसा सजीव उदाहरण नहीं है जिस प्रकार यह योजना बनाई गई थी और मामला तैयार किया गया था। उन्होंने एक योजना बनाई थी और अभिलेखों में हेरा-फेरी की थी और एक झूठा आरोप लाये थे और अपने व्यक्तियों वाले आयोग नियुक्त किए थे। उन्होंने संकल्प पारित किया था और उन्होंने श्रीमती गांधी को सजा दी थी। और उसका परिणाम क्या है? उससे क्या हुआ है आपने किस प्रकार इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के मूल सिद्धांतों को बेच दिया है। आप न्यायपालिका के बारे में बढ़-चढ़कर कह रहे हैं। आप कहते हैं कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। जस्टिस शाह के खिलाफ क्या हुआ था? श्री जार्ज फर्नान्डीस जस्टिस शाह पर महाभियोग लगाना चाहते थे। मैंने भी उस पर हस्ताक्षर किये थे। मैं दूसरी ओर बैठा हुआ था। जब यह उनके उपयुक्त होता तो वे संविधान के अन्तर्गत न्यायाधीशों पर महाभियोग की मांग करते थे।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

लेकिन जब यह उनके अनुकूल होता है तो वे न्यायाधीशों की स्तुति करते हैं। जब यह उनके उपयुक्त नहीं होता तो वे न्यायपालिका की बदनामी करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास तर्क नहीं हैं। उस महाभियोग की मांग करने वालों में श्री जार्ज फर्नान्डीस हस्ताक्षरकर्ता थे। वह एक मंत्री बन गए थे। क्या यह प्रतिशोधात्मक व्यवहार नहीं है? क्या यह राजनीतिक बदला नहीं है? क्या यह अनैतिक नहीं है? उन्होंने यह कार्यवाही संविधान के नाम पर की थी। क्या कोई मानदंड अथवा नियम नहीं है? मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त मेरे से सहमत होंगे। और इसके अतिरिक्त कांग्रेस (अर्स) पार्टी के श्री वाई० बी० चव्हाण और श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने कहा था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी पर मुकद्मा चल रहा है, जब इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को लाया गया था तो उन्होंने दलील दी है कि यह गैर-कानूनी है। उन्होंने कहा था कि यह कानून के नियम के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए और उनकी सदस्यता खत्म नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में श्री हेगड़े को नियुक्त किया था। उन्होंने कहा था कि मुख्य रूप में उनका अतिलंघन किया गया था और उन्होंने उन्हें अध्यक्ष के रूप में उन्हें निर्वाचित करा दिया था और वे केवल श्रीमती गांधी के खिलाफ प्रतिशोध लेना चाहते थे। अतः उन्होंने उसे अध्यक्ष बना दिया था। इस प्रकार जनता पार्टी कार्य करती रही थी। मैं यह प्रश्न श्री फर्नान्डीस से पूछना चाहता हूं। गांधी दर्शन ऐसा दर्शन है जिसे हमने स्वीकार किया है। हमने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है। हमने संविधान में संशोधन किया

[श्री के० लक्कप्पा]

है। हमने लोगों के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। यही दलीलें उनके द्वारा दी जा रही है। जब हम संविधान में संशोधन करते हैं तो वे कहते हैं कि हम संविधान में कांट-छांट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे जार्ज फर्नान्डीस अथवा श्री ज्योति बसु के दर्शन का समर्थन कर रहे हैं। मेरा पास साक्ष्य है कि सी० पी० एम० किस प्रकार लोकतंत्र के हत्यारे हैं। पश्चिम बंगाल में सी० पी० एम० सत्ता में है। कृपया वहां के 1978, 1979 और 1980 के आंकड़े देखिए। वहां पर अराजकता और राजनीतिक हत्याओं के विभिन्न प्रकार हैं। राजनीतिक हत्याओं के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं : जनवरी, 1980 में 15 में से 6 राजनीतिक हत्यायें सी० पी० एम० के कारण हुई थीं। फरवरी में 9 हत्याओं में से 3 हत्यायें सी० पी० एम० के कारण हुई थीं। मार्च में 10 हत्याओं में से 3 हत्यायें सी० पी० एम० के कारण हुई थीं। अप्रैल में, 18 हत्याओं में से 7 हत्यायें सी० पी० एम० के कारण हुई थीं। मई में 22 हत्याओं में से 11 हत्यायें सी० पी० एम० के कारण हुई थीं जून में 26 राजनीतिक हत्याओं में से 7 हत्यायें सी० पी० आई० एम के कारण हुई थीं। जुलाई में 26 में से 10 राजनीतिक हत्यायें सी० पी० आई० एम० के कारण हुई थीं। अगस्त में 7 में 5 राजनीतिक हत्यायें, सितम्बर में 17 में 7 राजनीतिक हत्यायें, अक्तूबर में 5 में से 3 राजनीतिक हत्यायें, नवम्बर में 13 में से 10 राजनीतिक हत्यायें और दिसम्बर में 10 में से 5 राजनीतिक हत्यायें सी० पी० आई० एम० के कारण हुई थीं। सी० पी० आई० एम० द्वारा राजनीतिक हमलों के बारे में, जनवरी में 178 में से 128 राजनीतिक हमले, फरवरी में 34 में से 25 राजनीतिक हमले, मार्च में, 37 में से 21 राजनीतिक हमले, अप्रैल में 38 में से 27 राजनीतिक हमले, मई में, 49 में से 38 राजनीतिक हमले, जून में, 38 में से 25 राजनीतिक हमले, जुलाई में, 39 में से 26 राजनीतिक हमले और अगस्त में 23 में से 15 राजनीतिक हमले सी० पी० आई एम० द्वारा किये गये थे। आप देखेंगे कि इन राज्यों में कृषिक अराजकता और छात्र अराजकता थी..... (व्यवधान)। वे कहते हैं कि धारक बांड योजना से समानान्तर अर्थ-व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। जब हम इस प्रयोजन के लिये विधान को लाते थे तो वे कहते हैं कि हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। (व्यवधान) वे चाहते हैं कि स्थानान्तर अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन जब धारकबांड विधान को पुरःस्थापित किया गया था तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह बड़े एकाधिकार गृहों के लिए अत्यन्त असुविधाजनक थी। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में और केरल में कितने बड़े एकाधिकार गृह पनप रहे हैं (व्यवधान)

हम जानते हैं कि केरल में सी० पी० एम० की संयुक्त मोर्चा सरकार स्पिरिट कांड में अन्तर्ग्रस्त है। केन्द्र में जनता सरकार के अल्प शासन के दौरान तत्कालीन

वित्त मंत्री, श्री एच० एम० पटेल देश के सोने की नीलामी के लिए एक विधान लाये थे। यह तरीका है जो उन्होंने देश के सोने की नीलामी के लिए अपनाया था। इतने लम्बे अर्से तक पिछली सरकार ने देश के बहुमूल्य सोने को सरक्षित रखा था। अब आप पुरी प्रतिवेदन के बारे में कह रहे हैं। यह हमारे अनुरोध पर था कि पुरी समिति को सोने की नीलामी के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, क्या इस सदन में अंग्रेजी भाषा की हत्या करना उचित है। (व्यवधान)

श्री के० लक्कप्पा (टुमकुर) : जब 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया था तो उन्होंने शोर मचाया और उन्होंने वास्तविक मूल्यांकन आंके बिना ही इस कार्यक्रम की आलोचना की थी। (व्यवधान)। वे इसमें अच्छी बातों को नहीं देख सके थे। (व्यवधान) :

हम एक लोकतंत्रात्मक पार्टी हैं और हम लोकतंत्रीय सिद्धांतों में विश्वास करते हैं और तदनुसार व्यवहार करते हैं।

अब हमारा चुनाव आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है लेकिन वे इस संस्था अर्थात् निर्वाचन आयोग की आलोचना करने से भी नहीं चूकते हैं और वे कहते हैं कि वे लोकतंत्रीय सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। उनका निर्वाचन आयोग पर प्रहार करने का कोई आधार नहीं है.....(व्यवधान)। वास्तविक स्थिति के आधार पर निर्वाचन आयोग अपने फैसले स्वयं लेता है लेकिन इस संस्था को भी नहीं बक्शा गया है।

जब हम निर्वाचन जीत जाते हैं तो वे हमेशा आरोप लगाते हैं कि चुनावों में बेईमानी हुई थी लेकिन जब वे चुनाव जीतते हैं तो वे कहते हैं कि लोगों ने उन्हें बहुत ठीक निर्णय दिया है। क्या इसमें कोई सिद्धांत सम्बद्ध है ? क्या यह लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित है जो वे व्यवहार में लाने की सीख देते हैं ?

मुझे श्री फर्नान्डीस और श्री वाजपेयी के भाषणों का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है। श्री मधु दडवते, जो जनता सरकार में रेल मंत्री थे, ने भी एक प्रभावपूर्ण भाषण दिया था। मैं जानता हूं कि किस प्रकार रेलगाड़ियां समय पर चल रही थी और किस प्रकार रेल प्रशासन कार्य कर रहा था। मैं जानता हूं कि मैंने इस अवधि के दौरान कितने प्रस्ताव और सूचनायें दी थीं। इसकी जांच रिकार्ड से की जा सकती है। कहना बहुत सरल है लेकिन इन बातों को व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। उन्हें एक अवसर दिया गया था, परन्तु उन्होंने क्या किया ?

आम जनता से गरीबी किस प्रकार दूर की जा सकती है, इस बारे में मैं सभी विपक्षी दलों

[श्री के० लक्कप्पा]

से सुझाव आयोजित करता हूं। क्या हम इसे मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर करें ? हमने इस विचार धारा को कतई स्वीकार नहीं किया है। हम सीधे-सादे कांग्रेस (इ) दल के हैं; हम संसदीय लोकतन्त्र से जुड़े हुए हैं।

मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे श्री आडवानी के केरल में हाल ही में दिए गए वक्तव्य से सहमत है, जहां वे मण्डलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि सी० पी० आई० एम० अविश्वसनीय साथी है, परन्तु यहां वे सभी इस अविश्वास प्रस्ताव में एक हो गए हैं। केरल में उन्होंने कहा था कि वे ऐसे साथी और सहायक हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, परन्तु यहां कहानी कुछ और ही है। वे लोकतंत्र की तबाही में साझीदार बनेंगे और वे लूट और अन्य बातों में साझीदार बनेंगे।

हमारा ऐसा देश है जिसमें सभी दलों को बिना किसी रुकावट के चुनाव लड़ने की अनुमति है। जब कभी आप जीतते हैं, हमने कभी नहीं कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। हमने हार को शालीनता से स्वीकारा है.....(व्यवधान)। जैसा कि मैंने आपसे पूछा है कि आम जनता से गरीबी हटाने के लिए आप के क्या सुझाव हैं ? डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यहां है; हाल ही में वे चीन गए थे। वे चीन अथवा अमरीका में भाषण करेंगे, परन्तु यहां उनका क्या योगदान है ? लोगों ने इन दलों को ठीक ही अस्वीकार किया है।

अब वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। इसका कोई आधार अथवा औचित्य नहीं हैं। मुझे आशा है कि श्री जार्ज फर्नान्डीस को अब भी समझ और बुद्धि आएगी और वे इस अविश्वास प्रस्ताव को वापिस लेंगे। वे अपने आपको एक महान लोकतन्त्री मानते हैं और सरकार को विभिन्न मामलों में सलाह देते हैं। वे स्थिति की वास्तविकता को देखें और इस प्रस्ताव को वापिस लें।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो गवर्नमेंट को खाने का इन्तजाम करना चाहिए था लेकिन अगर वह इन्तजाम नहीं हुआ, तो कम से कम रेलवे को कैन्टीन बन्द नहीं होनी चाहिए थी। हम वहां जा कर खाना खा लेते अगर वह खुली होती।.....(व्यवधान) रेलवे केन्टीन बन्द है और मैम्बर्स के खाने का कोई इन्तजाम नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। कल मैंने भी बैठक में भाग लिया था और संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था कि रात्रि भोज की व्यवस्था की जाएगी। परन्तु श्री सतीश अग्रवाल ने तुरन्त कहा : नहीं, हम आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस लिए, इसे रोक दिया गया।

सत्तारूढ दल इसका जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने यह कहा था। मैं बैठक में उपस्थित था। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं भी उपस्थित था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सदस्यों के लिए वे सामान्य व्यवस्था करेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणी : अधिकांश लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। क्या हम इसे नजर अंदाज कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सदन का ध्यान छोटे मामलों पर न बटाएं। यह बहुत छोटे मामले हैं। (व्यवधान)*

उपध्यक्ष महोदय : दोनों ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे। कृपया हमें सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहार) : यह बहुत ही स्पष्ट है कि यहां कुछ गुस्सा दिला रही है। कम से कम मेरा पेट गृह मंत्री के भाषण से नहीं भर सकता है।

अब महोदय, इस प्रकार की धारणा दिखाई देती है, कम से कम कांग्रेस सदस्यों द्वारा पैदा की जा रही है कि विपक्ष किसी सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किये जाने पर विपक्ष के उन राजनीतिक दलों को, जो उस दल विशेष से, जिसने प्रस्ताव पेश किया है सभी मामलों पर सहमत हो, तुरन्त सरकार के साथ विश्वास व्यक्त करना चाहिए। मुझे यह तर्क समझ नहीं आया है। यद्यपि हम में मत भेद है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति समझता है, जानता है कि, परन्तु यह भी सच है कि···

श्री जैल सिंह : आप अपने को अनुपस्थित कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको अनुगृहीत करने के लिए ? मैं आपको अनुग्रहीत क्यों करूं ?

श्री जैल सिंह : मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अनुग्रहीत करें। मैं आपको अनुग्रहीत नहीं करता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से आपके पास खाने को कुछ है। मुझे वह अवसर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए कृपया मेरी बात सुनें।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

प्वाइन्ट यह है कि हम सभी का अपना-अपना दृष्टिकोण है । परन्तु इस पूरे सत्र में हम प्रतिदिन विभिन्न मामलों पर विभिन्न स्थगन प्रस्तावों आदि के द्वारा—जो सामान्यत कभी भी स्वीकार नहीं हुए हैं—सरकार की निन्दा करने का प्रयास करते रहे हैं । यदि आप उन सभी को एकत्र करें, तो वे सरकार में विश्वास की कमी का आभास देते हैं । इसलिए अपने विचार व्यक्त करने के लिए यह हमारे लिए एक सुअवसर है ।

गृह मंत्री कह रहे थे कि विरोधी पक्ष पुराने तर्क दोहरा रहा था और सरकार के खिलाफ पुराने प्रकार के आरोप लगा रहा था । उन्होंने कहा, "परिवर्तन के लिए आप हमारे खिलाफ कुछ नई बात क्यों नहीं करते ?" कुछ नई बात सुनने का आप को बहुत शौक हैं ।

एक माननीय सदस्य : नई बात के लिए आप हिन्दी में बोलिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं हिन्दी में बोल सकता हूं । मैं बहुत साल पंजाब में रहा हूं । गृह मंत्री ने कहा है कि उनकी इस सरकार ने साम्प्रदायिकता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और कभी भी सम्प्रदायिकता के सामने नहीं झुकेगी । मुझे इस में सन्देह नहीं है कि यह सरकार एक धर्म निपेक्ष सरकार है । यह एक साम्प्रदायिक सरकार की तरह की सरकार नहीं है । मैं आप से सहमत हूं । सतारूढ दल के भीतर अनेक तत्व हैं । परन्तु वह एक विभिन्न मामला है ।

वह साम्प्रदायिकता के खिलाफ कैसे कार्यवाही करते हैं इस प्रश्न के सम्बध में, मैं हाल की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा—जो इस पर कुछ प्रकाश डालेगी । अगस्त 1980 में, जब मुरादाबाद में भीषण दगें हुए, हमारे दल के महासचिव, श्री राजेश्वर राव ने उस समय एक वक्तव्य जारी किया जिसमें उन्होंने मुरादाबाद में पी० ए० सी० की भूमिका की तीव्र आलोचना की थी ।

महोदय, आप को याद होगा कि मुरादाबाद में सारी समस्या पी० ए० सी० द्वारा मुसलमानों के बड़े समूह जो वहां ईद की नमाज अदा करने के लिए एकत्र हुए थे, पर गोली चलाने को ले कर उत्पन्न हुई थी । प्रेस वक्तव्य में पी० ए० सी० के इस अमानवीय कार्य की घोर निन्दा (आलोचना) की गई की । वह वक्तव्य कई पत्रों में प्रकाशित हुआ था; और यह उर्दू साप्ताहिक "हयात" में भी प्रकाशित हुआ ।

अब, नौ महीनों के बाद, इस 'हयात' समाचार पत्र के सम्पादक श्री एम० फारुकी पर मुकद्मा चलाया गया है । दिल्ली प्रशासन ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क और 505 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है । इन धाराओं में, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के समय बनाया गया था, आरोपों के बारे में उल्लेख है । आरोप हैं:—किसी स्थापित शासक निकाय के विरुद्ध असंतोष फैलाना, सरकार के किसी अंग की बदनामी करना ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव द्वारा दिए गए वक्तव्य को उर्दू में प्रकाशित किए जाने के कारण, जो, उस समय उनके समाचार पत्रों में छापा था जिसमें मुरादाबाद में पी० ए० सी० की भूमिका की कड़ी आलोचना की गई थी इस समाचार पत्र तथा इसके सम्पादक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

अब 9 महीने पश्चात दिल्ली प्रशासन ने जो केन्द्र के अन्तर्गत आता है, मुझे विश्वास है कि उस वक्तव्य को प्रकाशित किए जाने के लिए श्री फारुकी पर मुकद्दमा चलाने का फैसला किया है। क्या मंत्री महोदय इस बात का पता लगायेंगे और हमें बतायेंगे कि यह किस प्रकार का कदम है, जिस पर वे सामुदायिकता के विरुद्ध कड़ा रूप अपनाये हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार मुकद्दमा चलाये जाने से हम डरने वाले नहीं हैं, और यदि ऐसा एक बार नहीं, दस बार, सौ बार भी करने की आवश्यकता हुई तो हम इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध आवाज उठायेंगे जो एक ऐसे स्थान पर हुई हैं जहां इस देश के अल्प संख्यकों पर कातिलाना हमला किया गया है और उन्हें मारा गया है और उनकी सुरक्षा तथा अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। किन्तु सरकार को इसका उत्तर देना ही होगा कि वे यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं।

अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की ही बात को लीजिए। यह प्रश्न सामान्य तौर पर इस बात का नहीं है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे वे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत भर में केवल 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बन्दी बनाया हुआ है, और उनमें से 600 व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड द्वारा छोड़ दिया गया है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि यदि सलाहकार बोर्ड द्वारा 600 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है तो इसका कारण यह है कि सलाहकार बोर्ड को उन्हें बन्दी बनाये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं हुआ जिसके, लिए कि उन्हें बन्दी बनाया गया था। किन्तु मैं जिस मुद्दे को यहां पर स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि जब यह विधेयक सदन में पारित किया जा रहा था, जब अध्यादेश को विधेयक में बदला जा रहा था और इसे पारित कराने के लिए यहां पेश किया गया था और हमें कई बार यह आश्वासन दिया गया था। सदन में अनेक बार यह बात कही गई थी कि इस अधिनियम का प्रयोग ट्रेड यूनियन नेताओं के विरुद्ध, उन लोगों के विरुद्ध जो श्रमिक आन्दोलन अथवा बड़े पैमाने पर लोकतान्त्रिक आन्दोलन से सम्बद्ध है, यह तो केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ उपयोग में लाया जाएगा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। इसी लिए इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनयम रखा गया था।

यह बात भी आज के ही समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। मैं आपको केवल हाल की ही घटनायें बता रहा हूं। ट्रेड यूनियन नेता थान सिंह त्यागी को 7 अक्तूबर 1980 से बन्दी बनाया हुआ है। वे गाजियाबाद के एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता हैं और यह वही स्थान है जहां पुलिस द्वारा सदन के एक माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र झा पर हमला किया गया था, और जिस

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मामले को माननीय सदन के ध्यान में लाया गया था तथा विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था और वह मामला अभी भी वहां विचाराधीन पड़ा है। गाजियाबाद में, यहां पुलिस नियोक्ता के वेतनभोगी एजेण्ट के रूप में कार्य कर रही है, ट्रेड यूनियन को तोड़ने तथा ट्रेड यूनियन नेताओं पर शारिरिक हमले कर रही है, यह थान सिंह जो गाजियाबाद का एक प्रमुख ट्रेड यूनियन नेता था को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और उसे बन्दी बनाया हुआ है।

श्री जगदीश टाईटलर : प्रसिद्ध अपराधी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रसिद्ध अपराधी आपके दल में है, न कि मेरे दल में। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था, व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आ गया है क्योंकि उसे स्वास्थ्य के आधार पर छोड़े जाने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है। श्री त्यागी को, जिसने स्वास्थ्य के आधार पर छोड़े जाने का अनुरोध किया है, मेरठ जल में बन्द किया हुआ है। पुलिस का आरोप यह नहीं है कि वह एक अपराधी है बल्कि पुलिस का आरोप यह है कि वह गाजियाबाद जिले में श्रमिक असन्तोष का बढावा दे रहा था। अतः मुद्दा यह है कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का, जैसा कि हमें हमेशा आशंका रही है, दुरुपयोग किया जा रहा है···(व्यवधान)

हमें हमेशा यह आशंका रही है और उस समय भी हमने कहा था कि यहां दिए गए सभी आश्वासनों के बावजूद, इस अधिनियम का दुरुपयोग राजनीतिक निरोधियो के विरुद्ध ट्रेड यूनियन नेताओं के विरुद्ध श्रमिकों के विरुद्ध किया जाएगा और अब ठीक नहीं हो रहा है। मेरी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि उन्होने 900 लोगों को गिरफ्तार किया है अथवा 600 व्यक्तियों को मेरा मुद्दा तो यह है कि इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका कोई उपचार नहीं है।

मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से लिखा कि कम से कम इस व्यक्ति को जेल के भीतर राजनैतिक बन्दी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसे एक साधारण अपराधी के रूप में बन्दी किया हुआ है। मुख्य मंत्री ने मुझे लिखा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। किन्तु कई महीने बीत चुके हैं और इस सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लम्बे-चौड़े नाम पर इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है।

इस प्रकार महोदय, इन बातों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सरकार की नीति क्या है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी हाल में कश्मीर में, श्रीनगर में आयकर के आने के छापे पड़े हैं। कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें घटित हुई हैं कि आय कर दल पर हमले किए गए

और उन्हें चोट पहुँचाई गई, जिसका किसी भी व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से, जो यहां मौजूद हैं, यह पूछना चाहूंगा कि यह सारा काला धन अनगिनत धन दौलत, अनगिनत जेवरातों को केवल श्रीनगर में ही क्यों खोजा जा रहा है ? इस प्रकार के छापे बम्बई में यहां देश की बड़ी ट्रेड यूनियनें वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र हैं, वहां आप श्रीनगर की तुलना में 100 गुणा ज्यादा काला धन, अनगिनत जेवरात तथा असंख्य धन पायेंगे क्यों नहीं मारे जा रहे ? क्या आप मुझे यह बात बता सकते हैं ? (व्यवधान)। श्री शुक्ला ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने वोट दिए वे निर्धनतम वर्गों के लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। उनके अनुसार ये वे लोग हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। किंतु उन्हें चुनाव फंड के लिए धन कौन देता है ? यह बात उन्होंने नहीं बताई। वे लोग, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। आपके चुनाव फंड में कोई राशि नहीं दे सके ? (व्यवधान)

मैंने कोई दावा नहीं किया है। यह दावा तो आपके लोगों ने किया है। आपके चुनाव फंड में धन कौन दे रहा है ? (व्यवधान) मैं संक्षेप में यह बात बता रहा हूं। ये लोग काला बाजारिये हैं, जो चीनी और खाद्य तेलों का व्यापार करते हैं और बड़े एकाधिकार वाले लोग हैं, टाटा आदि हैं ··(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : वे अपनी आप-बीती कह रहे हैं।(व्यवधान) वे अपनी आप बीती कह रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक काफी अच्छा संयोग है, गरीबों से वोट और कालाबाजारियों से धन। इस प्रकार आप अपना चुनाव जीत रहे हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : हमने रूस और चीन से तो कुछ नहीं लिया।(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चीन से।

श्री जगदीश टाईटलर : अमरीका और रूस··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अमरीका और चीन हमें अपना अच्छा मित्र होने का दावा करते हैं। (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : आपने अच्छा किया एक नई बात बताई। एक लफ्ज में सब चीज आ गई है। फंड्ज फ्राम रिच, फ्राम मनी लेंडर्ज एंड वोट्स फ्राम पूअर।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मनी फ्राम पूअर नहीं कहा है।

श्री जैल सिंह : वह पार्टी भी बताएं जो फारेन कंट्रीज से फंड लेती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर आपमें हिम्मत है तो प्रमाण दीजिये। सबूत दे सकते हैं तो दीजिये। अगर नहीं दे सकते है तो मत बोलिये ऐसी बात।

श्री जैल सिंह : मैंने आप से पूछा है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : आप होम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के। अगर आप यह इलजाम लगाते हैं कि फारेन फंड्ज आ रहे हैं तो आपको इसका सबूत देना पड़ेगा और अगर नहीं देते हैं तो इस इलजाम को वापिस लेना पड़ेगा। आप कोई आर्डिनरी मैम्बर नहीं हैं। होम मिनिस्टर हैं, याद रखिये।

श्री जैल सिंह : सबूत इक्ट्ठा कर रहा हूं। आपके पास कोई हो तो बता दो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके मेम्बर जो पहले मंत्री रहे हैं उन्होंने दावा किया था कि हम इसलिए जीतते रहते हैं क्योंकि हम को गरीब लोग वोट देते हैं। इसलिए मैंने पूछा है कि आपको चंदा कौन देता है, फंड्ज कौन देता है, यह तो बता दीजिये। करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं चुनाव में। यह पैसा कहां से आता है? यह गरीबों से आता है; यही मैं पूछ रहा था?

महोदय, कुछ भी हो मुझे यह अवश्य कहना है कि वेंकटरामन काफी स्पष्टवादी व्यक्ति हैं और हमने जब कभी इस सदन में बजट के सम्बन्ध में अथवा ऐसे किसी विषय पर आर्थिक अथवा वित्तीय मामलों पर चर्चा की है, उन्होंने कम से कम यह बात स्पष्ट शब्दों में कही है कि 'आप लोगों की एक अलग विचारधारा है। हमारी अलग विचारधारा है। हम सहमत नहीं हो सकते।' एक दूसरे को सहमत करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, क्यों कि उन्होंने कहा है कि आपका विश्वास है कि किसी क्षेत्र को कम किया जाना चाहिए अथवा समाप्त कर देना चाहिए, जबकि हमारा विश्वास है कि निजी क्षेत्र को समृद्ध बनाया जाना चाहिए। ये इस बात को कहने के अपने ढंग हैं कि देश में वास्तव में हो क्या रहा है कि बड़े एकाधिकार वाले लोग, थोक व्यापारी, सट्टे बाज, कालाबाजारिए इन सभी लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए और उन्हें उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होगी। यह एक मूलभूत नीति है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : केरल में इनकी सरकार है। ये एकाधिकार तथा बड़े पूंजीपतियों की बात करते हैं। उनके दल के मन्त्रियों सहित मन्त्रियों का एक दल बम्बई गया था, जो ताजमहल होटल में ठहरा था, उसने वहां के सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा :— "कृपया यहां आइए, हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। हम आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। आपके बिना हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता।" यह आपकी नीति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिया जाना चाहिए। आप उत्तर क्यों दे रहे हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह इनका समाजवादी पूंजीवाद है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री स्टीफन की निजी जानकारी...।

श्री सी० एम० स्टीफन : सार्वजनिक जानकारी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात को उद्धृत कर रहा था जो आप के वित्त मन्त्री ने कही थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं वह उद्धृत कर रहा हूं जो आपके लोगों ने कही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वित्त मन्त्री ने सभा में आरोप लगाया है कि हम निजी क्षेत्र को पूर्णतया समाप्त करना चाहते हैं। हमने यह कभी नहीं कहा। आपको हमारी आर्थिक विचार-धारा समझनी चाहिए एकाधिकारवादियों के विरुद्ध हैं परन्तु हम पूरे निजी क्षेत्र के विरुद्ध नहीं है। हम उन एकाधिकारवादियों के विरुद्ध हैं जिनका पूरी अर्थ-व्यवस्था पर एकाधिपत्य है।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप ही एकाधिकारवादियों से मिले थे और कोई नहीं मिला। आपने ही टाटा, बिड़ला को चुना था और आप ही उनसे मिले थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खेद है कि प्रधानमन्त्री सभा में उपस्थित नहीं हैं और इस वजह से आप स्कूल जाने वाले उन शरारती लड़कों की तरह से व्यवहार कर रहे हैं जो अध्यापक की अनुपस्थिति में किया करते हैं। यदि मुख्याधिपिका उपस्थित होती तो आप इस प्रकार दुर्व्यहार नहीं करते फिर भी, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता।

दूसरी बात मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं जो कि गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल सरकार को, नीचा दिखाने के लिए यहां बार-बार उठाई जाती है। कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अभी-अभी श्री लकप्पा ने कुछ कागजों में से आंकड़े पढ़कर सुनाए हैं। मुझे सही आंकड़ों का पता नहीं क्योंकि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। परन्तु मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि कितनी घटनाएं घटी, उनमें से कितनी घटनाओं के लिए कांग्रेस (आई) जिम्मेदार है, उनमें से कितनी घटनाओं के लिए सी० पी० आई० (एम) तथा अन्य वामपंथीयता जिम्मेदार है। इन सब बातों को छोड़िए। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि ये घटनाएं राजनैतिक टकराव के कारण घटी हैं, जैसा कि लगाए गए आरोपों से पता लगता है। विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच झगड़े हुए हैं। एक

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

राजनैतिक दल वहां सत्ता में है और कांग्रेस (आई) वहां विरोधी दल है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कई बार इन झगड़ों में मौतें भी हो जाती हैं। परन्तु जिन राज्यों में आपकी पार्टी सत्ता में है वहां स्थिति यह है कि अल्पसंख्यकों पर चाहे वे मुसलमान हों या हरिजन, अत्याचार किया जा रहा है, उन पर हमले होते हैं और उन्हें अपमानित किया जाता है। उनके घरों को जलाया और लूटा जा रहा है। कृपया मुझे बताएं कि इनमें से कौनसा कार्य अधिक खराब है। क्या आपको कभी पश्चिम बंगाल में भी ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ी ? क्या आपने कभी यह सुना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात की तरह पश्चिम बंगाल में भी अल्पसंख्यक, चाहें वे अनुसूचित जातियों के हों या मुसलमान, हमले में मारे गए और उन्हें लूटा गया। जब भी कानून व्यवस्था की बात आती है·····(**व्यवधान**) मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में कलकत्ता की गलियों में किसने बसों और ट्राम गाडियों को जलाया ? इसके लिए आप कुछ करते क्यों नहीं ? अत: गैर कांग्रेस (आई) सरकारों को बदनाम करने की दृष्टि से आप दोहरी भूमिका न अदा करें। उन्होंने भी चुनाव जीती है और पश्चिम बंगाल की सरकार ने निश्चित रूप से बिहार के वर्तमान सरकार से अधिक बहुमत प्राप्त किया है। हम जानते हैं बिहार में आप का दल कैसे सत्ता में आया है। वहां क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बार-बार क्या हो रहा है और गुजरात में अभी हाल ही में क्या हुआ है ? अत: जब आप यहां संसद में बैठ कर बार-बार यह इन सिद्धान्तों को दोहराते हैं कि "हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम हरिजनों के आरक्षण के हक में हैं" तो आपको नीचे के स्तर के व्यक्ति क्या करते हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि असम जो कि सबसे अधिक अशांत क्षेत्र है, में कांग्रेस (आई) के कार्यकर्त्ताओं ने क्या है ? क्या वामपंथी दलों के लोगों की तरह उनकी भी आंदोलनकारियों द्वारा पिटाई हुई है ? आंदोलन के विरुद्ध होने के कारण हमारे लोगों की पिटाई हुई। आपके लोगों ने असम में क्या किया। आपके लोगों ने गुजरात में क्या किया ?

अत: संसद में बैठकर सामान्य सिद्धान्तों की व्याख्या करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न यह है कि इन सिद्धान्तों पर वास्तव में आप कहां तक अमल करते हैं। अत: यह कानून व्यवस्था का प्रश्न लाने का मतलब है गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराना है। इससे कुछ बिगडने वाला नहीं है आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस (आई) सत्ता में हैं वहां इससे भी सैकड़ों गुणा खराब कार्य हो रहे हैं। यदि कुछ घटनाओं के कारण पश्चिम बंगाल सरकार को निलम्बित करना है तो बिहार, उत्तर प्रदेशों तथा गुजरात सरकारों को बहुत पहले निलम्बित किया जाना चाहिए था। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिम बंगाल में ऐसा करने की चेष्टा न करें क्योंकि वहां भी लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है।

इसके अतिरिक्त असम में श्रीमती अनवरा तैमूर की सरकार अल्पमत में है। आज 6-7 सदस्य दल से अलग हो गए हैं। उन्होंने आपके दल को छोड़ दिया और अब 46 या 45 सदस्य रह गए हैं। जैसा कि अभी-अभी बताया गया है कि मणिपुर में पी० डी० एफ० ने राज्यपाल को कहा है कि वे अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए और यदि वे सरकार नहीं चला सकते तो उनकी सरकार फिर गिर जाएगी। परन्तु उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया गया है और राष्ट्रपति शासन जारी है। परन्तु असम में श्रीमती अनवरा तैमूर की सरकार अल्पमत में होते हुए उस सरकार को निलम्बित करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह उसे सत्ता में रखना है। यह किस प्रकार की राजनीति है, यह मेरी समझ में नहीं आया।...(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : जब असम विधान मण्डल में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब आप कहते हैं कि वहां सरकार अल्पमत में है और आप दोहरी भूमिका की बात करते हैं।...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप चाहते हैं कि मैं यह भेद खोल दूं कि आधी-रात हमारे पास कौन आया था। क्या आप ऐसा चाहते हैं ? क्या आप उन दूतों का नाम जानना चाहते हैं जो आधी रात हमारे पास भेजे गए थे, जिन्होंने यह कहा था कि "असम में हमारी रक्षा करें ? यदि आप सारी बातें जानना चाहते हैं।...(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : आपके सदस्यों ने धोखा दिया।...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी सरकार को गिराने में हमने उनकी सहायता नहीं की ? आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? परन्तु दल बदल के कारण आपका दल सत्ता में नहीं रह सकता। यह आप की सिरदर्दी है और आप इसका इलाज करने दें।

वास्तव में मैं इस सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध हूं। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि वेंकटरमण कहेंगे "आप की विचार धारा भिन्न है, हमारी विचारधारा भिन्न है।" परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से कार्य किया जा रहा है अर्थात वेतन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना या वेतन जाम करना, मूल्य वृद्धि पर रोक न लगाना, कम्पनियों द्वारा लाभांश वितरण पर न लगाना, चाहे वे भारतीय कम्पनियां हैं या इस देश में आयात की गई विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, उन पर प्रतिबन्ध या नियंत्रण या जाम या अन्य कोई कार्य नहीं किया जा रहा। केवल श्रमिकों और कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है या उसे जाम किया जा रहा है। इस नीति का हमने कभी समर्थन नहीं किया और हम इसका पूरी शक्ति के साथ विरोध करेंगे क्योंकि यदि प्रत्यक्ष रूप से धन पैदा करने वाले लोगों पर प्रहार किया जाता है, उनके वास्तविक वेतन पर प्रतिबन्ध

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

या उसे जाम किया जाता है तो देश में अशान्ति फैल जाएगी। आप इन लोगों को मुद्रा विनिमय की अनुमति क्यों देते हैं। जनता सरकार ने भी इसी नीति का अनुसरण किया था और मैं यह कहता हूं कि उन्होंने भी श्रमिकों के अधिकारों पर प्रहार किया था और जनता सरकार तथा आपकी नीति में हमें कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। परन्तु जनता सरकार को कई दलों के एक ऐसे गठजोड़ पर निर्भर करना पड़ रहा था जो कभी एक नहीं हो सका। अतः यह एक बहुत ही कमजोर सरकार थी और हमारे दल से अप्रैल 1978 में कहा था कि यह ऐसे दलों से मिलकर बनी थी जिनका आपस में कभी समझौता नहीं हो सका और जो पूर्णतया एक दूसरे के विरोधी थे कुछ दल अतीत में हुए राष्ट्रीय आन्दोलन से उभरे थे, कुछ दलों का राष्ट्रीय आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं था, कुछ दल धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थे कुछ इसके विरोध कर रहे थे। वे आपस में जनता पार्टी के नाम से इकट्ठे हुए परन्तु यह पार्टी चल नहीं सकी। अतः यह टूट गयी। परन्तु इनकी सरकार की स्थिति क्या है ? इनकी सरकार मजबूत है, स्थायी है और एक दल की सरकार है।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा है, परन्तु जिन नीतियों का ये अनुसरण कर रहे हैं, विशेषकर आर्थिक नीतियों का इस सम्बन्ध में ये प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हम इस कार्य में भागीदार नहीं हैं। यह बीमारी दोनों सदनों में है। जब तक ये धनी वर्ग, एकाधिकार वादियों की सहायता करेंगे तब तक इस देश के निर्धन वर्ग का, जिसके बारे में ये इतनी बात करते हैं, भला नहीं हो सकता। और इसीलिए हमने इसी सभा में जनता सरकार को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा गिराने में भाग लिया और यदि ये भी इसी नीति का अनुसरण करेंगे तो जनता सरकार की तरह इस सरकार को भी गिराने में एक बार, दो बार, दस बार या बीस बार अविश्वास प्रतस्ताव लायेंगे। और इसीलिए हम इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 11.05 बज चुके हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। मैं सदन की राय लेना चाहता हूं। बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं और दोनों पक्षों से लगभग 10 सदस्यों तथा अन्य दलों से कुछ सदस्यों ने दोबारा बोलने की अनुमति मांगी है। वे एक और अवसर चाहते हैं। उदाहरणतया; एक सदस्य एक दल की ओर से बोल चुका है परन्तु उसी दल का कोई और सदस्य भी बोलना चाहता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कब तक बैठे रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : रात भर।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें कोई समय निर्धारित करना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव बोलेगा और सरकार भी उत्तर देगी।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : महोदय पहले आप यह निश्चत कर लें कि कब तक सभा चलेगी। हम बैठने के लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम समय निश्चित करेंगे। (व्यवधान) क्या·····तक सदन का समय बढ़ाने के लिए सभा सहमत है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कल इस बात पर सहमति हुई थी चर्चा बारह घंटे तक होगी। (व्यवधान) विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हुई कल की बैठक में इस बात पर सहमति हुई थी।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : 12 बजे तक के लिए न कि 12 घंटे के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में एक थे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दूसरे सदस्यों ने भी भाग लिया और प्रस्ताव पेश किए जाने से पूर्व जब अध्यक्ष महोदय यहाँ थे तो मामला पुन: उठाया गया था और अध्यक्ष ने कहा 'जब तक यह चर्चा जारी रहेगी।'

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह बात जाननी चाहिए कि जब मैं 10 मिनट नियत करता हूं तो सदस्य समय की पाबन्दी नहीं बरतते। वे ज्यादा समय लेते हैं अन्यथा, मैंने ज्यादा सदस्यों को बोलने का अवसर दिया होता दूसरी बार भी। सदस्य ऐसा नहीं करते हैं। वे 20 मिनट, 30 मिनट और चालीस मिनट लेते हैं। इसलिए, मैं चाहता हूं कि·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बोलने वाले सदस्यों की सूची में अभी कितने नाम और हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : दस नाम हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्रस्ताव के प्रस्तावकों के बारे में क्या कहना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वहां ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सी० एम० स्टीफन : 12 बजे तक सदस्यगण बोल सकते हैं। ठीक 12 बजे मन्त्री महोदय को बुलाया जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद बैठने के लिए हम तैयार नहीं हैं। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : 12 बजे तक चर्चा होगी, 12 घंटे तक नहीं। इनमें बड़ा अन्तर है।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्यों को बोलना है, उन्हें 12 बजे तक अपने भाषण समाप्त करने चाहिए। तत्पश्चात् मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। उसके बाद श्री जार्ज उत्तर फर्नान्डीस देंगे और तत्पश्चात सदन स्थगित हो जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मैंने एकदम स्पष्ट कर दी है कि 12 बजे मन्त्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को मैं सभा का मत जानने के लिए सभा के समक्ष रखूंगा।

क्या 12 बजे बाद-विवाद को समाप्त करने पर सदन सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : 12 बजे मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे। श्री अशोक सेन। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय नहीं बदल रहा। यह अंतिम निर्णय है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस मामले का निर्णय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया था। आप अध्यक्ष महोदय को बुलाइए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है। श्री अशोक सेन।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम आपके निर्णय को चुनौती देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी मेरे निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता। मैंने अपना निर्णय दे दिया है। श्री अशोक सेन।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य दस मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री ए० के० सेन : चर्चा के दौरान हमें कुछ नई चीजें दिए जाने का वायदा किया गया था। जो नई चीज की गई है वह है सत्र के एकदम आखिर में 'अविश्वास प्रस्ताव'। इस सदन

के इतिहास में इस बात की कोई मिसाल नहीं मिलती जब सदन के नेता और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में सत्र के आखिरी दिन अविश्वास का मत लाया गया है जिससे आगामी 6 महीनों के लिए अविश्वास के सभी मत पहले ही अधिकृत हो गए हैं और खासतौर पर वे इस तूफानी सत्र के बाद जब सरकार के सम्बन्ध में विश्वास के प्रश्नों के प्रश्न की परीक्षा करने के अनेकों अवसर विपक्ष को मिले थे आखिरी दिन अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आए हैं।

सत्र समाप्त होने के अन्तिम क्षणों में अविश्वास का प्रस्ताव लाये जाने का यह उपाय भविष्य में अपनाए जाने योग्य नहीं है। हमें इस बात का पूरा-पूरा सन्देह है कि कुछ अन्य मकसदों के लिए यह लाया गया था और इससे वह मकसद पूरा नहीं हुआ है। मैं समझता हूं अविश्वास का यह प्रस्ताव उस प्रस्ताव को रोकने के लिए लाया गया जो विगत रात्रि सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। यही कारण है कि एक समय विशेष पर लाए जाने के कारण अविश्वास प्रस्ताव लाने के इरादे और मकसद विफल हो गया है।

जब मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना, उनमें से अधिकांश अपने दृष्टिकोणों, सिद्धान्तों के अनुसार बोल रहे थे तो मैं उनके भाषणों में कोई नई बात देखने में असफल रहा। जो कुछ बातें हमने सुनी हैं, वे दोहराई गई बातें हैं, एक या दो को छोड़कर। यह कहा गया है कि एक नई चीज नई चीज है, एक पुरानी चीज को नई चीज नहीं बनाया जा सकता। जब कोई व्यक्ति पुरानी शराब को नई बोतल में रखता है तो पुरानी शराब पुरानी ही रहती है। वह नई नहीं हो जाती। इसलिए आवाज के जोर से कोई व्यक्ति किसी बात का स्वरूप नहीं बदल सकता, भले ही अपनी बात को कहने में उसमें कितना ही आक्रोश क्यों न हो।

अब, मैं पुनः, 'विश्वास' के संकट के बार-बार दोहराए गए उल्लेखों को सुन रहा था। जिस ढंग से श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी भाषण देने की ईश्वरीय देन के साथ जिस सुन्दर हिन्दी में किसी अत्यंत खराब मामले की वकालत करते हैं, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इस बात में मुझे हमेशा उनसे ईर्ष्या रही है। अपनी निजी बातों में मैंने उनको कहा है; मेरी इच्छा है। भविष्य में मेरा जन्म एक वाजपेयी के रूप में हो ताकि जब मुझे किसी कमजोर मामले की वकालत करनी पड़े तो मुझे जानकारी रहेगी कि मुझे किससे अपने शब्द उधार लेने हैं।

आज वैसी ही बात मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीस के बारे में अनुभव की कि उनके पास एक बहुत ही कमजोर मामला था जिसकी उन्हें वकालत करनी थी और उस प्रयोजन के लिए बहुत बुरा वक्त भी चुना।

एक माननीय सदस्य : वह एक खराब वकील भी है।

श्री ए०के० सेन : मैं वकील होने की कभी शेखी नहीं बघारता। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि एक वकील हमेशा समाज का सर्वोत्तम आदर्श होता है।

]श्री ए० के० सेन]

जिस बात से मुझे आश्चर्य हुआ है वह यह है कि 1952 से लेकर गत 25 वर्षों के दौरान हमारे जीवन में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं उनको भुलाकर कानून तथा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा अन्य विविध पहलुओं का हवाला इन भाषणों में दिया गया है। उनमें से कुछेक का एक-एक करके उदाहरण हम लें। मेरे पास बोलने का ज्यादा समय नहीं है। यह देश शीघ्र ही तीसरा उपग्रह स्थापित करने जा रहा है। यह विज्ञान तथा इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में कम उपलब्धि नहीं है। यह देश युद्ध पोतों (क्रूजरी) का उत्पादन कर रहा है, इसलिए नहीं कि युद्धपोतों का उत्पादन करना अच्छी बात है बल्कि इसलिये कि दूसरे देशों के पास युद्धपोत हैं। हम आधुनिक मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं जो अनेक देशों के बाजारों में जा रही है। आज अफ्रीका के देशों में जाइए वहां आपको भारतीय कारखानों द्वारा निर्मित मशीनें मिलेंगी। हमसे कहा जाता है कि 25 वर्षों में यह कोई उपलब्धि नहीं है। यदि यह कोई उपलब्धि नहीं है तो हम इसके गुनहगार हैं। यदि यह एक अच्छी उपलब्धि है तो मैं उन लोगों पर आरोप अवश्य लगाऊंगा जो वास्तविकता को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए जान बूझ कर हमारी उपलब्धियों की बदनामी करते हैं।

आप अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं के राजस्व की मात्रा लीजिए जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में तेज वृद्धि तथा हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि उजागर होगी। 1952 में कितना राजस्व था और आज कितना राजस्व है ? 1952 में पूंजी लेखे तथा राजस्व लेखे पर सरकारी खर्च कितना था और आज कितना है ? हमने किन चीजों का उत्पादन किया है ? इस बात का पता करने के लिए हमें भिन्न-भिन्न कारखानों में जाना होगा। यह सच है कि जो हमने एक बार उत्पादन किया हो, सकता है उस को बरकरार न रखा गया हो। श्री वी० सी० राय द्वारा स्थापित बिजली उत्पादक केन्द्रों, जिन पर हमें आज भी गर्व है, का उदाहरण लीजिए। मैं मानव स्वभाव की कमजोरियों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है। हर कोई व्यक्ति डा०वी०सी० राय नहीं है ऐसा क्यों है ? जब मैं कलकत्ता जाता हूं तो दरबार में अपने फलैट तक पांच मंजिलें पैदल तय करता हूं। वहां कोई बिजली नहीं है। घोर रात्रि में, जब मैं उठता हूं तो कुछ दिखायी नहीं देता इससे आदमी की असफलता प्रकट होती है। हर बार जब मैं जाता हूं तो यही अनुभव रहता है। घोर रात्रि में मैं जाता हूं और पांचवीं मंजिल तक पैदल चढ़ता हूं। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा। लेकिन हमें उन त्रुटियों के प्रति असावधान नहीं रहना चाहिए जिन्हें हम हर जगह देखते हैं और इसके साथ ही हमें गत 25 वर्षों में प्राप्त की गई विराट उपलब्धियों को भूलना नहीं चाहिए। श्रीमती थैचर यहां आई और उन्होंने खुले तौर पर उस महान प्रगति को स्वीकार किया जो भारत ने ब्रिटिश द्वारा इस देश को छोड़कर चले जाने के बाद हासिल की है। मुझे उस

समय को याद है जब श्री जे० आर० डी० टाटा ने भारत में इस्पात बनाने की पहली परियोजना शुरू की। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री एक अंग्रेज ने, जब अंग्रेजों को अपने ऊपर अत्यंत गर्व था और उन्होने यह बात कभी सोची नहीं थी कि भारतीय इतनी अधिक उपलब्धि कर सकते हैं यह बात रिकार्ड में है, कहा "मैं यह देखना चाहता हूं कि भारत" में कैसे इस्पात बनाया जाता है जिससे मैं दांत से काटकर टुकड़े कर सकूं। उनका मतलब यह था कि इस्पात इतना कमजोर होगा कि उसे वह दांतों से काट सकेंगे। कैसा इस्पात और कैसे टुकड़े? आज यह इस्पात पश्चिम के अनेक देशों को निर्यात किया जा रहा है। हमारे अनेक इस्पात पाइप आज अमेरिका के बाजारों में जा रहे हैं। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। यह सच है कि इस से और ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है।

हमारे देश की आज के जापान के साथ तुलना कीजिए। प्रगति जो जापान ने इस तथ्य के बावजूद प्राप्त की है कि वह गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर रहा है, शानदार है। युद्ध से पूर्व जापान मोटर गाड़ियों का कितना उत्पादन करता था और आज उनका कितना उत्पादन करता है? गतवर्ष जापान का यह उत्पादन अमेरिका से ज्यादा हो गया है। यह सच है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पाए हैं। लेकिन कम से कम भारत में मरसीडीज ट्रक दक्षिण से उत्तर तक काम में लाए जाते हैं और हजारों की संख्या में सुदूर पूर्वी देशों को उनका निर्यात किया जा रहा है। क्या यह कोई कम उपलब्ध है? मरसीडीज कम्पनी के उपाध्यक्ष ने मुझे बताया था कि यह कम्पनी 1972 में शुरू की गई थी। मुझे लार्ड थौम्पसन ने जो भारत के मित्र थे, आमंत्रित किया था और मैंने पाया कि वे मरसीडीज कम्पनी के उपाध्यक्ष थे। मैंने उनसे पूछा उस समय टाटा के साथ सहयोग समझौता समाप्त हो गया था उनका ट्रक निर्माण भारत में किस तरह प्रगति कर रहा है उन्होने कहा, "श्रीमन् मैं आपको बता सकता हूं कि ब्लाक इंजन, जो जमशेदपुर में बनाए जाते हैं, हमारे निर्माणों की तुलना में बेहतर हैं और इतने बेहतर हैं कि हमें अपने इंजीनियरों को वहां एक वर्ष तक रहने के लिए भेजना चाहिए ताकि यह पता लगाया जाए कि जमशेदपुर में संरचना तथा निर्माण कार्य जर्मन फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की तुलना में बेहतर क्यों है।" इस महान उपलब्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार। पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्रता के बाद से महान भारतीय प्रशासक और महान नेता थे। हमें उन पर गर्व है। उस महान नेता की मृत्यु के पश्चात प्रोफेसर डी० एन० मुखर्जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके शब्द मुझे याद हैं। उन्होंने कहा "वह एक ऐसा आदमी था जिसमें कोई कमजोरी नहीं थी। उनके शरीर पर कमजोरी का कोई भी चिन्ह नहीं था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तीर द्वारा नहीं मारा जा सका। वह एक महान व्यक्ति था। उनके रूप में इस देश ने एक ऐसा नेता पैदा किया जिससे सम्पूर्ण विश्व चकित रह गया। क्या कारण है कि आज हमारा दूसरे देशों में सम्मान

[श्री ए० के० सेन]

होता है ? यह मात्र हमारी सम्पति के कारण नहीं है बल्कि हमारी बुद्धि और हमारे नेतृत्व के कारण है । हमें गर्व है कि हमारे देश ने ऐसा नेता पैदा किया । हम जानते हैं कि हम ऐसे और भी अधिक नेता पैदा कर सकते हैं ।

श्री वेंकटरामन यहां हैं । उद्योग मंत्री यहां हैं । सम्पूर्ण नेता यहां हैं । हम सबको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी, सरकार और प्रबंधना सभी मिलकर एक ऐसा आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए कार्य करें जिससे हर कोई भयभीत हो । यह बिल्कुल सच है कि हमारे चारों ओर दुश्मन हैं और जब तक यह देश एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक हम अपने तथाकथित मित्रों और पड़ोसियों की कुदृष्टि को हटा नहीं सकते । अतः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस सरकार तथा उत्पादकों ने उत्कृष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं जिनका सम्पूर्ण विश्व ने अनुमोदन किया है । उद्योग तथा विज्ञान में भारत की प्रगति मात्र इतिहास की बात नहीं है बल्कि भारत राष्ट्र के लिए ही नहीं सम्पूर्ण एशिया के लिए गर्व की बात है । अतः इस महान उपलब्धि की निन्दा नहीं की जानी चाहिए ।

जहां तहां कतिपय दंगे फसाद हुए हैं । यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है । श्रीमति इन्दिरा गांधी के सत्ता में आने से पूर्व जमशेदपुर में दंगे फसाद हुए । 1977 में बेलची में दंगा हुआ । यह अत्यधिक शर्मनाक बात है । मैं उस दौरान स्वयं जमशेदपुर गया क्यों कि मेरे चुनाव क्षेत्र के अनेक सदस्य आए थे । मैं वहां मानव दुर्गति देखकर विस्मित रह गया । मैं श्री इंद्रजीत गुप्त से सहमत नहीं हूं । उन्होंने कहा है कि केवल मुसलमानों पर हमला हुआ है । नहीं जमशेदपुर में हरिजन, हिन्दू मुसलमान सभी गुंडो के शिकार हुएहैं । वही घटना मुरादाबाद में घटी । हर जगह वही हो रहा है । यह दुष्ट लोगों का काम है जो हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे को ही नष्ट करना चाहते हैं हमें इस बुराई का मुकाबला करना है । सरकार को अथवा हम में से किसी को दोष देना बेकार है । जब जनता पार्टी सत्ता में थी और बेलची अथवा अलीगढ़ में दंगे हुए तो उनके लिए मैं श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को दोष नहीं देता ···(व्यवधान) आपके समय में अनेक दंगे हुए । आप में से कोई भी बेलची नहीं गया । श्रीमति इन्दिरा गांधी हाथी पर बैठकर, घोड़े पर सवार होकर और नाव द्वारा वहां पहुंची । उसने 200 मील यात्रा की और जब वह वहां गई तो उसने देखा कि हरिजनों का सम्पूर्ण गांव जला दिया गया था । आप में से कोई भी वहां नहीं था ।

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बताता हूं । मुझे मालूम है कि वहां क्या हो रहा है । उस दिन श्री मकवाना दुर्गापुर में थे । उन्होंने वहां जाकर गरीब मजदूरों की हालत देखी, उनके चेहरे बमों से पूर्णतया विस्फोत थे, वे···नहीं कर सके (व्यवधान) ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं दुर्गापुर का हूं । वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई । कांग्रेस (ई) के लोग कजोरा में बम बना रहे थे । यह स्थान आसनसोल चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । (व्यवधान) । उन्हें वहां लाया गया था । (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)। यदि यह बात उन पर लागू होते है तो बेसक होतो हो। मैंने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है। वे उत्तेजित क्यों होते हैं।

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

एक माननीय सदस्य : वह सच्चाई नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह ऐसा मानते हैं, तो आप खड़े हो सकते हैं। इस तरह नहीं।

श्री ए० के० सेन : मेरे मित्र बहुत भावक हैं। मैं 30 मार्च···(व्यवधान)।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। महोदय एक प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल तभी जब वह ऐसा चाहें।

श्री ए० के० सेन : मैंने केवल यह बताया कि श्री मकवाना चकित रह गए थे, उन्हें सदमा पहुंचा था, वह मुझे बता रहे थे कि · (व्यवधान) मैंने किसी दल का नाम लिया नहीं है। गरीब मजदूर अस्पताल में पड़े थे और उनके चेहरे बुरी तरह जख्मी थे। मैंने किसी दल का नाम नहीं लिया। वे क्यों खड़े हो गए हैं? (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती . यदि श्री सेन इतने विश्वस्त हैं तो उन्होंने नगर पालिका के चुनावों का बहिष्कार क्यों किया?

उपाध्यक्ष महोदय : असंगत बातों को बीच में मत लायें। यह राजनीतिक प्रश्न है। राजनीतिक प्रश्नों को बीच में मत लायें। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पश्चिम बंगाल के लोगों ने उन्हें पूर्णतया अस्वीकार कर दिया था। वह हाल में दल बदल कर आए हुए हैं। चुनावों से पूर्व उसने इन्दिरा गांधी कांग्रेस का विरोध किया था। केवल चुने जाने का बाद वह इन्दिरा गांधी की कांग्रेस में आए···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार समय नष्ट किया जाता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : आप उसकी उपेक्षा करें।

श्री ए० के० सेन : मैंने दल का नाम नहीं लिया है। (व्यवधान)

अब, पश्चिम बंगाल में हमने हत्याओं और मौतों के वातावरण में रहना सीख लिया है। मृत्यु हमारी शास्वत संगिनी बन गई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति राज्य के विषय के बारे में बोलता है। आप उसका उत्तर तब दें जब आपकी बारी आए। (व्यवधान) यह क्या है ? क्या वह पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कह नहीं सकते ? क्या वह भारत से अलग है ? आप इतने असहिष्णु क्यों हैं ? क्या आप अपने भाषणों में कांग्रेस (आई) सरकार की आलोचना नहीं करते ? वह भी आप की सरकार की आलोचना कर सकते हैं। (व्यवधान) आप सभी राज्यों की कांग्रेस (आई) की सभी सरकारों की आलोचना कर रहे हैं। क्या वह आपकी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते ? यह लोक तान्त्रिक देश है। वह आलोचना कर सकते हैं। मैं सहमत नहीं हूं···। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको यहां अपनी सरकार का बचाव करना चाहिए। आप पश्चिम बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : किस प्रकार सदन का समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री ए० के० सेन : जब श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुरादाबाद और गाजियाबाद का हवाला दिया तो मैंने केवल इतना ही कहा कि देश में हमारे भाग में मौत हमारी संगिनी बन गई है। मैंने कभी भी दल का नाम नहीं लिया। फिर यह दोष क्यों ? जब श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुरादाबाद, गाजियाबाद का नाम लिया और अपनी उंगलियों से गृहमन्त्री की ओर इशारा किया तो हम रोष में आकर खड़े नहीं हुए थे क्योंकि हमारी अन्तरात्मा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जब मैंने पश्चिम बंगाल में मौतों के बारे में कहा तो हमने देखा कि हमारे मित्र रोष में उठ खड़े हो गए हैं। इससे उनके पापी दिलों का पता चलता है और मैं दृढ़ता से कहता हूं मैंने यह देखा है। मैं 30 मार्च को मैदान में था प्रत्येक व्यक्ति वहां निहत्था आया था। कोई भी लाठी लेकर नहीं आया था। तीन व्यक्ति मारे गए तथा आदेश यह था कि गोली से मार दिया जाए। जब हमने न्यायिक जांच की मांग की तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। उससे पता लग जाता कि किसी व्यक्ति के पास कोई हथियार था अथवा नहीं। मुख्य मजिस्ट्रेट ने पुलिस मंगाई। 200 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिनमें मैं भी शामिल था···। (व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : *

उपाध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी रिकार्ड में नहीं आयेगा।

श्री संतोष मोहन देव : वे कम्युनिस्ट हैं, सज्जन व्यक्ति नहीं। उनके व्यवहार पर चकित मत होइए। (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड में नहीं लिखा जाएगा।

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री ए० के० सेन : श्रीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट ने पुलिस से पूछा कि क्या वे लोग कोई हथियार अथवा लाठी लाए थे; तो उन्होंने कहा कि 'नहीं'। इसलिए इन लोगों को रिहा कर दिया। (व्यवधान) ये गुंडे थे जिन्होंने इन फरिश्तों पर गोली चलाई। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिए। व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए। यदि वह ऐसा नहीं चाहते तो मैं अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि सदन का कार्य संचालन कैसे करना है।

श्री सी० एम० स्टीफन : यदि वे यह काम यहां संसद में कर सकते हैं'''(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आदेश देता हूं।

श्री ए० के० सेन : पश्चिम बंगाल को क्या हुआ है ? (व्यवधान) हम पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं के बारे में बोलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में हम विपक्षी दल में हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैसे कि आपको अन्य राज्यों के बारे में बोलने का पूरा अधिकार है उसी प्रकार उसे भी बोलने का पूरा अधिकार है। (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : महोदय, उन्हें सहनशीलता नहीं है। जबकि उनकी शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना हो रही है, हमें चाहिए कि इकट्ठे बैठकर एक दूसरे से परामर्श करें क्योंकि शिक्षा किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है। इसके लिए मुख्य मंत्री का उत्तर यह था कि हमने निर्णय कर लिया है और अब परामर्श की कोई जरुरत नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करिए।

श्री ए० के० सेन : मैं विभिन्न दलों में सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में विश्वास रखता हूं। संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली के लिए देश का एक संविधान है। हमारे यहां विभिन्न दल हैं—एक दलीय सरकार नहीं है यह बहु-दलीय सरकार है। पश्चिम बंगाल में वे समझते हैं कि शासन करने के लिए केवल एक ही दल है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए० के० सेन : महोदय, इस समय मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बोलना बन्द करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री ए० के० सेन : अब मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बोलना बन्द करता हूं ।(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यदि आप हमें उत्तर देने का अवसर दें तो हम इन्हें शान्तिपूर्वक सुनेंगे । पश्चिम बंगाल विधान सभा पर उपयुक्त चर्चा होनी चाहिए । हमें कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : तैमूर सरकार के बारे में चर्चा की गई थी । मुरादाबाद के बारे में चर्चा की गई थी । और मणिपुर के बारे में चर्चा की गई थी । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, जो कुछ भी वे बोलना चाहें, उन्हें बोलने दीजिए । परन्तु आप हमें उनकी बातों का उत्तर देने का अवसर दें, अन्यथा बाद में कहा जाएगा कि उनके वक्तव्यों का खंडन नहीं किया गया । हम केवल उनकी बातों का उत्तर देना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर नहीं दे सकते । श्री जार्ज फर्नान्डीस उत्तर देंगे । कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो चुकी है । इसलिए यदि पश्चिम बंगाल को कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हो चुकी है । इसलिए, यदि पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाये तो कोई हर्ज नहीं है । मैं इसकी अनुमति देता हूं । आप कृपा बैठ जाइए । (व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं करते । श्री जगजीवन राम जी ने बिहार शरीफ और मुरादाबाद का उल्लेख किया था·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी प्रत्येक सदस्य अपनी बात कह चुका है । मैं इन्हें नहीं रोक सकता । कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए । श्री सेन के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)*

श्री ए० के० सेन : मैं सर्वश्री जगजीवन राम जी और इन्द्रजीत गुप्त की बातों का उल्लेख करूंगा । जगजीवन राम जी ने बिहार शरीफ का उदाहरण दिया था·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मैं यह स्पष्टतः कह देना चाहता हूं कि सदन का समय व्यवधान द्वारा खराब किया जा रहा है । जैसी कि पहले घोषणा की जा चुकी है मैं अवश्य ही 12 बजे मंत्री जी को बोलने के लिए बुला लूंगा । इस घोषणा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा । आप केवल सदन का समय ही बरबाद कर रहे हैं ।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री ए० के० सेन : श्री जगजीवन राम जी.....(व्यवधान) श्री जगजीवन राम जी ने बिहार शरीफ और मुरादाबाद का उल्लेख किया था। (व्यवधान),

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात को पूरा करने दीजिए।

श्री ए० के० सेन : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने गाजियाबाद (व्यवधान) नागालैंड, मणिपुर और देश भर का उल्लेख किया था। श्री जगजीवन राम ने यह प्रश्न उठाया था। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। उन्हें बोलने का पूरा हक है। उन्हें बोलने की आजादी है। (व्यवधान)*

श्री ए० के० सेन : हमारे माननीय मित्र श्री जगजीवन राम जी ने बिहार शरीफ के बारे में कहा था। उन्होंने आरोप लगाया था :

"यह हरिजनों की हत्या नहीं की गई, मुसलमानों की हत्या की गई।"

ऐसा बिहार के बारे में कहा गया है। जब यह कहा गया था तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। श्री जगजीवन राम ने मुरादाबाद के बारे में कहा कि वहां मुसलमानों की हत्या की गई। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी पश्चिम बंगाल जैसी ही है। जब उन्होंने उत्तर-प्रदेश का हवाला दिया था तो किसी ने भी विरोध नहीं किया। गुजरात, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु सरकार, अल्पमत सरकार और श्री इन्द्रजीत गुप्त से मिलने के लिए लोगों का आधी रात में आने का उल्लेख किया गया था। जब यहां ये सब बातें कही गई तो हमने कोई एतराज नहीं किया। परन्तु हम जब समस्त भारत की समस्या की बात करते हैं, जिसका पश्चिम बंगाल से सम्बन्ध जुड़ा है, तो ये सब बातें विस्फोट के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं।

मैं क्षण भर को पश्चिम बंगाल का जिक्र छोड़ देता हूं, क्योंकि हम स्वयं इसकी ओर ध्यान दे सकते हैं। हम आरोप को लेते हैं। क्या अल्पसंख्यकों के साथ कांग्रेस (आई) सरकार के शासनकाल के अलावा कहीं बेहतर व्यवहार हुआ है ? आज ही अदालत में मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जनजातियों को दिया गया 15 प्रतिशत आरक्षण गैर-लोकतान्त्रिक है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ कांग्रेस (आई) सरकारों से बेहतर व्यवहार कहां किया जा रहा है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए० के० सेन : यदि पुनः ऐसा किया गया तो इस ओर से भी ऐसा किया जा सकता है। हमने संयम से काम लिया है। हमने दूसरे पक्ष के नेताओं के भाषण बड़े धैर्य से सुने। हम चाहते हैं कि वे भी ऐसा ही करें। विपक्ष के नेताओं को भी ऐसा ही करना चाहिये। (व्यवधान) शिष्टाचार भी कोई चीज होता है जिस से आप अनभिज्ञ हैं। मैं इस विश्वास के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि इस सदन, के बाहर के लोग इस अविश्वास प्रस्ताव को अवमान की दृष्टि से देखेंगे और क्योंकि यह प्रस्ताव राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित होकर पेश किया गया है। इसकी सदाश्यता के बारे में शका है और इसके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सत्तारूढ़ दल ने अपने वक्ताओं के जो नाम दिये थे वे नाम वापस ले लिये हैं। विपक्ष के 5 या 6 माननीय सदस्य, इस प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं। उन के नाम हैं : श्री हरिकेश बहादुर, श्री एन० ई० होरो, श्री त्रिदिव चौधरी, श्री जयपाल सिंह कश्यप और श्री चित्र बसु। ये माननीय सदस्य नहीं बोले हैं। ये माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेंगे। इनके भाषण समाप्त हो जाने के तुरन्त बाद, मैं माननीय मंत्री जी को उत्तर देने के लिये कहूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मैंने भी दी थी। लेकिन अब मैं यह अनुभव करता हूं कि मैंने कुछ गलती की थी क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना किसी सरकार के खिलाफ दी जानी चाहिये थी। यहां पर कोई सरकार ही नहीं है। इसलिए मैं समझता हू कि जो यह सूचना दी गई यह गलती की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके विचार में यहां पर कोई सरकार ही नहीं है तो आप इस प्रस्ताव पर न बोलें।

श्री हरिकेश बहादुर : लेकिन चूंकि सूचना दी गई है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि प्रधान मंत्री को इस बात की बहुत चिन्ता रहती है कि विरोधी दल के लोग अपनी भूमिका ढंग से नहीं निभा रहे हैं, वे आन्दोलन करते हैं और जनता का काम सही ढंग से नहीं करना चाहते। यह बात बराबर प्रधान मंत्री जी कहती रहती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं सरकार की तरफ से विरोधी दल के लोगों के लिये अगर कोई कोड आफ कंडक्ट हो तो उसे जरा बतायें। और यह भी बतायें कि क्या विरोधी दल के लोगों को हवाई जहाज का अपहरण करना चाहिये या अदालतों के अन्दर मेज और कुर्सियां जा कर तोड़नी चाहिए, या पश्चिम बंगाल के अन्दर जो बमबाजी की जा रही है उन सब कामों में लगना चाहिये ? इन बातों का भी स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें। क्योंकि जब कांग्रेस (आई०) अपोजीशन में थी तो उन्होंने इस तरह की हरकतें की थीं। आज देश के अन्दर क्या हालत है ? उस सरकार को शर्म आनी चाहिए. यह सरकार जब जनता से वोट मांग रही थी तो यह कहा गया था कि देश के अन्दर कानून

और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई, वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं इसलिए हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ को मजबूत करना चाहिए और उनके हाथ पर मोहर लगानी चाहिए । आज इस बात का सवाल है कि जो वायदे जनता के सामने किए गए और चुनाव घोषणा-पत्र में बातें कहीं गयीं क्या उन्हें पूरा किया गया ? मैंने दो महीने के अन्दर देख लिया कि आप देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे थे ।''' (व्यवधान)

हमने तय किया कि आपके साथ रहना देश के साथ द्रोह करना है । और आज यह पौरुष का सवाल है । जिसमें पौरुष होगा वह इस प्रकार के भ्रष्ट शासन को कभी बर्दास्त नहीं करेगा । आज आपके उस पौरुष को चुनौती है । देश की जनता के सामने आपको भी वही काम करना चाहिये जो मैं कर रहा हू । यही असली देश भक्ति है, देश के हित में है, इससे देश का कल्याण होने वाला है । इसलिये आपके सामने यह चुनौती है कि आप भी इस सरकार को गिराने में हमारे साथ आकर हमारी मदद करें । ।

इस सरकार के रहते देश में भयंकर नर-संहार हो रहा है । अभी आन्ध्र प्रदेश में 60 आदिवासियों की पुलिस ने हत्या की है । हरिजनों की हत्या के बारे में बताना चाहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में ही 16 हरिजनों को कफलटा में जिन्दा जला दिया गया, 21 हरिजनों की हत्या डाकुओं ने की और तमाम हरिजनों की हत्या बिहार में पिपरा में और जगह-जगह मध्य प्रदेश में की गई है । इस प्रकार से हरिजनों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं ।

जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का सवाल है केवल मुरादाबाद में ही लगभग 1 हजार लोगों की हत्या हुई, बिहार शरीफ में 200 लोग मारे गये । दिल्ली, रामपुर, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद लखनऊ, अलीगढ़ और अहमदाबाद आदि सभी जगहों पर भीषण नर-संहार हो रहा है । गृह-मंत्री ने इस सदन में यह कहा था, कि कांग्रेस (आई) के लोग उसमें इन्वाल्व हैं और एक आदमी पकड़ा भी गया था, यह बात गृह-मंत्री ने स्वतः इस सदन में कही थी । इसलिए इस पार्टी के लोग, जो साम्प्रदायिक दंगे और नर-संहार हो रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं ।

आज श्रमिकों के सम्बन्ध में इनका क्या व्यवहार है, बंगलौर में जो कुछ हो रहा है, उसका उदाहरण है । हरियाणा में फरीदाबाद में जिस प्रकार हत्या की गई है मजदूरों की, उस बात को हमें याद करना चाहिये । किसानों के बारे में ये बात करते हैं यहां पर किसान रैली हुई थी, केवल निपानी में ही जो टैक्टर ग्रोअर्स मारे गये, उनकी संख्या कुल 20 रही है ।

कर्नाटक, आन्ध्र, महाराष्ट्र में जगह-जगह, गुजरात में किसानों की हत्या की गई है । इस प्रकार लगभग 100 किसानों की हत्या की जा चुकी है कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, यह मैं बताना चाहता हू ।

इस सरकार के शासन में आने के बाद 2 बार पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई गई

[श्री हरिकेश बहादुर]

हैं। चीनी आज 40 रुपये किलो तक देश के कुछ भागों में बेची जा रही है। रांची के अन्दर इसकी कीमत 40 रुपये किलो तक हुई। ब्लैक-मार्केटियर्स और चोरबाजारियों को पकड़ने के लिये कानून बनता है, लेकिन उनको छुड़ाने का काम इस दल के विधायक कर रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल इस वर्ष में हमारे विदेश व्यापार में 4 हजार करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है। सरकार के पदारूढ़ होने के बाद रेल किरायों में दो बार बढ़ोत्तरी की गई है। यहां तक कि सैकिंड क्लास के किराये भी बढ़ाये गये हैं।

बुनकरों की समस्या को सुलझाने में यह सरकार बिल्कुल असफल हो रही है। सूत और केमिकल्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

अन्धों की पिटाई की जा रही है। राजधानी में इस सरकार ने अन्धों की पिटाई की थी। बिहार में कई लोगों को अन्धा किया गया।

20-सूत्री कार्यक्रम में बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने की बात कही गई है, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, आप खुद ही समझ सकते हैं। स्वामी अग्निवेश, जो कि बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, उनको जानसे मारने की धमकी दी गई है।

यहां पर जो एशियन गेम्स होने जा रहे हैं, उसमें 700 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। जिस देश में स्कूल और हस्पताल नहीं है, लोगों को खाना नहीं मिलता है, जहां लोग बीमारी और भूख से मर रहे हैं, कालाबाजार से 200 आदमी मरे हैं बिहार में, जहां पर दवा तक आप दे नहीं सकते तो उस देश के खजाने के 700 करोड़ रुपये आप अनावश्यक रूप से लुटा रहे है।

जजों का ट्रांसफर कर के न्यायापालिका को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। आज कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति है ? इस पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिए, जिनपर हत्या और डकैती के अभियोग थे। इस पार्टी के इस प्रकार के विधायक हैं। इस पार्टी के विधायकों का कैरेक्टर यह है कि उन्होंने लखनऊ में पिस्तौल से मकानों के ताले तोड़े। डकैतियों, चोरियों, हत्याओं और अपहरण के मामलों की संख्या बढ़ रही है। इस सरकार के अधीन महिलाओं की यह स्थिति है कि पुलिस द्वारा बलात्कार किया जाता है। माया त्यागी का केस इसका एक उदाहरण है, जिसके बारे में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त एनक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है। बम्बई में बोइंग 747 में एक महिला के साथ बलात्कार किया गया है। रेलवे में भी डकैतियां और मर्डर हो रहे हैं। बेहमई में डाकुओं ने लोगों की हत्या की। बरेली में भी ऐसी घटना हुई। पत्रकारों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। उड़ीसा के एक सम्पादक और बनारस में जनवार्ता के सम्पादक पर आक्रमण इसके उदाहरण हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप अपनी बात समाप्त करें। आप उन्हीं बातों को बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के खिलाफ जो आन्दोलन हो रहा है, वह इस सरकार की शह से किया जा रहा है। देश के कैपिटल में प्रधान मन्त्री पर छुरा फेंका गया और निरंकारी चीफ की हत्या की गई। अब और अराजकता फैलाई जा रही है। जिस सरकार के अन्तर्गत भ्रष्टाचार पनप रहा है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं...।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : अगर उस सरकार को थोड़ी भी लज्जा है, तो उसे तत्काल इस्तीफा दे कर स्वयं सत्ता से हट जाना चाहिए।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने रूलिंग पार्टी के मेम्बरों की बातों को ध्यान से सुना है। श्री शुक्ल ने कहा है कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जो आदिवासी और हरिजन हैं, वे कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं। मैं इस बात को जान कर बहुत खुश हूं कि उन लोगों द्वारा विश्वास दिए जाने के कारण ये सरकार में आए हैं। मगर मैं जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद आज तक कांग्रेस की सरकार केन्द्र में रही है, तो आसाम में जो 45 लाख आदिवासी और हरिजन चाय-बागान में काम करते हैं, आज तक उन्हें आदिवासी और हरिजन क्यों नहीं माना गया है। यह एक मुद्दा है, जिसको लेकर अभी हाल में कांग्रेस (आई) के कुछ सदस्यों ने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस सरकार को समर्थन देना बन्द कर दिया है। यही एक बात जाहिर करती है कि इस सरकार के कहने और करने में कितना फर्क है। हरिजन और आदिवासियों की हालत खराब है जब वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उन पर गोलिया चलाई जाती हैं। हमारे यहां झारखण्ड के क्षेत्र में जो आदिवासी हैं जिनकी जमीन लूटी गई है वे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जंगल से जो उत्पादन होता है उसका मूल्य वे निर्धारित करना चाहते हैं। जब वे आन्दोलन करते हैं तो यह सरकार बन्दूक और गोली से उन का सामना करती है। अभी हमारे क्षेत्र के अन्दर सिंहभूम जिले में गुआ में गोलियां चलीं। उनके ऊपर यही दोषारोपण किया गया है कि लोग जंगल बरबाद कर रहे हैं और इसलिए वे कहते हैं कि वहां ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। वास्तव में वहां ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन की बात नहीं है, वहां गरीब आदिवासी, और हरिजन पिछड़े वर्ग के जो लोग चाहते हैं कि जो उनका मौलिक अधिकार है वह उनको प्राप्त होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इनके असली और मौलिक मुद्दों को देखकर उनकी प्राबलम्स का समाधान करें। मगर इसके बदले उन पर जुल्म हो रहा है और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है।

उस क्षेत्र में विकास के नाम पर चाहे हटिया हो, बोकारो हो या आदित्यपुर हो, इन स्थानों में करीब 50 हजार फेमिलीज आज भी अपनी जमीन से विस्थापित हुई पड़ी है। सरकार

[श्री एन० ई० होरो]

ने उनके पुनर्वास का कोई प्रबन्ध आज तक नहीं किया है। केन्द्र की सरकार जो इन आदिवासियों और हरिजनों पर नाज करती है उसको इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। मगर वह इसकी तरफ ध्यान नहीं देती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। रांची जिले में कारोकोयल नाम से एक हाइडेल प्रोजेक्ट बनाने की स्कीम सामने रखा गई है। इसके लिए करीब 127 गांव उजड़ जाएँगे जिस में 93 गांव पानी के नीचे चले जायेंगे। वहां के लोगों ने आन्दोलन चलाया है। वे चाहते हैं कि विकास के काम के लिए हाइडेल प्रोजेक्ट बने लेकिन इसके द्वारा जो लोग विस्थापित होंगे उन के एकोनामिक रिहैबिलिटेशन का इंतजाम पहले होना चाहिए। आज तक केन्द्र की सरकार या राज्य की सरकार के पास उसके लिए कोई ब्लू प्रिन्ट नहीं है और उनके आर्थिक रिहैबिलिटेशन का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। यह स्थिति है।

अभी हाल ही में, आप जानते होंगे, कई बार प्रश्नों में यह बात आई है, कि मध्य प्रदेश के दल्ली राजहेड़ा की आयरन और माइन्स के 7 हजार मजदूरों की छटनी हो गई है। उनको लिया नहीं गया है और वह कौन हैं ? वह वहां के आदिवासी और पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं। तो यह सरकार अपनी जवाबदेही को निभा नहीं रही है, सिर्फ यह कह कर दुनिया को यह बतलाना चाहती है कि वह आदिवासी, हरिजन या गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की भलाई कर रही है। जिनके बल पर वह यहां गद्दी पर बैठी है उनके लिए वास्तव में वह कुछ करना नहीं चाहती है। ऐसी परिस्थिति हर जगह है।

आप जानते होंगे, हिन्दुस्तान के कई क्षेत्रों में चाहे वह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो चाहे हिन्दुस्तान का मध्य क्षेत्र वहां नए राज्य बनाने की यह बात चल रही है। जनता चाहती है कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी एक उत्तराखण्ड की बात निकलती है। झारखण्ड में झारखण्ड की बात निकलती है। इसके पीछे मौलिक बात यह है कि उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। वहां के झारखंडी लोग एक नेशनलटी के हैं। एक राष्ट्रीयता के आधार पर वे चाहते हैं वह कि इस देश के नागरिक हो कर रहें और जो उनका अपना रानैजतिक व्यक्तित्व है उसको लेकर अपना विकास कर सकें। इसी के लिए एक अलग प्रान्त की बात निकलती है। मगर हिन्दुस्तान की सरकार ये जो असली मुद्दे हैं इनको नहीं देखती है जो कि डेमोक्रेटिक मुद्दे हैं। इन पर नजर न डालकर वह कहती है कि यह ला ऐंड आर्डर की सिचुएशन है यह सरकार दुनिया को यह बतलाना चाहती हैं कि ये देश के टुकड़े करना चाहते है। इसका मतलब यह हुआ कि यह सरकार जो डेमोक्रेटिक सरकार कहलाती है जो केन्द्र में सरकार संभालती रही है इसको इतनी हिम्मत नहीं कि डेमोक्रेटिकली इस समस्या का समाधान कर सके।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

हमारी प्रधान-मंत्री कहती हैं और ठीक कहती हैं कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है, पीपल्स विल इज सुप्रीम, मगर मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि इन्दिरा गांधी जैसा व्यक्तित्व के रहते हुए भी यहां जनता की इच्छा सुप्रीम नहीं मानी जाती। अगर जनता की इच्छा सुप्रीम मानी गई होती और अगर मानी जाएगी तो भविष्य में झारखण्ड स्टेट भी बनेगी, उत्तराखण्ड स्टेट भी बनेगी और छत्तीसगढ़ स्टेड भी बनेगी। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह जिस सिद्धान्त पर खड़ी है, जिसकी चर्चा वह सारे देश और सारी दुनिया में करती है उसी के अनुरूप, अपने देश में भी जो उपनिवेशवादी परिस्थिति बन गयी है उसको मिटाने के लिए, उन सिद्धान्त को यहां भी मानना चाहिए।

मैं इस सदन का और ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूंगा कि सरकार जो कुछ कहती है उसको उसे करना भी चाहिए था। वह वैसा नहीं करती है इसीलिए आज हजारों लाखों आदिवासी और हरिजन जो कि गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनका इस सरकार पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। बस, इतना ही कहकर मैं अपना अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आर्वला) : माननीय सभापति जी, इस देश में इस समय दो महान महिलाओं की चर्चा है। एक महिला हैं हमारी माननीय प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनसे अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं और हिन्दुस्तान की दूसरी महिला, जिनकी अखबारों में बहुत चर्चा है, वह है फूलन देवी। फूलन देवी का आज तक सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन वहां लाखों-लाख मल्लाह जो जमुना के किनारे रहते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस देश के छोटे गरीब हरिजन अपनी कोई मांग लेकर आते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर अपनी समस्याओं को लेकर जब बोट-क्लब पर सरकार से कुछ कहने के लिए अनुसूचित वर्ग के लोग आए, तो सैकड़ों की संख्या में उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया। यही नहीं, 6 मई को जब वे अपना मांग-पत्र प्रधान मन्त्री को देना चाहते थे, तो आरक्षण विरोधियों को यहां पर जगह दी गई, उनको विशेष रेलों की सुविधा दी गई, उनके लिए यहां पर विशेष रूप से सरकारी व्यवस्था की गई, लेकिन जो विचारे अनुसूचित जाति के लोग आए थे, दलित मोर्चे के नाम से, दलित रक्षा समिति के नाम से, उनको पकड़कर जेलों में ठूंसा गया। (व्यवधान) क्या इस तरह से आप हरिजन, आदिवासियों को सुरक्षा देंगे ? सुरक्षा तो आप अपने दल के माननीय सदस्य को भी नहीं दे पाए। जिनको आरक्षण विरोधियों ने नोटिस दी थी, उनके घर पर नोटिस चिपका दी थी, कि तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। आप तो

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

उनको भी सुरक्षा नहीं दे पाए। यद्यपि, उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन आज तक उनको संरक्षण नहीं मिला। इस संसद में जिस दिन वह कुछ कहना चाहते थे, उनके मुंह को जिस प्रकार से बन्द किया गया, उससे ज्यादा काला दिन संसद के लिए और क्या होगा। वे मजबूरी में यहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जिस तरह से दबा कर, कुचल कर उनकी आवाज को रोका गया है, उससे मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वालों को आगे आना पड़ेगा।

आपने मांया त्यागी कांड को सत्य नहीं माना था, लेकिन कमीशन ने उसको सत्य माना तथा इसमें सबसे बड़ा मजाक यह रहा कि कमीशन की रिपोर्ट जो जज ने तैयार की, वह रिपोर्ट लखनऊ जाने से पहले ही चोरी हो गयी। आप की सरकार के लिए इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। निपाणी में आप को पुलिस ने किस तरह से गोली चलाई? उन्नाव केस में क्या हुआ? भिलाई में एक महिला के साथ किस तरह से ज्यादती की गई? किस तरह से आप ने हरिजन और आदिवासियों पर गोली चलाई? पहले प्रधान मन्त्री विदेशों में जाकर रोती थीं कि हरिजनों का कत्लेआम हो रहा है, मुसलमानों को जान से मारा जा रहा है, लेकिन··· आप विदेशों में जाकर कह रहे हैं कि माइनोरिटी सुरक्षित है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिहार-शरीफ के मामले में क्या हुआ, मुरादाबाद की बात मैं नहीं कहता, मैं इस बात को कहता हूं कि चाहे हिन्दुस्तान के गरीब वर्ग का सवाल हो, पिछड़े वर्ग का हो, हरिजन-ईसाई-सिख का हो, सारे के सारे लोगों की जान-व-माल की हिफाजत नहीं है।

हम से वायदा किया गया था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, लेकिन उसको सदन के सामने नहीं लाया गया—इससे ज्यादा और विश्वासघात हमारे साथ क्या हो सकता है। 60 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। गृह मन्त्री जो हाउस में हिम्मत करके कह दें कि हमने यह वचन नहीं दिया। वचन देकर उसको पूरा न करना—इससे ज्यादा और अन्याय क्या हो सकता है। जिस रोज माया त्यागी के बारे में जज ने फैसला दिया, उसी दिन आप में शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। इस प्रकार आप कब तक हरिजनों के वोट पर और पिछड़े लोगों के वोट पर महल को चलायेंगे। इस देश में पुलिस राज कायम हो गया, जहां देखो पुलिस राज है। रेलों में सफर नहीं कर सकते। लड़कियों के साथ जेलों में भरे डिपार्टमेंट में बलात्कार करें, लोगों को लूटा जाए बसों में से लड़कियों को उठाया जाए—इससे ज्यादा आपकी सरकार के लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। अगर यही आप का शासन है, आप अपने देश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सके—इससे और ज्यादा विश्वासघात क्या हो सकता है। हमारा अविश्वास-प्रस्ताव आने से पहले, आपको शर्म होती तो आप इस्तीफा दे देते।

इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री चित्त बसु (बारहाट) : मैं नीति संबंधी मुद्दों के कारण मन्त्री परिषद में अविश्वास प्रगट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ऐसे प्रस्ताव में नीति सम्बन्धी मामले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मैं अविश्वास इसलिए प्रगट कर रहा हू क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आर्थिक नीति के मामले में देश को बाहर के देशों, विशेष तौर पर बहुराष्ट्रीय निगमों को बेच देने का मार्ग अपना लिया है। चूंकि मेरे विचार में इस सरकार ने देश में पूंजीपतियों, एकाधिकार घरानों, सामन्तवाद और जमींदारी पृथा को सुदृढ़ करने का मार्ग अपना लिया है। मैं यह कहूंगा कि सरकार ने संघवाद को समाप्त करने का रास्ता अपना लिया है, जिसका हमारे देश के संविधान में उल्लेख किया गया है।

श्री विक्रम महाजन : आप संविधान में विश्वास रखते हैं।

श्री चित्त बसु : बहुत अधिक। सरकार ने न्यायपालिका के साथ संघर्ष करने के मार्ग को चुना है। सरकार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को समाप्त करने की नीति पर चल रही है। और सरकार ने राज्यों में गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों के विरुद्ध संघर्ष करने का मार्ग चुना है। सरकार ने जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाने के मार्ग को चुना है। यदि आप मुझे इन मुद्दों के आधार पर एक मामला तैयार करने की अनुमति दें तो इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा।

मैं एक प्वाइंट पर बोलना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है क्योंकि वे वास्तव में अपने को बहु-राष्ट्रीय निगमों को बेचे जा रहे हैं। मेरे पास आप को बताने के लिए कुछ आंकड़े हैं जिन के अनुसार। साल में अर्थात जनवरी 1980 से, जब आप सत्ता में आए, आप की सरकार द्वारा लगभग 500 विदेशी (सहयोग) समझौतों को अनुमति प्रदान की गई जब कि 1979 में मत संख्या केवल 262 थी। दो वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1979 में जनता पार्टी ने भी यही रवैया अपनाया था। लेकिन उन्होंने 262 विदेशी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जबकि 1980 में यह संख्या बढ़ कर 500 हो गई। क्या इस से बहु राष्ट्रीय निगमों को हमारे देश में घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा ? विदेशी निजी पूंजी हमारी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घर कर रही है। यह पता चल गया कि निर्माण, खनन और पैट्रोलियम उद्योग में इन का प्रमुख हाथ है तथा इस में 71 प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी है भारत में, समुद्र में तेल की खोज का काम विदेशी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया है ये बड़ी-बड़ी बहु-राष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं ? जनरल मोटर को बिड़ला को हिन्दुस्तान मोटर्स के साथ सहयोग करने दिया गया है। रेनाल्ड को मारुति लिमिटेड से जोड़ दिया गया है। अन्य अमरीकी बहु-राष्ट्रीय निगम, जिलेट, को हमारे देश में ब्लेड बनाने की अनुमति

[श्री चित्त बसु]

दी गई है। मैं श्री स्टीफन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक बदनाम विदेशी कार्टेल (उत्पादन संघ), आई० टी० टी० आई० भाई को आपने भारत में कंप्यूटरीकृत टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के लिए कहा है।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप इसे नहीं चाहते ?

श्री चित्त बसु : मैं इसे नहीं चाहता। मेरे ख्याल में हम में से बहुत से लोग इसे नहीं चाहते क्योंकि यह एक बदनाम निगम है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इसे चाहता हूं।

श्री चित्त बसु : मुझे मालूम है। लेकिन जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक और घातक है। यह बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के हाथ अपने आप के बेचना है। इस प्रकार देश की प्रभुसत्ता खतरे में डाल रहे हैं। आप को पता है चाइल में क्या हुआ। आप को मालूम ही है उन देशों में क्या हुआ जहां वहां की अर्थव्यवस्था में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को दखल देने दिया गया; और आप बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बिकने को तैयार हैं।

हमारे देश में ही इन एकाधिकार रखने वालों को सरकार, एक के बाद एक रियायत देती जा रही है। मेरे पास तथ्य मोजूद हैं। लेकिन मैं खुद उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा।

गांवों को लें, किसान रैली में प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम अपने खून से किसानों की भूमि सींचेंगे है। कौन किस की भूमि सींचता है। गोली चलाने के लिए तैयार बैठी तुम्हारी पुलिस सैकड़ों किसानों को मार रही है, जो केवल अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य मांग रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप अब कलकत्ता की बात कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : मैं कलकत्ता की बात नहीं कर रहा।

श्री सी० एम० स्टीफन : लेकिन यह आपने ही कहा था, गोली चलाने के लिए तैयार बैठी पुलिस··· (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : बिहार में यही हो रहा है। अब कृपया खड़े होकर यह कह दीजिए कि "मैं यह चाहता"··· (व्यवधान)

भूमि सुधारों को लो, वह इस बारे में विधान नहीं लाए हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो गया, श्री त्रिदिब चौधरी।

श्री चित्त बसु : आप यह भी तो देखिए, बीच में कितना व्यवधान डाला गया।

अब मैं श्रमजीवी वर्ग पर आता हूं। सरकार वेतन जाम की नीति अपना रही है तथा सामूहिक समझौते के उन के अधिकार को इस आधार पर छीन रही है कि इससे ज्यादा वेतन

दिया जा जाएगा, साथ ही साथ टाटा और बिड़ला ने जो उच्च आय समूह बनाया हुआ है उ बारे में आप ने चुप्पी साध रखी है । अतः जानबूझ कर श्रमिक वर्ग किरोधी रुख अपनाया ज रहा है ।

अन्त में, मैं यह अवश्य ही कहूंगा कि आप विभिन्न राज्यों की गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहां गैर-कांग्रेस (आई) सरकारों का होना उन्हें खटकता है··· (व्यवधान)

अगर कांग्रेस (आई) से भिन्न सरकारों के लिए इस प्रकार की कठिन स्थिति उत्पन्न की जाएगी तो वह दिन दूर नहीं जब आपकी भी बारी आ जाएगी, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा आप क्या···(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री चित्त बसु : महोदय, यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास नहीं रखता क्योंकि इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है···(व्यवधान)

श्री त्रिदिब चौधरी : (बरहामपुर) महोदय, इस चर्चा के अन्तिम दौर में, जो कि काफी गरम रही, मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि दोनों ही तरफ से अधिकांश मुद्दों को बहुत ही स्पष्ट रूप से उठाया गया है; उन को दोहराने का कोई फायदा नहीं है । मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि हमारे मित्र श्री अशोक सेन 1952 से लेकर पिछले 30 वर्षों की, कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे थे । उन्हें इस बात पर गर्व है, और हम सब भी इस पर गर्व करते हैं कि उन्होंने परंपराओं पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के प्रशासन और उपलब्धि की महान परंपराओं का पालन किया है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मुझे पिछले 28 वर्षों से यहां बैठने का सुअवसर मिला है । इस सदन में मैं सातवीं बार आया हूं तथा मैंने एक के बाद एक प्रधानमंत्री तथा सरकारें देखी हैं । और कभी कभी जब मैं पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार की उपलब्धियों पर नजर डालता हूं तो मुझे बहुत ही निराशा और भ्रान्ति होती है। यह बात नहीं है कि कुछ भी नहीं प्राप्त किया गया । कुछ औद्योगिक प्रगति हुई है, विभिन्न दिशाओं में थोड़ी-बहुत प्रगति हुई है लेकिन कुल मिलाकर परिणाम यह रहा है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है । एक तरफ तो स्थिति यह है और दूरी ओर एकाधिकार प्राप्त टाट और बिड़ला की संपत्ति कई गुणा बढ़ी है ।

इस सदन द्वारा, इस अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। यह सब को मालूम है लेकिन इसका भी एक उद्देश्य है । (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परुलेकर : महोदय, एक वरिष्ठतम सदस्य और सदन के सबसे ज्यादा आदर प्राप्त सदस्य बोल रहे हैं । कम से कम इन्हें उन को सुनना तो चाहिए । (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : हम उन्हें सुन रहे हैं ।

श्री दिबे चौधरी : मैं यह सोचता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव से सरकार सचेत हो जाएगी, तथा वह अपने आप में यह टटोलने की कोशिश करेगी कि अब तक जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं उनसे क्या वह वायदे पूरे होते हैं, जो उन द्वारा किए गए थे, अभी किए गए नहीं, न केवल कांग्रेस (आई) पार्टी द्वारा 1980 के चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे अपितु वायदे भी जो हमने स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान अथवा वे वायदे जो हमने 30 साल पहले, इस सदन में एक ऐसी समाजवादी पद्धति की सरकार बनाने के लिए किए थे, जिसमें जनता के सबसे गरीब वर्ग की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी अथवा हम इस लक्ष्य के काफी करीब पहुंच सकेंगे । अतः क्यों न अपने आपको टटोला जाए ? क्यों हमने जनता के सामने किए गए अपने वायदों —आप द्वारा और हमारे द्वारा किए गए वायदों को पूरा करने के लिए नए प्रयास करें । जो सरकार सत्ता में आई है वह एक संगठित सरकार है जिसका नेतृत्व मजबूत हाथों में है । इस बारे में कोई शक नहीं है । इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने से विपक्ष इस सरकार को गिराने नहीं जा रहा । लेकिन सरकार को इसे संकेत मानना चाहिए । अभी हाल ही में राज्य की विधान सभाओं में उप चुनाव हुए हैं। कांग्रेस (आई) राज्यों में से एक में जो कि बहुत अच्छी तरह कांग्रेस (आई) के हाथों में है अर्थात्, आन्ध्र में, तीन उप चुनाव हुए। इस तरह से यह कहा गया है कि उनमें विश्वास की कमी है । आन्ध्र में हुए उप चुनाव के मतदान के आंकड़े देखिये । इस पर विचार करने की कोशिश करें कि क्या उन लोगों में विश्वास की कमी आई है जिन्होंने इस सरकार को मतदान देकर सत्ता हासिल कराई थी । अभी 3½ साल बाकी हैं । आपको वायदे निभाने हैं लेकिन, उन को पूरा करने की दिशा में अभी आपने शुरूआत भी नहीं की है मेरे ख्याल में आप इस अविश्वास प्रस्ताव को, सत्ता से अलग करने का प्रयास नहीं समझेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता—लेकिन, इससे आप सजग होंगे । लोगों में विश्वास की कमी आई है । आन्ध्र के मतदान के आंकड़े, जिनका मैंने जिक्र किया है, इसका स्पष्ट संकेत देते हैं । यही कारण है कि, इस तथ्य के बावजूद कि हम इस तरफ बैठे विपक्ष के लोग चाहे एक पार्टी के रूप में संगठित नहीं हैं, फिर भी हम सबने आप को चेतावनी दी है । आपको सचेत किया जा रहा है कि अगर आपको अपने द्वारा किए गए वायदों को पूरा करना है, तो आप को काफी बहतर काम करना होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० वेंकटरामन, वित्त मन्त्री अब इस पर बोलेंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) । इस स्वागत के लिए धन्यवाद । अब इसे बन्द कीजिए ।

अब हमारी यात्रा समाप्त होने वाली है । लगभग 11 सप्ताह पहले संसद का यह बजट सत्र आरम्भ हुआ था और ग्यारह सप्ताह तक ये थका देने वाला सत्र चलता रहा । इस अवधि के दौरान हमने राष्ट्रीय महत्व की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार किया है । हमने बजट और वित्त विधेयक को स्वीकार किया है । हमने विभिन्न लेखा अनुदान स्वीकार किये है और

हमने चालू वर्ष 1981-82 के लिए वित्तीय ढांचा तैयार किया है। इस पूरी कार्यवाही के उपसंहार के रूप में यह अविश्वास प्रस्ताव आया है। हमने जो कुछ ग्यारह सप्ताह की अवधि के दौरान कहा उसका सारांश इसमें प्रस्तुत कर दिया गया है। गृह और वाणिज्य मंत्रालय के अनुदान की मांगों और अन्य विभिन्न मदों सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान उठाए गए मामलों के लिए दिए गए उत्तर हम दोहरा चुके हैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए उन बहुत सी बातों का सहारा लिया गया जो पहले वाद-विवाद में सामने आ चुकी हैं। इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो गया। विभिन्न मामलों सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान मैंने और मेरे सहकर्मियों ने जो कहा था, मुझे उसे केवल दोहराना है। (अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे माननीय सहकर्मी, गृहमन्त्री, ज्ञानी जेलसिंह ने इसमें भाग लेकर इस वाद-विवाद का उत्तर देने का मेरा काम बहुत आसान कर दिया विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बड़े उत्साह के साथ उठाए गए लगभग सभी मुद्दों का उन्होंने इस सफाई से उत्तर दिया है कि मुझे लगा जैसे उन्होंने पूरे विपक्ष को अपने पक्ष में कर लिया (व्यवधान) वस्तुतः यदि मेरे माननीय सहकर्मी, ज्ञानी जेलसिंह के बोलने के तुरन्त बाद मत गणना की जाती तो मैं समझता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्पत्ति से अस्वीकार कर दिया जाता।

मेरे सहकर्मी, विशेषतः मेरे दल के सदस्य, श्री ए० के० सेन; दबंग श्री लकप्पा और मेरे अनेक मित्र, श्री मोहसिना किदवई, श्री स्पैस, श्री आरिफ मोहम्मद, तथा अन्य सदस्यों ने विभिन्न पहलुओं पर बोला है इसलिए मै उनकी कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। यदि उत्तर देते समय में अपने दल के माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों को दोहराऊं तो इसका मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि मैं अपने पक्ष के सदस्यों द्वारा कही गई बातों को महत्व नहीं दे रहा हूं बल्कि इसलिए कि सरकार का दायित्व होता है कि वह विपक्ष द्वारा सुझाये गए प्रश्नों का उत्तर दें।

पहला प्रश्न जो मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस ने उठाया था वह यह था कि सरकार को केवल 42 प्रतिशत वोट मिले थे इसलिए उसे पूरे देश का विश्वास प्राप्त नहीं है। किसी भी बहुदलीय व्यवस्था में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त हो। वैसे भी 1977 में जब उनका दल सत्ता में आया था तो उन्हें केवल 41.23 प्रतिशत वोट ही मिले थे और यदि तब उन्हें यह कहने का अधिकार प्राप्त था कि उन्हें देश का विश्वास प्राप्त है तो जिस दल को 42.69 प्रतिशत वोट मिले हैं उसे तो यह कहने का और भी अधिक अधिकार है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मणिपुर अथवा मेघालय तक भारत के सभी भागों पर केवल हमारी पार्टी का ही प्रभुत्व है। जबकि वह पार्टी जो पहले सत्ता में आई थी एक भी ऐसे आदमी का नाम नहीं ले सकती थी जो इस देश के

[श्री आर वेंकटरामन]

विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे देश पर पूरा व्यापक प्रभाव होगा। जो पूरे राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इस बारे में कोई संदेह होने का प्रश्न ही नहीं उठता कि उसे लोगों का विश्वास प्राप्त है।

इसके बाद मैं आर्थिक स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा जिस पर अनेक सदस्यों ने टिप्पणी की। यह कहा गया कि कांग्रेस शासन के तीस वर्षों के दौरान कुछ नहीं किया गया है, यह लोग गरीब होते चले गए और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई, इत्यादि।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का हिसाब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर लगाया जाता है। परन्तु प्रति व्यक्ति आय किसी देश की प्रगति या विकास की एक-मात्र कसौटी नहीं है। यह कसौटी हो सकती है एकमात्र नहीं। वस्तुतः प्रति व्यक्ति आय भ्रामक हो सकती है एशिया के कुछ ऐसे देश हैं विशेषतः खाड़ी के देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से अधिक है। क्या इस सभा में कोई कह सकता है कि अमेरिका की तुलना में उनका जीवन स्तर अधिक ऊंचा है या वे अधिक प्रगति कर चुके हैं? कम जनसंख्या वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय कम ही होगी, राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी जनसंख्या के अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। किसी देश की प्रगति निर्धारित करने के लिए जीवन स्तर सही कसौटी होता है। इस कसौटी के आधार पर मैं ऐसे अनेक देशों के बारे में जानता हूं, जिनके नाम लेना यहां उचित नहीं होगा, जिनकी प्रति-व्यक्ति आय बहुत अधिक है परन्तु जीवन-स्तर बहुत मामूली यानि वहां न स्कूल है, न अस्पताल है, न सड़कें हैं और न बिजली है। अर्थशास्त्री जीवन-स्तर की अवधारणा से परिचित हैं। जीवन-स्तर प्रति-व्यक्ति आय से भिन्न होता है। यदि आप भारत के लोगों के जीवन-स्तर को देखें तो आप पायेंगे कि प्रति-व्यक्ति आय कम आने के बावजूद हम ऐसे अनेक देशों को खाद्यान्न दे रहे हैं जिनकी प्रति-व्यक्ति आय हमसे अधिक है। हम इसी तरह के कुछ देशों को सरकारी स्तर पर सहायता दे रहे है। हम एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों को तकनीकी सहायता दे रहे हैं। यही कारण है कि हमारे माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि जापान यह तर्क दे रहा है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से रियायती दरों पर ऋण नहीं ले सकता क्योंकि चाहे उसकी प्रति 'व्यक्ति' आय कम है तथापि उसके विकास को देखते हुए उसे विकसित अथवा विकासशील देशों में काफी ऊपर रखा जाना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उनका तर्क मान क्यों नहीं लेते?

श्री आर० वेंकटरामन : आप अपने जोखिम पर और अपने खर्चे पर कर लीजिए। मैं नहीं जानता शायद आप अमीर आदमी हों। मगर भारतवासी नहीं हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप की तो, हैसियत है ही। आपको तो दोहरा फायदा है। एक यहां और एक विश्व बैंक में। मुझे तो आपसे बहुत उम्मीद थी।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कुछ ऐसे सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं जो अपने व्यवसाय के बारे में कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं ऐसे व्यक्ति से बहस करना नहीं चाहता जो इस देश को बदनाम करना चाहता है और जो यह कहता है कि कोई अन्य देश जिसकी प्रति-व्यक्ति आय अधिक है वह रियायती दरों पर ऋण लेने के योग्य है। मैं वे सब आंकड़े पढ़कर सुनाऊंगा।

यहां यह कहना काफी होगा कि स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद एक भारतीय का औसत जीवन-काल 31 वर्ष था आज 30 वर्ष बाद यह 52 वर्ष हो गया है। अनेक उच्च प्रति-व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में यह जीवन-काल अधिक है। जब आप कहते हैं कि आयु दीर्घता 52 वर्ष है तो उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा-कल्याण, रोग-निवारण, भोजन, पोषण और अनेक क्षेत्र में प्रगति होने का परिचय मिलता है। अन्यथा आयु-दीर्घता या जीवन-काल 31 वर्ष से 52 वर्ष तक बढ़ा देना संभव नहीं।

कुछ लोगों ने यह तर्क दिया है कि चीन का खाद्य उत्पादन कहीं अच्छा है। श्री समर मुखर्जी ने तो यहां तक कहा कि भारत की अपेक्षा चीन में अधिक खाद्य उत्पादन होता है और प्रश्न किया कि "आप चीनी पद्धति क्यों नहीं अपनाते?" चीन में खाद्यान्न का हिसाब लगाने का ढंग हमसे भिन्न है। चीन में खाद्यान्न में आलू और सोयाबीन आदि जैसे खाद्य पदार्थ भी आ जाते हैं मगर अपने देश में जब हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा मतलब केवल अनाज से होता है। फिर मैं माननीय सदस्य से यह पूछूंगा कि यदि चीन में कृषि उत्पादन का स्तर ऊंचा है वहां अधिक उत्पादन होता है तो उन्हें दूसरे देशों से आयात क्यों करना पड़ता है। जबकि हम भारत में 1320 लाख टन में से विश्व के पांच देशों को खाद्यान्न की सहायता दे रहे हैं...

श्री समर मुखर्जी : 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं : उनके पास खरीदने की क्षमता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं चाहता हूं कि आप इस तर्क को समझ लें क्योंकि इसके विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जाता। बात यह है कि वे खाद्यान्न सम्बन्धी जो आंकड़े देते हैं उसमें वे सोयाबीन और आलू जैसे अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल करते हैं इसलिए उनके आंकड़ों से भारत की अपेक्षा बेहतर स्थिति दिखाई देती है अब मैं अपने माननीय मित्र श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात पर आता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई तर्क नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : किसी देश का अन्य देशों से खाद्यान्न आयात करना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि वह आत्म-निर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको क्या तर्क चाहिए?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सही नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : सोवियत रूस भी तो अमेरिका से गेंहू ले रहा है। बिल्कुल हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबन्ध हटा लिया है । सोवियत रूस में 2050 लाख टन उत्पादन होता है। इससे जाहिर होता है कि उनके पास खाद्यान्न की कमी नहीं है । भारत की तुलना में उनकी प्रति-व्यक्ति खपत कहीं अधिक है। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं अपने पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इन्हें बोलने दें क्योंकि ये एक उत्तर पाने के लिये जूझ रहे है और अलग अलग बातें कह रहे हैं। इन्हें समझने दीजिए कि ऐसे तथ्य हैं जिनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इनकी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : क्या आप डरते हैं क्या आप तथ्यों को झुटला रहे हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी शारीरिक शक्ति से डरता हूं । ... जी हां जैसा कि मैंने कहा है, मैं आपकी शारीरिक शक्ति से डरता हूं । कृपया मेरे बीच में दखल न दें ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट ।

श्री आर वेंकटरामन : आप हृष्ट-पुष्ट है । मैं यह बात स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वे आपसे बहुत अधिक स्वस्थ है ।

एक माननीय सदस्य : कम से कम आपसे अधिक लम्बे अवश्य है ।

श्री आर० वेंकटरामन : हमें इस सरकार द्वारा पिछले वर्ष के दौरान किये गये कार्यों पर चर्चा करनी चाहिए ।

हमने जब कार्य भार सम्भाला तो सूखे के कारण और मेरे से पहले के वित्त मन्त्री की कुछ नीतियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें कार्य करना पड़ा । वर्ष 1979 में मूल्य स्तर 24.4 प्रतिशत तक बढ़ गया था । घाटे की राशी 2700 करोड़ तक पहुंच गई थी तथा आधारभूत ढ़ाचा लड़ खड़ा रहा था । ऐसी परिस्थितियों में हमने स्थिति में बहुत अधिक सुधार किया है ।

पिछले वर्ष जो 13 करोड़ 20 लाख टन कृषि उत्पादन हुआ था, वह उस वर्ष के लिए सर्वाधिक था तथा हमें आशा है कि इस वर्ष भी वह सर्वाधिक रहेगा । वर्ष 1979-80 में

औद्योगिक उत्पादन की जो दर घटकर 1.4 प्रतिशत रह गई थी, वह बढ़कर 4 प्रतिशत हो गई है तथा विशेषकर 1980-81 के दूसरे भाग में यह दर 8 प्रतिशत रही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वर्ष 1978-79 में क्या औद्योगिक दर थी ?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं तथा आपको उपयोग के लिए मैं इसका पुनः उत्तर दूंगा।

मुझे वर्ष 1979-80 की अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी। न कि वर्ष 1978-79 की अर्थ व्यवस्था मुझे जो अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी, वह बहुत खराब हालत में थी तथा 24 प्रतिशत मूल्य को घटाकर 16 प्रतिशत किया गया था। यदि आप इससे पहले वर्ष की अर्थव्यवस्था को देखें, तो उस वर्ष अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। मुझे खराब अर्थ-व्यवस्था में सुधार करने को कहा गया था जबकि वर्ष 1978-79 में मुझे अर्थव्यवस्था में सुधार का कार्य नहीं सौंपा गया था। अतः जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, इसे जो अर्थ-व्यवस्था प्राप्त हुई थी वह सब लोगों की जानकारी के अनुसार अत्यन्त खराब थी। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी भी इससे इन्कार नहीं कर सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु आपने वर्ष 1979-80 को अर्थव्यवस्था को खराब बना दिया।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, ऐसी बातों से यह एक वार्तालाप बन जाता है, वाद-विवाद नहीं रहता।

आप कोयले के उत्पादन को देखें। 104 मिलियन टन से...

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या आप श्री गनी खान चौधरी द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों पर भरोसा कर रहे हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : ये आंकड़े सांख्यिकीय विभाग द्वारा तैयार किए गए है, जिनको आप अपने भाषण के दौरान उद्धरण देते रहते हैं।

कोयले तथा लिग्नाइट का उत्पादन 104 मिलियन टन से बढ़कर 118 मिलियन टन हो गया। यह 114 मिलियन टन के हमारे लक्ष्य से 4 मिलियन टन अधिक हो गया है। वर्ष 1980-81 के हमारे शासन काल के दौरान विद्युत उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ा है। विशेष रूप से वर्ष 1980-81 के उत्तरार्ध में विद्युत उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़ गया है कुछ सदस्यों ने कहा है कि उत्पादन में यह वृद्धि अच्छी वर्षा के कारण हुई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जल-विद्युत उत्पादन केवल 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा ताप-विद्युत में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा जिनके परिणामस्वरूप कुल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[श्री आर० वेंकटरामन]

यदि आप संयंत्र विद्युत भार को ही लें, जिससे कि ताप बिजली घरों की कार्य कुशलता का पता चलता है। नवम्बर 1980 में यह विद्युत भार 45.3 था, मार्च 1981 में 51.7 की तथा अन्तिम तिमाही में पुनः 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। अतः स्थिति यह है कि जो अर्थ-व्यवस्था बहुत खराब हालत में थी, उसे सुधार कर अब अच्छी हालत में ला दिया गया है। (व्यवधान) मैं प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं अपनी विचारधारा से नहीं हटना चाहता हूं। आप भी मुझे विचलित करने में सफल नहीं हो सकते हैं।

अब मैं मूल्यों के बारे में बोलूंगा। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, यद्यपि मैं इसका दावा कर सकता हूं कि वर्ष 1980-81 में मुद्रा स्फीति की दर 1979-80 के मुकाबले में कम रही है, फिर भी मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि मुद्रा स्फीति की 16 प्रतिशत की दर हमारे देश के लिए अधिक है। परन्तु आप रातों-रात मुद्रा स्फीति की दर को 21.4 प्रतिशत से घटाकर 10 या 12 प्रतिशत नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था में चमत्कार सम्भव नहीं हैं। मुद्रा स्फीति की समस्या को सप्लाई तथा मांग व्यवस्था का सहारा लेकर वैज्ञानिक ढंग से हल किया जा सकता है। हमने जिस सप्लाई व्यवस्था को लागू किया है, वह कोई नई चीज नहीं है तथा विकसित देशों में यह विद्यमान नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड ने सप्लाई व्यवस्था को लागू नहीं किया है बल्कि मांग व्यवस्था अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप उनके उद्योग तथा अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मन्दी का सामना कर रहे हैं। यदि आप मुद्रा स्फीति के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि तेल से लगभग 26 से 27 प्रतिशत और चीनी तथा गुड़, खांडसारी जैसे अन्य उत्पादों से लगभग 24 प्रतिशत मुद्रा स्फीति हुई है। जहां तक चीनी का मामला है पिछली सरकार की नीतियों के कारण ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि 1976-77 में, इस सरकार के पास खाद्यान्नों का अतिरिक्त भंडार था। उसने परवर्ती सरकार के लाभ के लिए एक 'बफर स्टाक तैयार किया था। इसी प्रकार की स्थिति 1978-79 में भी थी। जब देश में चीनी का बहुत भंडार था। उस समय बफर स्टाक बनाने की बजाय उन्होंने चीनी पर से नियन्त्रण हटा दिया तथा सारी चीनी बेच दी, जिसके परिणामस्वरुप सरकार के पास उपलब्ध चीनी भण्डार पूरी तरह से समाप्त हो गया।

इसका असर यह हुआ कि जब अगले वर्ष सूखा पड़ा चीनी का उत्पादन घटकर 45 लाख मी. टन रह गया तो देश को सबसे विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। अगर चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है तो वह जनता सरकार के कारण हुई है जबकि हमने खाद्यान्नों का बफर स्टाक बनाया था; हमने पर्याप्त विदेशी मुद्रा छोड़ी थी परन्तु जब जनता सरकार गई, तो चीनी का बफर स्टाक बनाने की सुविधा होने के बावजूद उन्होंने इसका बफर स्टाक नहीं बनाया। मैंने अन्यत्र भी इस बात का उल्लेख किया था कि भारतवर्ष ही मुद्रा स्फीति की समस्या से अछूता नहीं है। वास्तव

में, हमें मुद्रा स्फीति की दर की अन्य देशों के साथ तुलना करनी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमारे देश में स्थिति अन्य देशों के मुकाबले खराब तो नहीं है। प्रत्येक देश तेल का आयात कर रहा है और उसी सीमा तक मुद्रास्फीति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वह विकसित अथवा विकासशील देश हो। इसी तरह के और कई देश हैं और अन्य देशों में मुद्रास्फीति के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं। जबकि हमारे देश में दिसम्बर 1979 से दिसम्बर 1980 के बीच उपभोक्ता मूल्य 9.1 तक बढ़ गया था, अमरीका में यह 12.4, इंग्लैण्ड में 15.1, इन्डोनेशिया में 17.1, दक्षिण कोरिया में 34.6, मैक्सिको में 28.8, पाकिस्तान में 15.8, फिलीपीन्स में 14.4 तथा और कई देशों में भारत की अपेक्षा मूल्यों में वृद्धि अधिक हुई है। महोदय, केवल दो ही ऐसे बाजार अर्थ व्यवस्था वाले देश हैं, जहां मुद्रा स्फीति की दर भारत की अपेक्षा कम है। वे जापान और जर्मन संघीय गणराज्य हैं। जहां तक समाजवादी देशों का संबंध है, उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें शत प्रतिशत नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था है, न कि बाजार अर्थ-व्यवस्था।

मेरे विद्वान मित्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने घोषणापत्र को क्रियान्वित करना चाहिये और कहा था कि हम चुनाव घोषणापत्र को क्रियान्वित नहीं कर पाये। परन्तु उनकी यह बात कहने से बहुत पिछले ही मैं पिछले वर्ष लोक सभा में चर्चा के दौरान इस संबंध में जवाब दे चुका हूं। मै अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखित बातों को संक्षेप में कहूंगा जिससे यह पता चल सके कि हमने उसमें कही गई प्रत्येक बात को क्रियान्वित किया गया है। पिछले वर्ष अपने भाषण में मैंने एक के बाद एक क्रियान्वित की गई अनेक योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया था, ताकि यह पता चल सके कि चुनाव घोषणा पत्र में कही गई बातों को पूरा किया गया है। उदाहरण के लिए हमने कहा था कि हम मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे। हमने उनका कर भार कम कर दिया है उन्होंने कहा था कि हम विकलांगो के हितों की रक्षा करेंगे। हमने उनके लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराया है। हमने कहा था कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करेंगे। घोषणापत्र में अनेक बातें कहीं गई थीं। उनके बारे में बताने में बहुत समय लगेगा। मेरे द्वारा पिछले वर्ष दिये गए बाद विवाद के उत्तर में इन सब बातों पर विस्तार से कहा गया था तथा मैं अपने मित्र से अनुरोध करूंगा कि यदि उनके पास धैर्य तथा समय उपलब्ध हो तो वे इसे पढ़ कर पता लगा सकते हैं कि हमने किस सीमा तक इसे वास्तव में पूरा किया है।

एक अन्य बात, जो उन्होंने कही थी वह यह थी कि जहां तक किसानों का संबंध है, हमने अपना वायदा पूरा नहीं किया है कि हम उन्हें पर्याप्त मूल्य दिलायेंगे। इसके विपरित हमने चुनाव घोषणा पत्र को क्रियान्वित किया है। हमने कृषि मूल्य आयोग को आदानों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर कृषि मूल्यों की सिफारिश करने के निदेश दिये थे। कृषि मूल्य आयोग द्वारा इसकी सिफारिश किए जाने के बावजूद लागत संबंधी लागत में विभिन्न वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने मूल्य में वृद्धि कर दी। उदाहरण के लिए गेहूं के लिए जब उन्होंने 122

[श्री आर वेंकटरामन]

रु० की सिफारिश की तो हमने 130 रु० दिए। उर्वरक की ऊँची लागत पर विचार करने के बाद ऐसा किया गया था। माननीय सदस्य ने कहा कि आपने उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि कर दी है। हां, उर्वरक के मूल्य में वृद्धि की गई है। और हमने फसल का वसूली मूल्य निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा था। कृषि मूल्य आयोग को हमने यह एक निर्देश दिया था इस प्रकार हमने जो विभिन्न चुनाव वायदे किए थे उन सभी को क्रियान्वित कर दिया है। यह काम जार्ज फर्नान्डीज का है कि वे यह बतायें कि चुनाव घोषणा पत्र के कौन से ऐसे वायदे हैं जिन्हें हमने क्रियान्वित नहीं किया है।

महोदय अगला मुद्दा उठाया गया है यह है कि विदेशी मुद्रा भण्डारों में कमी कर दी गई है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह मुद्दा उठाया है। वे चाहते हैं कि मैं इस पर बोलूं। जहां तक विदेशी मुद्रा का प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि हमारे तेल आयात बिल में असाधारण वृद्धि हुई है। वर्ष 1978-79 में हमने 1677 करोड़ रु० मूल्य के तेल का आयात किया था। वर्ष 1979-80 में यह राशि 3.024 करोड़ रु० थी। वर्ष 1980-81 में यह 5400 करोड़ रु० थी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 2400 करोड़ रु० अधिक है। हमारे विदेशी मुद्रा शेष में केवल 1,000 करोड़ रु० की कमी हुई है। अतः आप यह बात नहीं कह सकते कि विदेशी मुद्रा में जो कमी हुई है वह अनुचित हैं अथवा अपूरणीय है। इसके विपरीत यद्यपि हमें वर्ष 1979 में जो कुछ व्यय किया है उससे 2,000 करोड़ रु० और अधिक राशि खर्च करनी थी। किन्तु हम 1,000 करोड़ रु० का शेष बचाने में सफल हुए हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या आप मन्त्री महोदय को जगाने की कृपा करेंगे ? (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं गहरे चिन्तन में था।

श्री आर० वेंकटरामन : बार के समय मेरे प्रारम्भिक जीवन में मुझे किसी बात के बारे में बताया गया था यदि आपके पास कोई बुरा मुकदमा है तो दूसरे पक्ष के वकील को कोसों। हम अब ऐसा कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कौन सा बार ?

श्री आर० वेंकटरामन : वह बार नहीं, जिसमें आप पीते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह बात मोरारजी भाई को बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करना।

श्री आर० वेंकटरामन : एक और मुद्दा यहां पर उठाया गया था। मैं जानता हूं कि इस निर्णय का परिणाम क्या होने जा रहा है किंतु क्योंकि अनेक मुद्दों को उठाया गया है मैंने समझा

कि मुझे रिकार्ड के लिए इनका भी उत्तर देना चाहिए। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह बात कही हैं मैं समझता हूं कि वे किसी गलत फेहमी में है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को समाप्त कर दिया है। इसके विपरीत काम के बदले अनाज कार्यक्रम को वर्ष 1976 में पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जनता सरकार ने इसे आगे जारी रखा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पिछली सरकार द्वारा किए कार्यों को नकारते हो। वास्तव में पिछले वर्ष जब बजट पेश किया गया था तो मैंने इस बात को स्वीकार किया था कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम एक अच्छा कर्यक्रम था। हमने तो इसमें सुधार किया है। जबकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम केवल अनाज ही था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था जिससे कि लोगों को मजदूरी के रूप में इसके लिए नकदी के बिना केवल अनाज मिलता था अब हमने इसमें नकदी को भी जोड़ दिया है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया है··· ····, जिसके फलस्वरूप अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गांवों में पुलिया तथा पक्की सड़कों का निर्माण कराने में सफल हो गये हैं। अत : हमने इसमें यह सुधार किया है। यह कहना गलत है कि हमने इस कार्यक्रम को छोड़ दिया है। इसके विपरीत हमने इसके लिए 360 करोड़ रु० का प्रावधान किया है—180 करोड़ रु० राज्यों द्वारा तथा 180 करोड़ रु० केन्द्र द्वारा—और यह एक ऐसा कर्यक्रम है जिसे पूरी सफलता के साथ क्रियान्वित किया गया है।

अगला मुद्दा जिसे श्री जार्ज फर्नान्डीस ने उठाया था कि एशियाई खेल एक गलत निर्णय है जिसमें हम काफी धन बर्बाद करने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। यदि मैं इस निर्णय के सम्बंध में क्रमबद्ध कुछ तिथियां दूं तो आप पायेंगे कि यह निर्णय किन लोगों का था। एशियाई अथवा एशियाई खेल कराने का प्रस्ताव इण्डियन आलम्पिक एसोसिएशन द्वारा 1976 के पूर्वार्द्ध में रखा गया था। उसके बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा जुलाई 1976 में इसके लिए मंत्रिमण्डल को स्वीकृति दी गई कि एशियाई खेल 1982 में दिल्ली में होंगे तब इस फेडरेशन द्वारा इस खेल की स्वीकृति दिसम्बर के आस पास और इस वर्ष के अन्त तक दी गई तथा यह निर्णय किया गया कि एशियाई खेल यहां किए जाएंगे। जब जनता सरकार शासन में आई उन्होंने इस निर्णय की पुनरीक्षा की और अप्रैल 1978 में उन्होंने फैसला किया कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। उसके बाद श्री विजय कुमार मल्होत्रा तथा अन्य लोग में से जनता पार्टी के सदस्यों ने जनता सरकार को अभ्यावेदन दिए और दिसम्बर 1978 में जनता सरकार तथा उनके मंत्रिमण्डल ने एशियाई खेलों के कराये जाने के निर्णय में पुष्टि की।

श्री सोम नाथ चटर्जी : हम इसे कलकत्ता में चाहते थे।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री फर्नान्डीज ने यही मुद्दा नहीं उठाया कि हमने फिजूलखर्जी के लिए यह निर्णय किया है आदि अपितु, उन्होंने मुझे लिखा कि वे इस मसले पर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं। अत : हमारा जो कुछ कहना है वह यह है कि जब हमने यह विचार किया है कि यह

उचित है और क्योंकि यह उचित है तो हम इस निर्णय पर जिसे पहले किया गया है अटल रहना चाहिए अतः हमने इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया। (व्यवधान) ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिस पर आगे विचार किया जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता सरकार द्वारा एशियाई खेलों को दिल्ली में कराये जाने का निर्णय लिए जाने के बाद जब अन्तरिम सरकार आई और जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी तो सरकार किसी रूप में विद्यमान थी उसने इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहा किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे वापस लेने पर विचार किया हो किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब निर्णय के लिए कि क्या मूल निर्णय की पुष्टि की जानी चाहिए फाइल हमारे पास आई। क्योंकि वचन पहले ही दिया जा चुका था यदि हम इसे वापस लेते तो अन्तर्राष्ट्रीय विश्व में यह विचित्र ही लगता अतः हमने इसे जारी रखने का निर्णय लिया। यह वह निर्णय नहीं है जिसे इस सरकार ने लिया हो यह उस निर्णय को जारी रखना है जिसके पहले लिया गया था।

अगला मुद्दा यह है कि इसमें लागत आयेगी। हां, यदि आप बड़े काम करना चाहते हैं तो उसमें लागत आयेगी ही। यदि आप अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए धन भी खर्च करना होगा और आप अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से यह कहकर बच नहीं सकते कि नहीं यह खर्चीला है अतः हम इस निर्णय को वापस ले रहे हैं।

प्रो० मधु दन्डवते ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संबंध में जो बात कही वह थी, धारा 8 उपखन्ड (2) उपबन्ध, अर्थात "उपधारा 1 में उल्लिखित किसी बात से प्राधिकारी के ऐसे तथ्य प्रगट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है।" उन्होंने कहा कि इससे धारा 8 उपखंड(1) का पहले वाला उपबन्ध निरस्त होता है तथा यह सहज न्याय के विपरीत है। मैं प्रो दन्डवते का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 22 (6) की ओर दिलाना चाहूंगा जो इसके समान शब्दों में है। हमने किया यह है कि अनुच्छेद 22 (6) के अन्तर्गत संविधान में उपबन्ध को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में धारा 8 (2) के रूप में सम्मिलित किया है। अनुच्छेद 22 (6) निम्न प्रकार है :—

> "(6) खंड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है, देने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित को विरुद्ध समझता है।"

अतः हमने कुछ नहीं किया है। पिछली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 22 के अनेक खंडो में परिवर्तन किया था परन्तु उन्होंने इसे न तो छुआ और न ही बदला। अतः इस सरकार ने इस संबंध में व्यक्तियों के विद्यमान अधिकारों से छीनने के लिए कुछ नहीं किया है।

अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कही गई एक दो बातों के बारे में संक्षेप में कहूंगा हमारे माननीय नेता श्री जगजीवन राम ने मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों वाला

मंत्रीमंडल नहीं अपितु प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों वाले मंत्रिमंडल का उल्लेख किया। उन्होंने किसी को उद्धृत भी किया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : गिरिलाल जैन।

श्री आर० वेंकटरामन। मैं उन कुछ नेताओं की ईर्ष्या को भली भांति समझता हूं जिनके समर्थक नहीं हैं। यह सही है कि प्रधानमंत्री के केवल दल में ही नहीं अपितु बाहर भी बहुत अधिक समर्थक है। इतना कहकर मैं आगे बढना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री जगजीवनराम का भाषण 'ब्रूटस ईमानदार आदमी है' का एक अत्युत्तम दृष्टान्त है।

वे यह कहते रहे कि प्रधानमंत्री एक अत्यंत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, वे जेनेवा क्यों गई? प्रधानमंत्री एक अत्यन्त ही सम्मानित एवं अच्छी महिला हैं, उन्होंने यह क्यों किया? यह मानो यह दिखाना है कि उनमें इतनी स्पष्टता नहीं थी जिससे वे प्रधानमंत्री जी ने जो किया उसकी आलोचना करते, लेकिन महज यह कहते चले गये कि वे एक महान व्यक्ति हैं, वह अत्यन्त अच्छी एवं समर्थ हैं और इसके बाद इनमें से प्रत्येक बात की आलोचना की। मेरी दलील यह है। आखिरकार यदि आप समझते हैं कि किन्हीं बातों में प्रधानमंत्री का आचरण गलत है तो आपमें वह बात कहने का साहस होना चाहिये था। प्रधानमंत्री को यह करना चाहिये था और यह न करना चाहिये था - यही सब उन्होंने कहा।

श्री जगजीवनराम द्वारा दी गई दलील यह थी कि प्रधानमंत्री की जेनेवा जाना ठीक नहीं था जब लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं और लोगों को उस सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए वहां जाना पडता है, उसके बाद जब तक किन्हीं अपेक्षाकृत जटिल परिस्थितियों के कारण उन्हें जाने से रुकना नहीं पड़ता। इसका आदर करना उनका कर्त्तव्य है और मुझे विश्वास है कि उस सम्बन्ध में मेरे माननीय साथी श्री बाजपेयी मेरा समर्थन कर सकेंगे क्योंकि वे इस संबंध में नयाचार और वचनबद्धता से वाकिफ है। इसलिए यह कहना कि उस स्थान पर जाने और विभिन्न किये जाने वाले कार्यों की सभी व्यवस्थाएं करने के उपरान्त प्रधातमंत्री को उस वचन को पूरा करने के लिए नहीं जाना चाहिये था जो बहुत पहले किया गया था। यह बड़ी घटना की महज छोटी आलोचना करना है।

जो दूसरी बात उन्होंने कही है वह यह है कि छटी योजना के कार्यक्रम गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए नहीं है। इसके विपरीत यदि हम समूची छटी पंचवर्षीय योजना पर दृष्टिपात करें - वास्तव में सदन में इस पर चर्चा की जानी चाहिये थी — तो यह स्वतन्त्र हो जायेगा कि इस योजना प्रलेख में ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण समेंकित विकास कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया है जैसा कि पहले नहीं था। हम इस मामले पर विचार कर सकते हैं। लम्बी चर्चा कर सकते हैं और आंकडे दे सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : अगले सत्र के दौरान हम इस पर चर्चा करनी चाहिये ।

श्री आर० वेंकटरामन : हाँ हमें यह करना चाहिये । मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास पर अधिक बल दिया गया है । एक अथवा दो मदों पर बोलने का कोई लाभ नहीं है । सदस्य गण कभी कभी तर्क देते हैं कि विशेष मदों पर पिछले वर्ष की तुलना में कम आवंटन किया गया है आपको आवंटन की समग्रता को लेना चाहिये और तब कहना चाहिये कि कृषि और समबद्ध परियोजनाओं के लिए और ग्रामीण रोजगार तथा ग्रामीण विकास के लिए आवंटन क्या है और तब यदि आप पिछली योजना की चालू योजना के साथ तुलना करें तो आपको पता लगेगा कि यह आवंटन बहुत अधिक है । स्पष्ट रूप से यह होना चाहिये क्योंकि 93,000 करोड़ रूपये के पिछले योजना आवंटन की तुलना में छठी योजना का परिव्यय 97,500 करोड़ रुपये का है । अतः इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि यह आलोचना वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है ।

शायद श्री वाजपेयी ने अधिक प्रभावी और अधिक उपयोगी भाषण दिया होता अगर उसमें कोई व्यवधान न डाला जाता । लेकिन मुझे खेद है कि इस व्यवधान को उन्होंने स्वयं ही आमन्त्रित किया । किसी मन्त्री का हवाला देना उनके लिए अनावश्यक था और वह उस मन्त्री का नाम बताने के लिए तैयार नहीं थे । यदि उन्होंने हवाला दिया था तो उसमें सीधा नाम लेने का साहस होना चाहिए था । यह एक हास्यास्पद स्थिति है । यदि मैं कहता हूं कि कुछ बातें हुई हैं तो मुझे तथ्य का उल्लेख करना चाहिए और उसे प्रस्तुत करना चाहिए और उसे विशेषाधिकार के लिए पेश करना चाहिए यह विशेषाधिकार के बारे में प्रारम्भिक नियम है । क्या मैं कह सकता हूं कि उनका आशय मुझसे था और क्या मैं यह समझकर उनके खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्तुत करूं । मुझे यह कहने का अधिकार है और मैं यहां पर कहता हूं । यदि उनमें साहस हो तो उन्हें नाम बताना चाहिए । यदि उनमें साहस नहीं था तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए ।

मैं दो अथवा तीन बातें और कहना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा था कि असहमति की आवाज को दबा दिया गया था । मैं उनसे पूछता हूं : कहां पर यदि आप भारत में समाचार-पत्रों को देखें तो आप देखेंगे कि यह केवल असहमति से भरा पड़ा है और सरकार के लिए कोई समर्थन नहीं है ।

जहां तक पार्टी के अन्दर असहमति का सम्बन्ध है, यह आपका मामला नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : अच्छे कार्यकरण के लिए यह है ।

श्री आर० वेंकटरामन : आप अपने घर की व्यवस्था नहीं कर सके हैं ।

श्री वसंत साठे : उनके लिए कोई घर नहीं है। उन्होंने इसे स्वयं उसी दिन गिरा दिया है जिस दिन वे विघटित हुए थे।

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने पुनः कहा था कि मनीपुर में कुछ बातें हो रही थीं और लोकटक परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है। मेरे विचार से उन्हें लोकटक परियोजना का इतिहास पता है। यह दस वर्ष पूर्व मंजूर की गई थी। वास्तविक संरचना के कुछ घंसाव के कारण इसे पूरा करना संभव नहीं था। और तब मैं योजना आयोग का सदस्य था और मैंने ही इसे स्वीकृति दी थी। कारण यह था कि भू-सरचना में कोई खायीं थी और इसको कोई नहीं जान सका। अतः इन सभी तथ्यों को बताए बिना आप यह नहीं कह सकते कि यह नहीं किया गया है।

इसके बाद उन्होंने किसान रैली के बारे में भी उल्लेख किया है। मैं कह सकता हूं कि यदि शायद पिछली किसान रैली के उदाहरण का अनुसरण किया जाता तो पिछली किसान रैली द्वारा स्थापित किया गया अत्यन्त महान और अच्छा उदाहरण अलग ही होता। लेकिन उसका अनुसरण अन्य व्यक्तियों द्वारा नहीं किया गया था। एक अन्य मुद्दा यह था कि यह सभी दोबारा आपात काल की घोषणा करने का प्रयास था। मुझे नहीं मालूम है कि उन्हें यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है जब तक कि उनका सम्पर्क ऐसे कुछ लोगों के साथ न हो जो इस प्रकार की स्थितियां पैदा करने का प्रयास न कर रहे हों।

अब श्री इन्द्रजीत गुप्त के बारे में कुछ विनोद की बातें करें। मेरा कोई अन्य आशय नहीं है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हमारा उल्लेख शरारती बच्चों के रूप में, जिनकी मुख्याध्यपिका नहीं है, किया है। (व्यवधान) मैं उन उच्छृंखला शरारती लड़कों के बारे में क्या कह सकता हूं। जो स्कूल से भाग जाते हैं? कम से कम मुख्याध्यापिका के होने पर अन्य लड़के ठीक व्यवहार तो करते हैं। उच्छृंखल शरारती लड़के जो स्कूलों से भाग जाते हैं और स्कूलों से अनुपस्थिति रहते हैं वे कभी भी किसी का कहना नहीं मानते और यह विपक्ष की स्थिति दिखाई देती है।

उन्होंने दो अथवा तीन बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने यह कही थी कि श्रमिकों के बारे में सरकार की नीति कठोर अथवा कटु हो रही है। मैं न केवल उन्हें अपितु पूरे देश को उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां तक श्रमिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है सरकार ने प्रत्येक विवाद में उपयुक्त रवैया अपनाया है। जीवन बीमा निगम के मामले में सरकार उन्हें अधिकतम मंहगाई भत्ता देने के लिए सहमत हुई थी जैसा कि रिजर्व बैंक पर लागू है।

एक माननीय सदस्य : यह दोबारा सच नहीं है। यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह न हो तथापि यह ठीक है। जहां तक बंगलौर के श्रमिकों का सम्बन्ध है हमने कहा था कि प्रत्येक यूनिट अपने अधिकारों के लिए अलग अलग बातचीत कर

[श्री आर० वेंकटरामन]

सकता है। सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह एक प्रकार की मजूरी अथवा समान दर की मजूरी जो एक यूनिट मुनाफा अथवा अधिक उत्पादिकता करता है, वही अन्य यूनिट को जिस की कम उत्पादिकता है और घाटे पर चलता है अथवा मुनाफा नहीं कमाता है के लिए सहमत हो और इसलिए यह सरकार ने नहीं कहा है: "हम बातचीत नहीं करेंगे।" सरकार ने प्रारम्भ से बातचीत की है लेकिन बातचीत की कोई सीमा है। सरकार ने बातचीत की है। श्रम मन्त्री ने एक सम्मेलन बुलाने के लिए कहा था सम्मेलन के अन्त में, श्रम मन्त्री ने कहा था "यह अन्तिम पेशकेश है जो हम कर सकते हैं।" यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते—आपने इसे स्वीकार नहीं किया था और आप हड़ताल करते हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि सरकार द्वारा बातचीत किये जाने और निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी वह यही कर सकी थी और आप अभी तक बातचीत कर सके हैं। अतः यह कहना है कि सरकार ने बातचीत नहीं की है यह तथ्यों का उपहास है। अतः मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां तक श्रमिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है सरकार उनके साथ उपयुक्त और अच्छे सम्बन्ध बनायेगी जो कुछ वे करना चाहते हैं। सरकार उन्हें मनमानी करने की अनुमति नहीं देगी और न ही वह उन्हें उनके उचित अधिकारों और देय राशियों से वंचित करेगी।

मुझे खेद है कि बहुत देरी हो चुकी है। मैं आपका और इस सदन का इस विलम्ब काल में अत्यन्त शांति से मेरा भाषण सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। आमतौर पर संसद सत्र के अन्तिम दिन लोग आनन्द से उछलने के पक्ष में वाद-विवाद स्थगित कर देते हैं...(व्यवधान) जी नहीं। आपने मुझे सुना नहीं था कि पश्चिमी देशों में लोग आनन्द के पक्ष में वाद विवाद को स्थगित करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने अन्ययुद्ध के पक्ष में इसे स्थगित नहीं किया है। अतः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मन्त्री का भाषण बहुत ध्यान से सुना है जैसा कि मैंने सतारूढ़ दल के अन्य सदस्यों को सुना है जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले सभी सदस्यों द्वारा कुछ बातें कही गई थीं और वे आम बातें थीं। मेरे विचार से लगभग उनमें से प्रत्येक सदस्य ने हम पर इस प्रस्ताव को लाने का आरोप लगाया था ताकि परसों अर्थात् 7 मई से इस सदन के समक्ष एक प्रस्ताव पर चर्चा को रोका जा सके।

वे चाहे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, परन्तु मैंने सोचा था कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में कम से कम इतनी समझ होगी कि सभा में विपक्ष में बैठे हम लोग प्रत्येक प्रस्ताव और प्रत्येक प्रश्न पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने में समर्थ हैं हमें प्रक्रिया नियमों की जानकारी है, हम में से कुछ उस पक्ष के अधिकांश सदस्यों से थोड़ा अधिक ही जानते हैं। जो प्रस्ताव सभा के समक्ष है, जिसे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत किया गया है, जिसे आपने स्व विवेक से गृहीत किया है, महोदय, उस पर चर्चा की अनुमति देना आप पर निर्भर करता

है, मैं नहीं समझता कि हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास के प्रस्ताव से उस प्रस्ताव पर चर्चा कैसे रुक गई है जो सभा में पहले से चर्चाधीन था। ऐसा सोचने के लिए कोई आधार नहीं है।

उनमें से प्रत्येक ने जो दूसरा मुद्दा उठाया, जिसे वे उस क्षण से उठा रहे हैं जब हमने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था या हम इसे प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुये थे। वह था व्यवस्था का प्रश्न जो व्यवस्था उठाने में माहिर मन्त्री श्री स्टीफन ने उठाया था। आज प्रत्येक ने यह बात दोहराई है कि हमने उनके एकमात्र नेता और उनके प्रधान मन्त्री अथवा देश के प्रधान मन्त्री के देश से बाहर रहने की स्थिति का नाजायज फायदा उठाया है। वस्तुतः माननीय सदस्य श्रीमती मोहसिना किदवई ने जब यह बात कही तो बहुत लोगों ने "शर्म, शर्म" की आवाजें लगाई कि हम इतने निर्दयी हो गये अथवा दुर्बल हो गये है कि हमने प्रधान मन्त्री के देश से बाहर जाने तक का इन्तजार अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये किया परन्तु मुझे आश्चर्य है कि शर्म करने का इशारा हमारी ओर किया गया है न कि उनकी तरफ। मैंने सोचा कि उनको इस बात की शर्म आयेगी कि उनकी एकमात्र नेता देश की प्रधान मन्त्री उस समय देश से बाहर चली गई जब बिहार आग की लपटों में धधक रहा था और और उत्तर प्रदेश में लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, जब देश के समक्ष ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिन्हें वे स्वयं समझते हैं कि उनकी एकमात्र नेता ही उनका समाधान कर सकती हैं मैं आशा करता था कि वे यदि शर्म नहीं करेंगे तो अफसोस जरूर करेंगे; दुखी होंगे और अपने मन को टटोलेंगे क्योंकि ऐसा केवल इसलिए ही नहीं है कि हम इन बातों को किस ढंग से लेते हैं बल्कि इसलिये है कि आपकी नेता आपकी प्रधान मन्त्री इस संसद को किस प्रकार लेती हैं वस्तुतः इस अविश्वास के प्रस्ताव के औचित्य का एक और कारण यह है कि आपकी नेता ऐसे समय देश से बाहर चली जाती हैं जबकि इस देश की संसद् जो इस देश का सबसे बड़ा फोरम है, बैठक हो रही है।

वित्त मन्त्री महोदय ने कहा कि ऐसा लम्बे समय से पड़े निमन्त्रण के कारण किया गया है। यह निमन्त्रण क्या था ? (व्यवधान) निश्चय ही। कृपया इसे प्राप्त कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन.....(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : और खाड़ी के देश भी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या कोई अन्य प्रधान मन्त्री भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में उपस्थित था ? मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक वह खाड़ी के देशों में नहीं पहुंची हैं, श्री साठे, मुझे पूरा विश्वास है। वह अभी भी स्विट्जरलैंड में हैं। (व्यवधान) चूंकि आपने खाड़ी के देशों का उल्लेख किया इसलिये मैंने सोचा कि यह बताना जरूरी है।...आप सूचना और प्रचार मन्त्री हैं (व्यवधान) इससे पहले आप औरों को जानकारी दें, आपको जानकारी दिये जाने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उससे ही आपके अविश्वास के प्रस्ताव को प्रेरणा मिलनी चाहिये थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया बैठ जाइये। श्री साठे, आप एक मन्त्री हैं। आपको उत्तर दायित्व की थोड़ी-सी भावना दिखानी चाहिये। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : चूंकि आप मुझे मन्त्री के नाम से सम्बोधित कर रहे हैं इसलिये मुझे आपको बताने का हर अधिकार है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री साठे आप एक मन्त्री है।

श्री वसंत साठे : मुझे मालूम है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं चाहता था कि वित्त मन्त्री मुझे बतायें या सभा को बताते, (व्यवधान)

प्रो० मधुदंडवते : स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं चाहता था कि वित्त मन्त्री सभा को यह बताते—मैं मान रहा हूं कि उन्होंने अपने प्रधान मन्त्री और सभा के नेता की ओर से विश्वास किया है - कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रधान मन्त्री किस कारण से गई। क्या वहां कोई और भी राज्याध्यक्ष था? क्या वहां कोई मन्त्रिमण्डल स्तर का मन्त्री था? वहां समूचे विश्व से छोटी-छोटी विभिन्न सरकारों के सचिव थे तथा भारत के प्रधान मन्त्री। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : क्या आप इसका उत्तर लेना चाहते हैं या केवल इसका उल्लेख मात्र कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं उत्तर चाहता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : तब कृपया बैठ जाइये।

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह प्रथा है कि वह प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रत्येक देश के प्रधान मन्त्री को आमंत्रित करे तथा मुख्य भाषण उनके द्वारा दिया जाता है। और इस बार हमारे प्रधान मन्त्री का काफी समय पहले आमंत्रित किया गया था तब किसी ने इसकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कोई अविश्वास का प्रस्ताव या इस प्रकार की कोई चीज आएगी। यह एक ऐसा कार्य था जिसे काफी पहले स्वीकार किया जा चुका था तथा जिसे पूरा करना था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वित्त मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने की धमकी दी और उन्होंने अलग उत्तर दिया है मेरा प्रश्न यह नहीं था मेरा प्रश्न था...(व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : आपने एक प्रश्न पूछा, 'क्या कोई प्रधान मन्त्री वहां था'। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने सरकार के मन्त्री का उल्लेख किया...(व्यवधान)

किसी देश की प्रधान मन्त्री, अपनी स्वयं की संसद की उपेक्षा करके विश्व स्वस्थ्य संगठन में भाषण देने जाये ! महोदय, मैं समझता हूं कि पिछली बार जब सम्मेलन हुआ तो श्री शंकरानन्द को वहां जाना चाहिये था; और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार पहले भी भारत के एक स्वास्थ्य मन्त्री, श्री राजनारायण वहां गये और सम्मेलन में भाषण दिया (व्यवधान) मुझे प्रसन्नता है कि आप हँस रहे हैं कि आपके प्रधानमन्त्री उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

गृह मन्त्री श्री जैल सिंह कहते थे कि प्रधान मन्त्री इसलिये विदेशों में गई हैं कि चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, पाकिस्तान गड़बड़ पैदा कर रहा है और इसलिए प्रधान मन्त्री के लिए बाहर जाना जारूरी हो गया। श्री जैल सिंह, हमारे गृह मन्त्री, मुझे भी अब इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि वह बहुत बड़े मनोरंजनकर्त्ता हैं वित्त मन्त्री कहते थे कि मैंने वाद-विवाद में आनन्दपूर्ण योगदान दिया है। (व्यवधान) जी, हां। मैं जानता हूं कि वह आनन्दपूर्ण कार्य करते हैं। मकालू घटना, एयर इंडिया की तोड़फोड़ की कार्यवाही को लीजिए इस प्रकार का मजा लगा सकते हैं। हमारे पास 30 अप्रैल का हिन्दुस्तान टाइम्स है। मकालू तोड़-फोड़ की घटना के परिणामस्वरूप एयर इंडिया ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को हटा दिया और उसके आगे समाचार आगे बढ़ता जाता है और उसमें लिखा गया है कि गृह मन्त्री बम्बई गये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब तोड़-फोड़ के बारे में एक विशेषज्ञ बोल रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह पता लगाने के लिये कि वास्तव में हुआ क्या और इस समाचार में यही कहा गया है।

"यहां उतरने के बाद गृह मन्त्री, श्री जैल सिंह जिनके साथ सूर्यकान्त जोग और श्री आई० एस० बिन्द्रा भी थे, सीधे सान्ताक्रुज के पुराने हवाई अड्डे पर स्थित एयर इंडिया के वर्कशाप में गये तथा मकालू में पहुंचाई गई क्षति को देखा।" (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो सबने पढ़ लिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसे भी हैं जिन्होंने इस नहीं पढ़ा है। (व्यवधान)

"आज प्रातः यहां उतरने के बाद श्री जैल सिंह, जिनके साथ श्री जोग और श्री आई० एस० बिन्द्रा थे, सीधे सान्ताक्रूज के पुराने हवाई अडडे पर स्थिति एयर इंडिया के वर्कशाप में गये और मकालू में पहुंचाई गई क्षति को देखा।"

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

महोदय, इसके बाद, 'श्री जैल सिंह को एक और बोइंग 707 के क्षतिग्रस्त तारों की हालत दिखाई गई क्योंकि मकालू सिंगापुर की उड़ान पर गया हुआ था।' (व्यवधान)

यहां तक कि मन्त्री जो बड़ा भारी मनोरंजन कर सकते हैं, इस बार इसका श्रेय लेते हैं। वह मकालू में पहुंचाई गई क्षति को देखने जाते हैं परन्तु चूंकि मकालू पहले ही उडान पर जा चुका है इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरा विमान देखते हैं कि वास्तव में क्षति कहां तक पहुंचाई गई थी। (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि श्री जैल सिंह को अवकाश की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ और नये चुटकुलों की आवश्यकता है क्योंकि इनमें से कुछ पुराने पड़ गये हैं। फिर भी उन्होंने एक-दो बातों का उल्लेख किया जिनका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है।

सर्व प्रथम उन्होंने मुझे चुनौती दी और पूछा कि क्या बिहार शरीफ में मारे गये व्यक्तियों की संख्या 2000 थी या 200 से कम। समाचार-पत्रों में समाचार आये हैं। इनमें समचार हैं कि लगभग 200 व्यक्ति मारे गये। मैंने इन समाचारों में से किसी समाचार का गृह मन्त्री द्वारा कोई खडन नहीं देखा है और जब मैं मैंने यह बात उठाई तो अचानक ही वह आ गये और मुझे चुनौती देते हुए बोले कि या तो आप त्याग-पत्र दे दीजिए या मैं देता हूं। परन्तु आप गृह मन्त्री हैं। यदि आपके पास समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की अपेक्षा बेहतर जानकारी थी तो क्या यह आपका कर्त्तव्य नहीं था कि जो कुछ समाचार-पत्रों में छपा है उसका खंडन करें? (व्यवधान) अत: यहां प्रभावोत्पादक भाषा बोलने और लोगों को चुनौती देने का क्या फायदा है? (व्यवधान) समाचार पत्रों में जो जानकारी आती है और जब कभी भी वह गलत होती हैं तो आप उसे ठीक क्यों नहीं करते? हत्याओं के उनके कुछ स्तर हैं। यदि केवल 200 व्यक्ति मारे गये हैं। तो वह त्याग-पत्र दे देंगे परन्तु यदि यह संख्या 200 से कम है अथवा 199 है तो श्री फर्नान्डीज को त्याग पत्र देना चाहिये मैं समझता हूं कि वाद-विवाद में आपके आनन्दपूर्ण हस्तक्षेप का यह एक और अंग है। इसके बाद आप चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि अब प्रधान मन्त्री पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रही हैं। आपको प्रधान मन्त्री के कार्यक्रम की जानकारी है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य सगठन के समक्ष भाषण दिया। तत्पश्चात वह अपने बीते दिनों की याद करने लगी। समाचार-पत्रों में यही कहा गया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसी घटिया बातें क्यों करते हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप सभा को गुमराह करते हैं और जब मैं कार्यवाही वृत्तान्त को ठीक करता हूं तो आप कहते हैं कि यह घटिया बात है। उन्होंने पुराने स्कूल में जाकर बीती याद ताजा की। उसके बाद दो दिन बर्न, जूरिच तथा अरब देशों में बिताये। ये अरब देश कौन हैं? उनमें है सबसे छोटे जैसे कुवैत, आबु धाबी, कतार। आप चाहते हैं कि हम यह विश्वास करें कि प्रधान मन्त्री इस समय पाकिस्तान के बारे में विचार विमर्श कर रही है जबकि राष्ट्र कहीं अधिक महत्व पूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श कर रहा है जिन पर संसद के अन्दर तथा बाहर चर्चा किये जाने

की आवश्यकता है। (व्यवधान) अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। श्री ए० के० सेन सम्भवतः बोलने में सबसे अधिक पटु है...(व्यवधान)

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे अविश्वास प्रस्ताव पेश करते समय विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का अहसास करें। यह खेद का विषय है कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जानता हूं कि आप केवल पश्चिम बंगाल के विषय में ही चर्चा करेंगे। उन्होंने उन मुद्दों का जिनका अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वालों ने समर्थन किया था न तो खंडन ही किया है न ही उनका इस सम्बन्ध में कोई मतभेद दिखाई पड़ा है। वे पश्चिम बंगाल की समस्याओं का जिक्र करने लगे। मुझे ज्ञात है कि आप पश्चिम बंगाल में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नेता कौन हो यह आपकी मुख्य समस्या है। हमें पता है कि आप जाओ और प्रदर्शन करो और फिर आपने प्रदर्शन किया श्री अशोक सेन क्या आपको याद है कि कितने वर्षों बाद आप गलियों में जाने को मजबूर हुए ? हमें मालूम है कि आपके दल में वहां परस्पर विरोध है। मुझे पता है कि वे आपको समझौता पुरुष बनाने का प्रयास कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि वहां समस्यायें हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी वाक्पटुता का हमेशा ही दुरुपयोग किया गया है और वह भी विशेष रूप से तब जबकि नेता यहां मौजूद नहीं हैं—(व्यवधान) अच्छा आप भाग्यशाली हों।

लेकिन मुझे तो आश्चर्य यह हुआ कि इन सभी चर्चाओं में मूल मुद्दों पर बोलने का कभी प्रयास नहीं किया गया (व्यवधान) ये ऐसे मुद्दे हैं जो हमने उठाये हैं और आपको उनका उत्तर देना है।

श्री विद्या चरण शुक्ल ने उस प्रस्ताव का हवाला दिया जो वर्ष 1967-68 में, चौथी लोक सभा में, इस सदन में न्यायमूर्ति शाह के विरुद्ध पेश किया गया था अथवा किये जाने वाला था। उन्होंने कुछ दिलचस्प टीका टिप्पणियां भी की। क्योंकि श्री शुक्ल ने कहा कि श्री फर्नान्डीस और 200 सांसदों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर कतिपय अभ्यारोपण किया और प्रधान मन्त्री ने अपनी पार्टी के सदस्यों से कहा, "आपने इसका समर्थन नहीं करना है" इसके बाद श्री शुक्ल ने यह फरमाया कि उस अभ्यावेदन में जो कुछ कहा गया था, सम्भवतः वह सही हो, संभवतः न्यायमूर्ति श्री शाह उतने सत्यनिष्ठ न हों। श्री शुक्ल यह भूल गए कि 1968 में यह कहने के बाद, 1968 में यह स्थिति स्वीकार करने के बाद न्यायमूर्ति श्री शाह को उन्हीं प्रधानमंत्री द्वारा 1970 में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : यह उनकी महानता थी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह महानता नहीं है। आप इसे नहीं समझते। यह महानता कदापि नहीं है, यहां हम सत्य निष्ठा पर विचार कर रहे हैं यही मुद्दा यहां उठाया गया है, और इसी मुद्दे पर सहृदय से विचार करना है। यदि आरोप वास्तविक है और आप उन्हें आरोपित करने के लिए तैयार हैं, और फिर आप कहते है "हम उस व्यक्ति को वह पद भार सौंप देंगे," फिर आप

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

यह वक्तव्य दे रहे है जो उनसे मेल नहीं खाते हैं, जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया और फिर उस पर वाद विवाद में भाग लिया तथा इस तर्क संगत निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन वे उनसे समझौता करते हैं जिन्होंने उस समय न्यायमूर्ति श्री शाह का पक्ष लिया था और अब यह प्रयास कर रहे हैं कि उनका विरोध किया जाय क्योंकि उस व्यक्ति ने उसको सौंपे गए काम का अपना कर्तव्य समझ कर निर्वाह किया है। आप इससे सहमत हैं या नहीं, यह बात कोई महत्व नहीं रखती। यदि उन्हें ड्यूटी सौंपी गई थी और उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया, आज आप कहते हैं कि "मुझे उस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर संदेह है" (व्यवधान) तो ऐसा कहते हुए अपने प्रति भी सच्चे नहीं है। ...(व्यवधान)

उन्होंने एक बात और उठाई जिसका संबंध गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से है। इन लोगों के प्रति उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन दर्शाया। अच्छा यदि यह बात सत्य है और मैं इसको एक हद तक स्वीकार करने को तैयार हूं, मुझे आशा है कि श्री शुक्ल यह अनुभव करते होंगे, यदि इसमें वास्तविकता है, तो आपका विश्वासघात उससे कहीं अधिक बढ़कर है जो कभी हम सोच सकते हैं, क्योंकि यदि उन लोगों ने, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, आपको अपना वोट दिया है और आप यह गर्व महसूस करते हैं कि उन लोगों ने आपको वोट दिया है, तो इस सच्चाई पर विचार कीजिए कि आपके नवीनतम पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज कहते हैं कि वर्ष 1977-78 के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के अनुसार इस देश की 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। और आपके दो बजटों ने 58 प्रतिशत जनता को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिया है। यही कुछ आपके बजटों ने किया है।

एक माननीय सदस्य : यह आपसे किसने कहा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अच्छा, श्री शुक्ल मैं यह सादर निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने आपकी पार्टी में पुनः अपना विश्वास प्रकट किया, उनके साथ किए गए विश्वासघात की मिसाल इतिहास में ढूंढे नहीं मिलेगी, और मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। (व्यवधान) यह श्री के० के० बिरला का एक साक्षात्कार है। और इसमें उन्होंने यह बताया है.....(व्यवधान)।

यह 'सन्डे' में प्रकाशित है जब सम्पादक ने पूछा "श्री के० के० बिरला, क्या आप कोई पक्की राजनितिक धारणा रखते हैं?" इसका उत्तर था; "धारणा ? अच्छा, एक सरकार के दर्शन के संबंध में है और दूसरी पार्टी के संबंध में है जहां तक पार्टी का सवाल है, मैं श्रीमति गांधी का समर्थन रहा हूं और उनका समर्थन ही करता रहूंगा।"

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यही वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक विश्वास है (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अच्छा तो आपके यही विचार है (व्यवधान) श्री बरोट सीमेंट के विषय में चर्चा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे बताया गया है (व्यवधान) हम सीमेंट पर चर्चा क्यों न करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीस, आप कितना समय लेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 8-10 मिनट ।

महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी सीमा को मैं समझ सकता हूं । (व्यवधान)

कुछ मुद्दे उठाए गए हैं क्योंकि वाद-विवाद का वित्त मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था और उन्होंने अनेक मुद्दों का उल्लेख किया था । सबसे पहले उन्होंने विस्तार से प्रश्न पर विचार किया कि गरीबी की रेखा क्या है और गरीबी की रेखा के सम्बन्ध में एक स्थान से दूसरे स्थान तक के विचारों में क्या अन्तर पड़ जाता है मुझे मालूम है कि वे अपने नेता की बातों की व्याख्या कर रहे थे, जिन्होंने 1974 में यह कहा था कि गरीब आदमी तो अमरीका में भी हैं । हां, मुझे मालूम है कि गरीब आदमी अमरीका में भी हैं और इसमें बहुत बड़ा अन्तर है, जो गरीबी अमरीका में है, आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न देशों में है तथा जो गरीबी भारत में है और मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री यह जानते हैं कि भारत में गरीबी का वास्तविक मतलब क्या है, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अपनी सरकार के पक्ष में वे क्या बोलते हैं । जहां इस देश की 58 प्रतिशत जनता 1977-78 की रुपये की कीमत के आधार पर, दो रुपये प्रतिदिन अपने खर्च नहीं कर सकती, जहां इस देश की 10 प्रतिशत जनता को 35 पैसे प्रतिदिन पर निर्वाह करना पड़ता है और जहां इस देश की जनसंख्या का 20 प्रतिशत भाग प्रतिदिन की 50 पैसे से भी कम आमदनी पर जीवन-यापन कर रहा है, मुझे विश्वास है ऐसे में वित्त मन्त्री महोदय यह भली प्रकार समझते होंगे कि भारत में गरीबी का वास्तविक अर्थ क्या है और उस जिन्दगी का असली अर्थ क्या है जो इस देश में लोगों का गरीबी की रेखा से नीचे गुजारनी पड़ रही है । चीन के सम्बन्ध में जिक्र करते समय उन्होंने निस्सन्देह बड़े-बड़े अलंकारों का प्रयोग किया । मैं उस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करूंगा; मैं इसे आवश्यक नहीं समझता । लेकिन आर्थिक स्थिति के बारे में वे वहीं घिसा-पिटा तर्क दोहराते रहे कि उन्हें बिगड़ी हुई अवस्था में अर्थ-व्यवस्था प्राप्त हुई थी वित्त मन्त्री महोदय, क्या आप वास्तव में ऐसा विश्वास करते हैं ? तब फिर यह दस्तावेज फरेब है । क्योंकि यह दस्तावेज इस बात का समर्थन नहीं करता । इस दस्तावेज में प्रथम पृष्ठ के ही पैरा 2 में यह लिखा है :

> "वर्ष 1950-51 और 1978-79 के बीच राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत, कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 2.7 प्रति और औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही ।"

श्री सी० एम० स्टीफन : वर्ष 1950-51 के बीच ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री स्टीफन, वर्ष 1950-51 और वर्ष 1978-79 के बीच । (व्यवधान) जी हां । और फिर उन दो वर्षों के आंकड़ों को देखो । 1977-78 और 1978-79 के आंकड़ों की तुलना करें हम इस दस्तावेज पर चर्चा करेंगे । (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : 1979-80 के बारे में क्या कहना है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : 1979-80 । 1979-80 में आप भी सरकार में शामिल थे । आप उस तथ्य की नजर अदाज क्यों करते हैं । आप सदैव 1979-80 की बात करते हैं । क्या आप सरकार में शामिल नहीं थे ?

श्री सी० एम० स्टीफन : (व्यवधान)...ढ़ाई महीने ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ढाई महीने । गड़बड़ करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि यदि आप उस तरह से बात करते हैं जिस पर माननीय श्रीमती मोहसिना किदवई कहना चाहती थीं कि उन्होंने आधार तैयार किया था जिस पर वे हमसे निर्माण की आशा करती थी लेकिन आप लोगों ने सब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ।

श्री वसंत साठे : यह ठीक नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्यों ? क्या ठीक नहीं है ? क्योंकि तीस वर्षों में आप ने केवल आधार शिला रखी जो बात समझने की हमसे आशा की जाती है और ढाई वर्षों में आप हमसे भवन निर्मित करने की आशा करते थे, फिर हमारे द्वारा ढाई वर्षों में जो कुछ बना था उसे समाप्त करने के लिए आपके लिए ढाई महीनों का समय पर्याप्त था और आप यही कर रहे हैं

श्री विक्रम महाजन : आप एक मकान बनाने में 100 वर्ष का समय ले सकते हैं, इसे आग लगा दीजिए यह केवल...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम इस सरकार के निष्पादन और अपनी सरकार के निष्पादन की चर्चा आगामी सत्र में करेंगे, जब कभी आप इस योजनागत दस्तावेज को चर्चा के लिए लाएंगे । परन्तु यहां दो प्वाइण्ट हैं—एक एजियाई खेल है.....

श्री वसंत साठे : ये कितना समय लेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह बताने का अधिकार कि मेरे दल की सरकार अपने आपको .....(व्यवधान) । मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री जिन्होंने वाद-विवाद में उत्तर दिया था, अपने सभी पत्रों सहित आएं । मैंने उन्हें पत्र लिख कर चर्चा का सुझाव दिया था परन्तु उन्होंने वाद-विवाद करने की उपेक्षा कर दी है । हम वाद-विवाद के लिए तैयार है । हम लिए गए प्रत्येक निर्णय पर कालक्रमानुसार चर्चा के लिए तैयार है और जब कभी वित्त मन्त्री महोदय के पास समय हो हम इस पर पूर्ण वाद-विवाद के लिए तैयार है फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी को उत्तर दे रहे थे तो माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि किसान रैली पहले की किसान रैली के नमूने पर थी । मैंने सोचा कि उन्हें इतिहास के बारे में इससे अधिक जानकारी होगी । जब किसान रैली का आयोजन किया गया था श्री चरणसिंह सत्ता में नहीं थे । अब भी वे अपने घर में हैं । (व्यवधान) । क्यों ? क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं वे 12 तुगलक रोड में है । क्या मैं आपको वहां ले चलूं ? जब श्री चरण सिंह सत्ता रूढ़ नहीं थे तब किसान कामगार सम्मेलन द्वारा किसान रैली का आयोजन किया गया था ।

इस किसान रैली का आयोजन सत्तारूढ दल द्वारा किया गया है। माननीय मन्त्री महोदय ने कल इस सदन में यह बात स्वीकार की थी कि 33000 ट्रक लाए गए थे। 120 विशेष गाडियां चलाई गई थी। समाचार पत्रों ने लिखा है कि 100 से 200 करोड़ रुपये के बीच खर्च किया गया। क्या आप इसकी तुलना किसानों के संगठन द्वारा आयोजित किसान रैली से करना चाहते हैं? (व्यवधान)

मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से इसे समाप्त करूंगा श्री अरिफ मोहम्मद खां ने एक बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषण दिया है, यह पहली बार नहीं है इसे पहले भी कई बार के इस प्रकार के प्रभावपूर्ण भाषण दे चुके हैं मैंने उन्हें आदर सहित सुना जैसाकि मैं सभी को आदर सहित सुनता हूं। उन्होंने मेरी ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया है मैंने श्री बरोट को सुना है उन्होंने भी मेरी ईमानदारी पर सन्देह व्यक्त किया है इसलिए मैंने इस सदन में पेशकश की है। मैं सरकार का सवा दो साल मन्त्री रहा हूं —3 महीनों के लिए मैं संचार मन्त्री था और 2 वर्षों तक मैं उद्योग मन्त्री था जहां तक उद्योग मन्त्री के रूप में मेरे कार्य और ईमानदारी का सम्बन्ध है मैं चाहूंगा कि यह सदन एक समिति गठित करें अथवा एक पूर्ण वाद-विवाद करवाए।

श्री सी० एम० स्टीफन : हमारे पास कई अन्य कार्य हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसकी पेशकश कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि यह सदन इसकी जांच करें क्योंकि मैं आज सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि इस नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री जार्ज फर्नान्डीस की जांच शुरू कर दी। वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव जिसने मेरे मन्त्रालय मे, उद्योग मन्त्रालय में कार्य किया था के पास पहुंचे और उन्होंने संयुक्त सचिव - जो तब तक अपने राज्य में सचिव बन गये थे कहा "हम श्री जार्ज फर्नान्डीस की जांच कर रहे हैं और आपको इकबाली साक्षी बनना पड़ेगा। और यदि आप इकबाली साक्षी नहीं बनते तो आप अभियुक्त नम्बर दो होगें।" और आज मैं इस सदन से यह भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और कहा "मैं अभियुक्त नम्बर दो बनूंगा। परन्तु मैं आपका इकबाली साक्षी नही बनूंगा।" (व्यवधान मैं आप से कोई आशा नहीं रखता, नेहरू महोदय मैं आप में से किसे से भी किसी चीज की आशा नहीं रखता हूं मैं आप के बारे कोई जांच करवाए जाने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं यह कभी नहीं करुंगा। परन्तु मैं अपने आपको किसी भी जांच के लिए आजकल किसी भी समय, कहीं, जिसका निर्णय सदन से पेश कर रहा हूं। मैं केवल श्री आरिफ मोहम्मद खां से सुझाव दूंगा कि यदि वे चाहें...(व्यवधान)। मैं आपकी जांच किए जाने की मांग नहीं करुंगा, श्री सेन; मैं कभी नहीं करुंगा ऐसा अन्य कर रहे हैं। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने एक बार दूसरे सदन को कहा था कि मैं सरकार में मन्त्री बने रहने की अपनी पूर्ण अवधि की जांच करवाना चाहता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस

इन शब्दों के साथ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी से समाप्त करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ऐसी सरकार है जो प्रत्येक क्षेत्र में असफल हुई है, यह ऐसी सरकार है जो दोहरे मानक अपनाती है और ऐसी सरकार है जिसका नेता आज इसकी रक्षा के लिए यहां उपस्थित नहीं है। यह ऐसी सरकार है जो सत्ता में रहने लायक नहीं है। यद्यपि मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव की तारीख, इस प्रस्ताव पर मत, हमारे विरुद्ध जायेंगे, तिस पर भी मैं पूरा जोर लगाकर यह कहता हूं कि मैं अपने प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन मन्त्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अब्दुल समद, श्री
अहमद, श्री मोहम्मद असरार
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
आनन्द सिंह, श्री
अंकिनीडू, श्री एम०
अंकिनीडू, प्रसाद राव, श्री पी०
अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अनवार अहमद, श्री
अप्पालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अराकल, श्री जेवियर
अरुणाचलम, श्री एम०
आजाद, श्री गुलाब नबी
बागुन सुम्बरुई, श्री
बैठा, श्री डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगन भाई

बरवे, श्री जे० सी०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवानदेव, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाई डा० कृपासिन्धु

भोले, श्री आर० आर०

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

बीरबल श्री

बीरेन्द्रसिंह राव श्री

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

बृजेन्द्रपाल सिंह श्री

बूटा सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चव्हाण, श्री एस० बी०

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

चिगंयाग कोनयक, श्री

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

दलबीर सिंह, श्री

दलबीर सिंह, श्री

डामोर, श्री सोमजी भाई
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
देव, श्री संतोष मोहन
दंडपाणि, श्री सी० टी०
धोटे, श्री जाम्बुवंत
दिग्विजय सिंह श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
डूंगर सिंह, श्री
दुबे, श्री बिन्देश्वरी
दुबे, श्री रामनाथ
एक्का, श्री क्रिस्टोफर
ईरा, अनबारासु, श्री
ईरा मोहन, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री उदय सिंह राव
गामित, श्री छोतुभाई
गहलोत, श्री अशोक
घोरपाडे, श्री आर० वाई०
गोहिल, श्री जी० बी०
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० सेनापति
गुलशेर अहमद, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलत सिंह जी
जाफर, शरीफ, श्री सी० के०

जय नारायण रेति, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिंतामणि
झा, श्री कमल नाथ
कैलाशपति, श्रीमती
कलानिधि, डा० ए०
कामाक्षैया, श्री बी०
कमलाकुमारी, कुमारी
कंडास्वमी, श्री एम०
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौशल, श्री जगन्नाथ
केयर भूषण, श्री
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्णन्, श्री जी० वाई०
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई
कुलनदईवेलु, डा० वी०
कुंवेर राम, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के०
लक्ष्मनन्, श्री जी०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री

महाजन, श्री विक्रम

महाला०, श्री आर० पी०

महेन्द्र प्रसाद, श्री

मकवाना, श्री नरसिंह

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मायातेवर, श्री के०

मेहता, डा० महिपतराय एम०

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री वसवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुत्तेमवार, श्री विलास

नागरत्नम, श्री टी०

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताराम, श्री अरविन्द

निहाल सिंह श्री

निहाल सिंह श्री

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

निखरा, श्री रामेश्वर

ओडेदरा, श्री मालदेवजी एम०

उरांव, श्री कार्तिक

पलानीअप्पन, श्री सी०

पांडे, श्री केदार

पाणिग्रही, श्री चिंतामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

परमार, श्री हीरालाल आर०

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री शान्तुभाई

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहिब बिखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री वसन्त राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०
पट्टाभि रामा राव, श्री एस० वी० पी०
पेंचालैया, श्री पसाला
फूलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री राजेश
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रभु, श्री आर०
प्रधानी, श्री के०
प्रसन्नकुमार, श्री एस० एन०
पुलय्या, श्री दारूर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
रहीम, श्री ए० ए०
राजामल्लू, श्री के०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राम, श्री राम स्वरूप
रामलिंगम, श्रीएन० कुदन्तइ
राममूर्ति, श्री के०
रणवीरसिंह, श्री
राणे, श्रीमती संयोगिता
रंगा, प्रो० एन० जी०
रणजीत सिंह, श्री
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम० नागेश्वर
राव श्री एम० एस० संजीवी
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राउत, श्री भोला
रवाणी, श्री नवीन

रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह

रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द

रेड्डी, श्री के० ओबुल

रेड्डी, श्री पी० वेंकट

रेड्डी, श्री टी० दामोदर

साही, श्रीमती कृष्णा

साहू, श्री नारायण

सज्जन कुमार, श्री

समीनुद्दीन, श्री

संगमा, श्री पी० ए०

संखवार, श्री आशकरण

साठे, श्री बसन्त

सतीश प्रसाद सिंह, श्री

सत्यदेव सिंह, प्रो०

सावन्त, श्री टी० एम०

सैयद, श्री पी० एम०

सिंधिन्या, श्री माधव राव

सेबिस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेलवाराजू श्री एन०

सेन, श्री ए० के०

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री सुन्दर

शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिंगडा, श्री डी० बी०
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
शुक्ल, श्री विद्या चरण
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंगारावाडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री सी० पी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोलंकी, श्री नटवरसिंह
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोरन, श्री हरिहर
श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुब्बा, श्री पी० एम०
सुब्बुरमण, श्री ए० जी०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह
स्वामी, श्री के० ए०
स्वामीनाथन, श्री आर० वी०
तपेश्वर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री

तिवारी, प्रो० के० के०
थोरट, श्री भाऊसाहिब
थुंगोन, श्री पी० के०
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री रामगोपाल
त्रिपाठी, श्री कमलापति
त्रिपाठी, श्री राम नाराय
टाईटलर, श्री जगदीश
डइके, श्री छोटे लाल
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जय राम
वेलू, श्री ए० एम०
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकटसुब्बया, श्री पी०
वर्मा श्रीमती ऊषा
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारीलाल
वाघ, डा० प्रताप
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
याजदानी, डा० गोलम
यूसुफ, श्री मोहम्मद
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री
आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
आर्य, श्री कुम्भाराम
अशफाक हुसैन, श्री

बालन, श्री ए० के०
बालानन्दन, श्री ई०
बर्मन, श्री पलाश
बसुदेव, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, अजय
चक्रवर्ती, श्रीसत्यसाधन चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री मोती भाई आर०
चौधरी, श्री त्रिदिव
चौधरी श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
देवी लाल० श्री
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्री मती विभा
गिरी, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमति सुशीला
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रवेश, स्वामी

जगपाल सिंह, श्री

कश्यप, श्री जयपाल सिंह

श्री गयूर अली

खां, श्री महमूद हसन

कोड़ियन, श्री पी० के०

नारेंस, श्री एम० एम०

मधुकर, श्री कमला मिश्र

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री घनिक लाल

मंड़ल, श्री मुकन्द

मण्ड़ल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मिस्र, श्री सत्यगोपाल

मोंदक, श्री विजय

मोहम्द स्माईल, श्री

मुखर्जी, श्री मति गीता

मुखर्जी, श्री समर

नेगी, श्री टी० एस०

नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री

पाल, प्रो रूप चन्द

पंडित, डा० वसंत कुमार

पासवान, श्री राम विलास

पाठक, श्री आनन्द

राय श्री एम० रामन्ना

राजन, श्री के० ए०

राजदा, श्री रतन सिंह

राकेश, श्री आर० एन०
राम किंकर, श्री
रशीद मशूद, श्री
रियान; श्री बाजू बेन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजीत कुमार
साहा, श्री गदाधर
सारण; श्रीदोलत राम
षाडंगी, श्री रुद्र प्रताप
सेन, श्री सुबोध
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
थामस, श्री स्कारिया
तिरकी, श्री पीयुष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रविन्द्र
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रशाद
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रीतलाल प्रशाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
जायनल अबेदिन; श्री

अध्यक्ष महोदय : अंतिम गणना का परिणाम** इस प्रकार है।

पक्ष में : 90
विपक्ष में : 275

प्रस्ताव के विपक्ष में अधिक मत पड़े। प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, इससे पूर्व कि हम कार्यवाही स्थगित करें, मैं सम्पूर्ण सदन का, सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। यह आपकी बहुत कृपा रही है कि आपने मुझे उपाध्यक्ष महोदय को तथा पैनल के सभी सभापतियों को इस प्रकार का सहयोग दिया। मुझे वे मौखिक प्रतिवाद याद नहीं हैं। वह तो केवल जीवन का दस्तूर है, लोकतान्त्रिक जीवन का दस्तूर, और इसकी अपेक्षा और स्वागत किया जाता है। मैं आप सभी का इस अच्छे सहयोग के लिए आभारी हूं...

श्री सोमनाथ चटर्जी : कर्मचारियों के भी।

अध्यक्ष महोदय : ... और कर्मचारियों के भी जो अपने कर्त्तव्यों के पालन में बहुत अत्पर रहे हैं।

अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

02.17 म० पू०

तत्पश्चरत लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

** निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया

पक्ष में : सर्वश्री गुलाम रसूल कोचक और मंगल राम प्रेमी

विपक्ष में : सर्वश्री भागवत झा आजाद, श्री रामा रामायण राय और हाकम सिंह

मुद्रक : आकाश दीप प्रिन्टर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-2.